vol

4

2092

सुनन नसाई

हदीस नं. **3086**

-: उर्दू तर्जुमा :-

हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन

-: हिन्दी तर्जुमा :-

दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त

जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)

सुनन नसाई शरीफ़

سنن نسائی شریف

ज़ेरे निग़रानी सुबाई व शहरी जमीअ़त अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर

جمعیت اہل حدیث جودھپور

नाशिर मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर

مرکزی انجمن خدام القرآن والحدیث جودھپور

तालीफ़

امام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ

इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.)

नज़रे सानी, तस्हीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात

हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.)

-: तहक़ीक व तख़रीज :-

हाफ़िज़ अबू ताहिर ज़ुबैर अली ज़ई

-: उर्दू तर्जुमा :-

हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन

जिल्द

4

हदीस नम्बर 2092 से 3086

-: हिन्दी तर्जुमा :-

दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त

जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)

सुनन नसाई शरीफ़

سنن نسائی شریف

ज़ेरे निग़रानी सुबाई व शहरी जमीअ़त अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर

جمعیت اہل حدیث جودھپور

नाशिर मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर

مرکزی انجمن خدام القرآن والحدیث جودھپور

तालीफ़

امام ابو عبد الرحمٰن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ

इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.)

नज़रे सानी, तस्हीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात

हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.)

-: तहक़ीक़ व तख़रीज :-

हाफ़िज़ अबू ताहिर ज़ुबैर अली ज़ई

-: उर्दू तर्जुमा :-

हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन

जिल्द

4

हदीस नम्बर 2092 से 3086

-: हिन्दी तर्जुमा :-

दारुल-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत

जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.)

सुनन नसाई शरीफ

سنن نسائی شریف

ज़ेरे निगरानी **सुबाई व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर**

جمعیت اہل حدیث جودھپور

नाशिर **मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर**

مرکزی انجمن خدام القرآن والحدیث جودھپور

सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है

इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षेत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा।

नाम किताब	**सुनन नसाई (जिल्द - 4)**
तालीफ़	**इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.)**
उर्दू तर्जुमा	**हाफ़िज मुहम्मद अमीन**
हिन्दी तर्जुमा	**दारूल-तर्जुमा, शोबा नस्रो इशाअत जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.)**
तहक़ीक़ व तस्हीह	**हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.)**
नज़रे सानी	**मौलाना जमशेद आलम सल्फ़ी** (63758-92334)
लेज़र टाइपसेटिंग	**अब्दुल वाजिद,** (99506-96917)
मैनेजिंग डायरेक्टर मार्केटिंग मैनेजर	**अली हम्ज़ा,** (82338-55857) **अहमद अब्बास** (97397-31956)
प्रिण्टिंग	**आदर्श आफसेट, स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर** 92144-85741
बाइंडिंग	**कमाल बाईण्डिंग हाउस** मो. शाहिद भाई 93516-68223 0291-2551615

तादाद पेज	660	तादाद कॉपी	500 (पांच सौ)
प्रकाशन (प्रथम संस्करण)	अप्रेल-2021	क़ीमत	800/- (आठ सौ रुपये)

प्रकाशक	**मर्कज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर**
ज़ेरे निगरानी	**शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान**

मिलने के पते

मकतबा तर्जुमान, 4116 उर्दू बाजार, नई दिल्ली
फोन: 011-23273407
सल्फी बुक सेन्टर,
मटिया महल, दिल्ली। फोन: 91365-05582

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल जामा मस्जिद, दिल्ली 090153-82970

शैख ज़ुबैर, मस्जिदे अक्शा स्ट्रीट, बसन्त नगर, हुसाद, महाराष्ट्र। फोन: 88069-90007

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती,
जबलपुर, (एम.पी.) 89595-13602

मदरसा दारूल उलूम सलफिया,
मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.)

मकतबा अहसान
लखनऊ, यू.पी. फोन: 97931-18234
मकतबा अलफहीम,
मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-2222013

हुजैफा : मकतबा दारूस्सलाम,
इस्लामिया सीनियर धोबिया इमली रोड़ मऊनाथ भंजन, मऊ, (यूपी) 275101 फोन: 74287-38778

साद सिद्दीकी:
राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244

तौहीद किताब सेन्टर, 80039-72503 सीकर (राज.)
कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 70148-98515

हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद,
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 70146-75559

GUIDANCE PUBLISHERES & DISTRIBUTORS
D-105, Shop No. 2, Abul Fazl Enclaves, Jamia nagar, Okhla, New Delhi-110025,
9899693655, 9958923032

तौसीफ बुक डिपो
दरियागंज, दिल्ली। फोन: 98732-96944

दारूल इल्म,
नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 23082231

मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन,
खजराना, इन्दौर 95846-51411

सैफुल्लाह खालिद,
माणक बाग, इन्दौर 98273-97772

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी,
जुलैखा चिल्ड्रन हॉस्पीटल केसर कॉलोनी,
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056

इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200
अमरीन बुक एजेन्सी:
जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 84010-10786

आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज, कच्छ (गुजरात) 094291-17111

उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड नं. 10, सीकर। फोन: 7742457343

HAFIZ JAVED S/O M. SIDDIQUE BALKHI
GALI No.1 NEAR RAILWAY STATION, TELI ROAD, LADNUN DIST. NAGOUR 9509370903

ALL INDIA DISTRIBUTOR
AL KITAB INTERNATIONAL
JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25
PH: 26986973 M. 9312508762

SOLE DISTRIBUTOR
POPULAR BOOK STORE
OUT SIDE MERTI GATE, JODHPUR [RAJ.]
9460768990, 9664159557

फेहरिस्ते-मज़ामीन

रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	19
बाब: (1) रोज़े की फ़ज़ीयत	19
बाब: (2) रमज़ानुल मुबारक में एहसान और सख़ावत करने का बयान	27
बाब: (3) माहे रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत	29
बाब: (4) इस रिवायत में हज़रत ज़ोहरी के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का बयान	30
बाब: (5) इस रिवायत में मामर के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का बयान	32
बाब: (6) माहे रमज़ान को (सिर्फ़) रमज़ान कहा जा सकता है	36
बाब: (7) मुख़्तलिफ़ इलाक़ों के लोगों का चाँद देखने में इख़्तिलाफ़	37
बाब: (8) रमज़ानुल मुबारक के चाँद के लिये एक आदमी की गवाही के क़ुबूल होने का बयान और सिमाक की हदीस़ में सुफ़ियान के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	39
बाब: (9) बादल हों (और चाँद नज़र न आये) तो शाबान के तीस दिन पूरे करना और हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) से नक़ल करने वालों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	42
बाब: (10) दर्ज ज़ेल हदीस़ में हज़रत ज़ोहरी के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़	43
बाब: (11) इस हदीस़ में उ़बैदुल्लाह बिन उ़मर के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़	44
बाब: (12) हज़रत इब्ने अ़ब्बास की हदीस़ में अ़म्र बिन दीनार के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़	45
बाब: (13) इस बारे में रिब्ई की हदीस़ में मन्सूर के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़	46
बाब: (14) (क़मरी और इस्लामी) महीना कितने दिन का होता है? और हज़रत आयशा की इस हदीस़ में ज़ोहरी के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़	49
बाब: (15) इस बाब में इब्ने अ़ब्बास (ؓ) की हदीस़ का बयान	51
बाब: (16) इस बारे में हज़रत सअ़द बिन मालिक की हदीस़ में इस्माईल के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़	52
बाब: (17) इस बारे में हज़रत अबू सलमा की हदीस़ में यहया बिन अबी कस़ीर के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़	53
बाब: (18) सहरी खाने की तर्ग़ीब	56
बाब: (19) इस हदीस़ में अ़ब्दुल मलिक बिन अबी सुलैमान के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़ (कि ये रिवायत मौक़ूफ़ है या मर्फ़ूअ़)	57
बाब: (20) सहरी ताख़ीर से (आख़री वक़्त में) खाने का बयान, और इस हदीस़ में ज़िर्र के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़	59
बाब: (21) सहरी और फ़ज्र की नमाज़ में कितना फ़ासला होना चाहिए?	60
बाब: (22) इस रिवायत में क़तादा के शागिर्दों हिशाम और सईद के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र (कि हिशाम ने इसे हज़रत ज़ैद बिन स़ाबित (ؓ) की रिवायत बताया है जबकि सईद ने हज़रत अनस (ؓ) की)	61

बाब: (23) ताख़ीर सहरी की बाबत हज़रत आयशा (ﷺ) की हदीस़ में सुलैमान बिन मेहरान के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़ और उनके लफ़्ज़ी इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	62
बाब: (24) सहरी खाने की फ़ज़ीलत	65
बाब: (25) सहरी के लिये दावत देना	65
बाब: (26) सहरी को ग़दा (सुबह का खाना) कहना	66
बाब: (27) हमारे और अहले किताब के रोज़े में फ़र्क़?	66
बाब: (28) सत्तू और खजूरों के साथ सहरी करना	67
बाब: (29) अल्लाह तआला के फ़रमान: खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिये फ़ज्र की सफ़ेद धारी स्याह धारी से वाज़ेह (रोशन) हो जाये।' का मतलब	68
बाब: (30) तुलूअे फ़ज्र कैसे होगा?	69
बाब: (31) माहे रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले रोज़ा रखना	71
बाब: (32) इस हदीस़ में हज़रत अबू सलमा के दो शागिर्दों यहया बिन अबी कस़ीर और मुहम्मद बिन अ़म्र का इख़्तिलाफ़	72
बाब: (33) इस बारे में अबू सलमा की हदीस़ का बयान	73
बाब: (34) इस रिवायत में मुहम्मद बिन इब्राहीम के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़ (कि कुछ ने इसे हज़रत उम्मे सलमा(ﷺ) की तरफ़ मन्सूब किया है और कुछ ने हज़रत आ़यशा (ﷺ) की तरफ़)	73
बाब: (35) हज़रत आ़यशा (ﷺ) की हदीस़ में रावियों के इख़्तिलाफ़ का बयान	75
बाब: (36) इस हदीस़ में ख़ालिद बिन मअ़्दान के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	79
बाब: (37) शक वाले दिन का रोज़ा रखना	80
बाब: (38) शक वाले दिन (एक ख़ास़ हालत में) रोज़ा रखने की रुख़्स़त	82
बाब: (39) जो शख़्स़ रमज़ानुल मुबारक में ईमान और स़वाब के मद्दे नज़र सियाम व क़याम करे, उसे क्या स़वाब मिलेगा? और इसकी बाबत वारिद हदीस़ में ज़ोहरी के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़	82
बाब: (40) इस रिवायत में यहया बिन अबी कस़ीर और नज़्र बिन शैबान के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	88
बाब: (41) रोज़े की फ़ज़ीलत और हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब की हदीस़ में अबू इस्हाक़ के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़	91
बाब: (42) इस हदीस़ में अबू स़ालेह के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	93
बाब: (43) रोज़ेदार की फ़ज़ीलत के बारे में हज़रत अबू उमामा (ﷺ) की हदीस़ में मुहम्मद बिन याकूब के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	98
बाब: (44) जो शख़्स़ अल्लाह की राह में एक रोज़ा रखे, उसका स़वाब और इस बारे में वारिद हदीस़ के बयान में सुहैल बिन अबी स़ालेह के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	109
बाब: (45) इस रिवायत में सुफ़ियान स़ौरी के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का बयान	112
बाब: (46) सफ़र में रोज़ा रखना मकरूह है?	114
बाब: (47) वह सबब जिसकी बिना पर ये अल्फ़ाज़ कहे गये, और इस बारे में वारिद हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) की हदीस़ के बयान में मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहमान के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	115
बाब: (48) अ़ली बिन मुबारक के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	116

बाब: (49) उस शख़्स के नाम का ज़िक्र (जो मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और हज़रत जाबिर (ﷻ) के दरम्यान है)	117
बाब: (50) मुसाफ़िर को (वक़्ती तौर पर) रोज़ा माफ़ होने का ज़िक्र और इस बारे में हज़रत अम्र बिन उमय्या ज़मरी (ﷻ) की हदीस़ (के बयान) में ओज़ाई के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़	120
बाब: (51) इस हदीस़ के बयान में मुआविया बिन सलाम और अली बिन मुबारक का इख़्तिलाफ़	123
बाब: (52) सफ़र में (बसूरते मशक़्क़त) रोज़ा रखने से न रखना अफ़ज़ल है	128
बाब: (53) इस बात का बयान कि सफ़र में रोज़ा रखने वाला घर में रह कर रोज़ा न रखने वाले की तरह है	129
बाब: (54) सफ़र में रोज़ा रखना, और इस बारे में हज़रत इब्ने अब्बास (ﷻ) की हदीस़ में नाक़िलीन का इख़्तिलाफ़	130
बाब: (55) मन्सूर के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	131
बाब: (56) इस बारे में हज़रत हम्ज़ा बिन अम्र(ﷻ) की हदीस़ में सुलैमान बिन यसार के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	133
बाब: (57) हज़रत हम्ज़ा बिन अम्र की हदीस़ में उर्वा के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	136
बाब: (58) इस रिवायत में हिशाम बिन उर्वा के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	137
बाब: (59) इस हदीस़ में अबू नज़्रा मुन्ज़िर बिन मालिक बिन कुतआ के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	139
बाब: (60) मुसाफ़िर को इजाज़त है कि कुछ रोज़े रख ले कुछ छोड़ दे	141
बाब: (61) जो शख़्स रमज़ानुल मुबारक में घर में मौजूद था, उसने रोज़ा रख लिया, फिर सफ़र शुरू किया तो सफ़र में वह रोज़ा खोल सकता है	141
बाब: (62) हामिला और मुर्ज़िआ (बच्चे को दूध पिलाने वाली) को रोज़ा माफ़ है	142
बाब: (63) अल्लाह तआला के फ़रमान की तफ़्सीर	143
बाब: (64) हैज़ की हालत में (वक़्ती तौर पर) रोज़ा माफ़ होना	145
बाब: (65) रमज़ान में दिन के वक़्त जब औरत हैज़ से पाक हो जाये या मुसाफ़िर घर आ जाये तो क्या बाक़ी दिन का रोज़ा रखें?	147
बाब: (66) जब रात को रोज़े की नियत न हो तो क्या दिन के वक़्त नफ़्ल रोज़ा रख सकता है?	148
बाब: (67) रोज़े की नियत और इस बारे में हज़रत आयशा (ﷻ) की हदीस़ (के बयान करने) में तल्हा बिन यहया बिन तल्हा के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़	149
बाब: (68) इस बारे में हज़रत हफ़्सा की हदीस़ में नाक़िलीन का इख़्तिलाफ़	154
बाब: (69) अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद(ﷺ) के रोज़े का बयान	159
बाब: (70) नबी (ﷺ), आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों, के रोज़े का बयान और इस बारे में वारिद रिवायत के नाक़िलीन के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	160
बाब: (71) इसके बारे में वारिद हदीस़ में हज़रत अता के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	170
बाब: (72) हमेशा रोज़ा रखने की मुमानिअत (मनाही) और इस बारे में वारिद हदीस़ (के बयान) में मुतर्रिफ़ बिन अब्दुल्लाह के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़	172

बाब: (73) इस रिवायत में ग़ैलान बिन जरीर के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	174
बाब: (74) लगातार रोज़े रखना?	175
बाब: (75) दो तिहाई दिनों के रोज़े और इस बारे में वारिद हदीस़ के बयान में रावियों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	176
बाब: (76) एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन इफ़्तार करना और इस बारे में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) की हदीस़ बयान करने वालों के अल्फ़ाज़ के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	179
बाब: (77) इस हदीस़ में इससे कम व बेश रोज़ों का ज़िक्र और इस बारे में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) की हदीस़ बयान करने वालों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	185
बाब: (78) एक माह में दस दिन के रोज़े रखना और इस बारे में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) की हदीस़ बयान करने वालों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	188
बाब: (79) महीने में पाँच दिन रोज़े रखना	192
बाब: (80) महीने में चार दिन रोज़े रखना	193
बाब: (81) महीने में तीन दिन रोज़े रखना	194
बाब: (82) हर माह तीन रोज़े रखने के बारे में अबू हुरैरह (ﷺ) की हदीस़ के बयान करने में अबू उ़स्मान के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	195
बाब: (83) हर माह तीन दिन किस तरह रोज़े रखे? और इस बारे में हदीस़ बयान करने वालों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	198
बाब: (84) महीने के तीन रोज़ों वाली रिवायत में मूसा बिन तल्हा के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	201
बाब: (85) महीने में दो दिन रोज़ा रखना	207
ज़कात का मफ़्हूम व मानी ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	210
बाब: (1) ज़कात की फ़र्ज़ीयत	211
बाब: (2) ज़कात रोक लेने पर सख़्त वईद	216
बाब: (3) ज़कात से इन्कार करने वाले का हुक्म	220
बाब: (4) ज़कात न देने वाले की सज़ा	222
बाब: (5) ऊँटों की ज़कात	223
बाब: (6) ऊँटों की ज़कात न देने वाले की सज़ा	229
बाब: (7) जब ऊँट घर वालों के दूध और सवारी वग़ैरह के लिये हों तो उन पर ज़कात नहीं	231
बाब: (8) गायों की ज़कात	232
बाब: (9) गायों की ज़कात न देने वाले की सज़ा	234
बाब: (10) बकरियों की ज़कात	235
बाब: (11) बकरियों की ज़कात न देने वाले की सज़ा	238
बाब: (12) अलग अलग जानवरों को इकट्ठा या इकट्ठे जानवरों को अलग अलग करना (मना है)	239
बाब: (13) हाकिम का, सदक़ा देने वाले के लिये दुआ करना	241
बाब: (14) जब कोई सदक़ा वसूल करने वाला हद से तजावुज़ करे तो?	242
बाब: (15) मालिक ज़कात अपनी मर्ज़ी से देगा, सदक़ा लेने वाला अपनी मर्ज़ी नहीं करेगा	243
बाब: (16) घोड़ों की ज़कात	246
बाब: (17) गुलामों की ज़कात	248
बाब: (18) चाँदी की ज़कात	249

बाब: (19) ज़ेवरात की ज़कात	251
बाब: (20) जो शख़्स अपने माल की ज़कात न दे तो?	253
बाब: (21) ख़ुश्क खजूरों की ज़कात	254
बाब: (22) गंदूम की ज़कात	255
बाब: (23) मुख़्तलिफ़ क़िस्म के ग़ल्लों की ज़कात	255
बाब: (24) कितनी मिक़्दार (मात्रा) में ज़कात वाजिब होती है?	256
बाब: (25) किस ज़मीन में उ़श्र और किस में निस्फ़ उ़श्र वाजिब है?	257
बाब: (26) अन्दाज़ा लगाने वाला कितना छोड़ दे	259
बाब: (27) अल्लाह के फ़रमान की तफ़्सीर	261
बाब: (28) खान (माइन्स) (से निकलने वाली मअ़दनियात) का बयान	262
बाब: (29) मक्खियों के शहद में ज़कात	265
बाब: (30) रमज़ान की ज़कात (स़दक़तुल फ़ित्र) फ़र्ज़ है	267
बाब: (31) गुलाम और लौण्डी पर भी ज़काते रमज़ान (स़दक़तुल फ़ित्र) फ़र्ज़ है	268
बाब: (32) ज़काते रमज़ान (स़दक़तुल फ़ित्र) बच्चे पर भी फ़र्ज़ है	268
बाब: (33) ज़काते रमज़ान मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, ज़िम्मियों पर नहीं	269
बाब: (34) स़दक़तुल फ़ित्र कितना फ़र्ज़ किया गया?	271
बाब: (35) स़दक़तुल फ़ित्र की फ़र्ज़ीयत ज़कात का हुक्म उतरने से पहले थी	271
बाब: (36) स़दक़तुल फ़ित्र की मिक़्दार का बयान	272
बाब: (37) स़दक़तुल फ़ित्र में खजूर देना	274
बाब: (38) (स़दक़-ए-फ़ित्र में) किशमिश (देना)	275
बाब: (39) स़दक़-ए-फ़ित्र में आटा देना	277
बाब: (40) गंदुम देना	277
बाब: (41) सुल्त देना	278
बाब: (42) जौ देना	278
बाब: (43) पनीर देना	279
बाब: (44) स़ाअ़ कितना होता है?	279
बाब: (45) स़दक़तुल फ़ित्र की अदायगी का मुस्तहब वक़्त	281
बाब: (46) एक शहर की ज़कात दूसरे शहर ले जाना?	282
बाब: (47) जब कोई शख़्स ला'इल्मी में ज़कात किसी ग़नी को दे बैठे तो?	283
बाब: (48) हराम (चोरी, ख़्यानत वग़ैरह) के माल से स़दक़ा देना	284
बाब: (49) कम माल वाले का मशक़्क़त से कमाया हुआ माल	286
बाब: (50) ऊपर वाला हाथ	289
बाब: (51) ऊपर वाला हाथ कौन सा है?	290
बाब: (52) नीचे वाला हाथ	291
बाब: (53) स़दक़ा ऐसा होना चाहिए जिसके बाद भी स़दक़ा करने वाला ग़नी रहे	291
बाब: (54) इसकी तफ़्सीर व वज़ाहत	292
बाब: (55) जब कोई मोहताज शख़्स स़दक़ा करे तो क्या उसे वापस कर दिया जाये?	293
बाब: (56) गुलाम का (मालिक के माल में से) स़दक़ा करना?	294

बाब: (57) औरत का अपने ख़ाविन्द के घर से सदक़ा करना?	295
बाब: (58) औरत अपने ख़ाविन्द की इजाज़त के बग़ैर अतिया न दे	296
बाब: (59) सदक़े की फ़ज़ीलत	297
बाब: (60) कौन सा सदक़ा अफ़ज़ल है?	298
बाब: (61) कंजूस आदमी का सदक़ा	300
बाब: (62) गिन गिन कर सदक़ा करना?	301
बाब: (63) थोड़े सदक़े का बयान	304
बाब: (64) दूसरों को सदक़ा करने की रग़बत दिलाने का बयान	305
बाब: (65) सदक़े के बारे में सिफ़ारिश करने का बयान	308
बाब: (66) सदक़े में फ़ख़्र करना	309
बाब: (67) ख़ज़ान्ची अपने मालिक की इजाज़त से सदक़ा करे तो उसे भी सवाब मिलेगा	310
बाब: (68) छुपा कर सदक़ा करने वाला	311
बाब: (69) देकर एहसान जतलाने वाला	312
बाब: (70) साइल को (कुछ न कुछ देकर) रुख़्सत करना चाहिए	314
बाब: (71) जिस शख़्स से माँगा जाये और वह न दे तो?	314
बाब: (72) जो शख़्स अल्लाह (عزوجل) के नाम पर माँगे	315
बाब: (73) जो शख़्स अल्लाह तआला की ज़ात का वास्ता देकर माँगे	316
बाब: (74) जो शख़्स अल्लाह के नाम पर माँगे और ख़ुद उसके नाम पर न दे?	317
बाब: (75) जो शख़्स (अल्लाह तआला के नाम पर) दे उसका सवाब?	318
बाब: (76) मिस्कीन की तफ़सीर (कि वह कौन है?)	320
बाब: (77) तकब्बुर करने वाला फ़क़ीर	322
बाब: (78) बेवा के लिये दौड़ धूप करने वाले की फ़ज़ीलत	323
बाब: (79) मुअल्लफ़तुल क़ुलूब का बयान	324
बाब: (80) जो शख़्स कोई तावान उठा ले उसे ज़कात दी जा सकती है	326
बाब: (81) यतीम को सदक़ा देना	328
बाब: (82) क़राबतदारों को सदक़ा देना	330
बाब: (83) माँगना	332
बाब: (84) नेक लोगों से माँगना	333
बाब: (85) माँगने से परहेज़ करना	334
बाब: (86) लोगों से कुछ न माँगने वाले की फ़ज़ीलत	335
बाब: (87) ग़िना की तारीफ़	336
बाब: (88) इस्रार के साथ (चिमट कर) माँगना	337
बाब: (89) इस्रार के साथ माँगने वाला कौन है?	338
बाब: (90) जब किसी शख़्स के पास (चालीस) दिरहम तो न हों मगर इतनी मालियत की और चीज़ हो तो?	339
बाब: (91) कमाई कर सकने वाले ताक़तवर शख़्स के लिये माँगना जायज़ नहीं	341
बाब: (92) हाकिम (साहिबे इक़्तेदार) से माँगना	342
बाब: (93) ऐसी चीज़ का सवाल करना जिसके बग़ैर चारा न हो	342
बाब: (94) जिसे अल्लाह तआला माँगे बग़ैर कोई माल अता फ़रमाये?	345

बाब: (95) नबी (ﷺ) की आल को सदक़ात जमा करने पर मुक़र्रर करना?	349
बाब: (96) किसी क़ौम का भाँजा भी उनमें शामिल होता है	351
बाब: (97) किसी क़ौम का आज़ाद कर्दा गुलाम भी उस क़ौम में शामिल है	352
बाब: (98) नबी (ﷺ) के लिये सदक़ा जायज़ नहीं	352
बाब: (99) जब सदक़े की हैसियत बदल जाये (तो हुक्म भी बदल जायेगा)	353
बाब: (100) सदक़े का माल ख़रीदना	354
हज का मफ़हूम व मअ्ना हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	**358**
बाब: (1) हज की फ़र्ज़ीयत का बयान	359
बाब: (2) उम्रे के वाजिब होने का बयान	361
बाब: (3) हज्जे मबरूर की फ़ज़ीलत	362
बाब: (4) हज की फ़ज़ीलत	363
बाब: (5) उम्रे की फ़ज़ीलत	366
बाब: (6) पे दर पे हज और उम्रा करने की फ़ज़ीलत	366
बाब: (7) उस फ़ौत शुदा की तरफ़ से हज करना जिसने हज की नज़र मानी हो (मगर पूरी न कर सका हो)	367
बाब: (8) जिस मय्यत ने (फ़र्ज़) हज न किया हो, उसकी तरफ़ से हज करना	368
बाब:(9) ज़िन्दा शख़्स सवारी पर न बैठ सकता हो तो उसकी तरफ़ से हज किया जा सकता है	369
बाब: (10) जो शख़्स उम्रा न कर सकता हो, उसकी तरफ़ से उम्रा करना	370
बाब: (11) अदायगि-ए-हज, अदायगि-ए-क़र्ज़ के मुशाबा है	371
बाब : (12) औरत का मर्द की तरफ़ से हज करना	373
बाब : (13) मर्द का औरत की तरफ़ से हज करना	374
बाब: (14) मुस्तहब ये है कि आदमी की तरफ़ से उसका बड़ा बेटा हज करे	375
बाब: (15) बच्चे को हज करवाना	376
बाब: (16) नबी-ए-अकरम (ﷺ) हज के लिये मदीना मुनव्वरा से कब चले? मवाक़ीत का बयान	378
मवाक़ीत का बयान	**379**
बाब: (17) मदीने वालों का मीक़ात	379
बाब: (18) शाम वालों का मीक़ात	380
बाब: (19) मिस्र वालों का मीक़ात	381
बाब: (20) यमन वालों का मीक़ात	381
बाब: (21) नज्द वालों का मीक़ात	382
बाब: (22) इराक़ वालों का मीक़ात	383
बाब: (23) जो लोग इन मवाक़ीत के अन्दर रहते हों	384
बाब: (24) ज़ुल हुलैफ़ा में पड़ाव डालना	385
बाब: (25) बैदा का बयान	387
बाब: (26) एहराम बाँधने के लिये गुस्ल करना	387
बाब: (27) मुहरिम का गुस्ल करना	389
बाब: (28) एहराम में वर्स और ज़ाफ़रान से रंगे हुये कपड़े पहनने की मुमानिअत	390
बाब: (29) एहराम की हालत में जुब्बा पहनना	392
बाब: (30) मुहरिम के लिये क़मीस पहनने की मुमानिअत	393

बाब: (31) एहराम में पाजामा (और शलवार वग़ैरह) पहनने की मुमानिअत	394
बाब: (32) जिस मुहरिम के पास तहबन्द न हो, वह शलवार पहन सकता है	394
बाब: (33) मुहरिम औरत के लिये नक़ाब बाँधने की मुमानिअत	395
बाब: (34) एहराम की हालत में टोपीदार कुर्ता (बराण्डी) पहनने की मुमानिअत	397
बाब: (35) एहराम की हालत में पगड़ी पहनने की मुमानिअत	398
बाब: (36) एहराम में मोज़े पहनने की मुमानिअत	399
बाब: (37) जिसके पास जूते न हों, उसे एहराम की हालत में मोज़े पहनने की रुख़सत है	399
बाब: (38) मोज़ों को टख़नों के नीचे से काटना	400
बाब: (39) मुहरिम औरत के लिये दस्ताने पहनने की मुमानिअत	400
बाब: (40) एहराम बाँधते वक़्त बालों को गूंद (वग़ैरह) से चिपकाना	401
बाब: (41) एहराम बाँधते वक़्त ख़ुशबू लगाना मुबाह है	402
बाब: (42) ख़ुशबू लगाने की जगह	406
बाब: (43) मुहरिम के लिये ज़ाफ़रान लगाना?	411
बाब: (44) मुहरिम के लिये ख़लूक़ लगाना?	412
बाब: (45) मुहरिम के लिये सुरमा लगाना?	413
बाब: (46) मुहरिम के लिये रंगदार कपड़े पहनने की मुमानिअत	414
बाब: (47) मुहरिम (मर्द) के लिये अपना चेहरा और सर ढाँपना (दुरुस्त नहीं)	416
बाब: (48) सिर्फ़ हज का एहराम बाँधना	417
बाब: (49) उम्रे और हज का इकट्ठा एहराम बाँधना	419
बाब: (50) तमत्तोअ का बयान	427
बाब: (51) लब्बैक कहते वक़्त हज या उम्रे का नाम न लेना	435
बाब: (52) मुहरिम का नियत मुअय्यन किये बग़ैर एहराम बाँधना	437
बाब: (53) जब कोई शख़्स उम्रे का एहराम बाँधे तो क्या उसके साथ हज भी (शामिल) कर सकता है?	441
बाब: (54) लब्बैक कैसे कहा जाये?	443
बाब: (55) बलन्द आवाज़ से लब्बैक कहना	447
बाब: (56) एहराम का अमल	448
बाब: (57) निफ़ास वाली औरत कैसे एहराम बाँधे?	451
बाब: (58) औरत ने उम्रे का एहराम बाँध रखा हो, उसे हैज़ शुरू हो जाये और (इन्तेज़ार की सूरत में) हज फ़ौत होने का ख़तरा हो तो?	452
बाब: (59) हज के एहराम में शर्त लगाना	457
बाब: (60) शर्त लगाते वक़्त क्या कहे?	457
बाब: (61) जिस शख़्स ने शर्त नहीं लगाई, वह हज से रोक दिया जाये तो क्या करे?	459
बाब: (62) क़ुर्बानी के ऊँट को इश्आर करना	461
बाब: (63) (कोहान की) किस जानिब इश्आर किया जाये?	463
बाब: (64) ज़ख़्म लगाने के बाद ख़ून पोंछना	463
बाब: (65) क़लादे बटना (तैयार करना)	464
बाब: (66) क़लादे किस चीज़ से बटे जायें?	466
बाब: (67) हरम को जाने वाले क़ुर्बानी के जानवरों को क़लादे डालना	466
बाब: (68) ऊँटों को क़लादा डालना	467

बाब: (69) बकरियों को क़लादा डालना	468
बाब: (70) हरम को जाने वाले जानवर के गले में दो जूते लटकाना	470
बाब: (71) जब कोई शख़्स क़ुर्बानी के जानवर को क़लादा डाले तो क्या वह मुहरिम बन जाता है?	471
बाब: (72) क्या क़ुर्बानी के जानवर को क़लादा डालना एहराम का मोजिब है?	471
बाब: (73) क़ुर्बानी के जानवर को हाँक कर ले जाना	473
बाब: (74) क़ुर्बानी के ऊँट पर सवार होना?	474
बाब: (76) जिसे चलने में मशक़्क़त हो, उसके लिये क़ुर्बानी के जानवर पर सवार होना	476
बाब: (76) क़ुर्बानी के जानवर पर अच्छे तरीक़े से सवार होना चाहिए	476
बाब: (77) जिस आदमी के साथ क़ुर्बानी का जानवर न हो, वह हज के एहराम को उम्रे के एहराम में बदल सकता है?	477
बाब: (78) मुहरिम के लिये कौन सा शिकार खाना जायज़ है?	485
बाब: (79) किस क़िस्म का शिकार मुहरिम के लिये खाना जायज़ नहीं?	488
बाब: (80) अगर मुहरिम (शिकार देख कर) हँस पड़े जिससे हलाल शख़्स को शिकार का पता चल जाये, फिर वह उसे शिकार करे तो क्या मुहरिम उसे खा सकता है?	491
बाब: (81) अगर मुहरिम शिकार की तरफ़ इशारा करे और ग़ैर मुहरिम उसे शिकार करे तो?	494
बाब: (82) मुहरिम कौन से जानवर क़त्ल कर सकता है? काटने वाले कुत्ते को क़त्ल करना	495
बाब: (83) साँप को क़त्ल करना (भी मुहरिम के लिये जायज़ है)	496
बाब: (84) चूहे को क़त्ल करना (भी मुहरिम के लिये जायज़ है)	497
बाब: (85) छिपकली को क़त्ल करना	497
बाब: (86) बिच्छू को क़त्ल करना (भी मुहरिम के लिये जायज़ है)	498
बाब: (87) चील को क़त्ल करना भी जायज़ है	499
बाब: (88) कौअे को क़त्ल करना (मुहरिम के लिये जायज़ है)	499
बाब: (89) वह जानवर जिन्हें मुहरिम क़त्ल नहीं कर सकता	500
बाब: (90) मुहरिम के लिये निकाह करने की रुख़्सत	501
बाब: (91) (मुहरिम को) निकाह से मुमानिअत	503
बाब: (92) मुहरिम के लिये सींगी लगवाना?	505
बाब: (93) मुहरिम किसी बीमारी और तकलीफ़ की वजह से सींगी लगवा सकता है	506
बाब: (94) मुहरिम क़दम की पुश्त पर सींगी लगवा सकता है	507
बाब: (95) मुहरिम अपने सर के दरम्यान भी सींगी लगवा सकता है	507
बाब: (96) अगर मुहरिम को सर में जूएँ तकलीफ़ दें तो?	508
बाब: (97) मुहरिम मर जाये तो उसे बेरी के पत्तों से ग़ुस्ल देना	509
बाब: (98) मुहरिम फ़ौत हो जाये तो उसे कितने कपड़ों में कफ़न दिया जाये?	510
बाब: (99) मुहरिम वफ़ात पा जाये तो उसे हनूत न लगाई जाये	511
बाब: (100) मुहरिम फ़ौत हो जाये तो उसके चेहरे और सर को ढाँपने की मुमानिअत	512

बाब: (101) मुहरिम फ़ौत हो जाये तो उसका सर न ढाँपा जाये	512
बाब: (102) दुश्मन की वजह से जो शख़्स (हज से) रोक दिया जाये तो?	513
बाब: (103) मक्का मुकर्रमा में दाख़िला	516
बाब: (104) रात के वक़्त मक्का मुकर्रमा में दाख़िल होना	517
बाब: (105) मक्का मुकर्रमा में किस तरफ़ से दाख़िल हो?	518
बाब: (106) मक्का मुकर्रमा में झण्डा लेकर दाख़िल होना	519
बाब: (107) मक्का मुकर्रमा में बग़ैर एहराम के दाख़िल होना	519
बाब: (108) नबी (ﷺ) मक्का मुकर्रमा में किस वक़्त दाख़िल हुये?	521
बाब: (109) हरम में शेअर पढ़ना और इमाम के आगे आगे चलना	522
बाब: (110) मक्के की ताज़ीम का बयान	523
बाब: (111) मक्का मुकर्रमा में लड़ाई हराम है	524
बाब: (112) हरम की हुर्मत का बयान	526
बाब: (113) हरम में कौन से जानवर क़त्ल किये जा सकते हैं?	529
बाब: (114) हरम में साँप मारना	529
बाब: (115) छिपकली को क़त्ल करना	531
बाब: (116) बिच्छू को क़त्ल करना	531
बाब: (117) हरम में चूहे को मारना	532
बाब: (118) हरम में चील को मारना	532
बाब: (119) हरम में कौअे को मारना	533
बाब: (120) हरम के शिकार को भगाने की मुमानिअत	533
बाब: (121) हाजियों का इस्तेक़बाल करना	534
बाब: (122) बैतुल्लाह को देखते वक़्त हाथ न उठाना	535
बाब: (123) बैतुल्लाह को देखते वक़्त दुआ करना	536
बाब: (124) मस्जिदे हराम में नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत	537
बाब: (125) तामीरे काबा का बयान	539
बाब: (126) बैतुल्लाह के अन्दर दाख़िल होने का बयान	543
बाब: (127) बैतुल्लाह में (रसूलुल्लाह (ﷺ) के) नमाज़ पढ़ने की जगह	544
बाब: (128) हिज्र या हतीम का बयान	546
बाब: (129) हिज्र में नमाज़ पढ़ना	547
बाब: (130) काबे के कोनों में तकबीरें कहना	548
बाब: (131) बैतुल्लाह के अन्दर ज़िक्र और दुआ करना	548
बाब: (132) काबे के दरवाज़े के सामने वाली दीवार के साथ चेहरा और सीना लगाना	549
बाब: (133) काबे में नमाज़ की जगह	550
बाब: (134) बैतुल्लाह के तवाफ़ की फ़ज़ीलत (ये सिर्फ़ मुज्तबा में है)	552
बाब: (135) तवाफ़ में कलाम करना	553
बाब: (136) तवाफ़ में (ज़रूरी) बातचीत जायज़ है।	554
बाब: (137) तवाफ़ किसी भी वक़्त किया जा सकता है	555
बाब: (138) मरीज़ कैसे तवाफ़ करे?	556
बाब: (139) मर्दों का औरतों के साथ तवाफ़ करना	557

बाब: (140) सवारी पर बैतुल्लाह का तवाफ़ करना	558
बाब: (141) हज्जे इफ़्राद करने वाले का तवाफ़ (उसे हलाल नहीं करेगा)	559
बाब: (142) उम्रे का एहराम बाँधने वाला तवाफ़ के बाद हलाल हो जायेगा?	560
बाब: (143) जिस शख़्स ने हज व उम्रा दोनों का एहराम बाँध रखा हो और वह क़ुर्बानी साथ न लाया हो, वह क्या करे?	561
बाब: (144) क़िरान करने वाला कितने तवाफ़ करेगा?	562
बाब: (145) हज्रे अस्वद का ज़िक्र	563
बाब: (146) हज्रे अस्वद को छूना	564
बाब: (147) हज्रे अस्वद को बोसा देना	565
बाब: (148) हज्रे अस्वद को किस तरह बोसा दिया जाये?	565
बाब: (149) बैतुल्लाह के पास आते ही तवाफ़ कैसे करे? और हज्रे अस्वद को छूने के बाद किस तरफ़ चले?	567
बाब: (150) कितने चक्करों में तेज़ चले?	568
बाब:(151) कितने चक्करों में आहिस्ता चले?	569
बाब: (152) सात में से तीन चक्करों में कंधे हिला कर तेज़ तेज़ चलना	569
बाब: (153) हज और उम्रा (दोनों) में रमल करना	569
बाब: (154) हज्रे अस्वद से हज्रे अस्वद तक रमल किया जायेगा	570
बाब: (155) नबी (ﷺ) ने किस वजह से रमल फ़रमाया था?	571
बाब: (156) हर तवाफ़ में हज्रे अस्वद और रुक्ने यमानी को (अगर मुमकिन हो) छूना चाहिए	573
बाब:(157)दोनों यमनी कोनों को हाथ लगाना	573
बाब: (158) दूसरे दो कोनों को न छूने का बयान	574
बाब: (159) हज्रे अस्वद को छड़ी वग़ैरह से छूना (भी जायज़ है)	575
बाब: (160) (मजबूरी की हालत में) हज्रे अस्वद की तरफ़ इशारा (भी काफ़ी है)	576
बाब: (161) अल्लाह तआला के फ़रमान : 'हर मस्जिद में जाते वक़्त ज़ीनत इख़्तियार करो।' की तफ़्सीर	576
बाब: (162) तवाफ़ (के बाद) वाली दो रकअ़ात कहाँ पढ़े?	580
बाब: (163) तवाफ़ की दो रकअ़तों के बाद क्या कहा जाये?	581
बाब: (164) तवाफ़ की दो रकअ़तों में क़िराअत क्या होगी?	584
बाब: (165) ज़मज़म का पानी पीना	584
बाब:(166) ज़मज़म का पानी खड़े होकर पीना	585
बाब: (167) नबी (ﷺ) सफ़ा पर जाने के लिये उसी दरवाज़े से निकले थे जिससे (आम तौर पर) निकला जाता था।	586
बाब: (168) सफ़ा और मर्वा का ज़िक्र	586
बाब:(169) कोहे सफ़ा पर खड़े होने की जगह	590
बाब: (170) कोहे सफ़ा पर (चढ़ कर) अल्लाहु अकबर कहना	591
बाब: (171) कोहे सफ़ा पर ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ना	591
बाब: (172) कोहे सफ़ा पर दुआएँ और दीगर ज़िक्र अज़्कार करना	592
बाब: (173) सफ़ा और मर्वा के दरम्यान सवारी पर चक्कर लगाना	593

बाब: (174) सफ़ा और मर्वा के दरम्यान चलना	594
बाब: (175) सफ़ा और मर्वा के दरम्यान रमल करना	595
बाब: (176) सफ़ा व मर्वा के दरम्यान दौड़ना	595
बाब: (177) वादी के पेट में दौड़ना	596
बाब: (178) चलने की जगह	596
बाब: (179) कंधे हिला कर तेज़ तेज़ चलने की जगह	597
बाब: (180) कोहे मर्वा पर खड़े होने की जगह	597
बाब: (181) मर्वा पर तकबीरें कहना	598
बाब: (182) क़िरान और तमत्तोअ़ करने वाला सफ़ा व मर्वा के कितने तवाफ़ करेगा?	599
बाब: (183) उ़म्रा करने वाला बाल कहाँ कटवाये?	600
बाब: (184) बाल कैसे काटे?	600
बाब: (185) जो शख़्स हज का एहराम बाँधे और क़ुर्बानी का जानवर साथ लाये, वह क्या करे?	601
बाब: (186) जो शख़्स उ़म्रे का एहराम बाँधे और क़ुर्बानी साथ ले जाये, वह क्या करे?	602
बाब: (187) यौमे तरविया (आठ ज़ुल हिज्जा) से एक दिन क़ब्ल ख़ुत्बा	604
बाब: (188) हज्जे तमत्तोअ़ करने वाला एहराम कब बाँधे?	607
बाब: (189) मिना की फ़ज़ीलत के बारे में क्या ज़िक्र किया गया है?	608
बाब: (190) तरविये के दिन इमाम ज़ुहर की नमाज़ कहाँ पढ़े?	609
बाब: (191) मिना से अ़रफ़ात जाना	610
बाब: (192) अ़रफ़ात जाते हुये तकबीरें कहना भी जायज़ है	611
बाब: (193) इस दौरान में लब्बैक कहना भी जायज़ है	612
बाब: (194) यौमे अ़रफ़ा की फ़ज़ीलत के बारे में जो ज़िक्र किया गया है	612
बाब: (195) अ़रफ़े के दिन (अ़रफ़ा में) रोज़ा रखने की मुमानिअ़त	614
बाब: (196) अ़रफ़े के दिन ज़वाल के फ़ौरन बाद जल्दी अ़रफ़ात पहुँचना	615
बाब: (197) अ़रफ़ात में लब्बैक कहना	616
बाब: (198) अ़रफ़ात में ख़ुत्बा नमाज़ से पहले होना चाहिए	617
बाब: (199) अ़रफ़ात के दिन ख़ुत्बा ऊँटनी पर दिया जा सकता है	618
बाब: (200) अ़रफ़ात में ख़ुत्बा मुख़्तसर होना चाहिए	618
बाब: (201) अ़रफ़ात में ज़ुहर और अ़स्र को जमा करके पढ़ना	619
बाब: (202) अ़रफ़ात में हाथ उठाकर दुआ माँगना	619
बाब: (203) अ़रफ़ात में वक़ूफ़ फ़र्ज़ है	622
बाब: (204) अ़रफ़ात से वापसी के वक़्त सुकून व इत्मिनान इख़्तियार करने का हुक्म	624
बाब: (205) अ़रफ़ात से वापसी के वक़्त चाल कैसी होनी चाहिए?	626
बाब: (206) अ़रफ़ात से वापसी पर उतरना	626
बाब: (207) मुज़्दलिफ़ा में दो नमाज़ें जमा करके पढ़ना	627
बाब: (208) मुज़्दलिफ़ा से औरतों और बच्चों को सुबह से पहले ही उनकी मिना वाली क़यामगाहों में भेज देना	630

बाब: (209) औ़रतों को इजाज़त है कि वह मुज़्दलिफ़ा से तुलूअ़े फ़ज्र से पहले चल पड़ें	632
बाब: (210) मुज़्दलिफ़ा में सुबह की नमाज़ किस वक़्त पढ़ी जाये?	632
बाब: (211) जो शख़्स मुज़्दलिफ़ा में सुबह की नमाज़ इमाम के साथ न पा सके?	634
बाब: (212) मुज़्दलिफ़ा में लब्बैक कहना	638
बाब: (213) मुज़्दलिफ़ा से (मिना की तरफ़) वापसी का वक़्त	638
बाब: (214) कमज़ोर औ़रतों और बच्चों को इजाज़त है कि वह यौमे नहर को सुबह की नमाज़ मिना में आकर पढ़ें	639
बाब: (215) वादि-ए-मुहस्सिर में सवारी को तेज़ी के साथ गुज़ारना	641
बाब: (216) (मुज़्दलिफ़ा से मिना को) चलते वक़्त लब्बैक कहना	642
बाब: (217) कंकरियाँ चुनना	643
बाब: (218) कंकरियाँ कहाँ से चुने?	644
बाब: (219) रमी वाली कंकरियों की मिक़्दार	645
बाब: (220) जम्रों की तरफ़ सवार होकर जाना और मुहरिम का साया हासिल करना	645
बाब: (221) नहर के दिन जम्र-ए-अ़क़्बा को कंकरियाँ मारने का वक़्त	648
बाब: (222) जम्र-ए-अ़क़्बा को सूरज तुलूअ होने से पहले रमी करने की मुमानिअ़त	648
बाब: (223) इस मसले (तुलूअ़े शम्स से क़ब्ल रमी करने) में औ़रतों को रुख़्सत है	650
बाब: (224) शाम के बाद रमी करना	651
बाब: (225) चरवाहों की रमी का बयान	652
बाब: (226) वह जगह जहाँ से जम्र-ए-अ़क़्बा को रमी की जायेगी	652
बाब: (227) जम्रों को कितनी कितनी कंकरियाँ मारी जायेंगी?	655
बाब: (228) हर कंकरी मारते वक़्त अल्लाहु अकबर कहना	657
बाब: (229) मुहरिम जब जम्र-ए-अ़क़्बा को रमी करे तो लब्बैक कहना बन्द कर दे	657
बाब: (230) जम्रों को रमी करने के बाद दुआ करना	658
बाब: (231) जम्रों को रमी करने के बाद मुहरिम के लिये क्या कुछ हलाल हो जाता है?	660

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

كتاب الصيام

रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

अस्सियाम के लुग़वी मानी हैं अल इम्साक, यानी रुक जाना, जैसे कहा जाता है: (फुलानुन सा-म अनिल कलामि) फुलां शख़्स गुफ़्तगू से रुक गया है। शरई तौर पर इसके मानी हैं तुलूअे फ़ज्र से लेकर गुरूबे आफ़ताब तक खाने, पीने और जिमाअ (हमबिस्तरी) से शरई तरीक़े के मुताबिक़ रुक जाना, और लग़वियात, बेहूदा गोई और मकरूह व हराम कलाम से रुक जाना भी इसमें शामिल है।

باب: (۱) وُجُوبِ الصِّيَامِ

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ " الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا " . قَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصِّيَامِ قَالَ " صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا " . قَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَرَائِعِ الإِسْلاَمِ . فَقَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لاَ أَتَطَوَّعُ

बाब : (1) रोज़े की फ़र्ज़ीयत

(2092) हज़रत तल्हा बिन उबैदुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि एक बिखरे बालों वाला आराबी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे बताइये, अल्लाह तआला ने मुझ पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं? आपने फ़रमाया: 'पाँच नमाज़ें मगर ये कि तू ख़ूशी से मज़ीद पढ़े।' उसने कहा: मुझे बताइये, अल्लाह तआला ने मुझ पर रोज़े कितने फ़र्ज़ किये हैं? आपने फ़रमाया: 'माहे रमज़ान के रोज़े, मगर ये कि तू ख़ूशी से ज़्यादा रखे।' उसने कहा: मुझे बताइये, अल्लाह तआला ने मुझ पर कितनी ज़कात फ़र्ज़ की है? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे इस्लाम (और ज़कात) के (तफ़्सीली) अहकाम बताये। वह कहने लगा: क़सम उस ज़ात की जिसने आप को इज़्ज़त बख़्शी! मैं अल्लाह तआला के मुक़र्रर कर्दा फ़राइज़ से न ज़्यादा कुछ करूंगा और न उनमें कमी करूंगा।

شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ شَيْئًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ " . أَوْ " دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ" .

रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर ये अपनी बात पर पक्का रहा तो कामयाब हो जायेगा या जन्नत में दाख़िल हो जायेगा।'

(2092) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 459, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2400.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रोज़े शाबान 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुये। रोज़ों की फ़र्ज़ीयत क़ुर्आन व सुन्नत और इज्मा-ए-उम्मत से साबित है। (2) 'न कमी करूंगा' यानी ज़ाहिर गिनती वग़ैरह के लिहाज़ से, वरना अदायगी में नुक़्स न होने का दावा नहीं किया जा सकता। (3) 'अगर ये अपनी बात पर पक्का रहा' यानी वह फ़राइज़ में कमी न करेगा। (न ये कि उनसे ज़्यादती न करेगा क्योंकि नवाफ़िल की अदायगी तो मतलूब है और बयान में मज़्कूर भी है। और यही मुश्किल चीज़ है) या मतलब ये है कि वह फ़राइज़ में अपनी तरफ़ से इज़ाफ़ा न करेगा।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ نُهِينَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَىْءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ الْعَاقِلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَيَسْأَلَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكَ فَأَخْبَرَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرْسَلَكَ قَالَ " صَدَقَ " . قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ " اللَّهُ " . قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الأَرْضَ قَالَ " اللَّهُ " . قَالَ فَمَنْ نَصَبَ فِيهَا الْجِبَالَ قَالَ " اللَّهُ " . قَالَ فَمَنْ جَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ قَالَ "

(2093) हज़रत अनस (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हमें क़ुर्आन मजीद में इस बात से रोक दिया गया था कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़्यादा सवालात करें तो हमारी ये ख़्वाहिश होती थी कि बदवी लोगों में से कोई समझदार शख़्स आये और आपसे सवालात करे। इत्तेफ़ाक़न (एक दिन) एक बदवी आया और कहने लगा: ऐ मुहम्मद! आपका क़ासिद हमारे पास आया और उसने बताया कि आप कहते हैं कि अल्लाह तआला ने आपको रसूल बनाया है। आपने फ़रमाया: 'उसने सच कहा।' उस (बदवी) ने कहा: तो आसमानों को किसने पैदा किया? फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने' उसने कहा: ज़मीन में पहाड़ किसने नसब किये? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने' उसने कहा: ज़मीन में मुनाफ़े (नफ़े) किसने रखे? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह ने।' उसने कहा: क़सम है उस ज़ात की जिसने आसमानों व ज़मीन

اللَّهُ " . قَالَ فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَنَصَبَ فِيهَا الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ آللَّهُ أَرْسَلَكَ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ " صَدَقَ " . قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةَ أَمْوَالِنَا قَالَ " صَدَقَ " . قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ سَنَةٍ . قَالَ " صَدَقَ " . قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا الْحَجَّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً . قَالَ " صَدَقَ " . قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَزِيدَنَّ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصُ . فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ " .

पैदा किये और ज़मीन में पहाड़ नसब किये और दूसरे मुनाफ़े (नफ़े) रखे! क्या अल्लाह तआला ने आपको (रसूल बनाकर) भेजा है? आपने फ़रमाया: 'हाँ' उसने कहा: और आपके क़ासिद ने कहा है कि हम पर एक दिन रात में पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ हैं? आपने फ़रमाया: 'उसने सच कहा।' उसने कहा: क़सम उस ज़ात की जिसने आपको रसूल बनाया! क्या अल्लाह तआला ने आपको इनका हुक्म दिया है? फ़रमाया: 'हाँ' उसने कहा: 'और आपके क़ासिद ने कहा है कि हम पर हमारे मालों की ज़कात भी वाजिब है। फ़रमाया: 'उसने सच कहा।' उसने कहा: क़सम उस ज़ात की जिसने आपको रसूल बनाया! क्या अल्लाह तआला ने आपको इसका हुक्म दिया है? आपने फ़रमाया: 'हाँ' उसने कहा: और आपके क़ासिद ने कहा है कि हम पर हर साल माहे रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं? फ़रमाया: 'उसने सच कहा।' उसने कहा: क़सम उस ज़ात की जिसने आपको रसूल बनाया! क्या अल्लाह तआला ने आपको ये हुक्म दिया है? आपने फ़रमाया: 'हाँ' उसने कहा: और आपके क़ासिद ने कहा है कि जिस शख़्स को बैतुल्लाह तक पहुँचने की ताक़त हो उस पर हज भी फ़र्ज़ है। आपने फ़रमाया: 'उसने सच कहा।' उसने कहा: क़सम उस ज़ात की जिसने आपको रसूल बनाया! क्या अल्लाह तआला ने आपको इसका हुक्म दिया है? आपने फ़रमाया: 'हाँ' उसने कहा: तो फिर उस ज़ात की क़सम जिसने आपको बरहक़ नबी बनाया! मैं न इन पर इज़ाफ़ा

करूंगा और न इनमें कमी करूंगा। जब वह वापस मुड़ा तो आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! अगर ये अपनी बात पर पक्का रहा तो लाज़िमन जन्नत में दाख़िल होगा।'

(2093) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 63, मुस्लिम, हदीस: 12, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2401.

(2094) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) फ़रमाते हैं कि एक दफ़ा हम मस्जिद में बैठे थे कि एक आदमी ऊँट पर सवार होकर आया। उसने ऊँट को मस्जिद में बिठा दिया, फिर उसका घुटना बाँध दिया और कहने लगा: तुममें से मुहम्मद(ﷺ) कौन हैं? रसूलुल्लाह (ﷺ) लोगों के दरम्यान बैठे थे। हमने कहा: ये सफ़ेद चेहरे वाले शख़्स जो टेक लगा कर बैठे हैं। तो वह शख़्स (आपसे मुख़ातिब होकर) कहने लगा: ऐ इब्ने अब्दुल मुत्तलिब! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बात कर मैं तुझे जवाब दूँगा।' (यानी मैं तेरी बातें सुन रहा हूँ) उस आदमी ने कहा: ऐ मुहम्मद! मैं आपसे कुछ बातें पूछने लगा हूँ और मैं सख़्त अल्फ़ाज़ में पूछूँगा तो आप नाराज़ी महसूस न फ़रमाइयेगा। आपने फ़रमाया: 'जो दिल चाहे पूछ।' उसने कहा: मैं आपसे आपके और पहले तमाम लोगों के रब का वास्ता देकर पूछता हूँ कि क्या अल्लाह तआला ने आपको तमाम लोगों की तरफ़ रसूल बनाया है? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! हाँ, उसने कहा: मैं आपसे अल्लाह तआला का वास्ता दे कर पूछता हूँ: क्या अल्लाह तआला ने आपको हुक्म

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ فَقَالَ لَهُمْ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ - وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ - قُلْنَا لَهُ هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ أَجَبْتُكَ " . فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي سَائِلُكَ يَا مُحَمَّدُ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلاَ تَجِدَنَّ فِي نَفْسِكَ . قَالَ " سَلْ مَا بَدَا لَكَ " . فَقَالَ الرَّجُلُ نَشَدْتُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "

اللَّهُمَّ نَعَمْ " . قَالَ فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ نَعَمْ " . قَالَ فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ نَعَمْ " . قَالَ فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ نَعَمْ " . فَقَالَ الرَّجُلُ آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ . خَالَفَهُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ .

दिया है कि हम दिन, रात में पाँच नमाज़ें पढ़ा करें? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! हाँ' उसने कहा: तो मैं आप को अल्लाह तआ़ला का वास्ता देकर पूछता हूँ: क्या अल्लाह तआ़ला ने आपको साल में से इस महीने (रमज़ानुल मुबारक) के रोज़े रखने का हुक्म दिया है? फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! हाँ।' उसने कहा: मैं आपसे अल्लाह तआ़ला का वास्ता देकर सवाल करता हूँ: क्या अल्लाह तआ़ला ने आपको हुक्म दिया है कि आप हमारे मालदार लोगों से ज़कात लेकर हमारे ग़रीब लोगों में बाँट दें? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! हाँ' उस आदमी ने कहा: मैं उन तमाम चीज़ों पर ईमान लाता हूँ जो आप लाये हैं और मैं अपनी क़ौम की तरफ़ से क़ासिद व नुमाइन्दा हूँ। मेरा नाम ज़िमाम बिन स़अ़्लबा है और मैं क़बीला सअ़द बिन बक्र से ताल्लुक़ रखता हूँ।

याक़ूब बिन इब्राहीम ने ईसा बिन हम्माद की मुख़ालिफ़त की है।

(2094) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 63, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2402.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये दोनों हज़रत लैस़ के शागिर्द हैं। याक़ूब बिन इब्राहीम ने हज़रत लैस़ और सईद के दरम्यान इब्ने अ़ज्लान वग़ैरह का वास्ता ज़िक्र किया है जबकि ईसा बिन हम्माद ने कोई ऐसा वास्ता ज़िक्र नहीं किया। और यही रिवायत दुरुस्त है। वाक़िये से मालूम होता है कि हज़रत ज़िमाम बिन स़अ़्लबा (ﷺ) बहुत समझदार शख़्स़ थे कि आपके पास हाज़िरी और इज़्हारे ईमान में जल्दबाज़ी नहीं की। तसल्ली से ऊँट को बिठाया, घुटना बाँधा, पूरी तहक़ीक़ व तफ़्तीश की और इसमें किसी क़िस्म की रिआ़यत नहीं की। जब यक़ीन हो गया तो फिर अपने ईमान का ऐलान किया और फिर अपना

तआरुफ़ करवाया। ये अपनी क़ौम के सरदार थे ..... **(2)** 'इब्ने अ़ब्दुल मुत्तलिब' अ़रब में इसी निस्बत से मशहूर थे क्योंकि आपके दादा अ़ब्दुल मुत्तलिब मशहूर शख़्सियत थे जबकि आपके वालिद शोहरतयाब होने से पहले और आपकी पैदाइश से भी पहले फ़ौत हो चुके थे। उस वक़्त वह बिल्कुल नौजवान थे, लिहाज़ा वह ज़्यादा मारूफ़ न थे, और आपकी इब्तेदाई परवरिश भी आपके दादा ही ने की थी। ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी ग़ज़्व-ए-हुनैन में यूँ ही कहा था: (अना इब्नु अ़ब्दुल मुत्तलिब) (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2864, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1776) **(3)** हदीस से मालूम होता है कि इस क़ौम को दीने इस्लाम का पैग़ाम पहुँच चुका था। हज़रत ज़िमाम बिन सअ़लबा (ؓ) मज़ीद तस्दीक़ और ऐलान के लिये हाज़िर हुये थे। **(4)** ऊपर दी गई तीनों रिवायात के अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि ये तीनों अलग अलग वाक़ियात हैं मगर हक़ीक़त ये है कि दूसरा और तीसरा एक ही वाक़िया है और उनमें जो इख़्तिलाफ़ है ये रुवात के बयान का इख़्तिलाफ़ है।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ، وَغَيْرُهُ، مِنْ إِخْوَانِنَا عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ - وَهُوَ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ - فَقُلْنَا لَهُ هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ أَجَبْتُكَ " . قَالَ

(2095) हज़रत अनस बिन मालिक (ؓ) फ़रमाते हैं कि हम एक दफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास मस्जिद में बैठे थे कि एक आदमी ऊँट पर सवार होकर आया। उसने उसे मस्जिद में बिठा दिया, फिर उसका घुटना बाँधा, फिर कहने लगा: तुममें से मुहम्मद (ﷺ) कौन हैं? उस वक़्त आप लोगों के दरम्यान टेक लगाये बैठे थे। तो हमने उससे कहा: ये रोशन चेहरे वाले शख़्स जो टेक लगा कर बैठे हैं। वह आपसे मुख़ातिब होकर कहने लगा: ऐ इब्ने अ़ब्दुल मुत्तलिब! आपने फ़रमाया: 'मैंने तुझे जवाब दिया है।' (मैं तेरी बात सुन रहा हूँ।' उसने कहा: ऐ मुहम्मद! मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ और वह सवालात मैं सख़्त अल्फ़ाज़ में करूंगा। आपने फ़रमाया: 'जो जी चाहे पूछ।' उसने कहा: मैं आपको आपके और आपसे पहले लोगों के रब का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या अल्लाह तआ़ला ने आपको तमाम लोगों के लिये रसूल बनाया है?

الرَّجُلُ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ . قَالَ " سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ " . قَالَ أَنْشُدُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ نَعَمْ " . قَالَ فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ نَعَمْ " . قَالَ فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ نَعَمْ " . فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ . خَالَفَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! हाँ' उसने कहा: मैं आपसे अल्लाह तआला का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या अल्लाह तआला ने आपको हुक्म दिया है कि साल के इस महीने के रोज़े रखें? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! हाँ।' उसने कहा: मैं आपसे अल्लाह तआला का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या अल्लाह तआला ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप हमारे मालदार लोगों से ज़कात लेकर हमारे ग़रीब लोगों में बाँट दें? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! हाँ।' वह आदमी कहने लगा: मैं इन अहकाम पर ईमान लाता हूँ जो आप लाये हैं। और मैं अपनी क़ौम का क़ासिद व नुमाइन्दा हूँ। और मेरा नाम ज़िमाम बिन स़अ्लबा है। मैं क़बीला सअद बिन बक्र से ताल्लुक़ रखता हूँ।

उबैदुल्लाह बिन उ़मर ने लैस़ बिन सअ़द की मुख़ालिफ़त की है।

(2095) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2403.

फ़ायदा : ये मुख़ालिफ़त भी सनद में है। इसमें उ़बैदुल्लाह बिन उमर लैस़ बिन सअ़द की मुख़ालिफ़त यूँ करते हैं कि लैस़ इसे बवास्त-ए-सअ़द अल मक़बुरी शरीक बिन अ़ब्दुल्लाह से और वह ह़ज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत करते हैं, यही रिवायत राजेह है, अबू हातिम और इमाम दारेकुतनी ने इसे ही तर्जीह दी है। जबकि उ़बैदुल्लाह बिन उ़मर ने सईद अल मक़बुरी अ़न अबी हुरैरा की सनद से रिवायत किया है। बहरकैफ़ इस इख़्तिलाफ़ से मतन पर कोई अस़र नहीं पड़ता क्योंकि स़हीहैन वग़ैरह में ये रिवायत इसी तरह आती है। देखिये: (ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा: 20/235)

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَارَةَ، حَمْزَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَ أَصْحَابِهِ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ قَالَ أَيُّكُمُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالُوا هَذَا الأَمْغَرُ الْمُرْتَفِقُ - قَالَ حَمْزَةُ الأَمْغَرُ الأَبْيَضُ مُشْرَبٌ حُمْرَةً - فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشْتَدٌّ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَالَ " سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ " . قَالَ أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ وَرَبِّ مَنْ بَعْدَكَ آللَّهُ أَرْسَلَكَ قَالَ " اللَّهُمَّ نَعَمْ " . قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِهِ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ " اللَّهُمَّ نَعَمْ " . قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِهِ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ أَمْوَالِ أَغْنِيَائِنَا فَتَرُدَّهُ عَلَى فُقَرَائِنَا قَالَ " اللَّهُمَّ نَعَمْ " . قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِهِ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصُومَ هَذَا

(2096) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) फ़रमाते हैं कि एक दफ़ा नबी (ﷺ) अपने सहाब-ए-किराम(ﷺ) के साथ थे कि एक बदवी शख़्स आया और कहने लगा: तुममें इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कौन हैं? उन्होंने कहा: ये सुर्ख़ व सफ़ेद (गोरे) चेहरे वाले जो टेक लगाये बैठे हैं। तो उसने (आपसे मुख़ातिब होकर) कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ और मैं ये सवालात सख़्त अल्फ़ाज़ में करूंगा। आपने फ़रमाया: 'जो जी चाहता है पूछ।' उसने कहा: मैं आपसे आपके और आपसे पहले और बाद वाले लोगों के रब का वास्ता देकर पूछता हूँ क्या अल्लाह तआला ने आपको रसूल बनाया है? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! 'हाँ' उसने कहा: मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या अल्लाह तआला ने आपको हुक्म दिया है कि आप हर दिन, रात में पाँच नमाज़ें पढ़ा करें? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! हाँ!' उसने कहा: मैं आपको उसी ज़ात का वास्ता देकर पूछता हूँ: क्या अल्लाह तआला ने आपको हुक्म दिया है कि हमारे मालदर लोगों से ज़कात लेकर ग़रीब लोगों में तक़्सीम कर दिया करें? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! हाँ' उसने कहा: मैं आपको उसी ज़ात का वास्ता देकर पूछता हूँ: क्या अल्लाह तआला ने आपको हुक्म दिया है कि बारह महीनों में से इस महीने (रमज़ानुल मुबारक) के रोज़े रखा करें? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! हाँ' उसने कहा: मैं अल्लाह तआला का

الشَّهْرَ مِنَ اثْنَىْ عَشَرَ شَهْرًا قَالَ " اللَّهُمَّ نَعَمْ " . قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِهِ اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ يَحُجَّ هَذَا الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قَالَ " اللَّهُمَّ نَعَمْ " . قَالَ فَإِنِّي آمَنْتُ وَصَدَّقْتُ وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ .

वास्ता देकर आपसे पूछता हूँ, क्या अल्लाह तआला ने आपको हुक्म दिया है कि जो शख़्स बैतुल्लाह तक पहुँच सकता हो, वह उसका हज करे? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! हाँ' उसने कहा: मैं ईमान लाता हूँ और आपकी तस्दीक़ करता हूँ और मेरा नाम ज़िमाम बिन सअ्लबा है।

(2096) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2404.

फ़ायदा : ये दोनों रिवायात साबिक़ा हदीस: 2094 ही का बयान हैं। इनको ज़िक्र करने से मुसन्निफ़(رحمه الله) का मक़सद रावियों का इख़्तिलाफ़ बयान करना है जो सनद देखने से मालूम हो सकता है, जैसे: तीसरी हदीस बजाये हज़रत अनस (رضي الله عنه) के हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से है, वग़ैरह!

بَاب: (٢) الْفَضْلِ وَالْجُودِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

बाब : (2) रमज़ानुल मुबारक में एहसान और सख़ावत करने का बयान

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ . قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ .

(2097) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) फ़रमाया करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सब लोगों से ज़्यादा सख़ी थे और आप रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा सख़ावत करते थे जब जिब्रील(عليه السلام) आपसे मिलते थे। और रमज़ानुल मुबारक के महीने में जिब्रील (عليه السلام) हर रात आपसे मिलते और आपसे क़ुर्आन मजीद का दौर किया करते थे। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) से जिब्रील(عليه السلام) मिलते तो आप छोड़ी हुई (तेज़) हवा से भी बढ़ कर सख़ावत फ़रमाते थे।

(2097) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6, मुस्लिम, हदीस: 2308, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2405.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ज़्यादा सख़ावत' रमज़ानुल मुबारक में हर काम का सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिये आप इस महीने में ज़्यादा सख़ावत फ़रमाते थे। हज़रत जिब्रील (ﷺ) की मुलाक़ात के वक़्त उसमें और इज़ाफ़ा होता था क्योंकि उनके साथ नाज़िलशुदा क़ुर्आन का दौर होता था। क़ुर्आन का नुज़ूल अल्लाह तआला का बहुत बड़ा एहसान था, फिर दौर के ज़रिये से उसकी हिफ़ाज़त उससे भी बढ़ कर एहसान है, लिहाज़ा शुक्राने के तौर पर आप सख़ावत फ़रमाते थे, और ये भी क़ुर्आन मजीद पर अमल करने की एक सूरत है। **(2)** 'छोड़ी हूई (तेज़ हवा' यानी ख़ैर व बरकत और बारिश वाली हवा से भी ज़्यादा साहिबे ख़ैर व सख़ावत होते थे। ज़ाहिर है मज़्कूरा हवा क़रीब व बईद के तमाम लोगों के लिये बहुत मुफ़ीद है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، وَالنُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ لَعْنَةٍ تُذْكَرُ وَكَانَ إِذَا كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يُدَارِسُهُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ وَأَدْخَلَ هَذَا حَدِيثًا فِي حَدِيثٍ .

(2098) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कोई लानत ऐसी नहीं की जो क़ाबिले ज़िक्र हो। और जब हज़रत जिब्रील(ﷺ) से दौर करने का वक़्त क़रीब होता तो आप (तेज़) छोड़ी हुई हवा से बढ़ कर सख़ावत फ़रमाया करते थे।

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله)बयान करते हैं कि ये रिवायत ग़लत है, सही रिवायत यूनुस बिन यज़ीद की है। इस हदीस के रावी ने दो हदीसों को गुड मुड कर दिया है।

(2098) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/130, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2406.

फ़ायदा : इमाम साहिब का मक़सूद ये है कि इस हदीस में लानत का ज़िक्र ग़लती है बल्कि वह एक और रिवायत है। रावी ने ग़लती से इस हदीस में भी लानत वाले अल्फ़ाज़ ज़िक्र कर दिये, यूनुस बिन यज़ीद की रिवायत थी। हक़ीक़त यही है कि आपने शख़्सी तौर पर कभी किसी पर लानत की ही नहीं। कुछ इन्तेहाई नाक़ाबिले बर्दाश्त लोगों पर उनकी बुरी सिफ़त ज़िक्र करके लानत की है, जैसे: (लअनल्लाहुस्सारिक़ यस्रिकुल बैज़ा फ़तुक़्तअु यदुहु) (सहीह बुख़ारी,हदीस: 6783, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1687)

बाब : (3) माहे रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत

باب: (٣) فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ " .

(2099) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब माहे रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और आग के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और शयातीन जकड़ दिये जाते हैं।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1079, बुख़ारी, हदीस: 1898, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2407.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ " .

(2100) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और आग के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और शयातीन जकड़ दिये जाते हैं।'

(2100) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2408.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'जन्नत के दरवाज़े' यानी आसमानी जन्नत के हक़ीक़ी दरवाज़े खोल दिये जाते हैं, बतौर इस्तेक़बाल के, ये भी मुमकिन है कि मुराद वह काम हों जो जन्नत में जाने का सबब हैं, यानी उन कामों का करना आसान हो जाता है। वाक़िअतन रमज़ानुल मुबारक में हर शख़्स के लिये नेकी के काम बहुत आसान हो जाते हैं। पहले मानी हक़ीक़त के ज़्यादा क़रीब हैं। **(2)** आग के दरवाज़ों से मुराद भी वह दोनों मानी हो सकते हैं जो ऊपर बयान हुये। **(3)**'शैतान' हक़ीक़ी शैतान या गुमराही के अस्बाब तक़रीबन ख़त्म हो जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक में उमूमन हर तरफ़ नेकी का दौर दौरा होता है और बुराई करना मुश्किल मगर ये सब कुछ ईमान वालों के लिये है। ईमान न हो तो रमज़ान और ग़ैर रमज़ान बराबर हैं। **(4)** जन्नत और जहन्नम कोई ख़्याली चीज़ें नहीं बल्कि इनका वजूद हक़ीक़ी है। इनके दरवाज़े भी हैं जो खोले और बन्द किये जाते हैं।

बाब : (4) इस रिवायत में हज़रत ज़ोहरी के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का बयान

باب: (۴) ذِكْرِ الاخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ " .

(2101) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और शयातीन क़ैद कर दिये जाते हैं।'

(2101) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2409.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أَنَسٍ، مَوْلَى التَّيْمِيِّينَ أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ " .

(2102) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मर्वी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो रहमत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और शयातीन ज़ंजीर बन्द कर दिये जाते हैं।'

(2102) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2099, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2413.

फ़ायदा : 'रहमत के दरवाज़े' लफ़्ज़ रहमत से इस तावील की गुंजाइश निकलती है कि जन्नत के दरवाज़ों से मुराद नेकी के काम हैं, अगरचे इस लफ़्ज़ से हक़ीक़ी दरवाज़ों की नफ़ी भी नहीं होती न करने की ज़रूरत ही है। मुमकिन है दोनों मानी मुराद हों।

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَنَسٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ

(2103) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिये

أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ " . رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ

जाते हैं और आग के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और शयातीन जकड़ दिये जाते हैं।' इस रिवायत को ज़ोहरी से इब्ने इस्हाक़ ने भी बयान किया है (जो आगे आ रही है)

(2103) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2099, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2410.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا - يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ إِسْحَاقَ - خَطَأٌ وَلَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ إِسْحَاقَ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَالصَّوَابُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ.

(2104) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब माहे रमज़ानुल मुबारक आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और आग के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और शयातीन को ज़ंजीरें लगा दी जाती हैं।'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि ये यानी इब्ने इस्हाक़ की हदीस ख़ता है क्योंकि इब्ने इस्हाक़ ने ये हदीस ज़ोहरी से नहीं सुनी। दुरुस्त वही है जो हम पीछे ज़िक्र कर चुके हैं।

(2104) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2099, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2411.

फ़ायदा : इब्ने इस्हाक़ के अदमे सिमाअ़ (न सुनने) पर आइन्दा अल्फ़ाज़ दलालत करते हैं जिसमें इब्ने इस्हाक़ ने सिर्फ़ ये कहा है कि मुहम्मद बिन मुस्लिम ज़ोहरी ने ये रिवायत ज़िक्र की। गोया अपने सिमाअ की सराहत नहीं की। याद रहे इब्ने इस्हाक़ मुदल्लिस रावी है। ऐसा रावी जब तक सिमाअ़ की सराहत न करे उसकी रिवायत दुरुस्त नहीं होती। इब्ने इस्हाक़ ने ज़ोहरी का उस्ताद अनस बिन अबू अनस बनाया है जबकि सही बात ये है कि ज़ोहरी के उस्ताद नाफ़ेअ़ बिन अबू अनस हैं न कि अनस बिन अबू अनस, इसलिये इमाम नसाई ने इब्ने इस्हाक़ की रिवायत को ख़ता और दूसरों की रिवायत को सही बतलाया है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ،

(2105) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये रमज़ानुल मुबारक तुम्हारे पास तशरीफ़ ला चुका

قَالَ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أُوَيْسِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَدِيدِ بَنِي تَيْمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " هَذَا رَمَضَانُ قَدْ جَاءَكُمْ تُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ وَتُسَلْسَلُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ خَطَأٌ .

है। इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और आग के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और शयातीन क़ैद कर दिये जाते हैं।'

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'ये हदीस सही नहीं।' (यानी हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) के बजाये हज़रत अनस (ﷺ) का ज़िक्र सही नहीं)

(2105) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2099, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2412, मुसनद अहमद: 3/236.

फ़ायदा : इब्ने इस्हाक़ ने यहाँ मुहम्मद बिन मुस्लिम ज़ोहरी से बयान किया और कहा: (व ज़करा मुहम्मद बिन मुस्लिम अ़न उवैस बिन अबी उवैस अ़न अनस बिन मालिक) और बाक़ी तमाम हुफ़्फ़ाज़ की मुख़ालिफ़त की है, हालांकि बाक़ी तमाम हुफ़्फ़ाज़ (अ़न ज़ोहरी अ़न इब्ने अबी अनस अ़न अबीहि अ़न अबी हुरैरह) कहते हैं। इनमें अ़क़ील बिन ख़ालिद सालेह बिन कैसान, शोबा बिन अबी हम्ज़ा और यूनुस बिन यज़ीद ऐली हैं। इन सबने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की हदीस बताई है। इब्ने इस्हाक़ मुदल्लिस हैं, यही वजह है कि उन्होंने सनद में व जकरा मुहम्मद बिन मुस्लिम कह कर रिवायत बयान की है जो किसी तदलीस की ग़म्माज़ है और इसी वजह से मज़्कूरा ख़ता का सुदूर हुआ। मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा शरह सुनन नसाई: 20/260)

باب: (٥) ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى مَعْمَرٍ فِيهِ

बाब : (5) इस रिवायत में मामर के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का बयान

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عَزِيمَةٍ وَقَالَ " إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ

(2106) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) क़यामे रमज़ान (तरावीह) की तर्ग़ीब देते थे लेकिन ज़रूरी क़रार न देते थे, और आपने फ़रमाया: 'जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं। भड़कती आग के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और शयातीन जकड़ दिये जाते हैं।'

(मामर के शागिर्द) इब्ने मुबारक ने इस रिवायत को

الْجَحِيمِ وَسُلْسِلَتْ فِيهِ الشَّيَاطِينُ " . أَرْسَلَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ .

मुर्सल (मुन्क़तअ) बयान किया है। (यानी अबू सलमा का वास्ता ज़िक्र नहीं किया)

(2106) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 759/174, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2414.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، خُرَاسَانِيٌّ - قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ " .

(2107) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है तो रहमत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और शयातीन क़ैद कर दिये जाते हैं।'

(2107) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2415, पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ " .

(2108) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम्हारे पास एक बा'बरकत महीना रमज़ान आ चुका है। अल्लाह तआला ने तुम पर इस महीने के रोज़े फ़र्ज़ क़रार दिये हैं। इसमें आसमान के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और सरकश शयातीन को तौक़ पहना दिये जाते हैं। इसमें एक रात है जो हज़ार माह से बेहतर है। जो इस रात की नेकी (इबादत) से महरूम रहा, वह हक़ीक़तन महरूम शख़्स है।

(2108) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/230, 285, 425, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2416, जामेअ तहसील, सफ़ा: 211.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि ये रिवायत दीगर शवाहिद की रोशनी में उसूली तौर पर सही है, और दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने भी शवाहिद की बिना पर इसे सही क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (सहीह अत्तर्ग़ीब लिल अल्बानी, हदीस: 999, मुसनद अहमद: 2/59) **(2)** 'आसमान के दरवाज़े' माहे रमज़ान के

इस्तेक़बाल के लिये, या अहले ईमान के आमाले सालेहा की वसूली के लिये, या इससे आमाले सालेहा की कस्रत मुराद है कि सब दरवाज़े खोलने पड़ते हैं क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर ईमान वाला शख़्स भी इसमें कुछ न कुछ आमाले सालेहा करता है। (3) 'जहन्नम या आग के दरवाज़े' रमज़ान के इस्तेक़बाल के लिये एहतिरामन जैसे किसी मुअज़्ज़ज़ शख़्सियत के आने पर नापसन्दीदा चीज़ों को ढाँप दिया जाता है। या मुराद कि अज़ाबे क़ब्र मौक़ूफ़ हो जाता है लेकिन ये सब कुछ मोमिनीन के लिये है, कुफ़्फ़ार के लिये सब कुछ खुला रहता है। (4) 'सरकश जिन्न' यानी बड़े बड़े शैतान जकड़ दिये जाते हैं। छोटे छोटे शतूंगड़े खुले रहते हैं, तभी कुछ न कुछ गुनाह होते रहते हैं। वैसे सब गुनाह शयातीन ही की वजह से नहीं होते, इन्सान का अपना नफ़्स भी तो शैतान बन जाता है, लिहाज़ा बावजूद शयातीन के जकड़े जाने के गुनाहों का आदी नफ़्स गुनाह में जारी रहता है। (5) 'हज़ार महीने से बेहतर है।' यानी इस रात में इबादत आम दिनों के हज़ार महीने की इबादत से बेहतर है और ये मोमिनीन के लिये अल्लाह तआला की ख़ुसूसी रहमत है। और ये रात हमेशा के लिये एक मुक़र्ररा रात नहीं बल्कि ये आख़री अश्रे की ताक़ रातों में बदल बदल कर आती है ताकि लोगों में इबादत का ज़ौक़ बढ़े और वह मुतअद्दिद रातों में क़याम करें।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ عُدْنَا عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ فَتَذَاكَرْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ مَا تَذْكُرُونَ قُلْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ . قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ .

(2109) हज़रत अर्फ़जा से मन्क़ूल है कि हम हज़रत उत्बा बिन फ़रक़द (ﷺ) की बीमारपुर्सी के लिये गये। वहाँ हम रमज़ानुल मुबारक का तज़्किरा करने लगे। उन्होंने कहा: तुम क्या ज़िक्र कर रहे हो? हमने अर्ज़ किया: माहे रमज़ान का तज़्किरा कर रहे हैं। फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते सुना है: 'इस माहे मुबारक में जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और आग के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और शयातीन जकड़ दिये जाते हैं और हर रात एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है: ऐ नेकी के तलबगार! इधर आ! और ऐ गुनाह के तलबगार! रुक जा।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं: ये हदीस ग़लत है।

(2109) तख़रीज : (सनद सही) मुसन्नफ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 7386, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2417.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (ؒ) का मक़सद ये है कि मज़्कूरा रिवायत की सनद में ख़ता है। सुफ़ियान बिन उ़यय्ना का इसे अ़ता बिन साइब, अ़न अ़र्फ़जा, अ़न उ़त्बा बिन फ़रक़द के तरीक़ से बयान करना दुरुस्त नहीं क्योंकि इस तरह ये रिवायत उ़त्बा बिन फ़रक़द की सनद से शुमार होगी, जबकि हक़ीक़त इसके बरअक्स है। वह इस तरह कि ये रिवायत अ़र्फ़जा अ़न उ़त्बा के बजाये अ़र्फ़जा अ़न रजुलिम् मिन अस्हाबिन्नबी चाहिए कि अ़र्फ़जा एक सहाबी-ए-रसूल से रिवायत करता है। **(2)** 'ऐलान करता है।' अल्लाह तआ़ला की इस कायनात का इन्तेज़ाम अल्लाह तआ़ला के हस्बे हिदायत होता है और फ़रिश्ते उस पर अ़मल दरआमद करते हैं, लिहाज़ा हमारे सुनने, न सुनने से इस ऐ़लान पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। जब सच्चे नबी (ﷺ) ने बतला दिया तो हर मोमिन को ये ऐ़लान अपने दिल के कानों से सुनना चाहिए।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَرْفَجَةَ، قَالَ كُنْتُ فِي بَيْتٍ فِيهِ عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَدِّثَ بِحَدِيثٍ وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَأَنَّهُ أَوْلَى بِالْحَدِيثِ مِنِّي فَحَدَّثَ الرَّجُلُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فِي رَمَضَانَ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَيَا طَالِبَ الشَّرِّ أَمْسِكْ "

(2110) हज़रत अ़र्फ़जा बयान करते हैं कि मैं एक घर में था जिसमें हज़रत उ़त्बा बिन फ़रक़द(ؓ) भी थे। तो मैंने एक हदीस़ बयान करने का इरादा किया। (वहाँ) नबी (ﷺ) के सहाबा में से एक साहिब थे, लिहाज़ा वह मेरी बजाये हदीस़ बयान करने के ज़्यादा हक़दार थे। उन्होंने नबी (ﷺ) से हदीस़ बयान फ़रमाई कि आपने रमज़ानुल मुबारक के बारे में बयान फ़रमाया: 'इसमें आसमान के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं, आग के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं, हर सरकश शैतान को बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है और हर रात एक ऐ़लान करने वाला ऐ़लान करता है: ऐ नेकी के तलबगार! आगे आ और ऐ शर के तलबगार! रुक जा।'

(2110) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 4/312, 313, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2418, अहमद: 4/312.

फ़ायदा : 'आगे आ' यानी नेकी कर क्योंकि ये नेकी का मौसम है और इसमें बकस़रत नेकियाँ कमाई जा सकती हैं।

बाब : (6) माहे रमज़ान को (सिर्फ़) रमज़ान कहा जा सकता है

باب: (٦) الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يُقَالَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ رَمَضَانُ

(2111) हज़रत अबू बक्रा (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स ये न कहे कि मैंने पूरे रमज़ान के रोज़े रखे या मैंने तमाम रातों का क़याम किया।' (रावी कहता है) मैं नहीं जानता कि आपने अपने मुँह तारीफ़ को बुरा समझा या इसलिये कि इन्सान से ग़फ़लत और नींद का हो जाना लाज़िमी अम्र है। ये अल्फ़ाज़ उबैदुल्लाह (बिन सईद) के है।

(2111) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 2415, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2419, इब्ने हिब्बान, हदीस: 915, इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2075.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، ح وَأَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ وَلاَ قُمْتُهُ كُلَّهُ " . وَلاَ أَدْرِي كَرِهَ التَّزْكِيَةَ أَوْ قَالَ لاَ بُدَّ مِنْ غَفْلَةٍ وَرَقْدَةٍ اللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत ज़ईफ़ है। एक दूसरी ज़ईफ़ रिवायत में आता है कि आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'रमज़ान मत कहो क्योंकि रमज़ान अल्लाह के नामों में से एक नाम है, हाँ: रमज़ान का महीना कह सकते हो।' देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा: 20/269, 270) **(2)** मालूम हुआ इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ बोलने में कोई हर्ज नहीं जैसा कि हदीस: 2100, 2101, 2102 और माबाद की सही हदीस से इसकी तस्दीक़ होती है और जो रिवायात इसकी मुमानिअत के मुताल्लिक़ मन्क़ूल हैं, ज़ईफ़ हैं, ताहम ये बात सही है कि नेकी की निस्बत अपनी तरफ़ करना मुनासिब नहीं बल्कि निस्बत अल्लाह तआला की तौफ़ीक़ की तरफ़ करे, और बिला वजह नेकी का ऐलान नहीं करना चाहिए। क़बूलियत के बग़ैर नेकी की कोई हैसियत नहीं और क़बूलियत का इल्म सिवाए अल्लाह तआला के किसी को नहीं, लिहाज़ा तज़्किया अल्लाह तआला ही की तरफ़ से हो सकता है।

(2112) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बताते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अन्सार की एक औरत को फ़रमाया: 'जब रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाये तो इसमें उम्रा कर लेना क्योंकि रमज़ानुल

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ،

يُخْبِرُنَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ " إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً " .

मुबारक में उ़म्रा हज के बराबर है।'

(2112) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1782, मुस्लिम, हदीस: 1256, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ: 2420.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'हज के बराबर है' यानी हज के सवाब के न कि हाजी के सवाब के क्योंकि हाजी के सवाब में तो उसके ख़ुलूस, मशक़्क़त और नफ़्क़ा वग़ैरह का सवाब भी शामिल है जो हर हाजी के लिहाज़ से मुख़्तलिफ़ हो सकता है, और इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि ऐसा उ़म्रा फ़र्ज़ हज से किफ़ायत नहीं कर सकता बल्कि फ़र्ज़, हज करने के साथ ही साक़ित होगा। **(2)** अजनबी औ़रत से मुख़ातिब होना जायज़ है क्योंकि औ़रत की आवाज़ का पर्दा नहीं। लेकिन गुफ़्तगू ज़रूरत के तहत और अख़्लाक़ के दायरे में रह कर होनी चाहिए। नर्म व नाज़ुक अन्दाज़ से इज्तेनाब ज़रूरी है।

بَاب: (٧) اخْتِلاَفِ أَهْلِ الآفَاقِ فِي الرُّؤْيَةِ

बाब : (7) मुख़्तलिफ़ इलाक़ों के लोगों का चाँद देखने में इख़्तिलाफ़

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، -وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ - قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ - قَالَ - فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَىَّ هِلاَلُ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمْ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ . قَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ فَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ . قَالَ لَكِنْ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ

(2113) हज़रत कुरैब बयान करते हैं कि मुझे हज़रत उम्मे फ़ज़्ल (ؓ) ने (किसी काम के लिये) इलाक़-ए-शाम में हज़रत मुआविया(ؓ) (अमीरूल मोमिनीन) के पास भेजा। मैं शाम गया और उनका काम पूरा किया। मैं अभी शाम ही में था कि रमज़ानुल मुबारक का चाँद तुलूअ हो गया। मैंने बज़ाते ख़ुद जुमे की रात चाँद देखा, फिर मैं माहे रमज़ानुल मुबारक के आख़िर में मदीना मुनव्वरा वापस आया तो हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ؓ) ने चाँद का ज़िक्र करते हुये मुझसे पूछा कि तुमने (रमज़ानुल मुबारक का) चाँद कब देखा था? मैंने कहा: हमने जुम्अतुल मुबारक की रात देखा था। वह फ़रमाने लगे: तूने ख़ुद जुमे की रात देखा था? मैंने कहा: जी हाँ। दूसरे लोगों ने भी देखा था, फिर लोगों ने और हज़रत

نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا أَوْ نَرَاهُ . فَقُلْتُ أَوَلاَ تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَأَصْحَابِهِ قَالَ لاَ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

मुआविया(ﷺ) ने रोज़ा रखा। आपने फ़रमाया: हमने तो हफ़्ते की रात देखा था। हम तो रोज़े रखते रहेंगे यहाँ तक कि तीस पूरे हो जायें या चाँद देख लें। मैंने कहा: क्या आप हज़रत मुआविया (ﷺ) और उनके साथियों के चाँद देख लेने को काफ़ी नहीं समझते? उन्होंने कहा: नहीं, हमें रसूलुल्लाह(ﷺ) ने यही हुक्म दिया है।

(2113) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1081, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2421.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'यही हुक्म दिया है' कि चाँद देख कर रोज़ा रखो और चाँद देख कर ईद करो। इसका मतलब ये नहीं कि हर शख़्स चाँद देखे बल्कि कोई एक मोतबर आदमी भी चाँद देख ले या किसी और जगह चाँद नज़र आने की ख़बर पहुँच जाये तो उस इलाक़े के तमाम लोग रोज़ा रखेंगे या ईद करेंगे और नया महीना शुरू हो जायेगा, अलबत्ता ये तहक़ीक़ ज़रूरी है कि दोनों जगहों में इतना फ़ासला न हो जितने फ़ासले से चाँद देखने में एक या दो दिन का फ़र्क़ पड़ सकता है। जिस जगह चाँद नज़र आया हो, उसके इर्द गिर्द जितने इलाक़े में वह चाँद नज़र आ सकता हो, उतने इलाक़े के लिये वह रूयत मोतबर होगी। इस सिलसिले में उलमा-ए-रसद से रहनुमाई हासिल की जाये। आज कल हर इस्लामी मुल्क इतना छोटा है कि उस मुल्क में किसी जगह भी चाँद नज़र आ जाये तो वह पूरे मुल्क में नज़र आ सकता है, लिहाज़ा एक मुल्क में किसी जगह चाँद नज़र आने पर सारे मुल्क में रोज़ा या ईद हो सकते हैं, अलबत्ता मुख़्तलिफ़ ममालिक में चाँद मुख़्तलिफ़ हो सकता है, जैसे: सऊदी अरब और हिन्दूस्तान एक दूसरे से ख़ासे फ़ासले पर हैं। इस सिलसिले में उलमा-ए-हैयत व रसद ही सही फ़ैसला कर सकते हैं, लिहाज़ा रूयते हिलाल कमेटी में इनकी शिर्कत इन्तेहाई ज़रूरी है। इस सिलसिले में चन्द उसूल मुसल्लम हैं। - जब एक शहर में चाँद नज़र आये तो उससे मिलते जुलते तूले बलद पर वाक़ेअ तमाम शहरों में चाँद होगा, ख़्वाह उनका दरम्यानी फ़ासला हज़ारों मील ही में हो। -किसी शहर में चाँद नज़र आये तो उससे मग़रिब में वाक़ेअ तमाम इलाक़ों में हर हाल में चाँद नज़र आ जायेगा, देखने की ज़रूरत नहीं, ख़्वाह फ़ासला हज़ारों मील हो, अलबत्ता इसके उलट ज़रूरी नहीं, यानी मग़रिब का चाँद मशरिक़ के लिये मोतबर नहीं, अलग देखना होगा। - बालाई इलाक़े में चाँद नज़र आये तो नशेबी इलाक़े में चाँद का नज़र आना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता इसके उलट ज़रूरी है, यानी नशेबी इलाक़े में चाँद नज़र आया तो बालाई इलाक़े में लाज़िमन चाँद होगा, और ये उसूल बदीही हैं, इनमें इख़्तिलाफ़ मुमकिन नहीं। **(2)**

मदीना मुनव्वरा और दमिश्क़ के दरम्यान वैसे तो काफ़ी फ़ासला है मगर तूले बलद के लिहाज़ से सिर्फ़ छः दर्जे का फ़र्क़ है। गोया तुलूअ और गुरूब में 24 मिनट का फ़र्क़ है, इतने फ़र्क़ से चाँद की रूयत में फ़र्क़ नहीं पड़ता। दोनों जगह एक ही दिन चाँद होना चाहिए, मगर उस दौर में पैग़ाम रसानी के तेज़ ज़राये न होने की वजह से इतने फ़ासले से बरवक़्त ख़बर पहुँचना नामुमकिन था, लिहाज़ा हज़रत इब्ने अब्बास(ﷺ) ने मदीना मुनव्वरा के लिये शाम (यानी दमिश्क़ जो उस वक़्त दारुल ख़िलाफ़ा था) की रूयत को काफ़ी न समझा।

बाब : (8)
रमज़ानुल मुबारक के चाँद के लिये एक आदमी की गवाही के क़ुबूल होने का बयान और सिमाक की हदीस में सुफ़ियान के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

باب: (٨)
قَبُولِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ عَلَى هِلاَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ فِيهِ عَلَى سُفْيَانَ فِي حَدِيثِ سِمَاكٍ

(2114) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि एक आराबी नबी (ﷺ) के पास आया और कहने लगा: मैंने चाँद देखा है। फ़रमाया: 'तू गवाही देता है कि अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह तआला के बन्दे और रसूल हैं?' उसने कहा: जी हाँ। तो नबी (ﷺ) ने ऐलान कर दिया: 'रोज़ा रखो।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَأَيْتُ الْهِلاَلَ . فَقَالَ " أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " . قَالَ نَعَمْ . فَنَادَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَنْ صُومُوا " .

(2114) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 2340, तिर्मिज़ी, हदीस: 691, इब्ने माजा, हदीस: 1652,. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2423, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, व इब्ने हिब्बान, नैलुल मक़सूद, हदीस: 18.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालूम होता है चाँद का देखना और ख़बर मिल जाना बराबर हैं बशर्ते कि मत्लअ एक हो जैसा कि पिछली हदीस के फ़वाइद में बयान हुआ। (2) माहे रमज़ानुल मुबारक के चाँद के बारे में जुम्हूर अहले इल्म का क़ौल यही है कि एक मुसलमान की गवाही काफ़ी है जैसा कि हदीस में वाज़ेह है और यही सही है, अलबत्ता कुछ फ़ुक़हा गवाही के मद्दे नज़र दो मुसलमानों का होना

ज़रूरी समझते हैं, लेकिन ईद के बारे में अइम्म-ए-अर्बआ में इत्तेफ़ाक़ है कि दो मुसलमानों की गवाही ज़रूरी है क्योंकि ईद में लोगों का अपना मफ़ाद भी होता है, लिहाज़ा हुक़ूक़ुल इबाद की तरह इसमें भी दो गवाह होने चाहिए जबकि रोज़े में लोगों का ज़ाती मफ़ाद नहीं, लिहाज़ा वहाँ एक मुसलमान की ख़बर काफ़ी है क्योंकि ये ख़बर है शहादत (गवाही) नहीं और ख़बर के लिये एक मोतबर शख़्स काफ़ी है। (3) 'तू गवाही देता है?' गोया मुसलमान होना ज़रूरी है, और वह क़ाबिले ऐतबार भी हो, यानी झूठ बोलने में मारूफ़ न हो और फ़राइज़े शरअ का पाबन्द हो, दीन को मज़ाक़ न बनाता हो। (4) ये और आइन्दा तीनों रिवायात ज़ईफ़ हैं लेकिन अबू दाऊद (हदीस: 2342) में इब्ने उमर (ﷺ) से इसी मफ़हूम की सही हदीस मौजूद है, इसलिये हदीस में बयान कर्दा मसला और दीगर मुस्तम्बत मसाइल दुरुस्त हैं। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبْصَرْتُ الْهِلاَلَ اللَّيْلَةَ . قَالَ " أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " يَا بِلاَلُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا " .

(2115) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि एक आराबी नबी (ﷺ) के पास आया और कहने लगा: मैंने आज रात चाँद देखा है। आपने फरमाया: 'तू गवाही देता है कि अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं?' उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'ऐ बिलाल! लोगों में ऐलान कर दो कल रोज़ा रखें।'

(2115) **तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)** देखें पिछली हदीस, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2422,

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مُرْسَلٌ .

(2116) अबू दाऊद (उमर बिन सअद हफ़री) ने हज़रत सुफ़ियान से, उन्होंने सिमाक से, उन्होंने हज़रत इक्रिमा से ये रिवायत मुर्सल बयान की है।

(2116) **तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)** देखें पिछली हदीस, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2424.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ، - مِصِّيصِيٌّ - قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ،

(2117) अब्दुल्लाह ने हज़रत सुफ़ियान से, उन्होंने सिमाक से, उन्होंने हज़रत इक्रिमा (رحمه الله) से ये रिवायत मुर्सल बयान की है।

عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مُرْسَلٌ .

(2117) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें पिछली हदीस़, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2425.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَبِيبٍ أَبُو عُثْمَانَ، - وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا بِطَرَسُوسَ - قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَالَ أَلاَ إِنِّي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَاءَلْتُهُمْ وَأَنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَانْسُكُوا لَهَا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلاَثِينَ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا " .

(2118) हज़रत हुसैन बिन हारिस़ जदली से रिवायत है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन ख़त्ताब ने उस दिन लोगों को ख़िताब किया जिस दिन रमज़ानुल मुबारक होना मश्कूक था। उन्होंने फ़रमाया: मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के स़हाब-ए-किराम (ﷺ) के पास बैठता रहा हूँ और उनसे मसाइल भी पूछता रहा हूँ। उन्होंने मुझे बयान किया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चाँद देख कर रोज़े रखना शुरू करो और चाँद देख कर रोज़े रखना बन्द करो। और चाँद देख कर ही हज और क़ुर्बानी करो। अगर चाँद नज़र न आये तो (महीने के) तीस दिन पूरे कर लो। और अगर दो शख़्स़ चाँद देखने की गवाही दें तो भी रोज़े रखना शुरू या बन्द कर दो।

(2118) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2426, मुसनद अहमद: 4/321.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मश्कूक दिन' से मुराद शाबान का तीसवां दिन है क्योंकि इसके बारे में दोनों इम्कान होते हैं, शाबान की तीसवीं हो या रमज़ानुल मुबारक की यकुम, ख़ुसूस़न जब चाँद का इम्कान था लेकिन मत्लअ़ अब्र आलूद था। चाँद नज़र न आ सका। (2) 'चाँद नज़र न आये' बादल, गुबार, या धूवाँ वग़ैरह की वजह से। (3) 'दो शख़्स़ गवाही दें। दो शख़्स़ तब ज़रूरी हैं जब मत्लअ़ बिल्कुल स़ाफ़ हो क्योंकि ऐसी सूरत में ज़्यादा अश्ख़ास़ के देखने का इम्कान होता है, अलबत्ता अगर मत्लअ़ अब्र आलूद हो तो एक शख़्स़ की गवाही भी काफ़ी है जैसा कि पीछे हदीस़ में बयान हुआ, क्योंकि ऐसी सूरत में उमूमन नज़र आने का इम्कान नहीं होता, एक आध को नज़र आना भी ग़नीमत होता है, इस तरह अहादीस़ में तत्बीक़ हो जायेगी और तत्बीक़ ही बेहतर होती है, अलबत्ता ईद के लिये दो गवाह ज़रूरी हैं। वल्लाहु आलम!

बाब : (9) बादल हों (और चाँद नज़र न आये) तो शाबान के तीस दिन पूरे करना और हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से नक़ल करने वालों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

باب: (٩) إِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ إِذَا كَانَ غَيْمٌ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ " .

(2119) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रोज़ों का आग़ाज़ चाँद देख कर करो और इख़्तिताम भी चाँद देख कर करो। अगर बादल हों (और चाँद नज़र न आये) तो तीस दिन पूरे करो।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1909, मुस्लिम, हदीस: 1081/19, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2427.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इनमें इख़्तिलाफ़ की सूरत ये है कि अबू हुरैरह (ﷺ) से नीचे के रुवात में शोबा के तलामिज़ा में इख़्तिलाफ़ है। जब इस्माईल इब्ने उलय्या इमाम शोबा से बयान करते हैं तो फ़ उद्दू सलासीन के अल्फ़ाज़ नक़ल करते हैं। लेकिन जब इनसे वरक़ा बिन उमर यश्करी बयान करते हैं तो फ़ उद्दू सलासीन कहते हैं लेकिन इससे हदीस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मज़ीद तफ़सील व तहक़ीक़ के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 4/121, हदीस: 1909) **(2)** महीना कोई भी हो, हुक्म यही है। कुछ रिवायात में शाबान का लफ़्ज़ सिर्फ़ इसलिये है कि रोज़ों का ताल्लुक़ शाबान के इख़्तिताम से है, वरना ख़ुद रमज़ान भी इस सूरते हाल में (यानी जब शव्वाल का चाँद नज़र न आये) तीस दिन ही का शुमार किया जायेगा।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا ثَلاَثِينَ " .

(2120) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चाँद देख कर रोज़े रखना शुरू करो और चाँद देख कर ही रोज़े रखना बन्द करो और अगर बादल हों (और चाँद नज़र न आये) तो महीना तीस का समझो।'

(2120) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2428.

बाब : (10) दर्ज ज़ेल हदीस़ में हज़रत ज़ोहरी के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़

باب: (١٠) ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

वज़ाहत : आइन्दा अहादीस़ को देखने से इख़्तिलाफ़ वाज़ेह है कि पहली रिवायत (2121) में इस हदीस़ को हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब किया गया और दूसरी रिवायत (2122) में अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) की तरफ़ लेकिन इससे हदीस़ की सेहत पर कोई अस़र नहीं पड़ता।

(2121) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम (रमज़ानुल मुबारक का) चाँद देख लो, तब रोज़े रखना शुरू करो और जब तुम (शव्वाल का) चाँद देख लो तो रोज़े रखना बन्द कर दो। अगर बादल हों (और तुम्हें शव्वाल का चाँद नज़र न आये) तो तीस रोज़े पूरे करो।'

(2121) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1081, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2429.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ يَوْمًا".

(2122) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जब तुम चाँद देखो तो रोज़े रखना शुरू करो और जब तुम (शव्वाल का) चाँद देखो तो रोज़े रखना बन्द कर दो। अगर बादल हों (और चाँद नज़र न आये) तो उस महीने को तीस का समझो।'

(2122) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1080/8, पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस़: 1900, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2430.

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ " .

(2123) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रमज़ानुल मुबारक का ज़िक्र

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، -

وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ " لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ " .

फ़रमाया तो फ़रमाने लगे: 'जब तक चाँद न देख लो, रोज़े रखना शुरू न करो। इसी तरह रोज़े रखना बन्द न करो जब तक (शव्वाल का) चाँद न देख लो। अगर बादल हों (और चाँद नज़र न आये) तो उस महीने को तीस दिन का फ़र्ज़ करो।'

(2123) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1906, मुस्लिम, हदीस: 1080/3, मौता: 1/86, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2431.

باب: (١١) ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

बाब : (11) इस हदीस में उबैदुल्लाह बिन उमर के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़

वज़ाहत : आइन्दा दो अहादीस से ये इख़्तिलाफ़ वाज़ेह हो रहा है कि उनके शागिर्द यह्या ने (2124) रिवायत को हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब किया है जबकि उनके दूसरे शागिर्द मुहम्मद बिन बिश्र ने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की तरफ़, ताहम दोनों सनदें सही हैं।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ" .

(2124) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम रोज़े रखना शुरू न करो यहाँ तक कि (रमज़ानुल मुबारक का) चाँद देख लो और रोज़े रखना बन्द न करो यहाँ तक कि (शव्वाल का) चाँद देख लो। अगर चाँद नज़र न आये तो महीना तीस का बनाओ।'

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/13, मुस्लिम, हदीस: 1080, बुख़ारी, हदीस: 1906, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، صَاحِبُ حِمْصَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

(2125) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चाँद का ज़िक्र किया तो फ़रमाया: 'जब तुम चाँद देखो तो रोज़े रखना शुरू कर दो और जब तुम चाँद देखो तो रोज़े रखना बन्द कर दो और अगर बादल हों (और

قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْهِلاَلَ فَقَالَ " إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ " .

चाँद नज़र न आये) तो तीस दिन पूरे करो।'

(2125) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 1081/20, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 243.

باب: (١٢) ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ

बाब : (12) हज़रत इब्ने अब्बास की हदीस में अम्र बिन दीनार के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़

वज़ाहत : रिवायत 2126 में हज़रत अम्र बिन दीनार के शागिर्द हम्माद बिन सलमा ने अम्र बिन दीनार और इब्ने अब्बास के दरम्यान कोई वास्ता ज़िक्र नहीं किया जबकि रिवायत: 2126 में हज़रत सुफ़ियान ने मुहम्मद बिन हुनैन का वास्ता बयान किया है, ताहम अहादीस सही हैं।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَوْزَاءِ، - وَهُوَ ثِقَةٌ بَصْرِيٌّ أَخُو أَبِي الْعَالِيَةِ - قَالَ أَنْبَأَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ " .

(2126) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चाँद देख कर रोज़े रखो और चाँद देख कर ईद करो। अगर चाँद छुप जाये (नज़र न आये) तो उस महीने की गिनती तीस दिन मुकम्मल करो।'

(2126) **तख़रीज : (सनद सही)** सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2434.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ

(2127) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मुझे उस शख़्स पर ताज्जुब है जो माहे रमज़ान शुरू होने से पहले रोज़ा रखता है जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'जब तुम चाँद देखो तो फिर रोज़ा रखो और जब अगला चाँद देखो तो रोज़े रखना छोड़ दो। अगर चाँद छुप जाये (नज़र न आये) तो महीने की गिनती तीस दिन पूरी करो।'

غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ " .

(2127) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 1/221, हुमैदी, हदीसः 514, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 2435.

फ़ायदा : 'ताज्जुब है' यानी रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने से पहले मश्कूक (शाबान के तीसवें) दिन का रोज़ा नहीं रखना चाहिए कि ये तकल्लुफ़ और तशद्दुद है। सही रिवायात में इस दिन का रोज़ा रखना रसूलुल्लाह (ﷺ) की नाफ़रमानी बतलाया गया है। जिन अहले इल्म ने एहतियातन नफ़ल रोज़ा रखने की इजाज़त दी है शायद उन्होंने इन अल्फ़ाज़ की सख़्ती पर ग़ौर नहीं फ़रमाया। बाक़ी रही फ़र्ज़ और नफ़ल की तफ़रीक़ (कि फ़र्ज़ मना है नफ़ल जायज़ है) तो ये बात हदीस से साबित नहीं होती। जब अल्लाह तआला ने चाँद दिखाने में एहतियात नहीं फ़रमाई तो हमें ख़्वाहमख़्वाह इस एहतियात की क्या ज़रूरत है?

बाब : (13) इस बारे में रिब्ई की हदीस में मन्सूर के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़

باب: (١٣) ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى مَنْصُورٍ فِي حَدِيثِ رِبْعِيٍّ فِيهِ

वज़ाहत : ये इख़्तिलाफ़ सिर्फ़ इस क़द्र है कि रिवायतः 2129 में हज़रत हुज़ैफ़ा (رضی اللہ عنہ) का नाम ज़िक्र करने की बजाये 'किसी सहाबी' के अल्फ़ाज़ हैं जबकि रिवायतः 2128 में उनके नाम की सराहत है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ قَبْلَهُ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ " .

(2128) हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'माहे रमज़ान से पहले रोज़ा न रखो यहाँ तक कि रोज़ा रखने से पहले (रमज़ानुल मुबारक का) चाँद देख लो, वरना (शाबान के) तीस दिन पूरे करके रोज़ा रखो, फिर तुम रोज़े रखते रहो यहाँ तक कि (शव्वाल का) चाँद देख लो या चाँद देखने से पहले तीस दिन पूरे कर लो।'

(2128) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीसः 2326, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 2436, इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीसः 1911, व इब्ने हिब्बान, हदीसः 875.

फ़ायदा : इस रिवायत में सराहतन चाँद नज़र आने से पहले रोज़ा रखने से रोका गया है। और इसी पर अमल होना चाहिए।

(2129) नबी (ﷺ) के एक सहाबी (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'माहे रमज़ानुल मुबारक से पहले रोज़े रखना शुरू न करो यहाँ तक कि (शाबान) के तीस दिन पूरे करो या (रमज़ान का) चाँद देख लो, फिर रोज़े रखते रहो और रोज़े रखने बन्द न करो यहाँ तक कि (शव्वाल का) चाँद देख लो या (रमज़ानुल मुबारक के) तीस रोज़े पूरे कर लो।'

हज्जाज बिन अरतात ने इस रिवायत को मुर्सल ज़िक्र किया है (कि उन्होंने सहाबी का वास्ता ही ख़त्म कर दिया और इसे रिब्ई की रिवायत बना दिया, हालांकि वह सहाबी नहीं)

(2129) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2437.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ أَوْ تَرَوُا الْهِلاَلَ ثُمَّ صُومُوا وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ " . أَرْسَلَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ .

फ़ायदा : चूंकि क़मरी महीना तीस दिन से ज़्यादा होता ही नहीं, लिहाज़ा तीस दिन पूरे होने के बाद चाँद देखना ज़रूरी नहीं।

(2130) हज़रत रिब्ई से रिवायत है, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम (रमज़ानुल मुबारक का) चाँद देख लो तो रोज़े शुरू करो और जब तुम (शव्वाल का) चाँद देख लो तो रोज़े रखना बन्द कर दो। अगर बादल हों (और तुम्हें चाँद नज़र न आये) तो शाबान के तीस दिन पूरे करो, मगर ये कि तुम इससे पहले चाँद देख लो, फिर तीस दिन रोज़े रखो, मगर ये कि इससे पहले चाँद देख लो।'

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 2438.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ إِلاَّ أَنْ تَرَوُا الْهِلاَلَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ صُومُوا رَمَضَانَ ثَلاَثِينَ إِلاَّ أَنْ تَرَوُا الْهِلاَلَ قَبْلَ ذَلِكَ " .

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالاً " .

(2131) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) बयान फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चाँद देख कर रोज़े रखो और चाँद देख कर रोज़े ख़त्म करो। अगर तुम्हारे और चाँद के दरम्यान बादल हाइल हो जायें (और चाँद नज़र न आये) तो मारूफ़ गिनती (तीस दिन) पूरी करो और माहे रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से पहले रोज़ा न रखो।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़: 2327,

फ़ायदा : अगरचे ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन कस़ीर शवाहिद व मुताबिआ़त की वजह से मतने हदीस़ सही है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِلرُّؤْيَةِ وَأَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلاَثِينَ " .

(2132) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले रोज़ा न रखो बल्कि चाँद देख कर रोज़ा रखो और चाँद देख कर ही रोज़े रखने बन्द करो। अगर चाँद नज़र आने में बादल रुकावट बन जायें तो तीस दिन पूरे करो।'

(2132) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 688, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2440.

फ़ायदा : इस मफ़हूम की रिवायात की इस क़द्र तकरार कुछ इस्नादी इख़्तिलाफ़ात ज़ाहिर करने के लिये है जिनका इल्म मज़्कूरा रिवायात की सनदों के गहरे जायज़े से होगा, अलबत्ता इस इख़्तिलाफ़ का हदीस़ के मतन पर कोई मनफ़ी अस़र नहीं पड़ता क्योंकि मतन मुत्तफ़क़ अ़लैहि है, बल्कि इस तकरार से मतन को तक़वियत हासिल होती है कि वह कस़ीर स़हाबा और बहुत ज़्यादा रावियों से मरवी है। ये बात भी याद रखने की है कि इख़्तिलाफ़ से मुराद हर जगह ग़लती नहीं होती बल्कि बहुत से मक़ामात पर इख़्तिलाफ़ का मतलब ये भी होता है कि ये हदीस़ उन तमाम स़हाबा और ताबेईन वग़ैरह से आती है और ये सब सनदें स़ही हैं।

बाब : (14) (क़मरी और इस्लामी) महीना कितने दिन का होता है? और हज़रत आयशा की इस हदीस में ज़ोहरी के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़

باب: (۱۴) كَمِ الشَّهْرُ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي الْخَبَرِ عَنْ عَائِشَةَ

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَقْسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا فَلَبِثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَقُلْتُ أَلَيْسَ قَدْ كُنْتَ آلَيْتَ شَهْرًا فَعَدَدْتُ الأَيَّامَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ " .

(2133) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि (एक दफ़ा) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (नाराज़ी की बिना पर) क़सम खा ली कि अपनी बीवियों के पास एक महीना तक नहीं जाऊँगा। आप उन्तीस दिन तक इसी हाल में रहे। (फिर मेरे पास तशरीफ़ लाये) मैंने (याद देहानी के तौर पर) अर्ज़ किया कि आपने एक माह की क़सम नहीं खाई थी मैंने तो उन्तीस दिन शुमार किये हैं? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'महीना उन्तीस दिन का भी होता है।'

(2133) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1083, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2441.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** इख़्तिलाफ़ ये है कि ज़ोहरी के कुछ शागिर्दों ने इस हदीस को हज़रत आयशा (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब किया है और कुछ ने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) की तरफ़, ताहम ये इख़्तिलाफ़ ज़रर रसाँ नहीं, हदीस दोनों से सही तौर पर साबित है। **(2)** 'क़सम खा ली' इस तरह की क़सम को शरई ज़बान में 'ईला' कहते हैं। ख़ाविन्द बीवी में अगर कोई नाचाक़ी हो जाये तो ख़ाविन्द अपनी बीवी से वक़्ती तौर पर ताल्लुक़ात मुन्क़तअ कर सकता है मगर घर में रहना ज़रूरी है ताकि औरत कोई ग़लत क़दम न उठाये। ये कैफ़ियत ज़्यादा से ज़्यादा चार माह तक रह सकती है। अगर क़सम इससे ज़्यादा की हो तो क़सम तोड़ना फ़र्ज़ है और चार माह के बाद फ़ौरन ताल्लुक़ात क़ाइम करना ज़रूरी है वरना उसे तलाक़ देना पड़ेगी। वह दोनों में से कोई भी काम न करे तो क़ाज़ी या हाकिम अपनी तरफ़ से उसे मुसाहबत पर मज्बूर करेगा या तलाक़ नाफ़िज़ कर देगा और वह औरत उससे मुस्तक़िल तौर पर जुदा हो जायेगी। अगर मुद्दत कम हो तो क़सम पूरी कर सकता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सिर्फ़ एक माह की क़सम खाई थी, लिहाज़ा आपने क़सम पूरी की। इस वाक़िये की तफ़्सील इन्शाअल्लाह आगे आयेगी। **(3)** 'महीना उन्तीस दिन का भी होता है।' यानी क़मरी महीना जो अहकामे इस्लामी में

मोतबर है, तीस दिन का भी होता है और उन्तीस का भी, लिहाज़ा उन्तीस दिन को भी कामिल महीना शुमार किया जायेगा। एक महीने की क़सम शरअन उन्तीस दिन के लिये होगी। ये इस जुम्ले का सही मफ़हूम है। कुछ अहले इल्म ने यूँ मानी किया है कि 'ये महीना उन्तीस का है।' गोया आपने पहली तारीख़ का चाँद देख कर क़सम खाई और अगला चाँद देख कर दाख़िल हुये, मगर ये बहुत बईद बात है कि आपने नाराज़ी के बावजूद चाँद देखने तक इन्तेज़ार किया और फिर क़सम खाई और फिर अगला चाँद देखते ही आप दाख़िल हुये। क्या झगड़ा ऐन चाँद वाले दिन हुआ था? किसी हदीस़ में इसकी स़राहत नहीं। न ये मानी दिल को लगता है जबकि पहला मानी बिल्कुल वाज़ेह है। वल्लाहु आलम!

خْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، حَدَّثَهُ ح، وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ لَهُمَا ‏{‏ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ‏}‏ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَاعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ‏.‏ قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ قَالَ ‏"‏ مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا ‏"‏ ‏.‏ مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ

(2134) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि मैं अ़र्से-ए-दराज़ से ख़्वाहिश मन्द था कि मैं हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ) से रसूलुल्लाह(ﷺ) की अज़्वाजे मुतह्हरात में से उन दो औरतों के बारे में पूछूँ जिनके बारे में अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया: (इन ततूबा .....) 'अगर तुम अल्लाह तआ़ला की तरफ़ रुजू करो तो ये निहायत मुनासिब है क्योंकि तुम्हारे दिल कज (टेढ़े) हो गये हैं।' फिर हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने पूरी हदीस़ बयान फ़रमाई। इस तफ़्सीली हदीस़ में हज़रत उ़मर (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह(ﷺ) इस बात की वजह से जिसे हज़रत हफ़्स़ा (ﷺ) ने हज़रत आ़यशा (ﷺ) के सामने फ़ाश (ज़ाहिर) कर दिया था, उन्तीस दिन तक अपनी बीवियों से जुदा रहे। हज़रत आ़यशा(ﷺ) ने फ़रमाया: आपने (क़सम खा कर) फ़रमाया था: 'मैं अपनी बीवियों के पास एक महीने तक नहीं आऊँगा।' जिस वक़्त अल्लाह तआला ने आपको उनकी बात बताई तो आप उन पर सख़्त नाराज़ हो गये थे जब उन्तीस दिन गुज़र गये तो सबसे पहले आप हज़रत

حِينَ حَدَّثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَدِيثَهُنَّ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ إِنَّكَ قَدْ كُنْتَ آلَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّا أَصْبَحْنَا مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً نَعُدُّهَا عَدَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً "

आयशा (ﷺ) के पास तशरीफ़ ले गये। हज़रत आयशा (ﷺ) कहने लगीं: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने तो क़सम खाई थी कि एक माह तक हमारे पास तशरीफ़ न लायेंगे और आज तो उन्तीस दिन की सुबह है हमने ये दिन गिन गिन कर गुज़ारे हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'महीना उन्तीस का भी होता है।'

(2134) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 89, मुस्लिम, हदीस़: 1479/34, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2442.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नाराज़ी के वाक़िये की पूरी तफ़्सील तो इन्शाअल्लाह अपने मुक़ाम पर आयेगी लेकिन इतना जान लेना काफ़ी है कि आपने एक राज़ हज़रत हफ़्सा (ﷺ) के हवाले किया था और ताकीद फ़रमाई थी कि किसी तक ये राज़ न पहुँचे मगर वह अपनी फ़ितरी कमज़ोरी की बिना पर राज़ को राज़ न रख सकीं। हज़रत आयशा (ﷺ) को बता बैठीं और होते होते ये बात सब अज़्वाजे मुतह्हरात (ﷺ) तक पहुँच गई जिससे आप (ﷺ) को दुख उठाना पड़ा। एक दो वाक़ियात और भी हुये, इन तमाम वजहों से आपकी नाराज़ी शदीद हो गई। **(2)** जब महसूस हो कि आदमी क़सम तोड़ रहा है तो उसे याद कराया जा सकता है।

باب: (١٥) ذِكْرِ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ

बाब : (15) इस बाब में इब्ने अब्बास (ﷺ) की हदीस़ का बयान

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، - هُوَ أَبُو بُرَيْدٍ الْجَرْمِيُّ بَصْرِيٌّ - عَنْ بَهْزٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا " .

(2135) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरे पास हज़रत जिब्रील (ﷺ) आये और बताया कि महीना उन्तीस दिन का भी होता है।'

(2135) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 1/218, 340, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2443.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَذَكَرَ، كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا " .

(2136) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'महीना उन्तीस दिन का भी होता है।'

(2136) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2444.

بَاب: (١٦) ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى إِسْمَاعِيلَ فِي خَبَرِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فِيهِ

बाब : (16) इस बारे में हज़रत सअ़द बिन मालिक की हदीस़ में इस्माईल के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़

वज़ाहत : हदीस़: 3137, 2138 में ये हदीस़ सअ़द (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब है जबकि हदीस़: 2139 में हज़रत सअ़द बिन मालिक (ﷺ) का ज़िक्र नहीं, सिर्फ़ उनके बेटे का ज़िक्र है जो सहाबी नहीं जैसा कि फ़ायदे में ज़िक्र है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الأُخْرَى وَقَالَ " الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " . وَنَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ إِصْبَعًا .

(2137) हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने एक दस्ते मुबारक को दूसरे पर मारा और फ़रमाया: 'कभी महीना इतना, इतना और इतना भी होता है और तीसरी दफ़ा आपने एक ऊँगली कम कर ली।' (यानी उन्तीस)

(2137) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 1089, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2445.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " . يَعْنِي تِسْعَةً وَعِشْرِينَ . رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ

(2138) हज़रत सअ़द (ﷺ) से मरवी है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'महीना कभी इतना, इतना और इतना भी होता है।' (यानी उन्तीस दिन का)

यहया बिन सईद वग़ैरह ने इस रिवायत को बवास्ता इस्माईल, मुहम्मद बिन सअ़द से (सहाबी-ए-रसूल सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) के वास्ते के बग़ैर)

سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

नबी-ए-अकरम (ﷺ) से बयान किया है, यानी मुर्सलन।

(2138) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 246.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " . وَصَفَّقَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بِيَدَيْهِ يَنْعَتُهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَبَضَ فِي الثَّالِثَةِ الإِبْهَامَ فِي الْيُسْرَى . قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قُلْتُ لإِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لاَ .

(2139) हज़रत मुहम्मद बिन सअ़द बिन अबी वक़्क़ास से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'महीना इतना, इतना और इतना भी होता है।' (हदीस के रावी) मुहम्मद बिन उ़बैद ने अपने दोनों हाथों की हथेलियाँ खोल कर सामने कीं। तीन दफ़ा ऐसे किया और तीसरी दफ़ा बायें हाथ के अंगूठे को बन्द कर लिया।

यहया बिन सईद कहते हैं: मैंने इस्माईल से पूछा: क्या मुहम्मद बिन सअ़द ने इस रिवायत को अपने बाप (सअ़द बिन अबी वक़्क़ास) से बयान किया है? उन्होंने कहा: नहीं (बल्कि मुर्सलन बयान किया है)

(2139) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2447.

फ़ायदा : इस रिवायत में ताबेई हज़रत मुहम्मद बिन सअ़द कह रहे हैं: क़ाला रसूलुल्लाहि .. अलख़' सहाबी का वास्ता नहीं, लिहाज़ा ये रिवायत मुर्सल है।

باب: (١٧) ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي خَبَرِ أَبِي سَلَمَةَ فِيهِ

बाब : (17) इस बारे में हज़रत अबू सलमा की हदीस में यहया बिन अबी कसीर के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़

वज़ाहत : कुछ शागिर्दों ने हज़रत अबू सलमा का उस्ताद हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) को बनाया है और कुछ ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) को, हदीस दोनों तरीक़ों से सही है।

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، - هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - قَالَ

(2140) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'महीना कभी

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَيَكُونُ ثَلاَثِينَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ " .

उन्तीस दिन का और कभी तीस दिन का होता है। जब तुम चाँद देखो तो रोज़े रखना शुरू करो और जब तुम चाँद देखो तो रोज़े रखना बन्द कर दो और अगर बादल हों (और चाँद नज़र न आये) तो (तीस दिन की) गिनती पूरी करो।'

(2140) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 684,

أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، ح وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ، وَهُوَ -ابْنُ عُمَرَ - يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ " .

(2141) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (﵁) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'महीना उन्तीस का (भी होता) है।'

(2141) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1080/11, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2449.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسِبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " . ثَلاَثًا حَتَّى ذَكَرَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ .

(2142) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (﵁) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हम उम्मी लोग हैं। हम हिसाब किताब नहीं जानते। महीना इतना, इतना और इतना होता है।' तीन दफ़ा हाथों से इशारा फ़रमाया यहाँ तक कि उन्तीस हो गये।

(2142) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1080/15, पिछली हदीस़ देखें, बुख़ारी, हदीस़: 1913, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2450.

फ़ायदा : 'उम्मी लोग' यानी हम तो फ़ितरी इल्म से आशना हैं जिसमें ग़लती का इम्कान नहीं। हमने हिसाब किताब नहीं पढ़ा, लिहाज़ा हम इल्मे रियाज़ी, इल्मे नुजूम व हैयत वग़ैरह से वाक़िफ़ नहीं। न

हमारे माह व साल ही का हिसाब इन उलूम से है बल्कि हम चाँद को देख कर महीने का हिसाब लगाते हैं जो कभी तीस का होता है, कभी उन्तीस का, और यही हक़ीक़ी महीना है। बख़िलाफ़े शम्सी महीने के कि वह फ़र्ज़ी है। इसमें कोई ज़ाहिरी अलामत नहीं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَحْسِبُ وَلاَ نَكْتُبُ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " . وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ " وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " . تَمَامَ الثَّلاَثِينَ .

(2143) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान फ़रमाते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हम उम्मी लोग हैं, हम हिसाब किताब नहीं जानते। कभी महीना इतना, इतना और इतना होता है।' तीसरी दफ़ा आपने अंगूठा बन्द फ़रमा लिया (यानी उन्तीस दिन का) 'और कभी महीना इतना, इतना और इतना होता है।' यानी पूरे तीस दिन का।

(2143) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2451.

फ़ायदा : महीना उन्तीस का हो या तीस का, बहर सूरत वह कामिल होता है, अहकाम में भी और सवाब में भी।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الشَّهْرُ هَكَذَا " . وَوَصَفَ شُعْبَةُ عَنْ صِفَةِ جَبَلَةَ عَنْ صِفَةِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فِيمَا حَكَى مِنْ صَنِيعِهِ مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ وَنَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ إِصْبَعًا مِنْ أَصَابِعِ يَدَيْهِ .

(2144) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'महीना कभी इतना होता है।' शोबा ने जबला बिन सुहैम की नक़ल की और उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) की कि महीना उन्तीस दिन का (भी) होता है। उन्होंने इस तरह से बयान किया कि दो दफ़ा आपने दोनों हाथों की पूरी ऊँगलियाँ खोलीं और तीसरी दफ़ा एक ऊँगली कम (बन्द) कर ली।

(2144) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1908, मुस्लिम, हदीस: 1080/13, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2452.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ، - يَعْنِي ابْنَ حُرَيْثٍ - قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ".

(2145) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'महीना उन्तीस का भी होता है।'

(2145) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1080/14, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2453.

फ़ायदा : लिहाज़ा एक महीने की क़सम उन्तीस दिन में पूरी हो जाती है। (इस क़द्र तकरार का फ़ायदा किया है? देखिये, हदीस: 2133)

باب: (١٨) الْحَثِّ عَلَى السَّحُورِ

बाब : (18) सहरी खाने की तर्ग़ीब

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً " . وَقَفَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ .

(2146) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सहरी खाया करो, बिलाशुब्हा सहरी खाने में बरकत है।'

उबैदुल्लाह बिन सईद ने इस रिवायत को मौक़ूफ़ बयान किया है।

(2146) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फ़िल्कबीर: 10/170, हदीस: 10235, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2454, इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1936.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सहरी खाना मुस्तहब है क्योंकि इससे रोज़ा निभाना आसान होगा, जिस्मानी कुव्वत बरक़रार रहेगी और फिर रोज़े की नियत से खाने की वजह से सवाब भी होगा, गोया कि हम ख़ुरमा व हम सवाब। लेकिन ये रोज़े के लिये वाजिब है न शर्त, अलबत्ता अफ़ज़ल है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत है, और अहले किताब के रोज़े से हमारे रोज़े का इम्तियाज़ सहरी ही से है। सहरी की वजह से नियत बरवक़्त होगी और सुबह के वक़्त जागने का मौक़ा मिलेगा जो दुआ व तहज्जुद का वक़्त है। ग़र्ज़ बहुत से दुनियावी और उख़रवी फ़वाइद हैं। बरकत से मुराद ये सब कुछ है। **(2)** बरकत के लफ़्ज़ से भी मालूम होता है कि सहरी वाजिब नहीं, मुस्तहब है।

(2147) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) फ़रमाते हैं: सहरी खाओ। (रावि-ए-हदीस़) उबैदुल्लाह ने कहा: मैं नहीं जानता इसके (स़ही) अल्फ़ाज़ क्या हैं?

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ تَسَحَّرُوا . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ لاَ أَدْرِي كَيْفَ لَفْظُهُ .

(2147) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2455.

फ़ायदा : मक़सद ये है कि ये रिवायत मौक़ूफ़ भी आई है, यानी स़हाबी का अपना क़ौल, रसूलुल्लाह(ﷺ) का ज़िक्र किये बग़ैर।

(2148) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सहरी खाया करो, यक़ीनन इसमें बरकत है।'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً " .

(2148) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1095, बुख़ारी, हदीस़: 1923, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2456.

बाब : (19) इस हदीस़ में अ़ब्दुल मलिक बिन अबी सुलैमान के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़ (कि ये रिवायत मौक़ूफ़ है या मर्फ़ूअ)

باب: (١٩) ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

(2149) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सहरी खाया करो, बिलाशुब्हा सहरी खाने में बरकत है।'

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَرِيرٍ، - نَسَائِيٌّ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً " .

(2149) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/377, 477, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2457.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً . رَفَعَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى .

(2150) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि सहरी खाओ, बिलाशुब्हा सहरी खाने में बरकत है। हज़रत इब्ने अबी लैला ने इस रिवायत को मर्फ़ूअ बयान किया है।

(2150) तख़रीज : (सनद सही, मौक़ूफ़) पिछली हदीस देखें, 2458.

फ़ायदा : गो हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से ये रिवायत मौक़ूफ़ भी आती है मगर इससे इसके मरफ़ूअ होने में कोई नुक़्स न आयेगा। नबी (ﷺ) के फ़रमान को सहाबी ख़ुद भी दोहरा सकते हैं, ये कोई बईद नहीं।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً " .

(2151) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सहरी खाओ, बिलाशुब्हा सहरी खाने में बरकत है।'

(2151) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/477, अबी लैला, हदीस: 2149, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2459.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً " .

(2152) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सहरी खाओ, बिला शुब्हा सहरी खाने में बरकत है।'

(2152) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/377, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2460, पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً "

(2153) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सहरी खाओ, यक़ीनन सहरी खाने में बरकत है।'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि यहया बिन सईद की इस हदीस की सनद हसन है लेकिन ये रिवायत मुन्कर (ग़लत) है। मुझे ख़दशा है कि

. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَذَا إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَهُوَ مُنْكَرٌ وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ الْغَلَطُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ .

ये ग़लती मुहम्मद बिन फ़ुज़ैल से हुई होगी

(2153) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2461.

फ़ायदा : इमाम नसाई (ﷺ) का मक़सूद ये है कि इस रिवायत में अबू सलमा के बजाये अ़ता ही दुरुस्त है।

باب: (٢٠) تَأْخِيرِ السَّحُورِ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى زِرٍّ فِيهِ

बाब : (20) सहरी ताख़ीर से (आख़री वक़्त में) खाने का बयान, और इस हदीस में ज़िर्र के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़

वज़ाहत : पहली रिवायत में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सहरी खाने का ज़िक्र है जबकि दूसरी रिवायत में हज़रत हुज़ैफ़ा (رضی اللہ عنہ) के साथ। गोया मर्फ़ूअ और मौक़ूफ़ का इख़्तिलाफ़ है लेकिन मरफ़ूअन ये रिवायत ज़ईफ़ है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ أَىَّ سَاعَةٍ تَسَحَّرْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ هُوَ النَّهَارُ إِلاَّ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ .

(2154) हज़रत ज़िर्र बयान करते हैं कि हमने हज़रत हुज़ैफ़ा (رضی اللہ عنہ) से पूछा कि आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सहरी किस वक़्त खाई? उन्होंने फ़रमाया: दिन शुरू होने ही को था, बस सूरज तुलूअ न हुआ था।

(2154) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2462, देखें, हदीस: 1027, इब्ने माजा, हदीस: 1695, देखें, हदीस: 780.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، قَالَ سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، قَالَ تَسَحَّرْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاَةِ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ هُنَيْهَةٌ .

(2155) हज़रत ज़िर्र बिन हुबैश बयान करते हैं कि मैंने हज़रत हुज़ैफ़ा (رضی اللہ عنہ) के साथ सहरी खाई, फिर हम नमाज़ के लिये निकले। जब हम मस्जिद में आये तो दो रकअ़तें पढ़ीं। इतने में जमाअ़त खड़ी हो गई। सुन्नतों और इक़ामत के दरम्यान बिल्कुल मामूली फ़ासला था।

(2155) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2463.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत ज़ईफ़ है, बशर्ते सेहत इस हदीस में 'दिन' से 'शरई दिन' मुराद होगा जो तुलूअे फ़ज्र से शुरू होता है। हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) का मक़सूद ये है कि सहरी तुलूअे फ़ज्र के बिल्कुल क़रीब खानी चाहिए ताकि सहरी के मक़ासिद मुकम्मल तौर पर हासिल हों। बहुत पहले सहरी खाने से रोज़ा निभाना मुश्किल हो जाता है और अगर सहरी के बाद नींद आ गई तो तहज्जुद तो एक तरफ़, फ़र्ज़ नमाज़ भी रह जायेगी। **(2)** सहरी, सहर से है जिसके मानी हैं: रात का आख़री हिस्सा, लिहाज़ा सहरी है ही वह जो रात के आख़री हिस्से, यानी तुलूअे फ़ज्र से ऐन पहले हो, ज़्यादा देर पहले खाना आम खाना होगा, सहरी न होगा।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ تَسَحَّرْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّيْنَا .

(2156) हज़रत सिला बिन ज़ुफ़र बयान करते हैं कि मैंने हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) के साथ सहरी खाई। फिर हम मस्जिद को चले। हमने फ़ज्र की दो सुन्नतें पढ़ीं, इतने में नमाज़े फ़ज्र की इक़ामत हो गई तो हमने फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी।

(2156) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2464, पिछली हदीस देखें।

باب: (٢١) قَدْرِ مَا بَيْنَ السُّحُورِ وَبَيْنَ صَلاَةِ الصُّبْحِ

बाब : (21) सहरी और फ़ज्र की नमाज़ में कितना फ़ासला होना चाहिए?

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ . قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً .

(2157) हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) से मन्क़ूल है कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सहरी खाई, फिर हम नमाज़ के लिये उठे। हज़रत अनस (ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने पूछा कि दरम्यान में कितना फ़ासला था? उन्होंने फ़रमाया: इतना कि आदमी पचास आयतें पढ़ सके।

(2157) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1097, बुख़ारी, हदीस: 1921.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सुकून के साथ पचास आयात पढ़ने के लिए भी कम से कम दस मिनट ज़रूरी हैं। **(2)** हुस्ने अदब हमा वक़्त इन्सान के पेशे नज़र रहना चाहिए। सहाबा (ﷺ) ने ये नहीं कहा

हमने और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सहरी खाई बल्कि कहा कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सहरी खाई क्योंकि इसमें तबइयत (पैरवी) की तरफ़ इशारा है।

باب: (٢٢) ذِكْرِ اخْتِلاَفِ هِشَامٍ وَسَعِيدٍ عَلَى قَتَادَةَ فِيهِ

बाब : (22) इस रिवायत में क़तादा के शागिर्दों हिशाम और सईद के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र (कि हिशाम ने इसे हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) की रिवायत बताया है जबकि सईद ने हज़रत अनस (ﷺ) की)

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ . قُلْتُ زُعِمَ أَنَّ أَنَسًا الْقَائِلُ مَا كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً .

(2158) हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सहरी खाई, फिर हम नमाज़ के लिये उठे। मैंने कहा .... ख़्याल किया जाता है कि कहने वाले हज़रत अनस (ﷺ) हैं ..... दरम्यान में कितना फ़ासला था? उन्होंने (ज़ैद (ﷺ)) ने फ़रमाया: इतना कि आदमी पचास आयात पढ़ सके।

(2158) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2466.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، رضى الله عنه قَالَ تَسَحَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ثُمَّ قَامَا فَدَخَلاَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ . فَقُلْنَا لأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلاَةِ قَالَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الإِنْسَانُ خَمْسِينَ آيَةً.

(2159) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) और हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) ने (इकट्ठे) सहरी खाई, फिर वह दोनों खड़े हुये और सुबह की नमाज़ पढ़ने लगे। (क़तादा ने कहा:) मैंने हज़रत अनस (ﷺ) से पूछा: सहरी से फ़ारिग़ होने और नमाज़ शुरू करने के दरम्यान कितना फ़ासला था।? उन्होंने फ़रमाया: इतना कि इन्सान पचास आयात पढ़ सके।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 576, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2467, पिछली हदीस देखें।

फ़ायदा : इस रिवायत से मालूम होता है कि साइल हज़रत क़तादा हैं और जवाब देने वाले हज़रत अनस (ﷺ). जबकि पहली दो रिवायात से मालूम होता है कि साइल हज़रत अनस (ﷺ) हैं और जवाब देने वाले हज़रत ज़ैद बिन स़ाबित (ﷺ), मगर बईद नहीं कि दोनों दुरुस्त हों, यानी हज़रत अनस (ﷺ) ने हज़रत ज़ैद बिन स़ाबित (ﷺ) से पूछा और हज़रत अनस (ﷺ) से उनके शागिर्द हज़रत क़तादा (رحمه الله) ने। दोनों वाक़िआत में कोई मुनाफ़ात नहीं। वल्लाहु आलम!

बाब : (23) ताख़ीर सहरी की बाबत हज़रत आयशा (ﷺ) की हदीस़ में सुलैमान बिन मेहरान के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़ और उनके लफ़्ज़ी इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

باب: (٢٣) ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي تَأْخِيرِ السُّحُورِ وَاخْتِلاَفِ أَلْفَاظِهِمْ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فِينَا رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ السُّحُورَ . قَالَتْ أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ قُلْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ . قَالَتْ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ .

(2160) हज़रत अबू अ़तिय्या से रिवायत है कि मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) से अर्ज़ किया: हममें नबी (ﷺ) के दो स़हाबी मौजूद हैं। उनमें से एक रोज़ा जल्दी (आफ़ताब ग़ुरूब होते ही) खोलते हैं और सहरी ताख़ीर से (आख़री वक़्त में) खाते हैं और दूसरे स़हाबी (एहतियातन) इफ़्तार देर से करते हैं और सहरी जल्दी खा लेते हैं। वह फ़रमाने लगीं: इनमें से इफ़्तार अव्वल वक़्त और सहरी आख़री वक़्त करने वाला कौन है? मैंने कहा: हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) का मामूल भी यही था।

तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 6/48, मुस्लिम, हदीस़: 1099, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2468.

फ़ायदा : दूसरे स़हाबी हज़रत अबू मूसा अशअ़री (ﷺ) थे। वह एहतियातन इफ़्तार में देर और सहरी में जल्दी फ़रमाते थे, मगर एहतियात इतनी लम्बी नहीं चाहिए कि मस्नून अ़मल में तब्दीली आ जाये, एहतियात तो चन्द मिनट की होती है, अलबत्ता इस हदीस़ का ये मतलब नहीं कि सूरज ग़ुरूब होने का

यक़ीन किये बग़ैर जल्दी रोज़ा खोल लिया जाये या सुबह की अज़ान के दौरान में भी सहरी खाने की आदत डाल ली जाये क्योंकि इस तरह रोज़ा ज़ाया हो सकता है। कुछ जल्दबाज़ हज़रात ग़लत सलत कैलेण्डरों को देख कर सैकण्डों के हिसाब से रोज़ा खोलते हैं, हालांकि ज़रूरी है कि कैलेण्डर महकम-ए-मौसमियात और रसदगाहों के माहिरीन का तस्दीक़शुदा हो या फिर कैलेण्डर को सूरज देख कर मुसद्दक़ा बना लिया जाये। कैलेण्डरों में दूसरे शहरों के औक़ात में फ़र्क़ यक्सां नहीं होता, जैसे: दिल्ली से मुम्बई का फ़र्क़ किसी कैलेण्डर में कुछ मिनट लिखा होता है और किसी में कुछ लिहाज़ा कैलेण्डर की रू से रोज़ा इफ़्तार करने वाले हज़रात ग़ैर मैयारी कैलेण्डरों से अपना रोज़ा ज़ाया न करें। जब तक ग़ुरूब का यक़ीन न हो, रोज़ा नहीं खोलना चाहिए। यक़ीन से मुराद आँखों से सूरज ऐन उफ़ुक़ में ग़ुरूब होता देखना है, जबकि मत्लअ साफ़ हो। या फिर सबसे आख़री कैलेण्डर पर अमल करना है। इस तरह तीन चार मिनट की ताख़ीर से अव्वल वक़्त इफ़्तार गुज़र नहीं जायेगा। ताख़ीर (जो मकरूह है) से मुराद सितारे नज़र आने का इन्तेज़ार है जो यहूदी करते हैं न कि ग़ुरूब के यक़ीन का इन्तेज़ार। अफ़सोस! कि आज कल तो मुक़ाबले में अज़ानें कही जाती हैं कि जल्दी अज़ान कहो, कहीं फ़ुलां मस्जिद की अज़ान हमसे पहले या हमारे बराबर न हो जाये। इस तरह लोगों के रोज़े ख़राब किये जाते हैं। जो यक़ीनन गुनाह है और जल्दी के शौक़ में किया जाता है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فِينَا رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الْفِطْرَ وَيُعَجِّلُ السُّحُورَ . قَالَتْ أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ قُلْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ . قَالَتْ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ .

(2161) हज़रत अबू अतिया से मन्क़ूल है कि मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) से अर्ज़ किया: हममें दो हज़रात हैं। इनमें से एक इफ़्तारी अव्वल वक़्त और सहरी आख़री वक़्त करते हैं और दूसरे साहिब इफ़्तारी देर से और सहरी जल्दी कर लेते हैं। आपने फ़रमाया: उनमें से इफ़्तारी अव्वल वक़्त और सहरी आख़री वक़्त में कौन करता है? मैंने कहा: हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) इस तरह किया करते थे।

(2161) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2469.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا

(2162) हज़रत अबू अतिया फ़रमाते हैं कि मैं और हज़रत मस्रूक़ दोनों हज़रत आयशा (ﷺ)

حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ، عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِلاَهُمَا لاَ يَأْلُو عَنِ الْخَيْرِ أَحَدُهُمَا يُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ وَالْفِطْرَ وَالآخَرُ يُعَجِّلُ الصَّلاَةَ وَالْفِطْرَ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الصَّلاَةَ وَالْفِطْرَ قَالَ مَسْرُوقٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ هَكَذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

की ख़िदमत में हाज़िर हुये तो हज़रत मस्रूक़ ने उनसे अर्ज़ किया: रसूलुल्लाह (ﷺ) के सहाबा में से दो आदमी हैं उनमें से कोई भी नेकी में कोताही नहीं करता मगर उनमें से एक इफ़्तारी और नमाज़े मग़रिब में ताख़ीर करते हैं और दूसरे साहिब इफ़्तारी और नमाज़े मग़रिब में जल्दी करते हैं। हज़रत आयशा (رضي الله عنها) ने पूछा: इनमें से कौन नमाज़े मग़रिब और इफ़्तारी में जल्दी करते हैं? हज़रत मस्रूक़ ने कहा: हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) इसी तरह किया करते थे।

(2162) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2470.

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ، عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ . فَقَالَتْ أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ قُلْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ . قَالَتْ هَكَذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . وَالآخَرُ أَبُو مُوسَى رضى الله عنهما .

(2163) हज़रत अबू अतिया से मरवी है कि मैं और हज़रत मस्रूक़ हज़रत आयशा (رضي الله عنها) के पास हाज़िर हुये और हमने उनसे कहा: ऐ उम्मुल मोमिनीन! अस्हाबे मुहम्मद (ﷺ) में से दो आदमी हैं। उनमें से एक इफ़्तारी और नमाज़े मग़रिब जल्दी अदा करते हैं और दूसरे इफ़्तारी और नमाज़े मग़रिब में ताख़ीर करते हैं। फ़रमाने लगीं: उनमें से कौन इफ़्तारी और नमाज़े मग़रिब में जल्दी करते हैं? हमने कहा: हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه). उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह(ﷺ) का तर्ज़े अमल यही था। और दूसरे सहाबी हज़रत अबू मूसा अशअरी (رضي الله عنه) थे।

तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2160, मुस्लिम, हदीस: 1099, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2471.

باب: (٢٤) فَضْلِ السُّحُورِ

बाब : (24) सहरी खाने की फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَسَحَّرُ فَقَالَ " إِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ إِيَّاهَا فَلاَ تَدَعُوهُ " .

(2164) एक सहाबी-ए-रसूल (ﷺ) से रिवायत है कि मैं नबी (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ तो आप सहरी तनावुल फ़रमा रहे थे। आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा सहरी बरकत है जो अल्लाह तआला ने तुम्हें अता फ़रमाई है, लिहाज़ा तुम इसे न छोड़ो।

(2164) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/367, 370, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2472.

फ़ायदा : 'तुम्हें अता फ़रमाई है।' यानी ख़ास तुम्हारे लिये रिआयत है, वरना यहूदी और इसाई इस नेमत से महरूम हैं, लिहाज़ा इसे इम्तियाज़ समझ कर इख़्तियार करो, इम्यिाज़ात छोड़े नहीं जाते, इसलिये इसे न छोड़ो। सहरी खाई जाये ताकि यहूदियों और इसाईयों के रोज़े से मुशाबिहत न हो। मजबूरन सहरी छूट जाये तो कोई हर्ज नहीं, जैसे: बेदार न हो सके। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2146)

باب: (٢٥) دَعْوَةِ السُّحُورِ

बाब : (25) सहरी के लिये दावत देना

أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، - بَصْرِيٌّ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَدْعُو إِلَى السَّحُورِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَالَ " هَلُمُّوا إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ " .

(2165) हज़रत इरबाज़ बिन सारिया (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को रमज़ानुल मुबारक में सहरी की दावत देते सुना। आप फ़रमा रहे थे: 'आओ इस मुबारक खाने की तरफ़'

(2165) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 2344, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2473, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 4/214, हदीस: 1937, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 882, इब्ने हिब्बान, हदीस: 881.

बाब : (26) सहरी को ग़दा (सुबह का खाना) कहना

باب: (٢٦) تَسْمِيَةِ السَّحُورِ غَدَاءً

(2166) हज़रत मिक़्दाम बिन मअ़दी करिब(ﷺ) से रिवायत है, नबी-ए-अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया: 'सहरी का खाना खाया करो क्योंकि ये बा'बरकत खाना है।'

(2166) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/132, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2474, पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ أَخْبَرَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " عَلَيْكُمْ بِغَدَاءِ السُّحُورِ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ " .

फ़ायदा : ग़दा उस खाने को कहा जाता है जो दिन के आग़ाज़ में खाया जाता है। रोज़ेदार के लिये चूंकि सहरी ही दिन के खाने के क़ाइम मुक़ाम है, लिहाज़ा इसे हदीसे मुबारका में ग़दा भी कहा गया है, जैसे हम अपनी ज़बान में सहरी को नाश्ता कह लें। (मज़ीद देखिये, हदीस: 2146)

(2167) हज़रत ख़ालिद बिन मअ़्दान (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी से फ़रमाया: 'इस बा'बरकत खाने, यानी सहरी के लिये आओ।'

(2167) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2475.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ " هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ " . يَعْنِي السَّحُورَ .

बाब : (27) हमारे और अहले किताब के रोज़े में फ़र्क़?

باب: (٢٧) فَصْلِ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ

(2168) हज़रत अ़म्र बिन आ़स (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हमारे और अहले किताब के रोज़े के दरम्यान फ़र्क़, सहरी खाना है।'

(2168) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَىٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ

أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السُّحُورِ " .

1096, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2476.

फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस: 2164.

باب: (٢٨) السُّحُورِ بِالسَّوِيقِ وَالتَّمْرِ

बाब : (28) सत्तू और खजूरों के साथ सहरी करना

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَلِكَ عِنْدَ السُّحُورِ " يَا أَنَسُ إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ أَطْعِمْنِي شَيْئًا " . فَأَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ وَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَذَّنَ بِلاَلٌ فَقَالَ " يَا أَنَسُ انْظُرْ رَجُلاً يَأْكُلُ مَعِي " . فَدَعَوْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَجَاءَ فَقَالَ إِنِّي قَدْ شَرِبْتُ شَرْبَةَ سَوِيقٍ وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ " . فَتَسَحَّرَ مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ .

(2169) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सहरी के वक़्त फ़रमाया: 'ऐ अनस! मैं रोज़ा रखना चाहता हूँ, मुझे कुछ खिलाओ।' मैं आपके पास कुछ खजूरें और एक पानी का बर्तन लेकर आया और ये हज़रत बिलाल (ﷺ) के अज़ान (अज़ाने अव्वल) कहने के बाद की बात है, फिर आप फ़रमाने लगे: 'ऐ अनस! कोई आदमी देखो जो मेरे साथ सहरी खाये।' मैं हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) को बुलाया, वह आये और कहने लगे: मैंने कुछ सत्तू पी लिये हैं और मेरा इरादा रोज़ा रखने का है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरा इरादा भी रोज़ा रखने का है।' तो उन्होंने आपके साथ सहरी खाई, फिर आप (ﷺ) उठे, दो रकअतें पढ़ीं और फिर नमाज़ के लिये निकल गये।

(2169) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/197, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2477, देखें, हदीस: 34.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दूसरे मोतबर मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक कुछ शवाहिद की बिना पर क़ाबिले हुज्जत है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अलमौसूआ अल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 20/334, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 20/376, 377, व सहीह सुनन नसाई लिल अल्बानी: 2/108, 109, रक़म: 2166) **(2)** हज़रत बिलाल (ﷺ) तुलूअे फ़ज्र से चन्द मिनट पहले अज़ान कहा करते थे। फ़ज्र की अज़ान

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम (ﷺ) कहते थे जैसा कि दीगर अहादीस़ में स़राहत है, लिहाज़ा ये वहम न किया जाये कि शायद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ज्र की अज़ान के बाद सहरी खाई। इस हदीस़ में दूसरी अज़ान का ज़िक्र नहीं।

باب: (٢٩) تَأْوِيلِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ }

أَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ أَحَدَهُمْ، كَانَ إِذَا نَامَ قَبْلَ أَنْ يَتَعَشَّى لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ شَيْئًا وَلاَ يَشْرَبَ لَيْلَتَهُ وَيَوْمَهُ مِنَ الْغَدِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا } إِلَى { الْخَيْطِ الأَسْوَدِ } قَالَ وَنَزَلَتْ فِي أَبِي قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو أَتَى أَهْلَهُ وَهُوَ صَائِمٌ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ هَلْ مِنْ شَىْءٍ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ مَا عِنْدَنَا شَىْءٌ وَلَكِنْ أَخْرُجُ أَلْتَمِسُ لَكَ عَشَاءً . فَخَرَجَتْ وَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ فَوَجَدَتْهُ نَائِمًا وَأَيْقَظَتْهُ فَلَمْ يَطْعَمْ شَيْئًا وَبَاتَ وَأَصْبَحَ صَائِمًا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ فَغُشِيَ عَلَيْهِ

बाब : (29) अल्लाह तआला के फ़रमान: खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिये फ़ज्र की सफ़ेद धारी स्याह धारी से वाज़ेह (रोशन) हो जाये।' का मतलब

(2170) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) से मन्क़ूल है कि (शुरू शुरू में) मुसलमानों में से कोई शख़्स जब रात को खाना खाने से पहले सो जाता था तो उसके लिये कुछ भी खाना पीना जायज़ न होता था, न उस रात और न अगले दिन यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो जाये। (यही स़ूरते हाल रही) यहाँ तक कि ये आयत उतरी: (व कुलू वश्रबू ......) 'खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिये सुबह की सफ़ेद धारी स्याह धारी से वाज़ेह (रोशन) हो जाये।' ये आयत हज़रत अबू क़ैस बिन अम्र (ﷺ) के बारे में उतरी। वह मग़रिब की नमाज़ के बाद घर वालों के पास आये, उनका रोज़ा था। कहने लगे: कोई खाने की चीज़ है? उनकी बीवी ने कहा: खाने की कोई भी चीज़ नहीं लेकिन मैं जाकर खाना तलाश करती हूँ। वह बाहर चली गईं और वह लेट गये, उन्हें नींद आ गई। वह वापस आई तो उन्हें सोते हुये पाया। उन्हें जगाया लेकिन वह कुछ न खा सके, इसी तरह रात गुज़ारी। अगली सुबह फ़िर रोज़ा था यहाँ तक

وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ هَذِهِ الآيَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ .

कि दोपहर हुई तो वह बेहोश हो गये। और ये इस आयत के उतरने से पहले की बात है तो अल्लाह तआला ने ये आयत उनके बारे में उतारी।

(2170) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1915, 4508, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2478.

फ़ायदा : शुरू में मुसलमान भी अहले किताब की तरह शाम से शाम तक रोज़ा रखते थे, या तो उनकी नक़ल करते हुये या शायद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसा हुक्म दिया हो। जब चन्द लोगों को ऊपर दी गई या इससे मिलती जुलती सूरते हाल पेश आई तो रिआयत कर दी गई और रोज़ा सुबह से शाम तक हो गया। रात को खाना पीना और बीवी से हक़्क़े ज़ौजियत अदा करना जायज़ हो गया।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ‏}‏ قَالَ ‏"‏ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ ‏"‏ ‏.‏

(2171) हज़रत अदी बिन हातिम (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अल्लाह तआला के फ़रमान: (हत्ता यतबय्यना लकुम.......) 'यहाँ तक कि तुम्हारे लिये सफ़ेद धारी स्याह धारी से वाज़ेह हो जाये।' के बारे में पूछा। आपने फ़रमाया: 'इससे रात की स्याही और दिन की सफ़ेदी मुराद है।'

(2171) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4510, मुस्लिम, हदीस: 1090, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2479.

फ़ायदा : लफ़्ज़ ख़ैत के मानी धागा या धारी के हैं मगर यहाँ ज़ाहिर मानी मुराद नहीं जैसा कि हज़रत अदी (رضي الله عنه) समझे, जब उन्होंने पूछा तो आपने वज़ाहत फ़रमा दी कि मतलब ये है कि रात के अन्धेरे से सुबह की रोशनी नज़र आने लगे और फैल जाये। इसे तुलूअे फ़ज्र कहा जाता है।

باب: (٣٠) كَيْفَ الْفَجْرُ

बाब : (30) तुलूअे फ़ज्र कैसे होगा?

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ

(2172) हज़रत इब्ने मसऊद (رضي الله عنه) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाल रात को अज़ान कहते हैं ताकि सोये हुओं को जगायें और

ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا " . وَأَشَارَ بِكَفِّهِ " وَلَكِنِ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا " . وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَتَيْنِ .

जागे हुओं को लौटायें और फ़ज्र इस तरह नहीं होती।' और आपने अपनी हथेली से (ऊपर नीचे) इशारा किया। 'बल्कि फ़ज्र इस तरह होती है।' और आपने अपनी दोनों अंगुश्ते शहादत से दायें बायें इशारा फ़रमाया।

(2172) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 642, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2480.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत बिलाल (ﷺ) की अज़ान, फ़ज्र से कुछ पहले होती थी ताकि लोग जल्दी उठ खड़े हों और बरवक़्त मसरूफ़ियात से फ़ारिग़ होकर जमाअत में मिल सकें क्योंकि ये क़ज़ा-ए-हाजत और गुस्ल वग़ैरह का वक़्त होता है। अगर ऐन तुलूअे फ़ज्र पर उठें तो जमाअत से रह जायेंगे। दूसरी अज़ान ऐन तुलूअे फ़ज्र के बाद होती थी। (बाद में हज़रत उस्मान (ﷺ) ने ग़ालिबन इसी पर क़यास करते हुये जुम्अतुल मुबारक की भी दो अज़ानें जारी फ़रमाईं) **(2)** 'जागे हुओं को लौटायें।' यानी वह नमाज़े तहज्जुद को मुख़्तसर करके कुछ आराम कर लें ताकि फ़ज्र की नमाज़ में सुस्ती लाहिक़ न हो। **(3)** 'फ़ज्र ऐसे नहीं होती' यानी जब सिर्फ़ चन्द शुआएँ नीचे से ऊपर को उठती हूई महसूस हों तो वह फ़ज्र नहीं है। उसे फ़ज्रे काज़िब कहा जाता है। **(4)** 'फ़ज्र ऐसे होती है' यानी जब शुआएँ ज़्यादा हो जायें और उफ़ुक़ पर फैल जायें और उफ़ुक़ वाज़ेह तौर पर रोशन नज़र आने लगे। उसे सुबह सादिक़ कहते हैं। उसी वक़्त हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम (ﷺ) अज़ान कहते थे और उसी अज़ान से नमाज़े फ़ज्र और रोज़े का आग़ाज़ होता था।

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَنْبَأَنَا سَوَادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ، قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا " . يَعْنِي مُعْتَرِضًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَبَسَطَ بِيَدَيْهِ يَمِينًا وَشِمَالاً مَادًّا يَدَيْهِ .

(2173) हज़रत समुरा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाल की अज़ान और इस सफ़ेदी (फ़ज्रे काज़िब) से तुम्हें धोखा न लगे यहाँ तक कि फ़ज्र इस तरह दायें बायें फैल जाये।' अबू दाऊद (रावी) ने कहा: और उस (उस्ताद शोबा) ने अपने दोनों हाथ खोल कर दायें बायें खींच कर फैलाये।

(2173) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1094/42, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2481, मुसनद अत्तयालिसी, हदीस: 897.

फ़ायदा : हज़रत बिलाल (ﷺ) की अज़ान न तो तहज्जुद के लिये थी क्योंकि नफ़ल नमाज़ के लिये अज़ान नहीं और न सहरी के लिये क्योंकि अज़ान नमाज़ के लिये होती है, खाने पीने के लिये नहीं, बल्कि फ़ज्र की नमाज़ के लिये ही होती है लेकिन वक़्त से कुछ पहले, अलबत्ता इस अज़ान से कोई शख़्स तहज्जुद या सहरी का फ़ायदा उठा सकता है, जैसे मग़रिब की अज़ान से इफ़्तारी का फ़ायदा उठा लिया जाता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में अगरचे इन दो अज़ानों के दरम्यान ज़्यादा फ़ासला न होता था मगर चूंकि ये फ़ासला मुक़र्रर नहीं, लिहाज़ा ये ज़्यादा भी हो सकता है।

باب: (٣١) التَّقَدُّمِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَقَدَّمُوا قَبْلَ الشَّهْرِ بِصِيَامٍ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا أَتَى ذَلِكَ الْيَوْمُ عَلَى صِيَامِهِ " .

बाब : (31) माहे रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले रोज़ा रखना

(2174) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'माहे रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले कोई रोज़ा न रखो मगर ये कि कोई शख़्स पहले ख़ास दिन का रोज़ा रखता हो और वह दिन ऐसे मौक़े पर आ जाये।'

(2174) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1914, मुस्लिम, हदीस: 1082, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2482.

फ़ायदा : ये हिदायत शाबान के आख़री दिनों के लिये है ताकि नफ़ल रोज़े फ़र्ज़ रोज़ों से मुत्तसिल न हो जायें (मिल न जायें), इम्तियाज़ रहे और रमज़ानुल मुबारक की अहमियत उजागर हो, और शक वाले दिन (30 शाबान) का रोज़ा न रखा जा सके। 'ख़ास दिन का रोज़ा रखता रहा हो' इसके मुमानिअत के दिन में आ जाने की सूरत ये है कि जैसे: कोई शख़्स हर सोमवार को रोज़ा रखता हो और सोमवार आख़री शाबान को आ जाये जो मश्कूक हो कि 30 शाबान है या यकुम रमज़ान, तो अपनी साबिक़ा आदत के मुताबिक़ उस दिन रोज़ा रख सकता है।

बाब : (32) इस हदीस़ में हज़रत अबू सलमा के दो शागिर्दों यहया बिन अबी कस़ीर और मुहम्मद बिन अ़म्र का इख़्तिलाफ़

باب: (٣٢) ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِي سَلَمَةَ فِيهِ

أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدٌ الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَحَدٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا قَبْلَهُ فَلْيَصُمْهُ "

(2175) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई शख़्स़ रमज़ानुल मुबारक से एक दो दिन पहले रोज़ा न रखे मगर जो शख़्स़ पहले से किसी ख़ास़ दिन का रोज़ा रखता है, वह रख सकता है।'

तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2483, इब्ने माजा, हदीस़: 1650.

फ़ायदा : अबू सलमा के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़ ये है कि यहया बिन अबी कस़ीर ने तो इस हदीस़ को हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की रिवायत बतलाया है जबकि मुहम्मद बिन अ़म्र ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) की। मुहम्मद बिन अ़म्र को ग़लती लगी है। उसकी दलील ये है कि मुहम्मद बिन अ़म्र ने यहया बिन अबी कस़ीर की रिवायत के मुवाफ़िक़ भी रिवायत की हैं देखिये: (ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा: 21/5)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَتَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ يَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ .

(2176) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'माहे रमज़ानुल मुबारक से एक दो दिन पहले रोज़ा न रखो मगर ये कि इत्तेफ़ाक़न वह दिन आ जाये जिसका कोई शख़्स़ पहले से रोज़ा रखने का आदी हो।'

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) ने फ़रमाया: ये ग़लती है।

(2176) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2484.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत में हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) के बजाये हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) का ज़िक्र रावी की ग़लती है। ओर ये बात दुरुस्त है।

बाब : (33) इस बारे में अबू सलमा की हदीस़ का बयान

باب: (٣٣) ذِكْرِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي ذَلِكَ

(2177) अबू सलमा कहते हैं कि हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को पे दर पे दो माह के रोज़े रखते नहीं देखा, अलबत्ता आप शाबान (के रोज़ों) को रमज़ानुल मुबारक (के रोज़ों) से मिला लेते थे।

أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ .

(2177) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 736, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2485.

फ़ायदा : ज़ाहिरन इस रिवायत से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मुकम्मल शाबान के रोज़े रखते थे मगर ये दुरुस्त नहीं बल्कि आप आख़िर से चन्द दिन नाग़ा फ़रमा लेते थे। इस बात की स़राहत आगे हदीस़ नम्बर 2179 और 2180 में आ रही है। चूंकि अक्स़र दिनों के रोज़े रखते थे, लिहाज़ा कह दिया गया कि सारा महीना रोज़े रखते थे। लिल अक्स़रि हुक्मुलकुल्लि उर्फ़न कलाम में ऐसे आम हो जाता है।

बाब : (34) इस रिवायत में मुहम्मद बिन इब्राहीम के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़ (कि कुछ ने इसे हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब किया है और कुछ ने हज़रत आयशा (ﷺ) की तरफ़)

باب: (٣٤) الاِخْتِلاَفِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ فِيهِ

(2178) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) शाबान (के रोज़ों) को रमज़ानुल मुबारक (के रोज़ों) के साथ मिला लेते थे।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ .

(2178) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 2336, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2486.

(2179) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने हज़रत आयशा (ﷺ) से रसूलुल्लाह (ﷺ) के (नफ़ल) रोज़ों के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) कभी (नफ़ल) रोज़े रखते यहाँ तक कि हम कहते थे: आप नाग़ा नहीं करेंगे। और कभी छोड़े रहते यहाँ तक कि हम कहते: आप रोज़े नहीं रखेंगे। आप सारा शाबान या अक्सर शाबान रोज़े रखते थे।

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ أَوْ عَامَّةَ شَعْبَانَ .

(2179) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2487, इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2133, मुसनद अहमद: 6/268, बुख़ारी, हदीस: 1969, मुस्लिम, हदीस: 1156.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नफ़ल रोज़ों के लिये कोई ज़ाब्ता मुक़र्रर नहीं बल्कि ये इन्सान के नशात पर मौक़ूफ़ है जब जी चाहे रखे और जितने चाहे रखे और जब सुस्ती महसूस करे तो न रखे और जब तक चाहे नाग़ा करे। (मज़ीद देखिये, हदीस: 2359) **(2)** शाबान में ज़्यादा रोज़े रखने की वजह रमज़ानुल मुबारक की क़ुर्बत हो सकती है। गोया रमज़ानुल मुबारक का पड़ोसी होने के लिहाज़ से शाबान को भी ख़ुसूसी फ़ज़ीलत हासिल हो गई। अम्बिया व सालिहीन का जवार भी अज़ीम फ़ज़ीलत का सबब है, दुनिया में हो, आख़िरत में या क़ब्र में। **(3)** 'सारा शाबान' इसकी तफ़्सील के लिये देखिये: (हदीस: 2177)

(2180) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि हम अज़्वाजे मुतह्हरात में से किसी एक को रमज़ानुल मुबारक के कुछ रोज़े (हैज़ की बिना पर) छोड़ने पड़ते थे, वह उनकी क़ज़ा नहीं दे सकती थी यहाँ तक कि माहे शाबान आ जाता। रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी महीने में इतने रोज़े न रखते थे जितने शाबान में रखते थे, सिर्फ़ चन्द दिन छोड़ कर बाक़ी रोज़े रखते थे बल्कि (यूँ कह

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ الْهَادِ، حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَ حَتَّى يَدْخُلَ شَعْبَانُ وَمَا كَانَ رَسُولُ

اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا يَصُومُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ إِلاَّ قَلِيلاً بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ .

लीजिये कि) सारा महीना ही रोज़े रखते थे।

(2180) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1146/152, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2488.

फ़ायदा : 'क़ज़ा नहीं दे सकती थी' इस ख़तरे की बिना पर कि ऐसा न हो रसूलुल्लाह (ﷺ) को हमारी ज़रूरत महसूस हो और हम रोज़े से हों क्योंकि आप हर रोज़ अस्र के बाद या किसी और वक़्त में सब अज़्वाजे मुतह्हरात (رضی اللہ عنہن) के घरों में जाते थे। बारी का ताल्लुक़ तो सिर्फ़ रात की हद तक था दिन को आप किसी घर में भी जा सकते थे।

بَاب: (٣٥) ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِيهِ

बाब : (35) हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) की हदीस में रावियों के इख़्तिलाफ़ का बयान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَخْبِرِينِي عَنْ صِيَامِ، رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ .

(2181) हज़रत अबू सलमा बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) से अर्ज़ किया कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के (नफ़ल) रोज़ों के बारे में बताइये। फ़रमाने लगीं: आप (कभी तो इस क़द्र) रोज़े रखते थे कि हम कहते थे: अब रोज़े ही रखते रहेंगे। कभी इतने नाग़े फ़रमाते कि हम कहते कि अब छोड़ ही दिये हैं। और आप शाबान से ज़्यादा किसी महीने में (नफ़ली) रोज़े न रखते थे। सिर्फ़ चन्द दिन छोड़ कर पूरा शाबान रोज़े रखते थे, (यूँ कह लीजिये कि) सारा शाबान ही रोज़े रखते थे।

(2181) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1156/176, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2489.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ

(2182) हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) फ़रमाती हैं कि: रसूलुल्लाह (ﷺ) साल के किसी महीने में शाबान

أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ .

से ज़्यादा (नफ़ल) रोज़े न रखते थे। (यूँ समझिये कि) पूरा शाबान ही रोज़े रखते थे।

(2182) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 782, हदीस: 1156, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 1970, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2490.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَعْبَانَ .

(2183) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) शाबान में (बहुत ज़्यादा) रोज़े रखते थे।

(2183) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2491.

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لاَ أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلاَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ وَلاَ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ .

(2184) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मैं तो नहीं जानती कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कभी एक रात में मुकम्मल क़ुर्आन मजीद पढ़ा हो या किसी रात (शुरू से आख़िर तक) मुसल्सल नमाज़ पढ़ते रहे हों या रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी महीने के मुकम्मल रोज़े रखे हों।

(2184) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1642, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2492.

फ़ायदा : सही तरीक़ा और सुन्नत भी यही है क्योंकि इबादत के साथ साथ अपने जिस्म और दीगर मुताल्लिक़ात का ख़्याल रखना भी ज़रूरी है। फ़राइज़ की मुकम्मल पाबन्दी और नवाफ़िल में सहूलत और नशात और दूसरे फ़राइज़ का लिहाज़ रखना ही सही दीन है। नफ़ली इबादत में ऐतदाल इन्तेहाई ज़रूरी है। अल्लाह तआला ने फ़राइज़ में भी ऐतदाल रखा है। इन्तेहा पसन्दी नुक़सानदेह है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي يُوسُفَ الصَّيْدَلاَنِيُّ، - حَرَّانِيٌّ - قَالَ حَدَّثَنَا

(2185) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ से मन्क़ूल है कि मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) से रसूलुल्लाह (ﷺ) के (नफ़ल) रोज़ों के बारे में

مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ سَأَلْتُهَا عَنْ صِيَامِ، رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ وَلَمْ يَصُمْ شَهْرًا تَامًّا مُنْذُ أَتَى الْمَدِينَةَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَمَضَانُ .

पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) रोज़े रखने लगते तो हम कहते कि रखते ही रहेंगे और छोड़ते तो हम कहते: छोड़े ही रहेंगे। और आपने मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ आवरी के बाद रमज़ानुल मुबारक के अलावा कभी मुसल्सल एक महीना रोज़े नहीं रखे।

(2185) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1156/174, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2493.

फ़ायदा : 'मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ आवरी के बाद' क्योंकि हज़रत आयशा (رضي الله عنها) को उसके बाद के बारे में ही इल्म है, वरना ये मतलब नहीं कि मदीना मुनव्वरा आने से पहले आप मुसल्सल रोज़े रखते थे बल्कि पहले भी आपकी आदते मुबारका यही थी।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلاَةَ الضُّحَى قَالَتْ لاَ إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ . قُلْتُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ قَالَتْ لاَ مَا عَلِمْتُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلاَّ رَمَضَانَ وَلاَ أَفْطَرَ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ .

(2186) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से अर्ज़ किया: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ुहा की नमाज़ पढ़ा करते थे? उन्होंने फ़रमाया: नहीं, मगर ये कि आप सफ़र से वापस तशरीफ़ लायें। मैंने कहा: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी महीने के मुकम्मल रोज़े रखते थे? फ़रमाया: नहीं। मेरे इल्म के मुताबिक़ आपने किसी महीने के मुकम्मल रोज़े नहीं रखे अलावा रमज़ानुल मुबारक के और न किसी महीने के तमाम दिनों का नाग़ा किया बल्कि कुछ न कुछ ज़रूर रोज़े रखते थे यहाँ तक कि फ़ौत हो गये।

(2186) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 717, हदीस: 1156/173, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2494.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، عَنْ يَزِيدَ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلاَةَ الضُّحَى قَالَتْ لاَ إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ . قُلْتُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُ صَوْمٌ مَعْلُومٌ سِوَى رَمَضَانَ قَالَتْ وَاللَّهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ وَلاَ أَفْطَرَ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ

(2187) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ से रिवायत है कि मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) से पूछा: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ुहा की नमाज़ पढ़ा करते थे? उन्होंने फ़रमाया: नहीं मगर ये कि आप किसी सफ़र से वापस तशरीफ़ लायें। मैंने अर्ज़ किया: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी मुअय्यन महीने के रोज़े रखते थे? उन्होंने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! आपने रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी मुअय्यन महीने के रोज़े नहीं रखे यहाँ तक कि अल्लाह तआला को प्यारे हो गये और न आपने किसी महीने के मुकम्मल रोज़े छोड़े, बल्कि कुछ न कुछ रोज़े रखते थे।

(2187) तख़रीज : (सनद सहीह) मुस्लिम, हदीस: 1156/172, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2495.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'सफ़र से वापस तशरीफ़ लायें' रसूलुल्लाह (ﷺ) उमूमन दिन चढ़े मदीना मुनव्वरा में दाख़िल, होते थे और सबसे पहले मस्जिद में तशरीफ़ लाते और दो रकअत पढ़ते थे, चाहे उसे नमाज़े ज़ुहा कह लें (वक़्त की रिआयत से) या तहिय्यतुल मस्जिद (मौक़े की मुनासिबत से) (2) हज़रत आयशा (ﷺ) के जवाब से मालूम होता है कि नबी (ﷺ) नमाज़े ज़ुहा नहीं पढ़ते थे, लेकिन ये जवाब उनके अपने इल्म के मुताबिक़ है। जिन लोगों ने आपको नमाज़े ज़ुहा पढ़ते देखा, उन्होंने इसको साबित किया है, लिहाज़ा उनकी बात का ऐतबार किया जायेगा। वैसे भी नमाज़े ज़ुहा की फ़ज़ीलत मुतअद्दिद (कई) क़ौली अहादीस से साबित है, इसलिये नमाज़े ज़ुहा के इस्तेहबाब में कोई शक नहीं। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1176-1178, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 720-722) न पढ़ने से इस्तेहबाब की नफ़ी नहीं होती। इस मसले की मज़ीद तफ़सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 21/23-26)

बाब : (36) इस हदीस़ में ख़ालिद बिन मअ़्दान के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

باب: (٣٦) ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

वज़ाहत : इस हदीस़ में ख़ालिद बिन मअ़्दान के शागिर्द बहीर ने उनके उस्ताद का नाम जुबैर बिन नुफ़ैर बताया है जबकि उनके दूसरे शागिर्द स़ौर ने उनके उस्ताद का नाम रबीआ़ जरशी कहा है।

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بَقِيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيرٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الصِّيَامِ، فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَيَتَحَرَّى صِيَامَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ.

(2188) हज़रत जुबैर बिन नुफ़ैर से मन्क़ूल है कि एक आदमी ने हज़रत आ़यशा (ﷺ) से (नफ़्ल) रोज़ों के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) शाबान के (तक़रीबन) सभी रोज़े रखते थे और सोमवार और जुमेरात का रोज़ा क़सदन रखा करते थे।

(2188) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 6/89, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2496.

फ़ायदा : एक और रिवायत में सोमवार और जुमेरात के रोज़े की वजह नबी (ﷺ) ने ये बयान फ़रमाई है कि इन दो दिनों में बन्दों के आ़माल अल्लाह तआ़ला के सामने पेश होते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे आ़माल पेश हों तो मैं रोज़े से होऊँ। देखिये: (जामेअ़ तिर्मिज़ी, हदीस़: 848)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَيَتَحَرَّى الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ .

(2189) हज़रत आ़यशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) शाबान और रमज़ानुल मुबारक के मुकम्मल रोज़े रखते थे और सोमवार और जुमेरात का रोज़ा क़सदन रखते थे।

(2189) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 745, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2497.

बाब : (37)
शक वाले दिन का रोज़ा रखना

باب: (٣٧) صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ كُلُوا . فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم .

(2190) हज़रत स़िला से मरवी है कि हम हज़रत अ़म्मार (ﷺ) के पास थे तो उनके पास भुनी हूई (सालिम) मुर्ग़ी लाई गई। उन्होंने (हाज़िरीन से) फ़रमाया: खाओ। लेकिन कुछ लोग एक तरफ़ हो गये और कहने लगे: हमारा रोज़ा है। हज़रत अ़म्मार(ﷺ) ने फ़रमाया: जिसने शक वाले दिन का रोज़ा रखा उसने हज़रत अबुल क़ासिम (ﷺ) की नाफ़रमानी की।

(2190) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 686, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2498, इब्ने ख़ुज़ैमा, व इब्ने हिब्बान.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िके किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इसे शवाहिद की बिना पर स़ही क़रार दिया है, मुहक़्क़िक़ीन की बहस़ से राजेह बात यही मालूम होती है कि मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद दीगर शवाहिद की बिना पर क़ाबिले अ़मल हो जाती है। वल्लाहु आ़लम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा शरह सुनन नसाई: 21/31-38) **(2)** 'शक वाले दिन' से मुराद शाबान की तीस तारीख़ है क्योंकि इस दिन इम्कान होता है कि शायद रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख़ हो। कुछ लोग इस दिन चाँद नज़र आये बग़ैर एहतियातन रोज़ा रख लेते हैं कि शायद चाँद तुलूअ़ हो गया हो, मगर ये एहतियात शरीयते हक़्क़ा की नाफ़रमानी है। (मज़ीद देखिये: हदीस़: 2118-2127) **(3)** 'अबुल क़ासिम' रसूलुल्लाह (ﷺ) की कुनियत है। कभी कभार स़हाब-ए-किराम (ﷺ) आपको नाम के बजाये इस कुनियत से पुकारते थे। उ़मूमन रसूलुल्लाह और नबी अल्लाह (ﷺ) वग़ैरह जलीलुल क़द्र अल्फ़ाज़ से याद करते थे। **(4)** 'उसने अबुल क़ासिम (ﷺ) की नाफ़रमानी की' जिस रिवायत में स़हाबी इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ कहे वह हुक्मन मरफ़ूअ़ होती है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ،

(2191) हज़रत सिमाक से रिवायत है कि मैं हज़रत इक्रिमा के पास ऐसे दिन गया जिसके बारे

عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي يَوْمٍ قَدْ أُشْكِلَ مِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَمْ مِنْ شَعْبَانَ وَهُوَ يَأْكُلُ خُبْزًا وَبَقْلاً وَلَبَنًا فَقَالَ لِي هَلُمَّ . فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ وَحَلَفَ بِاللَّهِ لَتُفْطِرَنَّ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ يَحْلِفُ لاَ يَسْتَثْنِي تَقَدَّمْتُ قُلْتُ هَاتِ الآنَ مَا عِنْدَكَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ أَوْ ظُلْمَةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ شَعْبَانَ وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالاً وَلاَ تَصِلُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ " .

में शक था कि ये शाबान का दिन है या रमज़ानुल मुबारक का? आप रोटी, सब्ज़ी और दूध तनावुल फ़रमा रहे थे। मुझे कहने लगे: आओ (खाना खाओ) मैंने कहा: मेरा तो रोज़ा है। उन्होंने अल्लाह की क़सम खा कर कहा कि तुझे ज़रूर रोज़ा छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा: सुब्हानल्लाह! दो दफ़ा (मैंने ऐसा कहा) जब मैंने देखा कि वह इन्शाअल्लाह पढ़े बग़ैर क़सम खा रहे हैं तो मैं आगे बढ़ा और अ़र्ज़ किया: लाइये! जो आपके पास है (खाना या दलील) उन्होंने कहा: मैंने इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से सुना, वह बयान कर रहे थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चाँद देख कर रोज़े शुरू करो और चाँद देख कर रोज़े रखने बन्द करो। अगर बादल रुकावट बन जाये या अंधेरा छा जाये (और चाँद नज़र न आये) तो शाबान के तीस दिन पूरे करो। और रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से पहले रोज़ा न रखो और रमज़ानुल मुबारक को शाबान के दिन से (रोज़ा रख कर) न मिलाओ।'

(2191) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2131, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2499.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'लाइये जो आपके पास है' ज़्यादा दुरुस्त ये है कि जब उन्होंने हज़रत इक्रिमा को इतने जज़्म व यक़ीन से क़सम खाते देखा तो वह खाना खाने पर आमादा हो गये क्योंकि उन्हें यक़ीन हो गया कि आज वाक़ियतन रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं, इसलिये कहा: लाइये खाना। दूसरे मानी भी मुराद हो सकते हैं कि आप जो इस क़द्र पुख़्ता और ताकीदी क़सम खा रहे हैं, कोई दलील भी दीजिये। वल्लाहु आलम! **(2)** शाबान की तीस तारीख़ को शक न भी हो, तब भी रोज़ा रखना मना है। इसी तरह उन्तीस तारीख़ को भी मना है क्योंकि इस तरह रमज़ान और शाबान के रोज़े मिल जायेंगे जबकि आपने मना फ़रमाया है। मगर ये कि किसी शख़्स़ को किसी मख़्सूस दिन, जैसे: सोमवार या जुमेरात को रोज़ा रखने की आ़दत हो और वह दिन इस तारीख़ को आ जाये जैसा कि पीछे गुज़रा है।

باب: (٣٨) التَّسْهِيلِ فِي صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ " أَلاَ لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ " .

बाब : (38)
शक वाले दिन (एक ख़ास हालत में) रोज़ा रखने की रुख़सत

(2192) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाया करते थे: 'ख़बरदार! रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से एक दो दिन पहले रोज़ा न रखो, हाँ वह शख़्स जो पहले से इस दिन का रोज़ा रखता था, वह रख ले।'

(2192) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2174, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2500.

باب: (٣٩) ثَوَابِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ وَصَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَالاِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي الْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

बाब : (39) जो शख़्स रमज़ानुल मुबारक में ईमान और सवाब के मद्दे नज़र सियाम व क़याम करे, उसे क्या सवाब मिलेगा? और इसकी बाबत वारिद हदीस में ज़ोहरी के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़

(2193) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स ईमान की हालत में और सवाब की नियत से रमज़ानुल मुबारक (की रातों) में नफ़ल इबादत करे (तरावीह पढ़े) उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।'

(2193) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2501.

(2194) नबी (ﷺ) की ज़ोज-ए-मोहतरमा आयशा (ؓ) बयान करती हैं कि: बिलाशुब्हा रसूलुललाह (ﷺ) लोगों को रमज़ानुल मुबारक (की रातों) में नफ़ल नमाज़ (तरावीह) की तर्ग़ीब दिया करते थे, बग़ैर इसके कि उन्हें क़तई हुक्म दें। आप फ़रमाते थे: 'जो शख़्स ईमान की हालत में और सवाब की नियत से रमज़ानुल मुबारक (की रातों) में नफ़ल नमाज़ (तरावीह) पढ़ेगा, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُرَغِّبُ النَّاسَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةِ أَمْرٍ فِيهِ فَيَقُولُ " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "

(2194) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 924, मुस्लिम, हदीस: 761, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2502.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ईमान और सवाब' यानी रोज़ा रखने की बुनियाद ईमान हो न कि लोगों की देखा देखी या एक रस्म की पाबन्दी या सेहत का हुसूल। और नियत सवाब हासिल करने की हो और अल्लाह तआला की इताअत मक़सूद हो, तारीफ़ का हुसूल और लोगों की मज़म्मत से बचाव मक़सूद न हो। **(2)** 'पहले सब गुनाह' बशर्ते कि वह क़ाबिले माफ़ी हों, यानी हुक़ूक़ुल इबाद से मुताल्लिक़ न हों और शिर्क वग़ैरह न हो। वल्लाहु आलम! **(3)** इमाम ज़ोहरी (رحمه الله) के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़ ये है कि आया ये हदीस मुर्सल है या मुत्तसिल? हज़रत आयशा (ؓ) की रिवायत से है या हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) की रिवायत से? फिर ज़ोहरी के उस्ताद कौन हैं? सईद बिन मुसय्यब या उर्वा या अबू सलमा? मुमकिन है तीनों हों। बहरकैफ़ इससे सेहते हदीस मुतास्सिर नहीं होती।

(2195) हज़रत आयशा (ؓ) फ़रमाती हैं कि: (एक दफ़ा) रसूलुल्लाह (ﷺ) आधी रात को घर से निकल कर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने लगे और लोगों को (नफ़ल) नमाज़ पढ़ाई। और रावी ने पूरी हदीस बयान की। इस हदीस में ये अल्फ़ाज़ भी हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) लोगों को क़यामे रमज़ान की तर्ग़ीब दिलाया करते थे, बग़ैर इसके

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ

وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَتْ فَكَانَ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ وَيَقُولُ " مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " . قَالَ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ .

कि उनको इसका क़तई हुक्म दें। और फ़रमाते थे: 'जो शख़्स लैलतुल क़द्र में ईमान की बुनियाद पर और सवाब की नियत से नफ़ल इबादत करेगा, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।' रावी ने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ौत हुये तो सूरते हाल यही थी (कि लोग उमूमन नफ़ल नमाज़ अकेले अकेले पढ़ते थे। कोई इमाम मुक़र्रर न था।)

(2195) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 761/178, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2503,

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي رَمَضَانَ " مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

(2196) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को रमज़ानुल मुबारक के बारे में फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स ईमान की बिना पर और सवाब के हुसूल की नियत से इस (रमज़ानुल मुबारक) का क़याम करेगा, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।'

(2196) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2504, बुख़ारी, हदीस: 2008, 2014, मुस्लिम, हदीस: 759/174.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ وَكَانَ

(2197) हज़रत आयशा (ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (रमज़ानुल मुबारक के दौरान में) आधी रात को घर से निकल कर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने लगे। और (रावी ने) पूरी हदीस बयान की, इसमें ये भी कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) लोगों को क़यामे रमज़ान की तर्ग़ीब दिलाया करते थे, बग़ैर इसके कि आप उनको इसका क़तई हुक्म दें। आप फ़रमाते थे: 'जो शख़्स ईमान की बुनियाद

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةِ أَمْرٍ فِيهِ فَيَقُولُ " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "

पर और स़वाब की नियत से रमज़ानुल मुबारक की रातों में नफ़ल नमाज़ पढ़ेगा, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।

(2197) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2195, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2505.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِرَمَضَانَ " مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

(2198) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को रमज़ानुल मुबारक के बारे में फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स़ ईमान की बिना पर और स़वाब की नियत से इसकी रातों का क़याम करेगा (यानी तरावीह पढ़ेगा) उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।'

(2198) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2196, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2506.

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

(2199) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ ईमान के साथ और स़वाब हास़िल करने के लिये क़यामे रमज़ान करेगा, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।'

(2199) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2196, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2507.

أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ قَالَ "

(2200) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) क़यामे रमज़ान में रग़बत दिलाया करते थे, बग़ैर इसके कि उनको इसका क़तई हुक्म दें। आपने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ ईमान की हालत में और स़वाब हास़िल करने के लिये रमज़ानुल मुबारक (की रातों) में क़याम करेगा,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

उसके सब पहले गुनाह माफ़ हो जायेंगे।'

(2200) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2196, मुस्लिम: 759/174, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2508.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

(2201) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने ईमान के जज़्बे से और हुसूले सवाब की नियत से रमज़ानुल मुबारक (की रातों) में नफ़ल नमाज़ (तरावीह) पढ़ी, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।'

(2201) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1603, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 1295, 2509.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

(2202) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स ईमान की हालत में और सवाब हासिल करने की ग़र्ज़ से रमज़ानुल मुबारक का क़याम करेगा, उसके साबिक़ा तमाम गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।'

(2202) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2510.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

(2203) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने ईमान की वजह से और सवाब की ख़ातिर क़यामे रमज़ान किया, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।'

(2203) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2511.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ " . وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

(2204) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे और क़याम किया, ईमान की बिना पर और सवाब की नियत से, तो उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। और जिस शख़्स ने ईमान व एहतिसाब के साथ लैलतुल क़द्र का क़याम किया, उसके भी सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।'

(2204) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2014, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2512.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

(2205) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स ईमान की वजह से और सवाब हासिल करने के लिये रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।'

(2205) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2512.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

(2206) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने ईमान की हालत में और हुसूले सवाब की ख़ातिर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।'

(2206) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2514.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

(2207) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो आदमी ईमान व एहतिसाब के साथ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखेगा तो उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।'

(2207) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 38, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2515.

باب: (٤٠) ذِكْرِ اخْتِلاَفِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَالنَّضْرِ بْنِ شَيْبَانَ فِيهِ

बाब : (40) इस रिवायत में यहया बिन अबी कसीर और नज़्र बिन शैबान के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الأَشْعَثِ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالُوا حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

(2208) हज़रत अबू सलमा कहते हैं कि मुझसे हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स ईमान के जज़्बे से और सवाब की नियत से रमज़ानुल मुबारक (की रातों) का क़याम करे, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। और जो शख़्स ईमान के जज़्बे से और सवाब की नियत से लैलतुल क़द्र का क़याम करे, उसके भी सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।'

(2208) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1901, मुस्लिम, हदीस: 760, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2516.

أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ، أَنْبَأَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي

(2209) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स ईमान व एहतिसाब के साथ रमज़ानुल मुबारक का

كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "

क़याम करेगा, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। और जो शख़्स ईमान व एहतिसाब के साथ लैलतुल क़द्र का क़याम करेगा, उसके भी सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।'

(2209) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2517.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ، أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَهُ حَدِّثْنِي بِأَفْضَلِ، شَىْءٍ سَمِعْتَهُ يُذْكَرُ، فِي شَهْرِ رَمَضَانَ . فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَفَضَّلَهُ عَلَى الشُّهُورِ وَقَالَ " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

(2210) हज़रत नज़्र बिन शैबान हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान को मिले और अर्ज़ किया: मुझे सबसे अफ़ज़ल हदीस बयान कीजिये जो आपने अपने वालिदे मोहतरम से रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत के बारे में सुनी हो। उन्होंने फ़रमाया: मुझसे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़(ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रमज़ानुल मुबारक का ज़िक्र फ़रमाया और उसे दूसरे तमाम महीनों पर फ़ज़ीलत दी और फ़रमाया: ' जो शख़्स ईमान की बिना पर और सवाब की नियत से रमज़ानुल मुबारक (की रातों) में क़याम करे, वह अपने गुनाहों से इस तरह साफ़ हो जाता है जिस तरह वह उस दिन था जिस दिन उसकी वालिदा ने उसे जन्म दिया था।'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं: ये ग़लत है। (यानी अब्दुर्रहमान बिन औफ़ का ज़िक्र) दुरुस्त अबू सलमा अन अबी हुरैरह है।

(2210) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 1328, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2518.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) बयान करते हैं कि इस हदीस में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ का ज़िक्र सही नहीं है। उनके बजाये हज़रत अबू हुरैरह का ज़िक्र दुरुस्त है। बाब का भी यही मक़सद था कि

यहया बिन अबी कसीर और नज़्र बिन शैबान का इख़्तिलाफ़ वाज़ेह हो, यहया बिन अबी कसीर ने तो इस रिवायत को हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की रिवायत बतलाया है जबकि नज़्र ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की। इमाम नसाई (رحمه الله) ने नज़्र की बात को ग़लत जबकि यहया बिन अबी कसीर की बात को दुरुस्त क़रार दिया है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ " مَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا " .

(2211) हज़रत अबू सलमा से इसी तरह की रिवायत आती है जिसमें ये लफ़्ज़ हैं: 'जिस शख़्स ने ईमान व एहतिसाब के साथ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे और (रातों का) क़याम किया ..... अलख़'

(2211) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2519.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ قُلْتُ لأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِّثْنِي بِشَىْءٍ، سَمِعْتَهُ مِنْ، أَبِيكَ سَمِعَهُ أَبُوكَ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ بَيْنَ أَبِيكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ . قَالَ نَعَمْ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " .

(2212) हज़रत नज़्र बिन शैबान ने कहा: मैंने हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से कहा: मुझे कोई ऐसी हदीस बयान कीजिये जो आपने अपने वालिदे मोहतरम से सुनी हो और आपके वालिद ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से रमज़ानुल मुबारक के बारे में बिला वास्ता सुनी हो। उन्होंने कहा: हाँ मुझे वालिदे मोहतरम ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ने तुम पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना फ़र्ज़ किया है और मैंने तुम्हारे लिये इस (की रातों) का क़याम मस्नून किया है, लिहाज़ा जो शख़्स ईमान रखते हुये और सवाब की नियत से इस माहे मुक़द्दस में सियाम व क़याम करेगा, वह गुनाहों से इस तरह पाक हो जायेगा जिस तरह उसे उसकी माँ ने गुनाहों से पाक जना था।'

(2212) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2520.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा तीनों रिवायात (2210-2212) ज़ईफ़ हैं, इसलिये कि रमज़ान के रोज़ों और क़याम की फ़ज़ीलत तो स़ही रिवायात से स़ाबित है लेकिन आख़री हिस्सा 'पाक जनने वाला' स़ही नहीं है। **(2)** रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फ़र्ज़ीयत तो मुत्तफ़क़ा मसला है, अलबत्ता रातों का क़याम नफ़ल है, लेकिन ये नफ़ल मुअक्क़द (ताकीदी) हैं। चूंकि ये नवाफ़िल रमज़ानुल मुबारक की ख़ुसूसियत हैं, लिहाज़ा उन्हें तर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि इम्तियाज़ात की पाबन्दी मुअक्क़द होती है, अलबत्ता आपके दौर में रमज़ान के नफ़लों में फ़र्ज़ीयत के डर से मुस्तक़िल जमाअत से इज्तेनाब किया गया, सिर्फ़ तीन दिन आपने जमाअत करवाई। वैसे लोग टोलियों की सूरत में आपके दौर में भी पढ़ा करते थे। जब फ़र्ज़ीयत का ख़तरा न रहा तो हज़रत उमर (رضی اللہ عنہ) ने बा'क़ायदा जमाअत का दोबारा आग़ाज़ फ़रमा दिया, लिहाज़ा अब यही सुन्नत है क्योंकि ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना भी ज़रूरी है, और इस पर स़हाबा और माबाद अदवार का (बाद के लोगों/उमते मुस्लिमा का) इज्मा है, लिहाज़ा किसी मस्जिद को तरावीह की जमाअत से महरूम नहीं रखना चाहिए, अलबत्ता अगर कोई हाफ़िज़ क़ारी जमाअत से अलग पढ़ना चाहे तो वह अलग भी पढ़ सकता है। इशा के फ़ौरन बाद पढ़े या तहज्जुद के वक़्त। हाँ जमाअत इशा के बाद ही होगी। मस्नून नमाज़े तरावीह ग्यारह रकआत है क्योंकि जिन दिनों आपने जमाअत करवाई थी, ग्यारह रकअत ही पढ़ाई थीं, और रमज़ान और ग़ैर रमज़ान आप (ﷺ) इतनी ही नमाज़ पढ़ते थे। नबी-ए-अकरम (ﷺ) या किसी स़हाबी से नमाज़े तरावीह किसी स़ही हदीस़ या अस़र से ग्यारह रकआत से ज़्यादा स़ाबित नहीं, इसलिये इस पर इक्तेफ़ा मस्नून व मशरूअ है। जिन स़हाब-ए-किराम (رضی اللہ عنہم) के आस़ार की रोशनी में ग्यारह से ज़्यादा नवाफ़िल (नमाज़े तरावीह) का दावा किया जाता है, वह सब ज़ईफ़ और मुहद्दिस़ीन के यहाँ नाक़ाबिले ऐतबार हैं। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (स़लातुत तरावीह लिल अल्बानी)

बाब : (41)
रोज़े की फ़ज़ीलत और हज़रत अली बिन अबी तालिब की हदीस़ में अबू इस्हाक़ के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़

بَاب: (٤١) فَضْلِ الصِّيَامِ وَالِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي ذَلِكَ

वज़ाहत : आइन्दा दो अहादीस़ की असानीद देखने से इख़्तिलाफ़ वाज़ेह हो जाता है कि हज़रत अबू इस्हाक़ के एक शागिर्द ने इसे हज़रत अली (رضی اللہ عنہ) की रिवायत क़रार दिया है जबकि दूसरे शागिर्द शोबा

ने इसे हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब किया है। मालूम होता है कि इमाम नसाई (ﷺ) इसे हज़रत अ़ली (ﷺ) की रिवायत सही समझते हैं। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ حِينَ يُفْطِرُ وَحِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " .

(2213) हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है: बिलाशुब्हा रोज़ा मेरे लिये है और मैं ही इसका बदला दूँगा। रोज़ेदार के लिये दो वक़्त ख़ुशी के हैं: जब वह रोज़ा खोलता है और जब अपने रब को मिलेगा। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह तआ़ला के नज़दीक कस्तूरी से भी ज़्यादा अच्छी है।'

(2213) तख़रीज : (सनद सही) बज़्ज़ार फ़िल बहरिज़्ज़ख़्ख़ार: 3/129, हदीस: 915, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2521, देखें, हदीस: 2215, 2216.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'रोज़ा मेरे लिये है' सब इबादत ही अल्लाह तआ़ला के लिये होती हैं मगर रोज़े की तख़्सीस की वजह ग़ालिबन ये है कि रोज़े में रियाकारी मुमकिन नहीं क्योंकि इसकी कोई ज़ाहिर अ़लामत नहीं जिसे कोई देख सके रोज़े के अ़लावा बाक़ी तमाम इबादात में लोगों की तरफ़ से तारीफ़ मुमकिन है, जैसे: नमाज़ और हज वग़ैरह क्योंकि ये इबादात लोगों को नज़र आती हैं जबकि रोज़ा सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही के इल्म में होता है। **(2)** 'मैं ही इसका बदला दूँगा।' यानी कोई दूसरा इसका बदला नहीं दे सकता क्योंकि वह इसका सवाब जानता ही नहीं, सिर्फ़ मैं ही जानता हूँ, लिहाज़ा मैं ही इसका बदला दूँगा जैसा कि हदीस (नम्बर: 2217) में है कि हर नेकी का बदला दस से सात सो गुना तक है सिवाए रोज़े के कि वह बेहिसाब है, और रोज़े का बदला जन्नत है और जन्नत कोई और नहीं दे सकता। **(3)** 'जब रोज़ा खोलता है।' उस वक़्त ख़ुशी अल्लाह तआ़ला के फ़रीज़े की तक्मील की वजह से होती है या तबई ख़ुशी मुराद है जो हर इन्सान को खाने से हासिल होती है। **(4)** 'जब अपने रब को मिलेगा।' उस वक़्त ख़ुशी होगी, अल्लाह तआ़ला की रज़ामन्दी और रोज़े का सवाब देख कर, और यही हक़ीक़ी ख़ुशी है। **(5)** 'रोज़ेदार के मुँह की बू' जो मेअ़दा ख़ाली होने की वजह से पैदा होती है। दुनिया में इन्सान ख़ुशबू वाले शख़्स को अपने क़रीब करता है। अल्लाह तआ़ला भी रोज़ेदार को अपने क़रीब फ़रमायेगा

और उससे मोहब्बत फ़रमायेगा गोया ये बू जो रोज़े की हालत में मुँह से आती है, क़यामत के दिन कस्तूरी की ख़ूशबू का तमस्सल इख़्तियार करेगी। मुमकिन है दुनिया ही में रोज़े की हालत की बू अल्लाह तआला या फ़रशितों को कस्तूरी से बढ़ कर ख़ूशबूदार मालूम होती हो। (इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अ़लीम) (अल अन्फ़ाल: 8/75) **(6)** अल्लाह की सिफ़ते कलाम का इस्बात होता है, और पता चलता है कि अल्लाह का कलाम सिर्फ़ कुर्आन मजीद ही नहीं बल्कि अल्लाह तआला जब चाहता है और जो चाहता है कलाम फ़रमाता है। ऊपर दी गई हदीस़, हदीसे क़ुदुसी है। हदीसे क़ुदुसी दरअस़ल अल्लाह ही का कलाम होता है। फ़र्क़ सिर्फ़ ये है कि इसकी बतौर इबादत तिलावत नहीं की जाती।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " .

(2214) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से रिवायत है कि अल्लाह (ﷻ) ने फ़रमाया: 'रोज़ा मेरे लिये है और मैं ही इसका बदला दूँगा। रोज़ेदार को दो ख़ूशियाँ नसीब हैं: एक ख़ूशी जब वह अपने रब तआला से मिलेगा और दूसरी ख़ूशी इफ़्तार के वक़्त और रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह तआला के नज़दीक कस्तूरी से भी बढ़ कर ख़ूशबूदार है।

(2214) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2522, तबरानी फ़िल्कबीर: 10/120, हदीस़: 10078, पिछली हदीस़ देखें।

बाब : (42)
इस हदीस़ में अबू स़ालेह के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

باب: (۴۲) ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى أَبِي صَالِحٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

वज़ाहत : अबू सिनान अबू स़ालेह का उस्ताद हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बताते हैं, जबकि अबू स़ालेह के बाक़ी तमाम शागिर्द हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) को। जैसा कि आइन्दा अहादीस़ से स़ाफ़ ज़ाहिर है। लेकिन इस क़िस्म का इख़्तिलाफ़ स़ेहते हदीस़ के लिये नुक़स़ानदेह नहीं होता क्योंकि इस का हल मुमकिन है कि अबू स़ालेह ने दोनों से सुना हो और यही बात दुरुस्त है क्योंकि इमाम मुस्लिम (रहिमहुल्लाह) ने अपनी स़ही में अबू सईद ख़ुदरी और अबू हुरैरह दोनों से ये हदीस़ बवास्त-ए-अबू स़ालेह तख़रीज की है। (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 1151/165)

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ، ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " .

(2215) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला फ़रमाता है: रोज़ा मेरे लिये है और मैं ही इसकी हक़ीक़ी जज़ा दूँगा। रोज़ेदार के लिये दो ख़ुशियाँ हैं: एक, जब वह रोज़ा खोलता है तो ख़ुश होता है। दूसरा जब वह अल्लाह तआला को मिलेगा, फिर अल्लाह उसे रोज़े का बदला देगा तो वह ख़ुश होगा। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है! रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह तआला के नज़दीक कस्तूरी की ख़ुशबू से भी पाकीज़ा तर है।'

(2215) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1151/165, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2523.

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ عُبَيْدٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصَّائِمُ يَفْرَحُ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ فِطْرِهِ وَيَوْمَ يَلْقَى اللَّهَ وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " .

(2216) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (अल्लाह तआला से हिकायत करते हुये) फ़रमाया: 'रोज़ा मेरे लिये है और मैं ही इसका बदला दूँगा। रोज़ेदार दो दफ़ा ख़ुश होगा: इफ़्तार के वक़्त और जब अल्लाह तआला को मिलेगा। और रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह तआला के नज़दीक कस्तूरी की महक से भी ज़्यादा अच्छी है।

(2216) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2524, पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى

(2217) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इन्सान जो नेकी करता है, वह उसके लिये दस गुना से सात सौ गुना तक लिखी जाती है। अल्लाह तआला ने

الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا ابْنُ آدَمَ إِلاَّ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ جُنَّةٌ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

फ़रमाया: मगर रोज़ा कि वह मेरे लिये है और उसका बदला मैं ही दूँगा। वह मेरी वजह से अपनी शहवत और खाने पीने से दस्तकश होता है। रोज़ा ढाल है। रोज़ेदार के हिस्से में दो ख़ुशियाँ हैं, एक तो इफ़्तार के वक़्त और दूसरी अपने रब से मुलाक़ात के वक़्त। और रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह तआला के नज़दीक कस्तूरी की ख़ुशबू से ज़्यादा उम्दा है।

(2217) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1151/164, बुख़ारी, हदीस: 7492, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2525.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'दस गुना से सात सो गुना तक' कम अज़ कम दस गुना तो अल्लाह तआला के मुक़र्रर कर्दा वादे की बिना पर है: 'जो शख़्स एक नेकी लायेगा उसके लिये उसका दस गुना (सवाब) है।' (अल अन्आम: 6/160) और ज़्यादा अपने अपने ख़ुलूस की कमी बेशी के लिहाज़ से। **(2)** 'ढाल है' यानी गुनाहों से और क़यामत के दिन आग से ढाल होगा। गुनाहों से मज़बूत ढाल बना रहा तो आग से भी मज़बूत ढाल होगा। यहाँ कमज़ोर ढाल साबित हुआ तो आख़िरत में भी कमज़ोर ढाल होगा, लिहाज़ा रोज़े को हर क़िस्म की कमज़ोरी से महफ़ूज़ रखना चाहिए।

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ إِذَا كَانَ يَوْمُ صِيَامِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ

(2218) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (अल्लाह तआला से हिकायत करते हुये) फ़रमाया: 'इन्सान का हर अमल उसके लिये है सिवाए रोज़े के कि वह मेरे लिये है और मैं ही उसका बदला दूँगा। और रोज़ा ढाल है। जब किसी दिन तुममें से किसी का रोज़ा हो तो न वह कोई शहवानी बात करे, न शोर व गुल मचाये। अगर कोई शख़्स उससे गाली गलोच या लड़ाई करे तो वह कह दे: मैं रोज़ेदार हूँ। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है! रोज़ेदार के मुँह की बू क़यामत के

اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرِحَ بِصَوْمِهِ".

दिन अल्लाह तआला के नज़दीक कस्तूरी की ख़ुशबू से भी पाकीज़ा तर होगी। रोज़ेदार के नसीब में दो ख़ुशियाँ हैं। जब रोज़ा खोलता है तो इफ़्तार से ख़ुश होता है और जब अपने रब तआला को मिलेगा तो अपने रोज़े (की जज़ा) से ख़ुश होगा।' '

(2218) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1904, व मुस्लिम, हदीस: 1151/163, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2526.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'हर अमल उसके लिये है' यानी हर अमल में चाहे तो वह मुख़्लिस हो, चाहे तो इख़्लास को ख़त्म कर दे, उसका मदार उसी पर है और उसका उसको मफ़ाद हो सकता है, जैसे: लोग उसकी तारीफ़ करें या उसको कुछ बदला व ऐवज़ दें क्योंकि वह आमाल लोगों को नज़र आते हैं मगर रोज़ा तो सिर्फ़ अल्लाह तआला को नज़र आता है, लिहाज़ा उसका मुकम्मल अज्र तो अल्लाह तआला ही देगा। **(2)** 'न शहवानी बात करे' गोया ये चीज़ें रोज़े की ढाल में सूराख़ करने वाली हैं जिससे ढाल नाकारा हो जायेगी। **(3)** 'वह कह दे' यानी लड़ाई करने वाले से कहे ताकि उसे शर्म आये। या अपने दिल में कहे, अपने आपको समझाने के लिये, पहला मफ़हूम अल्फ़ाज़े हदीस के ज़्यादा क़रीब है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الزَّيَّاتُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ

(2219) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह (عزوجل) ने फ़रमाया: इन्सान का हर अमल उसके लिये है सिवाए रोज़े के कि वह मेरे लिये है और मैं ही उसका बदला दूँगा। रोज़ा ढाल है। जब तुममें से किसी का रोज़ा हो तो न वह कोई शहवानी बात करे और न शोर व गुल करे। अगर कोई शख़्स उससे गाली गलोच या लड़ाई करे तो वह कह दे: मैं रोज़ेदार हूँ। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है! रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह तआला के नज़दीक कस्तूरी की ख़ुशबू

إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ .

से भी ज़्यादा अच्छी है।

हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से सईद बिन मुसय्यब ने भी ये रिवायत बयान की है।

(2219) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2527.

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخِلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " .

(2220) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'अल्लाह (عزوجل) फ़रमाता है: इन्सान का हर अमल उसके लिये है मगर रोज़ा मेरे लिये है और मैं ही उसका बदला दूँगा। क़सम उस ज़ात की, जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है! रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह तआला के नज़दीक कस्तूरी की महक से भी पाकीज़ा तर है।'

(2220) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1151/161, पिछली हदीस देखें, हदीस: 2217, बुख़ारी, हदीस: 5927, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2528.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلاَّ الصِّيَامَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ " .

(2221) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने अल्लाह तआला से बयान फ़रमाया: 'हर नेकी जो इन्सान करता है वह उसे (सवाब के लिहाज़ से कम अज़ कम) दस गुना होकर मिलेगी मगर रोज़ा कि वह मेरे लिये है और मैं ही उसका बदला दूँगा।'

(2221) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2529, पिछली हदीस देखें.

बाब : (43) रोज़ेदार की फ़ज़ीलत के बारे में हज़रत अबू उमामा (ﷺ) की हदीस़ में मुहम्मद बिन याक़ूब के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

باب: (٤٣) ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ فِي فَضْلِ الصَّائِمِ

वज़ाहत : इख़्तिलाफ़ इस बात में है कि मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी याक़ूब ये रिवायत रजाअ बिन हैवा से बिला वास्ता बयान फ़रमाते हैं या दरम्यान में अबू नस्र हिलाली का वास्ता है? ये इख़्तिलाफ़ भी सेहते हदीस़ में क़दह का बाइस़ नहीं, मुमकिन है मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह ने पहले अबू नस्र के वास्ते से सुना हो, फिर बराहे रास्त उनके शैख़ से भी सिमाअ़ किया हो। वल्लाहु आ़लम!

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، قَالَ أَخْبَرَنِي رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ مُرْنِي بِأَمْرٍ آخُذُهُ عَنْكَ . قَالَ " عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهُ " .

(2222) हज़रत अबू उमामा (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ और अ़र्ज़ किया: मुझे ऐसी चीज़ का हुक्म दीजिये जो मैं आपसे ख़ुसूसी तौर पर हासिल करूँ (उस पर अ़मल करूँ) आपने फ़रमाया: 'रोज़ा रखा करो क्योंकि इस जैसी कोई चीज़ नहीं।'

(2222) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/249, 255, 258, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3530, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 929, वल हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़िल्फ़तह: 4/104.

फ़ायदा : 'इस जैसी कोई चीज़ नहीं' स़वाब व अज्र के लिहाज़ से या गुनाह से बचने के लिये? कुछ ने इस रिवायत में स़ौम से मुराद ही तक़्वा लिया है क्योंकि स़ौम के मानी हैं, रुक जाना, और तक़्वा के मानी भी तक़रीबन यही हैं लेकिन पहले मानी ही स़ही हैं जो कि मशहूर हैं लेकिन याद रहे कि रोज़ों का मक़सद भी तक़्वा का हुसूल है।

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الضَّبِّيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، قَالَ

(2223) हज़रत अबू उमामा बाहिली (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे किसी ऐसी चीज़ का हुक्म दीजिये जिसके साथ अल्लाह तआ़ला मुझे बहुत फ़ायदा अ़ता फ़रमाये। आपने फ़रमाया: 'रोज़े को मामूल

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ . قَالَ " عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهُ " .

बना क्योंकि इस जैसी कोई चीज़ नहीं।'

(2223) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2531.

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّعِيفُ، - شَيْخٌ صَالِحٌ وَالضَّعِيفُ لَقَبٌ لِكَثْرَةِ عِبَادَتِهِ - قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ " عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ عِدْلَ لَهُ " .

(2224) हज़रत अबू उमामा (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा: कौन सा अमल अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: 'रोज़े की आदत डाल क्योंकि कोई और काम इसके बराबर नहीं।'

(2224) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने हिब्बान, हदीस: 930, व इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1893, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2532, व सहीह अल हाकिम: 1/421.

फ़ायदा : इस रिवायत के रावी का लक़ब ज़ईफ़ है। रिवायत के ऐतबार से ज़ईफ़ नहीं क्योंकि वह कसरते इबादत से कमज़ोर हो गये थे।

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، - هُوَ ابْنُ السَّكَنِ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ - قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الضَّبِّيِّ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ الْهِلاَلِيِّ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِعَمَلٍ . قَالَ " عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ عِدْلَ لَهُ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِعَمَلٍ . قَالَ " عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ عِدْلَ لَهُ " .

(2225) हज़रत अबू उमामा (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे किसी काम का हुक्म दीजिये। आपने फ़रमाया: 'रोज़े रखा कर क्योंकि इस जैसा कोई काम नहीं।' मैंने फिर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे किसी और काम का हुक्म दीजिये। आपने फ़रमाया: 'रोज़े ही रखा कर, कोई और काम इसके बराबर नहीं।'

(2225) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2533.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ فِطْرٍ، أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الصَّوْمُ جُنَّةٌ " .

(2226) हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रोज़ा ढाल है।'

(2226) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2534, देखें, हदीस: 2218.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، وَالْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الصَّوْمُ جُنَّةٌ " .

(2227) हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रोज़ा ढाल की तरह बचाव का ज़रिया है।'

(2227) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2535.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ النَّزَّالِ، يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ " الصَّوْمُ جُنَّةٌ " .

(2228) हज़रत मुआज़ (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रोज़ा ढाल है।'

(2228) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/237, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 2536.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ لِي الْحَكَمُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ قَالَ الْحَكَمُ وَحَدَّثَنِي بِهِ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ .

(2229) हज़रत हकम ने कहा कि मुझे इस (हज़रत मुआज़ (ﷺ) की) रिवायत को अपने उस्ताद से सुने चालीस साल हो गये हैं, फिर कहते हैं: मुझे ये रिवायत मुआज़ बिन जबल से (उर्वा के अलावा) मैमून बिन अबी शबीब ने भी बयान की है।

(2229) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2537.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الصِّيَامُ جُنَّةٌ " .

(2230) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रोज़ा बचाव का सामान है।'

(2230) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2218, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2537.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، أَنْبَأَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قِرَاءَةً عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَطَاءٌ الزَّيَّاتُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الصِّيَامُ جُنَّةٌ " .

(2231) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रोज़ा ढाल है।'

(2231) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2218, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2538.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ مُطَرِّفًا، - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ - حَدَّثَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ دَعَا لَهُ بِلَبَنٍ لِيَسْقِيَهُ فَقَالَ مُطَرِّفٌ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الصِّيَامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ " .

(2232) हज़रत उस्मान बिन अबी अल आस(ﷺ) ने हज़रत मुतर्रिफ़ के लिये दूध मंगवाया ताकि वह उसे पिये तो उन्होंने कहा: मैं रोज़े से हूँ। तो हज़रत उस्मान बिन अबी अल आस(ﷺ) कहने लगे: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'रोज़ा ढाल है जैसे तुम्हारे पास जंग में ढाल होती है।'

(2232) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1639, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2539, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2125, व इब्ने हिब्बान: 931.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

(2233) हज़रत मुतर्रिफ़ कहते हैं कि मैं हज़रत उस्मान बिन अबी अल आस (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ तो उन्होंने मेरे लिये दूध मंगवाया।

أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ فَدَعَا بِلَبَنٍ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ ‏.‏ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ ‏"‏ ‏.‏

मैंने अर्ज़ किया: बिला शुब्हा मैं रोज़े से हूँ। फ़रमाने लगे: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'रोज़ा (जहन्नम की) आग से (बचाव के लिये) ढाल है जैसे तुम्हारे पास जंग में (बचाव के लिये) ढाल होती है।'

(2233) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/21, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1891, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2540, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ دَخَلَ مُطَرِّفٌ عَلَى عُثْمَانَ نَحْوَهُ مُرْسَلٌ ‏.‏

(2234) हज़रत सईद बिन अबी हिन्द से भी यही वाक़िया मन्क़ूल है मगर वह रिवायत मुर्सल है।

(2234) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2541.

फ़ायदा : मुर्सल से मुराद यहाँ मुन्क़तअ भी हो सकती है और मौक़ूफ़ भी। मुन्क़तअ इस ऐतबार से कि सईद बिन अबी हिन्द जो कि वाक़िया बयान कर रहे हैं इस वाक़िये के वक़्त हाज़िर न थे। और मौक़ूफ़ इस ऐतबार से कि इसमें रसूलुल्लाह (ﷺ) का हवाला नहीं। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا ‏"‏

(2235) हज़रत अबू उबैदा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'रोज़ा ढाल है जब तक वह (रोज़ेदार) इसे फाड़ न ले।'

(2235) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/195, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2542, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2/147, मज्मउज़्ज़वाइद लिल हैसमी: 3/171.

फ़ायदा : एक दूसरी रिवायत में ग़ीबत का लफ़्ज़ है, यानी ग़ीबत और इस क़िस्म के दूसरे गुनाह रोज़े को इतना ज़ख़्मी कर देते हैं कि वह आग से बचाव के काम न आ सकेगा, जैसे ढाल में सूराख़ हों तो

वह जंग में काम नहीं आती। गोया रोज़ा जहन्नम की आग से तभी ढाल बनेगा जब रोज़ेदार ने अपने रोज़े के दरम्यान गुनाहों से इज्तेनाब किया हो, वरना वह ज़ाया हो सकता है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الآدَمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ فَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلاَ يَجْهَلْ يَوْمَئِذٍ وَإِنِ امْرُؤٌ جَهِلَ عَلَيْهِ فَلاَ يَشْتِمْهُ وَلاَ يَسُبَّهُ وَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ " .

(2236) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रोज़ा आग से ढाल है। जो शख़्स रोज़े से हो, उस दिन वह जहालत (बद तहज़ीबी) का कोई काम न करे। और अगर कोई दूसरा शख़्स उससे जहालत से पेश आये तो वह उससे गाली गलोच न करे बल्कि कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है! रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह तआला के नज़दीक कस्तूरी की महक से पाकीज़ा तर है।'

(2236) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3258.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا .

(2237) हज़रत अबू उबैदा (ﷺ) बयान करते हैं: रोज़ा ढाल है बशर्ते कि रोज़ेदार उसको फाड़ न दे।

(2237) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2543, देखें, हदीस: 2235.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لِلصَّائِمِينَ بَابٌ فِي الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ لاَ يَدْخُلُ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلَ

(2238) हज़रत सहल बिन सअद (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जन्नत में रोज़ेदारों के लिये एक दरवाज़ा मख़सूस है जिसे 'रय्यान' कहा जाता है। इसमें उनके अलावा कोई और दाख़िल न होगा। जब आख़री रोज़ेदार दाख़िल हो जायेगा तो दरवाज़ा बन्द कर दिया जायेगा। जो शख़्स इसमें दाख़िल होगा पियेगा

آخِرُهُمْ أُغْلِقَ مَنْ دَخَلَ فِيهِ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا " .

और उसे जिसने एक दफ़ा पी लिया, कभी प्यासा न होगा।'

(2238) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/335, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2544, बुख़ारी, हदीस: 1896, मुस्लिम, हदीस: 1152.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत में रोज़ेदारों से मुराद नफ़्ली रोज़े के आदी लोग हैं क्योंकि फ़र्ज़ रोज़ेदार तो सब मुसलमान ही हैं। **(2)** मख़्सूस दरवाज़ा रोज़ेदारों को इम्तियाज़ अता करने के लिये है, जैसे मेहमाने ख़ुसूसी के दाख़िले के लिये दरवाज़ा मख़्सूस कर दिया जाता है। **(3)** 'रय्यान' मानी हैं: सैराबी वाला दरवाज़ा। गोया इस दरवाज़े से दाख़िल होते ही सैराबी हासिल होगी, चाहे दुख़ूल से या पीने से। जबकि बाक़ी दरवाज़ों के ज़रिये दाख़िल होने वालों को जन्नत के अन्दर पानी मिलेगा। **(4)** 'कभी प्यासा न होगा।' बाद में पानी पीना लज़्ज़त के लिये होगा न कि प्यास दूर करने के लिये। उनकी ये फ़ज़ीलत, इसलिये है कि वह अल्लाह तआला की रिज़ा (राज़ी करने) के लिये प्यासे रहे। रोज़े में प्यास ही ज़्यादा महसूस होती है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَهْلٌ، أَنَّ فِي الْجَنَّةِ، بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الصَّائِمُونَ هَلْ لَكُمْ إِلَى الرَّيَّانِ مَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ .

(2239) हज़रत सहल (ﷺ) बयान करते हैं कि जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रय्यान कहा जाता है। क़यामत के दिन ऐलान किया जायेगा: कहाँ हैं रोज़ेदार? क्या तुम्हें रय्यान (सैराबी) दरवाज़े की ख़्वाहिश है? जो उससे जन्नत में दाख़िल होगा, कभी प्यास महसूस न करेगा। जब रोज़ेदार दाख़िल हो जायेंगे, वह दरवाज़ा बन्द कर दिया जायेगा। उनके अलावा कोई और उससे दाख़िल न होगा।

(2239) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2545.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ،

(2240) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह तआला के रास्ते में एक जिन्स की दो दो

وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ يُدْعَى مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ يُدْعَى مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ يُدْعَى مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ " .

चीज़ें ख़र्च करेगा, उसे जन्नत में आवाज़ दी जायेगी: ऐ अल्लाह के बन्दे! ये दरवाज़ा बहुत अच्छा है (इससे दाख़िल हो) जो शख़्स नमाज़ से रग़बत रखने वाला होगा, उसे नमाज़ वाले दरवाज़े से आवाज़ दी जायेगी। और जो जिहाद का शाइक़ (जिहाद करने वाला) होगा उसे जिहाद वाले दरवाज़े से बुलाया जायेगा। और जो सदक़ा करने का आदी (सदक़ा देने वाला) होगा उसे सदक़े वाले दरवाज़े से बुलाया जायेगा। और जो रोज़े का आदी होगा, उसे बाबे रय्यान से दावत दी जायेगी।' हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़(ﷺ) ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! किसी शख़्स को ज़रूरत नहीं कि उसे हर दरवाज़े से आवाज़ें दी जायें, मगर क्या किसी को इन सब दरवाज़ों से भी बुलाया जायेगा? रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'हाँ और मुझे उम्मीद है कि तुम भी उन्हीं (लोगों) में से होगे।'

(2240) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1027, बुख़ारी, हदीस: 1897, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2546.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ये दरवाज़ा बहुत अच्छा है' गोया इस नेकी के लिये एक मख़्सूस दरवाज़ा है जहाँ से उसके हामिलीन को इज़्ज़त के साथ दाख़िल किया जायेगा। 'फ़ी सबीलिल्लाह' से मुराद हर अच्छी जगह भी हो सकती है और ख़ास जिहाद भी क्योंकि कुर्आन मजीद में फ़ी सबीलिल्लाह आम तौर पर जिहाद के लिये इस्तेमाल हुआ है। **(2)** इस हदीस में जिन नेकियों (नमाज़, जिहाद, सदक़ा और रोज़े) का ज़िक्र है, यहाँ नफ़्ल मुराद हैं और नफ़्ल भी कस्रत से यहाँ तक कि वह शख़्स उस नेकी में मारूफ़ और मुम्ताज़ हो, वरना कुछ हद तक तो ये नेकियाँ हर मुसलमान में पाई जाती हैं। **(3)** 'हाँ' ज़ाहिर है जो शख़्स मुजस्सम-ए-नेकी है और नेकी में मुम्ताज़ है, उसका हक़ है कि उसे हर तरफ़ से इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिये बुलाया जाये 'लिमिस्लि हाज़ा फ़ल्यअ़मलिल आमिलून' और हज़रत अबू

बक्र सिद्दीक़ (ﷺ) से बढ़ कर उम्मत में कौन इस एज़ाज़ का मुस्तहिक़ होगा? आख़िर वह सानियस्नैन हैं। (4) नेकी के तमाम आमाल एक आदमी में यक्सां नहीं होते किसी की तरफ़ रग़बत और रुझान ज़्यादा होता है और किसी में कम।

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَابٌ لاَ نَقْدِرُ عَلَى شَىْءٍ قَالَ " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ " .

(2241) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) फ़रमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ (मक्का मुकर्रमा से) निकले तो हम नोजवान थे और हम शादी वग़ैरह की वुस्अत नहीं रखते थे। आपने फ़रमाया: 'ऐ नोजवान लोगो! निकाह करो क्योंकि निकाह नज़र को नीचा और शर्मगाह को महफ़ूज़ करने वाली चीज़ है। जो शख़्स (फ़क्र की वजह से) निकाह की ताक़त न रखे, वह रोज़े रखा करे क्योंकि रोज़ा उसकी शहवत को कुचल देगा।'

(2241) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5066, मुस्लिम, हदीस: 1400/3, तिर्मिज़ी, हदीस: 1081, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2547.

फ़ायदा : 'कुचल देगा' वाफ़िर और अच्छा खाना पीना शहवत में इज़ाफ़ा करता है। रोज़ा नाम है भूख व प्यास का। ख़ूराक की कमी शहवत को तोड़ती है, इसलिये ग़ैर शादी शुदा नोजवानों के लिये रोज़ा मुफ़ीद है। वैसे भी रोज़ा गुनाह से बचाता है। गोया रोज़ेदार शख़्स ख़सी इन्सान की तरह पुर सुकून रहता है। गुनाह से बचना मतलूब है। और कुछ सहाबा ने इस (गुनाह) से बचने के लिये ख़सी बनने की इजाज़त भी तलब की थी, लिहाज़ा सही और फ़ितरी तरीक़ की रहनुमाई की गई, यानी इस्लाम ने इन्सानों को ख़सी करने से मना फ़रमाया मगर साथ मुतबादिल भी मुहैया फ़रमाया।

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، لَقِيَ عُثْمَانَ بِعَرَفَاتٍ فَخَلاَ بِهِ فَحَدَّثَهُ وَأَنَّ، عُثْمَانَ قَالَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ هَلْ لَكَ فِي فَتَاةٍ

(2242) हज़रत अल्क़मा से मन्क़ूल है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) अरफ़ात में हज़रत उस्मान (ﷺ) को मिले। हज़रत उस्मान उन्हें अलग ले गये। हज़रत उस्मान (ﷺ) ने हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) से कहा: क्या आपको ख़्वाहिश है कि मैं किसी नोजवान लड़की से

أُزَوِّجُكَهَا فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ عَلْقَمَةَ فَحَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ " .

आपकी शादी कर दूँ? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने हज़रत अल्क़मा को भी बुला लिया और उनसे बयान किया कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से जो शख़्स निकाह (के अख़राजात) की ताक़त रखता हो, उसे चाहिए कि वह निकाह करे क्योंकि निकाह नज़र को नीचा और शर्मगाह को महफ़ूज़ रख़ने की चीज़ है। और जो ताक़त न रखे, वह रोज़े रखे क्योंकि रोज़ा उसके लिये ढाल है।'

(2242) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1905, मुस्लिम, हदीस: 1400/1, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2548.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये वाक़िया हज़रत उस्मान (ﷺ) के दौरे ख़िलाफ़त का है। चूंकि उस वक़्त हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) को निकाह की ज़रूरत न थी, लिहाज़ा पेशकश क़बूल न फ़रमाई बल्कि अल्क़मा को बुला लिया क्योंकि ये कोई राज़ की बात न थी और हदीस बयान फ़रमाई। **(2)** निकाह उस शख़्स के लिये ज़रूरी है जो उसकी ज़रूरत महसूस करता है, जो ज़रूरत महसूस न करता हो, उसके लिये निकाह ज़रूरी नहीं, जैसे बूढ़ा शख़्स।

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ " .

(2243) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से जो शख़्स निकाह (के अख़राजात) की ताक़त रखे वह शादी करे और जो इतनी वुस्अत न पाये, वह रोज़े रखे क्योंकि रोज़ा उसकी शहवत को कुचल देगा।'

(2243) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2549.

أَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ، قَالَ

(2244) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद बयान करते हैं कि हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन

حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَمَعَنَا عَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ وَجَمَاعَةٌ فَحَدَّثَنَا بِحَدِيثٍ مَا رَأَيْتُهُ حَدَّثَ بِهِ الْقَوْمَ إِلاَّ مِنْ أَجْلِي لأَنِّي كُنْتُ أَحْدَثَهُمْ سِنًّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ " . قَالَ عَلِيٌّ وَسُئِلَ الأَعْمَشُ عَنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ قَالَ نَعَمْ .

मसऊद(ﷺ) के पास गये। हमारे साथ अल्क़मा, अस्वद और कुछ दूसरे लोग भी थे। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने हमें हदीस़ बयान की। मेरा ख़याल है कि आपने इन (हमारे साथ वाले) लोगों को ये हदीस़ मेरी ही वजह से बयान फ़रमाई क्योंकि मैं ही इन सबसे कम उम्र नोजवान था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ नोजवान लोगो! तुममें से जो शख़्स निकाह करने की ताक़त रखे वह ज़रूर निकाह करे क्योंकि निकाह नज़र को ज़्यादा नीचा और शर्मगाह को ज़्यादा महफ़ूज़ करता है।'

रावी अली बिन हाशिम कहते हैं कि आमश से 'इब्राहीम अन अल्क़मा अन अब्दुल्लाह' की रिवायत के मुताल्लिक़ सवाल किया गया कि क्या ये इस (उमारा अन अब्दुर्रहमान) जैसी ही है? उन्होंने जवाब दिया: हाँ!

(2244) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2241, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2550.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ فَقَالَ عُثْمَانُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فِتْيَةٍ فَقَالَ " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لاَ فَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ " . قَالَ

(2245) हज़रत अल्क़मा बयान करते हैं कि मैं हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) के साथ था जबकि वह हज़रत उस़्मान (ﷺ) के पास थे। हज़रत उस़्मान(ﷺ) ने बयान किया: रसूलुल्लाह (ﷺ) कुछ नोजवानों के पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'तुममें से जो मालदार हो, वह शादी करे क्योंकि ये चीज़ उसकी नज़र को ज़्यादा नीचा और शर्मगाह को ज़्यादा महफ़ूज़ कर देगी। और जो मालदार न हो तो उसकी शहवत का इलाज रोज़ा है।'

أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو مَعْشَرٍ هَذَا اسْمُهُ زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ وَهُوَ ثِقَةٌ وَهُوَ صَاحِبُ إِبْرَاهِيمَ رَوَى عَنْهُ مَنْصُورٌ وَمُغِيرَةُ وَشُعْبَةُ وَأَبُو مَعْشَرٍ الْمَدَنِيُّ اسْمُهُ نَجِيحٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمَعَ ضَعْفِهِ أَيْضًا كَانَ قَدِ اخْتَلَطَ عِنْدَهُ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ مِنْهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ " . وَمِنْهَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ وَلَكِنِ انْهَسُوا نَهْسًا " .

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि इस हदीस़ में जो अबू मअ्शर रावी है, उसका नाम ज़ियाद बिन कुलैब है, वह सिक़ा है और इब्राहीम नख़ई का मुसाहिब (साथी) है। इससे मन्सूर, मुग़ीरा और शोबा ने रिवायत किया है। एक अबू मअ्शर मदीनी है, उसका नाम नजीह है और वह ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ होने के साथ वह इख़्तिलात का भी शिकार हो गया था। वह मुन्कर हदीसें भी बयान करता था। उसकी (बयान कर्दा) मुन्कर हदीसों में से एक वह है जो उसने मुहम्मद बिन अ़म्र से बयान की, उन्होंने अबू सलमा से और उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मशरिक़ और मग़रिब के दरम्यान क़िब्ला है।' और एक वह है जो उसने हिशाम बिन उ़र्वा से रिवायत की, उन्होंने अपने बाप (उ़र्वा) से और उन्होंने हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) से कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'गोश्त को छुरी से मत काटो, (बल्कि) उसे दाँतों से नोच कर खाओ।'

(2245) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 2242, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2551, मुसनद अहमद: 1/58.

باب: (٤٤) ثَوَابِ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ فِي الْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

बाब : (44) जो शख़्स अल्लाह की राह में एक रोज़ा रखे, उसका स़वाब और इस बारे में वारिद हदीस़ के बयान में सुहैल बिन अबी स़ालेह के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

वज़ाहत : इख़्तिलाफ़ इस बात में है कि रिवायत हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से है या हज़रत अबू सईद ख़ुदरी(رضي الله عنه) से? और सुहैल बिन अबी स़ालेह और स़हाबी के दरम्यान वास्ता कौन सा है? इस इख़्तिलाफ़ का ये मतलब नहीं कि दोनों में से एक का ज़िक्र ग़लत है बल्कि ज़्यादा इम्कान यही है कि दोनों का ज़िक्र स़ही है। क्योंकि सब रावी सिक़ा हैं। इस रिवायत में सुहैल के उस्ताद एक से ज़्यादा हैं।

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ زَحْزَحَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفًا " .

(2246) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह की राह में एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह तआला इस एक दिन की बदौलत उसके चेहरे को आग से सत्तर साल के फ़ासिले तक दूर कर देगा।'

(2246) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/300, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2552.

फ़ायदा : हदीस में (फ़ी सबीलिल्लाह) के अल्फ़ाज़ हैं हर उस नेक अमल पर उसका इत्लाक़ होता है (बोला जाता है) जो ख़ालिसतन अल्लाह तआला के लिये किया जाये, चूंकि क़ुर्आन मजीद में (फ़ी सबीलिल्लाह) से मुराद उमूमन जिहाद होता है, लिहाज़ा तर्जुमा इस तरह भी हो सकता है: 'जो शख़्स जिहाद के दौरान में रोज़ा रखे' और (फ़ी सबीलिल्लाह) 'अल्लाह तआला के रास्ते में' के तहत तलबे इल्म या हज व उम्रा वग़ैरह के सफ़र में रोज़ा रखना भी आ जाता है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفًا "

(2247) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह तआला की ख़ुशनूदी के लिये एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह तआला उस दिन की वजह से उसके और आग के दरम्यान सत्तर साल का फ़ासला फ़रमा देगा।'

(2247) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2554.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ أَخْبَرَنِي سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي

(2248) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह तआला के रास्ते में एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह तआला उसके चेहरे को आग से सत्तर साल के फ़ासिले तक दूर फ़रमा देगा।'

(2248) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस:

سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا " .

2246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2553.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ مِنْ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ عَامًا " .

(2249) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से मन्क़ूल है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो आदमी अल्लाह तआला के रास्ते में एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह तआला उसके चेहरे को जहन्नम से सत्तर साल के फ़ासिले तक दूर फ़रमा देगा।'

(2249) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 3/45, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2555.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ بَعَّدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا " .

(2250) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स़ अल्लाह (ﷻ) के रास्ते में एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह तआला उस एक दिन (के रोज़े) की वजह से उसके चेहरे को आग से सत्तर साल के फ़ासिले तक दूर फ़रमा देगा।'

(2250) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1153, बुख़ारी, हदीस़: 2840, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2556.

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الأَسْوَدِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَهُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا " .

(2251) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ अल्लाह तआला के रास्ते में एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह तआला उसको आग से सत्तर साल के फ़ासिले तक दूर फ़रमा देगा।'

(2251) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2557.

أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا "

(2252) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह तआला उसके चेहरे को आग से सत्तर साल के फ़ासिले तक दूर कर देगा।'

(2252) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2250, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2558, बुख़ारी, हदीस: 2840, मुस्लिम, हदीस: 1153.

باب: (٤٥) ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِيهِ

बाब : (45) इस रिवायत में सुफ़ियान सौरी के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का बयान

वज़ाहत : इख़्तिलाफ़ ये है कि इस रिवायत में हज़रत सुफ़ियान सौरी के उस्ताद सुहैल हैं या हज़रत सुमय? दोनों ही हो सकते हैं, लिहाज़ा सेहते हदीस मुतास्सिर नहीं होती।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، - نَيْسَابُورِيٌّ - قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْعَدَنِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ بَاعَدَ اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ الْيَوْمِ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

(2253) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो बन्दा अल्लाह तआला के रास्ते में एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह तआला उस एक दिन की वजह से आग को उसके चेहरे से सत्तर साल के फ़ासिले तक दूर फ़रमा देगा।'

(2253) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2250, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2559.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ

(2254) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स एक दिन अल्लाह तआला के रास्ते में रोज़ा रखेगा,

النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ حَرَّ جَهَنَّمَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا " .

अल्लाह तआला उस दिन की बरकत से जहन्नम की तपिश को उसके चेहरे से सत्तर साल के फ़ासिले तक दूर कर देगा।'

(2254) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस: 2250, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2560.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي حَدَّثَكُمُ ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُمَىٍّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا " .

(2255) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने अल्लाह तआला के रास्ते में एक दिन रोज़ा रखा, अल्लाह तआला उस दिन की बिना पर आग को उसके चेहरे से सत्तर साल के फ़ासिले तक दूर रखेगा।'

(2255) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस: 2250, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2561.

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَ اللَّهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ مِائَةِ عَامٍ " .

(2256) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह (عزوجل) के रास्ते में एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह तआला जहन्नम को उससे सौ साल की मसाफ़त तक दूर फ़रमा देगा।'

(2256) **तख़रीज : (सनद हसन)** तबरानी फ़िल्कबीर: 17/335, हदीस: 927, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2562, 10725.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'सौ साल' इससे मा क़ब्ल तमाम रिवायात में सत्तर साल का ज़िक्र है। मालूम होता है दोनों आदाद से मुअय्यन अदद मुराद नहीं बल्कि कस्रत मुराद है, यानी बहुत दूर फ़रमा देगा। सत्तर और सौ का अदद उर्फ़ में कस्रत के लिये आम बोला जाता है। इन दो अददों को ख़ास करने की वजह ये हो सकती है कि इन्सानी उम्र उमूमन सत्तर के क़रीब होती है, बहुत कम हैं जो सो साल तक पहुँचें या उससे तजावुज़ करें। कुछ अहले इल्म ने ये भी कहा है कि मुमकिन है पहले अज्र कम था, फिर

अल्लाह तआला ने अपने फ़ज़्ल से इज़ाफ़ा फ़रमा दिया, ये भी कोई बईद (दूर की) बात नहीं। (2) ऊपर वाली रिवायात में साल को 'ख़रीफ़' कहा गया है क्योंकि साल में मौसमे ख़रीफ़ एक ही है, लिहाज़ा कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। इस मौसम को ख़ास करने की वजह ये है कि ये अरब में फ़सलों और फलों के पकने, काटने और तोड़ने का मौसम था, इसलिये अरब लोग सन हिजरी के रिवाज से पहले तारीख़ में ख़रीफ़ ही के हवाले दिया करते थे।

बाब : (46) सफ़र में रोज़ा रखना मकरूह है?

باب: (٤٦) مَا يُكْرَهُ مِنَ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ " .

(2257) हज़रत कअब बिन आसिम (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं।'

(2257) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 664, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2563, व सहीह अल हाकिम: 1/433, देखें, 2259 हदीस

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ ابْنَ كَثِيرٍ عَلَيْهِ .

(2258) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं।'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि ये ग़लत है, दुरुस्त इससे पहली (सनद) है। हमारे इल्म में नहीं है कि इस पर किसी ने इब्ने कसीर की मुताबिअत की हो।

(2258) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2564.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत में सनद की ग़लती है, यानी रिवायत का सईद बिन मुसय्यब से मुर्सलन मरवी होना ख़ता है। दुरुस्त सहाबी के ज़िक्र के साथ है। (2) ये रिवायत मुख़्तसर है, लिहाज़ा ग़लतफ़हमी हो सकती है कि शायद सफ़र में रोज़ा रखना अच्छा नहीं, हालांकि रसूलुल्लाह(ﷺ) ख़ुद सफ़र में रोज़े रखते रहे हैं। सहाब-ए-किराम (ﷺ) भी आपके सामने सफ़र में

रोज़े रखते थे। दरअसल इस रिवायत का एक ख़ास महल्ल है और वह ये कि जब रोज़ा मुसाफ़िर के लिये इन्तेहाई मशक़्क़त का बाइस हो और रोज़ेदार दूसरे के लिये बोझ और मुसीबत बन जाये, वह उसे और उसके कामकाज को संभालते फिरें तो ऐसा रोज़ा वाक़िअतन नेकी नहीं। लेकिन अगर मुसाफ़िर आसानी समझता हो और रोज़ा बरदाश्त कर सके, अपना काम ख़ुद करे, दूसरे के लिये परेशानी और बोझ का सबब न बने तो ऐसे शख़्स के लिये सफ़र में रोज़ा रखना न सिर्फ़ जायज़ बल्कि अफ़ज़ल है। आइन्दा बाब व हदीस में इसकी तरफ़ इशारा है। ग़र्ज़ जो सूरत भी इन्सान के लिये बाइसे सहूलत और आरामदेह हो, उसे ही अपनाना अफ़ज़ल है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 21/134-141)

باب: (٤٧) الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قِيلَ ذَلِكَ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ

बाब : (47)
वह सबब जिसकी बिना पर ये अल्फ़ाज़ कहे गये, और इस बारे में वारिद हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) की हदीस के बयान में मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहमान के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

वज़ाहत : मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहमान के कुछ शागिर्द इस रिवायत में उनके और हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) के दरम्यान वास्ता ज़िक्र नहीं करते, कुछ ज़िक्र करते हैं। देखिये अहादीस: 2261 और 2262.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نَاسًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى رَجُلٍ فَسَأَلَ فَقَالُوا رَجُلٌ أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ " .

(2259) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों को एक शख़्स के इर्द गिर्द जमा देखा तो पूछा (क्या बात है?) लोगों ने कहा: एक आदमी है जिसे रोज़े की वजह से सख़्त तकलीफ़ है। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'सफ़र के दौरान में (इस हद तक पहुँचाने वाला) रोज़ा रखना नेकी नहीं।'

(2259) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/352, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2565, 2264.

أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ قَالَ " مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ هَذَا " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَائِمٌ . قَالَ " إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا " .

(2260) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक आदमी के पास से गुज़रे जिसे एक दरख़्त के साये तले लिटाया गया था और उस (के मुँह) पर पानी के छींटे मारे जा रहे थे। आपने फ़रमाया: 'तुम्हारे इस साथी को क्या हुआ है?' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इसने रोज़ा रखा है। आपने फ़रमाया: 'ये नेकी नहीं कि तुम सफ़र के दौरान में (इस तरह के) रोज़े रखो, बल्कि जो अल्लाह तआला ने तुम्हें रुख़्सत दी है, उससे फ़ायदा उठाओ और उसे क़बूल करो।'

(2260) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2566.

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ جَابِرًا، نَحْوَهُ .

(2261) मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि मुझे एक शख़्स ने ऐसी ही हदीस सुनाई जिसने ये हदीस हज़रत जाबिर (ﷺ) से सुनी थी।

(2261) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2567.

باب: (٤٨) ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ

बाब : (48) अली बिन मुबारक के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

वज़ाहत : ऊपर बयान किया गया इख़्तिलाफ़ मुराद है, कुछ शागिर्द वास्ता ज़िक्र करते हैं, कुछ नहीं करते।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ

(2262) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सफ़र के दौरान में (इस क़िस्म का) रोज़ा रखना नेकी नहीं, बल्कि

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رضى الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاقْبَلُوهَا" .

अल्लाह तआला की रुख़्सत से फ़ायदा उठाओ और उसे क़बूल करो।'

(2262) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2259, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2568.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ " .

(2263) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सफ़र के दौरान में (मशक़्क़त वाला) रोज़ा रखना नेकी नहीं।'

(2263) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 2569.

باب: (٤٩) ذِكْرِ اسْمِ الرَّجُلِ

बाब : (49) उस शख़्स के नाम का ज़िक्र (जो मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और हज़रत जाबिर (ﷺ) के दरम्यान है)

वज़ाहत : आइन्दा रिवायत से मालूम हो रहा है कि उसका नाम मुहम्मद बिन अम्र बिन हसन है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ " لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ " .

(2264) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी को देखा जिस पर सफ़र के दौरान में साया किया गया था। आपने फ़रमाया: 'सफ़र के दौरान (इस क़िस्म का) रोज़ा रखना नेकी नहीं।'

(2264) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1946, मुस्लिम, हदीस: 1115, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2570.

फ़ायदा : 'इस क़िस्म का' रोज़ा जिससे दूसरे लोग भी मुसीबत में पड़े रहें। कोई कपड़ा उतारे, कोई छींटे मारे वग़ैरह।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنَ الْمَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَأَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَصَامَ بَعْضٌ فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا فَقَالَ " أُولَئِكَ الْعُصَاةُ " .

(2265) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़तहे मक्का के साल रमज़ानुल मुबारक में मक्के की तरफ़ चले और रोज़े रखते रहे यहाँ तक कि कुराओ ग़मीम पहुँचे। लोगों ने रोज़ा रखा हुआ था। आपको ये बात पहुँची की लोगों के लिये रोज़ा निभाना मुश्किल हो गया है। ये अस्र के बाद की बात है। आपने पानी का प्याला मँगवाया और पिया। लोग देख रहे थे। कुछ लोगों ने तो रोज़ा खोल लिया लेकिन कुछ लोगों ने रोज़ा क़ाइम रखा। आपको ये बात पहुँची कि कुछ लोग अभी तक रोज़े से हैं। तो आपने फ़रमाया: 'ये लोग नाफ़रमान हैं।'

(2265) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1114.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये लोग नाफ़रमान हैं' अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने महसूस फ़रमाया कि आज रोज़ा मशक़्क़त वाला है और मशक़्क़त वाला रोज़ा सफ़र में जायज़ नहीं, लिहाज़ा आपने इफ़्तार फ़रमा लिया। अगरचे आपको मशक़्क़त न थी, ताकि आपकी वजह से किसी को मशक़्क़त बरदाश्त न करनी पड़े इसी इल्लत के पेशे नज़र उन लोगों को भी इफ़्तार कर लेना चाहिए था जिन्हें ज़्यादा मशक़्क़त न थी, ताकि उनकी वजह से दूसरों को इफ़्तार में झिझक महसूस न हो। जिस तरह अपने मशक़्क़त का लिहाज़ ज़रूरी है, उसी तरह दूसरों की मशक़्क़त का लिहाज़ भी ज़रूरी है। इस बिना पर आपने इफ़्तार फ़रमाया। जिन हज़रात ने इस उसूल का लिहाज़ न रखा बल्कि आपके ऐलानिया इफ़्तार के बावजूद इफ़्तार न किया, उन्होंने नाफ़रमानी की। (2) इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि जिस तरह आपका फ़रमान वाजिबुल इत्तेबा है, उसी तरह आपका वह फ़ेअल (अमल) जो आप इसलिये करें कि लोग भी उसकी इक़्तेदा करें, बिऐनिही (बिल्कुल वैसे ही) वाजिबुल इत्तेबा है वरना ये नाफ़रमानी होगी। (3) रसूलुल्लाह (ﷺ) से बढ़ कर नेक और मुत्तक़ी बनना ज़बरदस्त ग़लती है।

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ،

(2266) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के पास मर्रुज़ ज़हरान मक़ाम में

عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِطَعَامٍ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَقَالَ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ " أَدْنِيَا فَكُلاَ " . فَقَالاَ إِنَّا صَائِمَانِ . فَقَالَ " ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمُ اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمْ " .

खाना लाया गया। आपने हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर (ﷺ) से फ़रमाया: 'क़रीब आओ और खाओ' उन दोनों ने कहा: हम रोज़े से हैं। आपने दीगर सहाबा से फ़रमाया: 'अपने इन दो मोहतरम साथियों के लिये सवारियाँ तुम तैयार करना और इनके दूसरे काम भी तुम करना।'

(2266) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/336, अबी दाऊद, अल बैहक़ी: 4/246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2572, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 911, वल हाकिम: 1/422, देखें, हदीस: 1027 वग़ैरहुम.

फ़ायदा : मज़्कूरा हदीस को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इसे सही क़रार दिया है। इसके अलावा शैख़ अल्बानी (ﷺ) ने इस पर सियर हासिल बहस की है जिससे तस्हीहे हदीस वाली राय ही ज़्यादा सही मालूम होती है। वल्लाहु आलम! और शैख़ अल्बानी(ﷺ) ने अगली दोनों रिवायतों को भी सही क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 21/161-163, व सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा: 1/168-170, रक़्म: 85, व सहीह सुनन नसाई: 2/132, 133, रक़्म: 2263-2265)

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَغَدَّى بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ " الْغَدَاءَ " . مُرْسَلٌ .

(2267) हज़रत अबू सलमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक दफ़ा मर्रुज़ ज़हरान मक़ाम पर खाना खा रहे थे। आपके साथ हज़रत अबू बक्र व उमर (ﷺ) थे। आपने फ़रमाया: 'तुम भी खाना खाओ।' ये रिवायत मुर्सल है।

(2267) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2573.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ

(2268) हज़रत अबू सलमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और हज़रत अबू बक्र व उमर(ﷺ) मर्रुज ज़हरान मक़ाम पर थे। ये

أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ مُرْسَلٌ .

रिवायत भी मुर्सल है।

(2268) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2575.

باب: (٥٠) ذِكْرِ وَضْعِ الصِّيَامِ عَنِ الْمُسَافِرِ، وَالِاخْتِلاَفِ عَلَى الأَوْزَاعِيِّ فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ فِيهِ

बाब : (50) मुसाफ़िर को (वक़्ती तौर पर) रोज़ा माफ़ होने का ज़िक्र और इस बारे में हज़रत अम्र बिन उमय्या ज़मरी (ﷺ) की हदीस (के बयान) में ओज़ाई के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़

वज़ाहत : औज़ाई के उस्ताद यहया बिन अबी कसीर और हज़रत अम्र बिन उमय्या ज़मरी के दरम्यान वास्ता अबू सलमा हैं या अबू क़िलाबा? और अबू क़िलाबा के उस्ताद जाफ़र बिन अम्र हैं या अबू अल मुहाजिर? याद रहे अम्र बिन उमय्या ज़मरी और अबू उमय्या ज़मरी एक ही शख़्सियत हैं।

أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ " انْتَظِرِ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ " . فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ " تَعَالَ ادْنُ مِنِّي حَتَّى أُخْبِرَكَ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ " .

(2269) हज़रत अम्र बिन उमय्या ज़मरी (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं एक सफ़र से वापस रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ। आपने फ़रमाया: 'ऐ अबू उमय्या! खाना आ रहा है। ज़रा ठहरो।' मैंने अर्ज़ किया: मैं रोज़े से हूँ। आपने फ़रमाया: 'इधर आओ। मेरे क़रीब हो ताकि मैं तुम्हें बताऊँ कि अल्लाह तआला ने मुसाफ़िर से रोज़ा और निस्फ़ नमाज़ माफ़ कर दी है।'

(2269) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2576, अबी दाऊद, हदीस: 2408.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) का मतलब ये है कि अल्लाह तआला ने मुसाफ़िर से फ़र्ज़ रोज़ा भी वक़्ती तौर पर माफ़ फ़रमा दिया है, नफ़ल रोज़े की तो बात ही क्या है, लिहाज़ा तू खाना

खा सकता है। ये मतलब नहीं कि सफ़र में नफ़ल रोज़ा नहीं रखना चाहिए। (2) 'रोज़ा और निस्फ़ नमाज़' मगर दोनों में फ़र्क़ है। फ़र्ज़ रोज़ा तो बाद में रखना पड़ेगा, और ये मुत्तफ़क़ा मसला है। मगर निस्फ़ नमाज़ जो माफ़ है, वह मुस्तक़िल माफ़ है, यानी उसकी क़ज़ा अदा नहीं करनी पड़ेगी। (3) 'माफ़ है' लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुसाफ़िर रोज़ा रख नहीं सकता या नमाज़ पूरी नहीं पढ़ सकता बल्कि ये उसकी मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ है। ये माफ़ रुख़सत के मानी में है। (4) हर नमाज़ निस्फ माफ़ नहीं बल्कि सिर्फ़ वह नमाज़ जो चार रकअत वाली है। ज़ुहर, अस्र और इशा, बाक़ी दो नमाज़ें पूरी पढ़नी होंगी।

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ تَنْتَظِرُ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ " . قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ " تَعَالَ أُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ " .

(2270) हज़रत अम्र बिन उमय्या ज़मरी (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मैं (सफ़र से वापसी पर) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया मुझसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अबू उमय्या! क्या तू खाना आने का इन्तेज़ार नहीं करेगा?' मैंने कहा: मेरा तो रोज़ा है। आपने फ़रमाया: 'इधर आओ, मैं तुम्हें बताऊँ कि अल्लाह तआला ने मुसाफ़िर से रोज़ा और निस्फ़ नमाज़ माफ़ कर दी है।'

(2270) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2577.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا ذَهَبْتُ لأَخْرُجَ قَالَ "

(2271) हज़रत अबू उमय्या ज़मरी से मरवी है, वह कहते हैं कि मैं एक सफ़र से रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास वापस आया। मैंने आपको सलाम अर्ज़ किया। जब मैं उठने लगा तो आपने फ़रमाया: 'ऐ अबू उमय्या! खाना आने तक ठहरो।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के नबी! मैं तो रोज़े से हूँ। आपने फ़रमाया। 'इधर आओ, मैं तुम्हें बताऊँ कि अल्लाह तआला ने मुसाफ़िर से रोज़ा और निस्फ़

انْتَظِرِ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ " . قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ . قَالَ " تَعَالَ أُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ " .

नमाज़ माफ़ कर दी है।'

(2271) तख़रीज : (सनद सही) अद्दारमी: 2/10, हदीस: 1719, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2578, देखें हदीस: 2269.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُهَاجِرِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَيَّةَ يَعْنِي الضَّمْرِيَّ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

(2272) हज़रत अबू उमय्या ज़मरी से रिवायत है कि मैं नबी (ﷺ) के पास आया। और ऊपर दी गई रिवायत की मानिन्द हदीस बयान की।

(2272) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2579.

أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ الْجَرْمِيُّ، أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ، قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ " انْتَظِرِ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ " . قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ " ادْنُ أُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ " .

(2273) हज़रत अबू उमय्या ज़मरी (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि मैं एक सफ़र से रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ। आपने फ़रमाया: 'ऐ अबू उमय्या! ठहरो खाना आ रहा है।' मैंने अर्ज़ किया: मेरा तो रोज़ा है। आपने फ़रमाया: 'इधर आओ, मैं तुम्हें बताऊँ कि अल्लाह तआला ने मुसाफ़िर को रोज़ा और निस्फ़ नमाज़ माफ़ कर दी है।'

(2273) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 4/92, हदीस: 2819, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2580.

बाब : (51)
इस हदीस़ के बयान में मुआविया बिन सलाम और अ़ली बिन मुबारक का इख़्तिलाफ़

باب: (٥١) ذِكْرِ اخْتِلاَفِ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلاَّمٍ وَعَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

वज़ाहत : ये दोनों बुज़ुर्ग हज़रत यहया बिन अबी कस़ीर के शागिर्द ही हैं। इनमें इख़्तिलाफ़ ये है कि मुआविया बिन सलाम तो अबू क़िलाबा और अबू उमय्या ज़मरी (ﷺ) के दरम्यान कोई वास्ता ज़िक्र नहीं करते जबकि अ़ली बिन मुबारक वास्ता ज़िक्र करते हैं जैसे कि साबिक़ा वज़ाहत में बयान हो चुका है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَلاَ تَنْتَظِرِ الْغَدَاءَ " . قَالَ إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَعَالَ أُخْبِرْكَ عَنِ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ " .

(2274) हज़रत अबू उमय्या ज़मरी (ﷺ) ने बताया कि मैं एक सफ़र से (वापसी पर) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ। मैं रोज़े से था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: 'तुम खाने तक नहीं ठहरोगे?' मैंने अ़र्ज़ किया: मैं तो रोज़े से हूँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इधर आओ, मैं तुम्हें बताऊँ कि अल्लाह तआला ने मुसाफ़िर को रोज़ा और आधी नमाज़ माफ़ कर दी है।'

(2274) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2581.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ نَحْوَهُ .

(2275) हज़रत अबू उमय्या (ﷺ) ने ख़बर दी कि मैं सफ़र से वापस नबी (ﷺ) के पास आया। ऊपर दी गई रिवायत की मानिन्द।

(2275) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2582.

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ التَّلِّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمَ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ " .

(2276) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने मुसाफ़िर को आधी नमाज़ और रोज़ा माफ़ कर दिया है। और (इसी तरह) हामिला और दूध पिलाने वाली औरत को भी।'

(2276) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2583, अबू दाऊद, हदीस: 2408, तिर्मिज़ी, हदीस: 715, व इब्ने माजा, हदीस: 1667, 3299, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2044, 2317.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) ने मज़्कूरा हदीसे अनस को भी मज़्कूरा बाब के तहत ही ज़िक्र फ़रमा दिया, हालांकि इस पर अलग से उन्वान क़ाइम करना ज़्यादा मुनासिब था जैसा कि दीगर सहाब-ए-किराम (ﷺ) से मरवी अहादीस के इस्नादी इख़्तिलाफ़ात के बयान में करते हैं। देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 21/172-173) **(2)** हामिला और दूध पिलाने वाली औरत को अगर बच्चे के नुक़सान का अन्देशा हो तो वह रोज़ा छोड़ सकती है, बाद में क़ज़ा अदा करे या कुछ ने कहा है कि फ़िद्या दे दे, यही काफ़ी है। कुछ कहते हैं क़ज़ा की ज़रूरत है न फ़िद्या की, गोया कि हक़ीक़तन माफ़ी है, मगर जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक पहली बात ही सही है कि बाद में क़ज़ा अदा करनी होगी।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ قُشَيْرٍ عَنْ عَمِّهِ، حَدَّثَنَا ثُمَّ، أَلْفَيْنَاهُ فِي إِبِلٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو قِلاَبَةَ حَدِّثْهُ فَقَالَ الشَّيْخُ حَدَّثَنِي عَمِّي أَنَّهُ ذَهَبَ فِي إِبِلٍ لَهُ فَانْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَأْكُلُ أَوْ قَالَ يَطْعَمُ

(2277) हज़रत अय्यूब से मन्क़ूल है कि हमें बताया गया कि क़ुशैर क़बीले का एक बुज़ुर्ग अपने सहाबी चचा से हदीस बयान करता है। (हम गये तो) हमने उस बुज़ुर्ग को उसके ऊँटों में पाया। (मेरे साथ उस्तादे मोहतरम अबू क़िलाबा भी थे।) तो हज़रत अबू क़िलाबा ने उस (बुज़ुर्ग) से कहा कि उसे वह हदीस बयान कीजिये: तो उस बुज़ुर्ग ने फ़रमाया कि मुझे मेरे चचा (अनस बिन मालिक क़ुशैरी (ﷺ)) ने बयान फ़रमाया कि मैं

فَقَالَ " ادْنُ فَكُلْ أَوْ قَالَ " ادْنُ فَاطْعَمْ " . فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامَ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ " .

अपने ऊँटों के मुतालबे के सिलसिले में नबी (ﷺ) के पास पहुँचा। आप उस वक़्त खाना खा रहे थे। आपने फ़रमाया: 'आओ और खाना खाओ' मैंने अर्ज़ किया: मेरा रोज़ा है। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने मुसाफ़िर को निस्फ़ नमाज़ और रोज़ा माफ़ कर दिया है। इसी तरह हामिला और मुर्ज़िआ (बच्चे को दूध पिलाने वाली) को भी।'

(2277) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2584.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ، هَذَا الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِي صَاحِبِ الْحَدِيثِ فَدَلَّنِي عَلَيْهِ فَلَقِيتُهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي قَرِيبٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِبِلٍ كَانَتْ لِي أُخِذَتْ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ " ادْنُ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ".

(2278) हज़रत अय्यूब बयान करते हैं कि मुझे ये हदीस हज़रत अबू क़िलाबा ने बयान फ़रमाई, फिर फ़रमाने लगे: क्या तुम इस हदीस के रावी से मिलना चाहते हो? और मुझे उनका पता बताया। मैं जाकर उन्हें मिला तो उन्होंने फ़रमाया: मुझसे मेरे एक रिश्तेदार, जिन्हें अनस बिन मालिक(رضي الله عنه) कहा जाता है, ने बयान किया कि मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास अपने ऊँटों के मुतालबे के लिये हाज़िर हुआ जो (ग़लतफ़हमी की बिना पर) पकड़ लिये गये थे। मैंने आपको खाना खाते पाया। आप (ﷺ) ने मुझे खाने की दावत दी। मैंने कहा: मेरा तो रोज़ा है। आपने फ़रमाया: 'इधर आओ, मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ कि अल्लाह तआला ने मुसाफ़िर को रोज़ा और निस्फ़ नमाज़ माफ़ कर दी है।'

(2278) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2585.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَةٍ فَإِذَا هُوَ يَتَغَدَّى قَالَ " هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ " . فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ " هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنِ الصَّوْمِ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمَ وَرَخَّصَ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ " .

(2279) हज़रत अबू क़िलाबा एक सहाबी से बयान करते हैं कि उन्होंने फ़रमाया: मैं नबी (ﷺ) के पास किसी काम के सिलसिले में हाज़िर हुआ। आप सुबह का खाना खा रहे थे। आपने फ़रमाया: 'आओ खाना खाओ' मैंने अर्ज़ किया: मैं रोज़े से हूँ। आपने फ़रमाया: 'इधर आओ, मैं तुम्हें रोज़े के बारे में बताता हूँ कि अल्लाह तआला ने मुसाफ़िर को निस्फ़ नमाज़ और रोज़ा माफ़ कर दिया है। और हामिला और दूध पिलाने वाली औरत को भी रुख़्सत दी है।'

(2279) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस: 2276, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2586.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ رَجُلٍ، نَحْوَهُ.

(2280) हज़रत अबू अलाअ बिन शिख़्ख़ीर ने भी एक शख़्स से ऐसी ही रिवायत बयान की है।

(2280) **तख़रीज : (सनद सही)** पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2587.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ هَانِئِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَلْحَرِيشِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنْتُ مُسَافِرًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا صَائِمٌ وَهُوَ يَأْكُلُ قَالَ " هَلُمَّ " . قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ " تَعَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ مَا وَضَعَ اللَّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ " . قُلْتُ وَمَا وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ قَالَ " الصَّوْمَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ " .

(2281) बल्हरीश (बनू अल्हरीश) क़बीले के एक शख़्स ने अपने वालिद से बयान किया, उन्होंने फ़रमाया: मैं मुसाफ़िर था। मैं नबी (ﷺ) के पास आया। मैं उस वक़्त रोज़े से था और आप खाना खा रहे थे। आपने फ़रमाया: 'तुम भी आओ' मैंने अर्ज़ किया: मेरा तो रोज़ा है। आपने फ़रमाया: 'इधर आओ। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह तआला ने मुसाफ़िर को माफ़ी दी है?' मैंने कहा: किस चीज़ की? फ़रमाया: 'रोज़े और निस्फ़ नमाज़ की।'

(2281) **तख़रीज : (सनद सही)** सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2588.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ هَانِئِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَلْحَرِيشِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَطْعَمُ فَقَالَ " هَلُمَّ فَاطْعَمْ " . فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُحَدِّثُكُمْ عَنِ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ " .

(2282) बल्हरीश (बनू अल्हरीश) क़बीले के एक शख़्स ने अपने वालिदे मोहतरम से बयान किया कि हम सफ़र किया करते थे जब तक अल्लाह तआ़ला चाहता। हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये तो आप खाना खा रहे थे। फ़रमाया: 'आओ खाना खाओ' मैंने कहा: मेरा तो रोज़ा है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं तुम्हें रोज़े के बारे में बयान करता हूँ कि अल्लाह तआ़ला ने मुसाफ़िर को रोज़ा और आधी नमाज़ माफ़ कर दी है।'

(2282) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2589.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ هَانِئِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنْتُ مُسَافِرًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَأْكُلُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ " هَلُمَّ " . قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ " أَتَدْرِي مَا وَضَعَ اللَّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ " . قُلْتُ وَمَا وَضَعَ اللَّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ قَالَ " الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ " .

(2283) हज़रत हानी बिन अ़ब्दुल्लाह बिन शिख़्ख़ीर अपने वालिदे मोहतरम से बयान करते हैं कि उन्होंने फ़रमाया: मैं मुसाफ़िर था। नबी (ﷺ) के पास आया। आप उस वक़्त खाना खा रहे थे और मेरा रोज़ा था। आपने फ़रमाया: 'आओ' मैंने कहा: मेरा तो रोज़ा है। फ़रमाया: 'क्या तुम जानते हो कि अल्लाह तआ़ला ने मुसाफ़िर को क्या माफ़ किया है?' मैंने कहा: अल्लाह तआ़ला ने मुसाफ़िर को क्या माफ़ किया है? आपने फ़रमाया: 'रोज़ा और निस्फ़ नमाज़'

(2283) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2590.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُوسَى، -

(2284) हज़रत ग़ैलान बयान करते हैं कि मैं हज़रत अबू क़िलाबा के साथ एक सफ़र में गया। उन्होंने खाना मेरे करीब किया। मैंने कहा: मेरा तो

هُوَ ابْنُ أَبِي عَائِشَةَ - عَنْ غَيْلاَنَ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قِلاَبَةَ فِي سَفَرٍ فَقَرَّبَ طَعَامًا فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي سَفَرٍ فَقَرَّبَ طَعَامًا فَقَالَ لِرَجُلٍ " ادْنُ فَاطْعَمْ " . قَالَ إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ " إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامَ فِي السَّفَرِ " . فَادْنُ فَاطْعَمْ فَدَنَوْتُ فَطَعِمْتُ .

रोज़ा है कहने लगे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (एक दफ़ा) सफ़र में निकले। आपने खाना क़रीब किया और एक आदमी से फ़रमाया: 'आओ, खाना खाओ' उसने कहा: मैं तो रोज़े से हूँ। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने मुसाफ़िर को निस्फ़ नमाज़ और रोज़ा सफ़र में माफ़ कर दिया है, लिहाज़ा तुम क़रीब आओ और खाओ' (ग़ैलान ने कहा:) (ये हदीस़ सुन कर) मैं क़रीब हुआ और मैंने खाना खाया।

(2284) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2276, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2591.

फ़वाइद व मसाइल : (1) एक हदीस़ की इस क़द्र तकरार की वुजूहात इससे क़ब्ल मुख़्तलिफ़ मक़ामात पर ज़िक्र हो चुकी हैं, जैसे: हदीस़: 2132 के फ़वाइद देख लें। **(2)** रिवायात से मालूम होता है कि ऊपर दिया गया वाक़िया एक से ज़्यादा स़हाबा के साथ पेश आया। और ये कोई बईद बात नहीं।

باب: (٥٢) فَضْلِ الإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ عَلَى الصِّيَامِ

बाब : (52) सफ़र में (बस़ूरते मशक़्क़त) रोज़ा रखने से न रखना अफ़ज़ल है

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَنَزَلْنَا فِي يَوْمٍ حَارٍّ وَاتَّخَذْنَا ظِلاَلاً فَسَقَطَ الصُّوَّامُ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَسَقَوُا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ " .

(2285) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सफ़र में थे। किसी ने रोज़ा रखा हुआ था, किसी ने नहीं रखा था। ये सख़्त गर्म दिन थे। हम उतरे और साया हासिल किया। रोज़ेदार तो लेट गये लेकिन रोज़ा न रखने वाले उठे और उन्होंने हमारी सवारियों के जानवरों को पानी पिलाया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आज तो रोज़ा न रखने वाले स़वाब ले गये।'

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1119, बुख़ारी, हदीस़: 2890, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2592.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इतनी मशक़्क़त के साथ नफ़ल रोज़े सफ़र में रखना कि रोज़ेदार अपना काम भी ख़ुद न कर सके बल्कि दूसरों को उसका काम करना पड़े, बेहतर नहीं। रोज़ा रखना सफ़र में उस वक़्त बेहतर है जब इन्सान आजिज़ न आये और लोगों पर बोझ न बने। **(2)** 'सवाब ले गये' यानी ख़िदमत का सवाब। वैसे ये जुम्ला तर्जीह के मौक़े पर बोला जाता है, गोया उस दिन रोज़ा न रखने वाले रोज़ा रखने वालों से बढ़ गये। वल्लाहु आलम! **(3)** जिहाद में एक दूसरे का तआवुन करना बहुत अज्र वाला काम है।

बाब : (53)
इस बात का बयान कि सफ़र में रोज़ा रखने वाला घर में रह कर रोज़ा न रखने वाले की तरह है

باب: (٥٣) ذِكْرِ قَوْلِهِ الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ

(2286) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) फ़रमाते हैं: कहा जाता है कि सफ़र में रोज़ा रखना घर में रह कर रोज़ा न रखने के बराबर है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ يُقَالُ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ كَالإِفْطَارِ فِي الْحَضَرِ .

(2286) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 1666, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2593.

(2287) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) ने फ़रमाया: सफ़र में रोज़ा रखने वाला घर में रह कर रोज़ा न रखने वाले की तरह है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْخَيَّاطِ، وَأَبُو عَامِرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ .

(2287) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2594.

(2288) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) बयान करते हैं कि सफ़र में रोज़ा रखने वाला घर में रह कर रोज़ा न रखने वाले की तरह है।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ

(2288) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल

الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ .

कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2595, देखें, हदीस: 1207.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़्यादा से ज़्यादा मौक़ूफ़ (यानी सहाबी का क़ौल) है, इसके अलावा तीनों रिवायात सनदन ज़ईफ़ हैं, और रिवायत: 2286 से मालूम होता है कि इस क़ौल के क़ाइल का भी इल्म नहीं कि कौन है। वैसे भी इस क़ौल का मतलब ऊपर दी गई मरफ़ूअ अहादीस के मुख़ालिफ़ नहीं लिया जा सकता, यानी अगर सफ़र में रोज़ा इन्तेहाई मशक़्क़त का सबब हो जिससे रोज़ेदार आजिज़ आ जाये और दूसरों के लिये मुसीबत का सबब बने तब सफ़र में रोज़ा रखना मुनासिब नहीं वरना जायज़ है जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और सहाब-ए-किराम (ﷺ) के अमल से साबित है। किसी क़ौल का ऐसा मतलब नहीं लिया जा सकता जो सरीह हदीस के ख़िलाफ़ हो।

बाब : (54)
सफ़र में रोज़ा रखना, और इस बारे में हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) की हदीस में नाक़िलीन का इख़्तिलाफ़

باب: (٥٤) الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ

वज़ाहत : इख़्तिलाफ़ ये है कि हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से इस हदीस को बयान करने वाले मिक़्सम हैं या मुजाहिद या ताऊस? दुरुस्त ये है कि ये रिवायत बवास्त-ए-मिक़्सम मालूल है, ताऊस और मुजाहिद के वास्ते से सही है। देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 21/188)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا ثُمَّ أُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ وَأَفْطَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ

(2289) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) रमज़ानुल मुबारक में (फ़तहे मक्का के लिये) निकले आप रोज़े रखते रहे यहाँ तक कि क़ुदैद मक़ाम पर आये तो आपके पास दूध का प्याला लाया गया। आपने पिया और सहाबा समेत रोज़ा खोल लिया।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/244, 341, 344, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2596, 2315.

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ

(2290) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना मुनव्वरा से चले तो रोज़े

الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ .

रखते रहे यहाँ तक कि क़ुदैद के मक़ाम पर आ गये, फिर आपने रोज़े रखने बन्द कर दिये यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा आ गये।'

(2290) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1661, देखें, हदीस: 2292, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2597.

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَامَ فِي السَّفَرِ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ فَأَفْطَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ .

(2291) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (फ़तहे मक्का के) सफ़र में रोज़े रखते रहे यहाँ तक कि क़ुदैद मक़ाम पर आये तो दूध का प्याला मँगवाया और पी लिया। इस तरह आपने और आपके सहाबा ने रोज़ा खोल लिया।

(2291) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2289.

फ़ायदा : ये रिवायत तफ़्सील से पीछे गुज़र चुकी है। (देखिये, रिवायत: 2265) जिसमें रोज़े के इफ़्तार की वजह मशक़्क़त बयान की गई है। इस बाब में ये बयान किया गया है कि इसके बाद मक्का मुकर्रमा में जंग का इम्कान था, लिहाज़ा आपने मुनासिब समझा कि लोग कुछ जिस्मानी क़ुव्वत हासिल कर लें, इसलिये हुक्मन रोज़े रखने से रोक दिया। गोया मख़्सूस हालत में सफ़र के दौरान में रोज़ा रखने से रोका जा सकता है।

بَاب: (٥٥) ذِكْرِ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَنْصُورٍ

बाब : (55) मन्सूर के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

वज़ाहत : यानी मुजाहिद हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से बराहे रास्त बयान करते हैं या बवास्त-ए-ताऊस? दोनों तरह मुमकिन है। पहले पहल वास्ते के साथ बयान किया हो, फिर मज़ीद तौसीक़ के लिये बराहे रास्त हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से भी सिमाअ कर लिया हो, ग़र्ज़ इस क़िस्म का इख़्तिलाफ़ सेहते हदीस के लिये मुज़िर नहीं। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ فَدَعَا بِقَدَحٍ فَشَرِبَ - قَالَ شُعْبَةُ - فِي رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ .

(2292) हज़रत इब्ने अब्बास (﵁) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (फ़तहे मक्का के वक़्त) मक्का मुकर्रमा को चले तो रोज़े रखते रहे यहाँ तक कि उस्फ़ान मक़ाम पर पहुँचे तो प्याला मँगवाया और पी लिया। और ये रमज़ानुल मुबारक की बात है। हज़रत इब्ने अब्बास (﵁) (इस बिना पर) फ़रमाया करते थे (सफ़र में) जो शख़्स चाहे रोज़ा रखे, जो चाहे न रखे।

(2292) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1661, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2598.

फ़ायदा : साबिक़ा रिवायात में कुदैद का ज़िक्र है और यहाँ उस्फ़ान का, इसमें कोई तज़ाद नहीं ये दोनों मक़ाम क़रीब क़रीब हैं। मुमकिन है कि इफ़्तार की तअ्मीम (लोगों की इत्तिला) के लिये दोनों जगह नबी (ﷺ) ने पिया हो।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ .

(2293) हज़रत इब्ने अब्बास (﵁) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रमज़ानुल मुबारक में (फ़तहे मक्का का) सफ़र किया। रोज़े रखते रहे यहाँ तक कि मक़ामे उस्फ़ान पहुँचे तो बर्तन मँगवाया और अभी दिन ही था कि आपने पीकर रोज़ा खोल लिया। सब लोग आपको देख रहे थे।

(2293) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4279, मुस्लिम, हदीस: 1113, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2599.

फ़ायदा : मालूम हुआ दौराने सफ़र में शदीद मशक़्क़त हो तो रोज़ा खोला जा सकता है। इसमें कोई कफ़्फ़ारा नहीं, हाँ क़ज़ा अदा करनी होगी।

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا

(2294) हज़रत अव्वाम बिन हौशब से रिवायत है कि मैंने हज़रत मुजाहिद से सफ़र में रोज़ा रखने

سُفْيَانُ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ وَيُفْطِرُ .

के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह(ﷺ) (सफ़र के दौरान में) रोज़ा रख भी लेते थे और छोड़ भी देते थे।

(2294) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2600.

أَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُجَاهِدٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَفْطَرَ فِي السَّفَرِ .

(2295) हज़रत मुजाहिद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सफ़र के दौरान में माहे रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे भी हैं और छोड़े भी हैं।

(2295) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2601.

باب: (٥٦) ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو فِيهِ

बाब: (56) इस बारे में हज़रत हम्ज़ा बिन अ़म्र(ﷺ) की हदीस़ में सुलैमान बिन यसार के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

वज़ाहत : अक्सर शागिर्दों ने ये रिवायत अ़न सुलैमान अ़न हम्ज़ा बयान की है। गोया सुलैमान ये रिवायत हज़रत हम्ज़ा (ﷺ) के वास्ते से बयान कर रहे हैं जबकि रिवायत: 2297 की सनद के सियाक़ से यूँ समझ में आता है कि सुलैमान बिन यसार हज़रत हम्ज़ा का वाक़िया बयान कर रहे हैं हालांकि वह वाक़िये के वक़्त मौजूद न थे। उन्होंने स़राहत नहीं की कि उन्होंने ये वाक़िया हज़रत हम्ज़ा से सुना है या किसी और से, इसी लिये इमाम नसाई (رحمه الله) ने इस रिवायत: 2297 को मुन्क़तअ़ क़रार दिया है, यहाँ मुर्सल मुन्क़तअ़ के मानी में है। दूसरा इख़्तिलाफ़ ये है कि रिवायत: 2304 में सुलैमान बिन यसार के शागिर्द इमरान बिन अबी अनस ने उनके और हज़रत हम्ज़ा के दरम्यान अबू मुरावेह का वास्ता ज़िक्र किया है जबकि बाक़ी रिवायत बिला वास्ता हैं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو

(2296) हज़रत हम्ज़ा बिन अ़म्र अस्लमी (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सफ़र के दौरान में रोज़ा रखने के बारे में पूछा। आपने

الأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ " إِنْ - ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا إِنْ - شِئْتَ صُمْتَ وَإِنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ " .

फ़रमाया: 'अगर तू चाहे तो रख ले और चाहे तो न रख।'

(2296) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 1121/104, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2602.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِثْلَهُ مُرْسَلٌ .

(2297) हज़रत सुलैमान बिन यसार से रिवायत है कि हज़रत हम्ज़ा बिन अम्र ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! फिर इसी के मिस्ल बयान किया। ये रिवायत मुर्सल (मुन्क़तअ) है।

(2297) **तख़रीज : (सनद सही)** पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2604.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حَمْزَةَ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ " إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطِرَ فَأَفْطِرْ" .

(2298) हज़रत हम्ज़ा अस्लमी (﵁) से मन्क़ूल है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से दौराने सफ़र में रोज़ा रखने के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'अगर तू रोज़ा रखना चाहे तो रोज़ा रख ले और अगर न रखना चाहे तो न रख।'

(2298) **तख़रीज : (सनद सही)** पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ " إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطِرَ فَأَفْطِرْ " .

(2299) हज़रत हम्ज़ा बिन अम्र (﵁) से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सफ़र की हालत में रोज़ा रखने के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'तू रोज़ा रखना चाहे तो रोज़ा रख सकता है। न रखना चाहे तो छोड़ भी सकता है।'

(2299) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस: 2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2606.

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ، وَذَكَرَ، آخَرَ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ قَالَ " إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ " .

(2300) हज़रत हम्ज़ा बिन अम्र अस्लमी (ﷺ) ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! यक़ीनन मैं सफ़र की हालत में रोज़ा रखने की ताक़त रखता हूँ (तो क्या मैं रोज़ा रख लिया करूँ) आपने फ़रमाया: 'अगर चाहे तो रख ले, चाहे तो न रख।'

(2300) तख़रीज : **(सनद सही)** देखें, हदीस: 2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2603.

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ " إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطِرَ فَأَفْطِرْ " .

(2301) हज़रत हम्ज़ा बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से दौराने सफ़र में रोज़ा रखने के बारे में पूछा। आपने फ़रमाया: 'अगर रोज़ा रखना चाहे तो रख ले और अगर न रखना चाहे तो न रख।'

(2301) तख़रीज : **(सनद सही)** देखें, हदीस: 2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2610.

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَحَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَانِي جَمِيعًا، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ كُنْتُ أَسْرُدُ الصِّيَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْرُدُ الصِّيَامَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ " إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ " .

(2302) हज़रत हम्ज़ा बिन अम्र (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में लगातार नफ़्ल रोज़े रखा करता था तो मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं सफ़र में भी लगातार रोज़े रख लेता हूँ (कोई हर्ज तो नहीं?) आपने फ़रमाया: 'चाहे तो रोज़ा रख, चाहे तो न रख।'

(2302) तख़रीज : **(सनद सही)** देखें, हदीस: 2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2607.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ حَمْزَةَ، قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصِّيَامَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ " إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ " .

(2303) हज़रत हम्ज़ा (अस्लमी (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं मुसल्सल नफ़ल रोज़े रखता हूँ तो क्या सफ़र में भी रोज़ा रख लिया करूँ? आपने फ़रमाया: 'जी चाहे तो रख ले, जी चाहे तो न रख।'

(2303) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2608.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مُرَاوِحٍ حَدَّثَهُ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ رَجُلاً يَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ " إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ "

(2304) हज़रत हम्ज़ा बिन अ़म्र (ﷺ) ने जो कि सफ़र में रोज़े रखा करते थे, रसूलुल्लाह (ﷺ) से (इस बारे में) पूछा तो आपने फ़रमाया: 'चाहे तो रोज़ा रख, चाहे तो न रख।'

(2304) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2609.

باب: (٥٧) ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى عُرْوَةَ فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ فِيهِ

बाब : (57) हज़रत हम्ज़ा बिन अ़म्र की हदीस में उ़र्वा के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

वज़ाहत : हज़रत उ़र्वा के शागिर्द अबू अल अस्वद ने उनके और हज़रत हम्ज़ा के दरम्यान अबू मुरावेह का वास्ता ज़िक्र किया है, जबकि उनके बेटे हिशाम ने उनके दरम्यान वास्ता ज़िक्र नहीं किया।

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرٌو، وَذَكَرَ، آخَرَ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ،

(2305) हज़रत हम्ज़ा बिन अ़म्र (ﷺ) से मन्क़ूल है, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अ़र्ज़ किया: मैं अपने आप में दौराने सफ़र में रोज़ा रखने की ताक़त पाता हूँ तो क्या रोज़ा रखने में मुझ पर

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجِدُ فِيَّ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ قَالَ " هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ " .

कोई गुनाह है? आपने फ़रमाया: 'रोज़ा न रखना अल्लाह (ﷻ) की तरफ़ से रुख़्सत है। जो रुख़्सत पर अमल करे तो अच्छी बात है और जो रोज़ा रखना चाहे तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं।'

(2305) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2611, मुस्लिम, हदीस: 1121/107.

फ़ायदा : ऊपर दी गई रिवायत में रसूलुल्लाह (ﷺ) से सराहतन साबित है कि सफ़र में रोज़ा रखना, न रखना बराबर है। हर मुसाफ़िर अपने हालात के लिहाज़ से दोनों में से किसी पर भी अमल कर सकता है। अगर मशक़्क़त न हो तो फ़र्ज़ रोज़ा रख लेना बेहतर और अफ़ज़ल है क्योंकि बाद में क़ज़ा में रुकावट पैदा हो सकती है। (अगरचे न रखना भी जायज़ है) और अगर मशक़्क़त हो तो रोज़ा न रखना बेहतर है ताकि रोज़ा उसके और उसके साथियों के लिये मुसीबत न बन जाये। नफ़ली रोज़े में दोनों बातें बराबर हैं। ये ऊपर दी गई रिवायत का ख़ुलासा है। इस तरीक़े से तमाम रिवायात पर अमल हो जायेगा।

باب: (٥٨) ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِيهِ

बाब : (58) इस रिवायत में हिशाम बिन उर्वा के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

वज़ाहत : हिशाम बिन उर्वा के शागिर्द मुहम्मद बिन बिश्र ने उर्वा और हज़रत हम्ज़ा के दरम्यान कोई वास्ता ज़िक्र नहीं किया जबकि दूसरे शागिर्द दोनों के दरम्यान हज़रत आयशा (رضي الله عنها) का वास्ता ज़िक्र करते हैं। कुछ शागिर्दों ने इस रिवायत को हज़रत आयशा (رضي الله عنها) की रिवायत बयान किया है कि वह हज़रत हम्ज़ा का वाक़िया बयान कर रही हैं, न कि उनसे बयान कर रही हैं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ " إِنْ شِئْتَ فَصُمْ

(2306) हज़रत हम्ज़ा बिन अम्र अस्लमी (رضي الله عنه) से मरवी है कि मैं सफ़र में रोज़े रखा करता था। (इसलिये) मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा: क्या मैं दौराने सफ़र में रोज़ा रख सकता हूँ? आपने फ़रमाया: 'अगर तू चाहे तो रोज़ा रख ले और अगर चाहे तो न रख।'

وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ " .

(2306) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2612.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ اللاَّنِيُّ، بِالْكُوفَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّازِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ " إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ " .

(2307) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत हम्ज़ा बिन अम्र अस्लमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अक्सर नफ़्ल रोज़े रखता हूँ तो क्या सफ़र में भी रख लिया करूँ? आपने फ़रमाया: 'अगर चाहे तो रोज़ा रख ले और अगर चाहे तो न रख।'

(2307) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2613.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنَّ حَمْزَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ " .

(2308) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत हम्ज़ा (अस्लमी) (ﷺ) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं सफ़र में रोज़ा रख लिया करूँ? और वह अक्सर (नफ़्ल) रोज़े रखा करते थे। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे फ़रमाया: 'अगर चाहे तो रोज़ा रख ले और चाहे तो न रख।'

(2308) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1943, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2614, मौता: 1/295.

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنَّ حَمْزَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ " إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ "

(2309) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि हज़रत हम्ज़ा (अस्लमी) (ﷺ) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सवाल किया, कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं सफ़र में रोज़ा रख लिया करूँ? आपने फ़रमाया: 'अगर जी चाहे तो रोज़ा रख ले और अगर जी चाहे तो न रख।'

(2309) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2615.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَكَانَ رَجُلاً يَسْرُدُ الصِّيَامَ . فَقَالَ " إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ " .

(2310) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि हज़रत हम्ज़ा अस्लमी (ﷺ) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से दौराने सफ़र रोज़ा रखने के बारे में सवाल किया और ये (अल्लाह के बन्दे) लगातार नफ़ल रोज़े रखा करते थे। आपने फ़रमाया: 'अगर तू चाहे तो रोज़ा रख ले और अगर चाहे तो छोड़ दे।'

(2310) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2616, तिर्मिज़ी, हदीस: 711.

फ़ायदा : रिवायात की ये तकरार कुछ इस्नादी बारीकियों की वज़ाहत के लिये होती है और मुहद्दिसीन के नज़दीक ये बहुत मुफ़ीद और दिलचस्प चीज़ है। इसकी तरफ़ कई मक़ामात पर इशारा हो चुका है। (जैसे, देखिये, हदीस: 2132)

باب: (٥٩) ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى أَبِي نَضْرَةَ الْمُنْذِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ قُطَعَةَ فِيهِ

बाब : (59) इस हदीस में अबू नज़्रा मुन्ज़िर बिन मालिक बिन क़ुतआ के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

वज़ाहत : पहली दो रिवायात: 2311-2312 में अबू नज़्रा के उस्ताद हज़रत अबू सईद ख़ुदरी(ﷺ) हैं जबकि रिवायत: 2313 में इनके उस्ताद जाबिर (ﷺ) बयान किये गये हैं। और रिवायत: 2314 में दोनों का ज़िक्र कर दिया गया है। ये तो है इख़्तिलाफ़, अलबत्ता वाज़ेह रहे कि दोनों क़िस्म की रिवायात सही हैं और दोनों सहाबा इनके उस्ताद हैं जैसा कि आख़री रिवायत में सराहत है।

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ لاَ يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ

(2311) हज़रत अबू सईद (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रमज़ानुल मुबारक में सफ़र किया करते थे। कोई हममें से रोज़ेदार होता था और किसी का रोज़ा नहीं होता था। न रोज़ेदार रोज़ा छोड़ने वाले पर ऐतराज़ करता था और न रोज़ा छोड़ने वाला रोज़ेदार पर।

يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .

(2311) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 1116/96, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2618.

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ - عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ وَلاَ يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .

(2312) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से रिवायत है कि हम नबी (ﷺ) के साथ सफ़र किया करते थे। हममें से कोई रोज़ा रखता था, कोई नहीं रखता था। न तो रोज़ा रखने वाला, न रखने वाले पर ऐतराज़ करता था और न रोज़ा न रखने वाला, रोज़ा रखने वाले पर कोई ऐतराज़ करता था।

(2312) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 1116/95, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2619, पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَامَ بَعْضُنَا وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا .

(2313) हज़रत जाबिर (ﷺ) फ़रमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सफ़र किया। हममें से किसी ने रोज़ा रखा था, किसी ने नहीं।

(2313) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 1117, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2620.

أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُمَا سَافَرَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ وَلاَ يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .

(2314) हज़रत अबू सईद और हज़रत जाबिर(ﷺ) से मन्क़ूल है कि हमने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ सफ़र किये। कोई रोज़ा रखता था, कोई नहीं रखता था। न रोज़ेदार रोज़ा छोड़ने वाले पर ऐतराज़ करता था और न रोज़ा छोड़ने वाला रोज़ेदार पर।

(2314) **तख़रीज : (सनद सही)** पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2621.

बाब : (60) मुसाफ़िर को इजाज़त है कि कुछ रोज़े रख ले कुछ छोड़ दे

باب: (٦٠) الرُّخْصَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَصُومَ بَعْضًا وَيُفْطِرَ بَعْضًا

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ أَفْطَرَ .

(2315) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़तहे मक्का वाले साल रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखते हुये गये, यहाँ तक कि जब मक़ामे कुदैद में पहुँचे तो (उस दिन का) रोज़ा खोल लिया।

(2315) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1113, देखें, हदीस: 2311, बुख़ारी, हदीस: 2953, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2622.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत मअ फ़ायदा (फ़ायदे के साथ) पीछे गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 2291 **(2)** इस रिवायत में इफ़्तार की जगह कदीद बतलाई गई है जो कि उस्फ़ान और कुदैद के दरम्यान है, लिहाज़ा ये रिवायत दूसरी रिवायात से मुख़्तलिफ़ नहीं। (देखिये, हदीस: 2292) **(3)** बाब का मक़सद ये है कि अगर मुसाफ़िर सफ़र में रोज़ा रखने को तर्जीह दे तो ज़रूरी नहीं कि वह सब रोज़े रखे बल्कि कुछ रख ले, कुछ न रखे। बाद में भी रख ले तो कोई हर्ज नहीं।

बाब : (61) जो शख़्स रमज़ानुल मुबारक में घर में मौजूद था, उसने रोज़ा रख लिया, फिर सफ़र शुरू किया तो सफ़र में वह रोज़ा खोल सकता है

باب: (٦١) الرُّخْصَةِ فِي الإِفْطَارِ لِمَنْ حَضَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصَامَ ثُمَّ سَافَرَ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ

(2316) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (फ़तहे मक्का का) सफ़र किया तो रोज़े रखते गये यहाँ तक कि उस्फ़ान मक़ाम पर पहुँचे तो बर्तन मँगवाया और दिन खड़े पिया ताकि लोग भी आपको देख लें (और रोज़ा खोल लें) फिर आपने रोज़े नहीं रखे

فَشَرِبَ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ فَافْتَتَحَ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा पहुँच गये और मक्का फ़तह कर लिया। ये रमज़ानुल मुबारक की बात है। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सफ़र में रोज़ा रखा भी है और कभी नहीं भी रखा, लिहाज़ा जो शख़्स चाहे रोज़ा रखे, जो चाहे न रखे।

(2316) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस: 2293, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2623.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) का मक़सद उस शख़्स की तर्दीद करना है जो उस मुसाफ़िर के लिये इफ़्तार की रुख़्सत का क़ाइल है जिसे रमज़ानुल मुबारक सफ़र की हालत में तुलूअ हो, यानी जिस शख़्स को रमज़ानुल मुबारक का आग़ाज़ घर में हो जाये, वह सफ़र में रोज़ा छोड़ने का मजाज़ नहीं, और सफ़र शुरू होने से पहले रखा जाने वाला रोज़ा सफ़र के दौरान में इफ़्तार करना जायज़ नहीं। मज़्कूरा हदीस में दोनों बातों का रद्द है।

بَاب: (٦٢) وَضْعِ الصِّيَامِ عَنِ الْحُبْلَى، وَالْمُرْضِعِ.

बाब : (62) हामिला और मुर्ज़िआ (बच्चे को दूध पिलाने वाली) को रोज़ा माफ़ है

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ " هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ " . فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ لِلْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ " .

(2317) हज़रत अनस बिन मालिक कुशैरी(ﷺ) से मन्क़ूल है कि मैं नबी (ﷺ) के पास मदीना मुनव्वरा आया। आप खाना तनावुल फ़रमा रहे थे। आपने मुझसे फ़रमाया: 'आओ खाना खाओ।' मैंने अर्ज़ किया: मैं रोज़े से हूँ। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने मुसाफ़िर को रोज़ा और निस्फ़ नमाज़ माफ़ फ़रमा दी है। और हामिला और बच्चे को दूध पिलाने वाली को भी।'

(2317) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस: 2276, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2624.

फ़ायदा : हामिला और मुर्ज़िआ को अगर मशक़्क़त महसूस हो या अपने बच्चे का ख़तरा हो तो उन्हें रोज़ा छोड़ने और उसकी जगह कफ़्फ़ारा देने की रुख़्सत है। अगरचे इस मसले में इख़्तिलाफ़ है लेकिन ये मौक़िफ़ राजेह है। इब्ने अ़ब्बास और इब्ने उ़मर दोनों सहाब-ए-किराम (ﷺ) का यही फ़तवा है और सनद भी सही है। देखिये: (सुनन दारक़ुतनी: 2/207, मअ तअ़लीक़ अल मुग़नी, मज़ीद देखिये: सुबुलुस्सलाम मअ तअ़लीक़े अल्बानी: 2/453) रिवायत का सही मफ़हूम समझने के लिये देखिये अहादीस: 2269, 2276.

बाब : (63) अल्लाह तआ़ला के फ़रमान { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } की तफ़्सीर

بَاب: (٦٣) تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ أَنْبَأَنَا بَكْرٌ، - وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا .

(2318) हज़रत सलमा बिन अक्वा (ﷺ) बयान करते हैं कि जब ये आयत उतरी (व अ़लल्लज़ीना....) 'जो लोग रोज़े की ताक़त रखते हैं वह फ़िद्या दें एक मिस्कीन का खाना।' तो हममें से जो शख़्स रोज़े न रखना चाहता, वह फ़िद्या दे देता यहाँ तक कि उसके बाद वाली आयत उतरी और उसने उसे मन्सूख़ कर दिया।

तख़रीज : **(सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 4507, मुस्लिम, हदीस: 1145, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2625.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** फ़र्ज़ीयते रोज़ा के इब्तेदाई दौर में रोज़ा फ़र्ज़ तो था मगर कोई शख़्स बिला उ़ज़्र रोज़ा छोड़ना चाहता तो उसे इजाज़त थी कि रोज़ा न रखे मगर उसे फ़िद्या देना पड़ता था, फिर बाद में दूसरी आयत उतरी: (फ़मन शहिदा .....) 'तुममें से जो शख़्स इस महीने में मौजूद हो, वह लाज़िमन रोज़ा रखे।' तो इससे फ़िद्या वाली रुख़्सत ख़त्म हो गई और हर तन्दुरुस्त और घर में मौजूद शख़्स के लिये रोज़ा रखना लाज़िम हो गया, अलबत्ता ये रुख़्सत उस शख़्स के लिये बाक़ी है जो इन्तेहाई ज़ईफ़ होने की वजह से रोज़ा निभा नहीं सकता और उसकी क़ुव्वत व सेहत की भी कोई उम्मीद नहीं। **(2)** क़ुर्आन में नस्ख़ साबित है और इस पर उम्मत का इज्मा है। **(3)** फ़र्ज़ीयते रोज़ा का तद्रीजी (स्टेप बाई स्टेप) हुक्म उम्मते मुस्लिमा की आसानी के लिये था।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } يُطِيقُونَهُ يُكَلَّفُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ { فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا } طَعَامُ مِسْكِينٍ آخَرَ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ { فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ } لاَ يُرَخَّصُ فِي هَذَا إِلاَّ لِلَّذِي لاَ يُطِيقُ الصِّيَامَ أَوْ مَرِيضٍ لاَ يُشْفَى .

(2319) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से अल्लाह तआ़ला के फ़रमानः (व अ़लल्लज़ीना....) के बारे में मन्क़ूल है कि इस आयत में (युतीक़ूनहू) से मुराद है कि जो लोग इन्तेहाई मशक़्क़त महसूस करें (यानी इन्तेहाई बूढ़े जिनकी सेहत की उम्मीद नहीं) वह (रोज़ा रखने के बजाये) एक मिस्कीन का खाना बतौर फ़िद्या दें। और इससे अगले अल्फ़ाज़ (फ़मन ततव्वअ़ ख़ैरन फ़हु-व ख़ैरूल लहू) 'जो शख़्स ख़ुशी से नेकी करे तो अच्छी बात है।' से मुराद है कि जो शख़्स एक से ज़्यादा मिस्कीन का खाना फ़िद्या में दे दे तो ये बहुत अच्छा है। तो (इस मानी के लिहाज़ से) ये आयत मन्सूख़ नहीं। और (इन्तेहाई मशक़्क़त के बावजूद) कोई शख़्स रोज़ा रखे तो बेहतर है, लिहाज़ा रोज़ा छोड़ने और फ़िद्या देने की रुख़सत सिर्फ़ उस शख़्स को है जो (इन्तेहाई बुढ़ापे की वजह से) रोज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। या वह मरीज़ जिसकी सेहत की कोई उम्मीद नहीं।

(2319) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4505, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2626.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आयत का असल मफ़हूम तो वही है जो हदीस: 2318 के तहत बयान हुआ मगर हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) चूंकि ज़हीन शख़्स थे, और उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़ुसूसी दुआ भी थी, लिहाज़ा उन्होंने ये मफ़हूम बयान किया है कि (युतीक़ूनहू) से मुराद वह इन्तेहाई बूढ़े या दाइमी बीमार हैं जो रोज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसके बाद भी उनके लिये कुव्वत और सेहत की कोई उम्मीद नहीं तो वह रोज़ा न रखें और फ़िद्या दे दें। चूंकि ये मसला शरीयते इस्लामिया में अलग तौर पर साबित है और लुग़त की मदद से ये मानी इस आयत के भी बन सकते हैं, लिहाज़ा ये मानी मुराद लेने में कोई हर्ज नहीं। क़ुर्आन मजीद की बलाग़त का एक एजाज़ ये भी है कि कुछ आयात में एक जुम्ले

के दो ऐसे मानी मुराद लिये जा सकते हैं जो एक दूसरे से मुख़्तलिफ़ हैं (लेकिन दोनों शरअन सही हैं) एक मानी सियाक़ व सबाक़ के लिहाज़ से और दूसरे मानी लुग़त या किसी और लिहाज़ से। लेकिन ये याद रहे कि ऐसा उस वक़्त होगा जब वह दोनों मानी अलग तौर पर शरअन साबित हों और उनके सबूत के लिये क़ुर्आन व हदीस में दलाइल मौजूद हों। वरना सिर्फ़ लुग़त या सिर्फ़ सियाक़ व सबाक़ के लिहाज़ से क़ुर्आन मजीद की तफ़्सीर करना जबकि उस तफ़्सीर का नुसूस से तआरुज़ हो, तफ्सीर बिर राय है जो इन्तेहाई बड़ा गुनाह है और इस पर हमेशा के लिये जहन्नम की वईद है। **(2)** बहर सूरत इस आयत के दोनों मानी का नतीजा मुत्तफ़क़ अलैहि है कि जो शख़्स रोज़े की ताक़त रखता है, अब वह रोज़ा नहीं छोड़ सकता क्योंकि अगर पहले मानी मुराद हैं तो ये आयत मन्सूख़ है और इसकी सराहत इसी हदीस में है। और अगर दूसरे मानी मुराद हैं तो इस आयत को मन्सूख़ कहने की ज़रूरत नहीं जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: अब कोई शख़्स ये नहीं कर सकता कि तर्जुमा तो पहली हदीस वाला करे और दूसरी हदीस की बिना पर उसे ग़ैर मन्सूख़ कहे और हर शख़्स को रोज़ा छोड़ने और फ़िद्या देने की इजाज़त दे दे क्योंकि ये क़ुर्आन व हदीस और इज्मा-ए-उम्मत के ख़िलाफ़ है और बद दयानती है।

बाब : (64) हैज़ की हालत में (वक़्ती तौर पर) रोज़ा माफ़ होना

باب: (٦٤) وَضْعِ الصِّيَامِ عَنِ الْحَائِضِ.

(2320) हज़रत मुआज़ा अदविया से मन्क़ूल है कि एक औरत ने हज़रत आयशा (ﷺ) से पूछा: क्या हैज़ वाली औरत पाक होने के बाद नमाज़ की क़ज़ा अदा करेगी? हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया: क्या तू ख़ारजी औरत है? हमें भी रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौरे मसऊद में हैज़ आता था, फिर हम पाक होती थीं तो रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें रोज़ों की क़ज़ा अदा करने का हुक्म तो देते थे मगर नमाज़ की क़ज़ा अदा करने का हुक्म नहीं देते थे।

(2320) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 382, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2627, बुख़ारी, 321, मुस्लिम, हदीस: 335.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ، - يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ - عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ إِذَا طَهُرَتْ قَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) हैज़ की हालत में नमाज़ और रोज़े से शरअन रोक दिया गया है। नमाज़ से तो इसलिये कि नमाज़ के लिये तहारत शर्त है, अलबत्ता रोज़े से रोकने की कोई ख़ुसूसी वजह बयान नहीं की गई मगर ये मसला मुत्तफ़क़ अलैहि और क़तई है और इसमें कोई शक नहीं। (2) हैज़ ख़त्म होने के बाद फ़र्ज़ रोज़े की क़ज़ा अदा करना भी क़तई मसला है और मुत्तफ़क़ अलैहि है, लिहाज़ा माफ़ी से मुराद वक़्ती माफ़ी है, अलबत्ता नमाज़ की क़ज़ा नहीं, शायद इसलिये कि मुद्दते हैज़ की तमाम नमाज़ों की हर महीने क़ज़ा अदा करना औरत के लिये शदीद मुश्किलात का सबब बन सकती है जबकि चन्द रोज़ों की क़ज़ा अदा करना सारे साल के दौरान में आसान है और शरीयत लोगों की आसानी को मद्दे नज़र रखती है। (3) 'क्या तू ख़ारजी औरत है?' क्योंकि ख़वारिज औरत पर हैज़ के दिनों की नमाज़ों की क़ज़ा अदा करना ज़रूरी ख़्याल करते थे। 'ख़ारजी' फ़िर्क़ा इन्तेहाई मुतशद्दिद (सख़्त) और दीनी हिक्मतों से बे बहरा अफ़राद का गिरोह था जो सहाबा के दौर में ज़ाहिर हुआ। ये अपने आपको सहाब-ए-किराम (ﷺ) से बढ़ कर दीने इस्लाम का पाबन्द और मुहाफ़िज़ समझता था यहाँ तक कि इन बेवक़ूफ़ लोगों के हाथों कई सहाबा शहीद हुये और इन्होंने कसीर सहाबा पर (जिनमें हज़रत उस्मान और हज़रत अली (ﷺ) भी शामिल थे) कुफ़्र के फ़तवे लगाये। आख़िरकार अमीरूल मोमिनीन हज़रत अली (ﷺ) को इनसे जंग करनी पड़ी, तब उनका ज़ोर टूटा। (4) ख़ारजियों को 'हरूरी' इसलिये कहा जाता था कि उनके फ़ित्ने की इब्तेदा कूफ़े के क़रीब एक बस्ती हरूरा से हूई। मजाज़न पूरे फ़िर्क़े को हरूरी कह लिया जाता था।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ .

(2321) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मुझ पर रमज़ानुल मुबारक के कुछ रोज़े (हैज़ की वजह से) वाजिबुल अदा रह जाते थे तो मैं उनकी क़ज़ा अदा नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि शाबान आ जाता था।

(2321) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1950, मुस्लिम, हदीस: 1146, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2628.

फ़ायदा : गोया दस माह बाद शाबान में साबिक़ा रमज़ानुल मुबारक के रह जाने वाले रोज़ों की क़ज़ा अदा करती थीं। इस हदीस से जहाँ ये मालूम होता है कि फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा अदा करना फ़ौरन ज़रूरी नहीं, पूरे साल में किसी भी वक़्त क़ज़ा अदा करना मुमकिन है, लेकिन जल्दी क़ज़ा की अदायगी की कोशिश करना ही अफ़ज़ल है बीमारी या मौत का कोई पता है? वहाँ ये भी साबित होता है कि हाइज़ा

को क़ज़ा अदा करना माफ़ नहीं बल्कि वह रोज़े बहर सूरत बाद में रखने होंगे। हज़रत आयशा(ﷺ) से क़ज़ा अदा करने की ताख़ीर का सबब भी मन्क़ूल है कि ऐसा न हो, नबी-ए-अकरम (ﷺ) को मेरी ज़रूरत महसूस हो और मैं रोज़े से होऊँ। शाबान में रसूलुल्लाह (ﷺ) भी अक्सर रोज़े से होते थे। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2180)

बाब : (65) रमज़ान में दिन के वक़्त जब औरत हैज़ से पाक हो जाये या मुसाफ़िर घर आ जाये तो क्या बाक़ी दिन का रोज़ा रखें?

باب: (٥٩) إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ أَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ هَلْ يَصُومُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ أَبُو حَصِينٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ " أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَكَلَ الْيَوْمَ " . فَقَالُوا مِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَصُمْ . قَالَ " فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَابْعَثُوا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوضِ فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ " .

(2322) हज़रत मुहम्मद बिन सैफ़ी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आशूरा (दस मुहर्रमुल हराम) के दिन फ़रमाया: 'क्या तुममें से किसी ने आज खाना खया है? लोगों ने अर्ज़ किया: कुछ लोगों ने रोज़ा रखा है और कुछ ने नहीं। आपने फ़रमाया: 'फिर बाक़ी दिन कुछ न खाना, और मदीना मुनव्वरा के क़ुर्ब व जवार बस्तियों में पैग़ाम भेज दो कि वह बाक़ी दिन कुछ न खायें पियें।'

(2322) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1735, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2629, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 3/289, हदीस: 2091, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 932.

फ़वाइद व मसाइल : (1) यौमे आशूरा से मुताल्लिक़ मज्मूई अहादीस से साबित होता है कि इस दिन का रोज़ा फ़र्ज़ था क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुख़तलिफ़ अहादीस में इसके मुताल्लिक़ हुक्म मन्क़ूल है। मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (फ़तहुल बारी: 4/247) ये ऐलान आपने दिन चढ़े फ़रमाया, शायद फ़र्ज़ीयत का हुक्म उसी वक़्त आया हो। (2) 'बाक़ी दिन कुछ न खाना' ख़्वाह पहले खाना खा ही चुका हो। इस सूरत में रोज़ा सही होगा, और शरअन काबिले ऐतबार, और उसकी जगह बाद में रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं, यही मौक़िफ़ हक़ है क्योंकि उसकी क़ज़ा अदा करने का

हुक्म नहीं, जिस रिवायत में क़ज़ा का हुक्म है वह सनदन नाक़ाबिले हुज्जत और ज़ईफ़ है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 2447) जैसे भूल कर खाने पीने वाले का शरअन मुआख़िज़ा (गिरफ़्त) नहीं और न उसका रोज़ा ही फ़ासिद होता है, यही तौजीह ज़ेरे बहस मसले में हो सकती है। वल्लाहु आलम! इमाम नसाई (ﷺ) ने हाइज़ा और मुसाफ़िर को भी इसी पर क़यास फ़रमाया है कि अगर दिन के दौरान में उनका उ़ज्र ख़त्म हो जाये तो वह बाक़ी दिन कुछ न खायें, पियें, ख़्वाह पहले कुछ खाया पिया हो या न। लेकिन अब रुकना लाज़िमी है। **(3)** 'क़ुर्ब व जवार बस्तियों' अ़रबी में लफ़्ज़ 'अ़रूज़' इस्तेमाल हुआ है जिससे मुराद मक्का, मदीना और यमन का तमाम इलाक़ा है, लेकिन ज़ाहिर है उस वक़्त ये ऐलान इतने इलाक़े में तो नहीं हो सकता था, इसलिये ऊपर दिये गये मानी किये गये क्योंकि उस वक़्त यही मुमकिन था। **(4)** तुलूअे फ़ज्रे स़ादिक़ से पहले रोज़े की नियत उसके लिये ज़रूरी है जिसे इल्म हो कि सूबह को रोज़ा है। जिसे पता ही दिन के वक़्त चले कि आज रोज़ा है, तो अगर उसने तुलूअे फ़ज्र के बाद उस वक़्त कुछ नहीं खाया, वह रोज़े की नियत कर सकता है और उसकी दिन की नियत मोतबर होगी।

बाब : (66)
जब रात को रोज़े की नियत न हो तो क्या दिन के वक़्त नफ़ल रोज़ा रख सकता है?

باب: (٥٩) إِذَا لَمْ يُجْمِعْ مِنَ اللَّيْلِ هَلْ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنَ التَّطَوُّعِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ " أَذِّنْ - يَوْمَ عَاشُورَاءَ - مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ " .

(2323) हज़रत सलमा (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी को आ़शूरा के दिन हुक्म दिया कि ऐलान करो: 'जिसने कुछ खा लिया है, वह बाक़ी दिन न खाये पिये और जिसने कुछ नहीं खाया, वह रोज़ा रख ले।'

(2323) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 7265, मुस्लिम, हदीस़: 1135, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2630.

फ़ायदा : गोया इमाम नसाई (ﷺ) के नज़दीक आ़शूरा का रोज़ा मुस्तहब है, तभी तो उन्होंने इस हदीस़ से तर्जुमतुल बाब का मसला इस्तिम्बात किया है कि दिन के वक़्त भी रोज़े की नियत करके नफ़ली रोज़ा शुरू किया जा सकता है (जैसा कि हदीस़: 2324 में है) बशर्ते कि उसने तुलूअे फ़ज्र के बाद से कुछ खाया पिया न हो। ये इस्तिम्बात तो दुरुस्त है लेकिन इसके लिये ऊपर दी गई हदीस़ को

महल्ले इस्तेश्हाद बनाना दुरुस्त नहीं क्योंकि राजेह मौक़िफ़ के मुताबिक़ आशूरा शुरू में फ़र्ज़ था यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि रोज़े की फ़र्ज़ीयत का पता न हो तो जब भी इत्तिला मिले, उस वक़्त कुछ खाया हो या न, रुक जाये और बाक़ी दिन रोज़े की तक्मील करे।

बाब : (67) रोज़े की नियत और इस बारे में हज़रत आयशा (ﷺ) की हदीस़ (के बयान करने) में तल्हा बिन यहया बिन तल्हा के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़

باب: (٥٩) النِّيَّةِ فِي الصِّيَامِ وَالاِخْتِلاَفِ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ فِي خَبَرِ عَائِشَةَ فِيهِ

वज़ाहत : तल्हा के कुछ शागिर्द उनका उस्ताद मुजाहिद बताते हैं और कुछ आयशा बिन्ते तल्हा को, मालूम होता है कि दोनों सही हैं जैसा कि रिवायत: 2330 में स़राहत है। ग़र्ज़ तल्हा अन मुजाहिद अन आयशा (ﷺ) और तल्हा अन आयशा बिन्ते तल्हा अन आयशा (ﷺ), इसी तरह अन आयशा बिन्ते तल्हा, व मुजाहिद किलाहुमा अन आयशा (ﷺ) और तल्हा अन मुजाहिद व उम्मे कुल्सूम अन रसूलिल्लाह (ﷺ) मुर्सलन, ये सब तुरुक़ सही हैं, इनमें इख़्तिलाफ़ और तज़ाद नहीं।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ " هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ " . فَقُلْتُ لاَ . قَالَ " فَإِنِّي صَائِمٌ " . ثُمَّ مَرَّ بِي بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَقَدْ أُهْدِيَ إِلَىَّ حَيْسٌ فَخَبَأْتُ لَهُ مِنْهُ وَكَانَ يُحِبُّ الْحَيْسَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَخَبَأْتُ لَكَ مِنْهُ . قَالَ " أَدْنِيهِ أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ " .

(2324) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'क्या तुम्हारे पास कोई खाने की चीज़ है?' मैंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'चलो मैं रोज़ा रख लेता हूँ।' फिर किसी और दिन मेरे पास से गुज़रे। इत्तेफ़ाक़न उस वक़्त मुझे हैस का तोहफ़ा आया हुआ था और मैंने आपके लिये कुछ रख छोड़ा था। आप हैस को बहुत पसन्द फ़रमाते थे। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे पास हैस का तोहफ़ा आया है और मैंने आपके लिये कुछ महफ़ूज़ रखा हुआ है। आपने फ़रमाया: 'लाओ पेश करो। मैंने तो आज रोज़े की नियत कर रखी थी।' फिर आपने वह हैस खाया और फ़रमाया: 'नफ़ल रोज़े की मिस़ाल

فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ " إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ الْمُتَطَوِّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا

ऐसी है जैसे आदमी अपने माल से स़दक़ा निकाले, फिर चाहे उसे ख़र्च कर दे, चाहे अपने पास रख ले।'

(2324) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2631.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हैस ये अ़रबों में एक मारूफ़ खाना था जो खजूर, पनीर और घी वग़ैरह से तैयार किया जाता था। चूंकि खाने मुख़्तलिफ़ होते हैं और हर क़ौम के अपने अपने खाने होते हैं, लिहाज़ा दूसरी ज़बान में हर खाने का तर्जुमा मुमकिन नहीं, ख़ुस़ूसन जबकि ये खाना हमारे यहाँ तैयार ही नहीं किया जाता तो उसका नाम कैसे पता होगा? **(2)** नफ़ल रोज़े को बिला वजह ख़त्म किया जा सकता है क्योंकि नफ़ल इबादत इन्सान की अपनी मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ होती है। ऐसे रोज़े की क़ज़ा अदा करना वाजिब नहीं क्योंकि जब अस़ल रोज़ा ही नफ़ल है तो क़ज़ा अदा करनी कैसे वाजिब हो सकती है? अलबत्ता जवाज़ में कोई शुब्हा नहीं,जैसे वित्र कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) उनकी क़ज़ा अदा किया करते थे और उम्मत को भी इसकी तर्ग़ीब दी। **(3)** कुछ अहले इल्म ने नफ़ल रोज़े की नियत को निस्फ़ुन्नहार से क़ब्ल ज़रूरी क़रार दिया है ताकि अक्सर रोज़ा नियत के साथ हो और ये माक़ूल बात है। **(4)** नबी-ए-अकरम (ﷺ) कायनात के ज़ाहिद और मुत्तक़ी तरीन इन्सान थे। आपकी नज़र दुनियावी लज़्ज़तों के बजाये हमेशा उख़रवी नेमतों पर होती थी ... (ﷺ) **(5)** स़हाब-ए-किराम(ؓ) तआम व शराब (खाने-पीने की चीज) में नबी-ए-अकरम (ﷺ) को याद रखते थे। आप (ﷺ) को तोहफ़े तहाइफ़ भेज कर अपनी अ़क़ीदत व मोहब्बत का इज़्हार करते रहते थे। (ؓ) **(6)** अच्छे वाइज़ की निशानी है कि वह मिस़ालों से अपनी बात सामेईन के ज़हनों में अच्छी तरह नक़्श कर देता है। मिस़ाल से बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है। **(7)** कोई चीज़ नफ़ली स़दक़े की नियत से अलग करना और फिर उसे स़दक़ा न करना जायज़ है।

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَارَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَوْرَةً قَالَ " أَعِنْدَكِ شَىْءٌ " . قَالَتْ لَيْسَ عِنْدِي

(2325) हज़रत आयशा (ؓ) फ़रमाती हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरे पास चक्कर लगाया और फ़रमाया: 'तुम्हारे पास कोई खाने की चीज़ है?' मैंने अ़र्ज़ किया: मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। आपने फ़रमाया: 'फिर मैं रोज़ा रख लेता हूँ।' फिर (किसी दिन) दोबारा तशरीफ़ लाये। इत्तेफ़ाक़न हमारे पास हैस का तोहफ़ा आया था। मैं

شَيْءٌ . قَالَ " فَأَنَا صَائِمٌ " . قَالَتْ ثُمَّ دَارَ عَلَيَّ الثَّانِيَةَ وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ فَعَجِبْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَخَلْتَ عَلَيَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ ثُمَّ أَكَلْتَ حَيْسًا . قَالَ " نَعَمْ يَا عَائِشَةُ إِنَّمَا مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ - أَوْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ فِي التَّطَوُّعِ - بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ وَبَخِلَ مِنْهَا بِمَا بَقِيَ فَأَمْسَكَهُ " .

आपके पास लाई तो आपने खा लिया। मुझे इस पर ताज्जुब हुआ। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप तशरीफ़ लाये तो आपका रोज़ा था, फिर आपने हैस खा लिया? आपने फ़रमाया: 'आयशा! हाँ। रमज़ान या क़ज़ा-ए-रमज़ान के अलावा नफ़ल रोज़े रखने वाले की मिसाल तो उस शख़्स की तरह है जिसने अपने माल का सदक़ा निकाला तो जिस क़द्र चाहा ख़र्च कर दिया और उसका सवाब हासिल कर लिया और जितना चाहा कंजूसी करते हुये रख लिया।'

(2325) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 1701, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2632.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجِيءُ وَيَقُولُ " هَلْ عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ " . فَنَقُولُ لاَ . فَيَقُولُ " إِنِّي صَائِمٌ " . فَأَتَانَا يَوْمًا وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ " . قُلْنَا نَعَمْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ . قَالَ " أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ " . فَأَكَلَ خَالَفَهُ قَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ .

(2326) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि कभी रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाते और फ़रमाते: 'तुम्हारे पास खाना है?' मैं अर्ज़ करती कि नहीं। आप फ़रमाते: 'मैं रोज़ा रख लेता हूँ।' आप एक दिन हमारे पास तशरीफ़ लाये। इत्तेफ़ाक़न हमारे पास हैस का तोहफ़ा आया था। आपने फ़रमाया: 'कोई खाने की चीज़ है?' मैंने अर्ज़ किया: जी हाँ। हैस का तोहफ़ा आया हुआ है। आपने फ़रमाया: 'आज मेरी नियत रोज़े की थी।' फिर आपने (हैस) खा लिया।

क़ासिम बिन यज़ीद ने (अपने साथी अबू बक्र की) मुख़ालिफ़त की है।

(2326) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2633.

फ़ायदा : इसका बयान पीछे हो चुका है कि क़ासिम ने तल्हा का उस्ताद मुजाहिद के बजाये आयशा

बिन्ते तल्हा बताया है। आगे आने वाली एक हदीस: (2330) में दोनों मज़्कूर हैं, गोया कि दोनों का ज़िक्र सही है। बाब: 67 के तहत मज़्कूर वज़ाहत मुलाहिज़ा फ़रमाइये।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقُلْنَا أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ قَدْ جَعَلْنَا لَكَ مِنْهُ نَصِيبًا . فَقَالَ " إِنِّي صَائِمٌ " . فَأَفْطَرَ .

(2327) हज़रत आयशा उम्मूल मोमिनीन (ﷺ) फ़रमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाये। मैं ने कहा: हमारे पास हैस का तोहफ़ा आया है। मैंने आपका हिस्सा संभाल कर रखा हुआ है। आपने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ मैंने रोज़े की नियत की हुई थी।' फिर आपने रोज़ा ख़त्म कर दिया।

(2327) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1154, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2634.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ " أَصْبَحَ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ تُطْعِمِينِيهِ " . فَنَقُولُ لاَ . فَيَقُولُ " إِنِّي صَائِمٌ " . ثُمَّ جَاءَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَتْ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ . فَقَالَ " مَا هِيَ " . قَالَتْ حَيْسٌ . قَالَ " قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا " . فَأَكَلَ .

(2328) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि बसा औक़ात रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाते। आपका रोज़ा होता। आप फ़रमाते: 'तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है?' मैं कहती: नहीं। आप फ़रमाते: 'चलो, मेरा रोज़ा है।' फिर उसके बाद एक दिन आये तो मैंने कहा: आज हमारे पास तोहफ़ा आया है। आपने फ़रमाया: 'क्या?' मैंने कहा: हैस। आपने फ़रमाया: 'मैंने आज सुबह रोज़े की नियत की थी।' फिर आपने खा लिया।

(2328) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2635.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَمَّتِهِ، عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ

(2329) उम्मूल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'तुम्हारे पास (खाने की) कोई चीज़ है?' हमने कहा: नहीं।

الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ " هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ " . قُلْنَا لاَ . قَالَ " فَإِنِّي صَائِمٌ " .

आपने फ़रमाया: 'मैं रोज़ा रख लेता हूँ।'

(2329) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2636.

أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَاهَا فَقَالَ " هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ " . فَقُلْتُ لاَ . قَالَ " إِنِّي صَائِمٌ " . ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا آخَرَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَدَعَا بِهِ فَقَالَ " أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا " . فَأَكَلَ .

(2330) हज़रत आयशा (ؓ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाने लगे: 'तुम्हारे पास खाना है?' हमने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'फिर मेरा रोज़ा है।' फिर एक और दिन तशरीफ़ लिये। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे पास हैस का तोहफ़ा भेजा गया है। आपने मँगवाया, फिर फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा मैंने आज सुबह रोज़े की नियत की थी।' फिर आपने खा लिया।

(2330) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2324, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2637.

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَأُمِّ كُلْثُومٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ " هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ " . نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَوَاهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ .

(2331) हज़रत मुजाहिद और उम्मे कुल्सूम से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत आयशा(ؓ) के यहाँ तशरीफ़ ले गये और फ़रमाया: 'तुम्हारे पास कुछ खाना है?' बाक़ी रिवायत साबिक़ा रिवायत की तरह है।

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि सिमाक बिन हर्ब ने इस रिवायत को अन रजुल अन आयशा बिन्ते तल्हा के तरीक़ से बयान किया है। (यानी आदमी को मुब्हम रखा है। अगली हदीस सिमाक ही की है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये)

(2331) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2638.

أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ " هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ " . قُلْتُ لاَ . قَالَ " إِذًا أَصُومَ " . قَالَتْ وَدَخَلَ عَلَىَّ مَرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ . فَقَالَ " إِذًا أُفْطِرَ الْيَوْمَ وَقَدْ فَرَضْتُ الصَّوْمَ".

(2332) उम्मूल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक दिन तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'तुम्हारे पास कोई खाना है?' मैंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'तो फिर मैं रोज़ा रख लेता हूँ।' हज़रत आयशा (ﷺ) कहती हैं कि फिर एक और दफ़ा आप तशरीफ़ लाये तो मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे यहाँ हैस का तोहफ़ा आया है। आपने फ़रमाया: 'तो फिर आज मैं रोज़ा खोल लेता हूँ। वैसे मैंने रोज़े की नियत की हूई थी।'

(2332) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2639.

باب: (۶۹) ذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ حَفْصَةَ فِي ذَلِكَ

बाब : (68) इस बारे में हज़रत हफ़्सा की हदीस में नाक़िलीन का इख़्तिलाफ़

वज़ाहत : पहली रिवायत में अब्दुल्लाह बिन अबी बक्र और हज़रत सालिम के दरम्यान ज़ोहरी का वास्ता ज़िक्र नहीं जबकि बाक़ी रिवायात में हज़रत ज़ोहरी का वास्ता ज़िक्र है। और यही दुरुस्त है कि हज़रत सालिम से बयान करने वाले हज़रत ज़ोहरी हैं, आगे उनके शागिर्द ही हैं। दूसरा इख़्तिलाफ़ ये है कि पहली पाँच रिवायात में हज़रत ज़ोहरी के उस्ताद हज़रत सालिम बयान किये गये हैं जबकि बाद वाली रिवायात में हज़रत हम्ज़ा बिन अब्दुल्लाह। इसमें कोई तनाक़ुज़ नहीं क्योंकि सालिम और हम्ज़ा दोनों हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) के बेटे हैं। दोनों उनसे बयान करते हैं, अलबत्ता रिवायात 2341 और 2342 में हम्ज़ा बराहे रास्त हज़रत हफ़्सा (ﷺ) से बयान करते हैं।

أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(2333) हज़रत हफ़्सा (ﷺ) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स तुलूअे फ़ज्र से पहले रात के वक़्त रोज़े की नियत न करे तो उसका रोज़ा नहीं होता।'

بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ " .

(2333) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 1700, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2640.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि इसी मफ़हूम की रिवायत: 2338 को मौक़ूफ़न सही क़रार दिया है। जिससे मालूम होता है मुहक़्क़िक़े किताब के नज़दीक ये रिवायत मअनन सही है, और दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने भी मज़्कूरा हदीस को सही क़रार दिया है और उनकी तहक़ीक़ से राजेह बात यही मालूम होती है कि मज़्कूरा रिवायत क़ाबिले अमल है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 21/247-251, इर्वाउल ग़लील: 4/25-30, रक़म: 914) **(2)** अहले इल्म ने इस हदीस को फ़र्ज़ या उसकी क़ज़ा अदा करने और दूसरे वाजिब रोज़ों पर महमूल किया है और नफ़ल रोज़े को उससे मुस्तस्ना (अलग) किया है जैसा कि ऊपर बयान की गई कसीर रिवायात से साफ़ वाज़ेह होता है। इस तरीक़े से तमाम अहादीस में तत्बीक़ दी जा सकती है, लिहाज़ा अगर दिन को पता चले कि आज रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है तो उसी वक़्त रोज़ा शुरू किया जा सकता है कुछ खाया पिया हो या नहीं।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ " .

(2334) हज़रत हफ़्सा (ﷺ) से मन्क़ूल है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स तुलूअे फ़ज्र से पहले रात को रोज़े की नियत न करे, उसका रोज़ा नहीं होता।'

(2334) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 2454, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2641, देखें, हदीस: 1207.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ أَشْهَبَ، قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَذَكَرَ، آخَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي

(2335) हज़रत हफ़्सा (ﷺ) से मरवी है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने तुलूअे फ़ज्र से पहले रोज़े की नियत न की, वह रोज़ा न रखे।'

بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، حَدَّثَهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلاَ يَصُومُ " .

(2335) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2642, अबी दाऊद, हदीस़: 2454.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ " .

(2336) हज़रत हफ़्सा (ﷺ) से बयान है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स रात के वक़्त रोज़े की नियत न करे, उसका रोज़ा नहीं।'

(2336) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2643.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يَصُومُ .

(2337) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत हफ़्सा (ﷺ) फ़रमाया करती थीं: जो शख़्स रात के वक़्त रोज़े की नियत न करे, वह रोज़ा न रखे।

(2337) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस़: 2334, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2644.

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ .

(2338) हज़रत हफ़्सा (ﷺ) जो कि नबी (ﷺ) की ज़ोज-ए-मुतह्हरा थीं, उन्होंने फ़रमाया: उस आदमी का रोज़ा नहीं होता जो तुलूअे फ़ज्र से पहले रोज़े की नियत न करे।

(2338) तख़रीज : (सनद स़ही मौक़ूफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2645.

أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ .

(2339) हज़रत हफ़्सा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि उस शख़्स का रोज़ा नहीं होता जो फ़ज्र से पहले रोज़े की नियत नहीं करता।

(2339) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2646.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ

(2340) हज़रत हफ़्सा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि जो शख़्स तुलूअे फ़ज्र से पहले रोज़े की नियत नहीं करता, उसका रोज़ा नहीं।

(2340) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2647.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ .

(2341) हज़रत हफ्स़ा (ﷺ) से मरवी है कि जो शख़्स फ़ज्र से पहले रोज़े का अ़ज़्म नहीं करता, उसका रोज़ा नहीं होता।

(2341) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2338, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2648.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ . أَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ

(2342) हज़रत हफ़्सा (ﷺ) फ़रमाती हैं: उस शख़्स का रोज़ा नहीं होता जो तुलूअे फ़ज्र से पहले रोज़े की नियत नहीं करता।

इमाम मालिक (رحمه الله) ने इस रिवायत को मुर्सल (मुन्क़तअ़) बयान किया है।

(2342) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2338, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2649.

फ़ायदा : इन्क़िताअ़ से मुराद ये है कि इमाम मालिक (رحمه الله) ने ये रिवायत ज़ोहरी अन आयशा व

हफ़्सा (ﷺ) बयान की है। ज़ाहिर है कि इमाम ज़ोहरी (ﷺ) का हज़रत आयशा (ﷺ) से सिमाअ है, न हज़रत हफ़्सा (ﷺ) से।

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، مِثْلَهُ لاَ يَصُومُ إِلاَّ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ .

(2343) हज़रत आयशा और हज़रत हफ़्सा(ﷺ) से इसी के मिस्ल मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: वह शख़्स रोज़ा न रखे जिसने तुलूअे फ़ज्र से पहले रोज़े की नियत नहीं की।

(2343) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2650, हदीस: 2338.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ إِذَا لَمْ يُجْمِعِ الرَّجُلُ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يَصُمْ .

(2344) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि जब कोई शख़्स रात को रोज़े की नियत न करे तो वह रोज़ा न रखे।

(2344) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2652.

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لاَ يَصُومُ إِلاَّ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ .

(2345) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) फ़रमाया करते थे: रोज़े न रखे मगर वह शख़्स जिसने तुलूअे फ़ज्र से पहले रोज़े की नियत कर ली।

(2345) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2651, मौता: 1/288, पिछली हदीस देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऊपर दी गई रिवायात से मालूम होता है कि ये रिवायत कभी हज़रत हफ्सा (ﷺ) का अपना क़ौल बताया जाता है, कभी रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान और कभी इब्ने उमर (ﷺ) का क़ौल, इसलिये इस हदीस के बारे में मुहद्दिसीन मुख़्तलिफ़ हैं। मशहूर अइम्म-ए-हदीस, जैसे: इमाम बुख़ारी, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई, इमाम तिर्मिज़ी और इमाम अहमद(ﷺ) इस रिवायत को मौक़ूफ़न सही समझते हैं, यानी ये हज़रत हफ़्सा या हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) का अपना क़ौल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) से मरवी नहीं, जबकि इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा, इमाम इब्ने हिब्बान, इमाम दारक़ुतनी, इमाम इब्ने हज़्म और इमाम हाकिम (ﷺ) ने इसे मरफ़ूअ भी सही क़रार दिया है, यानी ये रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान भी है, बिलफ़र्ज़ अगर इसे मरफ़ूअन सही तस्लीम न भी किया जाये तब

भी ये हुक्मन मरफ़ूअ ही बनती है क्योंकि हज़रत हफ़्सा (ﷺ) के इस फ़तवे की बुनियाद अपनी राय या क़यास नहीं, यक़ीनन इसकी बुनियाद रसूलुल्लाह (ﷺ) का क़ौल ही हो सकता है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरकतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 21/247-249) वल्लाहु आलम! **(2)** नफ़ली रोज़े की नियत दिन के वक़्त भी की जा सकती है। (3) फ़र्ज़ रोज़े की नियत सुबह सादिक़ से पहले कर लेना ज़रूरी है। गोया ग़ुरूबे आफ़ताब के बाद से लेकर सुबह सादिक़ के तुलूअ होने से पहले तक नियत की जा सकती है।

बाब : (69) अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद (ﷺ) के रोज़े का बयान

باب: (٦٩) صَوْمِ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

(2346) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस़ (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह (ﷻ) को सबसे ज़्यादा पसन्दीदा रोज़े दाऊद (ﷺ) के रोज़े हैं। वह एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नहीं रखते थे। और अल्लाह तआला को ज़्यादा पसन्दीदा नफ़ल नमाज़ भी दाऊद (ﷺ) की (रात की) नमाज़ है। वह आधी रात तक सोते थे, फिर एक तिहाई रात नमाज़ पढ़ते और आख़री छठा हिस्सा फिर सो जाते थे।'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ " .

(2346) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 1631, सुनन अल कुबरा लिन्नसाई, हदीस़: 2653.

फ़ायदा : 'सबसे ज़्यादा पसन्दीदा' क्योंकि हज़रत दाऊद (ﷺ) के रोज़े और नमाज़ में ऐतदाल था। जिससे हुक़ूक़ुल्लाह के साथ साथ हुक़ूक़ुल इबाद की अदायगी में भी फ़र्क़ न आता था। अगर कोई शख़्स ऐतदाल से हट जायेगा, जैसे: वह उनसे ज़्यादा रोज़े रखेगा या हमेशा सारी रात क़याम करेगा तो हुक़ूक़ुल इबाद का मुजरिम होगा बल्कि वह अपने नफ़्स का भी मुजरिम होगा। यही वजह है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस ऐतदाल से बढ़ने की इजाज़त नहीं दी बल्कि रावि-ए-हदीस़ सहाबी (ﷺ) को सराहतन फ़रमाया कि इससे अफ़ज़ल रोज़े मुमकिन नहीं।

बाब : (70) नबी (ﷺ), आप पर मेरे माँ बाप क़ुर्बान हों, के रोज़े का बयान और इस बारे में वारिद रिवायत के नाक़िलीन के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

بَاب: (٧٠) صَوْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

वज़ाहत : इस इख़्तिलाफ़ से मुराद ये है कि किसी रिवायत में सहाबी हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ؓ) हैं, किसी में हज़रत आयशा (ؓ) और किसी में कोई और। ये इख़्तिलाफ़ कोई मुज़िर्र (नुक़्सानदेह) नहीं क्योंकि एक ही बात कई कई सहाब-ए-किराम (ؓ) बयान कर सकते हैं बल्कि इससे रिवायत को तक़वियत (मज़बूती) हासिल होती है।

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ فِي حَضَرٍ وَلاَ سَفَرٍ .

(2347) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ؓ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अय्यामे बीज़ (चाँदनी रातों वाले दिनों) का रोज़ा नहीं छोड़ते थे, ख़्वाह घर में होते या सफ़र में।

(2347) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2654, रियाज़ुस सालेहीन, हदीस: 1265.

फ़ायदा : अय्यामे बीज़ से मुराद तेरह, चौदह और पन्द्रह तारीख़ हैं क्योंकि इन रातों में चाँद मुकम्मल नज़र आता है और सारी रात रहता है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا غَيْرَ رَمَضَانَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ .

(2348) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ؓ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (बसा औक़ात नफ़ल) रोज़े मुसल्सल रखते यहाँ तक कि हम कहते थे कि आप छोड़ेंगे नहीं और फिर छोड़ना शुरू फ़रमाते यहाँ तक कि हम कहतेः आप रखेंगे नहीं, जब से आप मदीना तशरीफ़ लाये आपने कभी भी रमज़ानुल मुबारक के अलावा एक माह मुसल्सल रोज़े नहीं रखे।

(2348) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1157, बुख़ारी: 1971, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2655.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مَرْوَانَ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ .

(2349) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) रोज़े रखते जाते यहाँ तक कि हम कहते: आप किसी भी दिन रोज़ा छोड़ने का इरादा नहीं रखते। और फिर छोड़ने लगते यहाँ तक कि हम कहते: आप किसी भी दिन रोज़ा रखने का इरादा नहीं रखते।

(2349) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2920, 2405, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2656.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لاَ أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلاَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ وَلاَ صَامَ شَهْرًا قَطُّ كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ .

(2350) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि मेरे इल्म में नहीं कि नबी (ﷺ) ने एक रात में सारा क़ुर्आन मजीद पढ़ा हो या सारी रात सुबह तक नफ़ल नमाज़ पढ़ते रहे हों या रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी महीने के मुकम्मल रोज़े रखे हों।

(2350) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1642, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2657.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ وَمَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا كَامِلاً مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلاَّ رَمَضَانَ .

(2351) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ से रिवायत है कि हज़रत आयशा (ﷺ) से नबी(ﷺ) के (नफ़ल) रोज़ों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फ़रमाया: कभी आप इस क़द्र रोज़े रखते कि हम कहते: आप रोज़े रखते ही रहेंगे और कभी इस क़द्र नाग़े फ़रमाते कि हम कहते: आपने रोज़े मुस्तक़िल्लन छोड़ दिये हैं। और आप जबसे मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये, आपने रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी भी महीने के मुकम्मल रोज़े नहीं रखे।

(2351) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1156/174, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2658.

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ بَلْ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ .

(2352) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि रोज़े रखने के लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) का सबसे ज़्यादा पसन्दीदा महीना शाबान था। बल्कि आप तक़रीबन उसे रमज़ानुल मुबारक से मिला ही देते थे।

(2352) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 2431, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2659.

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَذَكَرَ، آخَرَ قَبْلَهُمَا أَنَّ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ .

(2353) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रोज़े रखते जाते यहाँ तक कि हम कहते: आप छोड़ेंगे नहीं। और आप रोज़े छोड़ने लगते तो हम कहते रखेंगे नहीं। और मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़े रखते नहीं देखा।

(2353) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1969, मुस्लिम, हदीस: 1156/175, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2660, मौता: 1/309.

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ .

(2354) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) शाबान व रमज़ान के अलावा दो महीने मुसल्सल रोज़े नहीं रखते थे।

(2354) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2177, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2661.

फ़ायदा : शाबान में रोज़े रखने के बारे में पीछे रिवायात गुज़र चुकी हैं। उनको और इस रिवायत को देखा जाये तो ज़ाहिर होता है कि दोनों ही बातों का एहतिमाल मौजूद है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के अमल में तनव्वोअ था, कभी पूरा शाबान रोज़े से रहते और किसी शाबान में मुकम्मल रोज़े न रखते बल्कि अक्सर रख लिया करते। उम्मे सलमा (ؓ) की मज़्कूरा हदीस से इस तत्बीक़ की ताईद होती है। अल मुख़्तसर तत्बीक़ तर्जीह से बेहतर है कि दोनों क़िस्म की अहादीस मामूल बिही रहती हैं। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلاَّ شَعْبَانَ وَيَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ .

(2355) हज़रत उम्मे सलमा (ؓ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) शाबान के अलावा साल भर के किसी महीने में मुकम्मल (नफ़ल) रोज़े नहीं रखते थे। शाबान को तो आप तक़रीबन रमज़ानुल मुबारक के साथ ही मिला देते थे।

(2355) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2178, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2662.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِشَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ لِشَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ أَوْ عَامَّتَهُ .

(2356) हज़रत आयशा (ؓ) फ़रमाती हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़े नहीं रखते थे। शाबान के महीने में आप अक्सर रोज़े रखा करते थे।

(2356) तख़रीज : (सनद हसन वल हदीस सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2663, मुसनद अहमद: 6/268.

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً .

(2357) हज़रत आयशा (ؓ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) शाबान के रोज़े रखा करते थे। सिर्फ़ चन्द दिन नाग़ा फ़रमाते थे।

(2357) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2664, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيرٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ .

(2358) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि बेशक रसूलुल्लाह (ﷺ) (तक़रीबन) मुकम्मल शाबान के रोज़े रखा करते थे।

(2358) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/89, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2665.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَبُو الْغُصْنِ، - شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ . قَالَ " ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ " .

(2359) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मैंने (रसूलुल्लाह (ﷺ) से) अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने आपको किसी महीने में इतने रोज़े रखते नहीं देखा जितने आप शाबान में रखते हैं। (क्या वजह है?) आपने फ़रमाया: 'ये वह महीना है कि रजब और रमज़ानुल मुबारक के दरम्यान आने की वजह से लोग इससे ग़फ़लत कर जाते हैं, हालांकि ये वह महीना है कि इसमें रब्बुल आलमीन के यहाँ इन्सानों के आमाल पेश किये जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे अमल पेश हों तो मैं रोज़े से होऊँ।'

(2359) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/201, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2666.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रजब और रमज़ानुल मुबारक दोनों महीनों का तक़द्दुस मुसल्लमा था। रजब का इसलिये कि ये हुर्मत वाले महीनों में शामिल है और रमज़ानुल मुबारक का रोज़ों की वजह से। लोग इन दोनों महीनों में नेकी के काम ख़ूब करते थे। शाबान को ख़ाली महीना ख़्याल किया जाता था, हालांकि उसकी अपनी फ़ज़ीलत है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बयान फ़रमाई। (2) 'आमाल पेश किये जाते हैं' आमाल तो हर रोज़ सुबह और अस्र के वक़्त भी पेश होते हैं और हर हफ़्ते में सोमवार और जुमेरात को भी पेश होते हैं। गोया ये सालाना पेशी है और इज्माली तौर पर सारे साल के आमाल पेश किये जाते हैं। इन पेशियों की हिक्मत अल्लाह तआला ही जानता है। बेशक अल्लाह तआला तमाम आमाल से ज़ाती तौर पर बख़ूबी वाक़िफ़ है। (3) 'मैं रोज़े से होऊँ' क्योंकि रोज़ा अफ़ज़ल इबादत है। इसी वजह से रसूलुल्लाह (ﷺ) सोमवार और जुमेरात का रोज़ा भी रखा करते थे।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَبُو الْغُصْنِ، - شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَصُومُ حَتَّى لاَ تَكَادَ تُفْطِرُ وَتُفْطِرُ حَتَّى لاَ تَكَادَ أَنْ تَصُومَ إِلاَّ يَوْمَيْنِ إِنْ دَخَلاَ فِي صِيَامِكَ وَإِلاَّ صُمْتَهُمَا . قَالَ " أَىُّ يَوْمَيْنِ " . قُلْتُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ . قَالَ " ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ " .

(2360) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप कभी इस क़द्र रोज़े रखते हैं कि लगता है आप छोड़ेंगे नहीं और कभी इस क़द्र छोड़ते हैं कि लगता है रखेंगे नहीं, मगर दो दिनों का ज़रूर रखते हैं। आपके (उमूमी) रोज़ों में आ जायें तो फ़बिहा, वरना आप उनका रोज़ा ख़ुसूसन रखते हैं। आपने फ़रमाया: 'कौन से दो दिन?' मैंने कहा: सोमवार और जुमेरात। आपने फ़रमाया: 'ये दो दिन ऐसे हैं कि इनमें रब्बुल आलमीन के यहाँ आमाल पेश होते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे अमल पेश हों तो मैं रोज़े से होऊँ।'

(2360) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2667.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ الْغِفَارِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ فَيُقَالُ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ فَيُقَالُ لاَ يَصُومُ .

(2361) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बसा औक़ात लगातार रोज़े रखते थे यहाँ तक कि कहा जाता: आप छोड़ेंगे नहीं और कभी छोड़ने लगते यहाँ तक कि कहा जाता: आप रखेंगे नहीं।

(2361) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2668, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بَقِيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيرٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ .

(2362) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: तहक़ीक़ रसूलुल्लाह(ﷺ) सोमवार और जुमेरात का रोज़ा क़सदन रखा करते थे।

(2362) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2358, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2669.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ أَخْبَرَنِي ثَوْرٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ .

(2363) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) सोमवार और जुमेरात का रोज़ा कोशिश से रखा करते थे।

(2363) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2670, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ .

(2364) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मरवी है, फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) सोमवार और जुमेरात का रोज़ा ख़ुसूसन रखते थे।

(2364) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/8, 106, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2671.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ.

(2365) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मन्क़ूल है, फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) सोमवार और जुमेरात के दिन रोज़ा इरादतन रखा करते थे।

(2365) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2672, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ سَوَاءٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ .

(2366) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: नबी (ﷺ) सोमवार और जुमेरात के दिन का रोज़ा रखा करते थे।

(2366) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2116, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2673.

أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ سَوَاءٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ مِنْ هَذِهِ الْجُمُعَةِ وَالاِثْنَيْنِ مِنَ الْمُقْبِلَةِ .

(2367) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हर महीने में तीन दिन रोज़ा रखते थे: वह एक हफ़्ते में पीर और जुमेरात को और अगले हफ़्ते के पीर को।

(2367) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2674.

أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ سَوَاءٍ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَيَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَمِنَ الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ .

(2368) हज़रत हफ़्सा (ﷺ) फ़रमाती हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) हर महीने जुमेरात और सोमवार को और दूसरे जुमा (हफ़्ते) से सोमवार को रोज़ा रखते थे।

(2368) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 2451, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2675.

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ جَعَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الأَيْمَنِ وَكَانَ يَصُومُ الاِثْنَيْنَ وَالْخَمِيسَ .

(2369) हज़रत हफ़्सा (ﷺ) से मन्क़ूल है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) जब बिस्तर पर लेटते थे तो अपना दायाँ हाथ मुबारक (हथेली) अपने दायें रुख़सार के नीचे रखते थे और सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे।

(2369) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2676, हदीस: 10599.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ

(2370) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ)

شَقِيقٍ، قَالَ أَبِي أَنْبَأَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ وَقَلَّمَا يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हर महीने के शुरू से तीन दिन का रोज़ा रखते थे और जुम्अतुल मुबारक के दिन कम ही रोज़ा छोड़ते थे।

(2370) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 2450, तिर्मिज़ी, हदीस: 742, इब्ने माजा, हदीस: 1725, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2677.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'शुरू से' यानी किसी महीने में। और कुछ औक़ात दरम्यान में तीन दिन रोज़ा रखते थे और कभी आख़िर महीने से भी रख लेते थे। **(2)** 'जुम्अतुल मुबारक के दिन' यानी जुमेरात समेत, वरना अकेले जुमे के रोज़े से तो आपने मना फ़रमाया है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1985, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1144) जुमेरात का रोज़ा आपका मामूल था।

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَكْعَتَىِ الضُّحَى وَأَنْ لاَ أَنَامَ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ وَصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ .

(2371) हज़रत अबू हुरैरह (رضی الله عنه) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ज़ुहा (चाश्त) की दो रकअतें पढ़ा करूँ और बग़ैर वित्र पढ़े न सोऊँ और हर महीने में तीन रोज़े रखूँ।

(2371) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2678, देखें, हदीस: 2406.

फ़ायदा : ये हुक्म इस्तेहबाबी है वजूबी नहीं क्योंकि मज़्कूरा तीनों काम बिल इतेफ़ाक़ मुस्तहब्बात में शुमार होते हैं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَسُئِلَ، عَنْ صِيَامِ، عَاشُورَاءَ قَالَ مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى

(2372) हज़रत उबैदुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने सुना जबकि हज़रत इब्ने अब्बास (رضی الله عنه) से आशूरा के रोज़े के बारे में पूछा गया, आपने फ़रमाया: मैं तो नहीं जानता कि नबी (ﷺ) ने किसी दिन को दूसरे दिनों से अफ़ज़ल समझ कर

فَضْلَهُ عَلَى الأَيَّامِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ .

उसका रोज़ा रखा हो, सिवाए इस दिन के, यानी आशूरा और माहे रमज़ानुल मुबारक के।

(2372) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2006, मुस्लिम, हदीस: 1132, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2679.

फ़ायदा : माहे रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत के बारे में तो कोई कलाम ही नहीं, इसके बाद यौमे आशूरा, यानी दस मुहर्रमुल हराम अफ़ज़ल है। इस दिन बहुत से अहम काम सरअन्जाम पाये।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي هَذَا الْيَوْمِ " إِنِّي صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ " .

(2373) हज़रत हुमैद बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ बयान करते हैं कि मैंने हज़रत मुआविया(ﷺ) को आशूरा के दिन मिम्बरे नबवी पर फ़रमाते सुना: ऐ मदीने वालो! कहाँ गये तुम्हारे उलमा? मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इस दिन के बारे में फ़रमाते सुना: 'मैंने आज रोज़ा रखा हुआ है, तो जो रोज़ा रखना चाहे, वह रख ले।'

(2373) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1129, बुख़ारी, हदीस: 2003, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2680.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) का मक़सद ये बतलाना है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) आशूरा का रोज़ा भी रखा करते थे, मगर आशूरा का अकेला रोज़ा मुनासिब नहीं, इसके साथ नवीं या नवीं का छूट जाये तो मुशाबिहत से बचने की ख़ातिर ग्यारहवीं का रखना भी इन्शाअल्लाह जायज़ होगा।

أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ، عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، قَالَتْ حَدَّثَتْنِي بَعْضُ، نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه

(2374) हज़रत हुनैदा बिन ख़ालिद की ज़ोज-ए-मोहतरमा से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मुझसे नबी (ﷺ) की किसी ज़ोज-ए-मोहतरमा ने बयान फ़रमाया कि नबी (ﷺ) आशूरा-ए-मुहर्रम, ज़ुलहिज्जा के पहले नो दिन और हर महीने के तीन दिन, महीने का पहला सोमवार और दो इब्तेदाई जुमेरातें रोज़ा रखा करते थे।

وسلم كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَتِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ ‏.‏

(2374) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 2437, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2681.

फ़ायदा : ऊपर दी गई अठाईस रिवायात में रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़िदाहू अबी व उम्मी व नफ़्सी व रूही के नफ़ल रोज़ों की मुख़्तलिफ़ कैफ़ियात बयान की गई हैं और इनमें कोई तज़ाद नहीं। आप कभी किसी कैफ़ियत से रोज़े रखते थे और कभी किसी कैफ़ियत से। और यही ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि नफ़ल रोज़ों में सहूलत का ख़्याल रखना चाहिए। किसी एक तरीक़े को इख़्तियार करके उस पर इस तरह जम जाना कि उससे निकलना गुनाह समझना, तशद्दुद और तकल्लुफ़ फ़िद्दीन के ज़ुम्रे में आता है, इसलिये नफ़ल का मामला खुला रखना चाहिए क्योंकि नफ़ल का मदार ख़ूशी और निशात पर है, अलबत्ता शरीयत की हिदायात मल्हूज़ ख़ातिर रहें, जैसे: रोज़ा हमेशा न रखे। ईदैन और अय्यामे तशरीक़ में रोज़ा न रखे। शक वाले दिन और शाबान की आख़री तारीख़ों में न रखे। वग़ैरह वग़ैरह.

باب: (٧١) ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى عَطَاءٍ فِي الْخَبَرِ فِيهِ

बाब : (71) इसके बारे में वारिद हदीस में हज़रत अ़ता के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

वज़ाहत : इख़्तिलाफ़ ये है कि कुछ रिवायात में सहाबी का नाम हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) (अ़ता का उनसे सिमाअ़ साबित नहीं) और कुछ में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (رضي الله عنه) है, फिर कुछ में हज़रत अ़ता बराहे रास्त हज़रत इब्ने उ़मर या इब्ने अ़म्र (رضي الله عنه) से बयान करते हैं और कुछ रिवायात में किसी मज्हूल शख़्स का वास्ता है। हदीस: 2380 में इस मज्हूल की तसरीह आ गई है कि वह अबुल अ़ब्बास अश्शाइर हैं, लिहाज़ा इस तरह से ये रिवायत बिल्कुल सही है।

أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَطِيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ صَامَ الأَبَدَ فَلاَ صَامَ ‏"‏ ‏.‏

(2375) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने बिला नाग़ा रोज़ा रखा उसका कोई रोज़ा नहीं।'

(2375) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2687.

फ़ायदा : सियामे दाऊद (عليه السلام) से ज़्यादा रोज़े नहीं रखने चाहिए क्योंकि ये अफ़ज़ल तरीन हैं। अगर

कोई ज़्यादा रखेगा तो भी ज़्यादा सवाब हासिल न कर सकेगा। एक आध माह में ऐसे हो तो अलग बात है जैसा कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) अक्सर शाबान के रोज़े रखते थे। मुसल्सल ऐसा करना मना है।

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُسَاوِرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَامَ الأَبَدَ فَلاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ " .

(2376) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने हमेशा रोज़ा रखा, तो (ऐसे समझो कि) उसने न रोज़ा रखा और न इफ़्तार किया (वह बे रोज़ा रहा)'

(2376) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2688.

फ़ायदा : 'न उसने रोज़ा रखा' यानी उसे किसी रोज़े का सवाब न मिला। मालूम हुआ इबादात में गुलू करना और हद से तजावुज़ करना उन्हें बे अज्र बना देता है। 'न इफ़्तार किया' यानी वह इफ़्तार (रोज़ा न रखने) के फ़वाइद से भी महरूम रहा।

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَعُقْبَةُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " مَنْ صَامَ الأَبَدَ فَلاَ صَامَ "

(2377) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने हमेशा रोज़ा रखा, उसका रोज़ा नहीं।'

(2377) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2689.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ صَامَ الأَبَدَ فَلاَ صَامَ " .

(2378) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने हमेशा रोज़ा रखा (समझो) उसने रोज़ा नहीं रखा।'

(2378) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2375, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2690.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ

(2379) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस(ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने

حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِذٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ صَامَ الأَبَدَ فَلاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ ".

फ़रमाया: 'जिसने हर रोज़ रोज़ा रखा, न उसने रोज़ा रखा, न छोड़ा।'

(2379) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2690.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءً، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ الصَّوْمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ . قَالَ قَالَ عَطَاءٌ لاَ أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبَدِ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ .

(2380) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस(ﷺ) ने कहा: नबी (ﷺ) को ये बात पहुँची कि मैं लगातार रोज़े रखता हूँ। और रावि-ए-हदीस ने पूरी हदीस बयान की। इब्ने जुरैज बयान करते हैं कि अता फ़रमाते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि हमेशा रोज़ा रखने वाले अल्फ़ाज़ इस क़िस्से में कैसे आ गये) अलबत्ता नबी (ﷺ) का ये फ़रमान मुझे याद है कि आपने फ़रमाया:) 'जिसने हमेशा रोज़ा रखा, उसका रोज़ा नहीं होता।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1977, मुस्लिम, हदीस: 1159/186, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 2691.

باب: (٧٢) النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ، وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ، عَلَى مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْخَبَرِ فِيهِ

बाब : (72) हमेशा रोज़ा रखने की मुमानिअत (मनाही) और इस बारे में वारिद हदीस (के बयान) में मुतर्रिफ़ बिन अब्दुल्लाह के शागिर्दों का इख़्तिलाफ़

वज़ाहत : इख़्तिलाफ़ ये है कि मुतर्रिफ़ बिन अब्दुल्लाह किन से बयान कर रहे हैं? हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से या अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन शिख़्ख़ीर से?

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

(2381) हज़रत इमरान (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को बतलाया गया: फुलां

शख़्स कभी भी रोज़े से नाग़ा नहीं करता। आपने फ़रमाया: 'न उसने रोज़ा रखा और न छोड़ा।'

(2381) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/426, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2682, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 3/311, हदीस: 2151, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 937, वल हाकिम: 1/435.

الشِّخِّيرِ، عَنْ أَخِيهِ، مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ، قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلاَنًا لاَ يُفْطِرُ نَهَارًا الدَّهْرَ . قَالَ " لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ " .

फ़ायदा : हमेशा रोज़ा रखना फ़ितरते इन्सानी के ख़िलाफ़ है क्योंकि इससे हुक़ूक़ुल इबाद की अदायगी में ख़राबी पैदा होगी, जिस्मानी कमज़ोरी होगी, मआश ख़राब होगा, वग़ैरह वग़ैरह, लिहाज़ा हमेशा रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं, चाहे वह ईदैन और अय्यामे तशरीक़ के रोज़े छोड़ भी दे क्योंकि मज़्कूरा बाला ख़राबियाँ इस सूरत में भी बिऐनिही मौजूद हैं। अगरचे फ़िक़ही तौर पर इसके जवाज़ की ये कह कर गुंजाइश निकाली गई है कि पाँच नाग़े होने से हक़ीक़तन हमेशा का रोज़ा न रहा। मगर फ़िक़ही मूशगाफ़ियों के बजाये मसालेह और मफ़ासिद का लिहाज़ रखना असल है। शरीयत के अहकाम में ये चीज़ साफ़ नज़र आती है, जैसे: कुत्ते का झूठा पलीद है, बिल्ली का पाक। महफ़ूज़ पानी क़लील नजासत से पलीद हो जाता है, मगर खुला पानी नहीं, वग़ैरह

(2382) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शिख़्ख़ीर(ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना जब आपके पास एक आदमी का ज़िक्र हुआ जो बिला नाग़ा रोज़े रखा करता था। आपने फ़रमाया: 'उसने न रोज़ा रखा और न छोड़ा।'

(2382) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1705, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2683.

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهْرَ قَالَ " لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ " .

(2383) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शिख़्ख़ीर(ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमेशा रोज़ा रखने (वाले) के बारे में फ़रमाया: 'उसने न रोज़ा रखा और न छोड़ा।'

(2383) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1705, अबी दाऊद अत्तयालिसी, पिछली हदीस देखें, सुनन

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ " لاَ صَامَ

अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2684, व मुसनद अत्तयालिसी, हदीस: 1147, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2150, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 938.

وَلاَ أَفْطَرَ " .

फ़ायदा : 'न रखा और न छोड़ा' छोड़ा तो हक़ीक़तन नहीं, रखा इसलिये नहीं कि शरीयत की नाफरमानी की, सवाब न मिला गोया न रखा।

बाब : (73) इस रिवायत में ग़ैलान बिन जरीर के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

باب: (٧٣) ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ فِيهِ

वज़ाहत : ग़ैलान बिन जरीर के कुछ शागिद्र इस रिवायत को हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) की रिवायत बनाते हैं, और कुछ शागिर्द हज़रत उमर (ﷺ) की, यानी हज़रत अबू क़तादा ये रिवायत हज़रत उमर(ﷺ) से बयान फ़रमाते हैं।

(2384) हज़रत उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे कि हम एक आदमी के पास से गुज़रे। लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के नबी! ये शख़्स इतने अर्से से रोज़े का नाग़ा नहीं कर रहा। आपने फ़रमाया: 'न उसने रोज़ा रखा और न छोड़ा।'

(2384) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2685, अबू यअ्ला फ़ी मुसनद: 1/133, 134.

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ، - وَهُوَ ابْنُ جَرِيرٍ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، - وَهُوَ ابْنُ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيُّ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا لاَ يُفْطِرُ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ " لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ " .

(2385) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से आपके रोज़ों के बारे में पूछा गया तो आप नाराज़ हो गये। हज़रत उमर(ﷺ) ने अर्ज़ किया: हम अल्लाह तआला के रब होने, इस्लाम के दीन होने और हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के रसूल होने पर राज़ी हैं, फिर आपसे उस

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ غَيْلاَنَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيَّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ فَغَضِبَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِينَا

بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً . وَسُئِلَ عَمَّنْ صَامَ الدَّهْرَ فَقَالَ " لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ " .

शख़्स के बारे में पूछा गया जो बिला नाग़ा रोज़े रखता था। आपने फ़रमाया: 'उसने न रोज़ा रखा और न छोड़ा।'

(2385) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1162/197, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2686.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'नाराज़ हो गये' क्योंकि आपने अपनी नेकी के इज़्हार को मुनासिब न समझा, इसलिये ऐसे सवाल पर नाराज़ हुये। या आपने ख़तरा महसूस फ़रमाया कि अगर मैंने बता दिया तो साइल या दूसरे लोग मेरी इक़्तेदा करने की कोशिश करेंगे और मशक़्क़त में पड़ेंगे। या इसलिये नाराज़ हुये कि इबादत के मसला, ख़ुसूसन रोज़े में आपकी मुमासलत करना मना है, जैसे: विसाल (कई दिनों का रोज़ा) आपका ख़ास्सा है, किसी और शख़्स को एक दिन से ज़्यादा का रोज़ा (विसाल की सूरत में) रखने की इजाज़त नहीं। वल्लाहु आलम! **(2)** 'राज़ी हैं' यानी हम अल्लाह तआला के आप पर नाज़िल कर्दा दीन पर सख़्ती से कारबन्द हैं, लिहाज़ा हमारी ग़लती माफ़ फ़रमाइये।

باب: (٧٤) سَرْدِ الصِّيَامِ

बाब : (74) लगातार रोज़े रखना?

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ " صُمْ إِنْ شِئْتَ أَوْ أَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ " .

(2386) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत हम्ज़ा बिन अम्र अस्लमी (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं लगातार रोज़े रखता हूँ तो क्या सफ़र में भी रख लिया करूँ? आपने फ़रमाया: 'अगर तू चाहे तो रख ले और अगर चाहे तो न रख।'

(2386) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1121, देखें, हदीस: 2308, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2692.

फ़ायदा : यहाँ पे दर पे रोज़ों से पूरे साल के मुसल्सल रोज़े रखना मुराद नहीं क्योंकि अहादीस में इसकी सख़्त मुमानिअत है, शरअन ऐसे रोज़े नाक़ाबिले ऐतबार हैं। मज्मूई दलाइल का जायज़ा लेने से मालूम होता है कि यहाँ सर्दुस्सियाम से मुराद मुसल्सल महीना दो महीने रोज़े रखना। वल्लाहु आलम! और इसके जवाज़ में इन्शाअल्लाह कोई तरद्दुद नहीं।

बाब : (75) दो तिहाई दिनों के रोज़े और इस बारे में वारिद हदीस़ के बयान में राविय़ों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

باب: (٧٥) صَوْمِ ثُلُثَيِ الدَّهْرِ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

वज़ाहत : इख़्तिलाफ़ यूँ है कि कुछ रावी इस हदीस़ को मुत्तसिल बयान करते हैं और कुछ मुर्सल, यानी स़हाबा का ज़िक्र नहीं करते। अम्र बिन शुरहबील स़हाबी नहीं हैं। पहली रिवायत मुत्तसिल है, अगरचे स़हाबी ना मालूम है और स़हाबी का ना मालूम होना मुज़िर नहीं होता। दूसरी रिवायत मुर्सल है। इसमें स़हाबी का ज़िक्र नहीं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهْرَ . قَالَ " وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الدَّهْرَ " . قَالُوا فَثُلُثَيْهِ قَالَ " أَكْثَرَ " . قَالُوا فَنِصْفَهُ قَالَ " أَكْثَرَ " . ثُمَّ قَالَ " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ " .

(2387) नबी (ﷺ) के एक स़हाबी (ؓ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) से कहा गया कि एक आदमी हमेशा रोज़े रखता है। आपने फ़रमाया: 'काश वह कभी खाना न खाता (और मर जाता)' लोगों ने अ़र्ज़ किया: दो तिहाई दिनों के रोज़े कैसे हैं? आपने फ़रमाया: 'ये भी बहुत ज़्यादा हैं।' उन्होंने कहा: निस़्फ़ दिनों के रोज़े? आपने फ़रमाया: 'ये भी ज़्यादा ही हैं।' फिर फ़रमाया: 'मैं तुम्हें वह रोज़े न बताऊँ जो सीने का कीना (दिल के मफ़ासिद) दूर करने के लिये काफ़ी हैं? हर माह में तीन दिन के रोज़े।'

(2387) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़: 4/296, हदीस़: 8767, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2693.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'काश वह कभी न खाता' ये इज़्हारे नाराज़ी है कि उसने ऐसा क्यूँ किया? ये तो मरने वाली बात है। इससे तो बेहतर था कि कभी भी खाना न खाता और जल्दी मर जाता। ज़ाहिर अल्फ़ाज़ मक़सूद नहीं सिर्फ़ डाँटना मक़सद है कि हमेशा रोज़ा रखना मना है। **(2)** 'बहुत ज़्यादा हैं' गोया हर महीने दो तिहाई (यानी बीस) दिनों के रोज़े रखना भी औला नहीं कि ये भी स़ियामे दाऊद (ؑ) से ज़्यादती है। अगरचे ये जायज़ हैं मगर अफ़ज़ल फिर भी नहीं। **(3)** 'ये भी ज़्यादा हैं' क्योंकि

ये नफ़्ल रोज़ों का आख़री दर्जा है, अलबत्ता मना नहीं। लेकिन चूंकि वह शख़्स पहले ही ज़्यादा रोज़े रखता था, लिहाज़ा आपने उसके लिये ये भी मुनासिब न समझे ताकि उसका तशद्दुद ख़त्म हो। (4) महीने में तीन रोज़े बेहतरीन हैं क्योंकि उनसे रोज़े का मक़सद भी बख़ूबी पूरा होता है, यानी दिल की इस्लाह हो जाती है और हुक़ूक़ुल इबाद की अदायगी में ख़लल भी वाक़ेअ नहीं होता और इन्सान जिस्मानी कमज़ोरी से भी महफ़ूज़ रहता है, और तीन का सवाब तीस, यानी पूरे महीने के बराबर है, लिहाज़ा इसी पर अमल अफ़ज़ल है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الدَّهْرَ شَيْئًا " . قَالَ فَثُلُثَيْهِ قَالَ " أَكْثَرَ " . قَالَ فَنِصْفَهُ قَالَ " أَكْثَرَ " . قَالَ " أَفَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ " . قَالُوا بَلَى . قَالَ " صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ " .

(2388) हज़रत अम्र बिन शुरहबील (ﷺ) से रिवायत है कि एक शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप उस आदमी के बारे में क्या फ़रमाते हैं जो हमेशा रोज़ा रखता है? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं तो चाहता हूँ कि वह कभी कुछ न खाता।' उसने कहा: दो तिहाई रोज़े? आपने फ़रमाया: 'बहुत ज़्यादा हैं।' उसने कहा: निस्फ़ दिनों के रोज़े? आपने फ़रमाया: 'ये भी ज़्यादा ही हैं' आपने फ़रमाया: 'मैं तुम्हें ऐसे रोज़ों की ख़बर न दूँ जो दिल की ख़राबियों (अख़लाक़ी कमज़ोरियों) को दूर कर देते हैं?' लोगों ने कहा: क्यूँ नहीं (ज़रूर बताइये) आपने फ़रमाया: 'हर महीने में तीन रोज़े।'

(2388) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2694.

फ़ायदा : 'दिल की ख़राबियों' कुछ अहले इल्म ने ख़राबियों की बजाये दिल की बेचैनी मुराद ली है, यानी अगर इन्सान (नेक) इबादत न करे तो दिल बेचैन रहता है। तीन रोज़े हर माह रख लेने से दिल का इज़्तेराब ख़त्म हो जायेगा और इत्मिनान हासिल होगा।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ،

(2389) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत उमर (ﷺ) ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ " لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ أَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ " أَوَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ " . قَالَ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ " ذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ " . قَالَ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ " وَدِدْتُ أَنِّي أُطِيقُ ذَلِكَ " . قَالَ ثُمَّ قَالَ " ثَلاَثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ هَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ " .

के रसूल! उस शख़्स के बारे में क्या इरशाद है जो हमेशा बिला नाग़ा रोज़ा रखता है? आपने फ़रमाया: 'उसने न रोज़ा रखा और न छोड़ा।' उन्होंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! उस शख़्स के बारे में क्या हुक्म है जो दो दिन रोज़ा रखता है, एक दिन नाग़ा करता है? आपने फ़रमाया: 'क्या कोई शख़्स (हमेशा) इसकी ताक़त रख सकता है?' उन्होंने फिर अर्ज़ किया: उस शख़्स के बारे में क्या फ़रमान है जो एक दिन रोज़ा रखता है, एक दिन नाग़ा करता है? आपने फ़रमाया: 'ये तो हज़रत दाऊद (عليه السلام) का रोज़ा है।' उन्होंने अर्ज़ किया: उस शख़्स के बारे में क्या राय है जो एक दिन का रोज़ा रखता है, दो दिन इफ़्तार करता है? आपने फ़रमाया: 'मेरी ख़्वाहिश है कि मुझे इसकी ताक़त होती।' फिर फ़रमाया: 'हर महीने में तीन रोज़े रख लेना और हर रमज़ान के रोज़े रख लेना (सवाब के लिहाज़ से) ज़माना भर के रोज़े रख लेने के बराबर है।'

(2389) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1162, देखें, हदीस: 2385, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2695.

फ़ायदा : 'क्या कोई शख़्स इसकी ताक़त रख सकता है?' मक़सद कराहत का इज़्हार है कि सारी ज़िन्दगी ताक़त न रखेगा। आख़िर इस अमल को छोड़ना पड़ेगा, लिहाज़ा ये दुरुस्त नहीं। (मज़ीद हदीस: 2387)

बाब : (76) एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन इफ़्तार करना और इस बारे में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) की हदीस़ बयान करने वालों के अल्फ़ाज़ के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

باب: (٧٦) صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ فِي ذَلِكَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فِيهِ

वज़ाहत : यहाँ सनद में किसी इख़्तिलाफ़ का बयान मक़सूद नहीं बल्कि मक़सूद ये है कि राविआने हदीस़ में कुछ अल्फ़ाज़ के बयान में कुछ इख़्तिलाफ़ है, जैसे बवास्त-ए-मुजाहिद मरवी रिवायात में एक दिन रोज़ा रखना और दूसरे दिन छोड़ने को अफ़ज़लुस्सियाम कहा गया, अबू सलमा के तरीक़ से मन्क़ूल रिवायत में इस तरह के रोज़े को निस्फ़ुद्दहर के रोज़े क़रार दिया गया है। जबकि इब्ने अल मुसय्यब और अबू सलमा की रिवायत में आ़दलुस्सियाम के अल्फ़ाज़ मन्क़ूल हैं। ग़र्ज़ मआल एक ही है। मतने हदीस़ पर इससे कोई ज़द नहीं आती, मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा शरह सुनन नसाई: 21/303)

قَالَ وَفِيمَا قَرَأَ عَلَيْنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا " .

(2390) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अफ़ज़ल तरीन रोज़े दाऊद (عليه السلام) के रोज़े हैं। वह एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन नाग़ा फ़रमाते थे।'

(2390) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 1978, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2696.

फ़ायदा : कहा गया है कि पाबन्दी के लिहाज़ से ये सख़्त तरीन रोज़े हैं मगर हज़रत दाऊद (عليه السلام) बड़े ताक़त वाले थे।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ فَكَانَ يَأْتِيهَا فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا، فَقَالَتْ

(2391) हज़रत मुजाहिद बयान करते हैं कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया कि मेरे वालिद ने एक स़ाहिबे रुत्बा (आ़ली नसब) ख़ातून से मेरा निकाह कर दिया, फिर वह (अक्सर) उसके पास आकर उसके ख़ाविन्द के (यानी मेरे) बारे में पूछते तो वह

نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ أَتَيْنَاهُ . فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " ائْتِنِي بِهِ " . فَأَتَيْتُهُ مَعَهُ فَقَالَ " كَيْفَ تَصُومُ " . قُلْتُ كُلَّ يَوْمٍ . قَالَ " صُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ " . قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " صُمْ يَوْمَيْنِ وَأَفْطِرْ يَوْمًا " . قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ " .

ख़ातून कहती: बड़े अच्छे आदमी हैं जो कभी मेरे बिस्तर पर नहीं आये और जब से मैं आई हूँ, कभी मेरा पहलू तलाश नहीं किया। मेरे वालिद ने ये बात नबी (ﷺ) के गोशे गुज़ार की तो आपने फ़रमाया: 'उसे लेकर मेरे पास आना।' मैं उनके साथ आप (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ तो आपने फ़रमाया: 'तुम रोज़े (नफ़ल) कैसे रखते हो? मैंने अर्ज़ किया: हर रोज़। आपने फ़रमाया: 'हर हफ़्ते से तीन दिन रोज़े रखो।' मैंने अर्ज़ किया: मैं इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया: 'दो दिन रोज़ा रखो और एक दिन नाग़ा करो।' मैंने अर्ज़ किया: मैं इससे भी ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया: 'दाऊद (عليه السلام) की तरह रोज़े रखो जो अफ़ज़ल तरीन रोज़े हैं। एक दिन रोज़ा, एक दिन नाग़ा।'

(2391) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5052, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2697.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत में सवाल और जवाब की तर्तीब सही नहीं। किसी रावी से ग़लती हो गई है। उसने यूँ महल्ले इख़्तिसार कर दिया है। आइन्दा रिवायात से सही तर्तीब मालूम हो रही है। **(2)** 'पहलू तलाश नहीं किया' यानी कभी ख़ाविन्द बीवी वाला ताल्लुक़ क़ाइम नहीं किया। हज़रत अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) इन्तेहाई मुत्तक़ी और परहेज़गार थे, इसलिये तवज्जो बीवी की तरफ़ न गई। वालिद मोहतरम ने ख़ुद तवज्जो दिलाने के बजाये रसूलुल्लाह (ﷺ) से रुजूअ किया।

أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِينٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ زَوَّجَنِي أَبِي

(2392) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मेरे वालिद ने एक ख़ातून से मेरी शादी कर दी, फिर वह उससे मिलने आये तो पूछा: तेरा ख़ाविन्द कैसा है? वह कहने लगी: अच्छा आदमी है जो रात को सोता नहीं और दिन को रोज़े से नाग़ा नहीं करता। तो वालिद मोहतरम

امْرَأَةً فَجَاءَ يَزُورُهَا فَقَالَ كَيْفَ تَرَيْنَ بَعْلَكِ فَقَالَتْ نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لاَ يَنَامُ اللَّيْلَ وَلاَ يُفْطِرُ النَّهَارَ . فَوَقَعَ بِي وَقَالَ زَوَّجْتُكَ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَعَضَلْتَهَا . قَالَ فَجَعَلْتُ لاَ أَلْتَفِتُ إِلَى قَوْلِهِ مِمَّا أَرَى عِنْدِي مِنَ الْقُوَّةِ وَالاِجْتِهَادِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لَكِنِّي أَنَا أَقُومُ وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ فَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ " . قَالَ " صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ " . فَقُلْتُ أَنَا أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا " . قُلْتُ أَنَا أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ " . ثُمَّ انْتَهَى إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ وَأَنَا أَقُولُ أَنَا أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ .

ने मुझे सख़्त सुस्त कहा और फ़रमाने लगे कि मैंने एक (बेहतरीन) मुसलमान औरत से तेरी शादी की है और तूने उसे बिन बियाही बना रखा है? लेकिन मैं उनके कहने की तरफ़ तवज्जो नहीं देता था क्योंकि मैं अपने अन्दर (इबादत की) कुव्वत और शौक़ पाता था। ये बात नबी (ﷺ) को पहुँची तो आपने फ़रमाया: 'लेकिन मैं तो रात को नमाज़ भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ। रोज़ा भी रखता हूँ और नाग़े भी करता हूँ, चुनांचे तू नमाज़ भी पढ़ और सो भी। रोज़े भी रख और नाग़े भी कर।' आपने फ़रमाया: 'हर महीने से तीन रोज़े रख लिया कर।' मैंने अर्ज़ किया: मुझे इससे ज़्यादा की ताक़त है। आपने फ़रमाया: 'फिर दाऊद(عليه السلام) जैसे रोज़े रख। एक दिन रोज़ा रख और एक दिन नाग़ा कर।' मैंने कहा: मुझे इससे ज़्यादा की ताक़त है। (मगर आपने इजाज़त न दी), फिर आपने फ़रमाया: 'एक माह में (तहज्जुद के दौरान में) एक दफ़ा क़ुरआन ख़त्म किया कर।' लेकिन फिर (मेरे बार बार कहने पर) आप पन्द्रह तक आ गये। मैं अब भी यही कह रहा था: मुझे इससे ज़्यादा की ताक़त है।

(2392) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2698.

फ़ायदा : इस हदीस़ में भी रावी ने इख़्तिसार किया है। इसी रिवायत की दूसरी असानीद से मरवी अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि उनके बार बार इसरार करने पर रसूलुल्लाह (ﷺ) एक माह, पचीस दिन, फिर बीस, पन्द्रह, दस, सात पाँच से गुज़रते हुये तीन दिन पर आ गये थे, यानी तीन रातों में क़ुरआन ख़त्म कर लिया कर। इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं दी ताकि सही तलफ़्फ़ुज़, तवज्जा और हुज़ूरे क़ल्ब (दिलो-दिमाग़ की हाजरी) से उसे पढ़ा जाये।

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُجْرَتِي فَقَالَ " أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ " . قَالَ بَلَى . قَالَ " فَلاَ تَفْعَلَنَّ نَمْ وَقُمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِصَدِيقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّهُ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ وَإِنَّهُ حَسْبُكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثًا فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا " . قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ . قَالَ " صُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ " . قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ . قَالَ " صُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ " . قُلْتُ وَمَا كَانَ صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ " نِصْفُ الدَّهْرِ " .

(2393) हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे हुज्रे में तशरीफ़ लाये और फ़रमाने लगे: 'क्या मुझे ये बताया नहीं गया कि तू सारी रात नमाज़ पढ़ता रहता है और हर दिन रोज़ा रखता है?' मैंने अर्ज़ किया: जी हाँ, आपने फ़रमाया: 'ऐसे न कर। सो भी और क़याम भी कर। रोज़ा भी रख और नाग़ा भी कर। यक़ीनन तेरी आँख का तुझ पर हक़ है, तेरे जिस्म का तुझ पर हक़ है, तेरी बीवी का तुझ पर हक़ है, तेरे मेहमान का भी तुझ पर हक़ है और तेरे दोस्त का भी तुझ पर हक़ है। उम्मीद है तेरी उम्र लम्बी होगी, लिहाज़ा तुझे ये काफ़ी है कि हर महीने से तीन रोज़े रख लिया कर। ये (सवाब के लिहाज़ से) ज़माने भर के रोज़ों के बराबर हो जायेंगे क्योंकि हर नेकी का बदला दस गुना है। मैंने अर्ज़ किया: मैं ज़्यादा ताक़त रखता हूँ। मैंने अपने आप पर सख़्ती की तो मुझ पर सख़्ती डाल दी गई। आपने फ़रमाया: 'हर हफ़्ते में तीन रोज़े रख लिया कर।' मैंने कहा: मैं इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। इस तरह मैंने अपने आप पर सख़्ती की तो मुझ पर सख़्ती डाल दी गई। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद (ﷺ) की तरह रोज़ा रख लिया कर।(मैंने कहा: हज़रत दाऊद(ﷺ) के रोज़े कैसे थे? आपने फ़रमाया: 'निस्फ़ ज़माना। (यानी एक दिन रोज़ा एक दिन नाग़ा)'

(2393) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1974, मुस्लिम, हदीस: 1159, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2699.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'तुझ पर हक़ है' लिहाज़ा हर हक़ वाले को उसका हक़ दे। आँख का हक़ नींद, जिस्म का हक़ आराम व ख़ूराक, बीवी का हक़ उसके साथ शब बसरी, मेहमान का हक़ मेहमान नवाज़ी और उसके साथ मिलकर खाना, दोस्त का हक़ उसके साथ उठना बैठना और खाना वग़ैरह है। **(2)** तेरी उम्र लम्बी होगी' और बड़ी उम्र में ज़्यादा इबादत को क़ाइम न रख सकेगा, लिहाज़ा इतनी इबादत शुरू कर जिसे क़ाइम रख सके। मगर हज़रत अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) जवानी और इबादत के जोश में समझ न सके और आख़री उम्र में तंग हुये जिसे वह सख़्ती डालने से ताबीर फ़रमा रहे थे।

(2394) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आस़(ﷺ) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने मेरी बात ज़िक्र की गई कि मैं सारी रात इबादत किया करूँगा और हर दिन रोज़ा रखा करूँगा जब तक ज़िन्दा रहा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तू ये बात कहता है?' मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! यक़ीनन मैंने ये बात कही है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तू इसकी ताक़त नहीं रख सकेगा, लिहाज़ा रोज़ा रख और नाग़ा भी कर, सो भी और इबादत भी कर। और हर महीने में तीन दिन रोज़े रख लिया कर। चूंकि नेकी का बदला दस गुना है, लिहाज़ा ये (स़वाब के लिहाज़ से) हमेशा रोज़े रखने की तरह हो जायेंगे।' मैंने कहा: मैं इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया: 'फिर एक दिन रोज़ा रख और दो दिन नाग़ा कर।' मैंने कहा: मैं इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया: 'फिर एक दिन रोज़ा रख और एक दिन नाग़ा कर। और ये हज़रत दाऊद (ﷺ) के रोज़े हैं और ये अफ़ज़ल तरीन रोज़े हैं।' मैंने कहा: मैं इससे अफ़ज़ल की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया: 'इससे अफ़ज़ल कोई रोज़ा नहीं।' हज़रत

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يَقُولُ لأَقُومَنَّ اللَّيْلَ وَلأَصُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ " . فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ " . قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ " . فَقُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا

وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ " . قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ " . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو لأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلاَثَةَ الأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي .

अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मैं वह तीन रोज़े ही क़बूल कर लेता जो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने मेरे लिये तज्वीज़ फ़रमाये थे तो अब मुझे मेरे अहल व माल से ज़्यादा पसन्द और महबूब होता।

(2394) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1159, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 1976, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2700.

फ़ायदा : 'मैं वह तीन रोज़े ही क़बूल कर लेता' ये सोच उन्हें बुढ़ापे में आई जब इस क़द्र सख़्त इबादत को बरदाश्त करना मुश्किल हो गया, मगर वह जारी शुदा नेकी को ख़त्म करने या कम करने को भी मुनासिब न समझते थे।

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ - عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قُلْتُ أَىْ عَمِّ حَدِّثْنِي عَمَّا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي كُنْتُ أَجْمَعْتُ عَلَى أَنْ أَجْتَهِدَ اجْتِهَادًا شَدِيدًا حَتَّى قُلْتُ لأَصُومَنَّ الدَّهْرَ وَلأَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَانِي حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ فِي دَارِي فَقَالَ " بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ لأَصُومَنَّ الدَّهْرَ وَلأَقْرَأَنَّ

(2395) हज़रत अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान से रिवायत है, मैं हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) के पास गया और कहा: चचा जान! मुझे वह बात बयान फ़रमाइये जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आपको इरशाद फ़रमाई थी। वह फ़रमाने लगे: ऐ भतीजे! मैंने ये अ़ज़्म किया था कि मैं इबादत में सख़्त मेहनत करूँगा यहाँ तक कि मैंने कहा: मैं हमेशा रोज़े रखूँगा और एक दिन रात में पूरा क़ुर्आन मजीद ख़त्म किया करूँगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (किसी से) ये बात सुन ली तो आप मेरे पास तशरीफ़ लाये यहाँ तक कि मेरे घर में दाख़िल हो गये और फ़रमाने लगे: 'मुझे पता चला है कि तूने कहा है: मैं हमेशा रोज़ा रखा करूँगा और (हर रोज़) पूरा क़ुर्आन (नमाज़ में) पढ़ा करूँगा।' मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! बिला शुब्हा मैंने ये बात कही है। आपने फ़रमाया: 'ऐसे न

الْقُرْآنَ " . فَقُلْتُ قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " فَلاَ تَفْعَلْ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ " . قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " فَصُمْ مِنَ الْجُمُعَةِ يَوْمَيْنِ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ " . قُلْتُ فَإِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَإِنَّهُ أَعْدَلُ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمًا صَائِمًا وَيَوْمًا مُفْطِرًا وَإِنَّهُ كَانَ إِذَا وَعَدَ لَمْ يُخْلِفْ وَإِذَا لاَقَى لَمْ يَفِرَّ " .

करना। हर महीने में तीन रोज़े रख लिया कर।' मैंने अर्ज़ किया: मैं इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया: 'फिर हफ़्ते में दो दिन, यानी सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रख लिया कर।' मैंने कहा: मैं इससे भी ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया: 'फिर हज़रत दाऊद (ﷺ) जैसे रोज़े रखा कर क्योंकि वह अल्लाह तआला के नज़दीक बेहतरीन (और मुनासिब तरीन) रोज़े हैं। एक दिन रोज़ा और एक दिन नाग़ा। और हज़रत दाऊद (ﷺ) जब वादा फ़रमा लेते थे तो ख़िलाफ़वर्ज़ी न करते थे और जब दुश्मन से मुक़ाबला होता तो भागते न थे।'

(2395) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2701, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : 'भागते न थे' ये दो इज़ाफ़ी सिफ़ात बयान फ़रमाईं जिनके साथ हज़रत दाऊद (ﷺ) मुत्तसिफ़ थे। बावजूद इस क़द्र रोज़ेदार होने के बहुत ज़्यादा कुव्वत के मालिक थे। (वज़्कुर अब्दना दाऊद ज़ल्ऐदि) (सॉद: 38/17)

بَاب: (٧٧) ذِكْرِ الزِّيَادَةِ فِي الصِّيَامِ وَالنُّقْصَانِ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِيهِ

बाब : (77) इस हदीस में इससे कम व बेश रोज़ों का ज़िक्र और इस बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) की हदीस बयान करने वालों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

वज़ाहत : पीछे बयान हो चुका है कि किसी रावी ने इस हदीस को मुख़्तसर बयान किया है और किसी ने तफ़्सील के साथ।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ

(2396) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे

فَيَّاضٍ، سَمِعْتُ أَبَا عِيَاضٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ " صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ " . قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ " . قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ " . قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ " . قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا " .

फ़रमाया: 'एक रोज़ा रख लिया कर, बाक़ी दिनों का स़वाब भी तुझे मिल जायेगा।' मैंने कहा: मुझे इससे ज़्यादा की ताक़त है। आपने फ़रमाया: 'दो दिन रोज़ा रख लिया कर, बाक़ी दिनों का स़वाब भी तुझे मिल जायेगा।' मैंने कहा: मुझे इससे ज़्यादा की ताक़त है। आपने फ़रमाया: 'तीन दिन रोज़ा रख लिया कर, बाक़ी दिनों का स़वाब भी तुझे मिल जायेगा।' मैंने कहा: मुझे इससे ज़्यादा की ताक़त है। आपने फ़रमाया: 'चार दिन रोज़ा रख लिया कर, बाक़ी दिनों का स़वाब भी तुझे मिल जायेगा।' मैंने अ़र्ज़ किया: मुझे इससे भी ज़्यादा की ताक़त है।' आपने फ़रमाया: 'तो हज़रत दाऊद (ﷺ) के रोज़े रखा कर जो अल्लाह तआ़ला के नज़दीक अफ़ज़ल तरीन रोज़े हैं। वह एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नाग़ा फ़रमाते थे।'

(2396) **तख़रीज :** (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1159/192, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2702.

फ़ायदा : 'एक रोज़ा रख' अगर पूरे महीने में एक रोज़ा मुराद है, फिर ये किसी रावी की ग़लती है क्योंकि किसी दूसरी रिवायत से इसकी ताईद नहीं होती। और अगर दस दिन में से एक दिन का रोज़ा मुराद है जैसा कि आइन्दा हदीस़ में है तो फिर ये दुरुस्त है क्योंकि एक रोज़े का स़वाब दस के बराबर है और यही मफ़हूम स़ही है। सवाल और जवाब की तर्तीब भी इसकी ताईद करती है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلاَءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ ذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صلى

(2397) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) के सामने रोज़े का ज़िक्र किया तो आपने फ़रमाया: 'हर दस दिन में एक दिन रोज़ा रख लिया कर, बाक़ी नो दिनों का स़वाब भी तुझे मिल जायेगा।' मैंने कहा: मुझ में इससे ज़्यादा ताक़त है। आपने फ़रमाया: 'फिर

هر नो दिन में एक रोज़ा रख लिया कर, तुझे बाक़ी आठ दिनों का सवाब भी मिल जायेगा।' मैंने कहा: मुझमें मज़ीद ताक़त है। आपने फ़रमाया: 'हर आठ दिन में एक दिन रोज़ा रख लिया कर, तुझे बाक़ी सात दिन का सवाब भी मिल जायेगा।' मैंने कहा: मुझ में इससे भी ज़्यादा ताक़त है। आप मज़ीद इज़ाफ़ा फ़रमाते रहे यहाँ तक कि आपने फ़रमाया: 'एक दिन रोज़ा रख और एक दिन नाग़ा कर।'

الله عليه وسلم الصَّوْمَ فَقَالَ " صُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ التِّسْعَةِ " . فَقُلْتُ إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " صُمْ مِنْ كُلِّ تِسْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ الثَّمَانِيَةِ " . قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " فَصُمْ مِنْ كُلِّ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ السَّبْعَةِ " . قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى قَالَ " صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا " .

(2397) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/224, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2703.

फ़ायदा : दस दिन में एक दिन का रोज़ा भी उतना ही सवाब रखता है जितना दो दिन में एक दिन का मगर रोज़े के और भी तो फ़वाइद हैं। मशक़्क़त का अज्र भी तो रोज़े के सवाब से अलग मिलता है। ज़ाहिर है तीन रोज़ों से पन्द्रह रोज़ों की मशक़्क़त बहर सूरत ज़्यादा है, अलबत्ता एक माह में पन्द्रह से ज़्यादा रोज़े रखने की मुस्तक़िल आदत बना लेना दुरुस्त नहीं क्योंकि इसमें नुक़सानात हैं।

(2398) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ؓ) से मरवी है, मुझसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक दिन रोज़ा रख। तुझे दस रोज़ों का सवाब मिलेगा।' मैंने कहा: और ज़्यादा कीजिये। आपने फ़रमाया: 'दो दिन रोज़ा रख ले, तुझे नो रोज़ों का सवाब मिलेगा।' मैंने कहा: मज़ीद ज़्यादा कीजिये। आपने फ़रमाया: 'तीन दिन के रोज़े रख ले, तुझे आठ रोज़ों का सवाब मिलेगा।' (रावि ए-हदीस) साबित ने कहा: मैंने हज़रत मुतर्रिफ़ से ये हदीस बयान की तो उन्होंने कहा: मेरा ख़याल है अमल बढ़ रहा है, सवाब कम हो रहा है। हदीस के अल्फ़ाज़ मुहम्मद (बिन इस्माईल) के बयान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَأَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ عَشْرَةٍ " . فَقُلْتُ زِدْنِي . فَقَالَ " صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ " . قُلْتُ زِدْنِي . قَالَ " صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ ثَمَانِيَةٍ " . قَالَ ثَابِتٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ

لِمُطَرِّفٍ فَقَالَ مَا أُرَاهُ إِلاَّ يَزْدَادُ فِي الْعَمَلِ وَيَنْقُصُ مِنَ الأَجْرِ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .

कर्दा हैं (ज़करिया बिन यहया के नहीं)

(2398) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 2/165, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 2704.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस में इमाम नसाई (رحمه الله) के दो उस्ताद हैं: मुहम्मद बिन इस्माईल और ज़करिया बिन यहया। बयान कर्दा अल्फ़ाज़ मुहम्मद बिन इस्माईल के हैं। वल्लफ़्ज़ु लि मुहम्मद का मफ़हूम ये है। **(2)** 'सवाब कम हो रहा है' यूँ समझ लीजिये कि जितना सवाब दस दिन में एक रोज़े का है, उतना ही दस दिन में दो रोज़ों का और उतना ही दस दिन में तीन रोज़ों का। मज़ीद तफ़्सील के लिये साबिक़ा हदीस के फ़ायदे का मुताला कीजिये।

باب: (٧٨) صَوْمِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ وَاخْتِلاَفُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِيهِ

बाब : (78) एक माह में दस दिन के रोज़े रखना और इस बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) की हदीस बयान करने वालों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

वज़ाहत : पहले वज़ाहत हो चुकी है कि इख़्तिलाफ़ से मुराद इख़्तिसार और तफ़्सील है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَسْبَاطٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلاَّ الْخَيْرَ . قَالَ " لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ وَلَكِنْ أَدُلُّكَ عَلَى صَوْمِ الدَّهْرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .

(2399) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझ से फ़रमायाः 'मुझे ये बात पहुँची है कि तू सारी रात क़याम करता है और हर रोज़ रोज़ा रखता है।' मैंने अर्ज़ कियाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा इरादा तो नेकी ही का है। आपने फ़रमायाः 'जो हमेशा रोज़ा रखे, उसका कोई रोज़ा नहीं, लेकिन मैं तुझे हमेशा के रोज़े का एक तरीक़ा बताता हूँ: महीने में तीन रोज़े रख।' (सवाब पूरे महीने के बराबर होगा) मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमायाः '(महीने में) पाँच दिन रोज़ा रख' मैंने कहाः मैं इससे ज़्यादा

की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया: 'फिर दस रख' मैंने कहा: मैं इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया: 'हज़रत दाऊद (ﷺ) के रोज़े रखा कर। वह एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नाग़ा फ़रमाते थे।'

قَالَ " صُمْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ " . قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " فَصُمْ عَشْرًا " . فَقُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا".

(2399) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1979, मुस्लिम, हदीस: 1159/187, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2705.

(2400) हज़रत अबुल अब्बास ने जो कि शाम के रहने वाले शाइर थे (बावजूद शाइर होने के) बहुत सच्चे शख़्स थे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया और फिर हदीस बयान फ़रमाई।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ، - وَكَانَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ صَدُوقًا - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

(2400) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2706.

(2401) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: 'ऐ अब्दुल्लाह बिन अम्र! तू हमेशा रोज़े रखता है और सारी सारी रात इबादत करता है। और जब तू ऐसे करेगा, तेरी आँखें अन्दर को धँस जायेंगी और तबीयत थक जायेगी। उस शख़्स का कोई रोज़ा नहीं जिसने हमेशा रोज़ा रखा। हमेशा रोज़ा रखने का जायज़ तरीक़ा ये है कि हर महीने से तीन दिन रोज़ा रखा जाये। ये (सवाब के लिहाज़ से) ज़माने भर का रोज़ा बन जायेगा।' मैंने कहा: मैं इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया: 'हज़रत दाऊद (ﷺ) के रोज़े

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ، - هُوَ الشَّاعِرُ - يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو إِنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ صَوْمُ الدَّهْرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ مِنَ

الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ " . قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى " .

रख। वह एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नाग़ा करते थे। और जब दुश्मन का सामना होता था तो भागते न थे।'

(2401) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2707.

फ़ायदा : रोज़े से इन्सानी जिस्म के ग़ैर ज़रूरी आज़ा तहलील हो जाते हैं जिससे इन्सान जफ़ाकश बन जाता है। कुव्वते बरदाश्त में इज़ाफ़ा हो जाता है। भूख, प्यास, तक्लीफ़ और मशक़्क़त बरदाश्त करने की आदत पड़ जाती है। अख़्लाक़ी व रूहानी तौर पर इन्सान क़वी हो जाता है। और जंग में इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है, अलबत्ता बिला नाग़ा रोज़ा इन्सान को कमज़ोर और आजिज़ कर देता है, लिहाज़ा वह जायज़ नहीं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ " . قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . فَلَمْ أَزَلْ أَطْلُبُ إِلَيْهِ حَتَّى قَالَ " فِي خَمْسَةِ أَيَّامٍ " . وَقَالَ " صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ " . قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . فَلَمْ أَزَلْ أَطْلُبُ إِلَيْهِ حَتَّى قَالَ " صُمْ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا " .

(2402) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) से मन्क़ूल है, मुझसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'महीने में एक दफ़ा क़ुरआन मजीद ख़त्म किया कर।' मैंने कहा: मैं इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। इस तरह मैं बार बार आपसे मज़ीद मुतालबा करता रहा यहाँ तक कि आपने फ़रमाया: 'पाँच दिन में ख़त्म कर लिया कर।' आपने फ़रमाया: 'महीने में तीन रोज़े रखा कर।' मैंने कहा: मुझे इससे ज़्यादा की ताक़त है। इस तरह मैं आपसे बार बार मुतालबा करता रहा यहाँ तक कि आपने फ़रमाया: 'दाऊद (عليه السلام) की तरह रोज़े रख जो अल्लाह तआ़ला को सबसे ज़्यादा पसन्दीदा हैं। वह एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन इफ़्तार करते थे।'

(2402) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस़: 2707.

फ़ायदा : 'पाँच दिन में' हदीस़ : 2392 के तहत गुज़र चुका है कि आख़िरकार आपने तीन दिन में ख़त्मे क़ुरआन की इजाज़त दे दी थी। तफ़्सील वहाँ देखी जाये।

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ إِنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ الصَّوْمَ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وَلَمَّا لَقِيَهُ قَالَ " أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلاَ تُفْطِرُ وَتُصَلِّي اللَّيْلَ فَلاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظًّا وَلِنَفْسِكَ حَظًّا وَلأَهْلِكَ حَظًّا وَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ " . قَالَ إِنِّي أَقْوَى لِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " صُمْ صِيَامَ دَاوُدَ إِذًا " . قَالَ وَكَيْفَ كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ " كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى " . قَالَ وَمَنْ لِي بِهَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ .

(2403) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस़(ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये बात पहुँची कि मैं लगातार रोज़े रखता हूँ और सारी सारी रात नमाज़ पढ़ता रहता हूँ। आपने मुझे बुला भेजा, या मैं आपको मिला (या आप मुझे मिले), आपने फ़रमाया: 'क्या मुझे ये नहीं बताया गया कि तू मुसल्सल रोज़े रखता है, कभी नाग़ा नहीं करता, और सारी सारी रात नमाज़ पढ़ता रहता है? ऐसे न कर। तेरी आँख को उसका हक़ (नींद) मिलना चाहिए और तेरे जिस्म को उसका हक़ (आराम व ख़ूराक) मिलना चाहिए और तेरी बीवी को भी उसका हक़ (शब बसरी) मिलना चाहिए। रोज़े भी रख, नाग़े भी कर, नमाज़ भी पढ़ और नींद भी पूरी कर। हर दस दिन में एक दिन रोज़ा रख। बाक़ी नो दिन (के रोज़ों) का स़वाब भी तुझे मिल जायेगा।' मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझ में इससे ज़्यादा ताक़त है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तब हज़रत दाऊद (عليه السلام) की तरह रोज़े रख।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह तआ़ला के नबी! हज़रत दाऊद(عليه السلام) किस तरह रोज़े रखते थे? आपने फ़रमाया: 'वह एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नाग़ा करते थे ओर जब दुश्मन से मुक़ाबला होता तो भागते न थे।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के नबी! मेरे लिये इस (आख़री) बात का कौन ज़ामिन होगा? (यानी ये बहुत मुश्किल काम है, रोज़ा भी और जिहाद भी)

(2403) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2399, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2709.

फ़ायदा : 'आपने मुझे बुला भेजा' रिवायात में मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ हैं: किसी में है कि आपने मुझे पैग़ाम भेजा, मैं गया। किसी में है कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाये। किसी में है कि मुझे मेरे वालिद नबी(ﷺ) के पास ले कर गये। तत्बीक़ (हल) यूँ मुमकिन है कि उनके वालिद मोहतरम के कहने पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें साथ लाने को कहा, और किसी और के ज़रिये से आने का पैग़ाम भी भेज दिया, फिर बाप बेटा दोनों आपके पास आये। आपने मुख़्तसर सी बात की, फिर उनके घर जाकर तफ़्सीली बात चीत की क्योंकि अकेले में कोई झिझक नहीं होती।

बाब : (79) महीने में पाँच दिन रोज़े रखना

باب: (٧٩) صِيَامِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ

(2404) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है, उन्होंने बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने मेरे मुसल्सल रोज़े रखने का ज़िक्र हुआ। आप मेरे पास तशरीफ़ लाये। मैंने आपके लिये एक दरम्याना सा चमड़े का गद्दा बिछाया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी लेकिन आप ज़मीन ही पर बैठ गये और वह गद्दा मेरे और आपके दरम्यान रह गया। आपने फ़रमाया: 'तुझे हर महीने से तीन रोज़े काफ़ी नहीं?' मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! (मज़ीद इजाज़त दीजिये) आपने फ़रमाया: 'पाँच रोज़े' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (मज़ीद) आपने फ़रमाया: 'सात रोज़े' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (कुछ और) आपने फ़रमाया: नो रोज़े' मैं फिर बोला: ऐ अल्लाह के रसूल! कुछ और) आपने फ़रमाया: 'ग्यारह रोज़े' मैंने फिर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (कुछ और) तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'हज़रत दाऊद (علیہ السلام) के रोज़ों से बढ़ कर कोई रोज़ा नहीं, यानी निस्फ़

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، - وَهُوَ الْحَذَّاءُ - عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ زَيْدٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَىَّ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةَ أَدَمٍ رَبْعَةً حَشْوُهَا لِيفٌ فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَالَ " أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " خَمْسًا " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " سَبْعًا " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " تِسْعًا " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " إِحْدَى عَشْرَةَ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ

صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْرَ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ " .

ज़माना कि एक दिन रोज़ा और एक दिन नाग़ा।'

(2404) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1980, मुस्लिम, हदीस: 1159/191, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2710.

بَاب: (٨٠) صِيَامِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ

बाब : (80) महीने में चार दिन रोज़े रखना

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عِيَاضٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صُمْ مِنَ الشَّهْرِ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ " . قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " فَصُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ " . قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ " . قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ " . قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا " .

(2405) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) का बयान है कि मुझसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'महीने में एक रोज़ा रख ले, तुझे बाक़ी दिनों का सवाब मिल जायेगा।' मैंने कहा: मुझे इससे ज़्यादा की ताक़त है। फ़रमाया: 'फिर दो दिन रोज़ा रख ले, तुझे बाक़ी दिनों का सवाब मिल जायेगा।' मैंने अर्ज़ किया: मुझे इससे ज़्यादा की ताक़त है। आपने फ़रमाया: 'फिर तीन दिन रोज़ा रख ले, तुझे बाक़ी दिनों का सवाब मिल जायेगा।' मैंने अर्ज़ किया: मुझे इससे ज़्यादा की ताक़त है। आपने फ़रमाया: 'चार दिन रोज़ा रख ले। तुझे बाक़ी दिनों का सवाब मिल जायेगा।' मैंने कहा: मुझे इससे ज़्यादा की ताक़त है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अफ़ज़ल तरीन रोज़ा हज़रत दाऊद (عليه السلام) का रोज़ा है। वह एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नाग़ा करते थे।'

(2405) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2396, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2711.

बाब : (81)
महीने में तीन दिन रोज़े रखना

باب: (٨١) صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ أَوْصَانِي حَبِيبِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثَةٍ لاَ أَدَعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَبَدًا أَوْصَانِي بِصَلاَةِ الضُّحَى وَبِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَبِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

(2406) हज़रत अबू ज़र्र (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मुझे मेरे प्यारे हबीब (ﷺ) ने तीन बातों की नसीहत फ़रमाई और इन्शाअल्लाह तआला मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूँगा: मुझे नसीहत फ़रमाई कि सलाते ज़ुहा पढ़ा करूँ, वित्र पढ़ कर सोऊँ और हर महीने से तीन रोज़े रखूँ।

(2406) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/173, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2712, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1083, 1221, 1222.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'सलाते ज़ुहा' चाश्त की नफ़ल नमाज़ ताकि इन्सान के दिन की इब्तेदा नमाज़ से हो। **(2)** 'वित्र पढ़ कर सोऊँ' ताकि वित्र महफ़ूज़ हो जायें। फ़ज्र से पहले उठना यक़ीनी नहीं होता ख़ुसूसन नोजवान तालिबे इल्म के लिये। **(3)** 'तीन रोज़े' ताकि हमेशा रोज़ा रखने का सवाब मिल सके। कमज़ोरी भी न हो और अख़्लाक़ी व रूहानी और जिस्मानी कमाल भी हासिल हो।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ، أَنْبَأَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثٍ بِنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ وَالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَصَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

(2407) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तीन चीज़ों का हुक्म दिया: वित्र पढ़ कर सोना। जुम्अतुल मुबारक के दिन ग़ुस्ल करना और हर महीने से तीन दिन रोज़े रखना।

(2407) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2371, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2713.

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ

(2408) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने फ़रमाया: मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया कि चाश्त की दो रकअतें पढ़ा करूँ और वित्र पढ़े बग़ैर न

هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَكْعَتَىِ الضُّحَى وَأَنْ لاَ أَنَامَ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ وَصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

सोऊँ और हर महीने से तीन दिन के रोज़े रखा करूँ।

(2408) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2371, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2715.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ وَالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

(2409) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे वित्र पढ़ कर सोने, जुम्अतुल मुबारक के दिन गुस्ल करने और हर महीने से तीन दिन रोज़े रखने का हुक्म दिया।

(2409) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2371, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2714.

باب: (٨٢) ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى أَبِي عُثْمَانَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

बाब : (82) हर माह तीन रोज़े रखने के बारे में अबू हुरैरह (ﷺ) की हदीस़ के बयान करने में अबू उ़स्मान के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

वज़ाहत : इख़्तिलाफ़ ये है कि अबू उ़स्मान के शागिर्द स़ाबित ने इस रिवायत को हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) की तरफ़ मन्सूब किया है जबकि उनके दूसरे शागिर्द आ़स़िम अह्वल ने इसे हज़रत अबू ज़र(ﷺ) की तरफ़ मन्सूब किया है। लेकिन इससे स़ेहते हदीस़ मज्रूह नहीं होती क्योंकि हदीस़ दोनों स़हाबा (अबू हुरैरह और अबू ज़र (ﷺ)) से मरवी है।

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " شَهْرُ الصَّبْرِ وَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ

(2410) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना कि स़ब्र का महीना (यानी रमज़ानुल मुबारक) और हर महीने से तीन रोज़े (स़वाब के लिहाज़ से) ज़माने भर के रोज़ों के बराबर हैं।

(2410) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद:

شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ " .

2/263, 284, 513, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2716, बुख़ारी, हदीस़: 1178, मुस्लिम, हदीस़: 721/85.

फ़ायदा : रमज़ानुल मुबारक के रोज़े तो फ़र्ज़ हैं। बाक़ी हर महीने से तीन रोज़े स़वाब के लिहाज़ से पूरे महीने के बराबर हैं। रमज़ानुल मुबारक को स़ब्र का महीना फ़रमाया गया है क्योंकि रोज़ा नाम ही स़ब्र का है। खाने पीने से स़ब्र, शहवत से स़ब्र, झगड़े से स़ब्र।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ اللاَّنِيُّ، بِالْكُوفَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ، - وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ " . ثُمَّ قَالَ " صَدَقَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا } " .

(2411) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स हर महीने तीन रोज़े रखे तो यूँ समझो उसने ज़माना भर के रोज़े रख लिये।' फिर फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने अपनी किताब क़ुरआन मजीद में सच फ़रमाया है: (मन जाअ बिल्हसनति ......) 'जो शख़्स नेकी करेगा उसे (उस नेकी का) दस गुना स़वाब दिया जायेगा।'

(2411) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 762, इब्ने माजा, हदीस़: 1708, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2717.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ تَمَّ صَوْمُ الشَّهْرِ أَوْ فَلَهُ صَوْمُ الشَّهْرِ " . شَكَّ عَاصِمٌ .

(2412) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स हर महीने से तीन रोज़े रखे तो गोया महीने भर के रोज़े हो गये (या उसे महीने भर के रोज़ों का स़वाब मिलेगा)'

(2412) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2718.

फ़ायदा : 2411 और 2412 दोनों रिवायात को मुहक़्क़िक़े किताब ने ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि सुनन

इब्ने माजा (1708) की तहक़ीक़ में रिवायत: 2411 के मुताल्लिक़ लिखते हैं कि इस हदीस़ का स़ही शाहिद सुनन नसाई (हदीस: 2308 और 2409) में है। मुहक़्क़िक़े किताब के कलाम से मालूम होता है कि मज़्कूरा रिवायत की मुहक़्क़िक़े किताब के नज़दीक भी कोई न कोई अस़ल ज़रूर है, और दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इसे स़ही क़रार दिया है। याद रहे मज़्कूरा दोनों रिवायात क़ाबिले अमल और क़ाबिले हुज्जत हैं। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा शरह सुनन नसाई: 21/333, व इर्वाउल ग़लील: 4/120)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ مُطَرِّفًا، حَدَّثَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " صِيَامٌ حَسَنٌ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ "

(2413) हज़रत उ़स़्मान बिन अबी अलआ़स़(ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना 'अच्छे रोज़े हर माह में तीन रोज़े हैं।'

(2413) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 4/217, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2125.

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ نَحْوَهُ مُرْسَلٌ .

(2414) हज़रत सईद बिन अबी हिन्द भी हज़रत उ़स़्मान बिन अबी अलआ़स़ (ﷺ) से ऊपर दी गई रिवायत की मिस़्ल बयान करते हैं। ये रिवायत मुर्सल (मुन्क़तअ़) है।

(2414) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2720.

फ़ायदा : मुर्सल से मुराद यहाँ मुन्क़तअ़ है। मुन्क़तअ़ इस बिना पर है कि सईद और हज़रत उ़स़्मान के दरम्यान वास्ता ज़िक्र नहीं किया गया।

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

(2415) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) हर माह तीन दिन रोज़ा रखते थे।

(2415) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 2/90, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2721.

बाब : (83)
हर माह तीन दिन किस तरह रोज़े रखे? और इस बारे में हदीस़ बयान करने वालों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

باب: (٨٣) كَيْفَ يَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَذِكْرِ اخْتِلافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ.

वज़ाहत : इख़्तिलाफ़ की सूरत ये है कि इब्ने उ़मर और कुछ उम्महातुल मोमिनीन (ﷺ) की हदीस़ में तीन रोज़ों से मुराद महीने का पहला सोमवार और उसके बाद की पहली दो जुमेरातें हैं। उम्मे सलमा(ﷺ) की हदीस़ में पहली जुमेरात उसके बाद दो सोमवार हैं, जबकि जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह(ﷺ) की हदीस़ से ज़ाहिर होता है कि अय्यामे बीज़ के रोज़े हैं। ये इख़्तिलाफ़ या तीन दिनों की तअ़य्युन में मन्क़ूल मुख़्तलिफ़ रिवायात ज़रर रसाँ नहीं, ने इससे मुराद पर कोई ज़द आती है, बल्कि ये जवाज़ की मुख़्तलिफ़ सूरतें हैं कभी ये और कभी वह, ये अ़मल में तनव्वोअ़ की दलील हैं। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा शरह सुनन नसाई: 21/336)

(2416) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हर माह तीन दिन रोज़ा रखा करते थे। महीने की पहली सोमवार और जुमेरात को और फिर अगली जुमेरात को।

(2416) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2722.

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ الَّذِي يَلِيهِ ثُمَّ الْخَمِيسَ الَّذِي يَلِيهِ .

(2417) हज़रत हुनैदा ख़ुज़ाई से रिवायत है कि मैं उम्मुल मोमिनीन (हज़रत हफ़्सा (ﷺ)) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। मैंने सुना आप फ़रमा रही थीं: रसूलुल्लाह (ﷺ) हर माह तीन दिन रोज़ा रखा करते थे: महीने की पहली सोमवार को, फिर जुमेरात को, फिर अगली जुमेरात को।

(2417) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2723.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيَّ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ ثُمَّ الْخَمِيسَ ثُمَّ الْخَمِيسَ الَّذِي يَلِيهِ .

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الأَشْجَعِيُّ، - كُوفِيٌّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلاَئِيِّ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ، عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صِيَامَ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ .

(2418) हज़रत हफ़्सा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि चार काम नबी (ﷺ) कभी नहीं छोड़ते थे: आशूरा (10 मुहर्रम) का रोज़ा, ज़ुलहिज्जा के पहले अश्रे (यानी नो दिन) के रोज़े, हर महीने से तीन दिन के रोज़े और नमाज़े फ़ज्र से पहले दो रकअतें।'

(2418) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/287, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2724.

फ़ायदा : 'ज़ुलहिज्जा के रोज़े' हदीस में दस दिन का ज़िक्र है मगर मुराद नो दिन हैं क्योंकि दसवाँ दिन ईद का है। और ईद के दिन रोज़ा रखना क़तअन मना है। तग़लीबन नो को दस दिन कह दिया जाता है। आइन्दा हदीस में नो ही का ज़िक्र है।

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ، عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ تِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ .

(2419) नबी (ﷺ) की किसी ज़ोज-ए मोहतरमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ुलहिज्जा के नो दिन, आशूरा के दिन और हर महीने से तीन दिन (यानी पहला सोमवार और उसके बाद वाली दो जुमेरातें) रोज़ा रखते थे।

(2419) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2725.

फ़ायदा : 'ज़ुलहिज्जा के नो दिन' हज़रत आयशा (ﷺ) से सहीह मुस्लिम में रिवायत है: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इन दिनों कभी रोज़े से नहीं देखा। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 1176) मगर इसे तआरुज़ के बजाये अदमे इल्म पर महमूल किया जायेगा, यानी हज़रत आयशा (ﷺ) ने अपने इल्म की नफ़ी की है। इससे ये लाज़िम नहीं आता कि नबी (ﷺ) रोज़े न रखते थे। हज़रत हफ़्सा (ﷺ) ने आपको रोज़े से देखा तो रोज़ा बयान कर दिया।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ، عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ الْعَشْرَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ .

(2420) नबी (ﷺ) की कोई ज़ोज़-ए-मोहतरमा बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) अश्र-ए-जुलहिज्जा (यानी नो दिन) और महीने से तीन दिन रोज़ा रखते थे: (पहला) सोमवार को और उसके बाद जुमेरात को (यानी दो जुमेरातें)

(2420) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2726.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَوَّلِ خَمِيسٍ وَالاِثْنَيْنِ وَالاِثْنَيْنِ .

(2421) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (हर महीने में) तीन दिन के रोज़ों का हुक्म देते थे, यानी महीने की पहली जुमेरात और दो सोमवार।

(2421) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2727.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'हुक्म देते थे' यानी इस्तेहबाब के तौर पर। **(2)** 'पहली जुमेरात' साबिक़ा रिवायात में पहले सोमवार का ज़िक्र है। मक़सूद ये है कि पहले जुमेरात आ जाती तो जुमेरात, सोमवार और फिर अगले सोमवार का रोज़ा रखते और अगर महीने के शुरू में सोमवार पहले आ जाता तो सोमवार, जुमेरात और फिर अगली जुमेरात को रोज़ा रख लेते, यानी तीन रोज़े सोमवार और जुमेरात में महसूर होते थे। इब्तेदा जुमेरात से हो या सोमवार से, कोई फ़र्क़ नहीं।

أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ وَأَيَّامُ الْبِيضِ

(2422) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर महीने तीन रोज़े रखना (स़वाब के लिहाज़ से) ज़माने भर के रोज़ों के बराबर है। और अय्यामे बीज़ (चमकती रातों वाले दिन) तेरह, चौदह और पन्द्रह हैं।'

صَبِيحَةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ " .

(2422) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2728.

फ़ायदा : इन तीन रातों में चाँद पूरा होता है और सारी रात रहता है, इसलिये इनको चमकती रातें कहा। मक़सद महीने में तीन रोज़े रखना है। इन दिनों में रखे या सोमवार और जुमेरात के लिहाज़ से या जैसे इत्तेफ़ाक़ हो।

باب: (۸۴) ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ فِي الْخَبَرِ فِي صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ

बाब : (84) महीने के तीन रोज़ों वाली रिवायत में मूसा बिन तल्हा के शागिर्दों के इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

वज़ाहत : मूसा बिन तल्हा के कुछ शागिर्दों ने उनके उस्ताद हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बताये हैं और इस हदीस में ख़रगोश का क़िस्सा है। और कुछ ने हज़रत अबू ज़र (ﷺ) लेकिन इस रिवायत में ख़रगोश का ज़िक्र नहीं, फिर कुछ शागिर्दों ने उनके और हज़रत अबू ज़र (ﷺ) के दरम्यान इब्ने अल होतकिया का वास्ता बयान किया है और कुछ ने वास्ता बयान नहीं किया। कुछ शागिर्दों ने इस रिवायत को मुर्सल भी बयान किया है, यानी किसी सहाबी का ज़िक्र ही नहीं किया, जैसे रिवायत: 2430 और 2431 इन तुरुक़ व असानीद में से सही तरीन तुरुक़ (सनद) यहया बिन साम अन मूसा बिन तल्हा अन अबी ज़र वाला तरीक़ है। बाक़ी तमाम तुरुक़ ज़ईफ़ हैं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَأْكُلْ وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا وَأَمْسَكَ الأَعْرَابِيُّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ

(2423) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि एक आराबी भुना हुआ ख़रगोश लेकर नबी(ﷺ) के पास आया और उसे आपके सामने रख दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हाथ रोक लिया और न खाया और लोगों से कहा कि वह खा लें। आराबी ने भी हाथ रोके रखा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुझे खाने में क्या रुकावट है?' उसने कहा कि मैं हर महीने में तीन दिन रोज़े रखता हूँ। आपने फ़रमाया: 'अगर रोज़े रखने हों तो चाँदनी रातों (के दिनों) के (यानी चाँद की 13,

صلى الله عليه وسلم " مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَ " . قَالَ إِنِّي أَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ . قَالَ " إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمِ الْغُرَّ

14, और 15 तारीख़ को) रोज़े रखा कर।'

(2423) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/336, 346, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2729, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 945.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَامٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ .

(2424) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें हुक्म दिया कि हम हर महीने में अय्यामे बीज़ (रोशन रातों के दिनों) के तीन रोज़े रखा करें, यानी (चाँद की) तेरह, चौदह, और पन्द्रह तारीख़ को।

(2424) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 761, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2730, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 3/302, 303, हदीस: 2128, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 943-944.

फ़ायदा : इन तीन दिनों में रोज़े रखने की हिकमत शायद ये हो कि चूंकि उनकी रातें चाँद से मुनव्वर होती हैं, लिहाज़ा मुनासिब है कि उनके दिन रोज़े के नूर से मुनव्वर हों।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَامٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ .

(2425) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें हर माह तीन रोशन (रातों के) दिनों के रोज़े रखने का हुक्म दिया, यानी तेरह, चौदह और पन्द्रह को।

तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें।

फ़ायदा : इन दिनों की रातों के रोशन होने की वजह से इन दिनों को भी मजाज़न रोशन कह दिया वरना दिन तो सारे ही रोशन होते हैं। या अय्यामे बीज़ असल में अय्यामुल लयाली अल बीज़ है, यानी रोशन रातों वाले तीन दिन।

(2426) हज़रत मूसा बिन तल्हा बयान करते हैं कि मैंने रबज़ा बस्ती में हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से सुना, वह फ़रमा रहे थे कि मुझसे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तू महीने में कुछ दिनों के रोज़े रखे तो (चाँद की) तेरह, चौदह और पन्द्रह तारीख़ को रख।'

(2426) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2731.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَامٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ، بِالرَّبَذَةِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا صُمْتَ شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ " .

(2427) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने एक आदमी से फ़रमाया: (चाँद की) 'तेरह, चौदह और पन्द्रह तारीख़ के रोज़े रखा कर।'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि ये ग़लती है। ये हदीस़ 'बयान' की नहीं है, हो सकता है कि हज़रत सुफ़ियान ने हद्दसना इस्नान कहा हो, अलिफ़ गिर गया और किसी रावी ने ग़लती से उसे 'बयान' पढ़ लिया।

(2427) तख़रीज : (सनद हसन) स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 2127, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2732.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ " عَلَيْكَ بِصِيَامِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ بَيَانٍ وَلَعَلَّ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اثْنَانِ فَسَقَطَ الأَلِفُ فَصَارَ بَيَانُ .

फ़ायदा : मज़्कूरा हदीस़ की सनद में हज़रत सुफ़ियान का उस्ताद 'बयान' कहा गया है लेकिन ये दुरुस्त नहीं है आइन्दा हदीस़ में स़राहत है कि सुफ़ियान ने कहा: 'मुझे दो आदमियों ने ये रिवायत बयान की।' दो को अरबी में इस्नान कहते हैं, गोया यहाँ भी इस्नान था, ग़लती से बयान पढ़ लिया गया। वल्लाहु आलम!

(2428) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने एक आदमी को तेरह, चौदह और

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلاَنِ، مُحَمَّدٌ وَحَكِيمٌ

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلاً بِصِيَامِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ .

पन्द्रह तारीख़ के रोज़े रखने का हुक्म दिया।

(2428) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2733, हदीस़: 4316.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، قَالَ قَالَ أُبَىٌّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ أَرْنَبٌ قَدْ شَوَاهَا وَخُبْزٌ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَىِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ إِنِّي وَجَدْتُهَا تَدْمَى . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ " لاَ يَضُرُّ كُلُوا " . وَقَالَ لِلأَعْرَابِيِّ " كُلْ " . قَالَ إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ " صَوْمُ مَاذَا " . قَالَ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ . قَالَ " إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَعَلَيْكَ بِالْغُرِّ الْبِيضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّوَابُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ مِنَ الْكُتَّابِ ذَرٌّ فَقِيلَ أُبَىٌّ .

(2429) हज़रत इब्ने हौतकिया से रिवायत है कि मेरे वालिद (ﷺ) ने फ़रमाया कि एक आराबी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ। उसके पास भुना हुआ ख़रगोश था और रोटियाँ भी थीं। उसने ये सब कुछ नबी (ﷺ) के सामने रख दिया, फिर कहा: मैंने इसे इस हालत में पाया था कि ये (इसका गोश्त) ख़ून आलूद था। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपने सहाबा से फ़रमाया: 'कोई हर्ज नहीं, खाओ।' और आपने आराबी से फ़रमाया: 'तू भी खा' उसने कहा: मेरा तो रोज़ा है। आपने फ़रमाया: 'कैसा रोज़ा?' उसने कहा: महीने के तीन रोज़े। आपने फ़रमाया: 'अगर तुझे ये रोज़े रखने हों तो चाँदनी रातों के दिनों के रोज़े रखा कर, यानी तेरह, चौदह और पन्द्रह तारीख़ को।'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान नसाई (رحمه الله) ने फ़रमाया: सही बात ये है कि ये रिवायत इब्ने हौतकिया ने हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से सुनी है, शायद किसी कातिब से लफ़्ज़ ज़र (लिखने से) रह गया है और उसने उबय कह दिया है।

(2429) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2734.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि ये रिवायत हज़रत अबू ज़र (رضي الله عنه) से है। ग़लती से अबी ज़र को किसी रावी ने उबय पढ़ लिया, ज़र रह गया या लिखने से ज़र रह गया, सिर्फ़ अबी लिखा गया, और ये ग़लती आगे मुन्तक़िल हो गई। **(2)** अक्सर अहले इल्म ने तद्मा के मानी तहीज़ (हैज़ आने) के किये हैं और इस बिना पर उसका गोश्त हलाल नहीं समझते। लेकिन अव्वल तो हैज़, यानी ख़ून आना हुर्मत की दलील नहीं। सानियन: अगर इसके मानी गोश्त के ख़ून आलूद होने के कर लिये जायें तो ज़्यादा सही है क्योंकि इसका गोश्त ऐसा ही होता है। **(3)** रबज़ा, ये बस्ती मदीना मुनव्वरा से कोई तीन मील के फ़ासले पर है। हज़रत अबू ज़र (رضي الله عنه) अपनी ख़ुशी से यहाँ मुन्तक़िल हो गये थे और यहीं फ़ौत हुये .... (رضي الله عنه) ये हज़रत उस्मान (رضي الله عنه) के दौर की बात है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِأَرْنَبٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَ الَّذِي جَاءَ بِهَا إِنِّي رَأَيْتُ بِهَا دَمًا . فَكَفَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا وَكَانَ فِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مُنْتَبِذٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَا لَكَ " . قَالَ إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " فَهَلاَّ ثَلاَثَ الْبِيضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ " .

(2430) हज़रत मूसा बिन तल्हा से रिवायत है कि एक शख़्स नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास (भुना हुआ) खरगोश लेकर आया। नबी (ﷺ) ने उसकी तरफ़ हाथ बढ़ाया ही था कि लाने वाले शख़्स ने कहा कि मैंने इसके साथ ख़ून देखा था। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपना हाथ रोक लिया और सहाबा को खाने का हुक्म दिया। वहाँ एक शख़्स अलग बैठा था। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तू क्यों नहीं खाता?' उसने कहा: मेरा रोज़ा है। नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तू चाँदनी रातों: तेरह, चौदह और पन्द्रह (तारीख़) के रोज़े क्यूँ नहीं रखता?'

(2430) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2735, देखें, हदीस: 2423.

फ़ायदा : नबी (ﷺ) का हाथ रोक लेना हुर्मत की बिना पर नहीं था, वरना आप सहाबा को खाने का हुक्म न देते। तबअन आपने पसन्द न किया जैसे रसूलुल्लाह (ﷺ) कच्चा लहसुन वग़ैरह भी नहीं खाते थे, हालांकि वह सबके नज़दीक हलाल है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا رَجُلٌ فَلَمَّا قَدَّمَهَا إِلَيْهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ بِهَا دَمًا فَتَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَأْكُلْهَا وَقَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ " كُلُوا فَإِنِّي لَوِ اشْتَهَيْتُهَا أَكَلْتُهَا " . وَرَجُلٌ جَالِسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ادْنُ فَكُلْ مَعَ الْقَوْمِ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ " فَهَلاَّ صُمْتَ الْبِيضَ " . قَالَ وَمَا هُنَّ قَالَ " ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ " .

(2431) हज़रत मूसा बिन तल्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक ख़रगोश लाया गया जिसे एक शख़्स ने भूना था। जब उसने उसे आपके सामने पेश किया तो कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने इसके साथ ख़ून देखा था तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे छोड़ दिया और न खाया, अलबत्ता हाज़िरीन से फ़रमाया: 'तुम खाओ। अगर मुझे ख़्वाहिश होती तो खा लेता।' एक आदमी अलग बैठा रहा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तू भी क़रीब होकर लोगों के साथ खा ले।' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं रोज़े से हूँ। आपने फ़रमाया: 'तूने चाँदनी रातों वाले रोज़े क्यूँ न रख लिये।' उसने कहा: वह कौन से हैं? आपने फ़रमाया: 'तेरह, चौदह और पन्द्रह (तारीख़ के)'

(2431) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2423, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2736.

خْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِهَذِهِ الأَيَّامِ الثَّلاَثِ الْبِيضِ وَيَقُولُ " هُنَّ صِيَامُ الشَّهْرِ " .

(2432) हज़रत अब्दुल मलिक अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) चाँदनी रातों वाले तीन दिनों के रोज़े रखने का हुक्म देते थे और फ़रमाते थे: 'ये तीन रोज़े (सवाब के लिहाज़ से) महीने भर के रोज़ों के बराबर हैं।'

(2432) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 1707, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2737, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 946, अबू दाऊद, हदीस: 2449.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَنَسِ

(2433) हज़रत अब्दुल मलिक बिन अबू मिन्हाल अपने वालिद से बयान करते थे कि

بْنِ سِيرِينَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي الْمِنْهَالِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامِ الْبِيضِ قَالَ " هِيَ صَوْمُ الشَّهْرِ " .

नबी(ﷺ) ने सहाब-ए-किराम (رضی اللہ عنہم) को चाँदनी रातों वाले तीन दिनों के रोज़े रखने का हुक्म दिया। और फ़रमाया: 'ये महीने भर के रोज़ों के बराबर हैं।'

(2433) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2738.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ مِلْحَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِصَوْمِ أَيَّامِ اللَّيَالِي الْغُرِّ الْبِيضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ .

(2434) हज़रत अब्दुल मलिक बिन कुदामा बिन मिल्हान ने अपने वालिद से बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) चाँदनी रातों वाले दिनों के रोज़ों का हुक्म दिया करते थे, यानी (चाँद की) तेरह, चौदह और पन्द्रह (तारीख़) का।

(2434) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 2432, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2739.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये तीनों रिवायात एक ही साहब बयान फ़रमाते हैं, अलबत्ता उनके वालिद के नाम के बारे में इख़्तिलाफ़ है। इसके अलावा ये तीनों रिवायात सनदन ज़ईफ़ और मअनन सही हैं। शैख़ अल्बानी (رحمہ اللہ) ने मज़्कूरा तीनों रिवायात को हसन क़रार दिया है। देखिये: (इर्वाउल ग़लील: 4/101, 102, रक़्मुल हदीस: 947, व सहीह सुनन नसाई: 2/170, 171 रक़्म: 2423, 2424, 2425) **(2)** हुक्म हमेशा वजूब के लिये नहीं होता, क़राइन साथ दें तो हुक्म इस्तेहबाब या जवाज़ के लिये भी होता है, जैसे कुर्आनि करीम में इरशाद है: 'जब एहराम खोल लो तो शिकार करो।' (अल माइदा: 5/2), 'जब जुमे की नमाज़ पढ़ ली जाये तो ज़मीन में फैल जाओ।' (अल्जुमुआ: 62/10) अहले इल्म में से किसी के नज़दीक भी ये दोनों काम ज़रूरी नहीं, कोई बे इल्म शख़्स कह दे तो अलग बात है।

باب: (٨٥) صَوْمِ يَوْمَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ

बाब : (85) महीने में दो दिन रोज़ा रखना

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، مِنْ خِيَارِ الْخَلْقِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي

(2435) हज़रत अबू अक़रब (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से नफ़ल रोज़े के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'महीने में एक रोज़ा

عَقْرَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ " صُمْ يَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي زِدْنِي . قَالَ " تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي زِدْنِي يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي زِدْنِي إِنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا . فَقَالَ " زِدْنِي زِدْنِي أَجِدُنِي قَوِيًّا " . فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَيَرُدُّنِي قَالَ " صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ " .

रख लिया कर।' मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! बढ़ाइये, बढ़ाइये। आपने (मेरी बात दोहराते हुये) फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह के रसूल! बढ़ाइये बढ़ाइये। चलो महीने में दो दिन रोज़ा रख लिया कर।' मैंने फिर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! बढ़ाइये बढ़ाइये, मैं अपने आपको ताक़तवर महसूस करता हूँ। आपने (मेरी बात दोहराते हुये) फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह के रसूल! बढ़ाइये बढ़ाइये, मैं अपने आपको ताक़तवर महसूस करता हूँ।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ामोश हो गये यहाँ तक कि मैंने समझा कि आप मेरी दरख़्वास्त रद्द कर देंगे। आख़िर आपने फ़रमाया: 'हर महीने में तीन रोज़े रख लिया कर।'

(2435) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/347, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2740.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) का हज़रत अबू अक़रब की बात को दोहराना इस्तेहज़ा के तौर पर नहीं बल्कि इज़्हारे कराहत के लिये था, गोया आपने उनके लिये ज़्यादा नफ़ल रोज़े रखना पसन्द नहीं फ़रमाया। मुमकिन है वह हक़ीक़तन कमज़ोर हों या मशक़्क़त वाला काम करते हों।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ " صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ " . وَاسْتَزَادَهُ قَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا فَزَادَهُ قَالَ " صُمْ

(2436) हज़रत अबू अक़रब (ؓ) से रिवायत है, उन्होंने नबी (ﷺ) से नफ़ल रोज़े के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'महीने में एक रोज़ा रख लिया कर।' मैंने मज़ीद इजाज़त माँगी और कहा: मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों! मैं अपने आपको ताक़तवर महसूस करता हूँ। आपने मज़ीद इजाज़त दे दी। और फ़रमाया: 'हर महीने दो रोज़े रख लिया कर।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माँ बाप आप पर क़ुर्बान! मैं अपने आपको

يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ " . فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا إِنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا " . فَمَا كَادَ أَنْ يَزِيدَهُ فَلَمَّا أَلَحَّ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ "

ताक़तवर समझता हूँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (मेरी बात दोहराते हुये) फ़रमाया: 'मैं अपने आपको ताक़तवर समझता हूँ। मैं अपने आपको ताक़तवर समझता हूँ।' उम्मीद नहीं थी कि आप मज़ीद इजाज़त फ़रमायेंगे। जब मैंने इस्रार किया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर महीने तीन रोज़े रख लिया कर।'

(2436) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/67, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 2741, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : गुज़िश्ता तमाम रिवायात से मालूम हुआ नफ़्ल रोज़े कम से कम रखे जायें ताकि पाबन्दी हो सके और हुक़ूकुल इबाद और मआश में भी ख़लल वाक़ेअ न हो। महीने में तीन रोज़े काफ़ी हैं। अल्लाह तआला अपने फ़ज़्ल से पूरे महीने के रोज़ों का सवाब अता फ़रमा देगा। इससे ज़्यादा रोज़े रखना मुस्तहसन नहीं, जायज़ हैं। नफ़्ल रोज़ों में अपनी सहूलत का ख़्याल रखे। तीनों रोज़े इकट्ठे रखना ज़रूरी नहीं। हर दस दिन में एक रोज़ा रख ले। या सोमवार और जुमेरात के हिसाब से पूरे करे। मशक़्क़त न हो तो चाँदनी रातों वाले दिनों के तीन रोज़े इकट्ठे रखना अफ़ज़ल है। मुसल्सल रोज़े रखना मना है। शाबान के आख़री एक दो दिन, ईदैन और अय्यामे तशरीक़ के रोज़े रखना भी मना है। सिर्फ़ जुमे के दिन रोज़ा रखने से रोका गया है। इसी तरह हफ़्ते के दिन रोज़ा रखने से भी रोका गया है। आगे या पीछे कोई और रोज़ा भी रखा जाये। मख़सूस रोज़े, जैसे: शव्वाल के छ: रोज़े इकट्ठे रखे जा सकते हैं, ज़ुलहिज्जा के नो रोज़े इकट्ठे रखे जायेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं क्योंकि ये सारे साल में एक ही दफ़ा आते हैं। सफ़र में मशक़्क़त न हो तो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख लेना बेहतर है और अगर मशक़्क़त हो या दूसरों के लिये बोझ बने तो न रखना बेहतर है। जिहाद के दौरान में भी अगर लड़ाई हो रही है, या अनक़रीब होने वाली है तो कुव्वत के हुसूल के लिये रमज़ानुल मुबारक के रोज़े न रखना अफ़ज़ल है, बाद में रोज़े पूरे कर ले। अगर लड़ाई दूर है तो रोज़े रखना बेहतर है। दौराने सफ़र में नफ़्ल रोज़े रखना या न रखना मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ है मगर दूसरों के लिये बोझ न बने। मशक़्क़त महसूस होने पर या मेहमान की आमद पर या इन्तेहाई पसन्दीदा खाना मयस्सर आने पर नफ़्ल रोज़ा ख़त्म करने में कोई हर्ज नहीं। बाद में नफ़्ल रोज़े की क़ज़ा अदा की जा सकती है, ज़रूरी नहीं। नफ़्ल रोज़ा ज़वाल से पहले दिन के वक़्त भी रखा जा सकता है बशर्ते कि पहले कुछ खाया न हो। मअज़ूर शख़्स रमज़ानुल मुबारक के दौरान में एहतिरामन सामने खाने पीने से इज्तेनाब करे। वल्लाहु आलम!

ज़कात का मफ़्हूम व मानी

ज़कात के लुग़वी मानी पाकीज़गी और बरकत के हैं। शरीयत में ज़कात से मुराद निसाब को पहुँचे हुए माल का मुक़र्ररा हिस्सा साल गुज़रने पर सवाब की नियत से फ़ुक़रा (फ़क़ीरों), मसाकीन (मिस्कीनों) और दूसरे ज़रूरतमन्द अफ़राद को देना है। चूंकि इस अमल से इन्सान के माल में बरकत होती है, अल्लाह तआला आफ़ात से बचाता है, दुनिया में माल और आख़िरत में सवाब को बढ़ाता है, माल पाक हो जाता है और इन्सान का नफ़्स भी रज़ाइल और दुनिया की मोहब्बत से पाक हो जाता है, इसलिये इस अमल को ज़कात जैसे जामेअ लफ़्ज़ का नाम दिया गया है। ये इस्लाम के अरकान में से है और इसकी फ़र्ज़ीयत क़तई है। वैसे तो ज़कात हर शरअ में शुरू से रही है और इस्लाम में भी शुरू ही से इसका हुक्म दिया गया है, मगर इसके निसाब और मिक़्दार वग़ैरह का तअय्युन मदनी दौर में 2 हिजरी को किया गया। क़ुर्आन मजीद और अहादीसे नबविया में ज़कात को सदक़ा भी कहा गया है। और फ़र्ज़ के अलावा नफ़ल को भी इस नाम से ज़िक्र किया गया है जिस तरह सलात, फ़र्ज़ और नफ़ल दोनों को कहा जाता है। सलात भी ज़कात की तरह हर दीन में शुरू से रही है। और इस्लाम में भी शुरू ही से इसका हुक्म दिया गया है मगर इसकी फ़र्ज़ मिक़्दार और ज़रूरी औक़ात का तअय्युन हिजरत के क़रीब मेराज की रात हुआ। क़ुर्आन मजीद और अहादीसे नबविया में इन दोनों फ़राइज़ को उमूमन इकट्ठा ही ज़िक्र किया गया है। इनका मर्तबा शहादतैन के बाद है, अलबत्ता सलात का दर्जा ज़कात से मुक़द्दम है क्योंकि सलात ख़ालिस इबादत है जबकि ज़कात इबादत के साथ साथ हुक़ूक़ुल इबाद में से भी है।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب الزكاة

ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

باب : (١) وُجُوبِ الزَّكَاةِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، عَنِ الْمُعَافَى، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ " إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ - يَعْنِي أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ - فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ".

बाब : (1) ज़कात की फ़र्ज़ीयत

(2437) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जब हज़रत मुआज़(ﷺ) को यमन की तरफ़ (मुबल्लिग़ व हाकिम बनाकर) भेजा तो उनसे फ़रमाया: 'तू वहाँ अहले किताब (यहूदियों) के पास जा रहा है। जब तू उनके पास पहुँचे तो उनको इस बात की दावत देना कि वह गवाही दें कि अल्लाह तआला के सिवा कोई लाइक़े इबादत नहीं और हज़रत मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल व पैग़म्बर हैं। अगर वह तेरी इस बात को मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह (ﷻ) ने उन पर हर दिन और रात में पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर वह तेरी इस बात को मान लें तो उनको बताना कि अल्लाह(ﷻ) ने उन पर ज़कात फ़र्ज़ की है जो उनके मालदार लोगों से लेकर उन्हीं के मोहताज लोगों में तक़्सीम कर दी जायेगी। अगर वह तेरी ये बात तस्लीम कर लें तो (ज़कात की वसूली और दीगर इन्तेज़ामी मामलात में) मज़्लूम की बद्दुआ से बचना।'

(2437) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1395, मुस्लिम, हदीस: 19, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2215.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** हज़रत मुआज़ (ﷺ) का यमन जाना 9 या 10 हिजरी की बात है। हज़रत उ़मर (ﷺ) के दौर तक वह वहीं रहे। **(2)** 'अहले किताब' यमन में यहूदियों की बड़ी तादाद बस्ती थी। **(3)** 'अगर वह तेरी इस बात को मान लें' शरीयत के तमाम अहकाम इस्लाम लाने के साथ ही लागू हो जाते हैं मगर नमाज़ दिन रात में पाँच मर्तबा फ़र्ज़ है जबकि ज़कात सालाना फ़र्ज़ है, इसलिये यूँ फ़रमाया। वरना ये मतलब नहीं कि अगर कोई नमाज़ न पढ़े तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। **(4)** 'उन्हीं के मोहताज' ज़कात के अव्वलीन हक़दार उसी इलाक़े के लोग हैं मगर ये कि ज़कात ज़्यादा हो या दूसरे लोग उनसे ज़्यादा मोहताज हों। **(5)** काफ़िर को ज़कात देना जायज़ नहीं। **(6)** बच्चे और मजनून के माल में भी ज़कात वाजिब है क्योंकि हदीस़ आ़म है, तमाम मुसलमान अग़निया को शामिल है। **(7)** 'मज़्लूम की बद्दुआ से बचना' यानी किसी पर ज़ुल्म न करना क्योंकि मज़्लूम बद्दुआ करेगा और उसकी बद्दुआ ज़रूर क़बूल होती है, चाहे वह ख़ुद गुनाहगार ही हो। गोया ज़ुल्म सबसे बड़ा गुनाह है जो दूसरे गुनाहों को मात कर देता है। **(8)** इस रिवायत में हज और रोज़े का ज़िक्र नहीं। मुमकिन है किसी रावी ने मुख़्तसर कर दिया हो या इन्तेहाई अहम अरकान बयान कर दिये गये हों। नमाज़ के बग़ैर इस्लाम क़बूल नहीं ज़कात देने से इस्लामी हुकूमत की इताअ़त स़ाबित होती है। हज और रोज़े का ये मक़ाम नहीं क्योंकि वह शख़्सी इबादात हैं। कुर्आन मजीद से भी ताईद होती है: इरशादे इलाही है: 'फिर अगर काफ़िर (अपने दीन से) तौबा कर लें, नमाज़ क़ाइम करें और ज़कात देने लग जायें तो उनका रास्ता छोड़ दो (उन्हें कुछ न कहो)' (अत्तौबा: 9/5)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِهِنَّ - لأَصَابِعِ يَدَيْهِ - أَنْ لاَ آتِيَكَ وَلاَ آتِيَ دِينَكَ وَإِنِّي كُنْتُ امْرَأً لاَ أَعْقِلُ شَيْئًا إِلاَّ مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَحْىِ اللَّهِ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ إِلَيْنَا قَالَ " بِالإِسْلاَمِ " .

(2438) हज़रत ब़हज़ बिन हकीम के दादा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने (इस्लाम लाते वक़्त) कहा: ऐ अल्लाह के नबी! मैंने यहाँ आपके पास आने से पहले अपने हाथों की ऊँगलियों की तादाद (यानी दस) से भी ज़्यादा दफ़ा क़सम खाई थी कि मैं न आपके पास आऊँगा और न आपका दीन क़बूल करूँगा (लेकिन अल्लाह तआ़ला ने मुझे हिदायत दी है तो हाज़िर हो गया हूँ) मैं बेसमझ आदमी हूँ। मुझे कुछ मालूम नहीं मगर जो अल्लाह (ﷻ) और उसका रसूल मुझे सिखायेंगे। मैं अल्लाह तआ़ला की वह्य के वास्ते से आपसे सवाल करता हूँ कि अल्लाह तआ़ला ने आपको

क्या देकर हमारी तरफ़ भेजा है? आपने फ़रमाया: 'इस्लाम देकर' मैंने अ़र्ज़ किया: इस्लाम की इम्तियाज़ी बातें क्या हैं? आपने फ़रमाया: 'ये कि तू कहे: मैंने अपनी ज़ात को अल्लाह तआ़ला के अहकामात के लिये मुतीअ़ कर दिया है और मैं हर क़िस्म के शिर्क से ला'ताल्लुक़ हो गया हूँ। और तू नमाज़ (बा'जमाअ़त) पढ़े और ज़कात की अदायगी करे।'

قُلْتُ وَمَا آيَاتُ الإِسْلاَمِ قَالَ " أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ إِلَى اللَّهِ وَتَخَلَّيْتُ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ " .

(2438) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2536, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2216.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रावि-ए-हदीस़ सहाबी का नाम मुआविया बिन हैदा कुशैरी (ﷺ) है। **(2)** 'ये कि तू कहे' इससे मुराद कलिम-ए-शहादतैन है। या तौहीद पर पुख़्तगी मुराद है क्योंकि कलिम-ए-शहादतैन तो वह पहले पढ़ चुका होगा। आपको अल्लाह का नबी कह कर पुकारना इस बात की दलील है। **(3)** इस्लाम मुख़ालिफ़ तमाम बातों और चीज़ों से बराअत और बेज़ारी हर मुसलमान पर वाजिब है।

(2439) हज़रत अबू मालिक अशअ़री (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अच्छी तरह वुज़ू करना निस़्फ़ ईमान है। अल हम्दुलिल्लाह कहना मीज़ान (तराज़ू) को भर देता है। सुब्हानल्लाह और अल्लाहु अकबर कहना आसमान व ज़मीन को भर देते हैं। नमाज़ नूर है, ज़कात (ईमान की) दलील है, स़ब्र रोशनी है और क़ुर्आन मजीद हुज्जत है तेरे हक़ में या तेरे ख़िलाफ़।'

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُسَاوِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلاَّمٍ، عَنْ أَخِيهِ، زَيْدِ بْنِ سَلاَّمٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلاَّمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الأَشْعَرِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ يَمْلأُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَالصَّلاَةُ نُورٌ وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ

(2439) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: 280, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2217, मुस्लिम, हदीस: 223.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'निस़्फ़ ईमान' क्योंकि नमाज़ ही अस़ल दीन है और नमाज़ वुज़ू पर मौक़ूफ़ है जिसने वुज़ू स़ही कर लिया; समझो निस़्फ़ नमाज़ पढ़ ली। या निस़्फ़ की बजाये मानी किये

जायें: वुज़ू ईमान का अहम जुज़ है। (2) 'भर देते हैं' दोनों या उनमें से हर एक। भरने का मतलब ये है कि उनका सवाब पूरा है, नाक़िस नहीं। (3) 'तराजु' हर चीज़ का हिसाब लगाने के लिये कोई न कोई आला होता है। आमाल का हिसाब बतलाने के लिये भी कोई आला होना चाहिए, वही मीज़ान है, इसमें कोई अक़्ली इश्काल नहीं। (4) 'नूर है' यानी नमाज़ दिल में नूर पैदा करती है और बसीरत को रोशन करती है जिससे इन्सान ज़िन्दगी का सही रास्ता जान सकता है और उस पर चल कर जन्नत तक पहुँच सकता है या क़यामत के दिन नमाज़ के ऐवज़ नूर नसीब होगा या क़ब्र में नूर होगा। (5) 'रोशनी है' यानी सब्र के साथ इन्सान मसाइब से बहिफ़ाज़त गुज़र जाता है। गुमराहियों में भटक नहीं जाता या आख़िरत में रोशनी नसीब होगी। (6) 'तेरे हक़ में या तेरे ख़िलाफ़' अगर क़ुर्आन मजीद पर अमल किया तो हक़ में वरना ख़िलाफ़ कि हक़ का रास्ता मालूम होने के बावजूद गुमराह रहा।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي صُهَيْبٌ، أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمِنْ أَبِي سَعِيدٍ يَقُولاَنِ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَكَبَّ فَأَكَبَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَبْكِي لاَ نَدْرِي عَلَى مَاذَا حَلَفَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فِي وَجْهِهِ الْبُشْرَى فَكَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ثُمَّ قَالَ " مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ إِلاَّ فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَقِيلَ لَهُ ادْخُلْ بِسَلاَمٍ " .

(2440) हज़रत अबू हुरैरह और हज़रत अबू सईद (ﷺ) ने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक दिन हमें ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते हुये तीन दफ़ा फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है!' फिर आपने सर झुका लिया। हममें से हर शख़्स भी सर झुका कर रोने लगा। हम नहीं जानते थे कि आपने किस चीज़ पर क़सम खाई है? फिर आपने सर मुबारक उठाया तो चेहरे में ख़ुशी के आसार थे और आपकी ख़ुशी हमारे लिये सुर्ख़ ऊँटों से भी ज़्यादा महबूब थी, फिर आपने फ़रमाया: 'जो शख़्स पाँच फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़े और रमज़ान के रोज़े रखे, ज़कात अदा करे और सात कबीरा गुनाहों से परहेज़ करे, उसके लिये जन्नत के सब दरवाज़े खोल दिये जायेंगे और उसे कहा जायेगा: सलामती के साथ जन्नत में दाख़िल हो जा।'

(2440) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, हदीस: 4/316, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2218, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 315, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 17, वल हाकिम: 1/200, 201, 2/240.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'रोने लगा' क्योंकि नबी (ﷺ) का तीन दफ़ा क़सम खाना मौक़े की अहमियत को ज़ाहिर करता था। और नेक शख़्स की रूहानियत को मुतास्सिर करने के लिये इतना ही काफ़ी था। (2) 'सुर्ख़ ऊँटों से' उस माहौल में अरबों के नज़दीक सुर्ख़ ऊँट सबसे ज़्यादा अहमियत और क़ीमत रखते थे, गोया मुराद दुनिया की क़ीमती से क़ीमती चीज़ है, यानी नबी (ﷺ) की ख़ुशी हमारे लिये दुनिया की हर चीज़ से अहम थी। (3) 'सात कबीरा गुनाह' शिर्क, जादू, नाहक़ क़त्ल, सूद ख़ोरी, यतीम का माल खा जाना, जिहाद से भागना और पाक दामन मोमिना औरतों पर तोहमत लगाना हैं। (4) 'जन्नत के सब दरवाज़े' जन्नत के कुल दरवाज़े आठ हैं जबकि जहन्नम के सात दरवाज़े हैं। (5) 'सलामती के साथ जन्नत में दाख़िल हो जा' क्योंकि कबीरा गुनाहों के इज्तेनाब से सग़ीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं और ये अल्लाह तआला की रहमत है। हाँ अगर कबाइर से इज्तेनाब न किया जाये तो सग़ाइर भी माफ़ नहीं होते।

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَىْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ لَكَ وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ

(2441) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स किसी चीज़ का जोड़ा अल्लाह तआला के रास्ते में ख़र्च करे, उसे जन्नत के दरवाज़ों से पुकारा जायेगा, ऐ अल्लाह के बन्दे! ये (दरवाज़ा) तेरे लिये बेहतर है। और जन्नत के बहुत से दरवाज़े हैं। जो शख़्स नमाज़ का आदी होगा, उसे नमाज़ वाले दरवाज़े से बुलाया जायेगा और जो जिहाद का शाइक़ था, उसे जिहाद वाले दरवाज़े से आवाज़ दी जायेगी और जो सदक़े से ख़ुसूसी रग़बत रखने वाला होगा, उसे सदक़े वाले दरवाज़े से दावत दी जायेगी और जो रोज़े का आदी होगा, उसे बाबुर रय्यान से दाख़िल होने को कहा जायेगा' हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) ने अर्ज़ किया किसी शख़्स को कोई ज़रूरत तो नहीं कि उसे इन सब दरवाज़ों से बुलाया जाये मगर क्या कोई ऐसा शख़्स भी होगा जिसे इन सब दरवाज़ों से आवाज़ें दी जायेंगी? आपने फ़रमाया: 'हाँ,

مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلِّهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " نَعَمْ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ " . يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ .

और मुझे उम्मीद है, ऐ अबू बक्र! तुम उन्हीं में से होगे।'

(2441) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2240, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2219.

फ़ायदा : 'किसी भी चीज़ का जोड़ा' यानी एक जैसी दो चीज़ें, जैसे: दो ऊँट, दो गुलाम, दो रोटियाँ और दो कपड़े वग़ैरह। या दो मुतक़ाबिल चीज़ें, जैसे: रोटी के साथ सालन भी, वग़ैरह। गोया मुकम्मल सदक़ा करे, नाक़िस न हो क्योंकि बिल उमूम जोड़े से ही मुकम्मल चीज़ बनती है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, फ़वाइद हदीस: 2240)

باب : (٢) التَّغْلِيظِ فِي حَبْسِ الزَّكَاةِ

बाब : (2) ज़कात रोक लेने पर सख़्त वईद

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَآنِي مُقْبِلاً قَالَ " هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ " . فَقُلْتُ مَا لِي لَعَلِّي أُنْزِلَ فِيَّ شَىْءٌ قُلْتُ مَنْ هُمْ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قَالَ " الأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا حَتَّى بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ " . ثُمَّ قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَمُوتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ إِبِلاً أَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ

(2442) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से रिवायत है कि मैं नबी (ﷺ) के पास आया। आप काबे के साये में बैठे थे जब आपने मुझे आते देखा तो फ़रमाने लगे: 'काबे के रब की क़सम! वह बहुत ख़सारे वाले लोग हैं' मैंने अपने दिल में कहा क्या वजह है? शायद मेरे बारे में कोई वह्य उतरी है। मैंने अर्ज़ किया: आप पर मेरे माँ बाप क़ुर्बान! वह कौन (बदनसीब) हैं? आपने फ़रमाया: 'ज़्यादा मालदार लोग, मगर जिसने ऐसे, ऐसे और ऐसे किया।' यानी आगे, अपने दायें और बायें ख़र्च किया, फिर फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! जो आदमी भी मरते वक़्त ऊँट और गाय छोड़ जाये, जिनकी ज़कात वह न देता हो, उसके जानवर इस जसामत और मोटापे से बढ़ कर आयेंगे जो (दुनिया में) थी और उसे अपने पाँव तले रौंदेंगे और उसको अपने सींगों से टक्करें मारेंगे। जब उनमें से आख़री जानवर

بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ أُولاَهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ " .

गुज़र जायेगा तो पहले को दोबारा उसके ऊपर से गुज़ारा जायेगा। (उसके साथ ये सिलसिला जारी रहेगा) यहाँ तक कि लोगों के दरम्यान फ़ैसले कर दिये जायें।'

(2442) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 990, बुख़ारी, हदीस: 1460, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2220.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'आगे, दायें और बायें' यानी हर ज़रूरी मस्रफ़ में ख़र्च किया, ख़्वाह वह फ़र्ज़ ज़कात के अलावा भी हो। **(2)** क़यामत के दिन सिर्फ़ इन्सान ही नहीं बल्कि हर ज़ी रूह चीज़ उठेगी।

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لاَ يُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ إِلاَّ جُعِلَ لَهُ طَوْقًا فِي عُنُقِهِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ " . ثُمَّ قَرَأَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } الآيَةَ .

(2443) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने माल का हक़ (ज़कात) अदा न करता हो तो (क़यामत के दिन) वह माल उसके गले में गंजे साँप की सूरत में तौक़ बना दिया जायेगा। वह उससे भागेगा, मगर वह उसके पीछे दौड़ेगा, फिर आपने अल्लाह तआला की किताब में से इसकी तस्दीक़ के लिये ये आयत पढ़ी: (वला तह्सबन्नल्लज़ीना यब्ख़लून ....) 'जो लोग अल्लाह तआला के दिये हुये माल में बुख़्ल करते हैं, वह ये न समझें कि वह माल उनके लिये बेहतर है, बल्कि वह उनके लिये बदतर है। और जिस माल के साथ उन्होंने बुख़्ल किया, क़यामत के दिन वह उनके गले का तौक़ बनाया जायेगा।'

(2443) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 3012, इब्ने माजा, हदीस: 1784, हुमैदी, हदीस: 93, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2221.

फ़ायदा : 'गंजा साँप' साँप के जिस्म पर तो बाल होते ही नहीं, लिहाज़ा गंजे से मुराद ये है कि कस्रते ज़हर या दराज़ि-ए-उम्र की वजह से उसके सर पर से चमड़ा तक उड़ चुका होगा। (अन्निहाया लि इब्ने असीर)

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْغُدَانِيِّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لاَ يُعْطِي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا قَالَ " فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغَذِّ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنِهِ وَآشَرِهِ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا إِذَا جَاءَتْ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ بَقَرٌ لاَ يُعْطِي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَغَذَّ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ وَآشَرَهُ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْنٍ بِقَرْنِهَا وَتَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا إِذَا جَاوَزَتْهُ

(2444) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना: 'जिस आदमी के पास ऊँट हों और वह उनकी नज्दा और उनकी रिस्ल में उनका हक़ (यानी ज़कात) अदा न करता हो।' सहाबा ने कहा: 'ऐ अल्लाह के रसूल! नज्दा और रिस्ल से क्या मुराद है? आपने फ़रमाया: 'तंगी और ख़ुशहाली में (उनकी ज़कात अदा न करता हो) तो (क़यामत के दिन) वह इन्तेहाई मोटे, ताज़े और पूरी मस्ती की हालत में आयेंगे और उस (मालिक) को उनके सामने एक खुले हमवार मैदान में औंधा लिटा दिया जायेगा तो वह अपने खुरों से (पाँव तले) उसे मसलेंगे (रौंदेंगे)। जब आख़री गुज़र जायेगा तो पहले को फिर लाया जायेगा और ये काम उसके साथ क़यामत के पूरे दिन में किया जाता रहेगा जिसकी मिक़्दार पचास हज़ार साल है, यहाँ तक कि लोगों के दरम्यान (जन्नत और जहन्नम का) फ़ैसला कर दिया जाये। और वह अपना (जन्नत या जहन्नम वाला) रास्ता देख ले। और (इसी तरह) जिस शख़्स के पास गाय हों और वह तंग हाली और ख़ुश हाली में उनकी ज़कात न देता हो तो वह भी क़यामत के दिन इन्तेहाई मोटी ताज़ी और पूरी मस्ती की हालत में आयेंगी और उस (मालिक) को उनके सामने एक खुले हमवार मैदान में औंधा लिटा दिया जायेगा और हर सींग वाली अपने सींगों से उसको टक्करें मारेगी और हर खुर वाली अपने खुरों

أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لاَ يُعْطِي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغَذِّ مَا كَانَتْ وَأَكْثَرِهِ وَأَسْمَنِهِ وَآشَرِهِ ثُمَّ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْنٍ بِقَرْنِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ إِذَا جَاوَزَتْهُ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ " .

के साथ उसको कुचलेगी। जब उनमें से आख़री गुज़र जायेगी तो पहली को फिर लाया जायेगा। और ये काम उसके साथ क़यामत के पूरे दिन में किया जाता रहेगा जिसकी मिक़्दार पचास हज़ार साल है, यहाँ तक कि लोगों के दरम्यान फ़ैसला किया जाये और वह अपना (जन्नती या जहन्नमी) रास्ता देख लेगा। इसी तरह जिस आदमी के पास बकरियाँ हों और वह तंग हाली और ख़ूश हाली में उनकी ज़कात न देता हो तो वह क़यामत के दिन इन्तेहाई मोटी ताज़ी और पूरी मस्ती की हालत में आयेंगी, फिर उस (मालिक) को उनके सामने एक खुले और हमवार मैदान में औंधा लिटा दिया जायेगा। तो हर ख़ुर वाली अपने खुरों के साथ उसको मसलेगी और हर सींग वाली अपने सींगों के साथ उसको टक्करें मारेगी। उनमें से किसी का सींग न मुड़ा हुआ होगा और न टूटा हुआ। जब उनमें से आख़री गुज़र जायेगी तो पहली को वापस लाया जायेगा। और उस (मालिक) के साथ ये काम क़यामत के पूरे दिन होता रहेगा जिसकी मिक़्दार पचास हज़ार साल होगी, यहाँ तक कि लोगों के दरम्यान (जन्नत और जहन्नम का) फ़ैसला कर दिया जाये और वह अपना (जन्नत या जहन्नम वाला) रास्ता देख ले।'

(2444) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 1660, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2222, व स़हीह अल हाकिम: 1/403.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ऐसे दिन में' हमारे लिहाज़ से तो दिन की मुद्दत का तअय्युन सूरज के तुलूअ और गुरूब से होता है मगर ज़ाहिर है कि रोज़े महशर का तअय्युन सूरज से नहीं होगा। अल्लाह

तआला जिस तरीक़े से चाहेगा दिन का तअय्युन होगा। मुमकिन है मुत्लक़ मुद्दत को दिन कह दिया गया हो। (2) 'पहली को वापस लाया जायेगा, गोया जानवर उस पर से दायरे में गुज़रेंगे। अआज़नल्लाहु मिन ज़ालिक. (अल्लाह उससे हमें पनाह में रखे)

बाब : (3)
ज़कात से इन्कार करने वाले का हुक्म

باب : (٣) مَانِعِ الزَّكَاةِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ " . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ . قَالَ عُمَرُ رضى الله عنه فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ شَرَحَ

(2445) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ौत हो गये और आपके बाद हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ख़लीफ़ा बनाये गये और बहुत से अरब लोगों ने कुफ़्र का इरतेकाब किया (और हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने उनसे लड़ने का ऐलान फ़रमाया) तो हज़रत उमर(ﷺ) ने हज़रत अबू बक्र (ﷺ) से कहा: आप उन लोगों से कैसे लड़ेंगे (जो ज़कात नहीं देते) जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'मुझे लोगों के साथ लड़ने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वह ला इलाह इल्लल्लाह (कलिमा तय्यबा) पढ़ लें। जिस शख़्स ने ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लिया, उसने मुझ से अपनी जान व माल बचा लिया मगर ये कि उस पर कोई हक़ बनता हो। और उसका (अन्दुरूनी) हिसाब अल्लाह तआला के ज़िम्मे है।' हज़रत अबू बक्र(ﷺ) ने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! मैं उन लोगों से ज़रूर लड़ूँगा जो नमाज़ और ज़कात में फ़र्क़ करेंगे क्योंकि ज़कात माल का हक़ है। अल्लाह की क़सम! अगर वह मुझे (बिल फ़र्ज़ ऊँट को बाँधने वाली) रस्सी न दें जो रसूलुल्लाह(ﷺ) को दिया करते थे तो मैं उसके न देने पर भी उनसे

صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

लड़ूँगा। हज़रत उमर (ﷺ) ने (बाद में) फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! मेरी समझ में भी ये बात आ गई कि लड़ाई के लिये हज़रत अबू बक्र (ﷺ) का सीना अल्लाह तआला ने खोल दिया है तो मुझे यक़ीन हो गया कि यही हक़ है।

(2445) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7284, 7285, मुस्लिम, हदीस: 20, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2223.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'कुफ़्र का इरतेकाब किया।' रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात के बाद कई क़िस्म के फ़ित्ने उठे। कुछ लोग अपने आबाई दीन की तरफ़ लौट गये, कुछ लोग नबूवत के झूठे दावेदारों के पीछे लग गये, कुछ लोग ज़कात की फ़र्ज़ीयत के मुन्किर हो गये और कुछ लोग हुकूमत को ज़कात देने से रुक गये। पहले तीन गिरोह तो क़तअन काफ़िर थे। उनसे लड़ने में कोई इख़्तिलाफ़ न था। हज़रत उमर (ﷺ) को इख़्तिलाफ़ इस आख़री गिरोह के बारे में था क्योंकि वह काफ़िर न थे। हुकूमत के बाग़ी थे। हज़रत अबू बक्र (ﷺ) उनसे लड़ने के हक़ में थे जबकि हज़रत उमर (ﷺ) को तरद्दुद था। **(2)** 'ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें' मुराद पूरा कलिम-ए-शहादत है। और ये मुत्तफ़क़ा बात है, वरना यहूदी और इसाई को भी मुसलमान कहना पड़ेगा। **(3)** 'मगर ये कि उस पर कोई हक़ बनता हो।' यानी उसने किसी के जान व माल का नुक़सान किया हो तो उसकी सज़ा उसे भुगतनी होगी। **(4)** 'अंदरूनी हिसाब' कि उसने कलिमा ख़ुलूसे क़ल्ब से पढ़ा है या जान व माल बचाने के लिये। **(5)** 'ज़कात माल का हक़ है' वह न दें तो उनसे ज़बरदस्ती वसूल किया जायेगा, वरना हुकूमत का निज़ाम तलपट हो जायेगा और बग़ावत राह पकड़ेगी। **(6)** 'वह रस्सी न दें' ज़ोरे कलाम के लिये मुबालग़े से काम लिया गया है और कलाम में ऐसा उमूमन होता है। वरना ज़कात में रस्सी देना लाज़िम नहीं, सिर्फ़ जानवर देना लाज़िम है। **(7)** मुन्किरीने ज़कात से भी काफ़िरों की तरह क़िताल करने पर सहाबा का इज्मा है। **(8)** ये हज़रत अबू बक्र (ﷺ) के इल्म व फ़ज़्ल और शुजाअत की बहुत बड़ी दलील है। आपने इस नाज़ुक तरीन मौक़े पर कमाल साबित क़दमी का मुज़ाहिरा करते हुये एक बहुत बड़े फ़ित्ने को आग़ाज़ ही में उसके इबरत नाक अन्जाम तक पहुँचा दिया। उस वक़्त इब्तेदाअन, उमर(ﷺ) भी आपसे इत्तेफ़ाक़े राय न रखते थे क्योंकि अपने इल्मी रुसूख़ की बिना पर जहाँ हज़रत अबू बक्र (ﷺ) पहुँचे हुये थे वहाँ अभी उमर (ﷺ) न पहुँचे थे। ये बात अबू बक्र (ﷺ) के इल्मी तफ़व्वुक़ की दलील है। इस और इस जैसे दीगर वाक़िआत की बिना पर अहले हक़ का इज्मा है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाद उम्मत के अफ़ज़ल तरीन आदमी

हज़रत अबू बक्र (ﷺ) हैं। (9) सहाब-ए-किराम (ﷺ) क़ियासे जली के क़ाइल थे। (10) बात को मुअक्कद (ताकीदी) करने के लिये क़सम उठाना जायज़ है अगरचे उसका मुतालबा न किया गया हो।

बाब : (4) ज़कात न देने वाले की सज़ा

باب: (٤) عُقُوبَةِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لاَ يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا شَىْءٌ " .

(2446) हज़रत बहज़ बिन हकीम के दादा (हज़रत मुआविया बिन हीदा क़ुशैरी (ﷺ)) से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने नबी (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'सहरा में चरने वाले ऊँटों में से हर चालीस ऊँटों में एक बिन्ते लबून (दो साला ऊँटनी) है। (दौराने वसूली) ऊँटों के हिसाब व मिक़्दार से उन्हें अलग न किया जायेगा। जो शख़्स (ख़ुशी से) सवाब की ख़ातिर ज़कात देगा, उसको उसका सवाब मिलेगा और जो देने से इन्कार करेगा हम ज़कात भी लेंगे और (उसके साथ साथ) उसके निस्फ़ ऊँट भी लेंगे (क्योंकि) ये ज़कात हमारे रब के फ़राइज़ में से एक अहम फ़रीज़ा है। हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के ख़ानदान के लिये कुछ भी ज़कात लेना (अपनी ज़ात के लिये) जायज़ नहीं।

(2446) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1575, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2224, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2266, वल हाकिम: 1/398.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'चरने वाले' उन जानवरों में ज़कात फ़र्ज़ है जो सारा साल या साल का अक्सर हिस्सा जंगल वग़ैरह में चर कर गुज़ारते हों, उनको ख़ुद चारा न डालना पड़े मगर शाज़ व नादिर। **(2)** 'हर चालीस ऊँटों में' यानी 120 ऊँटों के बाद क्योंकि 120 तक तो ऊँटों की मख़सूस ज़कात है जिसका बयान आगे आ रहा है। **(3)** 'बिन्ते लबून' इससे मुराद वह ऊँटनी है जिसकी उम्र दो साल हो

चुकी हो और वह तीसरे में शुरू हो। (4) 'उन्हें अलग न किया जायेगा' यानी दो शरीक ज़कात के डर से अपने अपने ऊँट अलग नहीं करेंगे, जैसे: एक के तीन और दूसरे के दो ऊँट हों तो इस तरह एक बकरी ज़कात वाजिब होती है। जुदा जुदा कर लिये जायें तो कुछ भी वाजिब नहीं होता। या कुछ ऊँट कमज़ोर या उम्र के लिहाज़ से छोटे हों तो वह गिनती में पूरे ही शुमार होंगे, अलबत्ता ज़कात में मुअय्यन उम्र वाला और दरम्याना (मोटापे के लिहाज़ से) जानवर लिया जायेगा। (5) 'निस्फ़ ऊँट भी लेंगे' ये इक़्दाम बतौर सजा है इस्लामी हुकूमत का अहलकार जबरदस्ती कारिन्दों के जरीये से जक़ात के साथ-साथ जबरन जिस माल में ज़कात वाजिब हुई हो, वह आधा माल भी ले सकता है और वह बैतुलमाल में जमा होगा। हदीस़ की रोशनी में यही मौक़िफ़ राजेह है। लेकिन जुम्हूर उलमा-ए-किराम माली सज़ा को ग़ैर मशरूअ क़रार देते हैं, उनके बक़ौल सिर्फ़ ज़कात ही वसूल की जायेगी, मज़्कूरा हदीस़ को उन्होंने वक़्ती सज़ा क़रार दिया है या वह इस हुक्म के नस्ख़ के क़ाइल हैं लेकिन ये दोनों बातें ही महल्ले नज़र हैं जबकि मज़्कूरा हदीस़ मज़्कूरा सज़ा की बय्यन दलील है। (6) 'जायज़ नहीं' ताकि किसी के ज़हन में ये ख़्याल तक न आये कि नबूवत का दावा माल इकट्ठा करने के लिये किया गया है।

बाब : (5)
ऊँटों की ज़कात

باب : (٥) زَكَاةِ الإِبِلِ

(2447) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच वस्क़ से कम ग़ल्ले में ज़कात नहीं, न पाँच से कम ऊँटों में ज़कात है और न पाँच औक़िये से कम रक़म में ज़कात है।'

अख़्बरना... أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، وَمَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ " .

(2447) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 979, बुख़ारी, हदीस़: 1447, मौता: 1/244, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2225.

(2448) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच ऊँटों से कम में ज़कात नहीं और पाँच औक़िये से कम (चाँदी या रक़म) में ज़कात नहीं और पाँच वस्क़ से कम ग़ल्ले में ज़कात नहीं।'

(2448) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2226.

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'पाँच वस्क़' वस्क़ साठ साअ का होता है। साअ एक पैमाना है, वज़न नहीं। इसमें ग़ल्ले की हर क़िस्म का वज़न मुख़्तलिफ़ होगा मगर औसत वज़न 2 सेर 4 छटांक और मौजूदा वज़न के मुताबिक़ 2.099 किलोग्राम होता है। गोया वस्क़ 3 मन 15 सेर और मौजूदा वज़न के मुताबिक़ 125.971 किलोग्राम और पाँच वस्क़ 629.855 किलोग्राम (तक़रीबन 16 मन) के होते हैं। अगर ज़मीन की ग़ल्ले की पैदावार उससे कम हो तो उसमें ज़कात (उश्र वग़ैरह) न होगी। **(2)** 'पाँच औक़िया' एक औक़िया चालीस दिरहम का होता है। पाँच औक़िये 200 दिरहम होंगे। दिरहम सिक्का भी था और वज़न भी। आज कल अक्सर उलमा के नज़दीक इस वज़न की चाँदी की क़ीमत निसाब है। इससे कम में ज़कात नहीं। 200 दिरहम का वज़न तक़रीबन साढ़े बावन तौले है। और मौजूदा वज़न के मुताबिक़ 612.360 ग्राम होता है। मुरव्वजा करेन्सी की ज़कात इसी हिसाब से होगी।

(2449) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत अबू बक्र (ﷺ) (ख़लीफ़-ए-रसूल (ﷺ)) ने उन (आमिलीने ज़कात) को ये तहरीर लिख भेजी: ये वह मुक़र्रर शुदा सदक़ात हैं जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुसलमानों पर मुक़र्रर फ़रमाये और अल्लाह तआला ने इनका अपने रसूल (ﷺ) को हुक्म दिया। जिस मुसलमान से ये सदक़ात मुक़र्ररा तरीक़ेकार के मुताबिक़ तलब किये जायें तो वह लाज़िमन अदा करे और जिससे

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ أَبُو كَامِلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِ وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلاَ يُعْطِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا

मुक़र्ररा मिक़्दार से ज़्यादा माँगे जायें, वह न दे। (उनकी तफ़्सील ये है:) ऊँट पच्चीस से कम हों तो हर पाँच ऊँटों में एक बकरी (ज़कात) है। जब ऊँट पच्चीस हो जायें तो उनमें एक बिन्ते मख़ाज़ (एक बरस की ऊँटनी) है। पैंतीस तक यही ज़कात होगी। अगर एक बरस की (मादा) ऊँटनी न हो तो दो बरस का (नर) ऊँट (ज़कात) है। जब वह छत्तीस हो जायें तो पैंतालीस तक उनमें एक बिन्ते लबून (दो बरस की ऊँटनी) है। जब वह छियालीस हो जायें तो साठ तक एक हिक़्क़ा (तीन बरस की ऊँटनी) है। जो नर की जुफ़्ती के क़ाबिल हो। जब इकसठ हो जायें तो पचहत्तर तक एक जज़आ (चार बरस की मादा ऊँटनी ज़कात) है। जब वह छिहत्तर हो जायें तो नव्वे तक उनमें दो बिन्ते लबून (दो दो बरस की दो ऊँटनियाँ) ज़कात हैं। जब वह इकानवे हो जायें तो एक सो बीस तक दो हिक़्क़े (तीन तीन बरस की दो ऊँटनियाँ) हैं जो नर की जुफ़्ती के क़ाबिल हों। जब एक सो बीस से ज़्यादा हो जायें तो हर चालीस में एक बिन्ते लबून और हर पचास में एक हिक़्क़ा (ज़कात) है। अगर ऊँटों की उम्रें मुख़्तलिफ़ हों (और मुक़र्ररा उम्र के ऊँट न मिल सकें) तो जिस आदमी के ज़िम्मे जज़आ हो और उसको जज़आ मयस्सर न हो, अलबत्ता उसके पास हिक़्क़ा हो तो उससे हिक़्क़ा ही ली जायेगी और उसके साथ दो बकरियाँ ली जायेंगी, अगर उसे मयस्सर हों, वरना बीस दिरहम लिये जायेंगे। और जिस शख़्स के ज़िम्मे हिक़्क़ा ज़कात हो मगर उसके पास सिर्फ़ जज़आ है तो उससे वही ली

شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا

जायेगी और ज़कात वसूल करने वाला उसको बीस दिरहम या अगर मयस्सर हों तो दो बकरियाँ वापस करेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी के ज़िम्मे हिक्क़ा ज़कात बनती हो लेकिन उसके पास हिक्क़ा न हो बल्कि उसके पास बिन्ते लबून हो तो वही उससे ली जायेगी और उसके साथ मज़ीद दो बकरियाँ ली जायेंगी, अगर उसे मयस्सर हों, वरना बीस दिरहम लिये जायेंगे। और जिस शख़्स के ज़िम्मे बिन्ते लबून ज़कात बनती हो मगर उसके पास सिर्फ़ हिक्क़ा हो तो उससे वही ली जायेगी और सदक़ा वसूल करने वाला उसे बीस दिरहम या दो बकरियाँ वापस करेगा। इसी तरह जिस शख़्स के ज़िम्मे बिन्ते लबून ज़कात बनती हो, मगर उसके पास बिन्ते लबून न हो बल्कि बिन्ते मख़ाज़ हो तो उससे वही ली जायेगी और उसके साथ मज़ीद दो बकरियाँ देगा, अगर उसे मयस्सर हों, वरना बीस दिरहम देगा। और जिस आदमी के ज़िम्मे बिन्ते मख़ाज़ ज़कात बनती हो, मगर उसके पास सिर्फ़ इब्ने लबून हो तो उससे वही लिया जायेगा और उसके साथ कोई और चीज़ न ली, जायेगी। और जिस आदमी के पास सिर्फ़ चार ऊँट हों तो उनमें कोई ज़कात वाजिब नहीं मगर मालिक ख़ुशी से देना चाहे (तो अलग बात है) और जंगल में चरने वाली बकरियाँ हों और चालीस हो जायें तो एक सौ बीस तक एक बकरी ज़कात है। जब उससे एक भी ज़्यादा हो जाये तो दो सौ तक दो बकरियाँ ज़कात है। जब उससे एक भी बढ़ जाये तो तीन सौ तक तीन बकरियाँ ज़कात है। और जब

شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا " .

उससे बढ़ जायें तो हर सौ में एक बकरी ज़कात होगी। ज़कात में बूढ़ा या काना (ऐब वाला) जानवर या नर बकरा नहीं लिया जायेगा। हाँ, अगर सदक़ा वसूल करने वाला चाहे तो नर बकरा ले सकता है। अलग अलग जानवरों को (ज़कात के मौक़े पर) इकट्ठा नहीं किया जायेगा, इसी तरह इकट्ठे रहने वाले जानवरों को ज़कात के डर से अलग अलग नहीं किया जायेगा। और जो ज़कात दो शरीक मालिकों से वसूल की जाये, वह आपस में अपने जानवरों के हिसाब से तक़्सीम कर लेंगे। और अगर जंगल और सहरा में चरने वाली बकरियाँ चालीस से कम हों, ख़्वाह एक ही कम हो, उनमें कोई ज़कात नहीं मगर मालिक ख़ूशी से देना चाहे (तो अलग बात है) और चाँदी में चालीसवाँ हिस्सा ज़कात है लेकिन अगर एक सौ नव्वे दिरहम हों (यानी 200 दिरहम से कम हों) तो उनमें कोई ज़कात नहीं मगर ये कि मालिक ख़ुद देना चाहे।

(2449) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1448, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2227.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये तहरीर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लिखवाई थी ताकि सरकारी हुक्काम को भेजें मगर आपको मौक़ा न मिल सका। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (رضي الله عنه) ख़लीफ़ा बने तो उन्होंने ये तहरीर नक़लें करवा कर तमाम हुक्काम को भेजी। वैसे भी इस तहरीर में हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) का हवाला दिया है, लिहाज़ा ये तहरीर मरफ़ूअ, यानी रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है। **(2)** 'वह न दे' यानी ज़्यादा ज़कात न दे या बिल्कुल ज़कात न दे क्योंकि ज़ालिम हाकिम शरअन माज़ूल होता है। **(3)** 'हर पाँच में एक बकरी' यानी पाँच ऊँटों में एक बकरी, दस में, दो पन्द्रह में तीन, बीस में चार, चौबीस तक **(4)** 'बिन्ते मख़ाज़' एक साल की ऊँटनी जो दूसरे साल में शुरू हो चुकी हो। 'बिन्ते लबून' जो दो साल की हो और तीसरे साल में दाख़िल हो.. 'हिक्क़ा' तीन साल की ऊँटनी

जो चौथे साल में शुरू हो। इस उम्र की ऊँटनी नर की जुफ़्ती के क़ाबिल हो जाती है, और वह सवारी के भी क़ाबिल हो जाती है। 'जज़आ' चार साल की ऊँटनी जो पाँचवें साल में शुरू हो। यहाँ ये बात क़ाबिले ज़िक्र है कि ऊँटों की ज़कात में सिर्फ़ मुअन्नस (मादा), यानी ऊँटनी ही ली जायेगी क्योंकि मुअन्नस की क़ीमत ज़्यादा होती है और उससे सवारी, गोश्त, दूध और नस्ल का फ़ायदा हासिल होता है जबकि मुज़क्कर, यानी नर ऊँट से सिर्फ़ सवारी और गोश्त का फ़ायदा हासिल होता है, इसलिये ऊँटनी में फ़ुक़रा का फ़ायदा है, लिहाज़ा अगर मजबूरन नर लिया जाये तो वह मुक़र्ररा ज़कात से एक साल बड़ी उम्र का लिया जायेगा ताकि क़ीमत बराबर हो जाये। या असल जानवर की क़ीमत वसूल की जायेगी। **(5)** जब एक सौ बीस से ज़्यादा हो जायें, यानी एक सौ इक्कीस हो जायें तो हर चालीस में एक बिन्ते लबून और हर पचास में एक हिक्क़ा होगी, यानी इस तादाद को चालीस और पचास के हिस्सों में बाँट लिया जाये, जैसे: 121 से 129 तक तीन चालीस हिस्से बनते हैं, लिहाज़ा तीन बिन्ते लबून ज़कात होगी। 130 से 139 तक दो चालीस और एक पचास बनते हैं लिहाज़ा दो बिन्ते लबून और एक हिक्क़ा ज़कात होगी। 140 में एक चालीस और दो पचास बनते हैं, लिहाज़ा एक बिन्ते लबून और दो हिक़्क़े ज़कात होगी। ये भी याद रखा जाये कि इन सूरतों में पिछली दहाई की ज़कात अगली दहाई तक चलेगी, यानी 130 वाली ज़कात 139 तक, 140 वाली ज़कात 149 तक और 150 की ज़कात 159 तक चलेगी। **(6)** 'अगर मुक़र्ररा उम्र के ऊँट न मिल सकें' ऐसी सूरत में मुक़र्ररा ऊँट की क़ीमत वसूल की जायेगी या छोटी या बड़ी उम्र का ऊँट लेकर और मज़ीद कुछ ले दे कर क़ीमत पूरी कर ली जायेगी जिसकी चन्द सूरतें बयान की गई हैं जो असल क़ीमत है, आप (ﷺ) ने दो बकरियाँ या बीस दिरहम क़ीमत के हिसाब से मुक़र्रर फ़रमाई हैं। मज़्कूरा कमी पूरी करने के लिये दो बकरियाँ ही मानी जायेंगी, फिर जहाँ इन (दो बकरियों) की जो क़ीमत बनती हो वह क़ीमत मानी जायेगी। **(7)** 'हर सौ में एक बकरी' ज़ाहिर तो यूँ मालूम होता है कि 301 से 400 तक चार बकरियाँ और 401 से 500 तक पाँच बकरियाँ मगर जुम्हूर अहले इल्म ने ये मफ़्हूम मुराद नहीं लिया, बल्कि उनका ख़्याल है कि चौथी बकरी 400 बकरियों में पड़ेगी। इससे कम में तीन बकरियाँ ही ज़कात होंगी गोया 201 से 399 तक तीन बकरियाँ ही रहेंगी। वल्लाहु आलम! **(8)** 'बूढ़ा' काना (ऐब वाला) जानवर' ज़कात में सही सालिम जानवर वसूल किया जायेगा और मोटापे के लिहाज़ से दरम्याना जानवर लिया जायेगा, न बहुत अच्छा और न बहुत कमज़ोर। ऊँटों में तो उम्र मुक़र्रर है, बकरियों में जवान बकरी ली जायेगी। **(9)** 'मुज़क्कर (नर)' जो बकरियों के लिये रखा गया हो क्योंकि वह क़ीमती होता है, उससे मालिक को नुक़सान होगा। या इसलिये कि बकरी फ़ुक़रा के लिये ज़्यादा मुफ़ीद है, उससे बच्चे हासिल होंगे, लिहाज़ा ज़कात में मुअन्नस ही वसूल की जायेगी। मगर ये कि सदक़ा वसूल करने वाला मुज़क्कर की

ज़रूरत महसूस करे और मालिक देने पर राज़ी हो। (10) 'इकट्ठा नहीं किया जायेगा' एक शख़्स के पास पचास बकरियाँ हों और दूसरे के पास भी पचास तो उनकी ज़कात एक-एक बकरी देनी पड़ेगी लेकिन अगर वह दोनों एक मालिक ज़ाहिर करके बकरियाँ इकट्ठी ज़ाहिर कर दें तो कुल सौ बकरियों में सिर्फ़ एक बकरी ज़कात होगी। ये फ़ायदा हासिल करने के लिये कोई शख़्स ये हीला कर सकता है, लिहाज़ा उससे मना फ़रमाया ताकि ज़कात से फ़रार का रुझान पैदा न हो। वाजिब से बचने के लिये ऐसा हीला करना हराम है। इसी तरह कभी इकट्ठी बकरियों को मुतफ़र्रिक़ ज़ाहिर करके भी ज़कात से बचने का हीला हो सकता है, जैसे: एक शख़्स के पास साठ बकरियाँ हों तो वह उसे दो मालिकों का माल ज़ाहिर करके 30, 30 के रेवड़ बना दे तो ज़कात से बच सकता है, मगर इस क़िस्म के हीले जो हराम को हलाल करें या हलाल को हराम या इसी तरह वाजिब को साक़ित कर दें, शरअ़न हराम हैं और जुर्म हैं। इसके बरअ़क्स ज़कात वसूल करने वाला भी कर सकता है, लिहाज़ा उसके लिये भी मना है, जैसे: दो शरीकों के पास मज्मूई तौर पर सौ बकरियाँ हैं, ज़कात वसूल करने वाला ज़्यादा वसूल करने की ख़ातिर उन सौ बकरियों को अलग अलग कर देगा तो दो बकरियाँ ज़कात मिल जायेंगी जबकि यक्जा रहने में एक ही मिलेगी। या जैसे: दो आदमियों के पास अलग अलग 115, 115 बकरियाँ हैं जिनमें सिर्फ़ एक एक बकरी ज़कात है, वसूल करने वाला आकर दोनों को यक्जा कर दे तो उसको तीन बकरियाँ मिल जायेंगी, तो उसके लिये भी ऐसा करना जायज़ नहीं। ग़र्ज़ ज़कात के ख़ौफ़ से जमा या मुतफ़र्रिक़ करने की मुमानिअ़त मालिक को भी है और ज़कात वसूल करने वाले (आ़मिल) को भी। (11) 'दो शरीक मालिकों से ज़कात' अगर दो शख़्स मुश्तरका तौर पर जानवरों के मालिक हैं, वह किसी भी तनासुब से मालिक हों, आइद होने वाली ज़कात उसी तनासुब से उनको देनी पड़ेगी बशर्ते कि वह जानवर एक ही बाड़े में रहते हों, उनका चरवाहा और दीगर अख़राजात मुश्तरका तौर पर होते हों। गोया ज़ाहिरन उनमें कोई इम्तियाज़ न हो तो उनकी ज़कात मुश्तरका वसूल की जायेगी। (12) चाँदी या करेन्सी की ज़कात का मसला हदीस: 2447 के तहत बयान हो चुका है।

बाब : (6)
ऊँटों की ज़कात न देने वाले की सज़ा

باب : (٦) مَانِعِ زَكَاةِ الإِبِلِ

(2450) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर ऊँटों के मालिक ने उनका हक़ अदा नहीं किया होगा (उनकी ज़कात न दी होगी) तो वह ऊँट (क़यामत के दिन) बेहतरीन मोटापे की हालत में उस पर

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ،

يُحَدِّثُ بِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَأْتِي الإِبِلُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هِيَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا - قَالَ - وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ أَلاَ لاَ يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ . فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ . أَلاَ لاَ يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ . فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ - قَالَ - وَيَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ أَنَا كَنْزُكَ فَلاَ يَزَالُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أُصْبُعَهُ" .

आयेंगे और उसे अपने पाँव से रौंदेंगे। और अगर बकरियों के मालिक ने उनका हक़ अदा नहीं किया होगा (उनकी ज़कात न दी होगी) तो वह बकरियाँ (क़यामत के दिन) बेतरीन मोटापे की हालत में उस पर आयेंगी, उसे अपने खुरों से मसलेंगी और अपने सींगों से उसे टक्करें मारेंगी।' फ़रमाया: 'और उन जानवरों में ये हक़ भी है कि जब वह पानी पीने जायें तो (वहाँ मौजूद फ़ुक़रा को) उनका दूध दूह कर दिया जाये। ख़बरदार! ऐसा न हो कि क़यामत के दिन तुममें से कोई शख़्स अपनी गर्दन पर ऊँट उठाये हुये आये और वह ऊँट बिलबिला रहा हो। वह कहे: ऐ मुहम्मद! (मेरी मदद फ़रमाइये) और मैं कह दूँ कि मैं तेरे बारे में कोई इख़्तियार नहीं रखता। मैंने तुम्हें तब्लीग़ कर दी थी। ख़बरदार! ऐसा न हो कि तुममें से कोई शख़्स क़यामत के दिन अपनी गर्दन पर बकरी उठा कर लाये, वह बकरी मिम्या रही हो और वह कहे: ऐ मुहम्मद! (मेरी मदद फ़रमाइये) और मैं कह दूँ कि मैं तेरे बारे में कोई इख़्तियार नहीं रखता। मैंने तुम्हें तब्लीग़ कर दी थी, और आपने फ़रमाया: उन (लोगों) का ख़ज़ाना (जिसकी ज़कात न दी गई हो) क़यामत के दिन गंजे साँप की सूरत इख़्तियार करेगा। उसका मालिक उससे भागेगा लेकिन वह उसे तलाश करेगा और कहेगा: मैं तेरा ख़ज़ाना हूँ। वह उसी तरह उसका पीछा करता रहेगा यहाँ तक कि वह अपनी ऊँगलियाँ उस (साँप) के मुँह में डाल देगा।'

(2450) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1402, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2228.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ये हक़ भी है' और ये हक़ ज़कात के अलावा है। ये अगरचे वाजिब तो नहीं मगर उसकी अदायगी भी अहम है। क़यामत के दिन अज़ाब तो ज़कात न देने ही पर होगा, मगर इस क़िस्म के हुक़ूक़ को अदा न करना भी मुरव्वत और इन्सानियत के ख़िलाफ़ है जो दुनिया में क़ाबिले मज़म्मत है, ख़ुसूसन अगर कोई फ़क़ीर इस क़द्र भूखा हो कि ये दूध उसकी मजबूरी हो तो फिर उसकी जान बचाना फ़र्ज़ है। ऐसे मौक़े पर ये हक़ भी फ़र्ज़ बन जायेगा। **(2)** 'ख़ज़ाना जिस की ज़कात अदा न की गई हो।' अगर ज़कात अदा कर दी जाये तो वह ख़ज़ाना रखा जा सकता है बशर्ते कि दूसरे ज़रूरी हुक़ूक़ भी पूरे किये जायें, जैसे: वालिदैन से हुस्ने सुलूक, मेहमान की ख़िदमत, फ़क़ीर की हाजत बरारी वग़ैरह। हज़रत अबू ज़र (ﷺ) का मौक़िफ़ है कि रोज़मर्रा की ज़रूरियात से ज़्यादा जमाशुदा भी कन्ज़ ही है जिसके बारे में मज़्कूरा बाला वईद नाज़िल हुई है। उनका इस सिलसिले में तशद्दुद, नुसूस और सहाबा के इज्माई तर्ज़े अमल से मुताबिक़त नहीं रखता, अलबत्ता इसे वरअ और औला होने पर महमूल किया जायेगा।

बाब : (7) जब ऊँट घर वालों के दूध और सवारी वग़ैरह के लिये हों तो उन पर ज़कात नहीं

باب : (٧) سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَنِ الإِبِلِ، إِذَا كَانَتْ رِسْلاً لأَهْلِهَا وَلِحُمُولَتِهِمْ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لاَ تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا لَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لاَ يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا شَىْءٌ " .

(2451) हज़रत बहज़ बिन हकीम के दादा ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना: 'बाहर चरने वाले ऊँटों की ज़कात हर चालीस ऊँटों में एक बिन्ते लबून (दो बरस की ऊँटनी) है। ऊँटों को उनके हिसाब व मिक़्दार से इधर उधर न किया जाये। जो आदमी सवाब हासिल करने के लिये ज़कात देगा, उसे उसका सवाब मिलेगा और जो न देगा, हम उससे ज़कात तो (बहर सूरत) वसूल करेंगे और उसके निस्फ़ ऊँट भी ज़ब्त कर लेंगे। ज़कात हमारे रब के फ़राइज़ में से एक फ़रीज़ा है और मुहम्मद (ﷺ) के ख़ानदान के लिये ज़र्रा भर ज़कात भी जायज़ नहीं।'

(2451) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 2446, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2229.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) ने बाब वाला मसला 'चरने वाले ऊँटों' से इस्तिम्बात किया है क्योंकि जो ऊँट घरेलू ज़रूरियात के लिये होते हैं, उन्हें घर में रखा जाता है और उन्हें चारा डाला जाता है। और उनमें वाक़ेअतन ज़कात नहीं। ऊँटों के अलावा भी जो चीज़ इन्सान की ज़ाती ज़रूरियात के लिये हो, उसमें ज़कात नहीं, ख़्वाह वह कितनी ही क़ीमती क्यों न हो? **(2)** 'इधर उधर न किया जाये' इसका दूसरा मफ़्हूम भी हो सकता है जो हदीस: 2449 के फ़ायदा: 10 में बयान हुआ है। तफ़्सील के लिये देखिये: (हदीस: 2446)

बाब : (8)
गायों की ज़कात

باب : (٨) زَكَاةِ الْبَقَرِ

(2452) हज़रत मुआज़ (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें (मुझे) यमन की तरफ़ (हाकिम बनाकर) भेजा और हुक्म दिया कि हर ग़ैर मुस्लिम बालिग़ से एक दीनार (बतौर जिज़्या) लूँ या उसके बराबर मुआफ़िरी कपड़ा। और हर तीस गायों में से तबीआ (दूसरे साल में दाख़िल बछड़ा या बछड़ी) और हर चालीस गायों में से दो दाँत वाला बछड़ा या बछड़ी (बतौर ज़कात) वसूल करूँ।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، - وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهِلٍ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ، . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ وَمِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً " .

(2452) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 1578, तिर्मिज़ी, हदीस: 623, इब्ने माजा, हदीस: 1803, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2230, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, व इब्ने हिब्बान, वल हाकिम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) चूंकि यमन में अहले किताब की एक बड़ी तादाद रिहाइश पज़ीर थी, लिहाज़ा उन पर जिज़्या लागू किया गया। 'जिज़्या' वह टेक्स है जो मुसलमान हुकूमत ग़ैर मुस्लिम रिआया से उनकी हिफ़ाज़त और दीगर सहूलियात के ऐवज़ वसूल करती है। **(2)** 'मआफ़िरी कपड़ा' ये एक मख़्सूस कपड़ा था जो यमन में तैयार होता था। धारीदार होता था। पहनने के लिये बेहतरीन चादरें थीं। अगर कोई जिज़्या रक़म की सूरत में न दे सके तो उसके ऐवज़ दीनार की क़ीमत की कोई और चीज़ भी दे सकता था। **(3)** गायों की ज़कात में मुज़क्कर (नर) और मुअन्नस (मादा) बराबर हैं क्योंकि दोनों

अपनी अपनी ख़ुसूसियात की बिना पर मसावी क़ीमत रखते हैं। मुअन्नस बच्चे देती है तो मुज़क्कर खेती बाड़ी का अहम काम करते हैं। मुअन्नस इससे आजिज़ है। बख़िलाफ़ ऊँटों और बकरियों के कि उनमें मुअन्नस बच्चे और दूध देने के अलावा कामकाज में मुज़क्कर के बराबर हैं, लिहाज़ा मुअन्नस क़ीमती हैं। (4) चालीस गायों से ऊपर हों तो उनके तीस और चालीस के हिस्से बनाये जायेंगे। हर तीस में एक साला और हर चालीस में दो साला बछड़ा या बछड़ी ज़कात होगी, जैसे: 60 में दो एक साला, 70 में एक दो साला और एक एक साला, 80 में दो दो साला, 90 में तीन एक साला, 100 में दो एक साला और एक दो साला बछड़ा या बछड़ी ज़कात होगी।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، - وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ - قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَالأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ قَالَ مُعَاذٌ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ .

(2453) हज़रत मुआज़ (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यमन की तरफ़ (हाकिम बनाकर) भेजा और मुझे हुक्म दिया कि मैं हर चालीस गायों में से एक दो साला (दो दाँता) और हर तीस में से एक साला बछड़ा या बछड़ी ज़कात वसूल करूँ, और हर बालिग़ (यहूदी वग़ैरह) से एक दीनार या उसके बराबर यमनी कपड़ा (बतौर जिज़्या) वसूल करूँ।

(2453) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2231.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ .

(2454) हज़रत मुआज़ (ﷺ) से मरवी है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें (मुझे) यमन की तरफ़ भेजा तो हुक्म दिया कि हर तीस गायों में से एक साला बछड़ा या बछड़ी और हर चालीस गायों में से एक दो साला (दो दाँता) वसूल करूँ और हर (ग़ैर मुस्लिम) बालिग़ से एक दीनार या उसके बराबर मआफ़िरी कपड़ा (बतौर जिज़्या) वसूल करूँ।

(2454) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2233.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لاَ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ .

(2455) हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जब मुझे यमन भेजा तो मुझे हुक्म दिया कि मैं गायों से ज़कात न लूँ यहाँ तक कि वह तीस हो जायें। जब तीस हो जायें तो चालीस तक उनमें से जज़आ (दूसरे साल में दाख़िल) नोजवान बछड़ा या बछड़ी ज़कात होगी। और जब वह चालीस हो जायें तो उनमें दो साला (दो दाँता) गाय (मुज़क्कर या मुअन्नस) ज़कात होगी।

(2455) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 1576, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2233.

फ़ायदा : हज़रत मुआज़ (ﷺ) से मरवी मज़्कूरा चारों अहादीस को मुहक़्क़िके किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन में से कुछ ने हसन और कुछ ने सही क़रार दिया है और उन्होंने इसके शवाहिद भी बयान किये हैं जिससे मालूम होता है कि मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद क़ाबिले अमल और क़ाबिले हुज्जत है। मज़्कूरा रिवायात की इस्नादी बहस और उनमें मज़्कूरा मसले की तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 22/108-117, वलमौसूआ अलहदीसीया मुसनद इमाम अहमद: 7/21-23, व 36/329-23, व इर्वाउल ग़लील: 3/268-271, रक़म: 795)

باب : (٩) مَانِعِ زَكَاةِ الْبَقَرِ

बाब : (9) गायों की ज़कात न देने वाले की सज़ा

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى

(2456) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो भी ऊँटों, गायों या बकरियों का मालिक उनका हक़ (उनकी ज़कात) नहीं देगा, उसे क़यामत के दिन एक हमवार खुले मैदान में खड़ा किया

जायेगा। खुरों वाले जानवर उसे अपने खुरों से कुचलेंगे और सींगों वाले जानवर उसे अपने सींगों से टक्करें मारेंगे। उनमें कोई भी बग़ैर सींगों के न होगा और न किसी के सींग टूटे हुये होंगे।' हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ज़कात के अलावा) उनमें और क्या हक़ हैं? आपने फ़रमाया: 'नर जुफ़्ती के लिये देना, पानी निकालने के लिये डोल देना और अल्लाह के रास्ते में (जिहाद के लिये और फ़क़ीर वग़ैरह ज़रूरतमन्द को) बोझ लादने और सवारी के लिये देना। इसी तरह रूपये पैसे वाला अगर उनकी ज़कात नहीं देगा तो क़यामत के दिन वह उसके लिये एक गंजा साँप बना दिया जायेगा, मालिक उससे भागेगा लेकिन वह साँप उसके पीछे दौड़ेगा और कहेगा: मैं तेरा वह ख़ज़ाना हूँ जिसके साथ तू बुख़्ल करता था। जब मालिक को यक़ीन हो जायेगा कि उससे बचने का कोई चारा नहीं तो वह अपना हाथ उसके मुँह में डाल देगा। वह उसको इस तरह चबायेगा जिस तरह ऊँट चबाता है।'

(2456) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 988/28, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2234.

الله عليه وسلم " مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ وُقِفَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الأَظْلاَفِ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقُرُونِ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلاَ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ " . قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاذَا حَقُّهَا قَالَ " إِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ صَاحِبِ مَالٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهُ إِلاَّ يُخَيَّلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ يَقُولُ لَهُ هَذَا كَنْزُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ " .

बाब : (10)
बकरियों की ज़कात

باب : (١٠) زَكَاةِ الْغَنَمِ

(2457) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने उन्हें लिखा कि ये वह मुक़र्ररा सदक़ात हैं जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुसलमानों पर लागू फ़रमाये

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّسَائِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، رضى الله عنه كَتَبَ لَهُ أَنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ

हैं और जिनका अल्लाह तआला ने अपने रसूल(ﷺ) को हुक्म दिया है। जिस मुसलमान से ज़कात सही हिसाब से तलब की जाये तो वह ज़रूर दे और जिससे ज़्यादा माँगी जाये तो वह न दे। पच्चीस से कम ऊँटों में ज़कात हर पाँच ऊँटों में एक बकरी होगी। जब ऊँट पच्चीस हो जायें तो पैंतीस तक उनमें बिन्ते मख़ाज़ ज़कात आयेगी। अगर बिन्ते मख़ाज़ मयस्सर न हो तो मुज़क्कर इब्ने लबून दिया जाये। जब ऊँट छत्तीस हो जायें तो पैंतालीस तक बिन्ते लबून ज़कात आयेगी। जब छियालीस हो जायें तो साठ तक एक हिक्क़ा ज़कात होगी जो नर के क़ाबिल हो। जब इकसठ हो जायें तो पचहत्तर तक जज़आ ज़कात होगी। जब छिहत्तर हो जायें तो नव्वे तक दो बिन्ते लबून ज़कात आयेगी। और जब इकानवे हो जायें तो एक सौ बीस तक दो हिक़्क़े ज़कात होगी जो नर के क़ाबिल हों। जब ऊँट एक सो बीस से बढ़ जायें तो हर चालीस में बिन्ते लबून और हर पचास में हिक्क़ा ज़कात होगी। और जब ऊँटों की उमरें मुख़्तलिफ़ हों (मुक़र्ररा उमर के ऊँट न मिल सकें) तो जिस शख़्स के ज़िम्मे जज़आ ज़कात बनती है लेकिन उसके पास जज़आ न हो बल्कि हिक्क़ा हो तो उससे हिक्क़ा ही ली जायेगी। और वह उसके साथ दो बकरियाँ भी देगा, अगर उसे मयस्सर हों, वरना बीस दिरहम देगा। और जिस शख़्स के ज़िम्मे हिक्क़ा ज़कात बनती है मगर उसके पास जज़आ ही है तो उससे जज़आ ही ली जायेगी और सदक़ा वसूल करने वाला उसे बीस

عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ

दिरहम या दो बकरियाँ वापस करेगा। और जिस शख़्स के ज़िम्मे हिक्क़ा ज़कात बनती हो मगर उसके पास हिक्क़ा न हो बल्कि बिन्ते लबून हो तो वही ली जायेगी और उसके साथ वह दो बकरियाँ देगा, अगर उसे मयस्सर हों, वरना बीस दिरहम देगा। और जिस शख़्स के ज़िम्मे बिन्ते लबून बनती हो मगर उसके पास हिक्क़ा ही हो तो उससे वही ली जायेगी और सदक़ा वसूल करने वाला उसे बीस दिरहम या दो बकरियाँ देगा। और जिस शख़्स के ज़िम्मे बिन्ते लबून ज़कात बनती हो, लेकिन उसके पास बिन्ते लबून न हो बल्कि बिन्ते मख़ाज़ हो तो उससे वही ले ली जायेगी और उसके साथ वह दो बकरियाँ देगा, अगर उसे मयस्सर हों, वरना बीस दिरहम देगा। और जिस शख़्स के ज़िम्मे बिन्ते मख़ाज़ ज़कात बनती हो लेकिन उसके पास मुज़क्कर इब्ने लबून ही हो तो वही उससे लिया जायेगा, अलबत्ता उसके साथ उसे कुछ न मिलेगा। और जिस आदमी के पास सिर्फ़ चार ऊँट हों तो उसमें कोई ज़कात नहीं मगर ये कि मालिक ख़ुद देना चाहे। और बकरियों की ज़कात जब वह जंगल में चरने वाली हों और चालीस हों तो एक सौ बीस तक उनमें एक बकरी होगी। अगर एक भी ज़्यादा हो जाये तो दो सो तक दो बकरियाँ होंगी। जब एक भी बढ़ जाये तो तीन सो तक तीन बकरियाँ होंगी। जब एक भी ज़्यादा हो जाये तो हर सौ में एक बकरी होगी। ज़कात में बूढ़ा या काना (ऐब वाला) जानवर न लिया जायेगा। और मुज़क्कर बकरा भी नहीं लिया

فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا .

जायेगा मगर ये कि स़दक़ा वसूल करने वाला लेना चाहे। अलग अलग रहने वाले जानवरों को ज़कात के डर से इकट्ठा नहीं किया जायेगा और इकट्ठे रहने वाले जानवरों को अलग अलग नहीं किया जायेगा। और जो ज़कात दो शरीक मालिकों से वसूल की जायेगी, वह अपने अपने जानवरों के लिहाज़ से तक़्सीम कर लेंगे। और जब चरने वाली बकरियाँ चालीस से एक भी कम हों तो उनमें कोई ज़कात नहीं मगर ये कि मालिक ख़ुद देना चाहे। और चाँदी में चालीसवाँ हिस्सा ज़कात है। अगर रक़म स़िर्फ़ एक सौ नव्वे दिरहम हो तो उसमें कोई ज़कात नहीं मगर ये कि मालिक ख़ुद देना चाहे।

(2457) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2449, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2235.

फ़ायदा : तफ़्सीली मबाहिस़ के लिये देखिये फ़वाइद हदीस़: 2449.

بَابُ : (۱۱) مَانِعِ زَكَاةِ الْغَنَمِ

बाब : (11) बकरियों की ज़कात न देने वाले की सज़ा

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا

(2458) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो भी ऊँटों, गायों या बकरियों का मालिक उनकी ज़कात अदा नहीं करेगा तो क़यामत के दिन वह जानवर उस जसामत और मोटापे से बढ़ कर आयेंगे जो (दुनिया में) थी। अपने सींगों से उसे टक्करें मारेंगे और अपने खुरों से उसे रौंदेंगे। जब उनमें से आख़री गुज़र जायेगा तो पहले को दोबारा लाया जायेगा। और उसके साथ

كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفَذَتْ أُخْرَاهَا أَعَادَتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ " .

यही सुलूक होता रहेगा यहाँ तक कि लोगों के दरम्यान फ़ैसला कर दिया जाये।'

(2458) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 990, बुख़ारी: 1460, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2236.

باب : (١٢) الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ

बाब : (12) अलग अलग जानवरों को इकट्ठा या इकट्ठे जानवरों को अलग अलग करना (मना है)

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لاَ نَأْخُذَ رَاضِعَ لَبَنٍ وَلاَ نَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ نُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ " . فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَقَالَ " خُذْهَا " . فَأَبَى

(2459) हज़रत सुवैद बिन ग़फ़ला (ﷺ) ने फ़रमाया: हमारे पास नबी (ﷺ) की तरफ़ से ज़कात वसूल करने वाला शख़्स आया। मैं उसके पास आया और बैठा। मैंने उसे ये कहते हुये सुना कि मुझसे ये अहद लिया गया है कि हम दूध पीता बच्चा या दूध वाला जानवर ज़कात में नहीं लेंगे और अलग अलग जानवरों को इकट्ठा नहीं करेंगे और इकट्ठे जानवरों को अलग अलग नहीं करेंगे। एक शख़्स उनके पास ऊँची कोहान वाली (बेहतरीन) ऊँटनी लाया और कहने लगा: ये ज़कात में ले लो। उसने इन्कार कर दिया।

(2459) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 1579, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2237, अबी दाऊद, हदीस: 1580.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िके किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है और मज़ीद लिखा है कि इसके शवाहिद हैं, ताहम शवाहिद पर सेहत और ज़ुअफ़ का हुक्म नहीं लगाया जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन में से कुछ ने इस रिवायत को हसन कहा है और कुछ ने सही और इसके मुताबिआत और शवाहिद ज़िक्र किये हैं जिससे मालूम होता है कि मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद क़ाबिले अमल और क़ाबिले हुज्जत है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई, 22/124-127, वलमौसूआ अलहदीसीया मुसनद इमाम अहमद: 31/132, 133, व सहीह

सुनन नसाई: (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी, रक़म: 1409) **(2)** ज़कात में दरम्याना जानवर लिया जायेगा ताकि मालिक का नुक़सान हो न फ़ुक़रा का। दूध पीता बच्चा फ़ुक़रा के लिये नुक़सानदेह है और दूध देने वाला जानवर देना मालिक के लिये नुक़सानदेह है। कुछ अहले इल्म ने ये मानी किये हैं कि हम उस जानवर की ज़कात नहीं लेंगे जो दूध के लिये रखा गया हो क्योंकि ऐसा जानवर चरने वाला नहीं होता बल्कि उसे ख़ुसूसी चारा डाला जाता है। **(3)** अलग जानवरों को इकट्ठा करना या इकट्ठे जानवरों को अलग अलग करना जिस तरह मालिक के लिये जायज़ नहीं, उसी तरह ज़कात वसूल करने वाले के लिये भी जायज़ नहीं, जैसे: दो भाईयों की अलग अलग तीस तीस बकरियों को मिलाकर ज़कात वसूल नहीं की जायेगी। **(4)** 'उसने इन्कार कर दिया' क्योंकि ऐसी क़ीमती चीज़ ज़कात में लेना जायज़ नहीं।

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَزِيدَ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزَّرْقَاءِ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَاعِيًا فَأَتَى رَجُلاً فَآتَاهُ فَصِيلاً مَخْلُولاً فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّ فُلاَنًا أَعْطَاهُ فَصِيلاً مَخْلُولاً اللَّهُمَّ لاَ تُبَارِكْ فِيهِ وَلاَ فِي إِبِلِهِ " . فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَجَاءَ بِنَاقَةٍ حَسْنَاءَ فَقَالَ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِهِ " .

(2460) हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने एक शख़्स को ज़कात वसूल करने के लिये भेजा। वह एक शख़्स के पास आया तो उसने उसे एक कमज़ोर सा ऊँट का बच्चा दिया तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया 'हमने अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से एक शख़्स को सदक़ा वसूल करने के लिये भेजा लेकिन फ़ुलां शख़्स ने उसे ये कमज़ोर सा ऊँट का बच्चा दिया है। ऐ अल्लाह! उसमें और उसके ऊँटों में बरकत न फ़रमाना।' आपकी ये बात उस शख़्स को पहुँची तो वह एक ख़ूबसूरत ऊँटनी लेकर आया और अ़र्ज़ परदाज़ हुआ कि मैं अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल (ﷺ) के सामने तौबा करता हूँ और माफ़ी माँगता हूँ। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! इसमें और इसके ऊँटों में बरकत फ़रमा।'

(2460) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 4/157, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2238, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2274, वल हाकिम अ़ला शर्ते मुस्लिम: 1/400, देखें, हदीस: 1027.

फ़ायदा : मुहक़्क़िक़े किताब ने मज़्कूरा रिवायत को सुफ़ियान सौरी की वजह से सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है क्योंकि सुफ़ियान सौरी मुदल्लिस हैं जबकि दीगर अइम्मा व मुहक़्क़िक़ीन ने उनकी तद्लीस के बावजूद उनकी रिवायात को क़बूल किया है, लिहाज़ा उनकी तद्लीस ज़रर रसाँ नहीं। इसलिये हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने उन्हें तबक़ातुल मुदल्लिसीन में, मुदल्लिसीन के दूसरे तबक़े में शुमार किया है। देखिये: (तबक़ातुल मुदल्लिसीन, सफ़ा: 21, तबआ दारुल बयान) याद रहे दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इस रिवायत को सहीहुल इस्नाद क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 22/127-129, व सहीह सुनन नसाई लिल अल्बानी, रक़म: 2457)

बाब : (13) हाकिम का, सदक़ा देने वाले के लिये दुआ करना

باب : (١٣) صَلاَةِ الإِمَامِ عَلَى صَاحِبِ الصَّدَقَةِ

(2461) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा(رضي الله عنه) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास कोई क़ौम अपने मालों की ज़कात लेकर आती तो आप फ़रमाते: 'ऐ अल्लाह! फ़ुलां की आल पर रहमत नाज़िल फ़रमा।' मेरे वालिदे मोहतरम आपके पास अपनी ज़कात लेकर गये तो आपने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! अबू औफ़ा के ख़ानदान पर रहमत नाज़िल फ़रमा।'

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ " . فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى " .

(2461) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1497, मुस्लिम, हदीस: 1078, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2239.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) की दुआ चूंकि मोजिबे रहमत थी, इसलिये आपको ख़ुसूसी हुक्म दिया गया कि जब कोई ज़कात लेकर आये तो उसके लिये रहमत की दुआ फ़रमायें। इससे उन्हें दिली सुकून हासिल होगा। और अल्लाह की रहमत मुस्तज़ाद होगी। आज कल ये फ़रीज़ा हुक्काम के बजाये उलमा पर लागू होता है क्योंकि हुकूमत ज़कात वसूल नहीं करती। वैसे भी (इन्नल उलमा वरसतुल अम्बिया) 'उलमा अम्बिया के वारिस हैं।' (सहीह बुख़ारी, (मुअल्लक़न) बाब: 10, व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2641)

बाब : (14) जब कोई सदक़ा वसूल करने वाला हद से तजावुज़ करे तो?

باب: (١٤) إِذَا جَاوَزَ فِي الصَّدَقَةِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلاَلٍ، قَالَ قَالَ جَرِيرٌ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينَا نَاسٌ مِنْ مُصَدِّقِيكَ يَظْلِمُونَ . قَالَ " أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ " . قَالُوا وَإِنْ ظَلَمَ قَالَ " أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ " . ثُمَّ قَالُوا وَإِنْ ظَلَمَ قَالَ " أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ " . قَالَ جَرِيرٌ فَمَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ وَهُوَ رَاضٍ

(2462) हज़रत जरीर (ﷺ) से रिवायत है कि कुछ आराबी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये और कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! आपकी तरफ़ से ज़कात वसूल करने वाले लोग हमारे पास आते हैं और वह ज़ुल्म करते हैं। आपने फ़रमाया: 'सदक़ा वसूल करने वालों को राज़ी करो।' उन्होंने कहा: अगरचे वह ज़ुल्म करे? आपने फ़रमाया: 'सदक़ा वसूल करने वालों को राज़ी करो।' वह फिर कहने लगे: अगरचे वह ज़ुल्म करे? आपने फ़रमाया: 'सदक़ा वसूल करने वालों को राज़ी करो।' हज़रत जरीर (ﷺ) ने कहा: जबसे मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये बात सुनी तो मेरे पास से कोई सदक़ा वसूल करने वाला शख़्स नाराज़ होकर नहीं गया, बल्कि ख़ुश ख़ुश गया।

(2462) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 989, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2240.

फ़ायदा : आम लोग ज़कात की मिक़्दार की तफ़्सीलात से आगाह नहीं होते, इसलिये वह समझते हैं कि ज़कात वसूल करने वाला ज़्यादा ले रहा है। वैसे भी ज़कात देते वक़्त ये एहसास ग़ालिब रहता है, इसलिये आपने ज़कात के तअय्युन का इख़्तियार अवामुन्नास को नहीं दिया बल्कि वसूल करने वालों को ये इख़्तियार दिया क्योंकि वह ज़कात की तफ़्सीलात से बख़ूबी वाक़िफ़ होते हैं। लोगों को हुक्म दिया गया कि उनके मुतालबे के मुताबिक़ उन्हें ज़कात अदा करें। अगर कोई शिकायत हो तो हाकिमे बाला के पास जायें और फ़ैसला हासिल करें। लेकिन अगर हर आदमी को मुज़ाहमत का इख़्तियार दे दिया जाये तो इन्तेज़ामी अफ़रा तफ़री फैल जायेगी और मुल्क अब्तरी का शिकार हो जायेगा। इस हदीस का ये मतलब नहीं कि ज़कात वसूल करने वालों को मनमानी की इजाज़त है।

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - قَالَ أَنْبَأَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ قَالَ جَرِيرٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ " .

(2463) हज़रत जरीर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब ज़कात वसूल करने वाला (सरकारी आदमी) तुम्हारे पास ज़कात लेने के लिये आये तो वह तुमसे ख़ूश ख़ूश वापस जाये।'

(2463) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 989/177, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2241.

باب : (١٥) إِعْطَاءِ السَّيِّدِ الْمَالَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْمُصَدِّقِ

बाब : (15)
मालिक ज़कात अपनी मर्ज़ी से देगा, सदक़ा लेने वाला अपनी मर्ज़ी नहीं करेगा

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ، قَالَ اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ، فَبَعَثَنِي أَبِي إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ لآتِيَهُ بِصَدَقَتِهِمْ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ يُقَالُ لَهُ سَعْرٌ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ . قَالَ ابْنَ أَخِي وَأَىَّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ قُلْتُ نَخْتَارُ حَتَّى إِنَّا لَنَشْبُرُ ضُرُوعَ الْغَنَمِ . قَالَ ابْنَ أَخِي فَإِنِّي أُحَدِّثُكَ أَنِّي كُنْتُ فِي

(2464) हज़रत मुस्लिम बिन सफ़िना बयान करते हैं कि इब्ने अल्क़मा (हाकिम) ने मेरे वालिद को उनकी क़ौम का नम्बरदार (या सरदार) बनाया और उन्हें हुक्म दिया कि वह अपनी क़ौम से ज़कात वसूल करें। तो मेरे वालिद ने मुझे एक क़बीले की तरफ़ भेजा ताकि मैं उनकी ज़कात लेकर आऊँ। मैं गया यहाँ तक कि एक बुज़ुर्ग के पास पहुँचा जिन्हें हज़रत सअर कहा जाता था। मैंने कहा: मुझे वालिदे मोहतरम ने तुम्हारी तरफ़ भेजा है ताकि आप अपनी बकरियों की ज़कात अदा कर दें। वह फ़रमाने लगे: ऐ भतीजे! तुम किस क़िस्म की बकरियाँ लेते हो? मैंने कहा: हम चुन कर लेते हैं यहाँ तक कि उनके थन बालिश्त के साथ माप कर देखते हैं। वह फ़रमाने लगे: ऐ भतीजे! मैं तुझे बताता हूँ कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौरे मुबारक में इन वादियों में

से किसी वादी में रहता था। मेरे पास बकरियाँ होती थीं। मेरे पास दो आदमी ऊँट पर सवार होकर आये और कहने लगे: हम आपकी तरफ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ासिद हैं ताकि आप अपनी बकरियों की ज़कात अदा करें। मैंने कहा: मुझ पर इन बकरियों में कितनी ज़कात है? उन्होंने कहा: एक बकरी। एक ऐसी बकरी जिसकी क़द्रो मन्ज़िलत मैं जानता था, मैंने वह ख़ालिस दूध और चर्बी से भरी हुई (बेहतरीन मोटी ताज़ी दूध वाली) बकरी पकड़ी और उनके पास ले आया। वह कहने लगे: ये तो बच्चे वाली है और हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बच्चे वाली बकरी लेने से मना किया है। मैं एक साल भर उम्र की गाभिन बकरी, जिसने बच्चा नहीं जना था जो कि जनने के क़रीब थी, को (रेवड़ से) निकाल कर उनके पास लाया तो वह कहने लगे: ये ठीक है। हमें पकड़ा दो। उन्होंने उसे अपने साथ ऊँट पर लादा और चले गये।

(2464) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 1581, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2242.

شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَنَمٍ لِي فَجَاءَنِي رَجُلاَنِ عَلَى بَعِيرٍ فَقَالاَ إِنَّا رَسُولاَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ ‏.‏ قَالَ قُلْتُ وَمَا عَلَىَّ فِيهَا قَالاَ شَاةٌ ‏.‏ فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا وَشَحْمًا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالاَ هَذِهِ الشَّافِعُ ‏.‏ وَالشَّافِعُ الْحَائِلُ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا قَالَ فَأَعْمِدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ - وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلاَدُهَا - فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالاَ نَاوِلْنَاهَا فَرَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا فَجَعَلاَهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا ثُمَّ انْطَلَقَا ‏.‏

(2465) हज़रत मुस्लिम बिन सफ़िना से रिवायत है कि इब्ने अल्क़मा (हाकिम) ने मेरे वालिदे मोहतरम को अपनी क़ौम की ज़कात वसूल करने के लिये मुक़र्रर फ़रमाया। और फिर साबिक़ा रिवायत बयान फ़रमाई।

(2465) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 1582, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ ثَفِنَةَ، أَنَّ ابْنَ عَلْقَمَةَ، اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى صَدَقَةِ قَوْمِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ ‏.‏

(2466) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया। आपसे कहा गया कि इब्ने जमील, हज़रत ख़ालिद बिन वलीद और हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने ज़कात नहीं दी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इब्ने जमील तो इसलिए नाराज़ है कि वह फ़क़ीर था, अल्लाह तआला ने उसे मालदार बना दिया। रहा ख़ालिद बिन वलीद तो तुम ख़ालिद पर ज़ुल्म करते हो। उन्होंने तो अपनी ज़िरहें और दूसरा जंगी साज़ो सामान अल्लाह तआला के रास्ते में वक़्फ़ कर रखा है। बाक़ी रहे रसूलुल्लाह (ﷺ) के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब तो उनकी ज़कात रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़िम्मे है बल्कि उसके साथ इतनी और है।'

(2466) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1468, मुस्लिम, हदीस: 983/11, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2243, इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2330.

أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ قَالَ وَقَالَ عُمَرُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةٍ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'इब्ने जमील' ये मुनाफ़िक़ शख़्स था। ज़कात को तावान समझता था, इसलिये आपने उसके मुताल्लिक़ ये अल्फ़ाज़ फ़रमाये। कहते हैं कि बाद में उसने तौबा कर ली थी। (2) 'वक़्फ़ कर रखा है' गोया हज़रत उमर (ﷺ) ने उनसे जंगी साज़ो सामान की ज़कात तलब की थी कि शायद ये माल तिजारत के लिये है, हालांकि वह तो फ़ी सबीलिल्लाह वक़्फ़ था और वक़्फ़ माल में ज़कात नहीं होती। या नबी-ए-अकरम (ﷺ) का मतलब ये है कि ख़ालिद तो इस क़द्र मुख़्लिस हैं कि उन्होंने अपना सारा जंगी सामान वक़्फ़ कर रखा है, वह ज़कात से इन्कार कैसे कर सकते हैं? ये मतलब भी तो हो सकता है कि उन्होंने ज़कात की रक़म से जंगी सामान ख़रीद कर वक़्फ़ कर दिया है, लिहाज़ा उनसे ज़कात न माँगी जाये। (3) कुछ दूसरी रिवायात से ये बात मालूम होती है कि हज़रत अब्बास (ﷺ) से रसूलुल्लाह (ﷺ) दो साल की ज़कात किसी मुल्की ज़रूरत की वजह से पेशगी वसूल कर चुके थे, लिहाज़ा ये सराहत फ़रमाई वरना हज़रत अब्बास (ﷺ) ज़कात से कैसे इन्कार कर सकते थे?

(2467) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सदक़े का हुक्म दिया। साबिक़ा हदीस की मानिन्द।

(2467) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, व हुवा फ़ी मशीख़ा इब्राहीम बिन तहमान, हदीस: 23, सफ़ा 74, 75.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَدَقَةٍ مِثْلَهُ سَوَاءً .

(2468) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हिलाल सक़फ़ी (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी नबी(ﷺ) के पास आया और कहने लगा: क़रीब था कि मुझे आपकी अदमे मौजूदगी में ज़कात की एक बकरी की वजह से क़त्ल कर दिया जाता। आपने फ़रमाया: 'अगर फ़ुक़रा और मुहाजिरीन (और दूसरे मुस्तहिक़्क़ीन) को ज़कात न दी जाती (उन लोगों को ज़कात देने की मजबूरी न होती) तो मैं ज़कात वसूल ही न करता।''

(2468) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी फ़ी अत्तारीख़ अलकबीर: 5/26, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2245.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كِدْتُ أُقْتَلُ بَعْدَكَ فِي عَنَاقٍ أَوْ شَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ . فَقَالَ " لَوْلاَ أَنَّهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا " .

बाब : (16) घोड़ों की ज़कात

باب : (١٦) زَكَاةِ الْخَيْلِ

(2469) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुसलमान पर उसके (ख़िदमत वाले) गुलाम और (सवारी वाले) घोड़े में कोई ज़कात नहीं।'

(2469) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1463, मुस्लिम, हदीस: 982, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2246.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، وَسُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ " .

फ़ायदा : ये हदीस और दूसरी अहादीस सराहतन घोड़ों में ज़कात की नफ़ी करती हैं, लिहाज़ा सही यही है कि गुलाम और घोड़ा अगर ख़िदमत के लिये हों तो उनमें कोई ज़कात नहीं। तभी तो उनमें कोई निसाब भी मुक़र्रर नहीं, और जो चीज़ ज़ाती ज़रूरियात के ज़िम्न में आती हो, उसमें ज़कात न होना मुसल्लमा उसूल है, मगर अहनाफ़ ने उमूमात या ज़ईफ़ रिवायत से इस्तेदलाल करते हुये इन सरीह अहादीस की नफ़ी की है और घोड़े में (ख़्वाह वह एक ही हो) ज़कात साबित की है जो किसी भी लिहाज़ से मुनासिब नहीं, अलबत्ता तिजारत के घोड़े और गुलामों में क़तअन ज़कात है क्योंकि वह तिजारती सामान में शामिल हैं। इसी तरह गुलाम में सदक़तुल फ़ित्र का ज़िक्र भी सही रिवायत में है, अलबत्ता घोड़े में ज़कात के अलावा दूसरे हुक़ूक़ हो सकते हैं, जैसे: जिहाद में इस्तेमाल करना, सवारी के लिये आरज़ी तौर पर किसी को देना और जुफ़्ती के लिये छोड़ देना वग़ैरह। दूसरी रिवायात को इन्हीं हुक़ूक़ पर महमूल करना चाहिए।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، - وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ - عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ زَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ "

(2470) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुसलमान आदमी पर उसके (ख़िदमत वाले) गुलाम और (सवारी वाले) घोड़े में कोई ज़कात नहीं।'

(2470) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2248.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ " .

(2471) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने नबी (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब करते हुये कहा कि आपने फ़रमाया: 'मुसलमान पर उसके गुलाम और घोड़े में कोई ज़कात नहीं।'

(2471) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 982/9, देखें, हदीस: 2469, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2247.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ خُثَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ

(2472) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी शख़्स पर उसके

أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ فِي فَرَسِهِ وَلاَ فِي مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ " .

घोड़े और गुलाम में कोई ज़कात नहीं।'

(2472) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2469, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2249.

باب : (١٧) زَكَاةِ الرَّقِيقِ

बाब : (17) गुलामों की ज़कात

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ " .

(2473) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुसलमान पर उसके (ख़िदमत वाले) गुलाम और (सवारी वाले) घोड़े में कोई ज़कात नहीं।'

(2473) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2469, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2250, मौता: 1/277.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي غُلاَمِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ " .

(2474) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) का बयान है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुसलमान पर उसके गुलाम और घोड़े में ज़कात नहीं।'

(2474) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2469, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2251.

फ़ायदा : गुलाम के बारे में तो अहनाफ़ भी दीगर जुम्हूर अहले इल्म के साथ मुत्तफ़िक़ हैं कि ख़िदमत वाले गुलाम में ज़कात नहीं क्योंकि किसी भी ज़ाती ज़रूरियात की चीज़ में ज़कात नहीं है, अलबत्ता तिजारत के लिये रखे गये गुलामों में ज़कात है क्योंकि वह तिजारती माल हैं। घोड़े में भी यही ज़ाब्ता लागू होता है, मगर अहनाफ़ ने बग़ैर किसी माक़ूल वजह के घोड़े का हुक्म बदल दिया है।

बाब : (18) चाँदी की ज़कात

باب: (١٨) زَكَاةِ الْوَرِقِ

(2475) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच औक़ियों से कम चाँदी में ज़कात नहीं। न पाँच ऊँटों से कम में सदक़ा है। इसी तरह पाँच वस्क़ से कम ग़ल्ले में भी सदक़ा (उश्र) नहीं।'

(2475) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2253.

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ " .

(2476) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच वस्क़ से कम खजूरों (या दूसरे ग़ल्ला जात) में कोई सदक़ा (उश्र) नहीं और न पाँच औक़ियों से कम चाँदी में ज़कात है और न पाँच ऊँटों से कम में ज़कात है।'

(2476) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1459, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2254, मौता: 1/244, 245.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ " .

(2477) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) का बयान है, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना: 'पाँच वस्क़ से कम खजूरों में कोई सदक़ा (उश्र) नहीं और न पाँच औक़िया से कम चाँदी में कोई ज़कात है। इसी तरह पाँच ऊँटों से कम में भी

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ أَبِي

سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ " .

ज़कात नहीं।'

(2477) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2255.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، - وَكَانَا ثِقَةً - عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، -وَكَانَا ثِقَةً - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ " .

(2478) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) ने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'पाँच औक़ियों (यानी 200 दिरहम) से कम चाँदी में ज़कात नहीं और न पाँच ऊँटों से कम में ज़कात है। इसी तरह पाँच वस्क़ (यानी 16 मन) से कम ग़ल्ले में भी ज़कात नहीं।'

(2478) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2252.

फ़ायदा : यहाँ भी इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) ने हदीस़ के आख़री टुकड़े को तस्लीम नहीं किया। उनके क़ौल के मुताबिक़ ग़ल्ला थोड़ा पैदा हुआ हो या ज़्यादा (यहाँ तक कि एक स़ाअ भी हो) तो उसमें भी ड़श्र लागू होगा, मगर साफ़ नज़र आ रहा है कि ये स़रीह हदीस़ के ख़िलाफ़ है, इसलिये उनके शागिर्दने रशीद ने भी उनकी इस राय की ताईद नहीं की। वल हम्दुलिल्लाहि अ़ला ज़ालिक.

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي

(2479) हज़रत अ़ली (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने घोड़ों और

إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً".

गुलामों की ज़कात माफ़ कर दी है। अब तुम अपने माल (सोना, चाँदी और रक़म) की ज़कात दो सौ दिरहम में से पाँच दिरहम अदा करो।'

(2479) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1574, तिर्मिज़ी, हदीस: 620, व इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2284, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2256.

أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ " .

(2480) हज़रत अली (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने (सवारी के) घोड़ों और (ख़िदमत के) गुलामों में ज़कात माफ़ कर दी है, और दो सौ दिरहम से कम में ज़कात नहीं।'

(2480) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2257.

باب : (١٨) زَكَاةِ الْحُلِيِّ

बाब : (19) ज़ेवरात की ज़कात

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِنْتٌ لَهَا فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ " أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا " . قَالَتْ لاَ . قَالَ " أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ " . قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا

(2481) हज़रत अम्र बिन शुऐब के जद्दे अमजद (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस़ (ﷺ)) से रिवायत है कि इलाक़-ए-यमन की एक औरत अपनी बेटी समेत रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुई। उसकी बेटी के हाथ में सोने के दो भारी कंगन थे। आपने फ़रमाया: 'तू इनकी ज़कात अदा करती है?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'क्या तुझे ये बात पसन्द है कि क़यामत के दिन अल्लाह (عزوجل) तुझे (या तेरी बेटी को) आग के दो कंगन पहनाये?' उस औरत ने वह कंगन फ़ौरन उतार दिये और रसूलुल्लाह(ﷺ) की तरफ़ फेंक दिये और कहने लगी: ये अल्लाह

فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم .

तआला और उसके रसूल (ﷺ) के लिये हैं।

(2481) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1563, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2258, तिर्मिज़ी, हदीस: 637.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (ﷺ) अम्र बिन शुऐब के दादा नहीं बल्कि पर दादा हैं। **(2)** 'ये अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) के लिये हैं' यानी ये बैतुलमाल के हैं, अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) के दीन और मर्ज़ी की राह में हैं ताकि सही मस्रफ़ में सर्फ़ कर दिये जायें। अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह (ﷺ) का ज़िक्र दीनन और तबर्रुकन है। आप बैतुलमाल के वाली थे, इसलिये आपका ज़िक्र किया वरना ज़कात और सदक़ा आपने न सिर्फ़ अपने लिये बल्कि पूरे ख़ानदान के लिये हराम कर रखा था .... (ﷺ) **(3)** क्या ज़ेवरात में ज़कात है? इस बारे में उलमा के दो मशहूर क़ौल हैं, कुछ उलमा का कहना है कि ज़ेवरात में ज़कात नहीं और कुछ का क़ौल ये है कि ज़ेवरात में ज़कात वाजिब है दोनों अक़वाल में से दूसरा क़ौल दलाइल के लिहाज़ से ज़्यादा क़वी है और इसकी ताईद चन्द सही रिवायात से भी होती है, लिहाज़ा दुरुस्त मौक़िफ़ यही है कि वह ज़ेवरात जो ज़कात के निसाब को पहुँचें उनकी ज़कात अदा की जायेगी। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 22/179-181) सोने का निसाब 20 दीनार है जैसा कि मरफ़ूअ रिवायत में है। उस दौर में 20 दीनार 200 दिरहम के बराबर थे। आज कल सोने चाँदी के भाव में ये तनासुब नहीं रहा। 20 दीनार का वज़न तक़रीबन साढ़े सात तौले बनता है। उसकी क़ीमत चाँदी के निसाब से बहुत ज़्यादा है, इसलिये कुछ मुहक़्क़िक़ीन ने सोने में भी चाँदी के निसाब ही को मोतबर समझा है, यानी 200 दिरहम या साढ़े बावन तौले चाँदी के बराबर सोना हो तो उसमें ज़कात होगी, मगर ये मौक़िफ़ मरजूह है। जुम्हूर ने इसे क़बूल नहीं किया। वल्लाहु आलम! अलबत्ता उनके बरअक्स अस्रे हाज़िर के कुछ उलमा ने करेन्सी के निसाब में साढ़े बावन तौले चाँदी की क़ीमत के बजाये साढ़े सात तौले सोने की क़ीमत को निसाब बनाने की राय ज़ाहिर की है। ये राय क़ाबिले ग़ौर हो सकती है लेकिन इससे ज़कात का असल मक़सद फ़ौत हो जायेगा। ज़कात का मक़सद तो ग़ुरबा व मसाकीन की इम्दाद और जिहाद और मुजाहिदीन की ज़रूरियात का पूरा करना है। सोने के निसाब को करेन्सी की ज़कात का निसाब मुक़र्रर करने से लाखों अस्हाबे हैसियत ज़कात से मुस्तस्ना क़रार पा जायेंगे, जिसका नुक़सान दीनी इदारों और मुआशरे के ज़रूरतमन्दों को होगा।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا

(2482) हज़रत अम्र बिन शुऐब बयान करते हैं कि एक औरत रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आई।

الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ حُسَيْنًا، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا بِنْتٌ لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ نَحْوَهُ مُرْسَلٌ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالِدٌ أَثْبَتُ مِنَ الْمُعْتَمِرِ .

उसके साथ उसकी एक बेटी भी थी जिसके हाथ में दो कंगन थे। आगे पूरी रिवायत ऊपर दी गई रिवायत की मानिन्द। ये रिवायत मुर्सल, यानी मुन्क़तअ है (क्योंकि अम्र बिन शुऐब वाक़िये के ऐनी शाहिद नहीं)

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान फ़रमाते हैं: (साबिक़ा हदीस़: 2481 का रावी) ख़ालिद (इस हदीस़: 2482 के रावी) मोतमिर से ज़्यादा सिक़ा है।

(2482) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2259.

फ़ायदा : ख़ालिद की रिवायत मुत्तसिल है जबकि मोतमिर की रिवायत मुन्क़तअ है क्योंकि अम्र बिन शुऐब सहाबी हैं न ताबेई बल्कि नीचे तबक़े के रावी हैं, ताहम ये रिवायत भी साबिक़ा हदीस़ की वजह से हसन दर्जे की है।

باب: (٢٠) مَانِعِ زَكَاةِ مَالِهِ

बाब : (20) जो शख़्स अपने माल की ज़कात न दे तो?

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الَّذِي لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ - قَالَ - فَيَلْتَزِمُهُ أَوْ يُطَوِّقُهُ - قَالَ - يَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ " .

(2483) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने माल (सोना, चाँदी और रक़म) की ज़कात अदा नहीं करता, क़यामत के दिन उसके माल को उसके सामने गंजे साँप की सूरत में लाया जायेगा जिसकी आँखों पर दो स्याह नुक़्ते होंगे। वह उसे चिमट जायेगा या उसके गले का तौक़ बन जायेगा और कहेगा: मैं तेरा ख़ज़ाना हूँ। मैं तेरा ख़ज़ाना हूँ।'

(2483) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/156, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2660, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 2257.

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ " . ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ { وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } الآيَةَ .

(2484) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स को अल्लाह तआला माल अता फ़रमाये, फिर वह उसकी ज़कात न दे तो क़यामत के दिन उसके माल को उसके सामने गंजे साँप की सूरत दी जायेगी जिसकी आँखों पर दो स्याह नुक़्ते होंगे। वह उस शख़्स के मुँह के दोनों किनारों को पकड़ लेगा और कहेगा: मैं तेरा माल हूँ। मैं तेरा ख़ज़ाना हूँ, फिर आप (ﷺ) ने ये आयत तिलावत फ़रमाई: (वला यहसबन्ना .....) 'जो लोग उस माल में बुख़्ल करते हैं जो उनको अल्लाह तआला ने अपने फ़ज़्ल व करम से अता फ़रमाया है (वह उस (बुख़्ल) को अपने लिये हरगिज़ बेहतर न समझें बल्कि वह उनके लिये बुरा है और क़यामत के दिन वह माल उनके गले का तौक़ बना दिया जायेगा)'

(2484) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1403, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2661.

फ़ायदा : इस क़िस्म का साँप बहुत ज़हरीला होता है और उसका डसा हुआ बचता नहीं। डरावना भी बहुत होता है। मज़ीद देखिये, हदीस: 2443, 2450.

باب : (٢١) زَكَاةِ التَّمْرِ

बाब : (21) ख़ुश्क खजूरों की ज़कात

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ حَبٍّ أَوْ تَمْرٍ صَدَقَةٌ " .

(2485) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच वस्क़ से कम किसी भी ग़ल्ले में या खजूर में ज़कात नहीं।'

(2485) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2262.

फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस: 2478 और 2480.

बाब : (22) गंदूम की ज़कात

باب : (٢٢) زَكَاةِ الْحِنْطَةِ

(2486) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'गंदूम और खजूर में ज़कात (उश्र) वाजिब नहीं होती यहाँ तक कि वह पाँच वस्क़ हो जायें और चाँदी में ज़कात वाजिब नहीं होती यहाँ तक कि वह पाँच औक़िये (दो सो दिरहम) हो जायें। और ऊँटों में ज़कात वाजिब नहीं होती यहाँ तक कि वह पाँच हो जायें।'

(2486) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2263.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلاَ يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ وَلاَ يَحِلُّ فِي إِبِلٍ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ " .

फ़ायदा : यानी मज़्कूरा मक़ादीर (मात्राएँ) या उनसे ज़्यादा में ज़कात वाजिब होगी, उनसे कम में नहीं। इससे ज़्यादा सरीह रिवायत क्या होगी? मगर अहनाफ़ फिर भी ग़ल्ले और खजूर के क़लील व कसीर में ज़कात के वजूब के क़ाइल हैं। वह इस हदीस के मानी करते हैं कि हुकूमत नहीं लेगी (यानी क़लील में) अलबत्ता मालिक ख़ुद फ़ुक़रा को अदा करें। मगर बाक़ी दो, यानी ऊँटों और चाँदी में वह इस मफ़्हूम के क़ाइल नहीं, लिहाज़ा ये मस्लक दुरुस्त नहीं। और यूँ ज़कात की अदायगी की दो शक्लें इख़्तियार करना शरीयत नहीं, बल्कि ईजादे बन्दा है।

बाब : (23) मुख़्तलिफ़ क़िस्म के ग़ल्लों की ज़कात

باب : (٢٣) زَكَاةِ الْحُبُوبِ

(2487) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी दाने (ग़ल्ले) और खजूर में ज़कात नहीं यहाँ तक कि वह पाँच वस्क़ हो जायें। और पाँच ऊँटों से कम में

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ،

عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ " .

और पाँच औक़ियों से कम चाँदी में भी ज़कात नहीं।'

(2487) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2264.

फ़ायदा : मज़्कूरा मक़ादीर की तफ़्सील के लिये देखिये हदीस: 2447.

باب : (٢٤) الْقَدْرِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ

बाब : (24) कितनी मिक़्दार (मात्रा) में ज़कात वाजिब होती है?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الأَوْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ " .

(2488) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच औक़ियों से कम (चाँदी) में ज़कात नहीं।'

(2488) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1559, इब्ने माजा, हदीस: 1832, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2265.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" .

(2489) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच औक़ियों (200 दिरहम) से कम चाँदी में ज़कात नहीं, न पाँच ऊँटों से कम में ज़कात है और न पाँच वस्क़ से कम ग़ल्ले में ज़कात है।'

(2489) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2266.

बाब : (25) किस ज़मीन में उ़श्र और किस में निस्फ़ उ़श्र वाजिब है?

باب : (٢٥) مَا يُوجِبُ الْعُشْرَ وَمَا يُوجِبُ نِصْفَ الْعُشْرِ

(2490) हज़रत सालिम अपने वालिद (हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ)) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस फ़सल को बारिश, नहरें या चश्मे सैराब करें या वह नमी वाली हो, उसमें दसवाँ हिस्सा ज़कात वाजिब है। और जिस फ़सल को ऊँटों और डोल (राहट वग़ैरह) के ज़रिये से सैराब किया जाये, उसमें बीसवाँ हिस्सा ज़कात वाजिब है।'

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ أَبُو جَعْفَرٍ الأَيْلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي وَالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ " .

(2490) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1483, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2267.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इससे मा क़ब्ल अहादीस में उ़श्र वाली फ़सल का निसाब बयान किया गया था कि कितनी फ़सल में ज़कात आयेगी? इस हदीस में इसकी मिक़्दार बयान की गई है कि कितनी ज़कात आयेगी? **(2)** बाक़ी तमाम चीज़ों में ज़कात साल के बाद वाजिब होती है, जैसे: जानवर सोना, चाँदी, रक़म और सामाने तिजारत, मगर ग़ल्ला और फलों यानी फ़सल की ज़कात उसकी पैदावार के मौक़े पर होती है, इसके लिये एक साल की क़ैद नहीं। उ़मूमन हर फ़सल साल में एक दफ़ा ही होती है, इसलिये गोया इसमें भी ज़कात साल बाद ही हुई, अलबत्ता अदायगी फ़सल की कटाई के मौक़े ही पर वाजिब होती है। **(3)** जानवरों की ज़कात मख़्सूस है जो तफ़्सील से पीछे बयान हुई। सोना, चाँदी, रक़म और सामाने तिजारत की ज़कात कुल मालियत का चालीसवाँ हिस्सा होती है लेकिन फ़सल की ज़कात दसवाँ और बीसवाँ हिस्सा होती है और इसे उ़मूमन उ़श्र कहा जाता है। **(4)** फ़सल की ज़कात पानी के लिहाज़ से है। चूंकि फ़सल पानी के बग़ैर नहीं होती, लिहाज़ा पानी का लिहाज़ नागुज़ीर था। इस सिलसिले में ज़ाब्ता ये है कि जिस पानी के मुहैया करने में कोई मशक़्क़त न हो और न अख़राजात करने पड़े हों, उससे सैराब होने वाली फ़सल का दसवाँ हिस्सा (उ़श्र) बतौर ज़कात देना होगा, जैसे: बारिश, दरयाओं, और चश्मों का पानी अपने आप निज़ामे कायनात के तहत फ़सल तक पहुँचता है, सिर्फ़ पानी को रोकना, मोड़ना और खोलना ही पड़ता है, और ये कोई मशक़्क़त नहीं, कोई ज़्यादा अख़राजात भी नहीं आते, लिहाज़ा इसमें ज़कात की मिक़्दार ज़्यादा रखी गई। और जिस पानी के मुहैया करने में ज़्यादा

मशक़्क़त हो या अख़राजात करने पड़ते हों, उससे सैराब होने वाली फ़सल में बीसवाँ हिस्सा (निस्फ़ उ़श्र) ज़कात लागू होगी, जैसे: कुएँ से पानी निकालना बहुत मशक़्क़त का काम है, ख़्वाह डोल के ज़रिये से निकाला जाये या जानवर के ज़रिये से या ट्यूब वैल के ज़रिये से। इसी तरह अगर पानी दूर से मशकीज़ों या बर्तनों में लाकर फ़सल सैराब करनी पड़े तो भी बहुत मशक़्क़त है, और इसमें अख़राजात भी करने पड़ते हैं और जानवरों को इस्तेमाल करना पड़ता है, लिहाज़ा इनमें ज़कात की मिक़्दार कम रखी गई है। (5) कुछ इलाक़ों में नहरी पानी होता है, अपने आप पहुँचता है मगर आबयाना देना पड़ता है। इसी तरह अगर नहरी पानी के साथ साथ ट्यूब वैल का पानी भी लगाना पड़ता हो जिसमें बहुत अख़राजात आते हैं या फ़सल सिर्फ़ ट्यूब वैल के ज़रिये से सैराब होती हो तो इन सूरतों में बीसवाँ हिस्सा ज़कात होगी। ट्यूब वैल, कूएँ और रहट के हुक्म में है। (6) ज़कात किस फ़सल में है? ये काफ़ी इख़्तेलाफ़ी मसला है, अलबत्ता ग़ल्ला जात पर उ़श्र मुत्तफ़क़ा है। इमाम मालिक (رحمه الله) ने हर उस फ़सल पर ज़कात वाजिब की है जो ख़ूराक हो और उसे ज़ख़ीरा किया जा सके। अहनाफ़ ने मापी और तौली जाने वाली चीज़ में ज़कात वाजिब की है बशर्ते कि उसे ज़ख़ीरा किया जा सके, ख़ूराक होना ज़रूरी नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) ज़ाती तौर पर ज़मीन की हर पैदावार में उ़श्र ज़रूरी ख़्याल फ़रमाते हैं। ज़ख़ीरा हो सके या न हो सके। जुम्हूर अहले इल्म ने ज़ख़ीरा हो सकने को शर्त माना है। बाक़ी रहे वह फल और सब्जियाँ जो ज़ख़ीरा नहीं हो सकते, जुम्हूर के नज़दीक उनमें उ़श्र नहीं, अलबत्ता जिन फलों को किसी तरीक़े से महफ़ूज़ रखा जा सकता है, उनमें उ़श्र है, जैसे: अंगूर को मुनक़्क़ा की सूरत में महफ़ूज़ किया जा सकता है। ख़ूबानियों को भी ख़ुश्क किया जा सकता है। गन्ने को चूंकि चीनी, शक्कर और गुड़ की सूरत में महफ़ूज़ किया जा सकता है, लिहाज़ा इस पर भी उ़श्र है। कपास भी क़ाबिले ज़ख़ीरा चीज़ है, लिहाज़ा इसमें भी उ़श्र है, अलबत्ता इसके निसाब में इख़्तिलाफ़ है। इज्तेहाद के ज़रिये से इसके क़लील व कसीर में फ़र्क़ किया जा सकता है। चारा वग़ैरह जो जानवरों के लिये काश्त किया जाता है, उ़श्र से मुस्तस्ना है क्योंकि ये वक़्ती ज़रूरत के लिये है। (7) इस रिवायत के ज़ाहिर से इस्तेदलाल करते हुये इमाम अबू हनीफ़ा(رحمه الله) ने कहा है कि ज़मीन की हर क़लील और कसीर पैदावार में उ़श्र है, मगर निसाब के बारे में सरीह रिवायात इस इस्तेदलाल के ख़िलाफ़ हैं। ये बहस पीछे गुज़र चुकी है। जब बाक़ी चीज़ों, जैसे: सोने, चाँदी और जानवरों वग़ैरह में निसाब मोतबर है तो क्या वजह है कि फ़सल में निसाब मोतबर न हो?

(2491) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस फ़सल को बारिश, नहरें और चश्मे सैराब करें,

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، وَالْحَارِثُ بْنُ

مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ " .

उसमें दसवाँ हिस्सा ज़कात है। और जिस फ़सल को ऊँटों के ज़रिये से सैराब किया जाये, उसमें बीसवाँ हिस्सा है।'

(2491) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 981, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2268.

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، - وَهُوَ ابْنُ عَيَّاشٍ - عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرَ وَفِيمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ .

(2492) हज़रत मुआज़ (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे यमन की तरफ़ (हाकिम बनाकर) भेजा तो मुझे हुक्म दिया कि मैं बारिश से सैराब होने वाली फ़सल में से दसवाँ हिस्सा और डोल व राहट के ज़रिये से सैराब होने वाली फ़सल से बीसवाँ हिस्सा ज़कात वसूल करूँ।

(2492) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1576, 3038, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2269, तोहफ़तुल अशराफ़: 8/400.

باب : (٢٦) كَمْ يَتْرُكُ الْخَارِصُ

बाब : (26) अन्दाज़ा लगाने वाला कितना छोड़ दे

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ خُبَيْبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ أَتَانَا وَنَحْنُ فِي السُّوقِ فَقَالَ قَالَ

(2493) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन मसऊद बिन नियार से रिवायत है कि हज़रत सहल बिन अबी हस्मा (ﷺ) हमारे पास बाज़ार में तशरीफ़ लाये और कहने लगे: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'जब तुम (उश्र वसूल करते वक़्त फ़सल या फल का) अन्दाज़ा लगाओ तो अन्दाज़े में से तीसरा हिस्सा छोड़ दो। अगर तीसरा हिस्सा न छोड़ो तो चौथा हिस्सा ज़रूर छोड़ दो।'

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدَعُوا الثُّلُثَ - شَكَّ شُعْبَةُ - فَدَعُوا الرُّبُعَ " .

(2493) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1605, तिर्मिज़ी, हदीस: 643, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2270, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 4/442, 2319, 232, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 798, वल हाकिम: 1/402.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हुकूमत जिन फ़सलों या फलों का उ़श्र वसूल करती थी, उनमें तरीक़ेकार ये था कि फ़सल या फल पकने से पहले समझदार माहिर लोग अन्दाज़ा लगाने के लिये भेजे जाते जो ये अन्दाज़ा लगाते कि फ़ुलां आदमी की फ़सल या फल इतना होने की तवक़्क़ो है। इसे 'ख़रस' कहा जाता था। **(2)** ख़रस का फ़ायदा ये होता था कि फल या फ़सल पकने के बाद मालिक खाने खिलाने में आज़ाद होता था। जो चाहे खाये, दूसरों को खिलाये। हुकूमत कटाई के मौक़े पर अन्दाज़े (ख़रस) के मुताबिक़ उ़श्र वसूल कर लेती थी। इस तरीक़े से न मालिक को तंगी होती थी और न हुकूमत को ऐतराज़ का मौक़ा मिलता था। **(3)** अहनाफ़ ख़रस के क़ाइल नहीं कि पता नहीं अन्दाज़ा सही हो या न हो। इस तरह किसी पर ज़ुल्म भी हो सकता है, लिहाज़ा ये सूद वाली इल्लत की बिना पर मना है, मगर वह ये बात नज़र अन्दाज़ कर गये कि इसमें फ़रीक़ैन का फ़ायदा है। बाक़ी रहा ज़ुल्म का इम्कान तो उसका हल रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अगले अल्फ़ाज़ में ख़ुद ही तज्वीज़ फ़रमा दिया है कि अन्दाज़ा लगाने के बाद तीसरे या चौथे हिस्से की रिआयत दी जाये, और ख़ुद रसूलुल्लाह(ﷺ) अपनी हयाते तय्यबा में और ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन अपने अपने अदवारे मुबारका में और आम सहाब-ए-किराम(ؓ) इस पर अमल करते रहे हैं। अगर ये सूद या जूए के मुशाबा होता तो रसूलुल्लाह (ﷺ) इस क़िस्म का इक़्दाम न फ़रमाते और न इसकी इजाज़त मर्हमत फ़रमाते क्या मानेइन रसूलुल्लाह(ﷺ) और सहाब-ए-किराम (ؓ) से ज़्यादा दीन के ख़ैरख़्वाह या उनसे ज़्यादा इल्म वाले हैं? दरअसल शरीयत लोगों की तंगी का भी लिहाज़ा रखती है, जैसे बिल्ली के झूठे का पलीद न होना इसकी, वाज़ेह दलील है। **(4)** 'तीसरा हिस्सा छोड़ दो।' क्योंकि ज़रूरी नहीं अन्दाज़े के मुताबिक़ ही पैदावार हो। जानवर खा जाते हैं, नागहानी आफ़ात से फ़सल और फल का नुक़सान हो सकता है, लोग और साइलीन भी कमी का मोजिब बन सकते हैं, इसलिये मालिक को रिआयत चाहिए। चूंकि हालात मुख़्तलिफ़ होते हैं, लिहाज़ा तीसरे या चौथे हिस्से या उनके माबैन कमी का इख़्तियार दिया ताकि किसी पर ज़्यादती न हो। अगर ज़्यादा नुक़सान हो जाये तो उससे ज़्यादा भी रिआयत देनी पड़ेगी।

बाब : (27) अल्लाह के फ़रमान { وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } की तफ़्सीर

(٢٧) باب : باب قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ }

(2494) हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन हुनैफ़ अल्लाह तआला के फ़रमानः (वला तयम्ममुल ख़बीस मिन्हु तुन्फ़िक़ून) 'तुम (अल्लाह के रास्ते में) ख़र्च करते वक़्त रद्दी चीज़ न दिया करो।' के बारे में फ़रमाते हैं कि इसका मिस्दाक़ जुअ्रूर और लौनु हुबैक़ खजूरें हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़कात में रद्दी और नाक़िस माल वसूल करने से मना फ़रमाया है।

(2494) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2271, अबू दाऊद, हदीस़: 1607, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 2313.

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ حُمَيْدٍ الْيَحْصَبِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، فِي الآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } قَالَ هُوَ الْجُعْرُورُ وَلَوْنُ حُبَيْقٍ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ الرُّذَالَةُ .

फ़ायदा : जुअ्रूर और लौनु हुबैक़ खजूरों की रद्दी क़िस्में हैं। छोटी छोटी खजूरें होती थीं जिनकी कोई वक़्अत न थी, अलबत्ता याद रहे कि अगर पैदावार ही इस क़िस्म की है तो ज़ाहिर है कि ज़कात में भी वही दी जायेंगी। हदीस़ का मतलब ये है कि अगर पैदावार में अच्छी क़िस्म की या मिली जुली खजूरें हों तो ज़कात में रद्दी खजूरें न ली जायें जैसी पैदावार हो, उसके मुताबिक़ ही ज़कात चाहिए ताकि न बैतुलमाल का नुक़सान हो, न मालिक का।

(2495) हज़रत औफ़ बिन मालिक (ؓ) बयान करते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये, आपके हाथ में अ़सा था। कोई शख़्स (मस्जिद में बतौर सदक़ा) रद्दी क़िस्म की खजूर का एक ख़ोशा लटका गया था। आप उस ख़ोशे पर अपनी लाठी मारने लगे और फ़रमायाः 'अगर

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

وَبِيَدِهِ عَصًا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قِنْوَ حَشَفٍ فَجَعَلَ يَطْعَنُ فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ فَقَالَ " لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْ هَذَا إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ حَشَفًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

इस सदक़े वाला चाहता तो इससे अच्छी खजूर का सदक़ा कर सकता था। बिलाशुब्हा इस क़िस्म का सदक़ा करने वाला क़यामत के दिन रद्दी खजूरें ही खायेगा।'

तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1608, इब्ने माजा, हदीस: 1821, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2272, व सहीह इब्ने खुज़ैमा, हदीस: 2467, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 837, वल हाकिम: 4/425, 426.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये सदक़ा नफ़्ल था क्योंकि फ़र्ज़ उश्र तो हुकूमती उम्माल ख़ुद वसूल करते थे। **(2)** 'रद्दी खजूरें ही खायेगा।' यानी उसे रद्दी खजूरों ही का सवाब मिलेगा क्योंकि अल्लाह तआला से धोखा नहीं किया जा सकता। या ये कि उसे वहाँ खाने को रद्दी खजूरें ही मिलें। दूसरा मफ़्हूम ज़ाहिर अल्फ़ाज़ के ज़्यादा क़रीब है।

باب : (٢٨) الْمَعْدِنِ

बाब : (28) खान (माइन्स) (से निकलने वाली मअ़दनियात) का बयान

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ " مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَلَكَ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ وَلاَ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " .

(2496) हज़रत अम्र बिन शुऐब के परदादा (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ)) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से गिरी पड़ी चीज़ के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'जो चीज़ आमदो रफ़्त वाले रास्ते से या आबाद बस्ती से मिले तो उसका एक साल तक ऐलान करो। अगर उसका मालिक आ जाये तो ठीक है वरना वह तुम्हारे लिये जायज़ है। और जो चीज़ आमदो रफ़्त वाले रास्ते से या आबाद बस्ती से न मिले तो ऐसी चीज़ और मदफ़ून ख़ज़ाना (मिलने की सूरत) में पाँचवाँ हिस्सा है।'

(2496) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1712, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2273.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत में खान (माइन्स, मअदनी) का ज़िक्र नहीं। शायद इमाम नसाई(رحمه الله) ने खान को लुक़ता का हुक्म दिया है क्योंकि कान भी उमूमन बेआबाद जगह पर और रास्ते से दूर मक़ामात में होती है। इस सूरत में खान से निकलने वाली मअदनियात में से पाँचवाँ हिस्सा बैतुलमाल का होगा, बाक़ी खान दरयाफ़्त करने वाले का होगा। अहनाफ़ का भी यही मौक़िफ़ है मगर इसकी कोई सरीह दलील नहीं सिवाए क़यास के। लुक़ता पर क़यास किया जाये या मदफ़ून ख़ज़ाने पर या माले ग़नीमत पर। जुम्हूर अहले इल्म, जैसे मालिक, शाफ़ेई, अहमद और इमाम बुख़ारी (رحمه الله) ने उसे माले तिजारत समझ कर उस पर चालीसवाँ हिस्सा ज़कात आइद की है। मुनासिब भी यही है क्योंकि सरीह हुक्म के बग़ैर सख़्त ज़कात, यानी पाँचवाँ हिस्सा मुनासिब नहीं जैसा कि अहनाफ़ का ख़्याल है। **(2)** आमदो रफ़्त वाले रास्ते या आबाद बस्ती के लुक़ता (गिरी पड़ी चीज़ जो किसी को मिल जाये) में मालिक के मिलने का इम्कान ज़्यादा बल्कि यक़ीनी होता है, इसलिये ऐलान का हुक्म दिया और वह भी एक साल तक क्योंकि साल में उमूमन सफ़र दोबारा हो ही जाता है। ग़ैर आबाद रास्ते या आबादी से दूर मिलने वाली चीज़ के मालिक के मिलने का इम्कान कम होता है, लिहाज़ा ऐलान की ज़रूरत महसूस न फ़रमाई, अलबत्ता इसमें हुकूमत का हिस्सा पाँचवाँ रख दिया क्योंकि ये माल उसे बग़ैर मेहनत के मिला है। इमाम साहिब ने मअदनी खान को भी इस पर क़यास कर लिया कि वह भी बग़ैर मेहनत के मिलती है, हालांकि खान दरयाफ़्त करने के लिये बहुत मेहनत बल्कि अख़राजात करने पड़ते हैं और फिर खान से मअदनियात निकालने में भी बहुत मेहनत और अख़राजात की ज़रूरत पड़ती है, लिहाज़ा ये क़यास मुनासिब नहीं। वल्लाहु आलम! **(3)** 'वरना तेरे लिये जायज़ है।' अहनाफ़ ने इसे फ़क़ीर के साथ ख़ास किया है, हालांकि अगर ऐसी बात होती तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़रूर बयान फ़रमाते क्योंकि आपका फ़रमान तो मुस्तक़िल हुज्जत है। इसके लिये सिर्फ़ ये इम्कान काफ़ी नहीं कि साइल फ़क़ीर होगा। कुछ रिवायात में आपने यही इजाज़त हज़रत उबय बिन काब (رضي الله عنه) को फ़रमाई थी, हालांकि वह मशहूर ग़नी थे।

(2497) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जानवर का किया हुआ नुक़सान रायगां है, कुऐं का नुक़सान रायगां है और मअदनी खान का नुक़सान भी रायगां है। और मदफ़ून ख़ज़ाने में पाँचवाँ हिस्सा है।'

(2497) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1499, मुस्लिम, हदीस: 1710, सुनन अल कुब्रा

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

लिन्नसाई, हदीस: 2274.

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ".

फ़वाइद व मसाइल : (1) अज्मा के मानी हैं: गूंगा। चूंकि जानवर हमारे लिहाज़ से बेज़बान हैं, लिहाज़ा उन्हें अज्मा या गूंगे ही कहा जाता है। जानवर मालिक से भाग जाये या चरते फिरते कोई नुक़सान कर दे, जैसे: किसी को सींग मार दे या टाँग लगा दे या कोई उससे गिर पड़े और ज़ख़्म आ जाये तो जानवर के मालिक पर कोई तावान न डाला जायेगा क्योंकि जानवर इन मसाइल में बेसमझ हैं और मालिक पास नहीं, या अगर हो भी तो उसका कोई क़सूर नहीं, अलबत्ता अगर इस नुक़सान में मालिक का कोई दुख़ूल हो, जैसे: उसने ख़ुद जानवर को किसी के पीछे लगाया या रोकने की कोशिश ही नहीं की या आदी नुक़सान पहुँचाने वाला जानवर क़सदन खुला छोड़ा (जैसे: काटने वाला कुत्ता या कोई दरिन्दा रखा और खुला छोड़ा) तो उस पर नुक़सान का तावान डाला जा सकता है। इसी तरह अगर जानवर रात को खुला छोड़ दे और वह किसी की फ़सल चर जाये या दिन के वक़्त उसकी मौजूदगी में जानवर किसी की फ़सल चर जाये तो वह नुक़सान भी जानवर के मालिक के ज़िम्मे होगा। **(2)** खान या कुआँ खोदते वक़्त या उसमें काम करते वक़्त कोई शख़्स खान या कुआँ गिरने से ज़ख़्मी हो जाये या मर जाये तो मालिक पर कोई तावान न होगा। इसी तरह कोई शख़्स खान या कूएँ में गिर कर ज़ख़्मी हो जाये या मर जाये तो मालिक से कोई तावान वसूल नहीं किया जा सकता मगर ये कि उसका कोई जुर्म साबित हो। **(3)** कुछ का कहना है कि मदफ़ून ख़ज़ाना किसी सरकारी जगह से मिले तो बैतुलमाल को ख़ुम्स अदा किया जायेगा, बाक़ी उसको जिसे मिला। अगर अपनी ज़ाती जगह से मिला तो उसमें हुकूमत का कोई हिस्सा नहीं। लेकिन राजेह (दुरुस्त) ये है कि जो भी ज़मीन हो, मदफ़ून ख़ज़ाना मिलने पर ख़ुम्स (पाँचवा हिस्सा) अदा किया जायेगा। हदीस में किसी ख़ास ज़मीन का तअय्युन नहीं। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(2498) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से ऐसी ही रिवायत नक़ल की है।

(2498) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1710/45, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2275.

(2499) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'जानवर का लगाया हुआ ज़ख़्म रायगां है और कुँवें की वजह से होने वाला नुक़्सान रायगां है और मअदनी खान की वजह से होने वाला नुक़्सान भी रायगां है और मदफ़ून ख़ज़ाना (मिलने की सूरत) में पाँचवाँ हिस्सा (बैतुल माल का) है।'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ " .

(2499) तख़रीज : (सनद सहीह) बुख़ारी, हदीस: 1499, मुस्लिम, हदीस: 1710/45, मौता: 2/868, 869, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2276.

(2500) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'कुँवें की वजह से होने वाला नुक़्सान रायगां है, जानवर का लगाया हुआ ज़ख़्म रायगां है और खान (मअदनी) की वजह से होने वाला नुक़्सान भी रायगां है, और मदफ़ून शुदा ख़ज़ाना (मिल जाये तो उस) में से पाँचवाँ हिस्सा (बैतुल माल का) होगा।'

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ، وَهِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ " .

(2500) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 2/228, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2277.

बाब : (29) मक्खियों के शहद में ज़कात

باب : (٢٩) زَكَاةِ النَّحْلِ

(2501) हज़रत अम्र बिन शुऐब के पर दादा (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ)) बयान करते हैं कि हज़रत हिलाल (ﷺ) रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास अपने शहद की ज़कात लेकर आये और आपसे अर्ज़ किया कि आप (शहद वाली) वादी सलबा उनके लिये मख़्सूस फ़रमा दें। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वह वादी उनके लिये मख़्सूस फ़रमा दी,

أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ جَاءَ هِلاَلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ الْوَادِيَ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عُشْرِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ ذَلِكَ وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ شَاءَ .

फिर जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ख़लीफ़ा बने तो (वहाँ के हाकिम) सुफ़ियान बिन वहब ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) से इस बारे में दरयाफ़्त करने के लिये ख़त लिखा तो हज़रत उमर (ﷺ) ने जवाबन लिखा कि अगर वह तुझे अपने शहद का उश्र अदा करते रहें जो रसूलुल्लाह (ﷺ) को अदा किया करते थे तो वादि-ए-सलबा उनके लिये मख़्सूस रखो वरना ये बारिशी मक्खी (का शहद) है, जो चाहे उसे खाये।

(2501) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1600, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2278.

फ़वाइद व मसाइल : (1) शहद में ज़कात इख़्तिलाफ़ी मसला है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल (رحمہ اللہ) शहद में उश्र के क़ाइल हैं क्योंकि इस बारे में कुछ अहादीस मन्कूल हैं, अगरचे कुछ में कलाम है मगर मज्मूई तौर पर क़वी हो जाती हैं, लिहाज़ा वह क़ाबिले हुज्जत हैं। शैख़ अल्बानी (رحمہ اللہ) वग़ैरह ने शहद में उश्र की रिवायत को सही क़रार दिया है। मज़ीद तफ़्सील और तुरुक़ व शवाहिद के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (इर्वाउल ग़लील, रक़म अल हदीस: 810) इमाम अबू हनीफ़ा (رحمہ اللہ) तो हर क़लील व कसीर शहद में उश्र के क़ाइल हैं। लेकिन ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं क्योंकि उन्हीं अहादीस में इसका निसाब भी दस मशकीज़े बताया गया है। और यही राजेह है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम बुख़ारी (رحمہ اللہ) शहद में उश्र के क़ाइल नहीं क्योंकि उनके नज़दीक मज़्कूरा रिवायात ज़ईफ़ हैं, और इस बाब में मज़्कूर हदीस में एक इलाक़ा हज़रत हिलाल(ﷺ) के लिये मख़्सूस करने के ऐवज़ शहद का एक हिस्सा वसूल करने का ज़िक्र है। जिससे लगता है कि अगर इलाक़ा मख़्सूस न किया जाता तो उश्र का मुतालबा न होता जैसा कि हज़रत उमर(ﷺ) के फ़रमान से मालूम होता है। लेकिन उसका जवाब ये हो सकता है कि चूंकि इलाक़ा मख़्सूस करने की वजह से उनके पास शहद की कसीर मिक़्दार जमा हो जाती थी, लिहाज़ा उन पर ज़कात वाजिब थी जबकि मामूली मिक़्दार में शहद हासिल करने वाले पर ज़कात (उश्र) वाजिब नहीं, जिस तरह दूसरी उश्री चीज़ों में है। बहरहाल तिजारती बुनियादों पर शहद का वसीअ कारोबार करने वालों पर ज़कात लागू होगी। **(2)** 'बारिशी मक्खी' क्योंकि बारिश का उसकी अफ़ज़ाइश से गहरा ताल्लुक़ है, इसीलिए बारिशी मौसम में मक्खी ज़्यादा होती है, या जिन चीज़ों पर उस मक्खी का गुज़ारा होता है, वह बारिश ही से उगती और बढ़ती हैं।

बाब : (30) रमज़ान की ज़कात (सदक़तुल फ़ित्र) फ़र्ज़ है

باب: (٣٠) فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ.

(2502) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रमज़ानुल मुबारक का सदक़ा (सदक़तुल फ़ित्र) हर आज़ाद, ग़ुलाम, मुज़क्कर और मुअन्नस पर खजूर और जौ का एक साअ मुक़र्रर फ़रमाया था। बाद में लोगों ने उसकी जगह गंदूम का निस्फ़ साअ ठहरा लिया।

(2502) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1511, मुस्लिम, हदीस: 984/14, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2279.

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस सदक़े को ज़काते रमज़ान इसलिये कहा गया है कि ये रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की वजह से वाजिब होता है और सदक़तुल फ़ित्र, इसलिये कहा जाता है कि इसकी अदायगी इफ़्तार, यानी रमज़ानुल मुबारक के इख़्तिताम पर वाजिब होती है, जैसे इस ईद को ईदुल फ़ित्र कहते हैं। **(2)** गुलाम पर भी सदक़तुल फ़ित्र वाजिब है, अलबत्ता गुलाम की तरफ़ से अदायगी उसका मालिक करेगा बशर्ते कि मालिक मुसलमान हो। अगर मालिक अदा नहीं करता और गुलाम इस्तेताअत रखता है तो वह ख़ुद अदा कर देगा। अगर मालिक काफ़िर है और गुलाम इस्तेताअत नहीं रखता तो फिर उसे माफ़ है क्योंकि (ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा) **(3)** 'खजूर और जौ का एक साअ' उस दौर में अरब में आम ख़ूराक यही चीज़ें थीं, लिहाज़ा उनमें एक साअ मुक़र्रर फ़रमा दिया। गंदूम का आम रिवाज न था, बाद में रफ़ाहियत का दौर आया तो लोगों ने उमूमन गंदूम खानी शुरू कर दी लेकिन गंदूम खजूर और जौ की निस्बत बहुत महँगी थी, इसलिये क़ीमत का हिसाब लगाते हुये गंदूम के निस्फ़ साअ को खजूर और जो के एक साअ के बराबर क़रार दिया गया। ये एक लिहाज़ से गुंजाइश थी और उसे गुंजाइश ही समझना चाहिए क्योंकि फ़ी ज़माना हमारे यहाँ गंदूम खजूर से काफ़ी सस्ती है, इसलिये अब उसका एक साअ निकालना ही अफ़ज़ल है और ये हिक्मत के ऐन मुवाफ़िक़ भी है।

बाब : (31) गुलाम और लौण्डी पर भी ज़काते रमज़ान (सदक़तुल फ़ित्र) फ़र्ज़ है

باب : (۳۱) فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمَمْلُوكِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .

(2503) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सदक़तुल फ़ित्र हर मुज़क्कर, मुअन्नस, आज़ाद और गुलाम पर खजूर या जौ का एक साअ मुक़र्रर फ़रमाया है। बाद में लोगों ने गंदूम के निस्फ़ साअ को इख़्तियार कर लिया।

(2503) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2280.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सदक़तुल फ़ित्र हर अमीर और ग़रीब पर वाजिब है, जो ख़ुद फ़क़ीर व नादार है वह अगरचे लेने का मुस्तहिक़ है लेकिन उसके पास जो सदक़तुल फ़ित्र जमा हो जाये उसमें से अपना सदक़ा निकाले, और उसके वजूब के लिये रोज़े रखना शर्त नहीं। अगर किसी ने शरई उज़्र की बिना पर रोज़े न रखे हों तो सदक़तुल फ़ित्र उस पर भी वाजिब है यहाँ तक कि नो मौलूद बच्चे पर भी और खूसट बूढ़े पर भी, मरीज़ पर भी और मुसाफ़िर पर भी। **(2)** एक साअ 2 किलो 100 ग्राम है जिसे तक़रीबन ढाई किलो कहते हैं। तफ़्सील इन्शाअल्लाह आगे (हदीस: 2515) के) फ़वाइद में आयेगी।

बाब : (32) ज़काते रमज़ान (सदक़तुल फ़ित्र) बच्चे पर भी फ़र्ज़ है

باب : (۳۲) فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَذَكَرٍ وَأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .

(2504) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रमज़ान की ज़कात (सदक़तुल फ़ित्र) हर छोटे, बड़े, आज़ाद, गुलाम और मुज़क्कर व मुअन्नस पर खजूर और जौ का एक साअ मुक़र्रर फ़रमाया है।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 984/12, बुख़ारी,: 1504, मौता: 1/284, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2281.

बाब : (33) ज़काते रमज़ान मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, ज़िम्मियों पर नहीं

باب : (٣٣) فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُعَاهِدِينَ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

(2505) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रमज़ानुल मुबारक का सदक़-ए-फ़ित्र हर आज़ाद, गुलाम, मुज़क्कर व मुअन्नस मुसलमान पर खजूर और जौ से एक साअ मुक़र्रर फ़रमाया है।

(2505) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2282.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सदक़-ए-फ़ित्र एक इबादत है। रोज़ों की बिना पर वाजिब होता है। अदायगी ईदुल फ़ित्र से पहले की जाती है। ये सब चीज़ें मुसलमानों के साथ ख़ास हैं, लिहाज़ा मुसलमान ही पर वाजिब होगा, किसी काफ़िर पर वाजिब न होगा। मिनल मुस्लिमीन के अल्फ़ाज़ इसकी वाज़ेह दलील हैं। मगर अहनाफ़ के नज़दीक काफ़िर गुलाम पर भी वाजिब है। उनकी दलील ये हदीस है: 'मुसलमान पर उसके गुलाम में सिर्फ़ सदक़-ए-फ़ित्र ही वाजिब है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 982/10) हदीस में 'अब्द' आम है, ख़्वाह मुस्लिम हो या काफ़िर, लेकिन ये हदीस आम है इसका मफ़्हूम दूसरी सरीह हदीस की रोशनी में मुतय्यन होगा और वह यही ऊपर दी गई हदीस है जिसमें ये वज़ाहत है कि जिनकी तरफ़ से निकाला जाये वह मुस्लिम हो, और ज़ेरे बहस हदीस ख़ास भी है, उसूल है कि आम को ख़ास पर महमूल किया जाता है, इस तरह दोनों अहादीस का मफ़्हूम बरक़रार रहता है और उनमें तआरुज़ भी पैदा नहीं होता। इमाम तहावी इस ऊपर दी गई हदीस का जवाब देते हुये फ़रमाते हैं कि मिनल मुस्लिमीन की शर्त का ताल्लुक़ मुख़्रिजीन, यानी सदक़ा निकालने वालों के साथ है, न कि उनसे जिनकी तरफ़ से सदक़ा दिया जाता है, लेकिन ये तावील बिला दलील और दीगर दलाइल व रिवायात की रोशनी में बेमानी है, इसलिये कि इस हदीस में गुलाम का और एक दूसरी सही हदीस में बच्चे का भी ज़िक्र आता है क्या ये भी मुख़्रिजीन में शुमार होते हैं, और सहीह मुस्लिम की हदीस से

वाज़ेह होता है कि मिनल मुस्लिमीन की शर्त का ताल्लुक़ उन लोगों से है जिनकी तरफ़ से सदक़-ए-फ़ित्र निकाला जायेगा। 'मुसलमानों के हर फ़र्द पर (फ़र्ज़ किया है) ख़्वाह वह आज़ाद हो या गुलाम' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 984/16) जब काफ़िर वजूब का अहल ही नहीं तो उसकी तरफ़ से अदायगी कैसी? **(2)** हर मुसलमान के लफ़्ज़ से मालूम होता है कि फक़ीर और मोहताज भी सदक़-ए-फित्र अदा करेगा। **(3)** 'रमज़ान की ज़कात' एक दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सदक़तुल फ़ित्र के दो मक़ासिद बयान फ़रमाये हैं: (तुहरतुल लिस्सियाम ..... वतुअ्मतुल लिलमसाकीन) (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1609) यानी ये अदा शुदा रोज़ों को पाकीज़ा बनायेगा और यावा गोई की आलूदगी से रोज़े को साफ़ करेगा, और मसाकीन के लिये खाने का इन्तेज़ाम हो जायेगा, इसलिये सदक़तुल फ़ित्र को रोज़ों या रमज़ान की ज़कात कहना मुनासिब है। यहाँ ज़कात के मानी पाकीज़गी हैं। (बाक़ी मबाहिस के लिये देखिये: हदीस: 2510)

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ .

(2506) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सदक़-ए-फ़ित्र हर छोटे, बड़े, मुज़क्कर, मुअन्नस, आज़ाद और गुलाम मुसलमान पर खजूर और जौ से एक साअ़ मुक़र्रर फ़रमाया है और हुक्म दिया है कि इसकी अदायगी नमाज़े ईद के लिये जाने से पहले की जाये।

(2506) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1503, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2283.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सदक़-ए-फ़ित्र की अदायगी नमाज़े ईदुल फ़ित्र से पहले वाजिब है नमाज़ के बाद अदा किया हुआ सदक़ा, सदक़-ए-फ़ित्र नहीं होगा और ताख़ीर करने वाला शख़्स इस वाजिब की अदायगी से महरूम रहेगा। सुनन अबू दाऊद में हदीस है कि जिसने सदक़-ए-फ़ित्र ईद से पहले अदा किया तो वह मक़बूल है और अगर ईद के बाद अदा किया गया तो वह आम सदक़ात में से एक सदक़ा मुतसव्विर होगा। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1609) **(2)** सदक़तुल फ़ित्र वक़्त से पहले भी दिया जा सकता है क्योंकि मक़सद तो फ़क़ीर की हाजत बरारी है, ख़ुसूसन अगर सदक़तुल फ़ित्र इज्तिमाई तौर पर जमा करके तक़्सीम करना मक़सूद हो तो लाज़िमन वक़्त से पहले ही इकट्ठा किया जायेगा। इसमें कोई हर्ज नहीं। कुछ सहाबा से चन्द दिन पहले सदक़तुल फ़ित्र जमा करने का सबूत मिलता है।

बाब : (34)
सदक़तुल फ़ित्र कितना फ़र्ज़ किया गया?

باب : (٣٤) كَمْ فُرِضَ

(2507) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सदक़तुल फ़ित्र हर छोटे, बड़े, मुज़क्कर, मुअन्नस, आज़ाद और ग़ुलाम पर खजूर और जौ से एक साअ फ़र्ज़ (मुक़र्रर) किया है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .

(2507) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1512, मुस्लिम, हदीस: 984/13, देखें, हदीस: 2504, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2284.

फ़ायदा : सदक़तुल फ़ित्र की मिक्दार के लिये देखिये हदीस: 2502.

बाब: (35) सदक़तुल फ़ित्र की फ़र्ज़ीयत ज़कात का हुक्म उतरने से पहले थी

باب : (٣٥) فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ نُزُولِ الزَّكَاةِ

(2508) हज़रत क़ैस बिन सअद बिन उबादा से मरवी है कि हम आशूरा (10 मुहर्रमुल हराम) का रोज़ा रखते थे और सदक़तुल फ़ित्र अदा किया करते थे। जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों और ज़कात की फ़र्ज़ीयत नाज़िल हुई तो न हमें इसका नया हुक्म दिया गया और न इससे रोका गया। वैसे हम ये काम करते रहे।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ وَنُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ وَكُنَّا نَفْعَلُهُ .

तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फ़िल्कबीर: 18/349, हदीस: 888, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2285.

फ़ायदा : इस रिवायत से कुछ हज़रात ने इस्तेदलाल किया है कि सदक़तुल फ़ित्र फ़र्ज़ नहीं रहा, हालांकि इस क़ौल में ऐसी कोई सराहत नहीं क्योंकि एक नई चीज़ की फ़र्ज़ीयत से पुरानी चीज़ की फ़र्ज़ीयत मन्सूख़ नहीं हो जाती। और न इसके लिये किसी नये हुक्म ही की ज़रूरत होती है जबकि दूसरी सरीह रिवायात में इसकी फ़र्ज़ीयत साबित है। ज़कात की फ़र्ज़ीयत तो 2 हिजरी की है। बाद में मुसलमान

होने वाले हज़रात ने इसकी फ़र्ज़ीयत ज़िक्र की है, जैसे: हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) (देखिये: हदीस़: 2510, 2517) लिहाज़ा स़दक़तुल फ़ित्र ज़कात की फ़र्ज़ीयत के बावजूद फ़र्ज़ है, अलबत्ता अहनाफ़ ने इसे वाजिब कहा है मगर अमलन वाजिब और फ़र्ज़ में कोई फ़र्क़ नहीं होता। बाक़ी रहा आशूरा का रोज़ा तो इसके बारे में स़राहतन मज़्कूर है कि नबी (ﷺ) ने इसे रखने न रखने का इख़्तियार दे दिया था।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عَمَّارٍ اسْمُهُ عَرِيبُ بْنُ حُمَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ يُكَنَّى أَبَا مَيْسَرَةَ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ خَالَفَ الْحَكَمَ فِي إِسْنَادِهِ وَالْحَكَمُ أَثْبَتُ مِنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ .

(2509) हज़रत क़ैस बिन सअ़द (ﷺ) फ़रमाते हैं कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने स़दक़तुल फ़ित्र (की अदायगी) का हुक्म ज़कात (की फ़र्ज़ीयत) उतरने से पहले दिया था। जब ज़कात (की फ़र्ज़ीयत) नाज़िल हुई तो न आपने इसका (नया) हुक्म दिया और न इससे मना फ़रमाया। हम इस (स़दक़तुल फ़ित्र) को अदा करते रहे।

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि अबू अ़म्मार का नाम अ़रीब बिन हुमैद है, अ़म्र बिन शुरहबील की कुनियत अबू मैसरा है। सलमा बिन कुहैल ने इस हदीस़ की सनद के बयान में हकम की मुख़ालिफ़त की है, लेकिन हकम सलमा बिन कुहैल से ज़्यादा सिक़ा हैं।

(2509) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 1828, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2286.

फ़ायदा : साबिक़ा रिवायत में हज़रत हकम ने क़ासिम बिन मुख़ैमिरा का उस्ताद अ़म्र बिन शुरहबील बतलाया है जबकि सलमा बिन कुहैल ने अबू अ़म्मार हमदानी बतलाया है।

باب : (٣٦) مَكِيلَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

बाब : (36) स़दक़तुल फ़ित्र की मिक़्दार का बयान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَمِيرُ

(2510) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने, जब वह बस़्रा के हाकिम थे, माहे रमज़ानुल मुबारक के आख़िर में (ख़ुत्बा दिया) फ़रमाया: अपने रोज़ों की ज़कात (स़दक़तुल फ़ित्र) निकालो। लोग

एक दूसरे की तरफ़ देखने लगे। आपने फ़रमाया: यहाँ जो मदीना मुनव्वरा के लोग हैं उठें और अपने (बस्री) भाइयों को तालीम दें क्योंकि वह नहीं जानते कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये सदक़ा हर मुज़क्कर व मुअन्नस और आज़ाद व ग़ुलाम पर खजूर और जौ का एक साअ और गंदुम का आधा साअ फ़र्ज़ किया है। तो लोग उठे।

हिशाम ने हुमैद की मुख़ालिफ़त की है, उसने (हसन के बजाये) इब्ने सीरीन का नाम लिया है।

(2510) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1581, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2287.

الْبَصْرَةِ فِي آخِرِ الشَّهْرِ أَخْرِجُوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ . فَنَظَرَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هَا هُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا فَعَلِّمُوا إِخْوَانَكُمْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّ هَذِهِ الزَّكَاةَ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٌّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ . فَقَامُوا . خَالَفَهُ هِشَامٌ فَقَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत की सेहत और ज़ुअफ़ की बाबत तहक़ीक़ हदीस: 1581 के फ़वाइद में तफ़्सील से गुज़र चुकी है। जिसका ख़ुलासा ये है कि मज़्कूरा रिवायत में बयानकर्दा मसला दुरुस्त और सही है। **(2)** बस्रे में सब लोग इतने तालीम याफ़्ता न थे जबकि मदीने के लोग आलिम थे क्योंकि मदीना मुनव्वरा इल्म का मर्कज़ था। **(3)** हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) हज़रत अली (ﷺ) के दौरे ख़िलाफ़त में बस्रे के हाकिम रहे। **(4)** इस रिवायत से ज़ाहिरन ये मालूम होता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने गंदुम से निस्फ़ साअ मुक़र्रर फ़रमाया था। लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है। जबकि कुछ दीगर रिवायात से तस्दीक़ होती है कि निस्फ़ साअ भी ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुक़र्रर फ़रमाया था। ये सिर्फ़ सय्यदना मुआविया (ﷺ) ही का इज्तेहाद न था, न ये कहा जा सकता है कि अहदे नबवी में गंदुम का वजूद न था, निस्फ़ साअ गंदुम की रिवायात मज्मूई ऐतबार से वाक़ेई क़ाबिले इस्तेनाद हैं। देखिये: (अस्सहीहा: 3/171) लिहाज़ा निस्फ़ साअ गंदुम की अदायगी भी दुरुस्त है। बहरहाल इस सब के बावजूद ख़ुसूसन हमारे ख़ित्ते पाक व हिन्द में, एक साअ गंदुम देना ही औला व अफ़ज़ल है क्योंकि इस पर सहाब-ए-किराम (ﷺ) का अमल था रसूलुल्लाह (ﷺ) के अहदे मुबारक में और उसके बाद भी। वल्लाहु आलम!

(2511) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने सदक़तुल फ़ित्र का ज़िक्र करते हुये फ़रमाया: सदक़तुल फ़ित्र गंदुम, खजूर, जौ या सुल्त से एक साअ अदा करो।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مَخْلَدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ ذَكَرَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ صَاعًا مِنْ

بُرٌّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ .

(2511) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2415, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2288, इब्ने ख़ुज़ैमा: 4/89, हदीस: 2417.

फ़ायदा : सुल्त जौ की एक क़िस्म है जो गंदुम से क़रीब तर है। इस हदीस में हज़रत इब्ने अब्बास(ﷺ) ने तमाम ग़ल्लाजात में सदक़-ए-फ़ित्र एक साअ ही फ़रमाया है और यही अफ़ज़ल है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِكُمْ - يَعْنِي مِنْبَرَ الْبَصْرَةِ - يَقُولُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا أَثْبَتُ الثَّلاَثَةِ .

(2512) हज़रत अबू रजाअ से रिवायत है, उन्होंने कहा: मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) को तुम्हारे, यानी बस्रे के मिम्बर पर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते सुना कि सदक़तुल फ़ित्र हर खाई जाने वाली चीज़ से एक साअ है।

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि ये (इस हदीस का रावी अय्यूब) तीनों में से ज़्यादा क़वी है।

(2512) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2289.

फ़ायदा : ये रिवायत तीन हज़रात ने बयान की है, हुमैद, हिशाम, अय्यूब। हुमैद ने इब्ने अब्बास(ﷺ) का शागिर्द हसन बतलाया है, हिशाम ने इब्ने सीरीन और अय्यूब ने अबू रजाअ। इमाम नसाई(رحمه الله) अय्यूब की रिवायत को तर्जीह दे रहे हैं क्योंकि वह ज़्यादा सिक़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि बाक़ी दो हज़रात की रिवायात दुरुस्त नहीं, अजब नहीं तीनों (हसन, इब्ने सैरीन, अबू रजाअ) ने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) का ये फ़रमान सुना और बयान किया हो।

باب: (٣٧) التَّمْرِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

बाब : (37) सदक़तुल फ़ित्र में खजूर देना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، - وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ - عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ

(2513) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सदक़तुल फ़ित्र जौ, ख़ुश्क खजूर या पनीर से एक साअ मुक़र्रर फ़रमाया है।

الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ.

(2513) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 985/20, बुख़ारी, हदीस: 1506, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2290.

باب : (٣٨) الزَّبِيبِ

बाब : (38) (सदक़-ए-फ़ित्र में) किशमिश (देना)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ

(2514) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) हममें मौजूद थे तो हम सदक़तुल फ़ित्र तआम (गंदुम या हर ख़ूराक वाला ग़ल्ला,) जौ, ख़ुश्क खजूर, किशमिश या पनीर से एक साअ दिया करते थे।

(2514) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1505, मुस्लिम, हदीस: 985, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2291.

फ़वाइद व मसाइल : (1) लफ़्ज़ तआम से मुराद गंदुम भी हो सकती है क्योंकि बाक़ी चीज़ों का अलग बयान है मगर लुग़त के लिहाज़ से हर मतऊम (ख़ूराक वाली चीज़) को तआम कहा जा सकता है। और इसमें गंदुम भी दाख़िल होगी। सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) गंदुम में एक साअ ही के क़ाइल थे, और हज़रत मुआविया (ﷺ) की राय कि आधा साअ गंदुम भी दी जा सकती है, वह सख़्त मुख़ालिफ़ थे मगर ये सिर्फ़ सय्यदना मुआविया ही की राय न थी बल्कि कुछ दीगर सहाब-ए-किराम(ﷺ) भी इस राय के हामिल थे, जैसे सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) वग़ैरह। देखिये: (सुनन दारक़ुतनी: 2/346, वरौजतुन्नदिया मअ तालीकातिर्रज़िय्या: 1/549) मज़ीद ये कि ये सिर्फ़ सहाब-ए-किराम (ﷺ) की राय या उनका इज्तेहाद ही न था बल्कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस बारे में मरवी हदीस भी है जैसा कि हदीस: 2510 के फ़वाइद में गुज़रा। मुमकिन है हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) को वह हदीस मालूम न हो, और ये बईद अज़ क़यास भी नहीं। जिससे उनके मौक़िफ़ में मज़ीद

सख़्ती पैदा हो गई। वल्लाहु आलम। **(2)** किशमिश अंगूर से तैयार होती है। चूंकि अंगूर ज़्यादा देर तक रखा नहीं जा सकता, लिहाज़ा सदक़तुल फ़ित्र में अंगूर देना दुरुस्त नहीं बल्कि उसे ख़ुश्क करके किशमिश की सूरत में दिया जाये।

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ وَكَانَ فِيمَا عَلَّمَ النَّاسَ أَنَّهُ قَالَ مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلاَّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا . قَالَ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ .

(2515) हज़रत अबू सईद (ﷺ) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) हममें तशरीफ़ फ़रमा थे तो हम सदक़तुल फित्र तआम, खजूर, जौ या पनीर से एक साअ निकाला करते थे। हम इसी तरह निकालते रहे यहाँ तक कि हज़रत मुआविया(ﷺ) शाम से (मदीना मुनव्वरा) आये तो जो बातें उन्होंने लोगों को सिखाईं, उनमें से एक ये भी थी कि उन्होंने फ़रमाया: मैं समझता हूँ शामी गंदुम के दो मुद्द क़ीमत में खजूर वग़ैरह के साअ के बराबर हैं। तो लोगों ने इस पर अमल शुरू कर दिया।

(2515) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2292.

फ़ायदा : साअ चार मुद्द का होता है। गोया गंदुम का निस्फ़ साअ क़ीमत के लिहाज़ से खजूर वग़ैरह के साअ के बराबर था। साअ दरअसल बर्तन की सूरत में एक पैमाना है, वज़न नहीं। ज़ाहिर है बर्तन के अन्दर हर जिन्स बराबर वज़न की नहीं होती। गंदुम का अलग वज़न होगा, खजूरों का अलग, जौ का अलग और किशमिश का अलग, लिहाज़ा अस़ल तो यही है कि साअ भर कर ग़ल्ला दिया जाये जो भी हो, मगर वह साअ हर जगह मुहैया नहीं। कुछ उलमा ने हिजाज का पुराना साअे नबवी मुहैया होने का दावा किया है। और ये भी कहा है कि इसमें तक़रीबन ढाई किलो गंदुम आती है। (मुद्द का पैमाना तो मैंने भी सईदी ख़ानदान के यहाँ देखा है) आम तौर पर साअ का जो वज़न किताबों में मरक़ूम है, वह भी कोई ढाई किलो बनता है क्योंकि रत्ल नव्वे मिस्क़ाल का होता है और हर मिस्क़ाल साढ़े चार माशे का, लिहाज़ा रत्ल : $90 \times 4\frac{1}{2} = 405$ माशे का हुआ। और एक साअ $5\frac{1}{3}$ रत्ल का होता है, लिहाज़ा साअ $2160 \times 5\frac{1}{3} = 405$ माशे का हुआ जो 180 तौले बनते हैं और एक तौला 11.664 ग्राम का होता है, लिहाज़ा $180 \times 11.664 = 2099.52$ ग्राम हुआ, लिहाज़ा सदक़-ए-फ़ित्र में एहतियातन ढाई किलो ग़ल्ला दिया जाये। (देखिये, हदीस़: 2447)

बाब : (39)सदक़-ए-फ़ित्र में आटा देना

باب : (٣٩) الدَّقِيقِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، قَالَ سَمِعْتُ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُخْبِرُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ لَمْ نُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ - ثُمَّ شَكَّ سُفْيَانُ - فَقَالَ دَقِيقٍ أَوْ سُلْتٍ .

(2516) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौरे मुबारक में हम खजूर, जौ, किशमिश, आटा, पनीर या सुल्त वग़ैरह से एक साअ ही (सदक़तुल फ़ित्र) देते थे, फिर रावी सुफ़ियान को शक हुआ और उन्होंने कहा: आटा या सुल्त।

(2516) तख़रीज : (सनद सही) हुमैदी, हदीस: 742, मुस्लिम, हदीस: 985/21, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2293.

फ़ायदा : शैख़ अल्बानी (رحمه الله) की तहक़ीक़ के मुताबिक़ हदीस में 'दक़ीक़' 'आटे' का ज़िक्र दुरुस्त नहीं। अक्सर मुतक़द्दिमीन मुहद्दिसीन ने भी इसे ग़ैर महफ़ूज़ क़रार दिया है। देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 22/302, 303) बाक़ी सारी हदीस हसन सही है। मज़ीद देखिये: (इर्वाउल ग़लील: 3/338) लेकिन चूंकि ये हमारी आम ख़ूराक है, और हदीस में गंदुम का सरीह ज़िक्र भी आया है, इसलिये इसका सदक़-ए-फ़ित्र में देना जायज़ है।

बाब : (40) गंदुम देना

باب : (٤٠) الْحِنْطَةِ

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ . فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ مَنْ هَا هُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ

(2517) हज़रत हसन बसरी से रिवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने बसरे में ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया, जिसमें कहा: अपने रोज़ों की ज़कात अदा करो। लोग (ताज्जुब से) एक दूसरे को देखने लगे तो आपने फ़रमाया: यहाँ जो लोग मदीना मुनव्वरा से आये हुये हैं, वह अपने (बसरी) भाईयों की तरफ़ उठ कर जायें और उन्हें तालीम दें क्योंकि वह नहीं जानते कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने

فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ . قَالَ الْحَسَنُ فَقَالَ عَلِيٌّ أَمَّا إِذَا أَوْسَعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا أَعْطُوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ غَيْرِهِ .

सदक़तुल फ़ित्र हर छोटे, बड़े, आज़ाद, ग़ुलाम और मुज़क्कर व मुअन्नस पर गंदुम का निस्फ़ साअ और खजूर या जौ का एक साअ मुक़र्रर फ़रमाया है। हज़रत हसन बसरी ने कहा कि हज़रत अली (ﷺ) ने फ़रमाया: जब अल्लाह तआला ने तुम्हें माल की वुस्अत अता फ़रमाई है तो तुम भी वुस्अत इख़्तियार करो, यानी गंदुम हो या कोई और ग़ल्ला, सबमें से पूरा साअ ही दो।

(2517) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1581, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2294.

फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस: 2510.

باب : (٤١) السُّلْتِ

बाब : (41) सुल्त देना

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ .

(2518) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) के दौरे मुक़द्दस में लोग सदक़तुल फ़ित्र जौ, खजूर, सुल्त या किशमिश से एक साअ दिया करते थे।

(2518) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1614, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2295.

باب : (٤٢) الشَّعِيرِ

बाब : (42) जौ देना

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيَاضٌ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه

(2519) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में हम (सदक़तुल फ़ित्र) जौ, खजूर, किशमिश या पनीर से एक साअ निकाला करते थे। और (बाद में भी) हम इसी तरह निकालते रहे यहाँ तक कि

وسلم صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ قَالَ مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلاَّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .

हज़रत मुआविया (ﷺ) का दौर आ गया तो उन्होंने फ़रमाया: मैं समझता हूँ कि शाम की गंदुम के दो मुद्द (निस्फ़ साअ) जौ के एक साअ के बराबर हैं।

(2519) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2515, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2296.

फ़ायदा : ये राय सिर्फ़ सय्यदना मुआविया (ﷺ) ही की न थी बल्कि कुछ दीगर सहाब-ए-किराम(ﷺ) भी इस राय के हामिल थे। देखिये, हदीस: 2514 के फ़वाइद व मसाइल

باب : (٤٣) الأَقِطِ

बाब : (43) पनीर देना

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ لاَ نُخْرِجُ غَيْرَهُ .

(2520) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) फ़रमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में (सदक़तुल फ़ित्र) खजूर या जौ या पनीर से एक साअ ही दिया करते थे। हम उनके अलावा और कोई चीज़ न दिया करते थे।

(2520) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2513, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2297.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत अबू सईद (ﷺ) ही की दूसरी रिवायत में किशमिश और तआम का भी ज़िक्र है, बल्कि सुल्त का भी ज़िक्र है। गंदुम का सराहतन ज़िक्र नहीं मगर ये कि तआम से गंदुम मुराद ली जाये। (2) पनीर दूध को गर्म करके तैयार किया जाता है। जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक पनीर भी एक साअ दिया जायेगा जबकि इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) के नज़दीक क़ीमत के लिहाज़ से दिया जायेगा, मगर अहादीस में सराहतन पनीर के भी साअ ही का ज़िक्र है और यही सही है।

باب : (٤٤) كَمِ الصَّاعُ

बाब : (44) साअ कितना होता है?

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ،

(2521) हज़रत साइब बिन यज़ीद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में साअ तुम्हारे आज

- وَهُوَ ابْنُ مَالِكٍ - عَنِ الْجُعَيْدِ، سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيدَ فِيهِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدَّثَنِيهِ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ.

कल के हिसाब से एक मुद्द और एक तिहाई मुद्द के बराबर था। अब इस (मुद्द की मिक़्दार) में इज़ाफ़ा कर दिया गया है।

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि मुझे ये हदीस ज़ियाद बिन अय्यूब ने भी बयान की है।

(2521) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7330, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2298.

फ़ायदा : पैमाने और वज़न हमेशा बदलते रहते हैं, एक जैसे नहीं रहते। मुद्द, साअ, दिरहम और मिस्क़ाल भी छोटे बड़े होते रहे हैं। ज़ाहिर है शरीयत में मोतबर पैमाना और वजन तो वही है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में था। आपके दौर में साअ चार मुद्द का था और एक मुद्द वज़न के लिहाज़ से एक और तिहाई रत्ल ($1\frac{1}{3}$) का था। इसी तरह साअ पाँच रत्ल और तिहाई रत्ल का था, यानी $5\frac{1}{3}$ रत्ल। और रत्ल 90 मिस्क़ाल का। इसी लिहाज़ से साअ के वज़न की तफ़्सील हदीस 2515 में गुज़र चुकी है जो तक़रीबन ढाई किलो बनता है। बाद में मुद्द और साअ बड़ा बना दिया गया। मुद्द बजाये $1\frac{1}{3}$ aËb के 2 रत्ल का कर दिया गया। इसी तरह साअ आठ रत्ल का हो गया। अहनाफ़ ने इस साअ को इख़्तियार किया है, हालांकि वह साअ नबवी नहीं। यही वजह है कि इमाम अबू यूसुफ़(رحمه الله) जब मदीना मुनव्वरा गये और उनका इमाम मालिक (رحمه الله) से इस सिलसिले में मुबाहिसा हुआ तो उन्होंने अपने मस्लक से रुजूअ कर लिया क्योंकि इमाम मालिक (رحمه الله) ने उनको मदीना मुनव्वरा के मुख़्तलिफ़ घरों से रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर के साअ मँगवा कर दिखाये जो एक दूसरे के बराबर थे। और ये साअ अहले मदीना ने विरासतन अपने आबा-ओ-अज्दाद से हासिल किये थे। और यही साअ सही है। जुम्हूर अहले इल्म इसी के क़ाइल हैं। इमाम अबू यूसुफ़ ने फ़रमाया था कि अगर मेरे उस्ताद इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) ये साअ देख लेते तो वह भी इसके क़ाइल हो जाते। गोया हनफ़िया का साअ शरई साअ नहीं है, लिहाज़ा उ़श्र और सदक़तुल फ़ित्र में मदनी साअ ही मोतबर होगा न कि हनफ़िया वाला साअ जो बाद में बनाया गया।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ " .

(2521)(ब) हज़रत इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मोतबर माप मदीने वालों का है और मोतबर वज़न मक्के वालों का है।'

(2521)(ब) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 3340, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2299, व सहीह इब्ने हिब्बान 1105, दारक़ुतनी: 1027.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुहक़्क़िक़े किताब ने इसे सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है, जबकि दलाइल की रू से राजेह ये है कि ये हदीस़ सही है। इसे इब्ने मुलक़्क़िन, दारक़ुतनी, नववी, इब्ने दक़ीक़ अल ईद और इमाम अ़ला (رحمه الله) ने सही क़रार दिया है। सुफ़ियान सौरी की तदलीस मुज़िर नहीं मुलाहिज़ा हो: (तबक़ातुल मुदल्लिसीन इब्ने हजर, सफ़ा: 21, तबअ़ा दारूल बयान) शारेह सुनन नसाई और शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इस पर तहक़ीक़ी बहस की है जिससे तस्हीहे हदीस़ वाली राय दुरुस्त मालूम होती है। तफ़्सील के लिये देखिये: (इर्वाउल ग़लील, रक़म अल हदीस़: 1342, व ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा शरह सुनन नसाई: 22/313-316) **(2)** 'मोतबर माप (पैमाना)' यानी मुद्द और साअ़ शरीयत में वही मोतबर है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में मदीने वालों का था और वज़न, यानी रत्ल और दिरहम, दीनार वग़ैरह वह मोतबर हैं जो अहले मक्का में उस वक़्त राइज थे। मुमकिन है मक्के वालों का वज़न, इसलिये मोतबर समझा गया हो कि वह अहले तिजारत थे और उनका वज़न से ज़्यादा वास्ता रहता था। उस दौर में चाँदी और सोना वज़न किया जाता था और तिजारत इन्हीं दो चीज़ों के साथ होती थी। और पैमाने मदीने वालों के मोतबर समझे जाते थे क्योंकि वह अहले ज़राअ़त (खेती-बाड़ी करने वाले) थे और उनका वास्ता ग़ल्ले वग़ैरह से था और उस दौर में ग़ल्ला तौला नहीं जाता था बल्कि पैमानों (मुद्द और साअ़ वग़ैरह) के ज़रिये से मापा जाता था, लिहाज़ा वह पैमानों से ज़्यादा वाक़िफ़ थे।

बाब : (45) सदक़तुल फ़ित्र की अदायगी का मुस्तहब वक़्त

باب : (٤٥) الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤَدَّى صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِيهِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى، ح قَالَ وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ . قَالَ ابْنُ بَزِيعٍ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ .

(2522) हज़रत इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया कि सदक़तुल फ़ित्र ईद की नमाज़ के लिये जाने से पहले अदा कर दिया जाये।

(इमाम नसाई (رحمه الله) के उस्ताद) मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन बज़ीअ़ ने (अपनी रिवायत में बिसदक़तिल फ़ित्र के बजाये) बिज़कातिल फ़ित्र के अल्फ़ाज़ बयान किये हैं।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 986/22, बुख़ारी: 1509, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 2300.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये रिवायत नम्बर 2506.

باب: (٤٦) إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، - وَكَانَ ثِقَةً - عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ " إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُوضَعُ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ " .

बाब : (46)
एक शहर की ज़कात दूसरे शहर ले जाना?

(2523) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने हज़रत मुआज़ बिन जबल(ﷺ) को यमन की तरफ़ (हाकिम बनाकर) भेजा और फ़रमाया: 'तू वहाँ अहले किताब (यहूदियों) की कसीर जमाअत की तरफ़ जा रहा है, लिहाज़ा उन्हें दावत देना कि वह गवाही दें कि अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं (मुहम्मद (ﷺ)) अल्लाह तआला का रसूल हूँ। अगर वह तेरी ये बात मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह तआला ने उन पर पाँच नमाज़ें हर दिन रात में फ़र्ज़ की हैं। अगर वह तेरी ये बात भी मान लें तो बताना कि अल्लाह(عزوجل) ने उन पर उनके मालों में ज़कात फ़र्ज़ की है जो उनके मालदार लोगों से ली जायेगी और उनके फ़क़ीर लोगों में तक़्सीम की जायेगी। और अगर वह तेरी ये बात भी मान लें तो उनके उम्दा माल न लेना। और मज़्लूम की बद दुआ से बचना क्योंकि अल्लाह तआला तक पहुँचने में उसके सामने कोई रुकावट नहीं।'

(2523) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2437, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2301.

फ़ायदा : असल यही है कि ज़कात को उसी इलाक़े में तक़्सीम किया जाये मगर ये कि वह ज़्यादा हो या दूसरे लोग ज़्यादा मुस्तहिक़ हों। ख़ुसूसन सदक़तुल फ़ित्र तो अपने इलाक़े ही में तक़्सीम होना चाहिए क्योंकि उसकी मिक़्दार कम होती है। उस इलाक़े के मुस्तहिक़्क़ीन की ज़रूरियात के लिये काफ़ी न होगा, और ये वक़्ती सदक़ा है ताकि फ़ुक़रा भी बेफ़िक्र होकर ईद में शामिल हो जायें। बख़िलाफ़

इसके ज़कात एक मुस्तक़िल फ़ण्ड है और इसके मसारिफ़ भी ज़्यादा हैं, जैसे: फ़ी सबीलिल्लाह, लिहाज़ा इसे मुन्तक़िल करना ही पड़ता है। (बाक़ी मबाहिस के लिये देखिये, हदीस: 2437)

बाब : (47) जब कोई शख़्स ला'इल्मी में ज़कात किसी ग़नी को दे बैठे तो?

باب : (٤٧) إِذَا أَعْطَاهَا غَنِيًّا وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ

(2524) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(बनी इस्राईल में से) एक आदमी ने कहा: मैं आज ज़रूर सदक़ा करूँगा। वह (रात के वक़्त) अपना सदक़ा लेकर निकला और जाकर एक चोर के हाथ पर रख दिया, तो सुबह लोग ये कहने लगे कि चोर पर सदक़ा किया गया है। उसने कहा: ऐ अल्लाह! तेरा शुक्र है (अगरचे) चोर पर सदक़ा हो गया। आज मैं फिर सदक़ा करूँगा। वह सदक़ा लेकर निकला तो किसी ज़ानिया के हाथ पर रख आया। सुबह लोग ये कहने लगे कि रात एक बदकार औरत पर सदक़ा किया गया। उस आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है (अगरचे) ज़ानिया पर सदक़ा हो गया है। आज फिर मैं सदक़ा करूँगा, फिर वह अपना सदक़ा लेकर निकला। एक ग़नी को दे आया। सुबह लोग चे-मी गोइयाँ (बातें बनाना) करने लगे कि (ताज्जुब है) मालदार पर सदक़ा किया गया है। वह शख़्स कहने लगा, ऐ अल्लाह! तेरा शुक्र है (अजीब बात है) कभी बदकार औरत पर सदक़ा हो जाता है, कभी चोर पर और कभी मालदार पर, फिर ख़्वाब में उससे कहा गया: तेरा सदक़ा तो यक़ीनन क़बूल हो चुका। रही ज़ानिया! (यानी

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " قَالَ رَجُلٌ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ

عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى سَارِقٍ وَعَلَى غَنِيٍّ فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ تُقُبِّلَتْ أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ بِهِ مِنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ السَّارِقَ أَنْ يَسْتَعِفَّ بِهِ عَنْ سَرِقَتِهِ وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " .

उस पर किया हुआ सदक़ा) तो (वह इसलिये क़बूल है कि) शायद उस सदक़े की वजह से वह बदकारी से बाज़ आ जाये। और चोर! शायद वह उस (सदक़े) की वजह से चोरी करने से बाज़ आ जाये, और मालदार! शायद वह इबरत व नसीहत हासिल करे और अल्लाह तआला के दिये हुये माल से ख़र्च करने लगे।'

(2524) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1421, मुस्लिम, हदीस: 1022, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 2302.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऊपर दिया गया वाक़िया बनी इस्राईल का है। जब तक हमारी शरीयत पहली शरीयतों की किसी बात की तर्दीद न करे, उस वक़्त तक पहली बात भी हुज्जत है। मज़्कूरा वाक़िया भी नबी (ﷺ) ने बयान फ़रमा कर तस्दीक़ फ़रमा दी, लिहाज़ा हुज्जत है। इसी तरह किसी का ख़्वाब हुज्जत तो नहीं होता मगर नबी (ﷺ) की तस्दीक़ से ये भी हुज्जत बन गया। **(2)** इस वाक़िये से मालूम हुआ कि अगर ग़लती या ला'इल्मी से ज़कात किसी ऐसे शख़्स को दे दी गई हो जो मुस्तहिक़ नहीं था तो अदा करने वाले शख़्स पर कोई मलामत नहीं, और वह बरीउज़्ज़िम्मा हो जाता है, अगरचे लेने वाले के लिये जायज़ नहीं, अलबत्ता इस वाक़िये में ये सराहत नहीं कि वह सदक़ा फ़र्ज़ था या नफ़ल। हाँ, अगर जानबूझ कर ग़ैर मुस्तहिक़ को अदा करे तो वह बरीउज़्ज़िम्मा न होगा। **(3)** चोर और ज़ानिया अगर फ़क़ीर थे तो वह सदक़े के मुस्तहिक़ थे। हो सकता है कि चोर फ़क़्र की वजह से चोरी करता हो और ज़ानिया भी फ़क़्र की वजह से ज़िना का इरतेकाब करती हो। अगरचे इस सूरत में भी ये जराइम उनके लिये जायज़ न थे मगर इन जराइम के बावजूद वह फ़क़्र की वजह से ज़कात के मुस्तहिक़ थे। सदक़ा करने वाले का इज़्हारे अफ़सोस उर्फ़ के तौर पर था क्योंकि उमूमन जराइम पेशा लोगों को सदक़ा नहीं दिया जाता, मगर शरअन ऐसी कोई पाबन्दी नहीं। मुमकिन है उन्हें तआवुन करना (उनकी मदद करना) उनकी इस्लाह का सबब बन जाये।

बाब : (48) हराम (चोरी, ख़्यानत वग़ैरह) के माल से सदक़ा देना

باب : (۴۸) الصَّدَقَةِ مِنْ غُلُولٍ

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الذَّارِعُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا

(2525) हज़रत अबू मलीह के वालिद से मरवी है, वह बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ)

شُعْبَةُ، . قَالَ وَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، -وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، - وَاللَّفْظُ لِبِشْرٍ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ " .

को ये फ़रमाते सुना: 'अल्लाह तआला तहारत के बग़ैर नमाज़ क़बूल नहीं करता और हराम माल से सदक़ा क़बूल नहीं करता।'

(2525) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 139, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2303.

फ़ायदा : क़बूलियत का मतलब सवाब है, यानी हराम माल से सदक़ा करने वाले को सवाब न मिलेगा, अलबत्ता इससे फ़क़ीर को फ़ायदा हो जायेगा। याद रहे कि हराम माल उस शख़्स के लिये नाजायज़ है जिसने नाहक़ हासिल किया, ताहम फ़क़ीर चूंकि इस बात से नावाक़िफ़ है कि सदक़ा करने वाले ने सदक़ा हराम माल से किया है या हलाल माल से, इसलिये उसके लिये उसका इस्तेमाल जायज़ होगा। लेकिन इल्म रखते हुये किसी हराम की कमाई से सदक़ा लेना उसके लिये जायज़ न होगा।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الطَّيِّبَ إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ عَزَّ وَجَلَّ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ " .

(2526) हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब भी कोई शख़्स हलाल माल से सदक़ा करता है, और अल्लाह तआला क़बूल भी हलाल माल ही फ़रमाता है, तो अल्लाह तआला उसे अपने दायें हाथ में वसूल करता है, अगरचे वह सदक़ा एक खजूर ही हो, फिर वह खजूर रब रहमान की हथेली में बढ़ती रहती है यहाँ तक कि वह पहाड़ से भी बड़ी हो जाती है, जैसे तुममें से कोई शख़्स अपने घोड़े या ऊँट के बच्चे को पालता पोस्ता है।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1014, बुख़ारी, हदीस: 1410, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2304.

फ़ायदा : अल्लाह तआला की सिफ़ात जिस तरह कुआर्न व हदीस में वारिद हैं उन पर उसी तरह ईमान लाना वाजिब है। उनमें तश्बीह व तम्सील और तावील व तातील से काम लेना जायज़ नहीं।

सलफ़ का इस पर इज्मा है। कुछ ने इन सिफ़ात की तावीलात की हैं जो कि क़ाबिले इल्तिफ़ात (क़ाबिले तवज्जोह) नहीं।

बाब : (49) कम माल वाले का मशक़्क़त से कमाया हुआ माल

باب : (٤٩) جَهْدِ الْمُقِلِّ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيٍّ الأَزْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ الْخَثْعَمِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ " إِيمَانٌ لاَ شَكَّ فِيهِ وَجِهَادٌ لاَ غُلُولَ فِيهِ وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ " . قِيلَ فَأَىُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ قَالَ " طُولُ الْقُنُوتِ " . قِيلَ فَأَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ " جَهْدُ الْمُقِلِّ " . قِيلَ فَأَىُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ " مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " . قِيلَ فَأَىُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ " مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ " . قِيلَ فَأَىُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ قَالَ " مَنْ أُهْرِيقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ " .

(2527) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुब्शी ख़स्अमी(ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) से पूछा गयाः कौनसा अमल अफ़ज़ल है? आपने फ़रमायाः 'ऐसा ईमान जिसमें कोई शक न रहे। और ऐसा जिहाद जिसमें कोई ख़्यानत न की जाये और नेकी वाला साफ़ सुथरा हज' पूछा गयाः कौनसी नमाज़ अफ़ज़ल है? आपने फ़रमायाः 'लम्बे क़याम वाली (नफ़ल नमाज़)' पूछा गयाः सदक़ा कौन सा अफ़ज़ल है? आपने फ़रमायाः 'कम माल वाले का मशक़्क़त से कमाया हुआ माल' पूछा गयाः हिजरत कौनसी अफ़ज़ल है? फ़रमायाः 'उसी शख़्स की जो अल्लाह तआला की हराम कर्दा चीज़ों को छोड़ दे।' अर्ज़ किया गयाः जिहाद कौन सा अफ़ज़ल है? आपने फ़रमायाः 'उस शख़्स का जिसने अपने जान व माल के साथ मुश्रिकीन से जिहाद किया।' अर्ज़ किया गयाः 'कौन सा क़त्ल (मारा जाना) ज़्यादा शर्फ़ वाला है? आपने फ़रमायाः 'उस आदमी की शहादत जिसका अपना ख़ून भी बहा दिया गया और उसका घोड़ा भी मार दिया गया हो।'

(2527) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीसः 1449, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 2305.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़रूरी नहीं कि एक सवाल का जवाब हर शख़्स को एक सा ही मिले। मुख़ातब की हालत और मौक़ा महल के लिहाज़ से जवाब मुख़्तलिफ़ हो सकता है, और हो सकता है

कि एक अमल हुक़ूक़ुल्लाह में से अफ़ज़ल हो, दूसरा हुक़ूक़ुल इबाद में से। कोई इबादात में अफ़ज़ल हो, कोई मामलात में। इसी लिये दीगर रिवायात में अफ़ज़ल अमल का जवाब इससे मुख़्तलिफ़ भी आया है। इसमें कोई तनाक़ुज़ (टकराव) नहीं। **(2)** 'ईमान' जिसमें कोई तज़ब्ज़ुब या हैस़ बैस़ (कन्फ़्यूजन) न हो, वरना वह मोतबर ही नहीं, जैसे मुनाफ़िक़ीन का ईमान। **(3)** ख़यानत, यानी माले ग़नीमत में। **(4)** 'नेकी वाला हज' जिसमें कोई शहवानी बात न की गई हो, किसी कबीरा गुनाह का इरतेकाब और किसी से झगड़ा वग़ैरह न किया गया हो। **(5)** 'लम्बे क़याम वाली' यानी रात की नफ़ल नमाज़, वरना फ़र्ज़ नमाज़ तो मुख़्तसर क़याम वाली चाहिए। **(6)** 'छोड़ दे' क्योंकि हिजरत का मक़सद तो अल्लाह तआला के दीन पर अमल करना है, वरना घर और शहर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी?

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، وَالْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ " . قَالُوا وَكَيْفَ قَالَ " كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ تَصَدَّقَ بِأَحَدِهِمَا وَانْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عُرْضِ مَالِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا " .

(2528) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(कभी) एक दिरहम (का स़वाब) लाख दिरहम से बढ़ जाता है। स़हाबा ने पूछा: वह कैसे? आपने फ़रमाया: 'एक आदमी के पास कुल दो दिरहम हों, उसने उनमें से एक स़दक़ा कर दिया। और दूसरा शख़्स़ अपने माल के एक कोने में गया। उसमें से एक लाख दिरहम उठाया और स़दक़ा कर दिया।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/379, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2306, देखें, हदीस़: 1271.

फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत और अगली रिवायत को मुहक़्क़िके किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन में से कुछ ने हसन क़रार दिया है, कुछ ने स़ही और कुछ ने इसकी इस्नाद क़वी का हुक्म लगाया है, और उन्होंने इन अहादीस़ पर तहक़ीक़ी बहस़ करते हुये इनके शवाहिद और मुताबिआत का भी तज़्किरा किया है। जिससे मालूम होता है कि ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद क़ाबिले अमल और क़ाबिले हुज्जत है। मज़ीद तफ़्स़ील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 22/349-351, वलमौसूआ अल हदीस़ीया मुसनद इमाम अहमद: 14/498, व स़हीह सुनन नसाई लिल अल्बानी: 2/203, रक़म: 2526, 2527) इसके अलावा अल्लाह तआला गिनती को नहीं देखता बल्कि ख़र्च करने वाले के जज़्बे और उसके दिल की हालत को देखता है। इरशादे रब्बानी है: 'अल्लाह तआला के पास क़ुर्बानी के गोश्त और इन (क़ुर्बानी वाले जानवरों) के ख़ून नहीं पहुँचते, बल्कि उसके पास तुम्हारा तक़्वा और ख़ुलूस़ पहुँचता है।' (अल हज: 22/37) याद रहे अज्र भी उसी चीज़ का है।

(2529) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(कभी) एक दिरहम लाख दिरहम से बढ़ जाता है।' सहाबा ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! वह कैसे? आपने फ़रमाया: 'एक आदमी के पास कुल दो दिरहम हों और वह उनमें से एक उठाये और सदक़ा कर दे। और दूसरे शख़्स के पास बहुत सा माल हो, उसने अपने माल के एक किनारे से एक लाख दिरहम उठाया और सदक़ा कर दिया।'

(2529) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुज़ैमा फ़ी सहीहा, हदीस: 2443, व इब्ने हिब्बान (अल मवारिद), हदीस: 838, वल हाकिम: 1/416, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2307.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ قَالَ " رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا " .

(2530) हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें सदक़ा करने का हुक्म फ़रमाया करते थे। हममें से कुछ लोग कोई चीज़ न पाते थे कि सदक़ा करें तो वह बाज़ार जाते और अपनी पीठ पर बोझ उठाते (बार बरदारी का काम करते) और एक मुद लेकर आते और अल्लाह के रसूल (ﷺ) को दे देते, लेकिन आज मैं ऐसे लोग देखता हूँ जिनके पास लाखों दिरहम हैं मगर उन दिनों उनके पास एक दिरहम भी नहीं होता था।

(2530) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2308.

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ فَمَا يَجِدُ أَحَدُنَا شَيْئًا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّى يَنْطَلِقَ إِلَى السُّوقِ فَيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَجِيءَ بِالْمُدِّ فَيُعْطِيَهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي لأَعْرِفُ الْيَوْمَ رَجُلاً لَهُ مِائَةُ أَلْفٍ مَا كَانَ لَهُ يَوْمَئِذٍ دِرْهَمٌ .

फ़ायदा : यक़ीनन उस दौर का एक दिरहम सवाब के लिहाज़ से आज के एक लाख दिरहम से बढ़ जायेगा। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ لَمَّا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّدَقَةِ فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَىْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلاَّ رِيَاءً فَنَزَلَتْ { الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ } .

(2531) हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि जब हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सदक़ा करने का हुक्म दिया तो हज़रत अबू अक़ील (ﷺ) ने निस्फ़ साअ सदक़ा किया। एक और सहाबी उससे बहुत ज़्यादा माल लेकर आये। मुनाफ़िक़ीन कहने लगे: अल्लाह तआला उस शख़्स (हज़रत अबू अक़ील) के इस क़लील सदक़े से बेन्याज़ है और इस दूसरे शख़्स ने सिर्फ़ रियाकारी के लिये सदक़ा किया है। तो ये आयत उतरी: (अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुतव्विईन.......) 'मुनाफ़िक़ लोग ख़ूशी से कसीर (ज़्यादा) सदक़ा करने वाले ईमान वालों को भी ऐब लगाते हैं और उन ग़रीब मुसलमानों को भी जिनके पास मशक़्क़त से कमाया हुआ थोड़ा सा माल है।'

(2531) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4668, मुस्लिम, हदीस: 1018, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2309.

फ़ायदा : 'एक और सहाबी' ये हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) थे। मालदार सहाब-ए-किराम(ﷺ) में शुमार होते थे। उस दिन ये चार हज़ार और एक रिवायत के मुताबिक़ आठ हज़ार दिरहम लेकर आये थे। देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 22/356) मुनाफ़िक़ों ने उन पर रियाकारी का इल्ज़ाम लगा दिया और हज़रत अबू अक़ील (ﷺ) के निस्फ़ साअ सदक़ा करने को वैसे मज़ाक़ बना लिया और तहक़ीर की।

باب : (٥٠) الْيَدِ الْعُلْيَا

बाब : (50) ऊपर वाला हाथ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ، وَعُرْوَةُ، سَمِعَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ

(2532) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से (माल) माँगा, आपने मुझे दिया। मैंने फिर माँगा। आपने फिर दिया। मैंने फिर माँगा, आपने फिर दिया।

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ " إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى " .

साथ ही फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा ये माल सब्ज़ो शीरीं है। जो शख़्स इसे दिल की पाकीज़गी के साथ लेगा, उसके लिये इसमें बरकत होगी और जो दिल के तमअ व हिर्स के साथ लेगा, उसके लिये इसमें बरकत न होगी और वह उस शख़्स की तरह होगा जो खाता है मगर सैर नहीं होता। और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है।'

(2532) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6441, मुस्लिम, हदीस: 1035, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2310.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'सब्ज़ो शीरीं' सब्ज़ चारा जानवरों को बहुत मरग़ूब होता है और मीठी चीज़ उमूमन इन्सानों को बहुत पसन्द होती है, इसलिये माल को दो चीज़ों से तश्बीह दी गई। **(2)** 'दिल की पाकीज़गी' यानी दिल में तमअ और लालच न हो और न उसने माँगा ही हो। या देने वाले ने उसे ख़ुशी से दिया हो, न कि मजबूरन, या बग़ैर माँगे दिया हो। **(3)** 'दिल के तमअ व हिर्स' यानी लेने वाले की ये हालत हो या देने वाले ने तमअ और लालच से दिया हो कि मुझे ज़्यादा वापस मिलेगा। **(4)**'सैर नहीं होता' क्योंकि दिल ग़नी नहीं। दिल ग़नी हो तो थोड़ा भी काफ़ी महसूस होता है वरना ढेर भी मुतमइन नहीं कर सकते। **(5)** 'ऊपर वाला हाथ' यानी देने वाला क्योंकि वह बलन्द रहता है। किसी के सामने ज़लील नहीं होता। **(6)** 'नीचे वाले हाथ' यानी माँगने वाला। वह हक़ीक़तन भी देने वाले के हाथ के नीचे होता है और रुत्बे के लिहाज़ से भी कम होता है। **(7)** हदीस का मक़सूद ये है कि इन्तेहाई हाजत के बग़ैर नहीं माँगना चाहिए और अगर ख़ुद-ब-ख़ुद मिले तो फिर भी दिल में हिर्स व तमअ नहीं होना चाहिए और जब ज़रूरत पूरी हो जाये तो माँगने से रुक जाना चाहिए बल्कि किसी का दिया भी क़बूल न करे। इसमें इज़्ज़त है।

باب : (٥١) أَيَّتُهُمَا الْيَدُ الْعُلْيَا

बाब : (51) ऊपर वाला हाथ कौन सा है?

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ - عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

(2533) हज़रत तारिक़ मुहारिबी (ﷺ) से मरवी है कि हम मदीना मुनव्वरा आये तो रसूलुल्लाह(ﷺ) मिम्बर पर खड़े लोगों से ख़िताब फ़रमा रहे थे। आप फ़रमा रहे थे: 'देने वाले का हाथ ऊँचा होता है और सबसे पहले तू उसे दे जिसका तू ज़िम्मेदार है। अपनी माँ को दे, अपने

وسلم قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ " يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ " . مُخْتَصَرٌ .

बाप को दे, अपनी बहन को दे, अपने भाई को दे, फिर अपने क़रीबी रिश्तेदार को दे, फिर अपने पड़ौसी को दे।' ये हदीस़ मुख़्तस़र है।

(2533) तख़रीज : (सनद स़ही) दारक़ुतनी, 3/43, 44, हदीस़: 2957, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई; हदीस़: 2311, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 810, वल हाकिम: 2/612.

फ़ायदा : अक़्लन भी यही तर्तीब है क्योंकि जिसका ख़र्चा ज़िम्मे हो, उसका तो हक़ है। दुनिया में भी पुर्सिश होगी और आख़िरत में भी, फिर ताल्लुक़, रिश्तेदारी और क़ुर्ब का लिहाज़ रखा जायेगा।

باب : (٥٢) الْيَدِ السُّفْلَى

बाब : (52) नीचे वाला हाथ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ " الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ " .

(2534) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (﵁) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने स़दक़ा करने और माँगने से बचने का ज़िक्र करते हुये फ़रमाया: 'ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर वाला हाथ देने वाला हाथ है और नीचे वाला हाथ माँगने वाला है।'

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1033, बुख़ारी,: 1429, मौता: 2/998, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 2312.

باب : (٥٣) الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

बाब : (53) स़दक़ा ऐसा होना चाहिए जिसके बाद भी स़दक़ा करने वाला ग़नी रहे

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ " .

(2535) हज़रत अबू हुरैरह (﵁) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेहतरीन स़दक़ा वह है जिसके बाद भी स़दक़ा करने वाला ग़नी रहे। और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। और सबसे पहले उसे दे जिसका तू ज़िम्मेदार है।'

(2535) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2312, बुख़ारी, हदीस़: 1426.

फ़ायदा : 'गनी है' ख़्वाह वह क़ल्बी ग़िना हो या माली। ऐसा न हो कि सदक़ा करने के बाद वह ख़ुद माँगना शुरू कर दे या उसके अहले ख़ाना मोहताज हो जायें। हर आदमी हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़(ﷺ) जैसा ईमान व यक़ीन और तवक्कल नहीं रखता कि सारा माल सदक़ा कर दे। ये रुत्ब-ए-बलन्द मिला जिसको मिल गया। कुछ अहले इल्म ने मानी ये किये हैं कि बेहतरीन सदक़ा वह है जिसके साथ लेने वाला ग़नी हो जाये और सवाल की हाजत न रहे। वल्लाहु आलम!

बाब : (54) इसकी तफ़्सीर व वज़ाहत

باب : (٥٤) تَفْسِيرِ ذَلِكَ

(2536) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सदक़ा करो' एक आदमी ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास एक दीनार है। आपने फ़रमाया: 'अपने आप पर ख़र्च कर।' उसने कहा: मेरे पास एक और है। आपने फ़रमाया: 'अपनी बीवी पर ख़र्च कर' उसने अर्ज़ किया: मेरे पास एक और है। फ़रमाया: 'अपनी औलाद पर ख़र्च कर।' वह अर्ज़ परदाज़ हुआ: मेरे पास एक और है। आपने फ़रमाया: 'अपने नौकर पर ख़र्च कर।' वह बोला: मेरे पास एक और है। आपने फ़रमाया: 'फिर तू ज़्यादा जानता है (कि कहाँ ख़र्च करे)'

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَصَدَّقُوا " . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ . قَالَ " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ " . قَالَ عِنْدِي آخَرُ . قَالَ " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ " . قَالَ عِنْدِي آخَرُ . قَالَ " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ " . قَالَ عِنْدِي آخَرُ . قَالَ " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ " . قَالَ عِنْدِي آخَرُ . قَالَ " أَنْتَ أَبْصَرُ " .

(2536) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1691, मुसनद अहमद: 2/251, 471, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3314, 3315, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 828, वल हाकिम: 1/415, बुख़ारी, हदीस: 750.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस में तसद्दुक़ का लफ़्ज़ है, मगर मुराद फ़र्ज़ या नफ़्ल सदक़ा नहीं बल्कि मुत्लक़ ख़र्च करना मुराद है। इस लफ़्ज़ में नुक्ता ये है कि मोमिन को अपने वाजिब अख़राजात पर भी सवाब मिलता हे बशर्ते कि हलाल माल से करे और इसमें अल्लाह तआला की इताअत और सवाब की नियत रखे। **(2)** कुछ अहादीस में औलाद को बीवी से पहले बयान किया गया है। कोई फ़र्क़ नहीं क्योंकि दोनों के अख़राजात यक्सां वाजिब हैं। **(3)** बयान कर्दा तर्तीब से मालूम होता है कि जब तक फ़र्ज़ अख़राजात पूरे न हों, आगे सदक़ा नहीं करना चाहिए। अव्वल ख़ुवेश बाद दरवेश। मगर

ये कि इख़्तियार न रहे, जैसे: मेहमान घर आ जाये तो घर वालों को भूखा रख कर भी मेहमान नवाज़ी की जा सकती है। गोया यहाँ इख़्तियारी सदक़े का बयान है। (4) 'तू ज़्यादा जानता है' यानी फिर तेरी मर्ज़ी। जहाँ मुनासिब समझता है ख़र्च कर।

باب : (٥٥) إِذَا تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ

बाब: (55) जब कोई मोहताज शख़्स सदक़ा करे तो क्या उसे वापस कर दिया जाये?

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلاً، دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ " صَلِّ رَكْعَتَيْنِ " . ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَةَ الثَّانِيَةَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ " صَلِّ رَكْعَتَيْنِ " . ثُمَّ جَاءَ الْجُمُعَةَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ " صَلِّ رَكْعَتَيْنِ " . ثُمَّ قَالَ " تَصَدَّقُوا " . فَتَصَدَّقُوا فَأَعْطَاهُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ " تَصَدَّقُوا " . فَطَرَحَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَلَمْ تَرَوْا إِلَى هَذَا إِنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَرَجَوْتُ أَنْ تَفْطُنُوا لَهُ فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَلَمْ تَفْعَلُوا فَقُلْتُ تَصَدَّقُوا . فَتَصَدَّقْتُمْ فَأَعْطَيْتُهُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ تَصَدَّقُوا . فَطَرَحَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ خُذْ ثَوْبَكَ " . وَانْتَهَرَهُ

(2537) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी जुमे के दिन मस्जिद में दाख़िल हुआ जब कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे। आपने फ़रमाया: 'दो रकअतें पढ़।' फिर वह दूसरे जुमे को आया तो (उस वक़्त भी) रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे। आपने फ़रमाया: 'दो रकअतें पढ़।' फिर वह तीसरे जुमे को आया तो (उस वक़्त भी आप ख़ुत्बा फ़रमा रहे थे) आपने फिर फ़रमाया: 'दो रकअतें पढ़।' फिर फ़रमाया: 'सदक़ा करो' लोगों ने सदक़ा किया। आपने उसे दो कपड़े दिये। फिर आपने फ़रमाया: 'सदक़ा करो।' उसने अपने दो कपड़ों में से एक कपड़ा फैंक दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम इसे नहीं देखते? ये ख़राब हालत में मस्जिद में दाख़िल हुआ। मुझे उम्मीद थी कि तुम ख़ुद ही समझ जाओगे और इस पर सदक़ा करोगे लेकिन तुमने न दिया तो मैंने ख़ुद कहा कि सदक़ा करो। तुमने सदक़ा किया तो मैंने उसे दो कपड़े दिये, फिर मैंने कहा: सदक़ा करो तो उसने भी अपना एक कपड़ा फैंक दिया। उठा अपना कपड़ा।' और आपने उसे डाँटा।

तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 1675, तिर्मिज़ी: 511, हुमैदी: 741, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 2316.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'दो रकअतें पढ़' हर जुमे आपका उसे दो रकआत पढ़ने का हुक्म देना दलील है कि दौराने ख़ुत्बा में आने वाला शख़्स लाज़िमन दो रकआत पढ़े। उसे ये कह कर रद्द नहीं किया जा सकता कि आपने इसलिये नमाज़ का हुक्म दिया था कि लोग उसकी हालत देख कर उस पर सदक़ा करें क्योंकि ये बात तो तीसरे जुमे में हुई। अगर पहले दो जुमों में ये मक़सद होता तो आप मौक़े पर सदक़े का हुक्म देते जिस तरह तीसरे जुमे को दिया, और सदक़े का हुक्म आम था तभी तो उस आने वाले को सिर्फ़ दो कपड़े दिये और फिर बाद में भी सदक़े का हुक्म दिया गया। गोया ये सदक़ा सिर्फ़ उस शख़्स के लिये न था। **(2)** 'डाँटा' मालूम हुआ मोहताज का सदक़ा करना ज़रूरी नहीं बल्कि उसे रोका जायेगा। मोहताज से सदक़ा लेना सदक़े की रूह के ख़िलाफ़ है।

बाब : (56) गुलाम का (मालिक के माल में से) सदक़ा करना?

باب : (٥٦) صَدَقَةِ الْعَبْدِ

(2538) हज़रत उमैर मौला आबी अल्लहम(ﷺ) से मरवी है कि मुझे मेरे मालिक ने हुक्म दिया कि मैं कुछ गोश्त तैयार करूँ। इत्तेफ़ाक़न एक मिस्कीन आ गया। मैंने कुछ उसे खिला दिया। मेरे मालिक को इसका इल्म हुआ तो उसने मुझे मारा। मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया (और शिकायत की) आपने उसे बुलाया और फ़रमाया: 'तूने इसे क्यूँ मारा?' उसने कहा: ये मेरी इजाज़त के बग़ैर मेरा खाना (फ़ुक़रा को) खिलाता है। आपने फ़रमाया: '(फिर क्या हुआ?) सवाब तुम दोनों को मिलेगा।'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ أَمَرَنِي مَوْلاَىَ أَنْ أُقَدِّدَ، لَحْمًا فَجَاءَ مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلاَىَ فَضَرَبَنِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَاهُ فَقَالَ " لِمَ ضَرَبْتَهُ " . فَقَالَ يُطْعِمُ طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى بِغَيْرِ أَمْرِي قَالَ " الأَجْرُ بَيْنَكُمَا " .

(2538) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1025/83, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2317.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'आबी अल्लहम' ये उनका लक़ब था। नाम ख़ल्फ़ बताया जाता है। और भी अक़्वाल हैं। इसके लफ़्ज़ी मानी हैं: गोश्त का इन्कार करने वाला। उनका ये लक़ब इसलिये था कि वह गोश्त नहीं खाते थे। कुछ अहले इल्म ने कहा है कि दौरे जाहिलियत में वह बुतों के लिये ज़बह शुदा गोश्त नहीं खाते थे। मज़्कूरा हदीस में गोश्त तैयार करने के हुक्म से मालूम होता है कि वह आम गोश्त खाते थे।

मुमकिन है मेहमानों या अहले ख़ाना के लिये तैयार करवाया हो। मालिक से मुराद यही हैं। (2) 'सवाब दोनों को मिलेगा।' अलबत्ता मालिक की इजाज़त ज़रूरी है मगर ये कि बहुत ही मामूली चीज़ हो। मालिक को हुक्म या रज़ामन्दी का सवाब और गुलाम को अदायगी का सवाब, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बराबर हो।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ " . قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْهَا قَالَ " يَعْتَمِلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ " . قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ " يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ " . قِيلَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ " يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ " . قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ " يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ " .

(2539) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर मुसलमान के ज़िम्मे सदक़ा (वाजिब) है।' पूछा गया कि आप बतायें, अगर उसके पास कुछ न हो तो? आपने फ़रमाया: 'अपने हाथ से कमाई करे। अपने आपको फ़ायदा पहुँचाये और सदक़ा भी करे।' कहा गया: आप बतायें अगर वह ऐसे न कर सके तो? आपने फ़रमाया: 'किसी हाजतमन्द, सितम रसीदा (मज़्लूम या आजिज़) की मदद कर दे।' अर्ज़ किया गया कि अगर वह ऐसे भी न कर सके तो? आपने फ़रमाया: 'फिर नेकी का हुक्म दे।' अर्ज़ किया गया: अगर वह ये भी न कर सके तो? आपने फ़रमाया: 'बुराई से बाज़ रहे। ये भी एक सदक़ा है।'

(2539) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 1445, मुस्लिम, हदीस: 1008, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2318.

फ़ायदा : सदक़े से मुराद कारे ख़ैर, यानी सवाब का काम है क्योंकि माली सदक़े से मक़सूद भी तो सवाब ही है, लिहाज़ा हर मुसलमान अपनी हैसियत के मुताबिक़ कोई न कोई नेकी करता रहे।

بَاب : (٥٧) صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

बाब : (57) औरत का अपने ख़ाविन्द के घर से सदक़ा करना?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ

(2540) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब कोई औरत अपने ख़ाविन्द के घर से सदक़ा करती है तो उसे भी सवाब मिलता है, ख़ाविन्द को भी और ख़ज़ांची

سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلاَ يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ " .

को भी। लेकिन उनमें से कोई किसी के सवाब से कमी नहीं करता। ख़ाविन्द को इसलिये कि उसने ये माल कमाया था और औरत को इसलिये कि उसने ख़र्च किया।'

(2540) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 671, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2319, बुख़ारी, हदीस: 1425, मुस्लिम, हदीस: 1024.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'कमी नहीं करता' क्योंकि हर किसी को अपने हिस्से का सवाब मिलता है, इसलिये ज़रूरी नहीं कि सबका सवाब बराबर हो। सवाब तो ख़ुलूस, मेहनत व मशक़्क़त और हुस्ने नियत की बुनियाद पर मिलता है और इसमें लोग मुख़्तलिफ़ होते हैं। (2) औरत अपने ख़ाविन्द के घर से सदक़ा कर सकती है बशर्ते कि ख़ाविन्द की तरफ़ से सराहतन या उर्फ़न इजाज़त हो। उर्फ़न इजाज़त से मुराद रज़ामन्दी है। उसके लिये इल्म होना कोई ज़रूरी नहीं।

باب : (٥٨) عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

बाब : (58) औरत अपने ख़ाविन्द की इजाज़त के बग़ैर अतिया न दे

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ " لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا " . مُخْتَصَرٌ .

(2541) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक्का मुकर्रमा फ़तह किया तो ख़ुत्बे के लिये खड़े हुये और आपने अपने ख़ुत्बे में इरशाद फ़रमाया: 'किसी औरत के लिये जायज़ नहीं कि ख़ाविन्द की इजाज़त के बग़ैर कोई तोहफ़ा या अतिया दे।' ये रिवायत मुख़्तसर है।

(2541) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 3547, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2320.

फ़ायदा : इससे मुराद ख़ाविन्द के घर से अतिया है वरना अगर औरत अपने माल से अतिया दे तो ख़ाविन्द की इजाज़त ज़रूरी नहीं। लेकिन फिर भी हुस्ने मुआशरत और ख़ाविन्द को ऐतमाद में लेने के लिये उससे सलाह मश्वरा कर लेना ही बेहतर है।

बाब : (59) सदक़े की फ़ज़ीलत

باب : (٥٩) فَضْلِ الصَّدَقَةِ

(2522) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि नबी (ﷺ) की अज़्वाजे मुतह्हरात आपके पास इकट्ठी हुईं और कहने लगीं: हममें से कौन आपसे जल्दी मिलेगी? आपने फ़रमाया: 'जिसके हाथ सबसे लम्बे होंगे।' उन्होंने एक बाँस से हाथ मापने शुरू कर दिये (वह आपकी मुराद यही समझतीं जिसका हाथ लम्बा हो) (इस लिहाज़ से) हज़रत सौदा (ﷺ) आपसे जल्दी मिलने वाली थीं क्योंकि उनके हाथ उन सबसे लम्बे थे। (दरअसल) इससे मुराद सदक़े की कसरत थी।

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ أَزْوَاجَ، النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اجْتَمَعْنَ عِنْدَهُ فَقُلْنَ أَيَّتُنَا بِكَ أَسْرَعُ لُحُوقًا فَقَالَ " أَطْوَلُكُنَّ يَدًا " . فَأَخَذْنَ قَصَبَةً فَجَعَلْنَ يَذْرَعْنَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَسْرَعَهُنَّ بِهِ لُحُوقًا فَكَانَتْ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ كَثْرَةِ الصَّدَقَةِ .

(2542) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1420, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 221.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रसूलुल्लाह (ﷺ) के मर्ज़े वफ़ात की बात है। और ये सवाल करने वाली हज़रत आयशा (ﷺ) ख़ुद थीं। **(2)** ये रिवायत मुख़्तसर है। असल सूरते वाक़िया ये है कि हाथ मापने से मालूम हुआ कि हज़रत सौदा (ﷺ) के हाथ लम्बे हैं, लिहाज़ा सबका ख़्याल था कि वही पहले फ़ौत होंगी। वैसे भी वह उम्र के लिहाज़ से सबसे बड़ी थीं, मगर इत्तेफ़ाक़ ऐसा हुआ कि हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (ﷺ) पहले फ़ौत हो गईं। तो ग़ौर करने से पता चला कि हाथों की तवालत से मुराद ज़ाहिरी तवालत नहीं बल्कि सदक़े की कसरत थी। (जिस तरह हम सख़ी शख़्स को खुले हाथों वाला कह देते हैं) हज़रत ज़ैनब (ﷺ) इन्तेहाई सख़ी ख़ातून थीं। वैसे वह क़द के लिहाज़ से छोटी थीं जबकि हज़रत सौदा (ﷺ) बड़े क़द-काठ की मालिक थीं। अल्लाह तआला उन सबसे राज़ी हो। तर्जुमे में क़ोसैन वग़ैरह के ज़रिये से कोशिश की गई है कि रिवायत असल सूरते हाल के मुताबिक़ हो जाये वरना रिवायत के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि हज़रत सौदा (ﷺ) सबसे पहले फ़ौत हो गईं, हालांकि ये बात तारीख़ी लिहाज़ से ग़लत है। हज़रत सौदा (ﷺ) तो हज़रत मुआविया (ﷺ) के दौरे ख़िलाफ़त में 54 हिजरी में फ़ौत हुईं और हज़रत ज़ैनब (ﷺ) हज़रत उमर (ﷺ) के दौरे ख़िलाफ़त में 30 हिजरी में अज़्वाजे मुतह्हरात में सबसे पहले फ़ौत हुईं। ये बात तारीख़ी तौर पर मुत्तफ़क़ अलैहि है और कुछ अहादीस में भी ये तफ़्सील है।

बाब: (60) कौन सा सदक़ा अफ़ज़ल है?

باب : (٦٠) أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ " أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ الْعَيْشَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ " .

(2543) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) से एक आदमी ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! कौन सा सदक़ा अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: 'तू इस हाल में सदक़ा करे कि तू तन्दुरुस्त हो और माल का ख़्वाहिशमन्द हो। ज़िन्दगी की उम्मीद रखता हो और फ़क़्र से डरता हो।'

(2543) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2748, मुस्लिम, हदीस: 1032, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2322.

फ़ायदा : जब इन्सान ख़ुद माल की ख़्वाहिश रखता हो, ज़रूरतमन्द भी हो और ज़िन्दगी की भी उम्मीद हो तो उस वक़्त सदक़ा करना अफ़ज़ल है, लेकिन जब माल ज़्यादा हो या ज़िन्दगी की उम्मीद न हो, क़रीबुल वफ़ात हो तो ख़र्च करने की वह फ़ज़ीलत नहीं। गोया अल्लाह के नज़दीक गिनती के बजाये वह दिली हालत मोतबर है जिसके साथ सदक़ा किया जाता है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ " .

(2544) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अफ़ज़ल सदक़ा वह है जिसके बाद ग़िना बाक़ी रहे और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। और सबसे पहले उस शख़्स को दे जिसका तू ज़िम्मेदार है।'

(2544) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1034, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2323.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ،

(2545) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेहतरीन सदक़ा वह है जिसके बाद ग़िना बाक़ी रहे और पहले उस

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ".

शख़्स को दे जिसका तू ज़िम्मेदार (कफ़ील) है।'

(2545) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 1426, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2324.

फ़ायदा : पहली हदीस़ में अफ़ज़ल स़दक़े से पहली हालत का बयान है और इसमें अफ़ज़ल स़दक़े के बाद वाली हालत का बयान है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً".

(2546) हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब आदमी अपने घर वालों पर स़वाब की नियत से ख़र्च करे तो वह उसके लिये स़दक़ा है।'

(2546) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1002, बुख़ारी, हदीस़: 55, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2325.

फ़ायदा : घर वालों की ज़रूरियात के लिये ख़र्च करना भी स़दक़ा है, यानी इससे भी स़वाब हासिल होगा बशर्ते कि नियत रखे।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ " . قَالَ لاَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي " . فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى

(2547) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि बनू उ़ज़्रा (क़बीले) के एक आदमी ने अपने ग़ुलाम को अपनी मौत के बाद आज़ाद कर दिया। ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) को पहुँची तो आपने फ़रमाया: 'तेरे पास इसके अ़लावा कोई और माल है?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'इसे मुझसे कौन ख़रीदेगा?' तो हज़रत नुऐम बिन अ़ब्दुल्लाह अ़दवी (ﷺ) ने उसे आठ सो दिरहम में ख़रीद लिया और वह ये रक़म लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये। आपने ये रक़म उस शख़्स के सुपुर्द की, फिर फ़रमाया: 'सबसे पहले अपने

الله عليه وسلم فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ " .

आप पर ख़र्च कर। अगर कुछ बच जाये तो वह तेरे घर वालों के लिये है। अगर घर वालों (की ज़रूरियात) से कुछ बच जाये तो वह तेरे क़राबतदारों के लिये है। और अगर तेरे क़राबतदारों से भी बच जाये तो फिर तू उसे अपने आगे और अपने दायें बायें स़दक़ा कर।'

(2547) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2326.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कोई शख़्स अपनी ज़िन्दगी की हालत में कहे कि ये गुलाम मेरे मरने के बाद आज़ाद होगा। उसे अ़रबी ज़बान में तद्बीर कहते थे और उसका आ़म रिवाज था। शरीयत ने भी इसे तस्लीम किया है। इस सूरत में उसकी मौत के बाद वाक़ेअ़तन वह गुलाम आज़ाद होगा, लेकिन उसकी हैस़ियत वस़ीयत जैसी है जिसका निफ़ाज़ सिर्फ़ एक तिहाई मिल्कियत में हो सकता है। **(2)** मज़्कूरा शख़्स के पास सिर्फ़ वह गुलाम ही कुल माल था। ज़ाहिर है वस़ीयत एक तिहाई माल से ज़्यादा नहीं हो सकती, लिहाज़ा नबी (ﷺ) ने उसके अमले तद्बीर को अपने हुक्म से तोड़ दिया बल्कि उस गुलाम को फ़रोख़्त कर दिया ताकि उस शख़्स की मौत की सूरत में वह आज़ाद न हो सके। **(3)** ऐसे गुलाम को बेचना जायज़ नहीं होता मगर मख़्सूस़ हालात में (जब तद्बीर ग़लत हो) उसे फ़रोख़्त किया जा सकता है। हुकूमत बेचे या वह शख़्स ख़ुद, मगर उससे ये इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं कि हर मुदब्बर को बेचना दुरुस्त है। तफ़्सील इन्शाअल्लाह आगे आयेगी। **(4)** 'आगे और दायें बायें' यानी जहाँ मुनासिब समझे स़दक़ा कर। ये एक मुहावरा है। ज़ाहिर अल्फ़ाज़ मुराद नहीं।

باب: (٦١) صَدَقَةِ الْبَخِيلِ

बाब : (61) कंजूस आदमी का स़दक़ा

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ

(2548) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'स़दक़ा करने वाले की और कंजूस शख़्स की मिस़ाल उन दो आदमियों की तरह है जिनके जिस्म पर लोहे के कुर्ते या ज़िरहें हों, जिन्होंने उनके सीनों को ढाँप रखा हो। जब सख़ी ख़र्च करने का इरादा करता है तो उसकी ज़िरह खुल जाती है और वसीअ़ हो

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مَثَلَ الْمُنْفِقِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ أَوْ جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ أَنْ يُنْفِقَ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ الدِّرْعُ أَوْ مَرَّتْ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتَّى أَخَذَتْهُ بِتَرْقُوَتِهِ أَوْ بِرَقَبَتِهِ " . يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوَسِّعُهَا فَلاَ تَتَّسِعُ . قَالَ طَاوُسٌ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَوَسَّعُ .

जाती है यहाँ तक कि उसकी ऊँगलियों के पोरों को ढाँप लेती है और उसके निशानाते क़दम को मिटा देती है। और जब बख़ील ख़र्च करने का इरादा करता है तो उसकी ज़िरह सुकड़ जाती है और हर कड़ी अपनी जगह सिमट जाती है यहाँ तक कि उसके हलक़ या गले को पकड़ लेती है।' हज़रत अबू हुरैरह (﵁) बयान करते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा (जैसे) आप उसे खोल रहे हैं और वह खुलती नहीं। (हज़रत अबू हुरैरह के शागिर्द) ताऊस ने कहा: हज़रत अबू हुरैरह (﵁) भी अपने हाथ से उसे खोलने का इशारा करते थे लेकिन वह खुलती न थी।

(2548) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1021, बुख़ारी, हदीस: 5797, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2327, 2328.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'लोहे के कुर्ते या ज़िरहें' ज़िरह चमड़े की भी होती है, इसलिये लोहे की सराहत फ़रमाई ताकि आइन्दा मिसाल में ज़ोर पैदा हो। **(2)** 'सीनों को' वैसे भी ज़िरह सीने के लिये होती है। यहाँ ख़ुसूसन सीने का ज़िक्र इसलिये है कि इन्सान का दिल, जिससे सख़ावत और कंजूसी का ताल्लुक़ है, सीने में होता है। इस मिसाल में ज़िरह से मुराद नफ़्स का शिकंजा है जो वह रूह पर चढ़ाये रखता है जो रूहानी कमालात के ज़हूर से मानेअ होता है। **(3)** 'खुल जाती है' यानी सख़ी का दिल उस शिकंजे को खोल देता है यहाँ तक कि सख़ावत का असर पूरे जिस्म पर नुमायाँ होता है और उसके हाथ भी खुल कर सख़ावत करते हैं। निशानाते क़दम को मिटाने से मुराद उसकी ग़लतियों को ख़त्म करना है। या मतलब ये है कि जिस तरह ये ज़िरह उसके सारे जिस्म को ढाँप लेती है, उसी तरह क़यामत के दिन अल्लाह तआला उसके उ़यूब की पर्दापोशी फ़रमायेगा। **(4)** 'सिकुड़ जाती है' यानी उसका दिल तंग हो जाता है और वह सदक़ा करने की हिम्मत नहीं पाता यहाँ तक कि उसके लिये सदक़ा करना अपना गला घोंटने वाली बात बन जाती है। जिस तरह ज़िरह उसके गले तक सिकुड़ गई, उसी तरह उसका दिल तंग हो जाता है और उसे सदक़े की तौफ़ीक़ नहीं हो पाती।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدِ اضْطَرَّتْ أَيْدِيَهُمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَكُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَفِّيَ أَثَرَهُ وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِصَدَقَةٍ تَقَبَّضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ " . وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " فَيَجْتَهِدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا فَلاَ تَتَّسِعُ " .

(2549) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कंजूस की और स़दक़ा करने वाले की मिस़ाल उन दो आदमियों की तरह है जिन पर लोहे की ज़िरहें हैं और उनके हाथ उनके सीने के ऊपर बँधें हुये हैं। स़दक़ा करने वाला शख़्स़ जब स़दक़ा करने का इरादा करता है तो उसकी ज़िरह खुल जाती है यहाँ तक कि उसके निशानाते क़दम तक को मिटा डालती है। और जब बख़ील आदमी स़दक़े का इरादा करता है तो ज़िरह की हर कड़ी दूसरी कड़ी से चढ़ जाती (उसमें पेवस्त हो जाती) है और ज़िरह सिकुड़ जाती है और उसके हाथ सीने से बँधे रहते हैं।' मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'वह ज़िरह को खोलने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वह खुलती नहीं।'

(2549) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 1443, मुस्लिम: 1021/77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2329.

फ़ायदा : सख़ी आदमी स़दक़ा करने का इरादा करता है तो उसका दिल फ़राख़ हो जाता है, हाथ खुल जाते हैं और तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं। और कंजूस शख़्स़ स़दक़े का इरादा करे भी तो उसका दिल मज़ीद तंग हो जाता है, गोया कि हाथ बँधे हुये हैं। वह ज़ंजीरों में जकड़े शख़्स़ की तरह लाचार हो जाता है और स़दक़ा नहीं कर पाता। अआ़ज़नल्लाहु मिन्हा!

باب : (٦٢) الإِحْصَاءِ فِي الصَّدَقَةِ

बाब : (62) गिन गिन कर स़दक़ा करना?

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ هِنْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ كُنَّا يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسًا

(2550) हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन हुनैफ़ (ﷺ) से मरवी है कि हम एक दिन मुहाजिरीन व अन्स़ार की एक जमाअ़त के साथ मस्जिदे नबवी में बैठे थे कि हमने हज़रत आयशा(ﷺ) के पास एक शख़्स़ को भेजा ताकि वह हमारे लिये (उनके यहाँ हाज़िर होने की)

इजाज़त तलब करे। (इजाज़त मिलने पर) हम उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुये तो उन्होंने फ़रमाया कि एक दफ़ा एक साइल मेरे पास आया। मेरे पास रसूलुल्लाह (ﷺ) भी तशरीफ़ फ़रमा थे। मैंने (लौण्डी से) उसे कुछ देने को कहा, फिर मैंने वह चीज़ मँगवा कर देखी (कि वह किस क़द्र है?) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आयशा! तू चाहती है कि तेरे घर में कोई चीज़ तेरे इल्म के बग़ैर न आये और न (वहाँ से) जाये?' मैंने अ़र्ज़ किया: जी हाँ! आपने फ़रमाया 'आयशा! ऐसे न करो। गिन गिन कर सदक़ा न किया करो, वरना अल्लाह तआ़ला भी तुझे गिन गिन कर देगा।'

(2550) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2330, वल हाकिम: 4/215, 216.

وَنَفَرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَأَرْسَلْنَا رَجُلاً إِلَى عَائِشَةَ لِيَسْتَأْذِنَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ سَائِلٌ مَرَّةً وَعِنْدِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرْتُ لَهُ بِشَىْءٍ ثُمَّ دَعَوْتُ بِهِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَا تُرِيدِينَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ بَيْتَكِ شَىْءٌ وَلاَ يَخْرُجَ إِلاَّ بِعِلْمِكِ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " مَهْلاً يَا عَائِشَةُ لاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكِ" .

फ़ायदा : जिस तरह हम चाहते हैं कि अल्लाह तआ़ला हमें बेहिसाब रिज़्क़ दे, उसी तरह हमें गिने बग़ैर सदक़ात करते रहना चाहिए क्योंकि अफ़आ़ल का बदला उनकी मिस्ल होता है। इसी हदीस में अल्लाह तआ़ला के गिनने का ज़िक्र तशाकुल के तौर पर है वरना अल्लाह तआ़ला गिनने से बेन्याज़ है। वह गिने बग़ैर हर चीज़ को जानता है। दरअसल यहाँ गिनने से मुराद कम देना है क्योंकि थोड़ी चीज़ ही गिनी जाती है। ज़्यादा चीज़ तो बेहिसाब ही दी जाती है। याद रहे ये नफ़ल सदक़े की बात है वरना फ़र्ज़ सदक़ात तो हिसाब करके ही दिये जाते हैं और वह हिसाब ख़ुद शरीयत ने मुक़र्रर किया है।

(2551) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (رضي الله عنها) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया था: 'गिन गिन कर अल्लाह के रास्ते में न दे वरना अल्लाह तआ़ला भी तुझे गिन गिन कर देगा।'

(2551) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1433, मुस्लिम, हदीस: 1029, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2331.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا " لاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكِ" .

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَىْءٌ إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ فِي أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَىَّ فَقَالَ " ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلاَ تُوكِي فَيُوكِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكِ " .

(2552) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (ﷺ) से मरवी है कि मैं नबी (ﷺ) के पास हाज़िर हुई और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के नबी! मेरे पास ज़ाती माल तो कोई नहीं मगर जो (मेरे ख़ाविन्द) हज़रत ज़ुबैर (ﷺ) मुझे लाकर देते हैं, क्या मुझे गुनाह होगा अगर मैं उससे अ़तिया वग़ैरह दूँ? आपने फ़रमाया: 'जितनी गुंजाइश हो, अ़तिये दे और बाँध बाँध कर न रख वरना अल्लाह तआ़ला भी तुझ पर बाँध देगा।'

(2552) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़:1434, मुसलिम, हदीस़: 1029/89, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2332.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाँध कर रखने से मुराद कंजूसी है कि अगर तू अल्लाह तआ़ला के रास्ते में न देगी तो अल्लाह तआ़ला भी तुझ से रिज़्क़ रोक लेगा। अल्लाह तआ़ला के लिये बाँधने का ज़िक्र तशाकुल (इल्मे मानी की एक इस्तेलाह) के तौर पर है और इसमें कोई हर्ज नहीं। **(2)** इस रिवायत में अ़तियात से मुराद वह छोटे छोटे अ़तियात हैं जिनकी उ़र्फ़न हर घर में इजाज़त होती है। अगर ज़्यादा माल देना हो तो ख़ाविन्द की इजाज़त ज़रूरी है क्योंकि वह माल का अस़ल मालिक है। अगरचे हर चीज़ अल्लाह ही की है।

باب: (٦٣) الْقَلِيلِ فِي الصَّدَقَةِ

बाब : (63) थोड़े सदक़े का बयान

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُحِلِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ " .

(2553) हज़रत अ़दी बिन हातिम (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आग से बचो अगरचे खजूर के एक टुकड़े ही के ज़रिये से।'

(2553) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 1413, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2333.

फ़ायदा : ये एक फ़र्ज़ी बात है, यानी जो मयस्सर है सदक़ा करो। ग़रीब अपने थोड़े माल से और अमीर ज़्यादा माल से, और छोटी नेकी को हक़ीर न समझा जाये। मुमकिन है वही नेकी ख़ुलूस की वजह से निजात और कामयाबी का ज़रिया बन जाये।

أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ وَتَعَوَّذَ مِنْهَا ذَكَرَ شُعْبَةُ أَنَّهُ فَعَلَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ قَالَ " اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ التَّمْرَةِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ " .

(2554) हज़रत अदी बिन हातिम (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आग का ज़िक्र फ़रमाया, फिर आपने (नफ़रत व कराहत से) अपना मुँह फेरा और आग से अल्लाह की पनाह तलब की। शोबा (रावी) ने कहा कि आपने तीन दफ़ा ऐसे ही किया, फिर आपने फ़रमायाः 'जहन्नम की) आग से बचो अगरचे खजूर के एक टुकड़े ही के ज़रिये से। अगर ये भी न मिले तो अच्छी बात ही कर के (आग से बचो)'

(2554) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 6023, मुस्लिम, हदीसः 1016, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 2334.

फ़वाइद व मसाइल : (1) यानी जहन्नम से बचाव और जन्नत में दुख़ूल सिर्फ़ मालदारों ही के लिये ख़ास नहीं। फ़क़ीर लोग भी हुस्ने नियत के साथ मामूली चीज़ ख़र्च करके सख़ावत का दर्जा हासिल कर सकते हैं। अगर बिल फ़र्ज़ किसी के पास कुछ भी न हो तब भी उसके पास अल्लाह तआला की नेमत ज़बान तो है ही। इसके साथ भी ये मक़सूद हासिल हो सकता है। नेक कलिमा मुँह से निकालें, किसी को बुरा न कहें, अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर करें, (भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें) मुस्कुरा कर मिलें, पाकीज़ा बात करें, शर से ज़बान बन्द रखें, निजात और कामयाबी मयस्सर होगी। इन्शाअल्लाह! **(2)** रावि-ए-हदीस हज़रत अदी (ﷺ) अरब के एक मशहूर और सख़ी शख़्स हातिम ताई के फ़रज़न्द थे।

باب : (٦٤) التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ

बाब : (64) दूसरों को सदक़ा करने की रग़बत दिलाने का बयान

أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ وَذَكَرَ عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ

(2555) हज़रत जरीर (ﷺ) बयान करते हैं कि हम दिन के आग़ाज़ में रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर थे कि कुछ लोग आये, नंगे बदन, नंगे पाँव, तलवारें लटकाये हुये। वह अक्सर बल्कि सबके सब मुज़र क़बीले से थे। उनकी तंग हाली

بْنَ جَرِيرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَدْرِ النَّهَارِ فَجَاءَ قَوْمٌ عُرَاةٌ حُفَاةٌ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ " { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } وَ { اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ } تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ - حَتَّى قَالَ - وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ " . فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تُعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صلى

और भूख देख कर रसूलुल्लाह (ﷺ) का चेहर-ए-अनवर मुतग़य्यर (मग़मूम) हो गया। आप अन्दर (घर) गये(मगर कुछ न मिला तो) फिर बाहर तशरीफ़ ले आये और बिलाल (ﷺ) को अज़ान देने का हुक्म दिया। उन्होंने अज़ान व इक़ामत कही। आपने जमाअत करवाई, फिर आपने ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया: (या अय्युहन्नासु ....) 'ऐ लोगो! अपने रब से डरो जिसने तुम सबको एक जान से पैदा फ़रमाया और उससे उसकी बीवी पैदा की और फिर उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैलाये। और अल्लाह तआला से डरते रहो जिसका नाम लेकर एक दूसरे से माँगते हो और रिश्ते तोड़ने से (भी) डरो। यक़ीनन अल्लाह तआला तुम पर निगरां है।' (वत्तक़ुल्लाह .....) 'अल्लाह तआला से डरो और हर शख़्स देखे कि उसने कल (अगली ज़िन्दगी) के लिये क्या आगे भेजा है।' आदमी अपने दीनार से सदक़ा करे, अपने दिरहम से सदक़ा करे, अपने कपड़े से सदक़ा करे, गंदुम का साअ दे, खजूर का साअ दे।' यहाँ तक कि आपने फ़रमाया: 'चाहे खजूर का टुकड़ा ही सदक़ा करे।' अन्सार में से एक आदमी इतनी भारी थेली उठाकर लाया कि उसकी हथेली उससे आजिज़ हो रही थी बल्कि आजिज़ हो ही गई थी, फिर तो लोगों का ताँता बँध गया यहाँ तक कि मैंने दो ढेर देखे। एक ग़ल्ले का और एक कपड़ों का, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का चेहर-ए-अनवर यूँ (ख़ुशी से) दमकने लगा गोया कि उस पर सोना चढ़ा

الله عليه وسلم يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا " .

दिया गया हो। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने इस्लाम में कोई अच्छा तरीक़ा जारी किया, उसे अपना सवाब भी मिलेगा और जितने लोग उसे देख कर वह काम करेंगे, उनके अज्र में से भी उसे हिस्सा मिलेगा, बग़ैर इसके कि उनके सवाब में कोई कमी हो। इसी तरह जो शख़्स इस्लाम में बुरा काम जारी कर दे, उस पर उसका अपना गुनाह भी होगा और उन लोगों का भी जो उसे देख कर वह काम करेंगे, लेकिन उससे उनके गुनाहों में कोई कमी न होगी।'

(2555) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1017, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2335.

फ़ायदा : 'अच्छा तरीक़ा जारी किया' बशर्ते कि वह काम शरीयत में मौजूद हो, जैसे ऊपर दिये गये वाक़िये में अन्सारी ने नेक काम में पहल की और लोगों ने उसे देख कर सदक़ात किये। और सदक़ा शरीयत में मशरूअ है। अगर कोई शख़्स ऐसा काम जारी करे जो शरीयत में मौजूद न हो तो ये बिदअत होगी, ख़्वाह वह ज़ाहिर में नेक काम ही नज़र आये क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स दीन में ऐसा काम राइज करे जो दीन से न हो तो वह मरदूद है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2697, व सही मुस्लिम, हदीस: 1718) क्योंकि इस तरह दीन में तहरीफ़ हो जायेगी और दीन की असल शक्ल व सूरत क़ाइम न रहेगी।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَارِثَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الَّذِي يُعْطَاهَا لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالأَمْسِ قَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ " .

(2556) हज़रत हारिसा (رضي الله عنه) से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'सदक़ा करो इसलिये कि एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि आदमी सदक़ा लेकर चलेगा (कि किसी को दे) मगर जिसे वह सदक़ा दिया जायेगा, वह कहेगा: अगर तू कल ले आता तो मैं क़बूल कर लेता, आज नहीं।'

(2556) तख़रीज: (सनद सही) बुख़ारी: 1411, मुस्लिम

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ऐसा ज़माना' वाक़ेअतन रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात के बाद ऐसा ज़माना आया। क़ुर्बे क़यामत भी ऐसी सूरते हाल पैदा हो जायेगी कि दौलत आम हो जायेगी। सदक़ा तो एक तरफ़ रहा, कोई दौलत (सोना वग़ैरह) न उठायेगा। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 1013) (2) 'कल' ज़रूरी नहीं हक़ीक़तन गुज़िश्ता कल ही मुराद हो, बल्कि मुराद इससे पहले का ज़माना भी हो सकता है, चाहे वह साल दो साल या उससे कम व बेश ही हो।

बाब : (65) सदक़े के बारे में सिफ़ारिश करने का बयान

باب : (٦٥) الشَّفَاعَةِ فِي الصَّدَقَةِ

(2557) हज़रत अबू मूसा (﵁) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सिफ़ारिश करो। तुम्हारी सिफ़ारिश क़बूल की जायेगी। और अल्लाह तआला अपने नबी (ﷺ) की ज़बानी जो चाहेगा, फ़ैसला फ़रमायेगा।'

(2557) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6026, 6027, मुस्लिम, हदीस: 2627, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2337.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اشْفَعُوا تُشَفَّعُوا وَيَقْضِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'सिफ़ारिश करो' यानी जब कोई हाजतमन्द माँगने आये तो तुम उसके हक़ में सिफ़ारिश कर दिया करो। (2) 'तुम्हारी सिफ़ारिश क़बूल होगी' अगर वह क़ाबिले तस्लीम हुई, या मतलब है कि तुम्हें सिफ़ारिश का सवाब मिलेगा जैसा कि एक दूसरी रिवायत में इस मफ़्हूम की सराहत है: (इश्फ़ऊ तुअ्जरू) (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1432, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2627) यही मानी ज़्यादा मुनासिब हैं। (3) 'फ़ैसला फ़रमायेगा' यानी फ़ैसला तो नबी (ﷺ) के हाथ में है जो वह इलाही तालीमात की रोशनी में फ़रमायेंगे। तुम सिफ़ारिश करके सवाब हासिल कर लिया करो।

(2558) हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान(﵁) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक आदमी मुझसे कोई चीज़ माँगता है और मैं इंकार कर देता हूँ ताकि तुम सिफ़ारिश करके सवाब हासिल करो।' तहक़ीक़ रसूलुल्लाह

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الرَّجُلَ

لَيَسْأَلُنِي الشَّىْءَ فَأَمْنَعُهُ حَتَّى تَشْفَعُوا فِيهِ فَتُؤْجَرُوا " . وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا " .

(ﷺ) ने फ़रमाया: 'सिफ़ारिश किया करो, तुम्हें सवाब मिलेगा।'

(2558) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 5132, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2338.

بَاب : (٦٦) الاِخْتِيَالِ فِي الصَّدَقَةِ

बाब : (66) सदक़े में फ़ख़्र करना

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ الْخُيَلاَءِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ وَالاِخْتِيَالُ الَّذِي يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ وَالاِخْتِيَالُ الَّذِي يُبْغِضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْخُيَلاَءُ فِي الْبَاطِلِ "

(2559) हज़रत जाबिर (رضی اللہ عنہ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक ग़ैरत वह है जिसे अल्लाह (عزوجل) पसन्द फ़रमाता है और एक ग़ैरत वह है जिसे अल्लाह तआला नापसन्द फ़रमाता है। इसी तरह एक फ़ख़्र वह है जिसे अल्लाह तआला पसन्द फ़रमाता है और एक फ़ख़्र वह है जिसे अल्लाह तआला नापसन्द फ़रमाता है। पसन्दीदा ग़ैरत वह है जो तोहमत के मक़ाम पर हो और नापसन्दीदा ग़ैरत वह है जो बिलावजह हो। इसी तरह अल्लाह तआला का पसन्दीदा फ़ख़्र वह है जो आदमी लड़ाई के वक़्त करे या सदक़ा करते वक़्त। और नापसन्दीदा फ़ख़्र वह है जो बातिल में हो।'

(2559) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 2659, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2339, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1313, 1666, व इब्ने हजर फ़िल्इसाबा: 1/215, इब्ने माजा, हदीस: 1996 वग़ैरह.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'तोहमत के मक़ाम पर' यानी जिस काम से इन्सान शरअन या उर्फ़न मुत्तहम क़रार पाता हो उस काम को ग़ैरत की बिना पर छोड़ दिया जाये, जैसे: बदनाम लोगों के साथ मेल-जोल रखना। शराब ख़ाने और जुवा ख़ाने में बैठना और इसी तरह ग़ैर महरम औरत के साथ

तन्हाई और ख़ल्वत इख़्तियार करना वग़ैरह। (2) 'पसन्दीदा फ़ख़्र' लड़ाई के वक़्त फ़ख़्र ये है कि अपनी क़ुव्वत व जुर्अत का इज़्हार करे ताकि कुफ़्फ़ार मरऊब हों। फ़ख़्रिया अश्आर पढ़ना भी इसमें दाख़िल है। और सदक़े के वक़्त फ़ख़्र ये है कि ख़ूब दिल खोल कर सदक़ा करे, बल्कि सदक़े में एक दूसरे से आगे बढ़े, कभी कभार दूसरे को अपने से आगे बढ़ने का चैलेन्ज करे। याद रखिए! इससे रियाकारी या वसाइल पर फ़ख़्र करना मुराद नहीं कि वह तो गुनाहे कबीरा है। नाजायज़ काम पर ख़र्च करना हराम है, ख़्वाह एक पैसा हो।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ مَخِيلَةٍ".

(2560) हज़रत अम्र बिन शुऐब के पर दादा से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'खाओ और सदक़ा करो और लिबास पहनो मगर फ़ुज़ूल ख़र्ची और तकब्बुर न हो।'

(2560) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 3605, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2340, बुख़ारी.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है और मज़ीद लिखा है कि इसे इमाम बुख़ारी (رحمه الله) ने किताबुल लिबास से पहले मुअल्लक़ बयान किया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इसे शवाहिद और मुताबिआत की बिना पर हसन क़रार दिया है। याद रहे दलाइल की रू से उसूली तौर पर ये रिवायत हसन दर्जे की है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 23/59, 60, वलमौसूआ अल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 11/294, 295, 312, 313, व हिदायतुर्रुवात: 4/217, 218) **(2)** फ़ुज़ूल ख़र्ची से मुराद ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्च करना या हराम में ख़र्च करना है। और तकब्बुर से मुराद ये है कि दूसरों को हक़ीर समझे जो खाने, पीने और लिबास वग़ैरह में उससे कम दर्जे में हो।

باب: (٦٧) أَجْرِ الْخَازِنِ إِذَا تَصَدَّقَ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ

बाब : (67) ख़ज़ान्ची अपने मालिक की इजाज़त से सदक़ा करे तो उसे भी सवाब मिलेगा

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ،

(2561) हज़रत अबू मूसा (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिये इमारत की तरह है कि उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मज़बूत करता है।' और

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا " . وَقَالَ " الْخَازِنُ الأَمِينُ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبًا بِهَا نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ".

फ़रमायाः 'अमानतदार ख़ाज़िन जो खूश दिली से वह चीज़ (अल्लाह के रास्ते में) देता है, जिसका उसे हुक्म दिया गया हो, वह भी सदक़ा करने वालों में शुमार होता है।'

(2561) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 2260, व मुस्लिम, हदीसः 1023, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 2341.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अकेली अकेली ईंट कोई वक़अत नहीं रखती मगर जब एक दूसरे से मिल जायें तो मज़बूत दीवार बन जाती है। और दीवारें मिलकर चार दीवारी और छत के साथ मुकम्मल मकान बन जाता है जो हर क़िस्म के तूफ़ानों का बिला खटके मुक़ाबला कर सकता है। मुसलमानों को भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही होना चाहिए। (2) 'सदक़ा करने वालों में' क्योंकि ज़ाहिरन तो सदक़ा वही कर रहा है। सदक़ा करने वालों से मुराद सब सदक़ा करने वाले या ये दो शख़्स मालिक और ख़ज़ांची हैं। याद रहे कि मालिक को उसकी मिल्कियत की बिना पर सवाब मिलेगा और ख़ज़ांची को उसके फ़ेअ़ल (काम) पर ज़रूरी नहीं कि दोनों सवाब में बराबर हों।

باب: (٦٨) الْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ

बाब : (68) छुपा कर सदक़ा करने वाला

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ " .

(2562) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'बलन्द आवाज़ से क़ुर्आन मजीद पढ़ने वाला, ऐलानिया सदक़ा करने वाले की तरह है और आहिस्ता क़ुर्आन पढ़ने वाला छुपा कर सदक़ा करने वाले की तरह।'

(2562) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीसः 1664, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 2342.

फ़ायदा : क़ुर्आन मजीद में छुपा कर सदक़ा करने को अफ़ज़ल कहा गया है। अगरचे ऐलानिया सदक़ा करने वाले को भी अच्छा कहा गया है क्योंकि दोनों में अलग अलग फ़वाइद हैं। चूंकि ऐलानिया में रियाकारी का ख़तरा क़वी है, लिहाज़ा वह अफ़ज़ल नहीं। लेकिन कुछ औक़ात ऐलानिया सदक़ा भी

अफ़ज़ल हो सकता है, जबकि उससे दूसरों को तर्ग़ीब व तश्वीक़ देना (शौक़ दिलाना) मक़सूद हो। कुछ अहले इल्म ने यूँ तत्बीक़ दी है कि फ़र्ज़ सदक़ा ऐलानिया किया जाये क्योंकि वह इत्तिहाम व इल्ज़ाम से बच जायेगा। दूसरों को रग़बत भी होगी। इसमें रियाकारी का इम्कान भी कम है क्योंकि फ़र्ज़ काम तो बहरहाल करना ही पड़ता है, अलबत्ता नफ़ल सदक़ा छुपा कर ही दिया जाये क्योंकि ये अल्लाह और बन्दे का मामला है। इसे पोशीदा ही रहना चाहिए, जबकि फ़र्ज़ तो पोशीदा नहीं रह सकता, जैसे फ़र्ज़ नमाज़ सबके सामने (बा'जमाअत) पढ़ना फ़र्ज़ है जबकि नफ़ल नमाज़ घर ही में अफ़ज़ल है ताकि रिया का शाइबा न रहे।

बाब : (69) देकर एहसान जतलाने वाला

باب : (٦٩) الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى

(2563) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन शख़्स ऐसे हैं कि अल्लाह तआला क़यामत के दिन उनकी तरफ़ नहीं देखेगा: वालिदैन का नाफ़रमान, मर्दों की मुशाबिहत इख़्तियार करने वाली औरत और बे'ग़ैरत ख़ाविन्द, और तीन शख़्स जन्नत में दाख़िल न होंगे: माँ बाप का नाफ़रमान, हमेशा शराब पीने वाला और देकर एहसान जतलाने वाला।'

(2563) तख़रीज : (सनद हसन) अबू यअ्ला फ़ी मुसनद: 9/408, 409, हदीस: 5556, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2343, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 56, वल हाकिम: 4/146, 147.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَالدَّيُّوثُ وَثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'नहीं देखेगा।' यानी रहमत और प्यार व मोहब्बत से नहीं देखेगा क्योंकि असल देखना तो यही होता है, वरना कोई शख़्स अल्लाह तआला से छुपा हुआ है, न छुप ही सकता है। याद रहे कि ये सज़ा भी अव्वलन है वरना आख़िरकार ये भी अगर मोमिन हुये तो अल्लाह तआला की रहमत बेकिनार में आ ही जायेंगे। **(2)** 'वालिदैन का नाफ़रमान' यानी उनके हुक़ूक़ अदा न करने वाला। **(3)** 'मर्दों से मुशाबिहत करने वाली औरत' यानी उन मामलात में जो मर्दों के साथ ख़ास हैं, जैसे: लिबास, हजामत वग़ैरह। या मर्दों जैसे काम करे, जैसे: खेतों में हल चलाना, हुकूमत और

सियासत करना वग़ैरह, जिन कामों में मर्दों से इख़्तिलात हो। (4) दय्यूस बे'ग़ैरत जिसे अपनी बीवी, बेटी या बहन के ग़ैरों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ात पर कोई ऐतराज़ न हो। (5) 'जन्नत में नहीं जायेंगे' यानी अव्वलन, वरना सज़ा भुगतने के बाद तो हर ईमान वाला जन्नत में जायेगा। सही रिवायात में सराहत है। (6) 'हमेशा शराब पीने वाला' यानी शराब पीता रहा और बग़ैर तौबा किये मर गया, ख़्वाह ज़िन्दगी के आख़िर में शराब शुरू की हो।

(2564) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से मरवी है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन शख़्स ऐसे (बदनसीब) हैं कि अल्लाह तआला क़यामत के दिन उन्हें (नज़रे रहमत से) नहीं देखेगा। न उनसे (रज़ामन्दी वाला) कलाम फ़रमायेगा और न उन्हें पाक फ़रमायेगा और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब होगा।' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आयत का ये टुकड़ा क़िराअत फ़रमाया तो हज़रत अबू ज़र (ﷺ) ने अर्ज़ किया: वह तो नाकाम हुये और ख़सारे में पड़े। वह तो नाकाम हुये और ख़सारे में पड़े। (वह कौन लोग हैं?) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(वह ये हैं:) अपने तहबन्द को टख़ने से नीचे लटकाने वाला, झूठी क़सम खाकर अपना सामान बेचने वाला और अपने अतिये पर एहसान जतलाने वाला।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُدْرِكِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " . فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا خَابُوا وَخَسِرُوا . قَالَ " الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ " .

(2564) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 106, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2344.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'न कलाम फ़रमायेगा' अलबत्ता डाँट डपट होगी लेकिन उर्फ़न इसे कलाम करना नहीं कहते। ये तो दुश्मनों में भी होता है। (2) 'न पाक फ़रमायेगा' सज़ा यही है मगर अल्लाह तआला माफ़ फ़रमा दे तो क्या ऐतराज़? सज़ा के बाद तो हर मोमिन को माफ़ी हो ही जायेगी।

(2565) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन शख़्स ऐसे (बदनसीब) हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह तआला उनसे कलाम नहीं फ़रमायेगा और न

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ، - وَهُوَ الأَعْمَشُ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ

خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ " .

उनकी तरफ़ देखेगा और न उन्हें पाक फ़रमायेगा और उनके लिये दर्दनाक अ़ज़ाब है: अपने अ़तिये का एहसान जतलाने वाला, अपने तहबन्द को टख़ने से नीचे लटकाने वाला और झूठी क़सम खा कर सामान बेचने वाला।

(2565) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2345.

باب : (٧٠) رَدِّ السَّائِلِ

बाब : (70) साइल को (कुछ न कुछ देकर) रुख़स़त करना चाहिए

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَأَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ بُجَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ " . فِي حَدِيثِ هَارُونَ مُحْرَقٍ .

(2566) हज़रत इब्ने बुजैद अन्स़ारी की दादी बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सवाली को कुछ न कुछ देकर वापस करो, ख़्वाह जला हुआ खुर ही हो।'

(2566) तख़रीज : (सनद स़ही) 2346, मौता: 2/923, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 2473, व इब्ने हिब्बान, हदीस़: 824, वल हाकिम: 1/417, देखें, हदीस़: 2576.

फ़ायदा : मक़स़द मुबालिग़ा है, और ये हुक्म तब है जब साइल हक़दार हो और मस्ऊल के पास गुंजाइश हो, वरना पेशावर गदागरों को (बशर्ते कि मालूम हो) देना तो गुनाह ही के ज़ुम्रे में आ सकता है क्योंकि इस तरह गदागरी की हौस़ला अफ़ज़ाई होती है जबकि इस्लाम ने इसकी सख़्ती के साथ मुमानिअ़त फ़रमाई है।

باب : (٧١) مَنْ يُسْأَلُ وَلاَ يُعْطِي

बाब : (71) जिस शख़्स़ से माँगा जाये और वह न दे तो?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سَمِعْتُ

(2567) हज़रत बहज़ बिन हकीम के दादा ने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जब कोई शख़्स़ अपने मालिक के पास जाये और उससे उसकी ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَأْتِي رَجُلٌ مَوْلاَهُ يَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلٍ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلاَّ دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَتَلَمَّظُ فَضْلَهُ الَّذِي مَنَعَ " .

माँगे और वह उसे न दे तो उस मालिक के लिये क़यामत के दिन एक गंजा साँप बुलाया जायेगा जो उसके ज़्यादा माल को चबायेगा, जो उसने नहीं दिया।'

(2567) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2536, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2347.

फ़ायदा : 'चबायेगा' ये मानी भी बन सकते हैं: 'क़यामत के दिन एक गंजा साँप बुलाया जायेगा जो उस मालिक को चबायेगा और ये साँप उसका वह ज़्यादा माल होगा जो उसने माँगने पर नहीं दिया था।' बज़ाहिर ये मानी ज़्यादा मुनासिब लगते हैं मगर अल्फ़ाज़ का साथ नहीं देते, इसलिये ज़ाहिर मानी को मतन में लिखा गया है।

باب : (٧٢) مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

बाब : (72) जो शख़्स अल्लाह (عزوجل) के नाम पर माँगे

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللَّهِ فَأَجِيرُوهُ وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ " .

(2568) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह तआला का वास्ता देकर पनाह तलब करे, उसे पनाह दो। जो शख़्स अल्लाह तआला के नाम पर माँगे, उसे दो। और जो शख़्स अल्लाह तआला के नाम पर अमन माँगे, उसे अमन दो। और जो शख़्स तुमसे हुस्ने सुलूक करे, उसे उसका बदला दो और अगर तुम्हें बदला देने को कुछ न मिले तो उसके लिये दुआ करो (और करते रहो) यहाँ तक कि तुम्हें यक़ीन हो जाये कि तुमने उसके एहसान का बदला चुका दिया है।'

(2568) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 1672, 5109, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2348, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2071, 2072, वल हाकिम 1/412, देखें, हदीस: 30, मवारिद, हदीस: 2072.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने शवाहिद और मुताबिआत की बिना पर इसे सही क़रार दिया है। मुसनद अहमद के मुहक़्क़िक़ीन ने इस पर सियर हासिल बहस की है जिससे तस्हीहे हदीस वाली राय ही सही मालूम होती है। वल्लाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 23/84-87, वलमौसूआ अल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 9/266, 267, वस्सहीहा लिल अल्बानी: 1/510, 511, रक़्म अल हदीस: 254) **(2)** अल्लाह तआला ही इज़्ज़त वाला है। तमाम बुज़ुर्गी और अज़मत अल्लाह ही के लायक़ है। उसकी अज़मत का तक़ाज़ा है कि जब उसका मुक़द्दस नाम आ जाये तो इन्सान सरे तस्लीम ख़म कर दे। और बिसात भर उस नाम की हुर्मत क़ाइम रखे, बशर्ते कि वह ग़लत मुतालबा न हो, यानी शरीयत के ख़िलाफ़ न हो और उससे किसी पर ज़ुल्म न होता हो और न किसी की हक़ तलफ़ी।

बाब : (73) जो शख़्स अल्लाह तआला की ज़ात का वास्ता देकर माँगे

باب : (٧٣) مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(2569) हज़रत बहज़ बिन हकीम के दादा (हज़रत मुआविया बिन हीदा क़ुशैरी (ﷺ)) बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के नबी! मैंने आपके पास आने से पहले अपने हाथ की ऊँगलियों की तादाद से भी ज़्यादा क़समें खाई थीं कि न मैं आपके पास आऊँगा और न आपका दीन क़बूल करूँगा। और मैं दीन की कोई समझ नहीं रखता मगर जो अल्लाह और उसके रसूल मुझे सिखायें। और मैं आपसे अल्लाह तआला की ज़ात के वास्ते से सवाल करता हूँ कि अल्लाह तआला ने आपको क्या चीज़ देकर हमारे पास भेजा है? आपने फ़रमाया: 'इस्लाम देकर।' मैंने अर्ज़ किया: इस्लाम की अलामात क्या हैं? आपने फ़रमाया: 'ये कि तू कहे: मैंने अपनी ज़ात को अल्लाह तआला के ताबेअ कर दिया है और (उसके अलावा हर चीज़ से) अलग हो जाये और

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِهِنَّ -لأَصَابِعِ يَدَيْهِ - أَلاَّ آتِيَكَ وَلاَ آتِيَ دِينَكَ وَإِنِّي كُنْتُ امْرَأً لاَ أَعْقِلُ شَيْئًا إِلاَّ مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ إِلَيْنَا قَالَ " بِالإِسْلاَمِ " . قَالَ قُلْتُ وَمَا آيَاتُ الإِسْلاَمِ قَالَ " أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَخَلَّيْتُ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ أَخَوَانِ

نَصِيرَانِ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلاً أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ " .

नमाज़ क़ाइम करे और ज़कात अदा करे। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिये क़ाबिले एहतिराम है। वह दोनों एक दूसरे के मददगार भाई होते हैं। अल्लाह तआला किसी मुश्रिक से उसके इस्लाम लाने के बाद भी कोई अमल क़बूल नहीं फ़रमाता यहाँ तक कि वह मुश्रिकीन को छोड़ कर मुसलमानों से आ मिले।

(2569) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 2438, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2349.

फ़ायदा : 'मुसलमानों से आ मिले' यानी हिजरत कर ले। नबी (ﷺ) के दौर में मुसलमानों की क़ुव्वत मुज्तमअ (इकट्ठा) करने की ज़रूरत थी, और अहले कुफ़्र से इस क़द्र मुख़ासमत थी कि दोनों का इकट्ठा रहना और दीन पर अमल करना ना'मुमकिन था, इसलिये हिजरत फ़र्ज़ थी। जब इस्लाम फैल गया और कुफ़्र सिकुड़ गया तो आपने ऐलान फ़रमा दिया कि अब मक्का से हिजरत की ज़रूरत नहीं रही। गोया हिजरत, लाज़िम-ए-इस्लाम नहीं बल्कि उसका फ़ैसला हालात के जायज़े से होगा। न हर दारूल कुफ़्र में रहना जायज़ है और न हर दारुल कुफ़्र से हिजरत वाजिब है।

باب : (٧٤) مَنْ يُسْأَلُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ يُعْطِي بِهِ

बाब : (74) जो शख़्स अल्लाह के नाम पर माँगे और ख़ुद उसके नाम पर न दे?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَارِظِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً " . قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ "

(2570) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या मैं तुम्हें न बताऊँ कि लोगों में से बेहतरीन रुत्बे वाला कौन शख़्स है?' हमने अर्ज़ किया: क्यों नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल! (ज़रूर बताइये!) आपने फ़रमाया: 'वह आदमी जो अल्लाह तआला के रास्ते में अपना घोड़ा लिये फिरता है यहाँ तक कि उसे मौत आ जाती है या वह शहीद हो जाता है। और मैं तुम्हें वह शख़्स बताऊँ जो उसके क़रीब है?' हमने कहा: जी

رَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ وَأُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَلِيهِ " . قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ يُقِيمُ الصَّلاَةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْتَزِلُ شُرُورَ النَّاسِ وَأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ " . قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " الَّذِي يُسْأَلُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ يُعْطِي بِهِ " .

हाँ! ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: 'वह शख़्स जो किसी पहाड़ की घाटी में अलग रहता है, नमाज़ क़ाइम करता है, ज़कात अदा करता है और लोगों के शर से अलग रहता है, और बताऊँ, बदतरीन शख़्स कौन है?' हमने कहा: जी हाँ ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: 'जो अल्लाह के नाम पर ख़ुद तो (लोगों से) माँगे, लेकिन उसके नाम पर (किसी को) न दे।'

(2570) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/237, 319, 322, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2350, व सहीह इब्ने हिब्बान: 1593, तिर्मिज़ी: 1652, व इब्ने हिब्बान: 1594, मुसनद अहमद: 1/226, 311.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'घोड़ा लिये फिरता है' यानी जिहाद करता है। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह मुत्लक़न आला अमल है। और पहाड़ की घाटी में अलग रहना सिर्फ़ उस वक़्त अफ़ज़ल है जब दीन की हिफ़ाज़त मक़सूद हो और लोगों में रह कर दीन पर क़ाइम रहना इन्तेहाई मुश्किल हो जाये, वरना लोगों में रहना और अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुन्कर करना ही अफ़ज़ल है। रुहबानियत की इजाज़त नहीं। (2) 'लोगों के शर से' यानी अपने दीन को महफ़ूज़ कर लेता है, या ये मतलब है कि लोगों को तक्लीफ़ नहीं पहुँचाता। अपने शर से लोगों को महफ़ूज़ रखना भी बड़ी फ़ज़ीलत है। (3) (अल्लज़ी यस्अलु बिल्लाहि) को युस्अलु (मज्हूल) भी पढ़ा गया है, जिसका तर्जुमा होगा: जिससे अल्लाह के नाम पर सवाल किया जाये लेकिन वह न दे। पहले मफ़्हूम में दो क़बाहतें जमा हो जाती हैं: लोगों से माँगना भी और ख़ुद न देना भी, जबकि दूसरे मफ़्हूम में सिर्फ़ एक क़बाहत है। अल्फ़ाज़े हदीस दोनों मफ़्हूम के मुतहम्मिल हैं। वल्लाहु आलम!

باب : (٧٥) ثَوَابِ مَنْ يُعْطِي

बाब : (75) जो शख़्स (अल्लाह तआला के नाम पर) दे उसका सवाब?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ،

(2571) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन शख़्स ऐसे हैं कि अल्लाह तआला उनसे मोहब्बत फ़रमाता है और तीन शख़्स ऐसे हैं कि अल्लाह तआला उनसे

قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيًّا، يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ، رَفَعَهُ إِلَى أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَثَلاَثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوهُ فَتَخَلَّفَهُ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لاَ يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلاَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِي أَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُءُوسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَهُزِمُوا فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَفْتَحَ اللَّهُ لَهُ وَالثَّلاَثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الشَّيْخُ الزَّانِي وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنِيُّ الظَّلُومُ " .

बुग़्ज़ रखता है। जिनसे अल्लाह तआला मोहब्बत फ़रमाता है (वह ये हैं: (एक आदमी किसी क़ौम के पास आया। उन से अल्लाह तआला के नाम पर सवाल किया। किसी बाहमी क़राबत की बिना पर सवाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसे कुछ न दिया। एक शख़्स (उनमें से उठा और) उन लोगों को पीछे छोड़ कर आगे निकल गया और उसे ख़ुफ़िया तौर पर दिया। उसके इस अतिये को अल्लाह तआला ने जाना या उस शख़्स ने जिसे उसने दिया। (दूसरा ये कि) कुछ लोग सारी रात चलते रहे, यहाँ तक कि जब नींद उन्हें हर उस चीज़ से अच्छी लगने लगी जो नींद के बराबर हो सकती है तो वह सवारियों से उतर पड़े और सो गये, लेकिन एक शख़्स (नमाज़ में) खड़ा होकर मेरे सामने गिड़ गिड़ाने लगा और मेरी आयात तिलावत करने लगा। तीसरा वह शख़्स जो एक लश्कर में था। उनका दुश्मन से मुक़ाबला हुआ। सब भाग खड़े हुये मगर वह डटा रहा, यहाँ तक कि शहीद हो गया या उसे फ़तह मिल गई। और वह तीन शख़्स जिनसे अल्लाह (عزوجل) बुग़्ज रखता है, ये हैं: ,बूढ़ा ज़िनाकार, फ़क़ीर मुतकब्बिर और मालदार ज़ालिम।'

(2571) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस़ 1616, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2351.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मोहब्बत और बुग़्ज़ अल्लाह तआला की सिफ़ात हैं जिनका क़ुर्आन व हदीस़ में बकस़रत (बहुत ज़्यादा) ज़िक्र मिलता है, मगर कुछ लोग फ़ल्सफ़े के कुछ ग़ैर मुसल्लम उसूलों से मुतास्सिर होकर इन सिफ़ात की नफ़ी करते हैं और इनसे सिर्फ़ इन्आम व इन्तेक़ाम मुराद लेते हैं, हालांकि ये अलग दो सिफ़ात हैं जो अल्लाह तआला में पाई जाती हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए कि

क्या वह अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) से बढ़ कर अल्लाह तआला की ज़ात व सिफ़ात से वाक़फ़ियत रखते हैं? लफ़्ज़ से वही मानी मुराद लेने चाहिए जो एक सादा सुनने वाले की समझ में आते हैं, हक़ीक़त हो या मजाज़। अगर इन सिफ़ात का आम मफ़्हूम अल्लाह तआला के लायक़ न होता तो ज़रूर बयान कर दिया जाता। (2) जिन तीन आदमियों से अल्लाह तआला के मोहब्बत फ़रमाने का ताल्लुक़ है उनमें एक क़द्रे मुश्तरक है, और वह है ख़ुलूस। तीनों रियाकारी से कोसों दूर हैं और सिर्फ़ अल्लाह तआला के लिये अपना माल आराम और जान क़ुर्बान करते हैं। (3) ज़िना तकब्बुर और ज़ुल्म हर हाल में कबीरा गुनाह है और अल्लाह तआला को नापसन्द हैं। और उनका फ़ाअेल अल्लाह तआला के नज़दीक मबग़ूज़ है मगर जब उनके फ़ाअेल के पास ज़र्रा भर भी उज़्र न हो यहाँ तक कि उर्फ़न भी न हो तो ये काम अकबरूल कबाइर बन जाते हैं। नोजवान के पास शहवत, मालदार के पास माल और फ़क़ीर के यहाँ फ़क़्र इन जराइम का उज़्र उरफ़न बन सकते हैं मगर बूढ़े के पास ज़िना और फ़क़ीर के पास तकब्बुर और अकड़फ़ूं और मालदार के पास किसी की हक़ तलफ़ी का क्या उज़्र हो सकता है? जिसे शरअन नहीं तो उर्फ़न ही पेश किया जा सके। अआज़नल्लाहु अन्हा!

बाब : (76) मिस्कीन की तफ़्सीर (कि वह कौन है?)

باب : (٧٦) تَفْسِيرِ الْمِسْكِينِ

(2572) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मिस्कीन वह नहीं जिसको एक खजूर, दो खजूरें या एक लुक़्मा, दो लुक़्मे वापस कर दें, बल्कि मिस्कीन वह है जो हाजतमन्द होने के बावजूद माँगने से परहेज़ करे। तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो: (ला यस्अलूनन्नास इल्हाफ़न) '(सदक़ात के मुस्तहिक़ वह लोग हैं) जो माँगते वक़्त लोगों के गले नहीं पड़ जाते।'

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ إِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفِّفُ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ { لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا } " .

(2572) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1039, बुख़ारी, हदीस: 4539, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2352.

फ़ायदा : 'मिस्कीन वह नहीं' क्योंकि इस क़िस्म के लोग उमूमन पेशावर भिखारी होते हैं और दूसरों से

ज़्यादा अमीर होते हैं। या मतलब ये है कि क़ाबिले तारीफ़ मिस्कीन नहीं, अगरचे मिस्कीन तो हैं। या ये इस क़द्र मुस्तहिक़ नहीं जिस क़द्र सवाल न करने वाले हाजतमन्द लोग मुस्तहिक़ हैं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ " . قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ قَالَ " الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ " .

(2573) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये घूमने फिरने वाला शख़्स मिस्कीन नहीं जिसे एक दो लुक़्मे या एक दो खजूरें पलटा देती हैं।' सहाबा ने अर्ज़ किया: तो फिर मिस्कीन कौन है? आपने फ़रमाया: 'जिसके पास इतना माल न हो कि गुज़ारा कर सके। न उस (के फ़क़्र) का किसी को पता ही चलता है कि उस पर सदक़ा किया जाये और न वह ख़ुद खड़ा होकर लोगों से माँगता है।'

(2573) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1479, मुस्लिम, हदीस: 1039/101, मौता: 2/923, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2353.

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الأُكْلَةُ وَالأُكْلَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ " . قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى وَلاَ يَعْلَمُ النَّاسُ حَاجَتَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ" .

(2574) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मिस्कीन वह नहीं जिसे एक दो लुक़्मे या एक दो खजूरें पलटा देती हैं।' लोगों ने कहा: तो ऐ अल्लाह के रसूल! फिर मिस्कीन कौन है? आपने फ़रमाया: 'जो शख़्स इतना माल नहीं रखता जो किफ़ायत कर सके और लोगों को उस (के फ़क़्र) का पता नहीं चलता कि उस पर सदक़ा हो सके।'

(2574) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 1632, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2354, बुख़ारी, हदीस: 1476, मुस्लिम, हदीस: 1039.

फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत मअनन सही है जैसा कि मुहक़्क़िक़े किताब ने लिखा है कि बुख़ारी व मुस्लिम की रिवायत इससे किफ़ायत करती है। याद रहे मज़्कूरा रिवायत क़ाबिले अमल और क़ाबिले हुज्जत है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ، وَكَانَتْ، مِمَّنْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ لَمْ تَجِدِي شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلاَّ ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ "

(2575) हज़रत उम्मे बुजैद (ﷺ) से रिवायत है। और उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) से बैअत करने का शर्फ़ हासिल है। उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि कभी कोई मिस्कीन साइल मेरे दरवाज़े पर आ खड़ा होता है मगर मेरे पास उसे देने के लिये कुछ नहीं होता। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर उसे देने के लिये तेरे पास कुछ भी न हो सिवाए जले हुये खुर के, तो वही उसे दे दे।'

(2575) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1667, तिर्मिज़ी, हदीस: 665, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2355, देखें, हदीस: 2566.

फ़ायदा : साइल दरवाज़े से महरूम नहीं जाना चाहिए। इस्तेहक़ाक़ और अदमे इस्तेहक़ाक़ को तो अल्लाह तआला ही बेहतर जानता है मगर ये कि उसका पेशावर होना मालूम हो और वह हक़ीक़तन मोहताज न हो। (और देखिये, हदीस: 2566)

باب : (٧٧) الْفَقِيرِ الْمُخْتَالِ

बाब : (77) तकब्बुर करने वाला फ़क़ीर

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الشَّيْخُ الزَّانِي وَالْعَائِلُ الْمَزْهُوُّ وَالإِمَامُ الْكَذَّابُ "

(2576) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन शख़्स ऐसे हैं कि अल्लाह तआला क़यामत के दिन उनसे कलाम नहीं फ़रमायेगा। बूढ़ा बदकार, मग़रूर व मुतकब्बिर फ़क़ीर और झूठा बादशाह।'

(2576) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/433, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2356, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 54.

फ़ायदा : बादशाह बहरहाल हाकिमे आला है, उसे कोई ख़ौफ़ व ख़तर नहीं कि झूठ बोले, नीज उसका झूठ बहुत बड़े फ़रेब पर मबनी होगा और अवामुन्नास के ऐतमाद को ठेस पहुँचायेगा, और वह पूरी रिआया के लिये नुक़सानदेह है, इसलिये उसका झूठ बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह तआला के ग़ज़ब को दावत देना है।

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْبَيَّاعُ الْحَلاَّفُ وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ وَالشَّيْخُ الزَّانِي وَالإِمَامُ الْجَائِرُ " .

(2577) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चार अश्ख़ास से अल्लाह तआला बुग़्ज़ रखता है: झूठी क़स्में खाकर सामान बेचने वाला, मग़रूर मुतकब्बिर फ़क़ीर, बूढ़ा ज़िनाकार और ज़ालिम बादशाह।'

(2577) तख़रीज : (सनद सही) तारीख़े बग़दाद: 9/358, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2357, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1098.

باب : (٧٨) فَضْلِ السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ

बाब : (78) बेवा के लिये दौड़ धूप करने वाले की फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

(2578) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेवा और मिस्कीन के लिये दौड़ धूप करने वाला उस शख़्स की तरह है जो अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद करता है।'

(2578) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6007, मुस्लिम, हदीस: 2982, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2358, मौता: 2/86, 87, हदीस: 1916.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बेवा के लिये भाग दौड़ करना यक़ीनन फ़ज़ीलत वाला काम है बशर्ते कि ज़ाती मन्फ़अत, जैसे: निकाह के लिये माइल करना मक़सूद न हो और न उसके ऐवज़ उससे अपने घरेलू काम ही करवाये। **(2)** जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह अफ़ज़ल अमल है क्योंकि इसमें इन्सान अपनी जान तक को ख़तरे में डाल देता है, इसलिये उसका सवाब सबसे ज़्यादा है। इसी तरह बेवा और मिस्कीन जैसे बेसहारा अफ़राद से तआवुन भी अज़ीम नेकी है।

बाब : (79)
मुअल्लफतुल क़ुलूब का बयान

(2579) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं कि हज़रत अली (ﷺ) ने, जब वह यमन के अमीर थे रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास ग़ैर साफ़ शुदा सोने की डली भेजी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे चार आदमियों के दरम्यान तक़्सीम फ़रमा दिया: अक़रअ बिन हाबिस हन्ज़ली, उयय्ना बिन बद्र फ़ज़ारी, अल्क़मा बिन उलासा आमिरी जो बनू आमिर की एक शाख़ बनी किलाब में से थे और ज़ैद ताई जो बनू तै की एक शाख़ बनू नबहान से थे। इस पर क़ुरैश के (नो मुस्लिम) सरदार नाराज़ हो गये और कहने लगे: आप नज्द के (नो मुस्लिम) सरदारों को दे रहे हैं और हमें महरूम रख रहे हैं (हालांकि हम आपके क़रीबी हैं?) नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने ऐसा इसलिये किया है कि उनकी तालीफ़े क़ल्ब करूँ। एक शख़्स आया जिसकी दाढ़ी घनी, रुख़सार उभरे हुये, आँखें गहरी, माथा आगे को बढ़ा हुआ और सर मुण्डा हुआ था, वह कहने लगा: ऐ मुहम्मद! अल्लाह से डर। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर मैं अल्लाह तआला का नाफ़रमान हूँ तो अल्लाह तआला का फ़रमाबरदार कौन होगा? अल्लाह तआला तो मुझे ज़मीन वालों (तमाम इन्सानों जिन्नों) पर अमीन जानता है और तुम मुझे अमीन नहीं जानते।' फिर वह शख़्स पीठ फेर कर चला गया। हाज़िरीन में से एक शख़्स ने आपसे उसके

باب : (٧٩) الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

خْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ بِتُرْبَتِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلاَبٍ وَزَيْدٍ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى صَنَادِيدُ قُرَيْشٍ فَقَالُوا تُعْطِي صَنَادِيدَ نَجْدٍ وَتَدَعُنَا . قَالَ " إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لأَتَأَلَّفَهُمْ " . فَجَاءَ رَجُلٌ كَثُّ اللِّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِينِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ . قَالَ " فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ عَصَيْتُهُ

أَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلاَ تَأْمَنُونِي " . ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ يَرَوْنَ أَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ "

क़त्ल की इजाज़त तलब की। अहले इल्म का ख़्याल है कि वह हज़रत ख़ालिद बिन वलीद(ﷺ) थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (इजाज़त तो न दी मगर) फ़रमाया: 'यक़ीनन इसकी नस्ल (क़बीले) में ऐसे लोग होंगे जो क़ुर्आन पढ़ेंगे मगर वह उनके हल्क़ से नीचे नहीं उतरेगा। वह मुसलमानों को क़त्ल करेंगे और बुतपरस्तों को छोड़ देंगे (उन्हें कुछ नहीं कहेंगे) वह इस्लाम से यूँ निकल जायेंगे जैसे तेज़ तीर अपने निशाने को फाड़ कर निकल जाता है। वल्लाह! अगर मैंने उनको पा लिया तो उन्हें क़ौमे आद की तरह क़त्ल करूँगा।'

(2579) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 1064, बुख़ारी: 3344, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 2359.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुअल्लफ़तुल कुलूब कई क़िस्म के होते हैं: ○ वह लोग जो अपनी क़ौम में बा असर सरदार हों और उनके इस्लाम लाने की उम्मीद हो। उन्हें अतियात दिये जायें ताकि उनके दिल से बुअद ख़त्म हो और वह मुसलमान हो जायें। बाद में इस्लाम ख़ुद ब ख़ुद उनके दिलों में घर कर जायेगा। उनकी वजह से उनकी क़ौम भी मुसलमान हो जायेगी। ○ वह नो मुस्लिम लोग जिनके दिलों तक इस्लाम नहीं पहुँचा मगर वह अपनी क़ौम के बा असर सरदार हैं। अगर उन्हें न दिया गया तो वह कोई फ़ित्ना खड़ा कर सकते हैं, इसलिये उन्हें अतियात दिये जायें ताकि वह इस्लाम पर पक्के हो जायें। ○ वह बा'असर लोग जिनके साथ मुसलमानों के इलाक़े मिलते हैं और वह मुश्किल वक़्त में मुसलमानों के मुहाफ़िज़ बन सकते हैं। **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुअल्लफ़तुल कुलूब को माल दिया है। क़ुर्आन मजीद में भी ज़कात के मसारिफ़ में उनका ज़िक्र है। मगर अहनाफ़ का ख़याल है कि अब इस्लाम मज़बूत हो चुका है। हम ऐसे लोगों के मोहताज नहीं रहे, लिहाज़ा अब उनका हिस्सा साक़ित हो चुका है, जबकि दीगर अहले इल्म ज़रूरत पड़ने पर उन्हें अब भी मस्रफ़ समझते हैं और यही बात दुरुस्त है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह इस्लाम ग़ालिब ही आ चुका हो। कुछ इलाक़ों में नबी(ﷺ) के दौर वाली सूरते हाल भी हो सकती है। **(3)** जिन चार सरदारों के माबैन आपने वह सोना तक़्सीम किया था, वह मुअल्लफ़तुल कुलूब की दूसरी क़िस्म में दाख़िल थे। **(4)** 'क़ुरैश के नो मुस्लिम सरदार' जो फ़तहे मक्का के बाद मुसलमान हुये। ये इत्मिनाने क़ल्ब में मुहाजिरीन व अन्सार के दर्जे में न थे। **(5)** 'एक शख़्स' गोया उसकी ज़ाहिरी

शक्ल व सूरत भी क़बीह थी और बात उससे भी क़बीह की। ज़ाहिर यही है कि ये कोई मुनाफ़िक़ शख़्स था जो सिर्फ़ माल के लालच में मुसलमान हुआ था। न मिलने पर बकवास करने लगा। (6) 'इजाज़त न दी' क्योंकि वह ज़ाहिरन मुसलमान था। और मुनाफ़िक़ों के क़त्ल की इजाज़त न थी। उसने सराहतन कोई इल्ज़ाम भी न लगाया था। (7) 'उसकी नस्ल से' वाक़ेअतन ये पेशगोई पूरी हुई। हज़रत अली (ﷺ) के दौर में ये ज़ाहिर हुये। क़ुर्आन बहुत पढ़ते थे मगर पढ़ना और बात है, समझना और बात। उनकी बेवक़ूफ़ी ये थी कि क़ुर्आन मजीद सहाबा से पढ़ते थे मगर मतलब उन्हें बताते थे। (8) 'हलक़ से तजावुज़' यानी क़ुर्आन मजीद को समझ न सकेंगे, लिहाज़ा सवाब के भी हक़दार न होंगे। (9) 'मुसलमानों को क़त्ल' वाक़ेअतन उन्होंने बहुत से सहाब-ए-किराम (ﷺ) को शहीद किया। ख़लीफ़-ए-बरहक़ हज़रत अली और हज़रत उस्मान(ﷺ) को सराहतन काफ़िर कहा। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक. ख़लीफ़-ए-वक़्त से लड़ाई की और अपनी तमाम तवानाइयाँ अहले इस्लाम के ख़िलाफ़ सर्फ़ कीं। ये लोग अपने ख़्याल में मुख़्लिस मुसलमान थे मगर हक़ीक़तन मुसलमानों के लिये काफ़िरों से ज़्यादा नुक़सानदेह साबित हुये। ज़ाहिरन बहुत नेक थे। नमाज़ रोज़े के सख़्ती से पाबन्द थे मगर दीन के सही फ़हम से नाबलद थे। ऐसे लोग कुफ़्फ़ार और शैतान के हाथों आसानी से खिलौना बन जाते हैं। उन्हें दुनिया 'ख़वारिज' के नाम से याद रखती है। (10) 'वह इस्लाम से निकल जायेंगे' ज़ाहिरन तो मालूम होता है कि वह काफ़िर थे, कुछ और नुसूस से भी उनके कुफ़्र का इस्बात होता है। इसलिये मुहद्दिसीन का एक गिरोह उनके काफ़िर होने का क़ाइल है। लेकिन फ़ुक़हा ने उन्हें गुमराह फ़िर्क़ों में दाख़िल किया है। गोया इनके नज़दीक रसूलुल्लाह (ﷺ) के ऊपर दर्ज किये गये अल्फ़ाज़ ज़ज्रो तग़लीज़ पर महमूल हैं। वल्लाहु आलम! (11) 'क़त्ल करूँगा।' ये फ़रीज़ा हज़रत अली (ﷺ) ने सर अंजाम दिया और उनका ख़ातिमा फ़रमाया। अगरचे वह बाद में भी अर्स-ए-दराज़ तक उम्मते मुस्लिमा के लिये किसी न किसी इलाक़े में आफ़त बने रहे। आहिस्ता आहिस्ता वह सियासी और मज़हबी तौर पर ख़त्म हो गये। वल हम्दुलिल्लाह!

बाब : (80) जो शख़्स कोई तावान उठा ले उसे ज़कात दी जा सकती है

باب: (٨٠) الصَّدَقَةِ لِمَنْ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ

(2580) हज़रत क़बीसा बिन मुख़ारिक़ (ﷺ) से मन्क़ूल है, उन्होंने कहा: मैंने कोई तावान अपने ज़िम्मे ले लिया, फिर मैं नबी (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ और आपसे उसकी (अदायगी में तआवुन की) बाबत सवाल किया तो आपने फ़रमाया:

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ، ح وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ

أَيُّوبَ، عَنْ هَارُونَ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ فِيهَا فَقَالَ " إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ بَيْنَ قَوْمٍ فَسَأَلَ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ " .

'माँगना सिर्फ़ तीन क़िस्म के लोगों के लिय जायज़ है। उनमें से एक वह शख़्स है जिसने किसी क़ौम में (सुलह करवाने के लिये) कोई तावान अपने ज़िम्मे ले लिया। वह इस सिलसिले में लोगों से मदद माँग सकता है यहाँ तक कि तावान उतार दे और फिर माँगने से रुक जाये।'

(2580) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1044, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2360.

फ़ायदा : क़ुर्आन मजीद में भी इस जैसे लोगों को ज़कात का हक़दार ठहराया गया है: (वल ग़ारिमीन) (अत्तौबा: 9/60) इससे मुराद वह शख़्स है जो किसी की लड़ाई ख़त्म करने के लिये मुतनाज़ा (विवादित) रक़म अपने ज़िम्मे ले लेता है मगर इतनी वुस्अत नहीं कि ख़ुद अदा कर सके। वह ज़कात का माल लेकर तावान अदा कर सकता है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ " أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ " . قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ

(2581) हज़रत क़बीसा बिन मुख़ारिक़ (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने एक माली बोझ अपने ज़िम्मे ले लिया, फिर उसकी (अदायगी में तआवुन की) बाबत सवाल करने के लिये मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ। आपने फ़रमाया: 'क़बीसा! हमारे पास ठहरो। कोई सदक़ा आ गया तो तुम्हें देने का हुक्म देंगे।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ क़बीसा! ज़कात माँगना सिर्फ़ तीन आदमियों के लिये जायज़ है: एक तो वह शख़्स जिसने (झगड़ा निपटाने के लिये) कोई (माली) बोझ अपने ज़िम्मे ले लिया, तो उसके लिये ज़कात व सदक़ात लेना जायज़ है, यहाँ तक कि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाये। ओर दूसरा वह शख़्स जिस पर कोई नागहानी आफ़त आ गई जिसने उसका

فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَى هَذَا مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا " .

माल ख़त्म कर दिया। उसके लिये भी माँगना जायज़ है यहाँ तक कि उसका गुज़ारा होने लगे, फिर वह माँगने से रुक जाये। और तीसरा वह शख़्स जिसे फ़ाक़ों की नोबत आ गई यहाँ तक कि क़ौम के तीन समझदार (मोतबर) आदमी गवाही दें कि वाक़ेअतन फुलां शख़्स फ़ाक़ाज़दा है, तो उसके लिये भी माँगना जायज़ है यहाँ तक कि वह ज़िन्दगी गुज़ारने के क़ाबिल हो जाये। ऐ क़बीसा! इन हालात के अलावा माँगना हराम है और माँगने वाला हराम खाता है।'

(2581) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2361.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'नागहानी आफ़त' जैसे: सैलाब, आग, फ़सलों की बीमारी और तूफ़ान वग़ैरह। **(2)** 'गवाही दें' ये तब है जब वह कमाई के क़ाबिल हो और उसके बावजूद फ़ाक़ाज़दा हो। वरना अगर वह कमाई के क़ाबिल ही नहीं, जैसे: दाइमी मरीज़ वग़ैरह तो फिर गवाही की क्या ज़रूरत है? मगर ये कि वह लोग उसे जानते ही न हों, तो फिर गवाही की ज़रूरत पड़ेगी।

بَاب : (٨١) الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتِيمِ

बाब : (81) यतीम को सदक़ा देना

أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي هِلاَلٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ " إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ " . وَذَكَرَ الدُّنْيَا

(2582) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं कि (एक दफ़ा) रसूलुल्लाह (ﷺ) मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हुये और हम आपके इर्द गिर्द बैठ गये। आपने फ़रमाया: 'मुझे तुम्हारे बारे में इस बात का डर है कि मेरे बाद तुम्हारे लिये दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत आम कर दी जायेगी।' एक आदमी ने अर्ज़ किया: क्या ख़ैर भी शर को लाता है? रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ामोश हो गये। उस शख़्स से कहा गया कि क्या बात है कि तू रसूलुल्लाह(ﷺ) से बात कर रहा है और रसूलुल्लाह (ﷺ) तुझ से

وَزِينَتَهَا فَقَالَ رَجُلٌ أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقِيلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ يُكَلِّمُكَ . قَالَ وَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ يَمْسَحُ الرُّحَضَاءَ وَقَالَ " أَشَاهِدُ السَّائِلِ إِنَّهُ لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلاَّ آكِلَةَ الْخَضِرِ فَإِنَّهَا أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ ثُمَّ بَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ إِنْ أَعْطَى مِنْهُ الْيَتِيمَ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَإِنَّ الَّذِي يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

बात नहीं कर रहे हैं? फिर हमें अन्दाज़ा हुआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पर वह्य उतर रही है। हालते वह्य ख़त्म हुई तो आपने पसीना पौंछते हुये फ़रमाया: 'क्या वह शख़्स मौजूद है जिसने पूछा था? वाक़ेअतन ख़ैर शर को नहीं लाता मगर मौसमे बहार का उगाया हुआ सब्ज़ा भी कभी जानवर को मार देता है या क़रीबुल मर्ग कर देता है। मगर वह जानवर जो चारा खाये यहाँ तक कि जब उसकी कोखें उभर जायें (उसका पेट भर जाये) तो वह ऐन सूरज की तरफ़ मुँह करके बैठ जाये (जुगाली करे), गोबर करे, पेशाब करे, फिर (जब भूख लगे तो) चरने लगे। यक़ीनन ये माल सब्ज़ और मीठा है। बिलाशुब्हा ये मोमिन का अच्छा साथी है बशर्ते कि वह इससे यतीम, मिस्कीन और मुसाफ़िर को दे। जो शख़्स इस माल को नाहक़ लेता है, वह उस (बीमार) शख़्स की तरह है जो खाता रहता है, मगर सैर नहीं होता। और ये माल क़यामत के दिन उस शख़्स के ख़िलाफ़ गवाही देगा।'

(2582) तख़्रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1052/123, बुख़ारी, हदीस: 1465, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2362.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मुझे तो इस बात का डर है।' मालूम होता है कि लोगों ने फ़क़्र की शिकायत की तो आपने फ़रमाया: मुझे फ़क़्र का कोई ख़तरा नहीं, यानी अगर तुम फ़क़ीर हो तो कोई ख़तरे की बात नहीं बल्कि ख़तरा मालदार होने में है कि कहीं फ़ित्ने में न पड़ जाओ। या ये मतलब है कि मुझे ये ख़तरा नहीं कि तुम फ़क़ीर रहोगे बल्कि ख़तरा है, तुम मालदार हो जाओगे। **(2)** 'क्या ख़ैर भी ... अलख़' यानी माल तो अच्छी चीज़ है। ये कौनसी ख़तरनाक चीज़ है जो आप इसे ख़तरा क़रार दे रहे हैं। **(3)** 'मौसमे बहार का उगाया हुआ सब्ज़ा' हालांकि ये जानवरों के लिये बेहतरीन ग़िज़ा होता है

मगर उसका ग़लत इस्तेमाल मौत का सबब बन जाता है। इसी तरह माल का ग़लत हुसूल या इस्तेमाल भी दीन के लिये ख़तरनाक है। (4) 'सब्ज़ और मीठा है।' सब्ज़ा जानवर को और मीठी चीज़ इन्सान को मरग़ूब होती है, इसलिये इनमें बे'ऐतदाली हो जाती है। नतीजा नुक़सान की सूरत में निकलता है। यही हालत माल की है। (5) 'मगर सैर नहीं होता।' ये भी एक बीमारी होती है यहाँ तक कि वह शख़्स ज़्यादा खाने की वजह से मर जाता है। (6) यतीम सदक़े का हक़दार है बशर्ते कि वह फ़क़ीर भी हो। इसी तरह मुसाफ़िर भी। (7) मिस्कीन वह है जिसके पास कुछ माल है मगर ज़रूरत से कम।

बाब : (82) क़राबतदारों को सदक़ा देना

باب : (٨٢) الصَّدَقَةِ عَلَى الأَقَارِبِ

(2583) हज़रत सलमान बिन आमिर (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मिस्कीन आदमी को सदक़ा देना सिर्फ़ सदक़ा है जबकि क़राबतदार को सदक़ा देना सदक़ा भी है और सिलारहमी भी।'

(2583) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1844, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2363, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2067, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 892, वल हाकिम: 1/431, 432, तिर्मिज़ी, हदीस: 658.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ " .

फ़ायदा : फ़क़ीर क़राबतदार अपने क़ुर्ब की वजह से ज़्यादा मुस्तहिक़ है, लिहाज़ा उसे देने में दुगना सवाब है। सदक़े का भी और सिलारहमी का भी, मगर जिस क़राबतदार के अख़राजात की ज़िम्मेदारी ज़कात देने वाले पर है, उसे वह ज़कात नहीं दे सकता, जैसे: बीवी, बच्चे, माँ, बाप, अलबत्ता बहन भाइयों को, जो अलग रहते हों, ज़कात दे सकता है।

(2584) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) की बीवी हज़रत ज़ैनब (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (एक दफ़ा) औरतों से फ़रमाया: 'सदक़ा करो चाहे ज़ेवरात ही से हो।' हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) तक़रीबन

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

عليه وسلم لِلنِّسَاءِ " تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ " . قَالَتْ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ فَقَالَتْ لَهُ أَيَسَعُنِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِيكَ وَفِي بَنِي أَخٍ لِي يَتَامَى فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَلِي عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَتْ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا عَلَى بَابِهِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ تَسْأَلُ عَمَّا أَسْأَلُ عَنْهُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا لَهُ انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلْهُ عَنْ ذَلِكَ وَلاَ تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ . فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَنْ هُمَا " . قَالَ زَيْنَبُ . قَالَ " أَيُّ الزَّيَانِبِ " . قَالَ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْنَبُ الأَنْصَارِيَّةُ قَالَ " نَعَمْ لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ " .

ख़ाली हाथ थे। उनकी बीवी ज़ैनब उनसे कहने लगीं: क्या इस बात की गुंजाइश है कि मैं अपना सदक़ा आपको और अपने भाई के यतीम बच्चों को दे दूँ? हज़रत अब्दुल्लाह कहने लगे: इस बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछो। वह कहती हैं, मैं नबी(ﷺ) के घर आई तो आपके दरवाज़े पर एक अन्सारी औरत खड़ी थी। उसका नाम भी ज़ैनब था। उसका मतलूब भी वही था जो मेरा था। इतने में हज़रत बिलाल (रज़ि.) निकले। हमने उनसे अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जायें और आपसे ये मसला पूछें लेकिन आपको ये न बताना कि हम कौन हैं? वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास गये (और पूछा) तो आपने फ़रमाया: 'वह कौन औरतें हैं?' उन्होंने कहा: ज़ैनब। आपने फ़रमाया: 'कौन सी ज़ैनब?' उन्होंने अर्ज़ किया: एक ज़ैनब तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) की बीवी और दूसरी ज़ैनब अन्सारी औरत है। आपने फ़रमाया: 'हाँ! उन्हें दो अज्र मिलेंगे: क़राबत (सिलारहमी) का अज्र और सदक़े का अज्र।'

(2584) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1466, मुस्लिम, हदीस: 1000, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2364.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस से साबित होता है कि बीवी अपने ख़ाविन्द को ज़कात दे सकती है अगर वह फ़क़ीर है तो, क्योंकि ख़ाविन्द के अख़राजात की ज़िम्मेदार बीवी नहीं। मगर अहनाफ़ इसे जायज़ नहीं समझते, वह इसे नफ़ली सदक़े पर महमूल करते हैं लेकिन हदीस के अल्फ़ाज़ से इस मौक़िफ़ की ताईद नहीं होती। हदीस के अल्फ़ाज़ आम हैं जो दोनों क़िस्म के सदक़ात (नफ़ली और फ़र्ज़ी ज़कात दोनों) को शामिल हैं। **(2)** 'ये न बताना कि हम कौन हैं?' ये एक रिवायती बात थी वरना मुमकिन नहीं था कि मुताल्लिक़ा अफ़राद का तआरुफ़ करवाये बग़ैर सवाल का सही जवाब

लिया जा सके। इसलिये हज़रत बिलाल (ﷺ) ने आपके पूछने पर फ़ौरन बता दिया कि वह कौन हैं, और उन्होंने न बताने का वादा भी नहीं किया था। इसके अलावा रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान औरतों की गुज़ारिश पर मुक़द्दम था।

बाब : (83) माँगना

باب : (٨٣) الْمَسْأَلَةِ

(2585) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मज़्कूर है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से एक शख़्स लकड़ियों का गट्ठा अपनी पीठ पर उठाये और उसे फ़रोख़्त करे (और मुनाफ़ा हासिल करे), ये इस बात से बेहतर है कि वह किसी आदमी से माँगे। वह उसे कुछ दे या न दे।'

(2585) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2074, मुस्लिम, हदीस: 1042/107, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2365.

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةَ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ " .

फ़ायदा : मेहनत और मशक़्क़त करके अपनी इज़्ज़ते नफ़्स महफ़ूज़ रखना माँगने की ज़िल्लत से बदर्जहा (कई दर्जे) बेहतर है।

(2586) हज़रत अब्दुललाह बिन उमर (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आदमी हमेशा माँगता रहता है यहाँ तक कि वह क़यामत के दिन इस हाल में (लोगों के सामने) आयेगा कि उसके चेहरे में गोश्त का टुकड़ा भी न होगा।'

(2586) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1474, मुस्लिम, हदीस: 1040/104, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2366.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ مِنْ لَحْمٍ " .

फ़ायदा : क़यामत की जज़ा व सज़ा दुनियावी अमल के मुमासिल होगी। उस शख़्स ने माँग माँग कर अपने चेहरे को ज़लील किया यहाँ तक कि किसी के नज़दीक भी उसकी वक़अत (क़द्र) न रही और

कोई शख़्स उसे एहतिराम से देखना गवारा न करता था। क़यामत के दिन भी उसका चेहरा इस हाल में होगा कि उसकी इज़्ज़त होगी, न कोई उसे देखना गवारा करेगा। अआज़नल्लाह! अलबत्ता ये उस शख़्स की सज़ा है जो पेशावर भिखारी है। जो मजबूरी और ज़रूरत से माँगे और लाचार हो उसे माफ़ी होगी।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بِسْطَامِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ يَسْأَلُهُ شَيْئًا " .

(2587) हज़रत आइज़ बिन अम्र (ﷺ) से मन्क़ूल है कि एक आदमी नबी (ﷺ) के पास आया और आपसे कुछ माँगने लगा। आपने उसे दे दिया। जब उसने अपना पाँव दरवाज़े की दहलीज़ पर रखा तो आपने फ़रमाया: 'अगर तुम माँगने की क़बाहत (या सज़ा व गुनाह) जान लो तो तुममें से कोई किसी के पास कुछ भी माँगने न जाये।'

(2587) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अबी आसिम फ़िल आहाद वल मसानी: 2/328, 329, हदीस: 1094, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2367, मुसनद अहमद: 5/65, इब्ने हिब्बान, हदीस: 4/310.

باب : (٨٤) سُؤَالِ الصَّالِحِينَ

बाब : (84) नेक लोगों से माँगना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِيٍّ، عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ، أَنَّ الْفِرَاسِيَّ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " لاَ وَإِنْ كُنْتَ سَائِلاً لاَ بُدَّ فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ " .

(2588) इब्ने फ़िरासी से रिवायत है कि मेरे वालिद हज़रत फ़िरासी (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं किसी से कुछ माँग लिया करूँ? आपने फ़रमाया: 'नहीं। और अगर तुझे मजबूरन माँगना पड़े तो नेक लोगों से माँग।'

(2588) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 1646, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2368.

बाब : (85) माँगने से परहेज़ करना

باب: (٨٥) الاِسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا، مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ " مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ " .

(2589) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है कि कुछ अन्सार ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से (माल) माँगा। आपने उन्हें अता किया। उन्होंने फिर माँगा। आपने फिर दिया यहाँ तक कि जब आपके पास जो कुछ था ख़त्म हो गया, तो आपने फ़रमाया: 'मेरे पास जो भी माल होगा, मैं वह तुमसे छुपा कर न रखूँगा। और जो शख़्स सवाल से परहेज़ करेगा, अल्लाह तआला उसे माँगने से महफ़ूज़ रखेगा। और जो शख़्स सब्र करेगा, अल्लाह तआला उसे साबिर बनायेगा। और किसी शख़्स को सब्र से ज़्यादा अच्छा और वसीअ अतिया नहीं दिया गया।'

(2589) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1053, बुख़ारी, हदीस: 1469, मौता: 2/997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2369.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'महफ़ूज़ रखेगा' यानी जो शख़्स सवाल से (माँगने से) बचना चाहेगा तो अल्लाह तआला उसे ऐसा मौक़ा ही नहीं आने देगा कि उसे माँगना पड़े। अल्लाह तआला उसकी ज़रूरियात पूरी फ़रमाता रहेगा मगर वह हौसला रखे और लोगों से माँगने में जल्दी न करे। **(2)** 'साबिर बनायेगा' यानी सब्र के हुसूल के लिये अज़्म की भी ज़रूरत है। हिम्मत करे इन्सान तो किया हो नहीं सकता। **(3)** 'वसीअ अतिया' यानी सब्र बहुत बड़ा अतिया है मगर मुसीबत ज़दा के लिये। वैसे अल्लाह तआला से सब्र के अस्बाब नहीं माँगने चाहिए। हाँ, अगर कोई मुसीबत सर पर आन पड़े तो सब्र माँगे। सब्र का मफ़्हूम बहुत वसीअ है। दीन पर पुख़्तगी, हराम और गुनाह से परहेज़, हौसलामन्दी और मुसीबत में न घबराना ये सब सब्र ही के मानी हैं।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْنٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ

(2590) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! तुममें से एक

الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ " .

शख़्स अपनी रस्सी पकड़े और अपनी पुश्त पर लकड़ियों का गट्ठा लाद कर लाये (और उसे बेच कर गुज़ारा करे) इस बात से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि वह किसी ऐसे आदमी के पास जाये जिसे अल्लाह तआला ने अपने फ़ज़्ल से नवाज़ रखा है और उससे जाकर माँगे, फिर वह उसे दे या न दे।'

(2590) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1470, पिछली हदीस देखें, मौता: 2/998, 999, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2370.

फ़ायदा : 'अपने फ़ज़्ल' क़ुर्आन व हदीस में उमूमन फ़ज़्ल से मुराद दुनियावी रिज़्क़ होता है और रहमत से मुराद उख़रवी सवाब। किसी आदमी से दुनियावी चीज़ ही माँगी जा सकती है।

باب : (٨٦) فَضْلِ مَنْ لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا

बाब : (86) लोगों से कुछ न माँगने वाले की फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ يَضْمَنْ لِي وَاحِدَةً وَلَهُ الْجَنَّةُ " . قَالَ يَحْيَى هَا هُنَا كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا أَنْ لاَ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا .

(2591) हज़रत सौबान (﵁) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स मुझे एक बात की ज़मानत दे दे, उसके लिये जन्नत है। और वह बात ये है कि किसी इन्सान से कुछ न माँगेगा।'

(2591) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1837, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2371, अबी दाऊद, हदीस: 1643 वग़ैरह.

फ़ायदा : जन्नत का वादा मामूली बात नहीं मगर किसी से कुछ न माँगने की पाबन्दी भी बहुत मुश्किल अम्र है। इसके लिये जिस हौसले और ज़ब्त व तवक्कल की ज़रूरत है वह हर किसी के बस की बात नहीं। ख़ाल ख़ाल ही (बहुत कम) लोग ऐसे मिल सकते हैं।

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ - قَالَ حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ رَجُلٍ أَصَابَتْ مَالَهُ جَائِحَةٌ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكَ وَرَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ حَمَالَتَهُمْ ثُمَّ يُمْسِكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَرَجُلٍ يَحْلِفُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ ذَوِي الْحِجَا بِاللَّهِ لَقَدْ حَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ لِفُلاَنٍ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ مَعِيشَةٍ ثُمَّ يُمْسِكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَمَا سِوَى ذَلِكَ سُحْتٌ ".

(2592) हज़रत क़बीसा बिन मुख़ारिक़ (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'माँगना सिर्फ़ तीन आदमियों के लिये जायज़ है: एक वह शख़्स जिसके माल पर कोई नागहानी आफ़त आ गई तो वह माँग सकता है यहाँ तक कि गुज़ारा हो सके, फिर वह माँगने से बाज़ आ जाये। और एक वह शख़्स जिसने कोई तावान अपने ज़िम्मे ले लिया, वह माँग सकता है यहाँ तक कि वह तावान अदा करे, फिर वह माँगने से बाज़ आ जाये। और एक वह शख़्स जिसकी क़ौम के तीन समझदार (मुअज़्ज़ज़) अश्ख़ास अल्लाह तआला के नाम की क़सम उठायें कि फुलां शख़्स (की हालत ये हो गई है कि उस) के लिये माँगना हलाल हो गया है। तो वह माँग सकता है यहाँ तक कि मुनासिब गुज़ारा कर सके, फिर वह माँगने से बाज़ आ जाये। इन तीन सूरतों के अलावा माँगना हराम है।'

(2592) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2581, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2372.

फ़ायदा : देखिये हदीस: 2580, 2581.

باب : (٨٧) حَدِّ الْغِنَى

बाब : (87) ग़िना की तारीफ़

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

(2593) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स माँगे, हालांकि उसके पास इतना माल है जो उसे किफ़ायत कर सकता है, तो क़यामत के दिन उसका चेहरा नोचा हुआ होगा।' पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! कितना माल एक शख़्स को

बْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ خُمُوشًا أَوْ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاذَا يُغْنِيهِ أَوْ مَاذَا أَغْنَاهُ قَالَ " خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ " . قَالَ يَحْيَى قَالَ سُفْيَانُ وَسَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ .

क़िफ़ायत कर सकता है? आपने फ़रमाया: 'पचास दिरहम या उस (के बराबर) मालियत का सोना।'

यहया कहते हैं कि सुफ़ियान सौरी ने कहा, मैंने ज़ुबैद को सुना वह इसे मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद से बयान कर रहे थे।

(2593) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 1626, व इब्ने माजा, हदीस: 1840, तिर्मिज़ी, हदीस: 2/19, हदीस: 650, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2373.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िके किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने शवाहिद व मुताबिआत की बिना पर हसन क़रार दिया है। याद रहे मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद शवाहिद और मुताबिआत की बिना पर क़ाबिले अमल है। वल्लाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (अलमौसूआ अल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 6/194-197 वस्सहीहा लिल अल्बानी: 1/899, रक़म अलहदीस: 499) **(2)** 'पचास दिरहम' ये तक़रीबन 5250 रूपये की मालियत के बराबर हैं, लिहाज़ा जिस शख़्स की मिल्कियत में इतना माल हो उसके लिये लोगों से सवाल करना दुरुस्त नहीं। कुछ रिवायात में चालीस दिरहम का ज़िक्र है, ये हालात के मुताबिक़ है। वल्लाहु आलम!

باب : (٨٨) الإِلْحَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ

बाब : (88) इल्हाफ़ के साथ (चिमट कर) माँगना

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ وَلاَ يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا

(2594) हज़रत मुआविया (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इल्हाफ़ के साथ (चिमट कर) न माँगा करो। तुममें से जो शख़्स भी मुझसे कुछ माँगेगा जबकि मैं उसे देना पसन्द न करूँ (और वह मुझे तंग करके कुछ माल ले जाये) तो उसके लिये उसमें बरकत न होगी जो मैं उसे दूँगा।'

وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ " .

(2594) तख़रीज : (सनद सहीह) मुस्लिम, हदीस: 1038, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2374.

फ़ायदा : इस्रार, यानी चिमट कर माँगना ये है कि साइल मस्ऊल (जिससे माँगा जाये उस) का पीछा उस वक़्त तक न छोड़े जब तक वह उससे मतलूबा चीज़ हासिल न कर ले। जिस शख़्स के लिये माँगना जायज़ है, इस्रार उसके लिये भी मना है। 'मैं इसे देना पसन्द न करूँ।' आप तो सबसे बढ़ कर सख़ी थे। आपका पसन्द न करना दलील है कि वह मुस्तहिक़ नहीं है, लिहाज़ा वह कुछ ले भी जाये (इस्रार करके) तो मिनजानिब अल्लाह (अल्लाह की जानिब से) उसमें बरकत न होगी क्योंकि ग़ैर मुस्तहिक़ कभी आसूदा नहीं होता। वह हमेशा फ़क़ीर ही रहता है।

باب : (٨٩) مَنِ الْمُلْحِفُ

बाब : (89) इस्रार के साथ माँगने वाला कौन है?

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَهُوَ الْمُلْحِفُ " .

(2595) हज़रत अम्र बिन शुऐब के पर दादा से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो आदमी चालीस दिरहम होने के बावजूद माँगे तो वह इस्रार के साथ (चिमट कर) माँगने वाला है।'

(2595) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 7/24, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2375, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2448.

फ़ायदा : तश्बीह का मक़सद अदमे जवाज़ है, यानी उसके लिये माँगना जायज़ नहीं। इस रिवायत में चालीस दिरहम को ग़िना की हद बतलाया गया है। ये उस वक़्त के हालात के मुताबिक़ है। इसमें हालात के मुताबिक़ कमी बेशी हो सकती है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَرَّحَتْنِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ وَقَعَدْتُ

(2596) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) से मरवी है कि मुझे मेरी वालिदा ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास भेजा। मैं आपके पास आकर बैठ गया। आपने अपना चेहर-ए-अनवर मेरी तरफ़ फ़रमाया और गोया हुये: 'जो शख़्स अपने आपको मुस्तग़नी (बेन्याज़) ज़ाहिर करे, अल्लाह तआला

فَاسْتَقْبَلَنِي وَقَالَ " مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنِ اسْتَكْفَى كَفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ " . فَقُلْتُ نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ .

उसे ग़नी फ़रमा देता है। और जो शख़्स सवाल से परहेज़ करे, अल्लाह तआला उसे सवाल से बचा लेता है। और जो शख़्स सिर्फ़ किफ़ायत का तालिब हो, अल्लाह तआला उसे किफ़ायत फ़रमाता है। और जो शख़्स एक औक़िया (चालीस दिरहम) की मालियत वाली चीज़ के होते हुये माँगे तो गोया वह इस्रार के साथ माँग रहा है।' (अबू सईद ने फ़रमाया:) मैंने (दिल में) कहा कि मेरी ऊँटनी याक़ूता एक औक़िये से ज़्यादा क़ीमती है, लिहाज़ा मैं आपसे माँगे बग़ैर वापस आ गया।'

(2596) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1628, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2376, अबू दाऊद, इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2447, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 846.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'भेजा' कोई चीज़ माँगने के लिये जैसा कि हदीस के आख़िर से मालूम होता है। (2) 'मुस्तग़नी ज़ाहिर करे।' यानी बावजूद फ़क़ीर होने के अपने फ़क़्र का इज़्हार न करे। (3) 'किफ़ायत का तालिब हो।' यानी वह हरीस़ (लालची) नहीं बल्कि ज़रूरत के मुताबिक़ तलब करता है। या अल्लाह तआला से किफ़ायत की दुआ करे। (4) याक़ूता उनकी ऊँटनी का नाम था।

بَاب : (٩٠) إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَرَاهِمُ وَكَانَ لَهُ عِدْلُهَا

बाब : (90) जब किसी शख़्स के पास (चालीस) दिरहम तो न हों मगर इतनी मालियत की और चीज़ हो तो?

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ نَزَلْتُ أَنَا

(2597) बनू असद के एक शख़्स से रिवायत है कि मैं और मेरी बीवी बक़ीउल ग़र्क़द में फ़रोकश हुये (आये) तो मुझे मेरी बीवी कहने लगी: रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जाओ और खाने की कोई चीज़ माँग लाओ। मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के

وَأَهْلِي، بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَقَالَتْ لِي أَهْلِي اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلْهُ . فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْأَلُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ " . فَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُولُ لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَىَّ أَنْ لاَ أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا " . قَالَ الأَسَدِيُّ فَقُلْتُ لَلَقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ - وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا - فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ شَعِيرٌ وَزَبِيبٌ فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى أَغْنَانَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

पास गया तो मैंने आपके पास एक और आदमी बैठा पाया जो आपसे माँग रहा था और रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमा रहे थे: 'मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं तुझे दे सकूँ।' वह आदमी गुस्से की हालत में उठ कर चला गया और कहने लगा: मेरी ज़िन्दगी की क़सम! जिसको आपकी मर्ज़ी हो, दे देते हैं। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये मुझ पर इसलिये नाराज़ है कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं उसे दे सकूँ। (याद रखो!) तुममें से जिस शख़्स ने एक औक़िया या उसके मसावी दौलत की चीज़ का मालिक होने के बावजूद माँगा तो गोया उसने इस्रार के साथ माँगा जो कि मज़्मूम (बुरा) है)' असदी शख़्स ने कहा कि मैंने (अपने दिल में) कहा: हमारी दूध वाली ऊँटनी यक़ीनन एक औक़िये से बढ़ कर है। और औक़िया चालीस दिरहम का होता है। तो मैं माँगे बग़ैर उठ आया। कुछ देर बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास कुछ जौ और किशमिश आ गई। आपने वह हममें तक़्सीम फ़रमा दिये यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने हमें ग़नी कर दिया।

(2597) तख़रीज : (सनद सह़ी) अबू दाऊद, हदीस़: 1627, मौता: 2/999, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2277.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'जिसको आपकी मर्ज़ी हो।' यानी आप इस्तेहक़ाक़ की बिना पर नहीं, अपनी ज़ाती पसन्द की बिना पर देते हैं। मुमकिन है वह शख़्स मुनाफ़िक़ हो या शायद जज़्बात की रौ में बह कर कह बैठा हो। **(2)** 'बक़ीउल ग़र्क़द' मदीना मुनव्वरा से मुत्तसिल वसीअ ख़ाली मैदान है जहाँ क़ब्रिस्तान भी है। बैरूनी क़ाफ़िले वहाँ उतरते थे। इस हदीस़ के रावी असदी भी बाहर ही से आये थे।

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ " .

(2598) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ज़कात व सदक़ात किसी मालदार शख़्स या किसी ताक़तवर तन्दुरुस्त शख़्स के लिये जायज़ नहीं।'

(2598) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1839, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2378, अबी दाऊद, हदीस: 1634.

फ़ायदा : ताक़तवर से मुराद वह है जो कमाई कर सके, न कि पहलवान। और तन्दुरुस्त से मुराद है कि उसके हाथ पाँव सही हों, माज़ूर न हो, अलबत्ता ऐसा शख़्स अगर बावजूद मेहनत के फ़क़ीर हो तो वह मुस्तहिक़ होगा क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) का मक़सद ये है कि ज़कात निखट्टुओं (निकम्मों) के लिये जायज़ नहीं।

بَابُ : (٩١) مَسْأَلَةِ الْقَوِيِّ الْمُكْتَسِبِ

बाब : (91) कमाई कर सकने वाले ताक़तवर शख़्स के लिये माँगना जायज़ नहीं

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، . أَنَّ رَجُلَيْنِ، حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا، أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلاَنِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ - وَقَالَ مُحَمَّدٌ بَصَرَهُ - فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ شِئْتُمَا وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ " .

(2599) हज़रत उबैदुल्लाह बिन अदी बिन ख़ियार से रिवायत है कि दो आदमियों ने मुझसे बयान किया कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास ज़कात व सदक़ात माँगने आये। आपने उन्हें ग़ौर से देखा तो उन्हें मोटा ताज़ा पाया। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर तुम मजबूर करो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ लेकिन मालदार, कमा सकने वाले ताक़तवर शख़्स का ज़कात में कोई हिस्सा नहीं।'

(2599) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1633, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2379.

फ़ायदा : देखिये हदीस: 2600.

बाब : (92) हाकिम (साहिबे इक़्तेदार) से माँगना

باب : (٩٢) مَسْأَلَةِ الرَّجُلِ ذَا سُلْطَانٍ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْمَسَائِلَ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ كَدَحَ وَجْهَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ شَيْئًا لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا " .

(2600) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा माँगना ख़राशें हैं। आदमी अपने चेहरे को उनके ज़रिये से नोचता है। अब जो चाहे अपना चेहरा नोचे और जो चाहे रहने दे। मगर ये कि कोई शख़्स साहिबे इक़्तेदार से माँगे या ऐसी चीज़ माँगे जिसके बग़ैर चारा न हो।'

(2600) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1639, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2380, तिर्मिज़ी, हदीस: 2681, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 842, 843.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'नोचता है।' यानी दुनिया में ज़िल्लत है और आख़िरत में तो वाक़ेअतन चेहरा नोचा हुआ होगा। **(2)** 'अपना चेहरा नोचे।' ये इजाज़त नहीं बल्कि डाँट है, जैसे क़ुरआनि करीम में इरशादे रब्बानी है: 'चुनांचे जो चाहे ईमान लाये और जो चाहे कुफ़्र करे।' (अल कहफ़: 18/29) रिवायत नम्बर 2599 में भी डाँट ही है कि तुम चाहो तो तुम्हें ज़कात दे देता हूँ वरना तुम मुस्तहिक़ नहीं। अगरचे यहाँ कहा जा सकता है कि उनकी वक़्ती फ़क़ीरी के पेशे नज़र उन्हें दिया जा सकता था क्योंकि कमाई तो वह बाद में ही कर सकते हैं। **(3)** 'साहिबे इक़्तेदार से माँगें' क्योंकि उसके पास माल अपना ज़ाती नहीं बल्कि अवामुन्नास का है और उसमें हर शख़्स का हक़ हो सकता है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वह अवामुन्नास को उनकी बुनियादी ज़रूरियात फ़राहम करे। **(4)** 'जिसके बग़ैर चारा न हो' जैसे: भूखा आदमी ख़ूराक माँग सकता है और मरीज़ इलाज के लिये तआवुन ले सकता है।

बाब : (93) ऐसी चीज़ का सवाल करना जिसके बग़ैर चारा न हो

باب : (٩٣) مَسْأَلَةِ الرَّجُلِ فِي أَمْرٍ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ،

(2601) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'माँगना तो अपने आपको ज़ख़्मी करना है। इस तरीक़े से

عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ " .

आदमी अपने चेहरे को नोचता है, मगर ये कि हाकिम से माँगे या ऐसी चीज़ माँगे जिसके बग़ैर चारा न हो।'

(2601) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2381.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى " .

(2602) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (ﷻ) बयान करते हैं कि मैंने (एक दफ़ा) रसूलुल्लाह (ﷺ) से माँगा, आपने दे दिया। मैंने फिर माँगा, आपने फिर दे दिया, मैंने फिर माँगा, आपने फिर दिया मगर साथ ही फ़रमाया: 'ऐ हकीम! बिलाशुब्हा ये माल सब्ज़ व शीरीं है। जो शख़्स इसे नफ़्स की पाकीज़गी के साथ लेगा, उसके लिये इसमें बरकत होगी। और जो इसे लालच और तमअ के साथ लेगा, उसके लिये इसमें बरकत न होगी। और वह उस शख़्स की तरह होगा जो खाता है लेकिन सैर नहीं होता। और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है।'

(2602) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2532, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2382.

फ़ायदा : बरकत से मुराद ये है कि थोड़ा माल भी किफ़ायत कर जायेगा और बरकत न होने से मुराद है कि कसीर (ज़्यादा) माल के बावजूद भी वह फ़क़ीर रहेगा। या तो हक़ीक़तन कि अल्लाह तआला उस पर नागहानी आफ़ात तारी करता रहेगा जिससे माल ज़ाया होता रहेगा या ज़ाहिरन कि वह फ़क़ीरों जैसा किरदार ज़ाहिर करेगा, जैसे: लोगों के माल पर नज़र रखेगा, वग़ैरह (तफ़्सील के लिये देखिये हदीस: 2532)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ

(2603) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (ﷻ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से (माल) माँगा, आपने दे दिया। मैंने फिर माँगा, आपने फिर दे दिया। मैंने फिर माँगा, आपने फिर दिया।

حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ مَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ النَّفْسِ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ".

और फ़रमायाः 'ऐ हकीम! बिलाशुब्हा ये माल सब्ज़ व शीरीं है। जो शख़्स इसे क़नाअते क़ल्ब के साथ लेगा, उसके लिये इसमें बरकत होगी। और जो शख़्स इसे दिली तमअ व लालच के साथ लेगा, उसके लिये इसमें बरकत न होगी। और वह उस शख़्स की तरह होगा जो खाता है मगर सैर नहीं होता। और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से (बहर सूरत) बेहतर है।'

(2603) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीसः 2532, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 2383.

أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى " . قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا بِشَىْءٍ .

(2604) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (﵁) से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कुछ माँगा। आपने दिया। मैंने फिर माँगा, आपने फिर दिया। फिर फ़रमायाः 'ऐ हकीम! बिलाशुब्हा ये माल शीरीं (चीज़ की तरह अच्छा लगता) है लेकिन जो शख़्स इसे बेन्याज़ी से हासिल करेगा, उसके लिये इसमें बरकत होगी। और जो लालच के साथ हासिल करेगा, उसके लिये इसमें बरकत न होगी। और वह उस शख़्स की तरह होगा जो खाता है मगर सैर नहीं होता। और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है।' मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! क़सम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है! मैं आप (के इस फ़रमान) के बाद कभी किसी से कुछ न लूँगा यहाँ तक कि मैं दुनिया छोड़ जाऊँ।

(2604) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीसः 2532, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 2384.

फ़ायदा : हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (ﷺ) इस क़सम व अहद पर इस क़द्र पुख़्ता रहे कि बाद में ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन उन्हें बैतुलमाल से उनका वज़ीफ़ा देते तो उसे भी क़बूल न फ़रमाते। फ़ारूक़े आज़म हज़रत उमर (ﷺ) ने इसी बिना पर फ़रमाया था: 'ऐ मुसलमानों (सहाब-ए-किराम (ﷺ) की जमाअत! तुम गवाह रहो कि मैं हकीम को उनका हक़ देता हूँ लेकिन वह अपना हक़ लेने से इन्कार करते हैं।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1472) इसी हाल में ख़ालिक़े हक़ीक़ी से जा मिले।

बाब : (94) जिसे अल्लाह तआला माँगे बग़ैर कोई माल अता फ़रमाये?

باب : (٩٤) مَنْ آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالاً مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ

(2605) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सअदी मालकी से मन्क़ूल है कि मुझे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने सदक़ा व ज़कात जमा करने पर मुक़र्रर फ़रमाया। जब मैं इस ज़िममेदारी से फ़ारिग़ हुआ और मैंने (जमा शुदा) माल उनकी ख़िदमत में पेश किया तो आपने मुझे मेरी ख़िदमत का मुआवज़ा देने का हुक्म जारी फ़रमाया। मैंने कहा: मैंने ये काम अल्लाह तआला की रज़ामन्दी के लिये किया है। इसका मुआवज़ा मुझे अल्लाह तआला ही देगा। आपने फ़रमाया: जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ले लो। मैंने भी रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौरे मुबारक में (ऐसी ही) ख़िदमत सर अंजाम दी थी और मैंने भी आपसे तेरी तरह ही कहा था तो मुझसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुझे कोई चीज़ तेरे माँगे बग़ैर मिले तो (उसे ले ले और) खा। और (चाहे तो) सदक़ा कर दे।'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ، قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا فَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . فَقَالَ خُذْ مَا أُعْطِيتُكَ فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ " .

(2605) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1045/112, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2385.

फ़ायदा : हर सरकारी कारिन्दा इस पोजीशन में नहीं होता कि वह सरकारी काम बिला मुआवज़ा कर सके क्योंकि मआशी मजबूरियाँ होती हैं, इसलिये ज़रूरी है कि हुकूमत हर सरकारी कारिन्दे को

मुआवज़ा दे और सरकारी कारिन्दा उसे वसूल करे क्योंकि अगर कुछ वसूल करें, कुछ न करें तो वसूल करने वाले शर्मिन्दगी सी महसूस करेंगे। हो सकता है वह एहसासे कमतरी का शिकार हो जायें। वसूल न करने की सूरत में इज़्हार होगा जिससे ज़हन में तकब्बुर व फ़ख़्र पैदा हो सकता है।

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّعْدِيِّ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه مِنَ الشَّامِ فَقَالَ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَعْمَلُ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ فَتُعْطَى عَلَيْهِ عُمَالَةً فَلاَ تَقْبَلُهَا قَالَ أَجَلْ إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنَا بِخَيْرٍ وَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ رضى الله عنه إِنِّي أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْطِينِي الْمَالَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي وَإِنَّهُ أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي . فَقَالَ " مَا آتَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافٍ فَخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ " .

(2606) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सअदी से रिवायत है कि मैं इलाक़-ए-शाम से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। उन्होंने फ़रमाया: मुझे बताया गया है कि तुम मुसलमानों के काम (सरकारी ख़िदमात) सरअंजाम देते हो और फिर जब तुम्हें मुआवज़ा दिया जाता है तो तुम क़बूल नहीं करते? मैंने अर्ज़ किया: जी हाँ! मेरे पास बहुत से घोड़े और ग़ुलाम हैं। मैं मालदार हूँ और चाहता हूँ कि मेरी तनख़्वाह मुसलमानों पर सदक़ा हो जाये। हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: (रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में) मैंने भी ऐसा ही करना चाहा था जिस तरह तूने करना चाहा है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझे माल वग़ैरह (बसूरते मुआवज़ा) अता फ़रमाते तो मैं कह देता कि ये किसी ऐसे शख़्स को दे दीजिये जो मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमन्द हो। एक दफ़ा आपने मुझे कुछ माल अता फ़रमाया तो मैंने अर्ज़ किया कि ये ऐसे शख़्स को दे दें जो मुझसे ज़्यादा मोहताज हो, तो आपने फ़रमाया: 'जो माल तुझे अल्लाह तआला तेरे माँगे और लालच व तमअ के बग़ैर दे, उसे ले लिया कर, फिर चाहे तो अपने पास रख, चाहे सदक़ा कर दे। और जो माल इस तरह अपने आप न मिले उसके पीछे अपने आपको न लगा।'

(2606) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2609, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2386.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'अल्लाह तआला दे' इन्सान को जो कुछ भी मयस्सर है, वह अल्लाह तआला की तरफ़ से है, ख़्वाह ज़ाहिरन किसी आदमी के हाथों मिले क्योंकि हर चीज़ का ख़ालिक़ व मालिक अल्लाह तआला है। देने वाले के दिल में देने का ख़्याल भी अल्लाह तआला की तरफ़ से होता है। जिन सलाहियतों की वजह से माल मिलता है, वह भी अल्लाह तआला का अतिया हैं। हिसाब भी अल्लाह तआला ही लेगा। (2) अहादीस में तनख़्वाह और मुआवज़े का ज़िक्र है। तोहफ़े और सदक़े में भी यही उसूल है कि अगर बग़ैर माँगे हासिल हो तो इंकार नहीं करना चाहिए, अलबत्ता सदक़े की सूरत में मुस्तहिक़े ज़कात होना ज़रूरी है। (3) तोहफ़े का बदला देना चाहिए।

أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي خِلاَفَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالاً فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ رَدَدْتَهَا فَقُلْتُ بَلَى . فَقَالَ عُمَرُ رضى الله عنه فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ فَقُلْتُ لِي أَفْرَاسٌ وَأَعْبُدٌ وَأَنَا بِخَيْرٍ وَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَلاَ تَفْعَلْ فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ مِثْلَ الَّذِي أَرَدْتَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ

(2607) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सअदी ने बताया कि मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) के दौरे ख़िलाफ़त में उनके पास हाज़िर हुआ तो हज़रत उमर (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: क्या ये बात दुरुस्त है कि तुम सरकारी काम करते हो और जब तुम्हें ख़िदमत का हक़ दिया जाता है तो तुम वापस कर देते हो? मैंने कहा: जी हाँ। हज़रत उमर(ﷺ) फ़रमाने लगे: तुम्हारा मक़सद क्या होता है? मैंने कहा: मेरे पास बहुत से घोड़े और ग़ुलाम हैं। मैं मालदार हूँ। (मेरे पास अल्लाह तआला का दिया बहुत कुछ है) मैं चाहता हूँ कि मेरी तनख़्वाह मुसलमानों पर सदक़ा हो जाये। हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: ऐसे न किया करो। मैंने भी (रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौरे मुबारक में) ऐसा ही करना चाहा था जिस तरह तूने करना चाहा है। रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझे कोई अतिया वग़ैरह देते तो मैं कह देता कि ये किसी ऐसे शख़्स को दे दीजिये जिसे उसकी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत हो। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ले लिया कर, फिर जी चाहे तो रख ले, नहीं तो सदक़ा कर दिया कर। इस क़िस्म का माल जो तेरे पास बग़ैर तेरी तमअ और

ख़्वाहिश के आये, वह ले लिया कर और जो इस तरह न मिले, उसके पीछे अपने आपको न लगा।'

(2607) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2387.

(2608) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सअदी ने ख़बर दी कि मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) के दौरे हुकूमत में आपके पास आया तो आप फ़रमाने लगे: मुझे पता चला है कि तू लोगों की ख़िदमात सरअंजाम देता है लेकिन जब तुझे तनख़्वाह दी जाती है तो तू उसे नापसन्द करता है? मैंने कहा: हाँ! (ऐसे ही है) तो उन्होंने फ़रमाया: तुम्हारा मक़सद क्या होता है? मैंने कहा: मेरे पास बहुत से घोड़े और ग़ुलाम हैं और मैं मालदार हूँ (अच्छा गुज़ारा कर रहा हूँ) मैं चाहता हूँ कि मेरी तनख़्वाह मुसलमानों पर सदक़ा हो जाये। हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़रमाया ऐसे न कर। मैंने भी ऐसा ही करना चाहा था जिस तरह तूने करना चाहा है। नबी (ﷺ) मुझे तनख़्वाह वग़ैरह देते तो मैं कह देता कि ये किसी ज़्यादा हाजतमन्द को दे दीजिये, यहाँ तक कि एक दफ़ा आपने मुझे कुछ माल दिया। मैंने (हस्बे आदत) कह दिया कि ये मुझसे ज़्यादा मोहताज को दे दीजिये। तो नबी (ﷺ) फ़रमाने लगे: 'ले ले' फिर रख या सदक़ा कर। इस क़िस्म का माल तेरे पास आये जबकि तुझे न लालच हो और न तूने माँगा हो तो वह ले लिया कर और जो ख़ुद ब ख़ुद न मिले, उसके पीछे अपने आपको न लगा।'

تَصَدَّقْ بِهِ مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ".

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي خِلاَفَتِهِ فَقَالَ عُمَرُ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ، تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالاً فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا قَالَ فَقُلْتُ بَلَى . قَالَ فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ فَقُلْتُ إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنَا بِخَيْرٍ وَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ فَلاَ تَفْعَلْ فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ

(2608) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7163, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2388.

تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ".

(2609) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत उमर (ﷺ) को फ़रमाते हुये सुना कि नबी (ﷺ) मुझे कोई अतिया इनायत फ़रमाते तो मैं कह दिया करता था कि ये किसी ऐसे शख़्स को दे दीजिये जिसे मुझसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत हो, यहाँ तक कि एक दफ़ा आपने मुझे कुछ माल दिया तो मैंने कह दिया: किसी ऐसे शख़्स को दे दीजिये जो मुझसे ज़्यादा फ़क़ीर है। आपने फ़रमाया: 'ले ले। इसे इस्तेमाल भी कर और सदक़ा भी कर। ये माल अगर तेरे पास ख़ुद ब ख़ुद आये, तुझे न तो इसकी तमअ हो और न तूने माँगा हो तो उसे ले लिया कर और जो अपने आप न मिले, उसके पीछे अपने आपको न लगा।'

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ، رضى الله عنه يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي . فَقَالَ " خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ".

(2609) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7164, पिछली हदीस देखें, मुस्लिम, हदीस: 1045, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2389.

बाब : (95) नबी (ﷺ) की आल को सदक़ात जमा करने पर मुक़र्रर करना?

باب : (٩٥) اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الصَّدَقَةِ

(2610) हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बिन रबीआ बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब (ﷺ) ने बताया कि मेरे वालिद रबीआ बिन हारिस ने मुझे और हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब (ﷺ) से कहा कि तुम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जाओ और आपसे अर्ज़ करो कि हमें भी सदक़ात

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَخْبَرَهُ

أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَالْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ائْتِيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُولاَ لَهُ اسْتَعْمِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ . فَأَتَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَنَحْنُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ لَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لاَ يَسْتَعْمِلُ مِنْكُمْ أَحَدًا عَلَى الصَّدَقَةِ قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ حَتَّى أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَنَا " إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ " .

इकट्ठे करने की ख़िदमत पर मुक़र्रर फ़रमायें। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि हज़रत अली बिन अबी तालिब (ﷺ) तशरीफ़ ले आये और फ़रमाने लगे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तुममें से किसी को सदक़ात पर मुक़र्रर नहीं फ़रमायेंगे। मैं और फ़ज़्ल बिन अब्बास फिर भी चल पड़े और रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास पहुँच कर अर्ज़ किया तो आपने फ़रमाया: 'ये ज़कात व सदक़ात लोगों का मैल कुचेल हैं, इसलिये ये हज़रत मुहम्मद(ﷺ) और आले मुहम्मद (ﷺ) के लिये हलाल नहीं।'

(2610) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1072/168, सुनन अल कुबरा लिन्नसाई, हदीस: 2390, 2391.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आले नबी (ﷺ) सदक़ात जमा करने की ख़िदमत तो सरअंजाम दे सकते हैं मगर उस काम की उज्रत नहीं ले सकते क्योंकि उज्रत भी तो ज़कात व सदक़ात ही का हिस्सा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (ﷺ) का मक़सद चूंकि उज्रत ही था, लिहाज़ा आपने उन्हें मुक़र्रर न फ़रमाया। **(2)** सदक़ात जमा करने की उज्रत हक़ीक़तन सदक़ा नहीं है, इसलिये अग़निया भी ये ख़िदमत सरअंजाम दे कर उज्रत ले सकते हैं मगर आले मुहम्मद (ﷺ) की रिफ़अते शान इस बात की मुतक़ाज़ी है कि वह ऐसी चीज़ भी न लें जिसमें सदक़े का शुब्हा भी हो और उज्रत सदक़ात में सदक़े का शुब्हा तो है क्योंकि वह सदक़ात का हिस्सा है। **(3)** रिफ़अते शान के अलावा आले मुहम्मद (ﷺ) के लिये सदक़ात की हुर्मत का सबब ये भी है कि कोई ये न कह सके कि दाव-ए-नबूवत का मक़सद अपने ख़ानदान के लिये माल जमा करना है। नऊज़ुबिल्लाह! **(4)** ज़कात व सदक़ात चूंकि माल को पाक करते हैं, जिस तरह पानी जिस्म को पाक करता है, लिहाज़ा ज़कात व सदक़ात की हैसियत उस पानी की सी है जिसके साथ किसी चीज़ को धो कर साफ़ किया गया हो, इसलिये उसे 'लोगों का मैल कुचेल' कहा गया। इख़्तियारी हालत में इस्तेमाल शुदा पानी को लेना कोई पसन्द नहीं करता, इसलिये ज़कात व सदक़ात भी मजबूर व मुज़्तर्र लोगों ही के लिये जायज़ हैं। **(5)**

फ़र्ज़ सदक़ात तो नबी (ﷺ) पर और आपकी आल पर क़तअन हराम हैं, अलबत्ता नफ़ल सदक़ात के बारे में जुम्हूर अहले इल्म का ख़्याल है कि वह आले मुहम्मद के लिये जायज़ हैं, अलबत्ता रसूलुल्लाह (ﷺ) की मुक़द्दस हस्ती के लिये नफ़ल सदक़ात भी हराम हैं कि आपकी शान इन्तेहाई बलन्द है। (6) आले नबी (ﷺ) से मुराद इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक (رحمهما الله) के नज़दीक सिर्फ़ बनू हाशिम हैं और इमाम शाफ़ेई वग़ैरह ने बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब दोनों ख़ानदान मुराद लिये हैं। बनू हाशिम से मुराद हज़रत अली, अक़ील, जाफ़र, अब्बास और हारिस(رضي الله عنه) की नस्ल हैं।

बाब : (96) किसी क़ौम का भाँजा भी उनमें शामिल होता है

باب : (٩٦) ابْنِ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ قُلْتُ لأَبِي إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ أَسَمِعْتَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ " . قَالَ نَعَمْ .

(2611) हज़रत शोबा बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अबू इयास मुआविया बिन क़ुर्रा से पूछा: क्या तुमने हज़रत अनस बिन मालिक(رضي الله عنه) से सुना है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी क़ौम का भाँजा भी उस क़ौम में शामिल है?' उन्होंने कहा: हाँ।

(2611) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/119, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2392.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) का मक़सद ये है कि बनू हाशिम का भाँजा भी ज़कात का मुस्तहिक़ नहीं क्योंकि वह भी बनू हाशिम में शामिल है। इसी तरह इस रिवायत से कुछ हज़रात ने भाँजे की विरासत पर भी इस्तेदलाल किया है, हालांकि यहाँ विरासत की बहस ही नहीं। आपका मतलब तो ये है कि भाँजे का अपने मामूओं के साथ क़वी ताल्लुक़ होता है, लिहाज़ा इसे उनसे ग़ैर मुताल्लिक़ नहीं समझा जा सकता। ये इरशाद आपने उस वक़्त फ़रमाया था जब आपने सिर्फ़ अन्सार को बुलाया था। आपको बताया गया कि आने वालों में उनका भाँजा भी है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3528)

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ "

(2612) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी क़ौम का भाँजा भी उनमें से ही है।'

(2612) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3528, मुस्लिम: 1059/133, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 2393.

बाब : (97) किसी क़ौम का आज़ाद कर्दा गुलाम भी उस क़ौम में शामिल है

باب: (٩٧) مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَرَادَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَتْبَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ " .

(2613) हज़रत अबू राफ़ेअ (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनू मख़्ज़ूम के एक शख़्स को सदक़ात जमा करने पर मुक़र्रर फ़रमाया। अबू राफ़ेअ (यानी मैं) ने भी उसके साथ जाने की ख़्वाहिश की तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सदक़ात हमारे लिये हलाल नहीं और किसी ख़ानदान का आज़ाद कर्दा गुलाम भी उनमें शामिल है।'

(2613) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1650, तिर्मिज़ी, हदीस: 657, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 2344, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 3282, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2394, बुख़ारी, हदीस: 12/48, व मुस्लिम, हदीस: 1069 वग़ैरहुमा.

फ़ायदा : ये अबू राफ़ेअ (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के आज़ाद कर्दा गुलाम थे, बल्कि उन्हें इस निस्बत से हाशमी भी कह दिया जाता था। मज़्कूरा हदीस से भी ताईद होती है कि किसी क़ौम के आज़ाद कर्दा गुलाम या भाँजे को उनकी तरफ़ मन्सूब किया जा सकता है, अगरचे वह नसबन उनसे नहीं क्योंकि महज़ निस्बत के लिये इतना ताल्लुक़ भी काफ़ी है। अबू राफ़ेअ को ज़कात का अहल क़रार न देने से भाँजे के बारे में इमाम नसाई (رحمه الله) के इस्तिम्बात को कुव्वत पहुँचती है क्योंकि जब आज़ाद कर्दा गुलाम बनू हाशिम का हुक्म रखता है तो भाँजे क्यूँ न रखेगा?

बाब : (98) नबी (ﷺ) के लिये सदक़ा जायज़ नहीं

باب: (٩٨) الصَّدَقَةِ لاَ تَحِلُّ لِلنَّبِيِّ ﷺ

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ

(2614) हज़रत बहज़ बिन हकीम के दादा बयान करते हैं कि जब नबी (ﷺ) के पास कोई चीज़ लाई जाती तो आप उसके बारे में पूछते कि ये तोहफ़ा है या सदक़ा? अगर कहा जाता: सदक़ा

صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِيَ بِشَىْءٍ سَأَلَ عَنْهُ " أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ " . فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ بَسَطَ يَدَهُ .

है, तो आप नहीं खाते थे और अगर कहा जाताः तोहफ़ा है, तो आप तनावुल फ़रमा लेते थे।

(2614) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी: 656, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2395, बुख़ारी, हदीस: 2576 वग़ैरह.

फ़ायदा : सदक़ात से परहेज़ में आप ही तो असल हैं ताकि किसी नाबकार के लिये ऐतराज़ की गुंजाइश न रहे। आले नबी तो आपकी फ़रअ होने की वजह से इस हुक्म में दाख़िल हैं। मुमकिन है बाब का मक़सद ये हो कि नबी (ﷺ) के लिये नफ़ल सदक़ात भी हलाल न थे, अलबत्ता अज़्वाजे मुतहहरात(ﷺ) के लिये नफ़ल सदक़ात हलाल थे जैसा कि बहुत सी अहादीस से साबित है।

باب : (٩٩) إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

बाब : (99) जब सदक़े की हैसियत बदल जाये (तो हुक्म भी बदल जायेगा)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ، بَرِيرَةَ فَتَعْتِقَهَا وَأَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " اشْتَرِيهَا وَاعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ " . وَخُيِّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ فَقِيلَ هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ . فَقَالَ " هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ " . وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا .

(2615) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मैंने इरादा किया कि बरीरा (ﷺ) को ख़रीद कर आज़ाद कर दूँ लेकिन उसके मालिकों ने उसके वला की शर्त लगा ली। मैंने ये बात रसूलुल्लाह(ﷺ) से ज़िक्र की तो आपने फ़रमायाः 'ख़रीद कर आज़ाद कर दे। वला उसी का हक़ है जो आज़ाद करे।' (इसी तरह) जब वह आज़ाद हुई तो उसे (ख़ाविन्द के पास रहने या न रहने का) इख़्तियार दिया गया। (इसी तरह) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास गोश्त लाया गया और बताया गया कि ये उस (गोश्त) में से है जो बरीरा(ﷺ) पर सदक़ा किया गया है। आपने फ़रमायाः 'वह उसके लिये सदक़ा है, हमारे लिये हदिया (तोहफ़ा) है।' (याद रहे कि) हज़रत बरीरा(ﷺ) का ख़ाविन्द आज़ाद था।

(2615) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1493, मुस्लिम: 1075, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2396.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत बरीरा (ﷺ) किसी और ख़ानदान की लौण्डी थीं। हज़रत आयशा(ﷺ) के पास ख़िदमत के लिये आती जाती रहती थीं। उन्होंने अपने मालिकों से आज़ादी का मुआहिदा किया कि मैं क़िस्तवार अपनी क़ीमत ख़ुद अदा करूँगी, मुझे आज़ाद कर दो। वह मान गये। हज़रत आयशा (ﷺ) को पता चला तो उन्होंने पेशकश की कि मैं पूरी क़ीमत देकर अभी ख़रीद लेती हूँ और आज़ाद कर देती हूँ। मालिक राज़ी हो गये मगर कहने लगे: वला का हक़ हमारा होगा, हालांकि मौला वही होता है जो आज़ाद करे। हज़रत आयशा (ﷺ) ने ये मसला रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने पेश किया तो आपने मज़्कूरा जवाब इरशाद फ़रमाया। (2) 'वला' से मुराद वह हक़ है जो आज़ाद करने वाले को आज़ाद कर्दा गुलाम पर होता है, जैसे: वह उसका मौला कहलाता है। अगर गुलाम फ़ौत हो जाये तो आज़ादी के बाद उसे इख़्तियार होता है कि चाहे तो साबिक़ा ख़ाविन्द से निकाह क़ाइम रखे, चाहे तो निकाह फ़स्ख़ कर दे। लेकिन जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक ये इख़्तियार तब है अगर उसका ख़ाविन्द गुलाम हो। अगर वह आज़ाद हो तो औरत को बावजूद आज़ाद होने के निकाह ख़त्म करने का इख़्तियार नहीं। हज़रत बरीरा (ﷺ) के ख़ाविन्द गुलाम थे, नाम उनका मुग़ीस़ था। अलबत्ता अहनाफ़ के नज़दीक ख़ाविन्द आज़ाद हो या गुलाम, आज़ाद होने वाली को निकाह ख़त्म करने का इख़्तियार हासिल है। (3) 'गोश्त लाया गया' ये गोश्त सदक़े का था। किसी ने हज़रत बरीरा(ﷺ) को भेजा था। उन्होंने कुछ गोश्त बतौर तोहफ़ा हज़रत आयशा (ﷺ) के पास भेज दिया। ज़ाहिर है गोश्त जिसको सदक़े में दे दिया जाये उसकी मिल्क हो गया, अब वह जिसे सदक़े के तौर पर दे, उसके लिये सदक़ा है। जिसे तोहफ़े के तौर पर दे, उसके लिये तोहफ़ा है। इसलिये नबी (ﷺ) ने वह गोश्त तनावुल फ़रमाया। (4) 'आज़ाद था' दूसरी रिवायत में सराहत है कि ये हज़रत अस्वद का क़ौल है, न कि हज़रत आयशा (ﷺ) का। और अस्वद ताबेई हैं। दूसरी रिवायात में हज़रत आयशा और हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) का सरीह फ़रमान है कि बरीरा का ख़ाविन्द गुलाम था। (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 5282, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 1504) अगर वह गुलाम न होता तो उसे इख़्तियार न दिया जाता क्योंकि औरत आज़ाद होने के बावजूद ख़ाविन्द से बलन्द रुत्बा नहीं होती। (5) तफ़्सीली रिवायात में सराहत है कि हज़रत बरीरा (ﷺ) ने बावजूद हज़रत मुग़ीस़ की मन्नत समाजत के निकाह ख़त्म कर दिया था। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 5283).

बाब : (100) सदक़े का माल ख़रीदना

باب: (١٠٠) شِرَاءِ الصَّدَقَةِ

(2616) हज़रत उमर (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मैंने एक घोड़ा अल्लाह तआला के रास्ते (जिहाद) में किसी (मुजाहिद) को दिया। उसने घोड़े (की ख़ातिर तवाज़ो न की और उस) को ज़ाया

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ

(कमज़ोर) कर दिया। मेरा इरादा हुआ कि उससे दोबारा ख़रीद लूँ। मेरा ख़्याल था वह सस्ता ही बेच देगा। मैंने इस बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा तो आपने फ़रमाया: 'तू उसे मत ख़रीद। चाहे वह एक दिरहम ही का तुझे दे क्योंकि जो शख़्स अपने सदक़े को (किसी भी सूरत में) वापस लेता है, वह उस कुत्ते की तरह है जो अपनी क़ै चाटता है।'

أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ " .

(2616) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1490, मुस्लिम, हदीस: 1620, मौता: 1/282, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2397.

फ़ायदा : सदक़ा करने वाले को अपना सदक़ा क़ीमतन भी लेना मना है। मुमकिन है वह शख़्स उसका लिहाज़ करते हुये उसे क़ीमत में रिआयत करे, अलबत्ता कोई दूसरा शख़्स किसी दूसरे का सदक़ा ख़रीद सकता है क्योंकि उसके लिये ये सदक़ा नहीं बल्कि ख़रीदी हुई चीज़ है। गोया चीज़ की हैसियत बदल जाने से उसका हुक्म भी बदल जाता है, जैसे पिछली हदीस में है।

(2617) हज़रत उमर (ؓ) से रिवायत है कि उन्होंने एक घोड़ा फ़ी सबीलिल्लाह सदक़ा किया, फिर उन्हें पता चला कि वह घोड़ा फ़रोख़्त हो रहा है तो उन्होंने ख़ुद ही ख़रीदने का इरादा कर लिया। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने किये हुये सदक़े (की वापसी) का ख़्याल भी न कर।'

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ شِرَاءَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَعْرِضْ فِي صَدَقَتِكَ" .

(2617) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1621, बुख़ारी, हदीस: 2398, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 9/117, हदीस: 16572, तिर्मिज़ी, हदीस: 668.

फ़ायदा : क्योंकि बहर सूरत ये अपने ही सदक़े को इस्तेमाल करने वाली बात है जो मुनासिब नहीं। बाक़ी रही क़ीमत तो उसमें भी रिआयत का एहतिमाल है, और इसमें हीला भी मुमकिन है, इसलिये इसे हतमन मना फ़रमा दिया।

(2618) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) बयान फ़रमाते हैं कि हज़रत उ़मर (ﷺ) ने एक घोड़ा अल्लाह तआ़ला के रास्ते में सदक़ा किया। कुछ अर्से के बाद हज़रत उ़मर (ﷺ) ने देखा कि वह घोड़ा फ़रोख़्त किया जा रहा है तो उन्होंने इरादा फ़रमाया कि मैं ही उसे ख़रीद लूँ, फिर वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुये और इस बारे में आपसे मश्वरा तलब किया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपना किया हुआ सदक़ा दोबारा न ले।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ أَنْبَأَنَا حُجَيْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ، تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ " .

(2618) तख़रीज : (सनद सहीह) बुख़ारी, हदीस: 1489, मुस्लिम, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2399.

फ़ायदा : अपना किया हुआ सदक़ा अपने इख़्तियार से, जैसे: ख़रीद कर या रुजूअ़ करके तो वापस नहीं ले सकता, अलबत्ता अगर ग़ैर इख़्तियारी तौर पर उसके पास आ जाये, जैसे: जिसे सदक़ा दिया था वह फ़ौत हो गया और ये सदक़ा करने वाला उसका वारिस बनता है और विरासत में वही सदक़ा उसे वापस मिल जाये तो फिर कोई हर्ज नहीं। हदीस में इसकी सराहत मौजूद है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 1149) कुछ अहले इल्म ने इस हदीस से ये इस्तिम्बात भी किया है: 'जिस लौण्डी को आज़ाद करे, उससे फिर निकाह न करे क्योंकि ये भी सदक़े में रुजूअ़ ही की सूरत है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 97) ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत सफ़िया (ﷺ) को आज़ाद करके उनसे निकाह फ़रमाया, लिहाज़ा ये इस्तिम्बात दुरुस्त नहीं। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5086, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1365)

(2619) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (मक्का मुकर्रमा के गवर्नर) हज़रत अ़त्ताब बिन असीद (ﷺ) को हुक्म दिया था कि अंगूरों की फ़सल का अन्दाज़ा लगा कर उनकी ज़कात किशमिश की सूरत में अदा की जाये जिस तरह खजूरों की ज़कात ख़ुश्क

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، وَيَزِيدُ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ

الْعِنَبَ فَتُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا .

खजूरों (छूहारों) की सूरत में अदा की जाती है।

(2619) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़ मुर्सल होने की वजह से) अबू दाऊद, हदीस: 1603, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2317, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 799, 800.

फ़ायदा : ज़कात की बहस तो पीछे गुज़र चुकी है कि उश्र वग़ैरह इस सूरत में वसूल किया जायेगा जिस सूरत में उसका ज़ख़ीरा किया जा सके मगर यहाँ बहस तलब अम्र ये है कि इस हदीस का बाब से क्या ताल्लुक़ है, जबकि इसमें सदक़ा ख़रीदने का कोई ज़िक्र नहीं? कहा जा सकता है कि जब काश्तकार ने अंगूर रख कर किशमिश की सूरत में उश्र दिया तो गोया उसने सदक़े के अंगूरों को किशमिश से ख़रीद लिया। गोया अपना सदक़ा ख़रीदना जायज़ हो गया। इस सूरत में ऊपर वाली रिवायात में अपना सदक़ा ख़रीदने से रोकना तन्ज़ीह और एहतियात के तौर पर होगा। वल्लाहु आलम! मगर ये निरा इस्तिम्बात ही है। देने वाले ने तो सदक़े ही के अंगूरों को ख़ुश्क करके किशमिश बनाकर दिया। अपने माल से बदला नहीं है कि उस पर बेचने के मानी किसी भी तरह सादिक़ आ सकें। किशमिश ही से सदक़े की इब्तेदा हुई। वैसे ये रिवायत मुर्सल है। हज़रत सईद बिन मुसय्यब ताबेई हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने ये रिवायत किस सहाबी से सुनी है। इससे रिवायत की हैसियत कम हो जाती और ज़ईफ़ क़रार पाती है, ताहम ये मसला दीगर सही रिवायात से भी साबित है। तफ़सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 23/259-266)

हज का मफ़हूम व मअ़्ना

हज अरकाने इस्लाम में से एक रुक्न है। इन अरकान के छोड़ने से कुफ़्रो इस्लाम में इम्तियाज़ ख़त्म हो जाता है। हज के लुग़वी मानी क़स्द करना हैं मगर शरीयते इस्लामिया में इससे मुराद चन्द मुअय्यन अय्याम में मख़्सूस तरीक़े और आमाल के साथ बैतुल्लाह की ज़ियारत करना है। हज का मक़्सद बैतुल्लाह की ताज़ीम है जो कि मुसलमानों का मर्कज़ और इनकी वहदत का ज़ामिन है। उसकी तरफ़ तमाम मुसलमान क़िब्ला रुख़ होकर नमाज़ पढ़ते हैं। हज में मुसलमानों का अ़ज़ीम इज्तेमा होता है जिसकी नज़ीर पेश करने से तमाम अदयान व मज़ाहिब क़ासिर हैं। इससे मुसलमानों में बाहमी रब्त व तआ़वुन, आपस में तआ़रुफ़ व उल्फ़त और मोहब्बत व मवद्दत के जज़्बात तरक्क़ी पाते हैं। हर इलाक़े व मुल्क के लोग, हर रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले जिनकी ज़बानें मुख़्तलिफ़ होती हैं मगर दिली जज़्बात एक से होते हैं, उनकी बूदो-बाश मुख़्तलिफ़, मगर उनकी ज़बान पर एक ही तराना होता है। हज के अरकान की अदायगी के वक़्त उनका लिबास भी एक ही होता है। न दंगा फ़साद, न लड़ाई झगड़ा, न गाली गलोच। हज ज़िन्दगी में एक दफ़ा फ़र्ज़ है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी फ़र्ज़ीयते हज के बाद एक ही हज अदा फ़रमाया था। हज की अदायगी में हज़रत इब्राहीम (عليه السلام), उनकी ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत हाजरा (عليها السلام) और उनके बेटे हज़रत इस्माईल (عليه السلام) की याद ताज़ा होती है जो सबसे पहले इस इबादत को अदा करने वाले थे। बैतुल्लाह भी उन्हीं दो अ़ज़ीम शख़्सियात का तामीर कर्दा है। हज का ऐलान भी हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) की ज़बानी हुआ। हज ख़ुलूस, लिल्लाहियत, क़ुर्बानी, सब्र और मुसलमानों की शान व शौकत का अ़ज़ीम मज़हर है जिसकी मिसाल नापैद है।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب مناسك الحج

हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

बाब : (1) हज की फ़र्ज़ीयत का बयान

باب:(١) وُجُوبِ الْحَجِّ

(2620) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों को ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया और कहा: 'यक़ीनन अल्लाह तआला ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया है।' एक आदमी कहने लगा: हर साल? आप ख़ामोश रहे, यहाँ तक कि उसने तीन दफ़ा ये सवाल दोहराया। आपने फ़रमाया: 'अगर मैं 'हाँ' कह देता तो हर साल वाजिब हो जाता और अगर हर साल वाजिब हो जाता तो तुम उसे अदा न कर सकते। जब तक मैं तुम्हें छोड़े रहूँ, तुम भी मुझे छोड़े रहा करो। तुमसे पहले के लोग अपने अम्बिया से इख़्तिलाफ़ करने और ज़्यादा सवालात करने की वजह ही से हलाक हुये। जब मैं तुम्हें किसी काम का हुक्म दूँ तो अपनी ताक़त के मुताबिक़ उसकी पाबन्दी करो और जब तुम्हें किसी चीज़ से रोक दूँ तो उसे छोड़ दो।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، - وَاسْمُهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ " . فَقَالَ رَجُلٌ فِي كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَهُ ثَلاَثًا فَقَالَ " لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّىْءِ فَخُذُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ " .

(2620) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1337, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3598.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज की फ़र्ज़ीयत तो इज्माई और क़तई मसला है, इख़्तिलाफ़ ये है कि कब फ़र्ज़ हुआ। मशहूर क़ौल 5 या 6 हिजरी का है मगर मुहक़्क़क़ बात ये मालूम होती है कि 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ, वरना आप 6 हिजरी में उम्रे की बजाये हज को जाते। 8 हिजरी में भी फ़तहे मक्का के बाद आप उम्रा करके वापस तशरीफ़ ले आये, हालांकि हज के दिन क़रीब थे। **(2)** 'एक आदमी' ये हज़रत

अक़रअ बिन हाबस तैमी (ﷺ) थे। (3) 'वाजिब हो जाता' गोया हज का हुक्म मुत्लक़ उतरा था। इसमें एक दफ़ा या हर साल की सराहत नहीं थी। इसका फ़ैसला मस्लिहते मुस्लिमीन पर मौक़ूफ़ था। अगर आप 'हर साल' में मसलिहत महसूस फ़रमाते तो हर साल फ़र्ज़ हो जाता मगर ये बात मसलिहत के ख़िलाफ़ थी, इसलिये आपने उस शख़्स की ताईद न की। (4) कुछ मसाइल में शारेअ(ﷺ) ने जानबूझ कर ख़ामोशी इख़्तियार फ़रमाई है ताकि मुसलमानों को सहूलत रहे। ऐसे मसाइल में सवाल के ज़रिये से तंगी पैदा करना बुरी बात है। इसी तरह शरीयत की अता कर्दा वुस्अत को ख़त्म कर देना भी बेजा तशद्दुद है। जिन मसाइल में शरीयत ने मामला खुला छोड़ा है, उसे खुला ही रखना चाहिए। अपनी तरफ़ से पाबन्दियाँ न लगाई जायें, जैसे: लिबास, हजामत, बूदो-बाश और दीगर आदात। इसी तरह नफ़ली इबादात में शरीयत के सरीह अहकाम ही को काफ़ी समझा जाये और लोगों को ख़्वाहमख़्वाह तंग न किया जाये। किसी क़ौम के रुसूम व रिवाज जब तक सराहतन शरीयत के ख़िलाफ़ न हों, उन पर पाबन्दी न लगाई जाये और न उनका सबूत ही शरीयत से तलाश किया जाये क्योंकि सबूत की ज़रूरत इबादात में है न कि आदात में। आदात में पाबन्दी का न होना ही काफ़ी है। (5) 'ताक़त के मुताबिक़' मालूम हुआ कि एक आदमी अपनी बिसात और ताक़त के मुताबिक़ एक मामूर बिही काम करने की कोशिश करता है मगर मुकम्मल तौर पर बजा नहीं ला पाता, तो जितने काम से वह आजिज़ आ गया हो, उससे साक़ित हो जायेगा। ये बात नेकी के कामों की है जिन्हें करने का शरीयत ने हुक्म दिया है, अलबत्ता जिन कामों से रोका गया है, उनमें इस्तेताअत की क़ैद नहीं, उनसे हर सूरत में मुकम्मल तौर पर बचना ज़रूरी है। वल्लाहु आलम। (6) अम्र हर जगह तकरार का तक़ाज़ा नहीं करता और न हर जगह अदमे तकरार का तक़ाज़ा करता है बल्कि मौक़ा महल, सियाक़, क़राइन या दलाइल से तअय्युन किया जायेगा।

(2621) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (ख़ुत्बे के लिये) खड़े हुये और फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने तुम पर हज फ़र्ज़ फ़रमा दिया है।' हज़रत अक़रअ बिन हाबिस तैमी (ﷺ) कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हर साल? आप ख़ामोश हो गये, फिर फ़रमाया: 'अगर मैं 'हाँ' कह देता तो हर साल वाजिब हो जाता, फिर न तुम सुनते और न इताअत करते। हज सिर्फ़ एक ही (दफ़ा फ़र्ज़) है।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ " . فَقَالَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ

التَّمِيمِيُّ كُلُّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ فَقَالَ " لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ثُمَّ إِذًا لاَ تَسْمَعُونَ وَلاَ تُطِيعُونَ وَلَكِنَّهُ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ

(2621) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1721, इब्ने माजा, हदीस: 2886, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3599.

फ़ायदा : 'न सुनते और न इताअत करते' यानी इस पर अमल करना तुम्हारी ताक़त में न होता।

بَاب:(٢) وُجُوبِ الْعُمْرَةِ

बाब : (2) उम्रे के वाजिब होने का बयान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ سَالِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ . قَالَ " فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ " .

(2622) हज़रत अम्र बिन औस (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत अबू रज़ीन (ﷺ) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे वालिद बहुत बूढ़े हो चुके हैं। वह हज व उम्रा बल्कि सफ़र तक की ताक़त नहीं रखते। आपने फ़रमाया: 'तुम अपने वालिद की तरफ़ से हज और उम्रा करो।'

(2622) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1810, तिर्मिज़ी, हदीस: 930, व इब्ने माजा, हदीस: 2906, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3600, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 3040, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 961, वल हाकिम: 1/381.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उम्रे का वजूब मुख़्तलफ़ फ़ीह इख़्तिलाफ़ी मसला है। इमाम नसाई (ﷺ) और दूसरे मुहद्दिसीन, जैसे: इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (ﷺ) हज की तरह उम्रे को वाजिब समझते हैं क्योंकि इस हदीस में हज और उम्रे का इकट्ठा ज़िक्र है। क़ुर्आन मजीद में भी वह इकट्ठे मज़्कूर हैं। इरशादे बारी तआला है: 'हज और उम्रा अल्लाह तआला के लिये मुकम्मल करो।' (अल बक़र: 2/196) लिहाज़ा दोनों फ़र्ज़ हैं। मगर अहनाफ़ और मालकी हज़रात उम्रे को नफ़्ल समझते हैं क्योंकि नबी (ﷺ) ने अरकाने इस्लाम बताते वक़्त हज का ज़िक्र फ़रमाया है उम्रे का नहीं। लेकिन ये दलील इन्तेहाई कमज़ोर है क्योंकि दीगर बहुत से ऐसे फ़राइज़ व वाजिबात हैं जिनकी हैसियत अरकान की नहीं और न वह इस हदीस के तहत ज़िक्र ही हुये हैं जबकि हक़ीक़त में वह वाजिब ही हैं, लिहाज़ा इससे उनकी अदमे फ़र्ज़ीयत या अदमे वजूब लाज़िम नहीं आता, और दोनों के आमाल व मनासिक का भी ख़ासा फ़र्क़ है। जब फ़र्क़ है तो एक के इस हदीस में ज़िक्र न होने से क्या होता है! (2)

जो शख़्स माली ताक़त रखता हो मगर जिस्मानी तौर पर माज़ूर हो तो वह किसी को अपनी जगह हज के लिये भेजे। इसी तरह जिस शख़्स पर हज फ़र्ज़ हो मगर अदायगी के बग़ैर फ़ौत हो गया हो तो उसकी तरफ़ से उसके वारिसीन हज करें या किसी को भेजें।

बाब : (3) हज्जे मबरूर की फ़ज़ीलत

باب:(٣) فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ

(2623) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हज्जे मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। और एक उम्रा दूसरे उम्रे तक के दरम्यानी गुनाहों का कफ़्फ़ारा बन जाता है।'

(2623) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1349, बुख़ारी, हदीस: 1773, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3601.

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ الْبَصْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، - وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ - عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज्जे मबरूर से मुराद वह हज है जिसमें शहवानी बातें, फ़िस्क़ और लड़ाई जगड़ा न हो जैसा कि क़ुर्आन मजीद में इसकी तरफ़ इशारा है। कुछ ने हज्जे मबरूर के मानी मक़बूल हज के किये हैं मगर मक़बूल मबरूर का मानी नहीं बल्कि लाज़िम है, यानी जो हज इन मफ़ासिद से पाक होगा, वह लाज़िमन क़बूल होगा। हज्जे मबरूर से मुराद वह हज लिया है जिसमें रियाकारी न हो। **(2)** 'जन्नत' यानी वह अव्वलीन तौर पर जन्नत में जायेगा। गोया हज से उसके तमाम पहले गुनाह माफ़ हो जायेंगे। **(3)** 'कफ़्फ़ारा' यानी सग़ाइर (छोटे-छोटे गुनाह) माफ़ हो जायेंगे बशर्ते कि कबाइर (बड़े-बड़े गुनाहों) से इज्तेनाब करे। कुछ ने सग़ाइर व कबाइर दोनों मुराद लिये हैं क्योंकि सिर्फ़ सग़ाइर तो कबाइर के इज्तेनाब से भी माफ़ हो जाते हैं और वुज़ू से भी, नमाज़ से भी, फिर हज की क्या ख़ुसूसियत है? **(4)** हज की फ़ज़ीलत उम्रे से ज़्यादा है। **(5)** एक साल में कई उम्रे किये जा सकते हैं लेकिन हज साल में एक ही दफ़ा किया जा सकता है।

(2624) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हज्जे मबरूर का सवाब सिर्फ़ जन्नत है।' बाक़ी रिवायत तक़रीबन

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي

سُهَيْلٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ " . مِثْلَهُ سَوَاءً إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ " تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا " .

साबिक़ा रिवायत ही की तरह है। मगर इस रिवायत में फ़र्क़ सिर्फ़ ये है कि आपने फ़रमाया: 'एक उम्रा दूसरे उम्रे तक के दरम्यानी गुनाहों को ख़त्म कर देता है।'

(2624) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3602.

باب:(٤) فَضْلِ الْحَجِّ

बाब : (4) हज की फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ " الإِيمَانُ بِاللَّهِ " . قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " . قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ " ثُمَّ الْحَجُّ الْمَبْرُورُ " .

(2625) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि एक आदमी ने नबी (ﷺ) से पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! कौन सा अमल सबसे अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला पर ईमान' उसने कहा: फिर कौन सा? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद' उसने पूछा: फिर कौन सा? आपने फ़रमाया: 'फिर हज्जे मबरूर।'

(2625) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 83, बुख़ारी, हदीस: 26, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3603.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अफ़ज़ल अमल के बारे में रिवायात मुख़्तलिफ़ हैं। दरअसल अहवाल व अश्ख़ास के लिहाज़ से अफ़ज़ल काम मुख़्तलिफ़ हो सकता है। कुछ हालात में ज़िक्रुल्लाह अफ़ज़ल है और कुछ हालात में जिहाद। इसी तरह किसी शख़्स के लिहाज़ से सदक़ा अफ़ज़ल है और किसी शख़्स के लिहाज़ से नमाज़ बर वक़्त पढ़ना वग़ैरह, लिहाज़ा इसे इख़्तिलाफ़ न समझा जाये। **(2)** ईमान भी एक अमल है क्योंकि सहाबी ने पूछा था कि अफ़ज़ल अमल कौन सा है? तो आप (ﷺ) ने जवाब दिया: 'अल्लाह तआला पर ईमान लाना।'

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودٍ، قَالَ

(2626) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन शख़्स

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَفْدُ اللَّهِ ثَلاَثَةٌ الْغَازِي وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ ".

अल्लाह तआला के ख़ुसूसी मेहमान हैं: जिहाद को जाने वाला, हज के लिये सफ़र करने वाला और उम्रे को जाने वाला।'

(2626) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 5/262, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3604, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2511, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 965, वल हाकिम: 1/441.

फ़ायदा : 'ख़ुसूसी मेहमान' ये एक ऐज़ाज़ है जो उनको अल्लाह की राह में निकलने और मसाइब व आलाम उठाने पर दिया गया है।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ " .

(2627) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बूढ़े, बच्चे, कमज़ोर और औरत का जिहाद हज और उम्रा करना है।'

(2627) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 4/350, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3605.

फ़ायदा : ज़ाहिर है ये चारों अश्ख़ास जिहाद, यानी क़िताल नहीं कर सकते। उनके लिये जिहाद की फ़ज़ीलत हासिल करने का तरीक़ा ये है कि वह हज और उम्रा करें। उन्हें जिहाद का सवाब मिल जायेगा। हर आदमी उस चीज़ का मुकल्लफ़ है जिसकी वह इस्तेताअत (ताक़त) रखता है।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ، - وَهُوَ ابْنُ عِيَاضٍ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

(2628) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने इस घर (बैतुल्लाह) का हज किया और इस दौरान में कोई शहवानी बात की न फ़िस्क़ (कबीरा गुनाह का इरतेकाब) किया, वह (गुनाहों से) इस तरह

عليه وسلم " مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " .

(पाक साफ़ होकर) पलटता है जैसे उस दिन था जब उसे उसकी माँ ने जना था।'

(2628) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1819, मुस्लिम, हदीस: 1350, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3606.

फ़वाइद व मसाइल : (1) गोया उसके सब सग़ीरा व कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं, अलबत्ता हुक़ूक़ुल इबाद का मसला मुख़्तलिफ़ है क्योंकि उनकी माफ़ी तो मुताल्लिक़ीन ही की तरफ़ से हो सकती है, लेकिन अगर अल्लाह तआला मुताल्लिक़ा शख़्स को अपनी तरफ़ से दे कर राज़ी कर दे तो अल्लाह की रहमत से बईद नहीं और न उस पर कोई ऐतराज़ ही है। (2) फ़िस्क़ वैसे तो हर हाल में मना है लेकिन हज में बतौरे ख़ास मना किया गया है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حَبِيبٍ، -وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ - عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، قَالَتْ أَخْبَرَتْنِي أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، عَائِشَةُ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نَخْرُجُ فَنُجَاهِدَ مَعَكَ فَإِنِّي لاَ أَرَى عَمَلاً فِي الْقُرْآنِ أَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ . قَالَ " لاَ وَلَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ حَجُّ الْبَيْتِ حَجٌّ مَبْرُورٌ " .

(2629) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि मैंने गुज़ारिश की: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम औरतें भी आपके साथ जिहाद के लिये न जाया करें? क्योंकि मैं तो क़ुरआन मजीद में कोई अमल जिहाद से अफ़ज़ल नहीं पाती। आपने फ़रमाया: 'नहीं तुम औरतों के लिये अफ़ज़ल और ख़ूबसूरत तरीन जिहाद बैतुल्लाह का हज्जे मबरूर है।'

(2629) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1520, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3607.

फ़ायदा : जिहाद की मशक़्क़त औरतों के बस की बात नहीं है, इसलिये वह जिहाद नहीं कर सकतीं। वैसे भी ख़तरा है कि औरतें दुश्मन के हाथों क़ैद हो गई तो वह उनकी बेहुर्मती करेगा जो मुसलमान मर्दों के लिये ज़िल्लत व रुस्वाई की बात होगी। इब्तेदाई तौर पर औरतें ज़ख़्मियों को पानी पिलाने, मैदाने जंग से मुन्तक़िल करने और इब्तेदाई मरहम पट्टी करने के लिये लश्कर के साथ चली जाया करती थीं मगर जब मर्द ज़्यादा हो गये तो ऊपर दिये गये मक़ासिद के लिये भी आम तौर पर औरतों का मैदाने जंग में जाना बन्द हो गया। बल्कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी उनके जाने को पसन्द नहीं फ़रमाया।

बाब : (5) उ़म्रे की फ़ज़ीलत

باب:(٥) فَضْلِ الْعُمْرَةِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ "

(2630) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक उ़म्रा दूसरे उ़म्रे तक (के दरम्यानी गुनाहों) के लिये कफ़्फ़ारा बन जाता है, ओर हज्जे मबरूर की तो जन्नत के सिवा कोई जज़ा ही नहीं।

(2630) तख़रीज : (सनद सह़ी) मुस्लिम, हदीस़: 1349, बुख़ारी, हदीस़: 1773, देखें, हदीस़: 2624, मौता: 1/346, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3608.

बाब : (6) पे दर पे हज और उ़म्रा करने की फ़ज़ीलत

باب:(٦) فَضْلِ الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ " .

(2631) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पे दर पे हज और उ़म्रा करते रहो क्योंकि ये दोनों फ़क़्र और गुनाहों को इस तरह ज़ाइल करते हैं जैसे आग की भट्टी लोहे के ज़ंग और मैल कुचेल को दूर करती है।'

(2631) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3609, देखेयं, हदीस़: 2887.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'पे दर पे' से मुराद ये है कि हज के बाद उ़म्रा और उ़म्रे के बाद हज, यानी कभी हज, कभी उ़म्रा **(2)** 'गुनाहों को ज़ाइल करते हैं' यानी उनका स़वाब गुनाहों के अस़रात ख़त्म करता रहता है। या हज और उ़म्रे की बरकत से इन्सान गुनाहों को छोड़ देता है। जिस क़द्र ज़्यादा हज और उ़म्रे होंगे उतना ही वह गुनाहों से ज़्यादा दूर होगा। **(3)** फ़क़्र दूर होने की वजह ये है कि इन इबादात पर काफ़ी रक़म ख़र्च होती है और अल्लाह तआ़ला का वादा है कि जो शख़्स़ मेरे रास्ते में ख़र्च करेगा, मैं उसे ज़्यादा दूँगा। अल्लाह तआ़ला ऐसे शख़्स़ के लिये रिज़्क़ के मानवी दरवाज़े खोल देगा। मुमकिन है फ़क़्र से मुराद फ़क़्रे क़ल्ब हो, यानी हज और उ़म्रा पे दर पे करने से दिल सख़ी बन जायेगा, दिल में बुख़्ल नहीं रहेगा। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ " .

(2632) हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हज और उम्रा मुसल्सल करते रहो। यक़ीनन ये फ़क़्र और गुनाहों को इस तरह ज़ाइल कर देते हैं जिस तरह आग की भट्टी लोहे, सोने और चाँदी के मैल कुचेल को ज़ाइल कर देती है। और हज्जे मबरूर का सवाब तो जन्नत से कम नहीं।'

(2632) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/387, तिर्मिज़ी, हदीस: 810, हदीस: 3610, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2512, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 967.

باب:(٧) الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي، نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ،

बाब : (7) उस फ़ौत शुदा की तरफ़ से हज करना जिसने हज की नज़र मानी हो (मगर पूरी न कर सका हो)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً، نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَمَاتَتْ فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَاقْضُوا اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ " .

(2633) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि एक औरत ने हज की नज़र मानी थी लेकिन वह (हज किये बग़ैर फ़ौत हो गई। उसका भाई नबी (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ और इस बारे में पूछने लगा। आपने फ़रमाया: 'तेरा क्या ख़याल है कि अगर तेरी बहन के ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो क्या तू उसे अदा करता?' उसने अर्ज़ किया: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह का क़र्ज़ भी अदा करो क्योंकि अल्लाह तआला ज़्यादा हक़ रखता है कि उसका क़र्ज़ अदा किया जाये।'

(2633) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6699, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3612.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालूम हुआ हुक़ूक़ुल्लाह की अदायगी का दर्जा हुक़ूक़ुल इबाद की अदायगी से अहम और बलन्द है अगरचे हुक़ूक़ुल इबाद की माफ़ी मुश्किल है। (2) मय्यत के ज़िम्मे

हज वाजिब हो (ख़्वाह शरअन या नज़रन) और वह ज़िन्दगी में अदा न कर सका हो तो उसके माल से उसकी तरफ़ से हज करवाया जाये। इसी तरह कफ़्फ़ारा, ज़कात और क़र्ज़ भी अदा किया जायेगा, ख़्वाह मय्यत का सारा माल ही सर्फ़ हो जाये। सुलुस का लिहाज़ नहीं रखा जायेगा क्योंकि इनकी हैसियत महज़ वसीयत की सी नहीं। (3) इस रिवायत से क़यास के जवाज़ पर इस्तेदलाल किया गया है मगर हक़ीक़त ये है कि नबी (ﷺ) को तो क़यास की ज़रूरत ही नहीं थी। वह्य जारी थी, और क़यास तो ग़ैर मन्सूस चीज़ में होता है। आपका फ़रमान तो ख़ुद नस है। क़यास तो उम्मती कर सकता है जिसके पास नस (अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) का सरीह फ़रमान) न हो। (4) आदमी हज की नज़र मान सकता है अगरचे उसने फ़र्ज़ हज न किया हो, फिर जब वह हज करेगा तो उसका फ़र्ज़ हज अदा हो जायेगा। बाद में नज़र का हज करेगा। ये राय जुम्हूर की है। एक राय इसके बरअक्स भी है, यानी उसका पहला हज नज़र का शुमार होगा और दूसरा फ़र्ज़ और एक राय ये भी है कि उसका हज दोनों से किफ़ायत कर जायेगा, लेकिन ये राय दुरुस्त मालूम नहीं होती। (5) ये हदीस जुम्हूर अहले इल्म की दलील है कि अगर आदमी जानबूझ कर नमाज़ तर्क कर देता है तो उस पर उसकी क़ज़ा ज़रूरी है क्योंकि ये उस पर अल्लाह का क़र्ज़ है। (6) आलिम और मुफ़्ती को मसला समझाने का ऐसा अन्दाज़ अपनाना चाहिए कि साइल को पूरी तरह समझ में आ जाये और उसे किसी क़िस्म की तश्नगी बाक़ी न रहे और वह बिल्कुल मुतमइन हो जाये।

बाब : (8) जिस मय्यत ने (फ़र्ज़) हज न किया हो, उसकी तरफ़ से हज करना

باب:(٨) الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ

(2634) हज़रत इब्ने अब्बास (رضی الله عنه) बयान करते हैं कि एक औरत ने हज़रत सिनान बिन सलमा जुहनी (رضی الله عنه) से कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछें कि उसकी माँ (फ़र्ज़) हज किये बग़ैर फ़ौत हो गई है। अगर वह औरत अपनी माँ की तरफ़ से हज कर ले तो वह उसे किफ़ायत कर जायेगा? आपने फ़रमाया: 'हाँ। अगर उसकी माँ के ज़िम्मे क़र्ज़ होता और वह औरत उसकी तरफ़ से अदा कर देती तो क्या उसे किफ़ायत न करता? उसे चाहिए कि वह अपनी माँ की तरफ़ से हज करे।'

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ أَمَرَتِ امْرَأَةٌ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ الْجُهَنِيَّ أَنْ يَسْأَلَ، رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَفَيُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا قَالَ " نَعَمْ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا

أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا " .

(2634)तख़रीज: (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/217, व इब्ने ख़ुज़ैमा, 3034, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 3613

फ़ायदा : क़र्ज़ की मिसाल मसला समझाने के लिये ज़िक्र फ़रमाई न ये कि हज को क़र्ज़ पर क़यास फ़रमाया।

أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَبِيهَا مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ " حُجِّي عَنْ أَبِيكِ " .

(2635) हज़रत इब्ने अब्बास (﵁) से रिवायत है कि एक औरत ने नबी (ﷺ) से अपने वालिद के बारे में पूछा जो (फ़र्ज़) हज किये बग़ैर फ़ौत हो गया था। आपने फ़रमाया: 'तू अपने वालिद की तरफ़ से हज कर ले।'

(2635) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1513, मुस्लिम, हदीस: 1334, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3614.

फ़ायदा : अगर मय्यत पर हज फ़र्ज़ हो चुका हो और वह न कर सके तो फिर उसकी तरफ़ से हज किया जायेगा, वरना अगर उस पर हज फ़र्ज़ ही नहीं था तो उसकी तरफ़ से हज करने की ज़रूरत नहीं।

باب:(٩) الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ الَّذِي، لاَ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ

बाब : (9) ज़िन्दा शख़्स सवारी पर न बैठ सकता हो तो उसकी तरफ़ से हज किया जा सकता है

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ جَمْعٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ " نَعَمْ".

(2636) हज़रत इब्ने अब्बास (﵁) से रिवायत है कि बनू ख़स्अम (क़बीले) की एक औरत ने मुज़्दलिफ़ा की सुबह रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला की तरफ़ से लोगों पर फ़र्ज़ किये गये हज ने मेरे वालिद को इस हाल में पाया है कि वह इन्तेहाई बूढ़े हैं, सवारी पर भी नहीं बैठ सकते, तो क्या मैं उसकी तरफ़ से हज कर सकती हूँ? आपने फ़रमाया: 'हाँ'

(2636) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3615.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुज़्दलिफ़ा की सुबह, यानी जिस सुबह हाजी मुज़्दलिफ़ा से मिना रवाना होते हैं। गोया 10 ज़ुलहिज्जा ये हज्जतुल विदा की बात है। (2) 'सवारी पर नहीं बैठ सकते' मालूम हुआ कि वजूबे हज के लिये जिस्मानी क़ुव्वत शर्त नहीं बल्कि माली इस्तेताअ़त (यानी आने जाने और खाने पीने का ख़र्च) काफ़ी है वरना आप फ़रमा देते कि तेरे बाप पर हज वाजिब ही नहीं। माली इस्तेताअ़त होने की सूरत में ख़ुद हज करे। अगर जिस्मानी क़ुव्वत न हो तो किसी से करवाये। (3) 'फ़रमाया: हाँ' यानी अगले साल या उससे बाद क्योंकि ये हज तो वह अपनी तरफ़ से कर रही थी बल्कि कर चुकी थी क्योंकि ये वक़ूफ़े अ़रफ़ा से बाद की बात है और वक़ूफ़े अ़रफ़ा ही अस़ल हज है। (4) जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक हज्जे बदल (जो किसी की तरफ़ से किया जाये) सिर्फ़ वही शख़्स कर सकता है जो अपना हज पहले कर चुका हो। अबू दाऊद की एक रिवायत में आपने स़राहतन एक शख़्स को अपना हज करने से पहले शिब्रमा नामी शख़्स की तरफ़ से हज करने से रोक दिया था। (5) मर्द और औ़रत दोनों एक दूसरे की तरफ़ से हज्जे बदल कर सकते हैं अगरचे मर्द, औ़रत के अहकाम में कुछ फ़र्क़ है मगर वह फ़र्क़ एहराम वग़ैरह में है। अफ़्हाले हज एक जैसे ही हैं। (6) औ़रत की आवाज़ पर्दा नहीं है। तालीम व तअ़ल्लुम, इस्तिफ़्ता व इफ़्ता और इस क़िस्म की दीगर ज़रूरियात के मौक़े पर अजनबी औ़रत की आवाज़ सुनने में कोई हर्ज नहीं लेकिन औ़रत को चाहिए कि अजनबी से बात करते वक़्त इस तरह नर्म लहजा इख़्तियार न करे जिससे फ़ित्ने का अन्देशा हो। (7) वालिदैन के साथ नेकी का बर्ताव करना चाहिए और उनसे हुस्ने सुलूक से पेश आना चाहिए। अगर उनकी वफ़ात के बाद उन पर कोई हज या क़र्ज़ वग़ैरह का फ़रीज़ा हो जिसे वह किसी उ़ज़्र की बिना पर अदा न कर सके हों, तो औलाद को चाहिए कि उनकी तरफ़ से वह फ़रीज़ा अन्जाम दें। वल्लाहु आ़लम!

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ .

(2637) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से (एक दूसरी सनद से) साबिक़ा हदीस़ की मिस़्ल रिवायत आती है।

(2637) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3616.

بَاب:(١٠) الْعُمْرَةِ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي، لاَ يَسْتَطِيعُ

बाब : (10) जो शख़्स उ़म्रा न कर सकता हो, उसकी तरफ़ से उ़म्रा करना

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ

(2638) हज़रत अबू रज़ीन उ़क़ैली (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे

سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَالظَّعْنَ . قَالَ " حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ "

वालिद बहुत बूढ़े हो चुके हैं, हज व उम्रा बल्कि सफ़र भी नहीं कर सकते। आपने फ़रमाया: 'तुम अपने वालिद की तरफ़ से हज और उम्रा करो।'

(2638) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2622, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3617.

फ़ायदा : मज़्कूरा हदीस से मालूम होता है कि उम्रा भी फ़र्ज़ है। तभी बेटे को उम्रा करने का भी हुक्म दिया मगर ये कि कहा जाये कि उम्रा, नज़र वग़ैरह की बिना पर भी तो वाजिब हो सकता है। मगर यहाँ नज़र का अदना तरीन इशारा भी नहीं है बल्कि हज और उम्रे को एक साथ ज़िक्र करना और जिस्मानी मअज़ूरी का उज़्र करना दोनों को एक ही हैसियत देता है। सहाब-ए-किराम (ﷺ) और जुम्हूर अहले इल्म फ़र्ज़ीयत ही के क़ाइल हैं। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 23/293)

باب:(١١) تَشْبِيهِ قَضَاءِ الْحَجِّ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ

बाब : (11) अदायगि-ए-हज, अदायगि-ए- क़र्ज़ के मुशाबा है

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الرُّكُوبَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ فَهَلْ يُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ " أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَحُجَّ عَنْهُ " .

(2639) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) से रिवायत है कि ख़स्अम क़बीले का एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ और कहने लगा: मेरे वालिद इन्तेहाई बूढ़े हैं। वह सवार नहीं हो सकते। और अल्लाह के फ़रीज़-ए-हज ने उन्हें आ लिया है। क्या उनकी तरफ़ से हज करना उनको किफ़ायत कर जायेगा? आपने फ़रमाया: 'क्या तू उसका सबसे बड़ा बेटा है?' उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'तू बता अगर तेरे वालिद के ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो क्या तू उसे अदा करता?' उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'फ़िर तू उसकी तरफ़ से हज भी कर।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/5, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3618, पिछली हदीस देखें.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुहक़्क़िक़े किताब ने मज़्कूरा रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है और

मज़ीद लिखा है कि इसकी अस़ल स़ही है जिससे मालूम होता है कि उनके नज़दीक भी रिवायत मअनन स़ही है, ताहम राजेह और दुरुस्त बात ये है कि (अन्त अक्बरु वलदिही) के अलावा बाक़ी रिवायत शवाहिद की बिना पर स़ही है। तफ़्स़ील के लिये देखिये: (अलमौसूआ अल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 26/27, 28) **(2)** हज्जे बदल के लिये ये ज़रूरी नहीं कि बड़ा बेटा ही करे बल्कि कोई बेटा भी बल्कि भाई यहाँ तक कि आम क़राबतदार भी हज्जे बदल कर सकता है जैसा कि इस बारे में आने वाली दीगर रिवायात से स़ाफ़ मालूम होता है। (दीगर मबाहिस़ के लिये देखिये, रिवायात: 2633 से 2636)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ " .

(2640) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मन्क़ूल है कि एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे वालिद हज किये बग़ैर फ़ौत हो गये हैं, तो क्या मैं उनकी तरफ़ से हज कर सकता हूँ? आपने फ़रमाया: 'बताओ अगर तुम्हारे वालिद पर क़र्ज़ होता तो क्या तुम उसे अदा करते?' उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'तो अल्लाह का क़र्ज़ अदायगी का ज़्यादा हक़दार है।'

(2640) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3619.

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَإِنْ شَدَدْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ مُجْزِئًا " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ " .

(2641) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है, एक आदमी ने नबी (ﷺ) से पूछा कि मेरे बाप पर हज फ़र्ज़ है मगर वह इन्तेहाई बूढ़े हैं। सवारी पर नहीं बैठ सकते। और अगर मैं उन्हें (पालान पर) बाँध दूँ तो ख़तरा है कि वह मर जायेंगे, तो क्या मैं उनकी तरफ़ से हज कर सकता हूँ? फ़रमाया: 'बताओ अगर उस पर क़र्ज़ होता और तुम अदा करते तो क्या उसे किफ़ायत करता?' उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'फिर तुम अपने बाप की तरफ़ से हज भी करो।'

(2641) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3620.

फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत में है कि सवाल करने वाला मर्द था जबकि उससे क़ब्ल हदीस़ नम्बर: 2635, 2636 और उसके बाद हदीस़: 2642, 2643 वग़ैरह में मज़्कूर है कि सवाल करने वाली औरत थी, ताहम राजेह और दुरुस्त बात ये है कि सवाल करने वाली औरत ही थी और (अर्रजुल) 'मर्द' के अल्फ़ाज़ शाज़ या मुन्कर हैं। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन नसाई लिल अल्बानी, हदीस़: 2639)

बाब : (12) औरत का मर्द की तरफ़ से हज करना

باب:(۱۲) حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ وَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ " نَعَمْ " . وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

(2642) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि (मेरे भाई) फ़ज़्ल बिन अब्बास (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे ऊँटनी ही पर सवार थे कि ख़स्अम क़बीले की एक औरत आकर आपसे मसला पूछने लगी। फ़ज़्ल उसे देखने, लगे और वह उन्हें देखने लगी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ज़्ल का चेहरा दूसरी तरफ़ फेर दिया। वह औरत कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला के फ़रीज़-ए-हज ने, जो उसने अपने बन्दों पर आइद किया है,मेरे वालिद को बहुत बुढ़ापे की हालत में पाया है। वह सवारी पर बैठ भी नहीं सकते। तो क्या मैं उनकी तरफ़ से हज कर सकती हूँ? आपने फ़रमाया: 'हाँ' (इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया:) ये हज्जतुल विदा की बात है।

(2642) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 2636, बुख़ारी, हदीस़: 1855, मौता: 1/359, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3621.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालूम हुआ अगर जानवर ताक़तवर हो तो एक से ज़्यादा आदमी उस पर सवार हो सकते हैं लेकिन कमज़ोर जानवर पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालना ज़ुल्म है। (2) नबी-ए अकरम (ﷺ) की तवाज़ोअ और शफ़क़त और फ़ज़्ल बिन अब्बास (ﷺ) की फ़ज़ीलत व मन्क़बत

मालूम हूई। (3) अजनबी औरत की तरफ़ देखना मना है। (4) हर मुसलमान पर बिल उमूम और आलिम व इमाम पर बिल ख़ुसूस लाज़िम है कि वह बुराई देख कर हर मुमकिन उसे ख़त्म करने की कोशिश करे। मज़ीद देखिये, रिवायत: 2636.

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَوِي عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " نَعَمْ " . فَأَخَذَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً حَسْنَاءَ وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَضْلَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ .

(2643) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने ख़बर दी कि हज्जतुल विदा में ख़स्अम क़बीले की एक औरत ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मसला पूछा, हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (ﷺ) आपके पीछे सवारी पर बैठे थे। वह कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला के अपने बन्दों पर फ़रीज़-ए-हज ने मेरे वालिद को बहुत बुढ़ापे की हालत में पाया है। वह सवारी पर बैठ भी नहीं सकते। अगर मैं उनकी तरफ़ से हज करूँ तो क्या उनकी तरफ़ से किफ़ायत हो जायेगा? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हाँ' फ़ज़्ल बिन अब्बास (ﷺ) उस औरत को देखने लगे (क्योंकि) वह ख़ूश शक्ल थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ज़्ल का चेहरा पकड़ कर दूसरी तरफ़ फेर दिया।

(2643) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2635, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3622.

باب:(١٣) حَجِّ الرَّجُلِ عَنِ الْمَرْأَةِ .

बाब : (13) मर्द का औरत की तरफ़ से हज करना

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ - قَالَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ،

(2644) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि मैं (हज्जतुल विदा में) रसूलुल्लाह(ﷺ) की सवारी पर आपके पीछे बैठा था कि एक आदमी आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी वालिदा बहुत ज़्यादा बूढ़ी

أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ وَإِنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ وَإِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَحُجَّ عَنْ أُمِّكَ " .

हैं। अगर मैं उन्हें उठाकर सवारी पर बिठा भी दूँ तो वह बैठ नहीं सकेंगी और अगर मैं उन्हें (पालान के साथ) बाँध दूँ तो ख़तरा है कि वह मर जायेंगी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तू बता अगर तेरी वालिदा के ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो क्या तू अदा करता?' उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'फिर अपनी माँ की तरफ़ से तू हज भी कर ले।'

(2644) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/212, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3623.

फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत इस सियाक़ से शाज़ है क्योंकि असह (ज़्यादा सही) रिवायात में है कि सवाल करने वाली औरत थी और उसने अपने बाप के बारे में पूछा था। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन नसाई लिल अल्बानी, रक़म: 2642)

بَاب:(١٤) مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الرَّجُلِ أَكْبَرُ وَلَدِهِ.

बाब : (14) मुस्तहब ये है कि आदमी की तरफ़ से उसका बड़ा बेटा हज करे

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ " أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِ أَبِيكَ فَحُجَّ عَنْهُ " .

(2645) हज़रत इब्ने ज़ुबैर (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है, नबी (ﷺ) ने एक आदमी से फ़रमाया: 'तू अपने वालिद का सब से बड़ा बेटा है, लिहाज़ा तू उसकी तरफ़ से हज कर।'

(2645) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 2639, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2624.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस में मज़्कूर मसले की वज़ाहत हदीस: 2639 के फ़वाइद में गुज़र चुकी है। वहाँ मुलाहिज़ा फ़रमाइये। (2) गुज़िश्ता तेरह रिवायात जो हज्जे बदल के बारे में हैं, उनमें किसी जगह साइल मर्द है कहीं औरत। कुछ रिवायात में ज़िन्दा के बारे में सवाल है, कुछ में मय्यत के बारे में। किसी रिवायत में बाप का ज़िक्र है, किसी में माँ का और किसी में बहन का, ताहम जिन रिवायात में शुज़ूज़ था उसकी वज़ाहत कर दी गई है। याद रहे ये कोई परेशानी की बात नहीं क्योंकि एक ही मसला कई लोगों को पेश आ सकता है। ख़ुसूसन, इसलिये कि हज्जतुल विदा में तमाम इलाक़ों के लोग मौजूद थे। फ़र्ज़ीयत के बाद अमलन ये पहला हज था। उमूमन लोग हज के मसाइल से वाक़िफ़ न

थे, लिहाज़ा बहुत से लोगों ने अपने अपने हालात के मुताबिक़ सवालात किये, इसलिये सब रिवायात अपनी अपनी जगह सही हैं। कोई इश्काल नहीं। वल्लाहु आलम!

बाब : (15) बच्चे को हज करवाना

باب:(١٥) الْحَجِّ بِالصَّغِيرِ.

(2646) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि एक औरत ने अपना बच्चा रसूलुल्लाह(ﷺ) की तरफ़ हाथों पर बलन्द किया और कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या इसका भी हज है? आपने फ़रमाया: 'हाँ' और सवाब तुझे मिलेगा।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً، رَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ " نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ " .

(2646) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1336/411, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3625

फ़वाइद व मसाइल : (1) कमसिन और नाबालिग़ पर फ़राइज़ की अदायगी ज़रूरी नहीं लेकिन अगर वह किसी फ़र्ज़ की अदायगी करे या उसे अदायगी करवा दी जाये तो वह सही और बाइसे अज्र होगी, जैसे: वालिदैन का शीरख़्वार बच्चे को हज करवाना, तो ऐसी सूरत में हज का एहराम और उसकी पाबन्दियाँ वालिदैन की ज़िम्मेदारी होगी कि वह उनका ख़्याल रखें, इसलिये उन्हें बच्चे के नेक कामों का सवाब मिलेगा। इसी तरह सात साल के बच्चे का नमाज़ रोज़ा अदा करना, लेकिन उसे शराइत का लिहाज़ भी रखना होगा, जैसे: नमाज़ के लिये तहारत और वुज़ू वग़ैरह का एहतिमाम करना। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि बच्चे को सवाब मिलेगा ही नहीं, बल्कि बच्चे को भी सवाब मिलेगा और औलिया चूंकि उसे मेहनत मशक़्क़त से वह काम कराते हैं, इसलिये उन्हें इस मशक़्क़त के बाइस सवाब मिलेगा। **(2)** इस बात पर क़रीबन इज्मा है कि बुलूग़त से पहले का हज फ़र्ज़ हज़ की जगह किफ़ायत नहीं करेगा बल्कि वह बुलूग़त के बाद अदा करना होगा। रावि-ए-हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) और दीगर सहाबा के फ़तवे उसकी मज़बूत दलील हैं। **(3)** इस हदीस में मज़्कूर जिस बच्चे की बाबत सवाल किया गया है वह बच्चा तो बहुत ही छोटा मालूम होता है कि उसे उस औरत ने हाथ पर उठा लिया था। बहरहाल वालिदा के लिये सवाब तो है ही क्योंकि वह उसे उठाये फिरती है।

(2647) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि एक औरत ने अपना बच्चा होदज से उठाया और (रसूलुल्लाह (ﷺ) को दिखा कर आपसे) कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या इसका भी

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

قَالَ رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا مِنْ هَوْدَجٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ " نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ " .

हज होगा? आपने फ़रमाया: 'हाँ! और सवाब तुझे मिलेगा।'

(2647) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3626.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَفَعَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَبِيًّا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ " نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ " .

(2648) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि एक औरत ने नबी (ﷺ) की तरफ़ एक बच्चा उठाया और कहने लगी: क्या इसका भी हज होगा? आपने फ़रमाया: 'हाँ'! और सवाब तेरे लिये है।'

(2648) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1336, देखें, हदीस: 2647, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3627.

फ़ायदा : 'सवाब तुझे मिलेगा' बहुत ही छोटा होने की सूरत में नियते सवाब भी ज़रूरी है। अगर वह साहिबे तमीज़ होगा तो फिर तो अफ़आल भी अदा करेगा।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ صَدَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ لَقِيَ قَوْمًا فَقَالَ " مَنْ أَنْتُمْ " . قَالُوا الْمُسْلِمُونَ . قَالُوا مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ فَأَخْرَجَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا مِنَ الْمِحَفَّةِ فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ " نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ" .

(2649) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (हज से) वापस (मदीना मुनव्वरा को) तशरीफ़ ला रहे थे। जब मक़ामे रौहा पर पहुँचे तो कुछ लोगों से मिले। आपने फ़रमाया: 'तुम कौन हो?' उन्होंने अर्ज़ किया: हम मुसलमान हैं, फिर वह कहने लगे: आप कौन हो? हाज़िरीन ने बताया कि ये अल्लाह के रसूल हैं। तो उनकी एक औरत ने डोली से एक बच्चा उठाया और कहने लगी: क्या इसके लिये हज है? आपने फ़रमाया: 'हाँ। और सवाब तेरे लिये है।'

(2649) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3628.

फ़ायदा : ये लोग भी हज ही से वापस आ रहे थे। 'रौहा' मक्का और मदीना के रास्ते में एक जगह का नाम है जो कि मदीना मुनव्वरा से तक़रीबन चालीस मील के फ़ासले पर है।

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سَعْدٍ ابْنُ أَخِي، رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ أَبُو الرَّبِيعِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا مَعَهَا صَبِيٌّ فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ " نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ " .

(2650) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मज़्कूर है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (हज से वापसी के दौरान में) एक औरत के पास से गुज़रे। वह पर्दे में थी और उसके साथ उसका एक बच्चा था। वह कहने लगी: क्या इसके लिये हज है? आपने फ़रमाया: 'हाँ। और सवाब तेरे लिये है।'

(2650) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, मौता: 1/422, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3629.

फ़ायदा : ये एक हदीस पाँच सनदों से ज़िक्र की गई है जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तमाम सनदें मिलाने से वाक़िये की पूरी तफ़सील मालूम हो जाती हैं, और पता चल जाता है कि ये हदीस शाज़ और ग़रीब नहीं।

باب:(١٦) الْوَقْتِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ لِلْحَجِّ.

बाब : (16) नबी-ए-अकरम (ﷺ) हज के लिये मदीना मुनव्वरा से कब चले?

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ

(2651) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ (हज के लिये) चले तो ज़ुलक़अदा के पाँच दिन बाक़ी थे। हम (उमूमन) हज ही की नियत रखते थे मगर जब हम मक्का मुकर्रमा के क़रीब हुये तो आपने हुक्म फ़रमाया: 'जिनके साथ क़ुर्बानी का जानवर नहीं, वह जब बैतुल्लाह का तवाफ़ कर चुकें तो एहराम ख़त्म कर दें (हलाल हो जायें)'

(2651) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1709, मुस्लिम: 1211/125, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 3630

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीने से हफ़्ते के दिन निकले जबकि माहे ज़ुलक़अदा के पाँच दिन बाक़ी थे और आपने वक़ूफ़े अरफ़ा जुमे के दिन फ़रमाया। मुख़्तलिफ़ तारीख़ों का ज़िक्र है लेकिन यही क़ौल सही है। वल्लाहु आलम! **(2)** 'हज की नियत रखते थे' अक्सर सहाबा की नियत यही थी मगर कुछ सहाबा यहाँ तक कि ख़ुद हज़रत आयशा (رضي الله عنها) भी उम्रे का एहराम बाँधे हुये थीं। **(3)** 'एहराम ख़त्म कर दें।' यानी उम्रा करके हलाल हो जायें, ख़्वाह एहराम हज ही का हो। इस बात में इख़्तिलाफ़ है कि क्या अब भी ऐसे जायज़ है कि हज के एहराम को उम्रे के एहराम में बदल दें? बज़ाहिर ये अब भी जायज़ है जैसा कि मज़्कूरा हदीस से अख़ज़ होता है। इस मौक़िफ़ की मज़ीद ताईद इससे भी होती है कि इस मौक़े पर कुछ सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) ने दरयाफ़्त किया कि आया ये इस साल के साथ ही ख़ास है या ये इजाज़त हमेशा के लिये है? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसके जवाब में इसे क़यामत तक के लिये जायज़ क़रार देते हुये फ़रमाया: 'ता'क़यामत उम्रा हज में दाख़िल हो गया, नहीं बल्कि ये हमेशा-हमेशा के लिये, नहीं बल्कि ये इजाज़त हमेशा हमेशा के लिये है।' मज़ीद तफ़सील के लिये देखिये: (हज्जतुन नबी लिल अल्बानी, सफ़ा 15) लेकिन जुम्हूर अहले इल्म अब इसके जवाज़ के क़ाइल नहीं। उनके बक़ौल ये हुक्म सिर्फ़ उस साल के लिये था क्योंकि हज के दिनों में उम्रा करने की इजाज़त ताज़ा ताज़ा मिली थी। पहले लोग हज के दिनों में उम्रा करना गुनाह समझते थे, इसलिये वज़ाहत के लिये आपने ये हुक्म दिया। लेकिन सरीह हदीस की रोशनी में ये तौजीह महल्ले नज़र है। **(4)** 'जब बैतुल्लाह का तवाफ़ कर चुकें' यानी मुकम्मल उम्रा कर लें। तवाफ़ के बाद सई भी कर चुकें। ये मसला मुत्तफ़क़ है।

मवाक़ीत का बयान

اَلْمَوَاقِيتُ

वज़ाहत : बैतुल्लाह के चारों तरफ़ ऐसे मक़ामात मुक़र्रर कर दिये गये हैं जहाँ से हज और उम्रे के इरादे से आने वाले का बग़ैर एहराम के गुज़रना दुरुस्त नहीं। कुछ मक़ामात क़रीब हैं कुछ बहुत दूर। उन्हें मीक़ात कहा जाता है। सबसे दूर मीक़ात, मदीना वालों का है जिसे ज़ुल हुलैफ़ा कहते हैं।

बाब : (17) मदीने वालों का मीक़ात

باب:(١٧) مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

(2652) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मदीने वाले ज़ुल हुलैफ़ा से, शाम वाले जुहफ़ा से और नज्द वाले क़र्ने मनाज़िल से एहराम बाँधें।' हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ

الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ " . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ " .

मुझे ये बात पहुँची है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'और यमन वाले यलमलम से एहराम बाँधें।'

(2652) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1525, मुस्लिम, हदीस: 1182, मौता: 1/330, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3631.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ये बात पहुँची है।' गोया ये टुकड़ा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ؓ) ने बराहे रास्त रसूलुल्लाह (ﷺ) से नहीं सुना। लेकिन दीगर रिवायात में ये टुकड़ा भी रसूलुल्लाह(ﷺ) से बिला शक व शुब्हा सही व साबित है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस:1524, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1181) **(2)** ज़ुल हुलैफ़ा मदीने से छ: मील और मक्का मुकर्रमा से तक़रीबन 450 किलोमीटर के फ़ासिले पर है, इसे वादि-ए-अक़ीक़ भी कहते हैं। आज कल इसे बीरे अली या अब्यारे अली कहते हैं। ये मीक़ात तमाम मवाक़ीत में से मक्का से ज़्यादा दूर है। **(3)** हज के इरादे से जाने वालों के लिये इन जगहों से बग़ैर एहराम के गुज़रना जायज़ नहीं। **(4)** ये हदीस आलामे नबुवत में से है। आपने जो मीक़ात मुक़र्रर किये, वह और उनके आस पास के इलाक़ों वाले अभी मुसलमान नहीं हुये थे। लेकिन आपने ये मीक़ात मुक़र्रर फ़रमाये क्योंकि आप देख रहे थे कि ये इलाक़े मुसलमान होंगे और हज के लिये बैतुल्लाह की तरफ़ रख़्ते सफ़र बाँधेंगे और उन्हें एहराम बाँधने की ज़रूरत पेश आयेगी। (ﷺ) **(5)** चारों तरफ़ मीक़ात मुक़र्रर करना उम्मत की सहूलत के लिये है। अगर एक ही मीक़ात मुक़र्रर किया जाता तो ये बहुत ज़्यादा मशक़्क़त का बाइस होता।

باب:(١٨) مِيقَاتِ أَهْلِ الشَّامِ

बाब : (18) शाम वालों का मीक़ात

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ " . قَالَ

(2653) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ؓ) से मरवी है कि एक आदमी मस्जिद में खड़ा हुआ और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप हमें कहाँ से एहराम बाँधने का हुक्म देते हैं? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मदीना मुनव्वरा वाले ज़ुल हुलैफ़ा से, शाम वाले जुहफ़ा से और नज्द वाले क़र्ने मनाज़िल से एहराम बाँधें।' हज़रत इब्ने उमर (ؓ) बयान करते हैं कि लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये भी फ़रमाया था:

ابْنُ عُمَرَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ " . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ أَفْقَهْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

'यमन वाले यलमलम से एहराम बाँधें।' मैं ये जुम्ला रसूलुल्लाह (ﷺ) से नहीं समझ सका (यानी बराहे रास्त आपसे अख़ज़ नहीं किया बल्कि दूसरे सहाबा से अख़ज़ किया है।)

(2653) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 133, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2632.

फ़ायदा : जुहफ़ा शाम, मिस्र, तुर्की, शिमाली अफ़्रीक़ा, योरोप, अमेरिका और उधर से गुज़रने वालों का मीक़ात है। ये एक वीरान सी आबादी थी। मक्का मुकर्रमा से तक़रीबन 187 किलोमीटर के फ़ासिले पर राबिग़ के क़रीब है। इसका असल नाम महयआ था। सैलाब की तबाहकारी की वजह से इसे जुहफ़ा कहने लगे। ये भी मदीना से जाने वालों की राह में पड़ता है।

باب:(١٩) مِيقَاتِ أَهْلِ مِصْرَ

बाब : (19) मिस्र वालों का मीक़ात

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى، عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ .

(2654) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना मुनव्वरा वालों के लिये ज़ुल हुलैफ़ा शाम और मिस्र वालों के लिये जुहफ़ा, इराक़ वालों के लिये ज़ाते इर्क़ और यमन वालों के लिये यलमलम मीक़ात मुक़र्रर फ़रमाये।

(2654) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1739, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3633, व सहीह अबू नुऐम: 4/94.

फ़ायदा : मिस्र वाले अगर ख़ुश्की के रास्ते से मक्का मुकर्रमा आयें तो शाम वाले रास्ते से गुज़रते हैं, लिहाज़ा उनका मीक़ात शाम वालों का मीक़ात जुहफ़ा ही होगा।

باب:(٢٠) مِيقَاتِ أَهْلِ الْيَمَنِ

बाब : (20) यमन वालों का मीक़ात

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ

(2655) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना मुनव्वरा वालों के लिये ज़ुल हुलैफ़ा, शाम वालों के लिये

اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَقَالَ " هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ فَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ حَيْثُ يُنْشِئُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ " .

जुहफ़ा, नज्द वालों के लिए क़र्ने मनाज़िल और यमन वालों के लिये यलमलम मीक़ात मुक़र्रर फ़रमाये, और फ़रमाया: 'ये मीक़ात इन इलाक़ों (के लोगों) के लिये हैं और उनके लिये भी जो इन मवाक़ीत से गुज़रें, चाहे वह दूसरे इलाक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। और जिस शख़्स की रिहाइश इन मवाक़ीत के अन्दर हो तो वह जहाँ से (उम्रे और हज का) सफ़र शुरू करें, वहीं से एहराम बाँधें यहाँ तक कि ये हुक्म मक्के वालों पर भी लागू होगा, यानी अहले मक्का, मक्का मुकर्रमा ही से एहराम बाँधेंगे।'

(2655) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस 1524, मुस्लिम, हदीस: 1181/12, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3634.

फ़ायदा : यलमलम मक्का मुकर्रमा से तक़रीबन 92 किलोमीटर के फ़ासले पर है। आज कल इसका नाम सअदिया है। पाकिस्तान और भारत के लोग समन्दरी या फ़ज़ाई रास्ते से जाते हैं तो यमन की तरफ़ से होकर गुज़रते हैं और यलमलम की सीध मालूम करके जहाज़ ही में एहराम बाँध लेते हैं।

باب:(٢١) مِيقَاتِ أَهْلِ نَجْدٍ

बाब : (21) नज्द वालों का मीक़ात

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ " . وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ قَالَ " وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ " .

(2656) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मदीने वाले ज़ुल हुलैफ़ा से, शाम वाले जुहफ़ा से और नज्द वाले क़र्ने (अल मनाज़िल) से एहराम बाँधें।' और मुझे बताया गया है, मैंने ख़ुद नहीं सुना कि आपने फ़रमाया था: 'यमन वाले यलमलम से एहराम बाँधें।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1527, मुस्लिम, हदीस: 1183/17, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 3635.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अहले नज्द और नज्द के रास्ते से आने वालों का मीक़ात क़र्ने मनाज़िल है, इसे क़र्नुस्सआलिब भी कहा जाता है। ऊपर दी गई अहादीस़ में सिर्फ़ लफ़्ज़े क़र्न आया है। बिल इत्तेफ़ाक़ इससे क़र्नुलमनाज़िल मुराद है। क़र्नुलमनाज़िल मक्का मुकर्रमा से मशरिक़ की तरफ़ ताइफ़ के क़रीब तक़रीबन 94 किलोमीटर के फ़ासले पर एक बस्ती या वादी है। पहाड़ भी कहा गया है। कोई इख़्तिलाफ़ नहीं, तीनों इसी नाम से मशहूर हैं। आज कल इसे अस्सैल कहा जाता है। **(2)** नज्द हर ऊँचे इलाक़े को कहते हैं। अरब में तक़रीबन दस नज्द हैं। यहाँ मुराद वह इलाक़ा है जो मक्का मुकर्रमा से मशरिक़ की जानिब यमन और तिहामा से लेकर इराक़ और शाम तक फैला हुआ है।

बाब : (22) इराक़ वालों का मीक़ात

باب:(٢٢) مِيقَاتِ أَهْلِ الْعِرَاقِ

(2657) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना मुनव्वरा वालों के लिये ज़ुल हुलैफ़ा, शाम और मिस्र वालों के लिये जुहफ़ा, इराक़ वालों के लिये ज़ाते इर्क़, नज्द वालों के लिये क़र्न और यमन वालों के लिये यलमलम को मीक़ात मुक़र्रर फ़रमाया है।

(2657) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2654, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3636.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْمُعَافَى، عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ .

फ़ायदा : इराक़ वालों या उधर से आने वालों का मीक़ात ज़ाते इर्क़ है और ये मुत्तफ़क़ा बात है। ये मक्का मुकर्रमा से तक़रीबन 94 किलोमीटर के फ़ासले पर है। आज कल अज़्ज़ुरैबा (अल्ख़रीबात) से एहराम बाँधते हैं। कुछ रिवायात में 'अक़ीक़' का ज़िक्र भी आया है मगर उस रिवायत में कुछ ज़ुअफ़ है। ऊपर दी गई रिवायात से मालूम होता है कि ज़ाते इर्क़ को रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इराक़ का मीक़ात क़रार दिया है मगर कुछ रिवायात में इस तक़र्रुर को हज़रत उ़मर (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब किया गया है। मुमकिन है हज़रत उ़मर (ﷺ) को ऊपर दी गई रिवायात न मिली हों और उन्होंने अपने इज्तेहाद से ज़ाते इर्क़ को मीक़ात मुक़र्रर फ़रमाया हो क्योंकि इराक़ के मशहूर शहर कूफ़ा, बस़रा उन्हीं के दौर में आबाद हुये। इनका ये इज्तेहाद रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान के मुवाफ़िक़ हो गया जिस तरह इनके दूसरे इज्तेहादात क़ुर्आन मजीद के मुवाफ़िक़ हुये। वल्लाहु आलम!

बाब : (23)
जो लोग इन मवाक़ीत के अन्दर रहते हों

باب:(٢٣) مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ

(2658) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना मुनव्वरा वालों के लिये ज़ुल हुलैफ़ा, शाम वालों के लिये जुहफ़ा, नज्द वालों के लिये क़र्न और यमन वालों के लिये यलमलम को मीक़ात मुक़र्रर फ़रमाया। आपने फ़रमायाः 'ये मवाक़ीत उन (इलाक़ों के लोगों) के लिये हैं। और उन लोगों के लिये भी जो दूसरे इलाक़ों से हों लेकिन इन मवाक़ीत से गुज़रें बशर्ते कि वह हज व उम्रा के इरादे से आयें। और जो लोग इन मवाक़ीत के अन्दर रहते हों तो वह उन जगहों से एहराम बाँधें जहाँ से चलें, यहाँ तक कि ये हुक्म मक्के वालों पर भी लागू होगा (कि वह मक्के ही से हज का एहराम बाँधें)'

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ قَالَ " هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ سِوَاهُنَّ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ بَدَأَ حَتَّى يَبْلُغَ ذَلِكَ أَهْلَ مَكَّةَ " .

(2658) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीसः 2655, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 3637.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'हज व उम्रे के इरादे से आयें' यही बात सही है। अहनाफ़ का ख़्याल है कि जो शख़्स भी मक्का जाये, ख़्वाह किसी और काम से जाये, उस पर मीक़ात से एहराम लाज़िम है जैसे कि तहियतुल मस्जिद है। लेकिन अल्फ़ाज़े हदीस से इस मौक़िफ़ की ताईद नहीं होती, और मस्जिद में आने वाले हर शख़्स के लिये तहियतुल मस्जिद ज़रूरी नहीं बल्कि सिर्फ़ उस शख़्स के लिये है जो वहाँ बैठने का इरादा रखता हो। यही बात हज व उम्रा के इरादे से आने वालों के लिये है, इसलिये हर हर फ़र्द एहराम का मुकल्लफ़ नहीं। **(2)** 'जहाँ से चलें' यानी अपने घर ही से एहराम बाँधें। अहनाफ़ का ख़्याल है कि मीक़ात के अन्दर रहने वाले लोग हुदूदे हरम में दाख़िल होने से पहले पहले जहाँ से मर्ज़ी हो, एहराम बाँधें लेकिन अहादीस की रू से अपने घर ही से एहराम बाँधना चाहिए। **(3)** इन अहादीस से ये भी मालूम होता है कि ये मवाक़ीत हज और उम्रा दोनों के लिये हैं न कि सिर्फ़ हज के लिये, लिहाज़ा मक्के वाले उम्रे का एहराम भी अपने घर ही से बाँधेंगे। लेकिन जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक मक्के वाले या जो फ़िल्वक़्त मक्का में हों, उम्रे का एहराम हुदूदे हरम से बाहर आकर हिल से

बाँधें। उनकी दलील हज़रत आयशा (ﷺ) की हदीस है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें उम्रे का एहराम तनईम (हरम की क़रीब तरीन हद मदीना मुनव्वरा की तरफ़) से बाँधने का हुक्म दिया था, हालांकि वह मक्के में थीं। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 7184, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1211) मुमकिन है मक्के से भी जायज़ हो मगर हुदूदे हरम से अफ़ज़ल हो। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا فَهُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ حَتَّى أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا

(2659) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने मदीना मुनव्वरा वालों के लिये ज़ुल हुलैफ़ा, शाम वालों के लिये जुहफ़ा, यमन वालों के लिये यलमलम और नज्द वालों के लिये क़र्ने (मनाज़िल) को मीक़ात मुक़र्रर फ़रमाया। ये मवाक़ीत उन लोगों के लिये हैं और उनके लिये जो दूसरे इलाक़ों से आकर यहाँ से गुज़रें, बशर्ते कि वह हज या उम्रे का इरादा रखते हों। और जो लोग इन मवाक़ीत के अन्दर रहते हों, वह अपने घर ही से एहराम बाँधें यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा वाले मक्का मुकर्रमा ही से एहराम बाँधें।

(2659) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1181, बुख़ारी, 1526, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3638.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज या उम्रे को जाने के लिये ये ज़रूरी नहीं कि वह ऐन उन मवाक़ीत ही से गुज़रे बल्कि किसी और जगह से भी गुज़र सकता है मगर जब वह अपने क़रीबी मीक़ात के बराबर से गुज़रे तो वहीं से एहराम बाँध ले। **(2)** आपके मुक़र्ररकर्दा मवाक़ीत में से ज़ुल हुलैफ़ा मक्का मुकर्रमा से शिमाल की जानिब, जुहफ़ा भी शिमाल की जानिब यलमलम जुनूब की जानिब, क़र्नुल मनाज़िल मशरिक़ की जानिब और ज़ाते इर्क़ भी मशरिक़ की जानिब हैं और जो लोग दो मीक़ातों के दरम्यान से गुज़रें तो वह क़रीब तरीन मीक़ात के बराबर से एहराम बाँधें।

باب:(٢٤) التَّعْرِيسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ

बाब : (24) ज़ुल हुलैफ़ा में पड़ाव डालना

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ

(2660) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इब्तिदाअन ज़ुल हुलैफ़ा में रात गुज़ारी और उसकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी।

شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَيْدَاءَ وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا

(2660) **तख़रीज : (सनद सही)** मस्जिद, हदीस: 1188, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3639

फ़वाइद व मसाइल : (1) यहाँ से एहराम का तरीक़ा बयान करना मक़सूद है। मदीना मुनव्वरा वालों का मीक़ात ज़ुल हुलैफ़ा है, लिहाज़ा आपने वहाँ रात गुज़ारी। सुबह एहराम बाँधा। वहाँ रात गुज़ारना कोई ज़रूरी नहीं। उस ज़माने में सफ़र कई दिनों पर मुहीत होता था, इसलिये रात गुज़ारने की गुंजाइश थी, अब तेज़ रफ़्तार सफ़र का दौर है। (2) इब्तेदा से मुराद ये है कि मक्का मुकर्रमा को जाते हुये इब्तेदा-ए-सफ़र में, न कि वापसी के वक़्त। (3) 'मस्जिद' रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में वहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, बाद में बनाई गई। ऐन उसी जगह जहाँ आपने नमाज़ पढ़ी थी।

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُوَيْدٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ وَهُوَ فِي الْمُعَرَّسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أُتِيَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ .

(2661) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ुल हुलैफ़ा में अपने पड़ाव की जगह में थे कि आपको ख़्वाब आया। आपसे कहा गया: आप एक बा'बरकत वादी में हैं।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1535, मुस्लिम, हदीस: 1346, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3640.

फ़ायदा : 'बा'बरकत वादी में हैं।' क्योंकि ये वादी दौराने सफ़र हज में बहुत से अम्बिया की फ़र्वदगाह रही थी। शाम और फ़लस्तीन अम्बिया (عليهم السلام) के इलाक़े हैं। वहाँ से मक्का मुकर्रमा आते हुये ये वादी रास्ते में पड़ती थी।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَصَلَّى بِهَا .

(2662) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ुल हुलैफ़ा की वादि-ए-मुक़द्दस में पड़ाव डाला और वहाँ नमाज़ पढ़ी।

(2662) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 1532, मुस्लिम, हदीस: 1257, मौता: 1/405, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3641.

बाब : (25) बैदा का बयान

باب:(٢٥) الْبَيْدَاءِ

(2663) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ुहर की नमाज़ बैदा में पढ़ी, फिर सवार हुये और बैदा के पहाड़ पर चढ़े। और नमाज़े ज़ुहर के बाद हज व उम्रे का एहराम बाँधा।

(2663) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 1774, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3642, हदीस: 2757, 2934.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ، - وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ - قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ - عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ ثُمَّ رَكِبَ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ .

फ़ायदा : बैदा के लफ़्ज़ी मानी तो बे आबो गयाह मैदान हैं मगर यहाँ एक मख़्सूस मक़ाम मुराद है जो ज़ुल हुलैफ़ा की वादी से निकलते ही आ जाता है। ये ऊँची जगह है, इसलिये इसे कुछ रिवायात में टीला और कुछ में पहाड़ कहा गया है। इसके अलावा ये रिवायत भी ज़ईफ़ है।

बाब : (26) एहराम बाँधने के लिये गुस्ल करना

باب:(٢٦) الْغُسْلِ لِلإِهْلاَلِ

(2664) हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (ﷺ) से रिवायत है कि मक़ामे बैदा में उन्होंने मुहम्मद बिन अबू बक्र सिद्दीक़ को जना। हज़रत अबू बक्र(ﷺ) ने इस बात का तज़्किरा रसूलुल्लाह (ﷺ) से किया तो आपने फ़रमाया: 'अस्मा से कहो वह गुस्ल करे और एहराम बाँध ले।'

(2664) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/369, मौता: 1/322, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3643, मुस्लिम, हदीस: 1209/109.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِالْبَيْدَاءِ فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتُهِلَّ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (ﷺ) हज़रत अबू बक्र (ﷺ) की ज़ोज-ए मोहतरमा थीं। ये वाक़िया सफ़रे हज्जतुल विदा का है। एहराम से क़ब्ल इसी वादी में मुहम्मद बिन अबू

बक्र पैदा हुये। (2) हज़रत अस्मा (ﷺ) को गुस्ल का हुक्म तहारत के लिये नहीं था क्योंकि ये तो निफ़ास का वक़्त था बल्कि ये गुस्ल एहराम के लिये था। मालूम हुआ गुस्ल एहराम की सुन्नत है वरना रसूलुल्लाह (ﷺ) निफ़ास वाली औरत को गुस्ल का हुक्म न देते, अलबत्ता ये वाजिब नहीं। गुस्ल की जगह वुज़ू भी किफ़ायत कर सकता है मगर अफ़ज़ल गुस्ल ही है।

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّسَائِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ - قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةُ فَلَمَّا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ إِلاَّ أَنَّهَا لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ

(2665) हज़रत अबू बक्र (ﷺ) से रिवायत है कि वह हज्जतुल विदा के मौक़े पर रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ हज के लिये निकले। उनके साथ उनकी बीवी अस्मा बिन्ते उमैस(ﷺ) भी थीं जिनका ताल्लुक़ ख़स्अम क़बीले से था। जब वह ज़ुल हुलैफ़ा में थी तो अस्मा ने मुहम्मद बिन अबू बक्र को जन्म दिया। (ये देख कर) अबू बक्र (ﷺ) नबी (ﷺ) के पास आये और सूरते हाल से मुत्तलअ किया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया कि अस्मा से कहो, वह गुस्ल करे, फिर हज का एहराम बाँध ले और जो कुछ लोग करें, वह भी करती रहे मगर बैतुल्लाह का तवाफ़ न करे।

(2665) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2912, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3644, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 4/167, 168, हदीस: 2610.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़ुल हुलैफ़ा और बैदा तक़रीबन एक ही मक़ाम है, लिहाज़ा इस रिवायत में पैदाइश का मक़ाम बैदा के बजाये ज़ुल हुलैफ़ा बताया गया है। मजमअ बड़ा हो तो वह एक मक़ाम पर पूरा भी नहीं आता। क़रीबी जगह में भी पड़ाव डाल लिया जाता है। असल पड़ाव ज़ुल हुलैफ़ा ही में था। (2) हैज़ और निफ़ास वाली औरत हज के तमाम अफ़आल बजा ला सकती है मगर तवाफ़ नहीं कर सकती। अलबत्ता सफ़ा मर्वा की सई की बाबत इख़्तिलाफ़ है। कुछ उलमा सई के जवाज़ का फ़तवा देते हैं, ताहम अहवत और अफ़ज़ल यही है कि हाइज़ा और निफ़ास वाली औरत सफ़ा मर्वा की सई न करे। वल्लाहु आलम!

बाब : (27) मुहरिम का ग़ुस्ल करना

باب:(٢٧) غُسْلِ الْمُحْرِمِ

(2666) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुनैन से मरवी है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) और हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (ﷺ) का अब्वा के मक़ाम पर इख़्तिलाफ़ हो गया। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: मुहरिम अपना सर धो सकता है। और हज़रत मिस्वर (ﷺ) ने फ़रमाया: वह सर नहीं धो सकता। मुझे हज़रत इब्ने अब्बास(ﷺ) ने हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी(ﷺ) के पास भेजा कि उनसे इस बारे में पूछूँ। (मैं आया) तो मैंने उन्हें कूएँ की दो लकड़ियों के दरम्यान ग़ुस्ल करते पाया। उन्होंने एक कपड़े के साथ पर्दा किया हुआ था। मैंने उन्हें सलाम किया और कहा: मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) ने आपके पास भेजा है कि आपसे पूछूँ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एहराम की हालत में अपना सर कैसे धोते थे? हज़रत अबू अय्यूब ने कपड़े पर हाथ रख कर उसे नीचे किया यहाँ तक कि उनका सर नज़र आने लगा, फिर उस शख़्स से कहने लगे जो उनके सर पर पानी बहा रहा था: पानी बहाओ, फिर उन्होंने अपने सर को अपने दोनों हाथों से हरकत दी, अपने दोनों हाथों को आगे लाये और पीछे ले गये। और फ़रमाया: मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) को ऐसे करते देखा है।

(2666) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1205, बुख़ारी, हदीस: 1840, मौता: 1/323, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3645.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ . وَقَالَ الْمِسْوَرُ لاَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ . فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ قَرْنَىِ الْبِئْرِ وَهُوَ مُسْتَتِرٌ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुहरिम एहतिलाम के अलावा भी हस्बे मन्शा ग़ुस्ल कर सकता है जैसा कि मज़्कूरा हदीस़ में है, और सर को अच्छी तरह धोया और मला भी जा सकता है। कुछ लोग बाल टूटने या उतरने के ख़दशे से ग़ुस्ल से रोकते हैं और अगर नहाते हुये कोई बाल टूट या गिर जाये तो दम लाज़िम करते हैं। ये महज़ एहतियात है जो दलील से आरी है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने एहराम की हालत में सींगी भी लगवाई है, इसकी वजह से यक़ीनन बाल भी काटने पड़ते हैं लेकिन आप (ﷺ) से इस मौक़े पर दम देना स़ाबित नहीं, अगर दिया होता तो दीगर मनासिक की तरह जम्मे ग़फ़ीर में से कोई न कोई इसे ज़रूर नक़ल करता। इसी बिना पर अदमे नक़ल अदमे स़बूत की दलील है, ताहम अगर बिला वजह क़स़दन कुछ बाल काटे या सारा सर ही मूंडा ले तो फिर दम देना हदीस़ से स़ाबित है। **(2)** 'सलाम किया' वह नंगे नहीं नहा रहे थे बल्कि तहबन्द बाँधा हुआ था। पर्दे वाला कपड़ा इसके अलावा था। **(3)** इख़्तिलाफ़ के वक़्त नस़ की तरफ़ रुजू करना चाहिए, अपना क़यास और इज्तेहाद छोड़ देना चाहिए। **(4)** ख़बरे वाहिद हुज्जत है। स़हाब-ए-किराम (ﷺ) में इसे क़बूल करना और इस पर अमल करना आम था।

बाब : (28) एहराम में वर्स और ज़ाफ़रान से रंगे हुये कपड़े पहनने की मुमानिअत

باب:(٢٨) النَّهْيِ عَنِ الثِّيَابِ الْمَصْبُوغَةِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ فِي الإِحْرَامِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ بِوَرْسٍ .

(2667) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि मुहरिम ज़ाफ़रान या वर्स से रंगे हुये कपड़े पहने।

(2667) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 5852, मुस्लिम, हदीस़: 1177/3, मौता: 1/325, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3646.

फ़ायदा : मुहरिम के लिये ख़ुशबू का इस्तेमाल ममनूअ है। ज़ाफ़रान भी ख़ुशबू है, लिहाज़ा इससे रंगे हुये कपड़े भी ममनूअ हैं लेकिन ये हुक्म बहालते एहराम है। एहराम से क़ब्ल ख़ुशबू लगाई जा सकती है। बाद में इसके अस़रात ख़त्म न भी हों तो कोई हर्ज नहीं। वर्स एक ख़ुशबूदार घास है। इससे मालूम हुआ कि मुहरिम रंगीन एहराम पहन सकता है। वैसे एहराम के लिये सादा और सफ़ेद कपड़े ही ज़्यादा मुनासिब हैं, अलबत्ता औरत हर रंग के कपड़े पहन सकती है मगर ज़ाफ़रान और वर्स से न रंगे हों।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ " لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ خُفَّيْنِ إِلاَّ لِمَنْ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " .

(2668) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया: मुहरिम कौन से कपड़े पहन सकता है? आपने फ़रमाया: 'वह क़मीस़, बराण्डी (टोपीदार कुर्ता), शलवार, पगड़ी, ऐसा कपड़ा जिसे वर्स या ज़ाफ़रान लगा हो और मोज़े नहीं पहन सकता मगर ये कि उसके पास जूते न हों तो वह मोज़े पहन ले मगर उन्हें टख़नों से नीचे काट (कर जूतों की तरह बना) ले।'

(2668) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 5806, मुस्लिम, हदीस़: 1177/2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3647.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुहरिम के लिये ज़ाब्ता ये है कि सर न ढाँपे और सिला हुआ कपड़ा न पहने, ख़ुशबू वाला कपड़ा भी न पहने। बाक़ी कपड़े पहन सकता है। **(2)** 'बराण्डी' वह कोट या कुर्ता जिसके साथ टोपी भी होती है। **(3)** 'मोज़े' यानी चमड़े के मोज़े। स़ही क़ौल के मुताबिक़ मोज़ों का पहनना जायज़ है, ख़्वाह वह कटे हुये न भी हों। दरअस़ल एहराम की हालत में मोज़े पहनने की बाबत दो क़िस्म की रिवायात आती हैं: एक ये कि उन्हें काट कर पहना जाये और दूसरी ये कि मोज़ों को उनकी अस़ल हालत में पहना जाये, अलबत्ता जिस हदीस़ में मोज़े काटने का हुक्म है वह इब्तेदा-ए-एहराम का है जबकि दूसरा हुक्म अ़रफ़े के दिन का है। इससे ये बात स़ाबित हूई कि काटने का हुक्म मन्सूख़ है। वल्लाहु आ़लम! देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 1841, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 1178) **(4)** सवाल था क्या पहने? जवाब मिला, फ़ुलां फ़ुलां चीज़ न पहने। क्योंकि न पहनी जाने वाली चीज़ें। क़लील हैं और पहनी जाने वाली कस़ीर, लिहाज़ा इख़्तिस़ार की ख़ातिर ऐसे जवाब दिया। ये भी बलाग़त की एक बेहतरीन सूरत है कि जवाब के साथ साथ सवाल की तस्हीह कर दी जाये।(ﷺ) **(5)** हदीस़ में मज़्कूर लिबास की मुमानिअ़त और दो सादा अन सिले कपड़े पहनने में हिकमत ये है कि आदमी ख़ुशूअ़ व तज़ल्लुल की स़िफ़त से मुत्तस़िफ़ और रफ़ाहियत से दूर रहे ताकि उसे याददेहानी रहे कि वह मुहरिम है, इसलिये वह कस़रते अज़कार और इबादत की तरफ़ मुतवज्जा रहे और ममनूआत के इरतेकाब से बाज़ रहे, और इससे मसावात और इत्तेहाद का दर्स मिले।

باب:(٢٩) الْجُبَّةِ فِي الإِحْرَامِ

أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ الْقُومَسِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَبَيْنَا نَحْنُ بِالْجِعِرَّانَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي قُبَّةٍ فَأَتَاهُ الْوَحْىُ فَأَشَارَ إِلَىَّ عُمَرُ أَنْ تَعَالَ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي الْقُبَّةَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بِعُمْرَةٍ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَدْ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ إِذْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَغِطُّ لِذَلِكَ فَسُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ " أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَنِي آنِفًا " . فَأُتِيَ بِالرَّجُلِ فَقَالَ " أَمَّا الْجُبَّةُ فَاخْلَعْهَا وَأَمَّا الطِّيبُ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ أَحْدِثْ إِحْرَامًا " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ " ثُمَّ أَحْدِثْ إِحْرَامًا " . مَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ غَيْرَ نُوحِ بْنِ حَبِيبٍ وَلاَ أَحْسِبُهُ مَحْفُوظًا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .

बाब : (29)
एहराम की हालत में जुब्बा पहनना

(2669) हज़रत यअ़्ला बिन उमैया (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मैंने कहा: काश! मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) को नुज़ूले वह्य की हालत में देखूँ। एक बार हम (दौराने सफ़र में) जिअ़राना के मक़ाम पर थे जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने ख़ैमे में थे कि आप पर वह्य उतरने लगी। हज़रत उ़मर (ﷺ) ने मुझे इशारा फ़रमाया कि आ जाओ। मैंने अपना सर ख़ैमे में दाख़िल किया। दरअ़सल एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया था जिसने जुब्बे में उ़म्रे का एहराम बाँध लिया था। उस आदमी ने ख़ुशबू भी लगाई हूई थी। उसने आपसे पूछा : ऐ अल्लाह के रसूल! आप उस शख़्स के बारे में क्या फ़रमाते हैं जिसने जुब्बे ही में एहराम बाँध लिया हो? तो आप पर वह्य उतरने लगी। नबी (ﷺ) इसकी वजह से ख़र्राटे लेने लगे। कुछ देर बाद आपसे ये हालत दूर हूई तो आपने फ़रमाया: 'कहाँ है वह शख़्स जिसने अभी मुझ से सवाल किया था?' उस आदमी को लाया गया। आपने फ़रमाया: 'जुब्बा उतार दे और ख़ुशबू धो डाल, फिर नये सिरे से एहराम बाँध।'

अबू अ़ब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि (सुम्मा अह्दिस़ इहरामा) 'फिर नये सिरे से एहराम बाँध।' के अल्फ़ाज़ मेरे इल्म के मुताबिक़ नूह बिन हबीब के अ़लावा किसी राव़ी ने बयान नहीं किये, इसलिये मैं इन अल्फ़ाज़ को महफ़ूज़ नहीं समझता। वल्लाहु सुब्हानहु व तआ़ला आ़लम।

(2669) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 4985, मुस्लिम, हदीस़: 1180, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3648.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) बयान करते हैं कि आख़री जुम्ला 'फिर नये सिरे से एहराम बाँध' दुरुस्त नहीं। बाक़ी रावी ये जुम्ला बयान नहीं करते, यानी इमाम स़ाहिब (رحمه الله) के नज़दीक ये इज़ाफ़ा मालूल है। **(2)** स़ही ये है कि चूंकि वह ना'वाक़िफ़ था, इसलिये इसे माज़ूर समझा और कफ़्फ़ारा नहीं डाला। आज कल भी अगर कोई शख़्स़ वाक़ेई अदमे इल्म की बिना पर सिला हुआ कपड़ा पहन ले, या दौराने एहराम में ख़ुशबू लगा ले और पता चलने पर फ़ौरन इज़ाला कर दे तो उस पर कोई कफ़्फ़ारा नहीं है। जुम्हूर अहले इल्म का यही मज़हब है और यही राजेह है। आख़री जुम्ले का एक मतलब ये भी हो सकता है कि अपने आपको मुहरिम ही समझ। वरना मीक़ात से आगे जाकर तो एहराम बाँधना दुरुस्त नहीं और जिअ़राना तो कोई मीक़ात नहीं बल्कि यहाँ से क़रीब ही हरम शुरू होता है। **(3)** जो शख़्स़ भी भूल कर मज़्कूरा कामों में से कोई काम कर ले तो उसका भी यही हुक्म है बशर्ते कि याद आने पर वह फ़ौरन उसका इज़ाला करे। **(4)** मीक़ात से पहले हज का लिबास पहना जा सकता है लेकिन नियत मीक़ात ही से की जायेगी, लिहाज़ा अफ़ज़ल यही है कि मीक़ात ही से हज व उ़म्रे का एहराम बाँधा जाये मगर ये कि कोई मजबूरी हो, जैसे: हवाई जहाज़ का सफ़र।

बाब : (30) मुहरिम के लिये क़मीस़ पहनने की मुमानिअ़त

باب:(٣٠) النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْقَمِيصِ، لِلْمُحْرِمِ

(2670) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा: मुहरिम कौन से कपड़े पहन सकता है? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़मीस़, पगड़ी, पाजामा (शलवार), टोपीदार कुर्ता (बराण्डी) और मोज़े न पहने, हाँ अगर उसके पास जूते न हों तो चमड़े के मोज़े पहन सकता है मगर उन्हें टख़नों के नीचे से काट ले। और ऐसे कपड़े न पहनो जिन्हें ज़ाफ़रान या वर्स लगी हुई हो।'

(2670) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ

تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ "

1542, मुस्लिम, हदीस: 1177, मौता: 1/324, 325, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3649.

फ़ायदा : जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक मुहरिम के लिये क़द और आज़ा के मुताबिक़ पैमाइश करके सिले हुये कपड़े पहनना मना है। याद रहे कि मज़्कूरा कपड़े मना हैं, ख़्वाह सिले हुये हों या अन सिले। और उनके अलावा चादरें जायज़ हैं, ख़्वाह सिली हूई हों या अन सिली। मोज़े काटने वाला हुक्म मन्सूख़ है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2667, 2668)

باب:(٣١) النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ فِي الإِحْرَامِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ " لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ " . وَقَالَ عَمْرٌو مَرَّةً أُخْرَى " الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ لأَحَدِكُمْ نَعْلاَنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ

बाब : (31) एहराम में पाजामा (और शलवार वग़ैरह) पहनने की मुमानिअत

(2671) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! जब हम एहराम बाँधें तो हम कौन से कपड़े पहनें? आपने फ़रमाया: 'क़मीस, पगड़ी, शलवार और मोज़े न पहनो मगर ये कि किसी के पास जूते न हों तो वह मोज़ों को टख़नों से नीचे काट ले। और ऐसे कपड़े न पहनो जिनको वर्स या ज़ाफ़रान लगी हूई हो।'

(2671) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/54, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3650, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2597, 2598, पिछली हदीस देखें।

باب:(٣٢) الرُّخْصَةِ فِي لُبْسِ السَّرَاوِيلِ لِمَنْ لاَ يَجِدُ الإِزَارَ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

बाब : (32) जिस मुहरिम के पास तहबन्द न हो, वह शलवार पहन सकता है

(2672) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) को ख़ुत्बा देते सुना, आप फ़रमा रहे थे: 'जिस शख़्स के पास तहबन्द न हो,

يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ " السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لاَ يَجِدُ الإِزَارَ وَالْخُفَّيْنِ لِمَنْ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ لِلْمُحْرِمِ " .

वह शलवार पहन सकता है और जिसके पास जूते न हों, वह मोज़े पहन सकता है।'

(2672) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1178, बुख़ारी, हदीस: 1841, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3651.

फ़ायदा : ये हदीस, हदीस: 2668 में मोज़े काटने के हुक्म की नासिख़ है। इमाम अहमद बिन हम्बल(ﷺ) का भी यही मौक़िफ़ है कि अब मोज़े काटे बग़ैर ही पहने जायेंगे। जुम्हूर काट कर पहनने के क़ाइल हैं। वह इस मुत्लक़ हदीस को इब्ने उ़मर (ﷺ) की मुक़य्यद हदीस पर महमूल करते हैं। लेकिन मुत्लक़ को मुक़य्यद पर महमूल करना यहाँ महल्ले नज़र है क्योंकि हदीस का मुख़र्रिज एक नहीं बल्कि मुख़्तलिफ़ है। पहली हदीस इब्ने उ़मर (ﷺ) की है और ये इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) की। ये उसूल उस वक़्त क़ाबिले अ़मल है जब मुख़र्रिज (हदीस बयान करने वाला सहाबी) एक हो। लेकिन उसके तुरुक़ व असानीद मुख़्तलिफ़ हों। इमाम इब्ने जौज़ी (ﷺ) फ़रमाते हैं कि क़तअ़ (काटना) का हुक्म एबाहत पर महमूल किया जायेगा, लिहाज़ा न काटना भी जायज़ है। पहला मौक़िफ़ राजेह मालूम होता है जैसा कि पीछे गुज़र चुका। वल्लाहु आ़लम!

أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ " .

(2673) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जिस शख़्स (मुहरिम) के पास तहबन्द न हो वह शलवार पहन सकता है और जिस शख़्स के पास जूते न हों, वह मोज़े पहन सकता है।'

(2673) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2796/1178, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3652.

باب:(٣٣) النَّهْيِ عَنْ أَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ

बाब : (33) मुहरिम औ़रत के लिये नक़ाब बाँधने की मुमानिअ़त

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ

(2674) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) बयान करते हैं कि एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! एहराम की हालत में आप हमें

اللّٰهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ " .

किन कपड़ों के पहनने का हुक्म देते हैं? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़मीस, शलवार, पगड़ी, बराण्डी (ओवरकोट और टोपीदार कुर्ता) और मोज़े न पहनो मगर ये कि किसी के पास जूते न हों तो वह मोज़े टख़नों के नीचे से काट कर पहन सकता है। और कोई ऐसा कपड़ा न पहनो जिसको ज़ाफ़रान या वर्स लगी हो, और मुहरिम औरत न नक़ाब बाँधे और न दस्ताने पहने।'

(2674) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1838, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3653, देखें, हदीस: 2671.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'नक़ाब न बाँधे' इसका मतलब ये नहीं है कि औरत अपना चेहरा नंगा रखे, बल्कि ये एक मख़्सूस क़िस्म का नक़ाब था जो उस ज़माने में राइज था, इससे फ़ौरी तौर पर चेहरे का पर्दा करना मुश्किल होता था, इसलिये मख़्सूस नक़ाब से रोक दिया गया ताकि मर्दों के सामने आते ही फ़ौरन पर्दा करना आसान रहे, चुनांचे हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान फ़रमाती हैं कि मर्द सामने आते तो हम फ़ौरन चेहरा ढाँप लेतीं। अब इस नक़ाब का रिवाज भी ख़त्म हो गया है। इसके अलावा अब मर्दों का हुजूम हर वक़्त और हर जगह रहता है, इसलिये अब हिजाब का एहतिमाम हर वक़्त ही करना चाहिए, सिवाये उन जगहों के जहाँ मर्द न हों। कुछ लोग औरत के लिये चेहरा नंगा रखने पर सुनन दारक़ुतनी की इस रिवायत से इस्तेदलाल करते हैं कि 'औरत का एहराम उसके चेहरे में और मर्द का एहराम उसके सर में है।' इसे सुनन दारक़ुतनी में मरफ़ूअन बयान किया गया है लेकिन इसका मरफ़ूअ होना साबित नहीं है। ये हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) का क़ौल, यानी मौक़ूफ़ रिवायत है। देखिये: (सुनन अद्दारक़ुत्नी: 2/554-बतहक़ीक़ अश्शैख़ आदिल व अश्शैख़ अली मुहम्मद, दारुल मारिफ़ा, बैरूत) इसलिये इससे इस्तेदलाल सही नहीं है। बशर्ते सेहत इस मौक़ूफ़ रिवायत का भी वही मफ़हूम लिया जायेगा जिसकी वज़ाहत हमने की है। **(2)** 'दस्ताने न पहने' मक़सद ये है कि वह हाथ नंगे रखे ताकि दौराने हज व उम्रा में कोई तंगी न हो। मालूम हुआ उस दौर में ख़्वातीन पर्दे के लिये दस्ताने भी इस्तेमाल करती थीं। मशहूर तो यही है कि दस्ताने हाथों को सर्दी, गर्मी या पानी से बचाने के लिये होते हैं मगर कुछ अहले लुग़त ने इससे ज़ेवर भी मुराद लिया है जिसके साथ हाथ छुप जाते हैं। ख़ैर! एहराम में हाथ नंगे रहने चाहिए।

बाब : (34)एहराम की हालत में टोपीदार कुर्ता (बराण्डी) पहनने की मुमानिअत

باب: (٣٤) النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْبَرَانِسِ، فِي الإِحْرَامِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ " .

(2675) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा: मुहरिम कौन से कपड़े पहन सकता है? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़मीस़, पगड़ी, शलवार (पाजामा वग़ैरह), टोपीदार कुर्ता और मोज़े न पहनो, हाँ अगर किसी के पास जूते न हों तो वह मोज़ों को टख़नों से नीचे काट कर पहन ले। और कोई ऐसा कपड़ा न पहनो जिसे ज़ाफ़रान या वर्स लगी हो।'

(2675) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2670, मौता, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3654.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ - عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ " لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ " .

(2676) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि जब हम एहराम बाँधें तो कौन से कपड़े पहनें? आपने फ़रमाया: 'क़मीस़, शलवार, पगड़ी, बराण्डी (टोपीदार कुर्ता) और मोज़े न पहनो मगर ये कि किसी के पास जूते न हों तो टख़नों से नीचे मोज़े पहन ले (यानी ऊपर से काट दे) और कोई ऐसा कपड़ा न पहनो जिसे वर्स या ज़ाफ़रान लगी हो।'

(2676) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 2/77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3655.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2668.

बाब : (35) एहराम की हालत में पगड़ी पहनने की मुमानिअत

باب:(٣٥) النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْعِمَامَةِ فِي الإِحْرَامِ

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَادَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ " لاَ تَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ " .

(2677) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि एक आदमी ने बलन्द आवाज़ से नबी (ﷺ) को पुकारा और कहा: जब हम एहराम बाँधें तो कौन से कपड़े पहनें? आपने फ़रमाया: 'क़मीस़, पगड़ी, शलवार, बराण्डी और मोज़े न पहन, हाँ अगर तुम्हें जूते न मिलें तो मोज़ों को टख़नों से नीचे नीचे पहन लो। (यानी ऊपर से काट दो)

(2677) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 5794, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3656.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَادَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ " لاَ تَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ نِعَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِعَالٌ فَخُفَّيْنِ دُونَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ أَوْ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ " .

(2678) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) फ़रमाते हैं कि एक आदमी ने नबी (ﷺ) को बलन्द आवाज़ से पुकारा और कहा: जब हम एहराम बाँधें तो क्या पहनें? आपने फ़रमाया: 'क़मीस़, पगड़ी, बराण्डी (टोपीदार कुर्ता), शलवार (पाजामा वग़ैरह) और मोज़े न पहनो मगर ये कि जूते न हों। ऐसी सूरत में टख़नों से नीचे मोज़े पहने जा सकते हैं। और कोई ऐसा कपड़ा भी न पहनो जो वर्स या ज़ाफ़रान से रंगा हुआ हो।'

(2678) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 2/3, 29, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3657, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 2683.

फ़ायदा : ये पाबन्दी सिर्फ़ मर्द के लिये है क्योंकि दौराने एहराम मर्द के लिये सर नंगा रखना ज़रूरी है। पगड़ी के तहत टोपी, हेट और रूमाल वग़ैरह भी आ जायेंगे।

बाब : (36)
एहराम में मोज़े पहनने की मुमानिअत

باب:(٣٦)
النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ، فِي الإِحْرَامِ

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تَلْبَسُوا فِي الإِحْرَامِ الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ " .

(2679) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि मैंने नबी (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'तुम एहराम की हालत में क़मीस़, शलवार, पगड़ी, बराण्डी और मोज़े न पहनो।'

(2679) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/41, 54, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3658, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 2597, 2684.

फ़ायदा : ये पाबन्दी भी सिर्फ़ मर्दों के लिए है, और मोज़ों के तहत जुराबें वग़ैरह भी दाख़िल हैं।

बाब : (37)
जिसके पास जूते न हों, उसे एहराम की हालत में मोज़े पहनने की रुख़सत है

باب:(٣٧) الرُّخْصَةِ فِي لُبْسِ الْخُفَّيْنِ فِي الإِحْرَامِ لِمَنْ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ "

(2680) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना: 'जब कोई शख़्स (मुहरिम) तहबन्द न पाये तो शलवार पहन सकता है और जब जूते न पाये तो मोज़े पहन सकता है लेकिन वह उन्हें टख़नों के नीचे से काट ले।'

(2680) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 2673, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3659.

باب:(٣٨) قَطْعِهِمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " .

बाब : (38) मोज़ों को टख़नों के नीचे से काटना

(2681) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब मुहरिम के पास जूते न हों तो वह मोज़े पहन ले मगर उन्हें टख़नों के नीचे से काट ले।'

(2681) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/3, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3660.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2672.

باب:(٣٩) النَّهْيِ عَنْ أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْقُفَّازَيْنِ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ " .

बाब : (39) मुहरिम औरत के लिये दस्ताने पहनने की मुमानिअत

(2682) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप हमें एहराम की हालत में किस क़िस्म के कपड़े पहनने का हुक्म देते हैं? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फरमाया: 'तुम क़मीस़, शलवार और मोज़े न पहनो मगर किसी आदमी के पास जूते न हों तो वह टख़नों से नीचे मोज़े पहन ले। (और टख़नों से ऊपर वाला हिस्सा काट दे।) और कोई ऐसा कपड़ा न पहने जिसे ज़ाफ़रान या वर्स लगी हो। मुहरिम औरत नक़ाब न बाँधे और दस्ताने भी न पहने।'

(2682) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1838, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3661.

फ़ायदा : अहनाफ़ ने दस्ताने न पहनने को मुस्तहब कहा है मगर उसकी ताईद दलाइल से नहीं होती। नक़्लन, न अक़्लन। वल्लाहु आलम! (तफ़्सील के लिये देखिये फ़वाइद हदीस: 2674)

बाब : (40) एहराम बाँधते वक़्त बालों को गूंद (वग़ैरह) से चिपकाना

باب:(۴۰) التَّلْبِيدِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أُخْتِهِ، حَفْصَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ " إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أُحِلُّ حَتَّى أُحِلَّ مِنَ الْحَجِّ " .

(2683) उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैंनें नबी (ﷺ) से अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या वजह है लोग एहराम से हलाल हो गये हैं मगर आप उम्रा करके हलाल नहीं हुये? आपने फ़रमाया: 'मैंने अपने सर के बालों को गूंद से चिपकाया है और क़ुर्बानी के जानवर को क़लादा (हार) पहना दिया है, इसलिये मैं हलाल नहीं हो सकता यहाँ तक कि हज से हलाल हो जाऊँ।'

(2683) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1697, मुस्लिम, हदीस: 1229, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3662.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** बाल बड़े हों और एहराम लम्बे अर्से के लिये हो तो बालों को मिट्टी और जूओं से, और ज़्यादा परागन्दगी से बचाने के लिये कुछ गूंद वग़ैरह लगा लेना जिससे बालों की तह जम जाये तलबीद कहलाता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चूंकि उम्रे और हज का इकट्ठा एहराम बाँधा था जो दो हफ़्ते तक जारी रहना था, इसलिये आपने तलबीद फ़रमाई। अक्सर सहाबा का एहराम सिर्फ़ उम्रे का था, लिहाज़ा उन्हें तलबीद की ज़रूरत न थी। **(2)** तलबीद, वाजिब है न मना, मुहरिम की मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ है। **(3)** सवाल के जवाब में आपने तलबीद और क़ुर्बानी का ज़िक्र फ़रमाया। तलबीद तो निशानी थी एहराम के तवील होने की और क़ुर्बानी का जानवर अगर साथ हो तो मुहरिम हलाल नहीं हो सकता, ख़्वाह उम्रे का एहराम ही हो जब तक वह जानवर ज़बह नहीं हो जाता। क़लादा उन्हीं जानवरों को डाला जाता था जो साथ ले जाये जाते थे। मौक़े पर ख़रीदे गये जानवरों को क़लादे की ज़रूरत नहीं थी। **(4)** हज से हलाल होने से मुराद क़ुर्बानी का ज़बह करना है। इससे एहराम ख़त्म हो जाता है, अगरचे हज के कुछ अफ़आल बाद में भी होते रहते हैं। **(5)** ये हदीस इस बात की दलील है कि आप (ﷺ) ने हज्जे क़िरान किया।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ، لَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ مُلَبِّدًا .

(2684) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को तलबीद की हालत में लब्बैक पुकारते देखा।

(2684) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1540, मुस्लिम, हदीस: 1184/21, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3663.

باب:(٤١) إِبَاحَةِ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

बाब : (41) एहराम बाँधते वक़्त ख़ुशबू लगाना मुबाह है

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إِحْرَامِهِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَعِنْدَ إِحْلاَلِهِ قَبْلَ أَنْ يُحِلَّ بِيَدَيَّ .

(2685) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को अपने हाथों से ख़ुशबू लगाई आपके एहराम के वक़्त जब आपने एहराम का इरादा फ़रमाया और हलाल होने (एहराम खोलने) के वक़्त (ख़ुशबू लगाई) पहले इससे कि आप मुकम्मल हलाल हों।

(2685) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/106, अलहुमैदी, हदीस: 215, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3664, इब्ने ख़ुज़ैमा: 4/301: 2934.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'अपने हाथों से' यानी ख़ुशबू अपने हाथों में लगा कर वह ख़ुशबू आपके जिस्मे अतहर पर लगा दी। **(2)** एहराम के वक़्त ख़ुशबू लगाने का मतलब ये है कि एहराम के गुस्ल के बाद ख़ुशबू लगाई जाये। फिर एहराम का लिबास पहन लिया जाये। जुम्हूर अहले इल्म इसका यही मफ़हूम बयान करते हैं, ताहम अहले इल्म का एक गिरोह इस बात का क़ाइल है कि इसका मतलब ये है कि एहराम के गुस्ल से क़ब्ल ख़ुशबू लगाई जाये, फिर गुस्ल करके एहराम बाँधा जाये। दलाइल की रू से जुम्हूर अहले इल्म का मौक़िफ़ राजेह है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 24/90-93) **(3)** 'हलाल होने के वक़्त' यानी कुर्बानी और हजामत के बाद क्योंकि इस वक़्त एहराम ख़त्म हो जाता है, लिहाज़ा ख़ुशबू जायज़ है मगर तवाफ़े ज़ियारत (जो उसी दिन किया जाता है) करने से पहले जिमाअ जायज़ नहीं। यही मतलब है इन अल्फ़ाज़ का: 'पहले इससे कि

मुकम्मल हलाल हों।' क्योंकि मुकम्मल हलाल तो तवाफ़े ज़ियारत की अदायगी के बाद ही होंगे। वज़ाहत आइन्दा हदीस़ में है।

(2686) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ख़ुशबू लगाई आपके एहराम के वक़्त एहराम बाँधने से पहले और आपके हलाल होने (एहराम खोलने) के वक़्त तवाफ़े ज़ियारत करने से पहले।

(2686) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 1539, मुस्लिम, हदीस़: 1189/33, मौता: 1/328, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3665.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

(2687) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को आपके एहराम के वक़्त एहराम बाँधने से पहले और हलाल होने के वक़्त ख़ुशबू लगाई।

(2687) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 5922, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3666.

أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ .

(2688) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को आपके एहराम के वक़्त ख़ुशबू लगाई जब आपने एहराम बाँधा। और जब आप जम्र-ए-अक़्बा को रमी करने के बाद हलाल हुये उस वक़्त भी ख़ुशबू लगाई इससे पहले कि आप बैतुल्लाह का तवाफ़ फ़रमायें।

(2688) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1189, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3667.

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ بَعْدَ مَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

फ़ायदा : 'जम्र-ए-अक़्बा को रमी करने के बाद' बल्कि क़ुर्बानी और हजामत वग़ैरह के बाद, यानी तवाफ़े ज़ियारत से पहले ख़ुशबू लगाई जैसा कि रिवायत में है। ये चीज़ें चूंकि अक्लन मफ़हूम हैं, लिहाज़ा उनका ज़िक्र नहीं फ़रमाया।

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عُمَيْرٍ، عَنْ ضَمْرَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لإِحْلاَلِهِ وَطَيَّبْتُهُ لإِحْرَامِهِ طِيبًا لاَ يُشْبِهُ طِيبَكُمْ هَذَا تَعْنِي لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ .

(2689) हज़रत आयशा (﵅) से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को हलाल होते वक़्त ख़ुशबू लगाई और एहराम बाँधने के वक़्त भी ऐसी ख़ुशबू लगाई जो तुम्हारी इस ख़ुशबू की तरह नहीं थी, यानी जो बाक़ी नहीं रहती।

(2689) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3668.

फ़ायदा : 'जो बाक़ी नहीं रहती' यानी तुम्हारी खूशबू से वह ख़ुशबू बहुत बढ़िया और आला थी। तुम्हारी ख़ुशबू तो बाक़ी नहीं रहती मगर आपकी ख़ुशबू तो तादेर बाक़ी रहती थी जैसा कि आइन्दा अहादीस़ में इस बात का सराहतन ज़िक्र है। कुछ लोगों ने इससे मुराद रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़ुशबू ली है, यानी आपकी ख़ुशबू बाक़ी नहीं रहती थी। मगर ये मफ़हूम आइन्दा अहादीस़ के स़रीह अल्फ़ाज़ से मुतस़ादिम है। वैसे भी ये अल्फ़ाज़: 'जो बाक़ी नहीं रहती' किसी निचले रावी के हैं, हज़रत आयशा(﵅) के नहीं। लफ़्ज़ तअ्नी इस पर दलालत कर रहा है। और किसी निचले रावी के फ़हम को स़रीह मरफ़ूअ रिवायात पर तर्जीह नहीं दी जा सकती। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِأَىِّ شَىْءٍ طَيَّبْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ بِأَطْيَبِ الطِّيبِ عِنْدَ حُرْمِهِ وَحِلِّهِ .

(2690) हज़रत उर्वा बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (﵅) से पूछा: आपने रसूलुल्लाह(ﷺ) को कौन सी ख़ुशबू लगाई थी? उन्होंने फ़रमाया: मैंने आपको सबसे बेहतरीन ख़ुशबू लगाई, एहराम बाँधने के वक़्त भी और हलाल होने के वक़्त भी।

(2690) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 1189/36, बुख़ारी, हदीस़: 5928, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3669.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ

(2691) हज़रत आयशा (﵅) से मरवी है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को आपके एहराम बाँधने के वक़्त बेहतरीन ख़ुशबू लगाया करती थी जो मेरे पास होती थी।

عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ .

(2691) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3670.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ لِحُرْمِهِ وَلِحِلِّهِ وَحِينَ يُرِيدُ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ .

(2692) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को आपके एहराम बाँधने के वक़्त और हलाल होने के वक़्त और जब आप बैतुल्लाह का तवाफ़े ज़ियारत करने चले, अपने पास मौजूद बेहतरीन ख़ुशबू लगाई।

(2692) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2687, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3671.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ .

(2693) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को आपके एहराम बाँधने से क़ब्ल और क़ुर्बानी वाले दिन तवाफ़े बैतुल्लाह करने से पहले ख़ुशबू लगाई जिसमें कस्तूरी शामिल थी।

(2693) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1191, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3672.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'क़ुर्बानी वाले दिन' से मुराद ज़ुल हिज्जा की दस तारीख़ है। (2) मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को लगाई जाने वाली ख़ुशबू इन्तेहाई अच्छी थी जिसकी महक अ़र्से-ए-दराज़ तक बाक़ी रहती थी। कस्तूरी बेहतरीन ख़ुशबू है। (3) कस्तूरी पाक है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، - يَعْنِي الْعَدَنِيَّ - عَنْ سُفْيَانَ، ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ، - يَعْنِي الأَزْرَقَ - قَالَ

(2694) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के सर मुबारक में ख़ुशबू की चमक देख रही हूँ जबकि आप हालते एहराम में हैं। (उस्ताद) अहमद बिन नस्र की हदीस में है, रसूलुल्लाह(ﷺ) की माँग में (दौराने एहराम)

أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَبِيصِ طِيبِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

कस्तूरी की ख़ुशबू की चमक देख रही हूँ।

(2694) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1190/45, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 271, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3673.

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ لَقَدْ كَانَ يُرَى وَبِيصُ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ .

(2695) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि दौराने एहराम रसूलुल्लाह (ﷺ) की माँग मुबारक में ख़ुशबू की चमक साफ़ नज़र आती थी।

(2695) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1538, मुस्लिम, हदीस: 1190/39, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3674.

फ़ायदा : मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़ुशबू के असरात एहराम के दौरान में भी महसूस होते थे अगरचे वह एहराम से क़ब्ल लगाई जाती थी। यही बात सही है। मगर कुछ हनफ़ी और मालकी हज़रात ने इसे अवामुन्नास के लिये जायज़ नहीं समझा क्योंकि ख़ुशबू भी जिमाअ के अस्बाब में से है और एहराम के दौरान में जिमाअ के अस्बाब भी मना हैं। मगर शायद वह इस बात को नज़र अन्दाज़ कर गये कि ये ख़ुशबू एहराम से क़ब्ल की है न कि दौराने एहराम लगाई गई। ख़ूबसूरती भी तो जिमाअ के अस्बाब से है, तो क्या एहराम के बाद ख़ूबसूरती का बाक़ी रहना गुनाह है? हाँ एहराम के दौरान में ज़ेब व ज़ीनत मना है। इसी तरह ये मसला है।

باب:(۴۲) مَوْضِعُ الطِّيبِ

बाब : (42) ख़ुशबू लगाने की जगह

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ

(2696) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मुझे यूँ लगता है कि मैं, जबकि आप एहराम की हालत में हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) के सर मुबारक में ख़ुशबू की चमक देख रही हूँ।

الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ .

(2696) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3675.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात के बाद वह इस मन्ज़र को बयान फ़रमा रही हैं जो उन्होंने अपने ज़हन में महफ़ूज़ कर लिया था, इसलिये ये पैराय-ए-बयान इख़्तियार फ़रमाया। **(2)** 'ख़ुशबू की चमक' गोया ख़ुशबू को किसी तेल वग़ैरह में शामिल करके लगाया गया होगा या फिर किसी ख़ुशबूदार फूल का तेल निकाला गया होगा। वह चमक उस तेल की थी जो मुकम्मल तौर पर ज़ाइल न हुआ था। ज़ाहिर है ख़ुशबू भी आती थी। **(3)** मुमकिन है बाब का मक़सद ये हो कि ऐसी जगह ख़ुशबू लगाई जाये जो कपड़ों को न लगे या मक़सद ये हो कि ख़ुशबू बदन को लगाई जाये, कपड़ों को नहीं।

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي أُصُولِ شَعْرِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(2697) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मरवी है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के बालों की जड़ों में ख़ुशबू की चमक देखा करती थी जबकि आप मुहरिम होते थे।

(2697) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3676.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) ये ख़ुशबू एहराम से क़ब्ल लगाते थे। एहराम के बाद भी इसके कुछ असरात बाक़ी रह जाते थे।

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَأْسِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ .

(2698) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के सर मुबारक की माँग में ख़ुशबू की चमक देख रही हूँ जबकि आप एहराम की हालत में हैं।

(2698) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 271, मुस्लिम, हदीस: 1190/42, पिछली हदीस देखें, हदीस: 2690, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3677.

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ .

(2699) हज़रत आयशा (ﵞ) ने फ़रमाया: तहक़ीक़ मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के सर मुबारक में ख़ुशबू की चमक देखी जबकि आप एहराम की हालत में थे।

(2699) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1190/40, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3678.

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُهِلُّ .

(2700) हज़रत आयशा (ﵞ) फ़रमाती हैं: गोया कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की माँग मुबारक में ख़ुशबू की चमक देख रही हूँ जबकि आप लब्बैक पुकार रहे थे।

(2700) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3679.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ هَنَّادٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ ادَّهَنَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُهُ حَتَّى أَرَى وَبِيصَهُ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ . تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ عَلَى هَذَا الْكَلاَمِ وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ .

(2701) हज़रत आयशा (ﵞ) से मरवी है कि नबी (ﷺ), हन्नाद (रावी) ने (नबी (ﷺ) के बजाये) कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ), जब एहराम बाँधने का इरादा फ़रमाते तो अपने पास मौजूद बेहतरीन ख़ुशबू लगाते यहाँ तक कि मैं उसकी चमक आपके सर और दाढ़ी मुबारक में देखा करती थी।

(2701) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/236, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3680.

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

(2702) हज़रत आयशा (ﵞ) से मरवी है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को एहराम से क़ब्ल अपने पास मौजूद बेहतरीन ख़ुशबू लगाती थी यहाँ तक कि

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَطْيَبِ مَا كُنْتُ أَجِدُ مِنَ الطِّيبِ حَتَّى أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ .

मैं उस ख़ुशबू की चमक आपके सर और दाढ़ी मुबारक में देखती थी।

(2702) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5923, मुस्लिम, हदीस: 1190/44, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3681.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) को ख़ुशबू तो हज़रत आयशा (رضي الله عنها) ही लगाती थीं मगर हदीस नम्बर 2701 में मजाज़न निस्बत आपकी तरफ़ कर दी है। ये भी बलाग़ते कलाम का एक अन्दाज़ है।

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ثَلاَثٍ .

(2703) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि तहक़ीक़ मैंने (एहराम बाँधने से) तीन दिन बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) की माँग मुबारक में ख़ुशबू की चमक देखी।

(2703) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/41, अल हुमैदी, हदीस: 217, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3682.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ثَلاَثٍ .

(2704) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि मैं (एहराम बाँधने से) तीन दिन बाद भी रसूलुल्लाह(ﷺ) की माँग मुबारक में ख़ुशबू की चमक देखा करती थी।

(2704) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2928, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3683.

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ بِشْرٍ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الطِّيبِ، عِنْدَ الإِحْرَامِ فَقَالَ لأَنْ أَطَّلِيَ بِالْقَطِرَانِ

(2705) हज़रत मुहम्मद बिन मुन्तशिर से रिवायत है कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) से एहराम बाँधते वक़्त ख़ुशबू लगाने के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: इससे तो अच्छा ये है कि मैं गन्धक मल लूँ। मैंने ये बात हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से ज़िक्र की तो वह फ़रमाने

أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَقَدْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَطُوفُ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ يَنْضَحُ طِيبًا .

लगीं: अल्लाह तआला अबू अब्दुर्रहमान (इब्ने उमर (ﷺ)) पर रहम फ़रमाये! मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) को ख़ुशबू लगाया करती थी, फिर आप अपनी बीवियों के पास जाते, फिर सुबह होती जबकि आप से ख़ुशबू की महक आ रही होती थी (और आप सुबह को एहराम बाँधते)

(2705) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस: 417, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3684.

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ لأَنْ أُصْبِحَ مُطَّلِيًا بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَحُ طِيبًا . فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا .

(2706) हज़रत मुहम्मद बिन मुन्तशिर बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) को फ़रमाते सुना कि मैं गन्धक मल लूँ तो ज़्यादा अच्छा है बजाये इसके कि मुझसे एहराम की हालत में ख़ुशबू की महक आये। मैं हज़रत आयशा (ﷺ) के पास गया और उनहें ये बात बताई तो उन्होंने फ़रमाया: मैंने ख़ुद रसूलुल्लाह(ﷺ) को ख़ुशबू लगाई। आप अपनी बीवियों के पास गये, फिर आपने एहराम बाँधा (और आपसे महक आती थी।)

(2706) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस: 417, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3685.

फ़ायदा : चूंकि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) को इस हदीस का इल्म नहीं था, इसलिये वह इसके क़ाइल नहीं थे। बसा औक़ात जलीलुल क़द्र सहाबा किसी मसले से ना'वाक़िफ़ होते हैं, जैसे: हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद, हज़रत उमर, हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) इनके अलावा भी कुछ सहाबा से ऐसी मिसालें मिलती हैं, लिहाज़ा ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। (व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीमुन) (यूसुफ़: 12/76)

बाब : (43) मुहरिम के लिये ज़ाफ़रान लगाना?

باب:(۴۳) الزَّعْفَرَانِ لِلْمُحْرِمِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ .

(2707) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मर्द को ज़ाफ़रान लगाने से मना फ़रमाया।

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 2101, बुख़ारी, हदीस़: 5846, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3686.

फ़ायदा : चूंकि ज़ाफ़रान ख़ुशबू के साथ साथ रंग भी है और मर्द के लिये रंग वाली चीज़ बतौर ज़ीनत लगाना दुरुस्त नहीं, लिहाज़ा मर्द के लिये किसी भी हाल में ज़ाफ़रान इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। एहराम में तो बदर्जे-ए-औला मना होगा। इसी तरह ज़ाफ़रान से रंगे हुये कपड़े पहनना भी मर्द के लिये हर हाल में मना हैं। एहराम में बदर्जे-ए-औला नाजायज़ होंगे। इस बारे में स़रीह रिवायात पीछे गुज़र चुकी हैं।

أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّزَعْفُرِ .

(2708) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (मर्द को) ज़ाफ़रान लगाने से मना फ़रमाया है।

(2708) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3687.

फ़ायदा : औ त एहराम के अलावा ज़ाफ़रान लगा सकती है, जिस्म को भी और कपड़ों को भी। एहराम की हालत में उसके लिये भी मना है क्योंकि ये ख़ुशबू है और एहराम की हालत में मर्द और औरत दोनों के लिये ख़ुशबू का इस्तेमाल मना है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ . قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي لِلرِّجَالِ .

(2709) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ाफ़रान लगाने से मना फ़रमाया है। हम्माद रावी कहते हैं: यानी मर्दों को।

(2709) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 2101, पिछली हदीस़ देखें, हदीस़: 2708, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3688.

बाब : (44)
मुहरिम के लिये ख़लूक़ लगाना?

باب:(٤٤) فِي الْخَلُوقِ لِلْمُحْرِمِ

(2710) हज़रत यअ्ला (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी नबी (ﷺ) के पास आया। उसने उम्रे का एहराम बाँध रखा था लेकिन उसने सिले हुये कपड़े पहने हुये थे और ख़लूक़ (ख़ुशबू) लगा रखी थी। उसने आपसे कहा: मैंने उम्रे का एहराम बाँधा है तो मैं क्या करूँ? नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तू हज में क्या करता था?' उसने कहा: मैं इस (सिले हुये कपड़े) से बचता था और इस (ख़ुशबू) को धो दिया करता था। आपने फ़रमाया: 'जो तू हज में करता था, वही उम्रे में कर।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِخَلُوقٍ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَمَا أَصْنَعُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ " . قَالَ كُنْتُ أَتَّقِي هَذَا وَأَغْسِلُهُ . فَقَالَ " مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ " .

(2710) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2669, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3689.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उस शख़्स का ख़याल था कि ये पाबन्दियाँ सिर्फ़ हज में हैं, उम्रे में नहीं क्योंकि ये उसके मुक़ाबले में कम मर्तबे वाला है। आपने फ़रमाया कि दोनों के एहराम में कोई फ़र्क़ नहीं। दोनों में पाबन्दियाँ एक जैसी हैं। एहराम, हज और उम्रा वग़ैरह शरीयते इस्लामिया से पहले भी अरब में राइज थे। और ये पाबन्दियाँ भी मारूफ़ थीं और ये साबिक़ा अम्बिया (ﷺ) की तालीमात थीं। (2) 'ख़लूक़' ये भी एक रंगदार ख़ुशबू है ज़ाफ़रान की तरह, लिहाज़ा उसका हुक्म हर लिहाज़ से ज़ाफ़रान की तरह है, यानी मर्दों के लिये हर हाल में मना है और औरतों के लिये सिर्फ़ एहराम में ममनूअ है। इसके अलावा जायज़ है। (3) 'वही उम्रे में कर' यहाँ हज और उम्रे के अफ़आल मुराद नहीं बल्कि सिर्फ़ एहराम मुराद है, यानी दोनों का एहराम एक जैसा होता है। (4) चूंकि वह शख़्स शरई अहकाम से ना'वाक़िफ़ था, इसलिये उसे माज़ूर तसव्वुर फ़रमाया। अब भी किसी से ला'इल्मी की बिना पर इस क़िस्म की कोई ग़लती सरज़द हो जाये तो इन्शाअल्लाह माज़ूर होगा। वल्लाहु आलम!

(2711) हज़रत यअ्ला (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक आदमी आया जबकि आप जिअ्राना में तशरीफ़ फ़रमा थे। उस

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي

قَالَ، سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِعِرَّانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَأَنَا كَمَا تَرَى فَقَالَ " انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّتِكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ "

आदमी ने जुब्बा पहना हुआ था और अपनी दाढ़ी और सर को ज़र्द रंग की ख़ुशबू लगा रखी थी। वह कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने उम्रे का एहराम बाँधा है और मेरी हालत आप देख रहे हैं। आपने फ़रमाया: 'जुब्बा उतार दे और रंगदार ख़ुशबू धो दे और जिस तरह तू हज (के एहराम) में करता था, उसी तरह उम्रे (के एहराम) में कर।'

(2711) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2669, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3690.

फ़ायदा : जुब्बा भी क़मीस़ ही की एक सूरत है। ये भी सिला हुआ होता है, लिहाज़ा मुहरिम के लिये मना है।

بَاب: (٤٥) الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ

बाब : (45) मुहरिम के लिये सुरमा लगाना?

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُحْرِمِ " إِذَا اشْتَكَى رَأْسَهُ وَعَيْنَيْهِ أَنْ يُضَمِّدَهُمَا بِصَبِرٍ " .

(2712) हज़रत उस्मान (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुहरिम के बारे में फ़रमाया: 'जब उसे सर या आँखों में तकलीफ़ हो तो अपनी आँखों पर ऐलवे का लेप करे।'

(2712) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1204, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3691.

फ़ायदा : 'लेप करे' यानी सुरमा डालने के बजाये ऐलवे का लेप करे क्योंकि सुरमा रंग वाली ज़ीनत है और एहराम में हर क़िस्म की ज़ीनत मना है। ऐलवे के लेप से तकलीफ़ दूर हो जायेगी और ज़ीनत से भी बचत हो जायेगी।

बाब : (46) मुहरिम के लिये रंगदार कपड़े पहनने की मुमानिअत

باب:(٤٦) الْكَرَاهِيَةِ فِي الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ لِلْمُحْرِمِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، أَتَيْنَا جَابِرًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْىَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً " . وَقَدِمَ عَلِيٌّ رضى الله عنه مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْىٍ وَسَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ هَدْيًا وَإِذَا فَاطِمَةُ قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ . قَالَ فَانْطَلَقْتُ مُحَرِّشًا أَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ وَقَالَتْ أَمَرَنِي بِهِ أَبِي صلى الله عليه وسلم . قَالَ " صَدَقَتْ صَدَقَتْ صَدَقَتْ أَنَا أَمَرْتُهَا " .

(2713) हज़रत मुहम्मद (बाक़िर) (رحمه الله) बयान करते हैं कि हम हज़रत जाबिर (ﷺ) के पास हाज़िर हुये और हमने उनसे नबी (ﷺ) के हज (हज्जतुल विदा) के बारे में पूछा तो उन्होंने हमसे बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया था: 'अगर मुझे इस बात का पहले पता चल जाता जिसका बाद में पता चला है तो मैं क़ुर्बानी के जानवर साथ न लाता और हज के बजाये उम्रे का एहराम बाँधता, लिहाज़ा जिस शख़्स के साथ क़ुर्बानी का जानवर नहीं, वह हज के एहराम को उम्रे के एहराम में बदल ले।' हज़रत अली (ﷺ) भी यमन से क़ुर्बानी के जानवर लेकर आये थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना मुनव्वरा से क़ुर्बानी के जानवर लाये थे। हज़रत फ़ातिमा(ﷺ) ने रंगदार कपड़े पहने हुये थे और सुरमा लगा रखा था। हज़रत अली (ﷺ) ने फ़रमाया: मैं भड़काने (ग़ुस्सा दिलाने) के लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास मसला पूछने गया। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! फ़ातिमा ने रंगदार कपड़े पहने हुये हैं और सुरमा लगा रखा है और वह कहती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे इन कामों का हुक्म दिया है? आपने फ़रमाया: 'उसने सच कहा। वह सच कहती है। वह सच्ची है। मैंने ही उसे हुक्म दिया है।'

(2713) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1218, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3692.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'अगर मुझे पहले पता चल जाता' रिवायत का इब्तेदाई हिस्सा हज़फ़ है। दरअसल हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह (ﷺ) और सहाब-ए-किराम (رضی اللہ عنہم) ने हज ही का एहराम बाँधा था, मगर फिर अल्लाह तआला की तरफ़ से हुक्म आ गया कि हज के दिनों में उम्रा भी किया जाये। दौरे जाहिलियत में लोग हज के दिनों में उम्रा करने को बहुत बड़ा गुनाह समझते थे। आपने ऐलाने आम फ़रमाया कि जिन लोगों के साथ कुर्बानी का जानवर नहीं, वह हज के एहराम को उम्रे के एहराम में बदल लें और उम्रा करके हलाल हो जायें। हज के लिये बाद में नया एहराम बाँधें। कुर्बानी के जानवर साथ लाने वाले चूंकि कुर्बानी ज़बह होने से पहले हलाल नहीं हो सकते थे, इसलिये उन्हें हिदायत की गई कि वह उम्रा तो करें मगर हज का एहराम क़ाइम रखें और कुर्बानी ज़बह होने के बाद हलाल हों। रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ भी कुर्बानी के जानवर थे, लिहाज़ा आप उम्रा करके हलाल न हुये। दूसरे लोगों के लिये जिनके पास कुर्बानियाँ नहीं थीं, उम्रे के बाद हलाल होना बड़ा शाक़ था क्योंकि उनकी असल नियत हज की थी। हज के दिन भी क़रीब थे। सिर्फ़ तीन दिन का फ़ासिला था, लिहाज़ा उन्हें दरम्यान में हलाल होना पसन्द न था। इसलिये आपने ये अल्फ़ाज़ इरशाद फ़रमाये। (2) 'जो बाद में पता चला' यानी उम्रे का हुक्म। (3) हज़रत फ़ातिमा (رضی اللہ عنہا) के साथ कुर्बानी के जानवर नहीं थे, लिहाज़ा वह उम्रा करके हलाल हो गईं। उन्होंने रंगदार कपड़े पहने और सुरमा लगाया। हज़रत अली (رضی اللہ عنہ) के साथ चूंकि कुर्बानी के जानवर थे, लिहाज़ा वह हलाल न हुये, इसलिये उन्हें इश्काल पैदा हुआ। (4) इमाम नसाई (رحمہ اللہ) का इस्तेदलाल ये है कि अगर एहराम की हालत में रंगदार कपड़े दुरुस्त होते या सुरमा लगाना जायज़ होता तो हज़रत अली (رضی اللہ عنہ) ऐतराज़ क्यों करते? मालूम हुआ एहराम की हालत में रंगदार कपड़े या सुरमा जायज़ नहीं, अलबत्ता रंगदार कपड़ों से मुराद वह हैं जिन्हें बाद में रंगा गया हो या ज़ाफ़रान वग़ैरह से रंगे हों, वरना पहले से रंग वाले कपड़े औरत एहराम में इस्तेमाल कर सकती है। इन कपड़ों की कराहत की वजह ज़ीनत या ख़ुशबू है। (5) इस हदीस़ से स़ाबित हुआ कि किसी दीनी नुक़स़ान पर इज़्हारे अफ़सोस करते हुये कलिम-ए-'लौ' कहना जायज़ है। स़हीह मुस्लिम की हदीस़ में जो मुमानिअत वारिद है वह दुनियावी उमूर के मुताल्लिक़ है। (6) अपने अहले ख़ाना और बाल बच्चों की ख़ूब निगरानी करनी चाहिए और ख़्याल रखना चाहिए कि कहीं वह किसी ख़िलाफ़े शरअ काम के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे हैं। (7) अगर मुमकिन हो तो कुर्बानी के जानवर दूर दराज़ इलाक़े से लाये जा सकते हैं। ये मशरूअ है, इसमें कोई हर्ज नहीं।

باب:(٤٧) تَخْمِيرِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ

बाब : (47)
मुहरिम (मर्द) के लिये अपना चेहरा और सर ढाँपना (दुरुस्त नहीं)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بِشْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَأَقْعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ خَارِجًا رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا " .

(2714) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी (एहराम की हालत में) अपनी सवारी से गिर पड़ा। उस (सवारी) ने उसे फ़ौरन मार डाला। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल दो और उसे (एहराम वाले) दो कपड़ों में कफ़न दिया जाये। सर और चेहरा नंगा रहे क्योंकि ये क़यामत के दिन लब्बैक कहता हुआ उठेगा।'

(2714) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1206/101, बुख़ारी, हदीस: 1267, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3693.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मर्द को एहराम की हालत में चेहरा नंगा रखना चाहिए। तफ़सील के लिये देखिये: 2674 **(2)** रिवायत से मालूम होता है कि मुहरिम फ़ौत हो जाये तो उसकी एहराम वाली हालत क़ाइम रखी जाये। उसे या कफ़न को ख़ुशबू न लगाई जाये। सर और चेहरा नंगा रखा जाये। वह क़यामत के दिन भी एहराम की हालत में उठेगा। मगर अहनाफ़ उसे हर मुहरिम के लिये दुरुस्त नहीं समझते क्योंकि मौत से आमाल ख़त्म हो जाते हैं, एहराम कैसे बाक़ी रह गया? लेकिन ये सरीह फ़रमाने नबवी के मुक़ाबले में क़यास है जो बहुत बुरी बात है, और मय्यत का ईमान बाक़ी रह सकता है तो एहराम क्यों नहीं? अहनाफ़ इस हुक्म को सिर्फ़ उस शख़्स के साथ ख़ास रखते हैं कि उसके बारे में ख़ास वह्य आई होगी। मगर ये बात बिला दलील है। 'होगा, होगी' से कोई मसला साबित नहीं होता। हदीस के आख़री अल्फ़ाज़: ''वह क़यामत के दिन लब्बैक कहता हुआ उठेगा'' इस हुक्म को आम करते हैं क्योंकि लब्बैक भी कहना उस शख़्स के साथ ख़ास नहीं था। फिर दीगर अहादीस भी दलालत करती हैं कि कोई शख़्स जिस हालत में फ़ौत होगा, उसी हालत में उठेगा, जैसे: शहीद और ख़ुदकुशी करने वाला वग़ैरह। **(3)** इस रिवायत में सर के साथ चेहरा नंगा रखने का भी हुक्म है जिससे यही मालूम होता है कि एहराम की हालत में चेहरा नंगा रखना मर्द के लिये ज़रूरी है, मगर इमाम शाफ़ेई का ख़्याल है कि चेहरा नंगा रखना सिर्फ़ सर नंगा रखने के लिये है वरना एहराम में मर्द के लिये चेहरा नंगा

रखना ज़रूरी नहीं। बहर सूरत एहतियात यही है कि चेहरा भी नंगा रखा जाये। अहले ज़ाहिर इस मसले में इमाम शाफ़ेई(رحمه الله) के साथ हैं मगर मय्यत मुहरिम की सूरत में चेहरा नंगा रखने के क़ाइल हैं।

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، - يَعْنِي الْحَفَرِيَّ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَاتَ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثِيَابِهِ وَلاَ تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا".

(2715) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि एक (मुहरिम) आदमी फ़ौत हो गया तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसे पानी और बेरी के पत्तों से ग़ुस्ल दो और इसके (एहराम के) कपड़ों ही में इसे कफ़ना दो। और इसके चेहरे और सर को न ढाँपो। ये क़यामत के दिन लब्बैक कहता हुआ उठेगा।'

(2715) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 3694, मुस्लिम, हदीस: 1206/98, बुख़ारी, हदीस: 1268.

باب:(٤٨) إِفْرَادِ الْحَجِّ

बाब : (48) सिर्फ़ हज का एहराम बाँधना

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْرَدَ الْحَجَّ .

(2716) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सिर्फ़ हज का एहराम बाँधा था।

(2716) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1211/122, मौता: 1/335, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3695.

फ़ायदा : एहराम की तीन सूरतें हैं: (1) सिर्फ़ हज का एहराम (2) सिर्फ़ उम्रे का एहराम (3) उम्रे और हज दोनों का एक साथ एहराम। पहली सूरत को इफ़राद, दूसरी को (अगर उसके बाद अलग एहराम से हज भी किया जाये तो) तमत्तोअ और तीसरी सूरत को क़िरान कहते हैं (और अगर दूसरी सूरत में सिर्फ़ उम्रा ही किया जाये बाद में हज न किया जाये तो ये भी इफ़राद ही है मगर ये इफ़राद बिलउम्रा है) रसूलुल्लाह (ﷺ) के बारे में इस बात पर तो इत्तिफ़ाक़ है कि आपने फ़र्ज़ीयते हज के बाद सिर्फ़ एक ही हज किया था, अलबत्ता इस बात में इख़्तिलाफ़ है कि आपने सिर्फ़ हज किया या हज और उम्रा दोनों इकट्ठे किये। सही बात ये है कि आपने हज और उम्रा दोनों इकट्ठे किये हैं जैसा कि बहुत सी अहादीस से मफ़हूम अख़ज़ होता है, लेकिन मज़्कूरा रिवायत में है कि आपने सिर्फ़ हज किया या सिर्फ़

हज का एहराम बाँधा। तत्बीक़ यूँ है कि इब्तेदा में नबी (ﷺ) ने सिर्फ़ हज का एहराम बाँधा था, बाद में उम्रे का हुक्म नाज़िल हुआ तो आपने हज के एहराम में उम्रे को भी दाख़िल फ़रमा लिया लेकिन चूंकि आपके साथ क़ुर्बानी के जानवर थे, लिहाज़ा आप उम्रे के बाद हलाल न हुये बल्कि हज के बाद ही हलाल हुये, लिहाज़ा आपके उम्रा करने का पता नहीं चला। जिन लोगों ने आपको आख़री वक़्त में लब्बैक पुकारते सुना, उन्हें पता चल गया कि आप हज के साथ उम्रे की लब्बैक भी पुकार रहे हैं। जिन्होंने सिर्फ़ अव्वल वक़्त में लब्बैक पुकारते सुना, उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ़ हज किया।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ .

(2717) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सिर्फ़ हज की लब्बैक कही।

(2717) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1562, मुस्लिम, हदीस: 1211/118, पिछली हदीस देखें, मौता: 1/335, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3696.

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ " .

(2718) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मरवी है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ज़ुल हिज्जा का चाँद तुलूअ होने से चन्द दिन क़ब्ल (हज को) निकले। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से जो शख़्स सिर्फ़ हज का एहराम बाँधना चाहे, वह हज का एहराम बाँधे और जो उम्रे का एहराम बाँधना चाहे, वह उम्रे का एहराम बाँधे।'

(2718) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1778, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3698, बुख़ारी, हदीस: 317, मुस्लिम, हदीस: 1211/115-117.

फ़ायदा : इब्तेदा में तो ऐसे ही था कि हज और उम्रे के एहराम में इख़्तियार था। बाद में आपने वह्य की बिना पर उम्रा लाज़िम फ़रमा दिया कि जिन लोगों ने सिर्फ़ हज का एहराम बाँध रखा है अगर उनके पास क़ुर्बानी का जानवर नहीं तो हज का एहराम उम्रे से बदल कर उम्रा करने के बाद हलाल हो जायें और जिनके साथ क़ुर्बानी के जानवर हैं, वह हज के साथ उम्रा भी दाख़िल कर लें लेकिन उम्रा करने के बाद हलाल न हों।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّبَرَانِيُّ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، وَسُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ نَرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ .

(2719) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले तो हमारा इरादा यही था कि ये सिर्फ़ हज है।

(2719) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1561, मुस्लिम, हदीस: 1211/128, पिछली हदीस देखें: 2718, मुस्लिम, हदीस: 1211/129, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3697.

फ़ायदा : ये अक्सरियत की बात है वरना कुछ सहाबा का एहराम तो शुरू ही से उम्रे का था जैसा कि रिवायत: 2718 में है, और ये बात इब्तेदा की है, बाद में उम्रे का हुक्म आया तो सूरते हाल बदल गई। वज़ाहत ऊपर गुज़र चुकी है।

باب:(٤٩) الْقِرَانِ

बाब : (49) उम्रे और हज का इकट्ठा एहराम बाँधना

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ قَالَ الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ كُنْتُ أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمْتُ فَكُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الْجِهَادِ فَوَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَىَّ فَأَتَيْتُ رَجُلاً مِنْ عَشِيرَتِي يُقَالُ لَهُ هُدَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ اجْمَعْهُمَا ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا فَلَمَّا أَتَيْتُ الْعُذَيْبَ لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ . فَأَتَيْتُ

(2720) हज़रत सुबय बिन मअ़्बद बयान करते हैं कि मैं आराबी और ईसाई था, फिर मैं मुसलमान हो गया। मुझे जिहाद का बहुत शौक़ था। लेकिन मुझे पता चला कि मुझ पर तो हज और उम्रा फ़र्ज़ हैं। मैं अपने क़बीले के एक आदमी के पास आया जिनका नाम हुज़ैम बिन अ़ब्दुल्लाह था। मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: दोनों एक साथ कर लो, फिर क़ुर्बानी का जो जानवर मयस्सर हो ज़बह कर देना। मैंने दोनों का एहराम बाँध लिया। जब हम उज़ैब मक़ाम पर पहुँचे तो मुझे हज़रत सलमान बिन रबीअ़ और हज़रत ज़ैद बिन सूहान मिले। मैं हज और उम्रे की लब्बैक कह रहा था तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि ये शख़्स तो अपने ऊँट से

عُمَرَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ فَأَتَيْتُ هُذَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ يَا هَنَاهُ إِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ . فَقَالَ اجْمَعْهُمَا ثُمَّ اذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا فَلَمَّا أَتَيْنَا الْعُذَيْبَ لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ . فَقَالَ عُمَرُ هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم .

ज़्यादा, समझदार मालूम नहीं होता। मैं हज़रत उमर (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ और अर्ज़ की: ऐ अमीरुल मोमिनीन! मैंने इस्लाम क़बूल किया है। मुझे जिहाद का बहुत शौक है लेकिन मैंने हज और उम्रा अपने आप पर फ़र्ज़ पाया है। में हुज़ैम बिन अब्दुल्लाह के पास गया। मैंने कहा: ऐ वह (हुज़ैम)! मैंने अपने आप पर हज और उम्रा दोनों को फ़र्ज़ पाया है (तो मैं क्या करूँ)? उन्होंने कहा: दोनों का एहराम इकट्ठा बाँध लो, फिर जो कुर्बानी मयस्सर हो, ज़बह कर देना। मैंने दोनों का एहराम बाँध लिया। जब मैं उज़ैब मक़ाम पर पहुँचा तो मुझे हज़रत सलमान बिन रबीअ और ज़ैद बिन सूहान मिले तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा: ये अपने ऊँट से ज़्यादा समझदार नहीं। हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: तुम्हें तुम्हारे नबी (ﷺ) की सुन्नत की तौफ़ीक़ मिली है।

(2720) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1798, 1799, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3699, व सहीह अद्दारकुत्नी, अल एलल अल वारिदा, हदीस: 2/166, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 985, 986, इब्ने माजा: 2970.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** 'हज और उम्रा फ़र्ज़ हैं' शायद उन्होंने ये बात इरशादे बारी तआला: (व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाहि) (अलबक़र: 2/196) से अख़ज़ की हो या शायद किसी ने उन्हें फ़तवा दिया हो। **(2)** 'जानवर ज़बह कर देना' क्योंकि हज के साथ उम्रा किया जाये तो एक जानवर ज़बह करना लाज़िम हो जाता है। **(3)** 'ऊँट से ज़्यादा समझदार नहीं' क्योंकि वह लोग हज और उम्रे को इकट्ठा करना सही नहीं समझते थे। उन्हें इल्म नहीं था। **(4)** 'सुन्नत की तौफ़ीक़ मिली है' हज़रत उमर (ﷺ) सिर्फ़ तमत्तोअ से रोकते थे, क़िरान से नहीं। गोया वह उम्रे और हज के दौरान में हलाल होने को जायज़ नहीं समझते थे क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) दरम्यान में हलाल नहीं हुये थे। **(5)** मसले का इल्म न हो तो अहले इल्म से पूछ लेना चाहिए।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا الصُّبَىُّ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ إِلاَّ قَوْلَهُ يَا هَنَّاهُ .

(2721) हज़रत सुबय ने (ऊपर दी गई हदीस़) के मिस़्ल हदीस़ बयान की। कहा: फिर मैं हज़रत उ़मर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, फिर पूरा क़िस़्सा (वाक़िया) बयान किया लेकिन या हन्नाहु! ऐ अह हुज़ैम!' के अल्फ़ाज़ बयान नहीं किये।

(2721) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3700.

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ يُقَالُ لَهُ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ أَبُو وَائِلٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ الصُّبَىُّ بْنُ مَعْبَدٍ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ فَأَقْبَلَ فِي أَوَّلِ مَا حَجَّ فَلَبَّى بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ جَمِيعًا فَهُوَ كَذَلِكَ يُلَبِّي بِهِمَا جَمِيعًا فَمَرَّ عَلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لأَنْتَ أَضَلُّ مِنْ جَمَلِكَ هَذَا . فَقَالَ الصُّبَىُّ فَلَمْ يَزَلْ فِي نَفْسِي حَتَّى لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم . قَالَ شَقِيقٌ وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ أَنَا وَمَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ إِلَى

(2722) हज़रत शक़ीक़ बिन सलमा अबू वाइल से रिवायत है कि बनू तग़लिब के एक शख़्स़ जिन्हें स़ुबय बिन मअ़्बद कहा जाता था और वह पहले ईसाई थे, फिर वह मुसलमान हो गये, अपने पहले हज को आये तो उन्होंने हज और उ़म्रे की एक साथ लब्बैक कही। वह इसी तरह दोनों की एक साथ लब्बैक कहते जा रहे थे कि उनका गुज़र सलमान बिन रबीअ़ और ज़ैद बिन स़ूहान के क़रीब से हुआ तो उनमें से एक ने कहा तू तो अपने इस ऊँट से भी कम अ़क़्ल है। हज़रत सुबय ने कहा: मुझे इस बात से बहुत परेशानी हुई यहाँ तक कि मैं हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ) से मिला तो मैंने ये सारी बात उनके गोशे गुज़ार की। वह फ़रमाने लगे: तुम्हें तुम्हारे नबी (ﷺ) की सुन्नते मुतह्हरा की तौफ़ीक़ मिली है। हज़रत शक़ीक़ ने कहा: मैं और हज़रत मस्रूक़ बिन अज्दअ़ हज़रत सुबय बिन मअ़्बद के पास बकस़्रत आते जाते थे और उनसे ये वाक़िया सुनाने की गुज़ारिश करते थे।

(2722) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3701.

الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ نَسْتَذْكِرُهُ فَلَقَدِ اخْتَلَفْنَا إِلَيْهِ مِرَارًا أَنَا وَمَسْرُوقُ بْنُ الأَجْدَعِ .

फ़ायदा : हज और उम्रे की एक साथ लब्बैक यूँ होगी: 'लब्बैक बिहज्जतिन व उम्रतिन'

أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى، - وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ - قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُثْمَانَ فَسَمِعَ عَلِيًّا، يُلَبِّي بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَقَالَ أَلَمْ تَكُنْ تُنْهَى عَنْ هَذَا قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي بِهِمَا جَمِيعًا فَلَمْ أَدَعْ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِكَ .

(2723) हज़रत मरवान बिन हकम से रिवायत है कि मैं हज़रत उस्मान (ﷺ) के पास बैठा हुआ था कि उन्होंने हज़रत अली (ﷺ) को हज और उम्रे की इकट्ठी लब्बैक कहते सुना। हज़रत उस्मान फ़रमाने लगे: क्या आप को इल्म नहीं कि इससे रोका गया है? हज़रत अली फ़रमाने लगे: यक़ीनन इल्म है मगर मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को दोनों की इकट्ठी लब्बैक कहते सुना है। मैं तुम्हारे हुक्म की वजह से नबी (ﷺ) का फ़रमान नहीं छोड़ सकता।

(2723) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1563, पिछली हदीस देखें, हदीस: 2718, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3702.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत उस्मान (ﷺ) भी हज़रत उमर (ﷺ) की तरह हज व उम्रा इकट्ठा करने से रोकते थे क्योंकि वह हज्जे इफ़राद को अफ़ज़ल समझते थे और इसी बिना पर इसका हुक्म भी देते थे। और ये उनका ज़ाती इज्तेहाद था। बहरहाल अगर कोई हज्जे क़िरान या तमत्तोअ करना चाहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अहादीस की रोशनी में ये मौक़िफ़ सही है। वल्लाहु आलम! **(2)** आलिम को अपने इल्म की इशाअत और उसका इज़्हार करना चाहिए। उमरा (हाकिमों) से डर कर मसले को छुपाना जायज़ नहीं, लेकिन ये इज़्हार मुसलमानों की इस्लाह और ख़ैरख़्वाही की नियत से हो न कि किसी फ़ित्ने की बुनियाद डालने के लिये। **(3)** एक मुज्तहिद दूसरे मुज्तहिद को अपनी तक़लीद या हिमायत पर मजबूर नहीं कर सकता।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ، يُحَدِّثُ عَنْ

(2724) हज़रत मरवान से रिवायत है कि हज़रत उस्मान (ﷺ) ने तमत्तोअ और क़िरान से रोका तो हज़रत अली (ﷺ) ने ऐलानिया हज और उम्रे की इकट्ठी लब्बैक पढ़ी। हज़रत उस्मान (ﷺ) ने

مَرْوَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ، نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَأَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا . فَقَالَ عُثْمَانُ أَتَفْعَلُهَا وَأَنَا أَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لَمْ أَكُنْ لأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ .

फ़रमाया: आप ऐसा करते हैं जबकि मैंने इससे रोक रखा है? हज़रत अली (﵁) ने फ़रमाया लोगों में से किसी शख़्स के कहने से मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत नहीं छोड़ सकता।

(2724) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 3703, बुख़ारी, हदीस: 1563.

फ़ायदा : 'तमत्तोअ' ये है कि हज के महीनों में मीक़ात से सिर्फ़ उम्रे का एहराम बाँधा जाये, फिर उम्रा करके हलाल हो जाये और हज के दिनों में दोबारा हज का एहराम बाँधा जाये। और 'क़िरान' ये है कि मीक़ात ही से उम्रे और हज का इकट्ठा एहराम बाँधा जाये, फिर उम्रा और हज दोनों की अदायगी के बाद हलाल हो। दोनों सूरतों में कुर्बानी वाजिब होगी, और हरम में रहने वाले ये दोनों सूरतें, यानी तमत्तोअ और क़िरान नहीं कर सकते। उनकी इजाज़त सिर्फ़ उन लोगों को है जो मीक़ात से गुज़रें और एहराम बाँधें। या मीक़ात और हरम के दरम्यान रहने वाले अपनी जगह से एहराम बाँध कर रवाना हों।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(2725) नज़र ने शैबा से इसी सनद से इस जैसी रिवायत बयान की है।

(2725) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3704.

أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِينَ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ عَلِيٌّ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ

(2726) हज़रत बराअ (﵁) से मरवी है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अली (﵁) को यमन का अमीर बनाया तो मैं भी उनके साथ था। जब वह (हज्जतुल विदा के मौक़े पर यमन से) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये तो हज़रत अली(﵁) ने फ़रमाया: मैं आया तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तूने एहराम कैसे बाँधा है?' मैंने अर्ज़ किया: मैंने तो आपके एहराम की तरह एहराम बाँधा है। आपने फ़रमाया: 'मैं तो कुर्बानी के जानवर भी साथ लाया हूँ और मैंने हज

لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَيْفَ صَنَعْتَ " . قُلْتُ أَهْلَلْتُ بِإِهْلاَلِكَ . قَالَ " فَإِنِّي سُقْتُ الْهَدْىَ وَقَرَنْتُ " . قَالَ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ " لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ وَلَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْىَ وَقَرَنْتُ " .

व उम्रे का इकट्ठा एहराम बाँधा है।' आप(ﷺ) ने अपने सहाबा से फ़रमाया था: 'अगर मुझे इस हुक्म का पहले पता चल जाता जिसका बाद में पता चला (यानी उम्रे के वजूब का) तो मैं इसी तरह करता जैसे तुमने किया, लेकिन मैं तो क़ुर्बानी के जानवर साथ लाया हूँ, लिहाज़ा मेरा हज व उम्रा इकट्ठा होगा।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 1797, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3705, देखें, हदीस: 96.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस की सनद में अबू इस्हाक़ मुदल्लिस रावी है जो अन से बयान कर रहा है लेकिन इसके सही शवाहिद मौजूद हैं। जिनका मुहक़्क़िक़े किताब ने भी ज़िक्र किया है। उनमें से एक शाहिद हज़रत अली (ﷺ) की साबिक़ा हदीस भी है, लिहाज़ा ये हदीस शवाहिद की बिना पर सही है और अबू इस्हाक़ का अनअना यहाँ मुज़िर (नुक़्सानदेह) नहीं। वल्लाहु आलम! तफ़्सील के लिए देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 24/159-162) **(2)** 'कैसे एहराम बाँधा है?' यानी सिर्फ़ हज का या सिर्फ़ उम्रे का या दोनों का? (2) 'आपके एहराम की तरह' यानी मैंने एहराम बाँधते वक़्त कहा था कि मेरा एहराम रसूलुल्लाह (ﷺ) के एहराम की तरह होगा। अगरचे उस वक़्त उन्हें इल्म न था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एहराम कैसे बाँधा है लेकिन चूंकि उनके साथ भी क़ुर्बानी के जानवर थे, लिहाज़ा अमलन भी उनका एहराम रसूलुल्लाह (ﷺ) के एहराम ही की तरह हो गया। **(3)** 'मैं इसी तरह करता' यानी क़ुर्बानी साथ न लाता (बल्कि मौक़े पर ख़रीदता) और उम्रा करके हलाल हो जाता। **(4)** साबित हुआ तमत्तोअ और क़िरान शरअन जायज़ हैं, बल्कि तमत्तोअ अफ़ज़ल है और आसानी का बाइस भी।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، يَقُولُ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَنْهَى عَنْهَا وَقَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ الْقُرْآنُ بِتَحْرِيمِهِ .

(2727) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज और उम्रा इकट्ठा किया, फिर आप फ़ौत हो गये, न तो आपने (इससे) रोका और न क़ुर्आन में इसकी हुर्मत का हुक्म नाज़िल हुआ।

(2727) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1226/167, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3706.

(2728) हज़रत इमरान (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज व उम्रा इकट्ठा किया, फिर (उससे रोकने के बारे में) कोई हुक्म नाज़िल नहीं हुआ, न रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इससे मना फ़रमाया। (बाद में) एक शख़्स (हज़रत उमर(ﷺ)) ने अपनी राय से इसके बारे में जो चाहा, किया।

(2728) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1226/168, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 1571, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3707.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِيهِمَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) एक शख़्स से मुराद हज़रत उमर (ﷺ) हैं क्योंकि वह इस सूरत से रोका करते थे। बाक़ी बित्तबअ़ आते हैं। **(2)** ये हदीस दलील है कि क़ुर्आन का हुक्म हदीस से मन्सूख़ हो सकता है।

(2729) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ तमत्तोअ़ किया।

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि इस्माईल बिन मुस्लिम नाम के तीन रावि-ए हदीस हैं। उनमें से एक तो यही हैं। इन पर कोई ऐतराज़ नहीं। दूसरे बुज़ुर्ग वह हैं जो अबू अत्तुफ़ैल से बयान करते हैं। उनमें भी कोई ख़राबी नहीं। तीसरे इस्माईल बिन मुस्लिम हज़रत ज़ोहरी और हज़रत हसन से बयान करते हैं। वह मुहद्दिसीन के नज़दीक मतरूकुल हदीस (ग़ैर मोतबर) हैं।

(2729) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1226/171, पिछली हदीस देखें, हदीस: 2727, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3708.

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ هَذَا أَحَدُهُمْ لاَ بَأْسَ بِهِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ شَيْخٌ يَرْوِي عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ لاَ بَأْسَ بِهِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ يَرْوِي عَنِ الزُّهْرِيِّ وَالْحَسَنِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ .

फ़ायदा : अक्सर सहाबा ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के हुक्म से तमत्तोअ़ किया था। ख़ुद आपने क़िरान

फ़रमाया था, लिहाज़ा दोनों जायज़ हैं। अलबत्ता इस बात में इख़्तिलाफ़ है कि इनमें से अफ़ज़ल कौनसा तरीक़ा है। (तफ़्सील इन्शाअल्लाह आगे आयेगी।)

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، ح وَأَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ، سَمِعُوهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا " .

(2730) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को (लब्बैक उम्रतंव व हजा) 'ऐ अल्लाह! मैं तेरे सामने हज व उम्रे के लिये हाज़िर हूँ।' फ़रमाते हुये सुना।

(2730) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1251, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3709.

फ़ायदा : मालूम हुआ आपने क़िरान किया था और यही सही है। आप उस वक़्त यही कर सकते थे। सिर्फ़ हज, इब्तेदा में था। तमत्तोअ की तर्ग़ीब दी।

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي بِهِمَا .

(2731) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को हज और उम्रा दोनों की एक साथ लब्बैक कहते सुना।

(2731) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3710, पिछली हदीस देखें।

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، قَالَ أَنْبَأَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيعًا فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ . فَلَقِيتُ أَنَسًا

(2732) हज़रत बक्र बिन अब्दुल्लाह मुज़नी ने बयान किया कि मैंने हज़रत अनस (ﷺ) को फ़रमाते सुना: मैंने नबी (ﷺ) को उम्रा व हज की इकट्ठी लब्बैक फ़रमाते सुना। मैंने ये बात हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से बयान की तो वह कहने लगे: आपने सिर्फ़ हज की लब्बैक कही थी। मैं फिर हज़रत अनस (ﷺ) को मिला और उनसे हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) की बात बयान की। आप

فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَنَسٌ مَا تَعُدُّونَا إِلاَّ صِبْيَانًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا مَعًا" .

फ़रमाने लगे: तुम हमें बच्चे ही समझते हो। मैंने ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) को (लब्बैक उम्रतंव व हज्जा मअन) फ़रमाते सुना है।

(2732) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1232, बुख़ारी, हदीस: 4353, 4353, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3711.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) इब्तेदाई हालत बयान करते हैं और हज़रत अनस(ﷺ) आख़री। ज़ाहिर है आख़री बात ही मोतबर होती है। **(2)** 'तुम हमें बच्चे ही समझते हो' यानी गोया हमने बच्चों की तरह मामला ज़ब्त नहीं किया। वैसे हज्जतुल विदा के मौक़े पर हज़रत अनस (ﷺ) बीस साल के थे। तक़रीबन यही उमर हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) की थी। और बीस साल की उम्र वाले को बच्चा नहीं कहते।

باب:(٥٠) التَّمَتُّع

बाब : (50) तमत्तोअ़ का बयान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، رضى الله عنهما قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْىَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى

(2733) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जतुल विदा में हज से पहले उम्रे का फ़ायदा उठाया था और क़ुर्बानी भी की थी। आप ज़ुल हुलैफ़ा ही से अपने साथ क़ुर्बानी के जानवर लेकर चले थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पहले उम्रे की लब्बैक पुकारी, फिर हज की लब्बैक पुकारी। और लोगों ने भी रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज से पहले उम्रा करने का फ़ायदा उठाया। कुछ लोग क़ुर्बानी के जानवर साथ लाये थे, कुछ नहीं लाये थे। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का मुकर्रमा में दाख़िल होने के क़रीब थे, आपने लोगों से फ़रमाया: 'तुममें से जो शख़्स क़ुर्बानी लाया है, उस पर कोई हराम चीज़ हलाल नहीं होगी (उसका एहराम ख़त्म नहीं होगा) यहाँ तक कि वह अपना हज पूरा करे। और

فَسَاقَ الْهَدْىَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ لْيُهْدِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ " . فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَىْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ فَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْىَ مِنَ النَّاسِ .

जो शख़्स क़ुर्बानी का जानवर नहीं लाया वह बैतुल्लाह का तवाफ़ करे, स़फ़ा मर्वा की सई करे और बाल कटवा कर हलाल हो जाये, फिर (हज के दिनों में) हज का एहराम बाँधे। और फिर क़ुर्बानी भी ज़बह करे। और अगर वह क़ुर्बानी की ताक़त न रखता हो तो वह दौराने हज तीन रोज़े रखे और जब अपने घर वापस जाये तो सात रोज़े रखे।' रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाये तो आपने तवाफ़ फ़रमाया। सबसे पहले हज्रे अस्वद को बोसा दिया, फिर तवाफ़ के सात चक्करों में से पहले तीन चक्कर क़द्रे दौड़ कर पूरे किये और बाक़ी चार चक्कर आराम से चले, फिर जब बैतुल्लाह का तवाफ़ पूरा फ़रमा लिया तो मक़ामे इब्राहीम के पास दो रकअ़त नमाज़ पढ़ी, फिर सलाम फेर कर मुड़े और स़फ़ा पर आये और स़फ़ा मर्वा के भी सात चक्कर लगाये, फिर आप किसी हराम चीज़ से हलाल न हुये यहाँ तक कि आपने अपना हज पूरा फ़रमाया और नहर (दस ज़ुल हिज्जा) वाले दिन अपने क़ुर्बानी के जानवर ज़बह फ़रमाये और वापस आकर बैतुल्लाह का तवाफ़ फ़रमाया, फिर आप पर हर वह चीज़ हलाल हो गई जो (एहराम की वजह से) हराम हुई थी। जो लोग क़ुर्बानी के जानवर साथ लाये थे, उन्होंने भी ऐसे ही किया जैसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किया था।

(2733) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 1691, मुस्लिम, हदीस़: 1227, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3712.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज्जे तमत्तोअ के जवाज़ में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं। इख़्तिलाफ़ इस बात में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जे तमत्तोअ फ़रमाया या क़िरान? सही बात ये है कि आपने क़िरान फ़रमाया था। और तमत्तोअ, क़िरान को भी कह सकते हैं क्योंकि लुग़वी तौर पर तमत्तोअ के मानी फ़ायदा उठाना हैं। तमत्तोअ और क़िरान दोनों में हज के साथ उम्रे का फायदा उठाया जाता है, लिहाज़ा दोनों को लुग़वी तौर पर तमत्तोअ कहा जा सकता है वरना असल तमत्तोअ यही है कि उम्रा करके हलाल हो, फिर अलग एहराम के साथ हज करे। इस हदीस में भी तमत्तोअ लुग़वी मानी में इस्तेमाल हुआ है। (2) 'पहले उम्रे की लब्बैक पुकारी' ये बात मशहूर रिवायात के ख़िलाफ़ है। साबिक़ा रिवायत में हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ही से बयान है कि आपने हज की लब्बैक पुकारी। सही ये है कि आपने हज पर उम्रा दाख़िल फ़रमाया। (3) हर हराम चीज़ हलाल होने से मुराद एहराम का ख़त्म होना है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ حَجَّ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ نَهَى عُثْمَانُ عَنِ التَّمَتُّعِ فَقَالَ عَلِيٌّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدِ ارْتَحَلَ فَارْتَحِلُوا . فَلَبَّى عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَنْهَهُمْ عُثْمَانُ فَقَالَ عَلِيٌّ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ التَّمَتُّعِ قَالَ بَلَى . قَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَمَتَّعَ قَالَ بَلَى .

(2734) हज़रत सईद बिन मुसय्यब बयान करते हैं कि हज़रत अली और हज़रत उस्मान (ﷺ) दोनों हज को गये। अभी रास्ते ही में थे कि हज़रत उस्मान (ﷺ) ने (बहैसियत ख़लीफ़ा) तमत्तोअ से मना फ़रमा दिया। हज़रत अली (ﷺ) फ़रमाने लगे: जब तुम हज़रत उस्मान को कूच करते देखो तो तुम भी साथ ही कूच करना। हज़रत अली और उनके दूसरे साथियों ने (कूच के वक़्त) उम्रे की लब्बैक (बलन्द आवाज़ से) कही तो हज़रत उस्मान (ﷺ) ने उन्हें न रोका। हज़रत अली (ﷺ) ने (हज़रत उस्मान (ﷺ) से) कहा: मुझे तो बताया गया था कि आप तमत्तोअ से रोकते हैं? हज़रत उस्मान (ﷺ) ने फ़रमाया: ज़रूर। हज़रत अली (ﷺ) ने फ़रमाया: क्या आप को इल्म नहीं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तमत्तोअ फ़रमाया। उन्होंने कहा: क्यों नहीं?

(2734) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1569, मुस्लिम, हदीस: 1224, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3713.

फ़ायदा : 'तमत्तोअ फ़रमाया' यानी इजाज़त दी या लुग़वी मानी में तमत्तोअ फ़रमाया। बाक़ी तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। हज़रत अली (ﷺ) की जलालते क़द्र और अपनी तबई नर्मी की वजह से हज़रत उस्मान (ﷺ) ने उन्हें अपने हुक्म पर मजबूर नहीं फ़रमाया वरना हज़रत उमर (ﷺ) के दौर में किसी को मुख़ालिफ़त की जुर्अत न हुई। वह भी तमत्तोअ से रोकते थे।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، - عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ - وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ الضَّحَّاكُ لاَ يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلاَّ مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى . فَقَالَ سَعْدٌ بِئْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي . قَالَ الضَّحَّاكُ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَهَى عَنْ ذَلِكَ . قَالَ سَعْدٌ قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ .

(2735) हज़रत मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन हारिस बयान करते हैं कि मैंने हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) और ज़हहाक बिन क़ैस को हज से पहले उम्रे का फ़ायदा उठाने का तज़्किरा करते सुना। ये उस साल की बात है जिस साल हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान (ﷺ) हज के लिये तशरीफ़ लाये थे। ज़हहाक कहने लगे: ये काम (तमत्तोअ) तो वही कर सकता है जो अल्लाह तआला के अहकाम से नावाक़िफ़ हो। हज़रत सअद फ़रमाने लगे: ऐ भतीजे! तूने बुरी बात कही है। ज़हहाक ने कहा: हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने तो इससे रोका था। सअद (ﷺ) फ़रमाने लगे: ये अल्लाह के रसूल ने किया है और हमने भी आपके साथ किया था।

(2735) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 823, मौता: 1/344, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3714, अत्तम्हीद: 8/360.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत उमर (ﷺ) के हुक्म से बहुत से लोगों को ग़लतफ़हमी हुई और उन्होंने इसे शरई अम्र समझ लिया, मगर सहाबा ने और बाद में अइम्म-ए-किराम ने वज़ाहत की कि तमत्तोअ शरअन जायज़ है बल्कि बहुत से अइम्मा के नज़दीक अफ़ज़ल है। (2) हाकिमे वक़्त या किसी की भी बात शरीयत के ख़िलाफ़ हो और उसकी तर्दीद मक़सूद हो तो अहसन अन्दाज़ में करनी चाहिए जो ज़्यादा मुअस्सिर हो और इसमें वह अपनी हतक महसूस न करे।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ

(2736) हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) तमत्तोअ के जवाज़ का फ़तवा दिया करते थे।

بَشَّارٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدُ . حَتَّى لَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ فَعَلَهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعَرِّسِينَ بِهِنَّ فِي الأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُوا بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ .

एक आदमी ने उनसे कहा: इस क़िस्म का फ़तवा देने से रुक जाओ। शायद आपको पता नहीं कि तुम्हारे बाद अमीरुल मोमिनीन (हज़रत उमर(ﷺ)) ने इसके बारे में क्या नया हुक्म जारी फ़रमाया है। (हज़रत अबू मूसा ने कहा:) मैं हज़रत उमर (ﷺ) से मिला तो मैंने उनसे पूछा। वह फ़रमाने लगे: तहक़ीक़! मुझे भी मालूम है कि नबी (ﷺ) ने ये क्या है मगर मैंने अच्छा न समझा कि लोग रात को पीलू के दरख़्तों के नीचे बीवियों के साथ जिमाअ करते रहें और फिर हज को जायें तो उनके सरों से (गुस्ले जनाबत के) पानी के क़तरे गिर रहे हों।

(2736) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1222, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3715.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत से हक़ीक़ते हाल वाज़ेह हो जाती है कि हज़रत उमर (ﷺ) इसे शरअन जायज़ समझते थे मगर मज़्कूरा इल्लत की वजह से हज्जे तमत्तोअ को बेहतर न समझा जो कि एक इज्तेहादी ग़लती थी, ताहम दुरुस्त यही है कि हज्जे तमत्तोअ अफ़ज़ल है। वल्लाहु आलम! **(2)** 'नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने ये किया है' यानी आपने ये हुक्म दिया था वरना आप हलाल न हुये थे। या लुग़वी मानी में आपने तमत्तोअ किया है। और इस मानी में तो हज़रत उमर भी तमत्तोअ (क़िरान) को नापसन्द नहीं फ़रमाते थे। **(3)** 'पीलू के दरख़्तों के नीचे' उन दिनों वहाँ ये दरख़्त आम होंगे, इसलिये इत्तेफ़ाक़न उनका ज़िक्र फ़रमाया।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبِي قَالَ، أَنْبَأَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّهَا، لَفِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَقَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ

(2737) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि मैंने हज़रत उमर (ﷺ) को फ़रमाते सुना कि अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हें तमत्तोअ से रोकता हूँ, हालांकि मैं जानता हूँ कि इसका ज़िक्र अल्लाह की किताब में है और अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने ये किया है, यानी हज से पहले उम्रा करना।

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ .

(2737) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3716, मुसनद अल फ़ारूक़: 1/304.

फ़ायदा : 'यानी हज से पहले उम्रा करना' ये वज़ाहत इसलिये की गई कि लफ़्ज़े तमत्तोअ के दूसरे मानी औरतों से मुतआ करना है और वह हराम है। कोई शख़्स वह मानी मुराद लेकर कहीं इसे जायज़ न समझ ले या जवाज़ की निस्बत हज़रत उमर या हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) की तरफ़ न कर दे जैसा कि कुछ लोगों को ग़लतफ़हमी हूई।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْمَرْوَةِ قَالَ لاَ . يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا مُعَاوِيَةُ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَدْ تَمَتَّعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم .

(2738) हज़रत ताऊस से मन्क़ूल है कि हज़रत मुआविया (ﷺ) ने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से पूछा: क्या आपको पता है कि मैंने मर्वा के पास रसूलुल्लाह (ﷺ) के सर के बाल काटे थे? इब्ने अब्बास (ﷺ) ने कहा: नहीं। इब्ने अब्बास (ﷺ) फ़रमाते हैं कि ये मुआविया (ﷺ) लोगों को तमत्तोअ से रोकते हैं, हालांकि नबी (ﷺ) ने तमत्तोअ किया था।

(2738) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3717, बुख़ारी, हदीस: 2990.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मर्वा पर सर के बाल काटना किसी उम्रे ही के मौक़े पर हो सकता है क्योंकि हज्जतुल विदा में तो आपने हजामत मिना में बनवाई थी, फिर ये उम्र-ए-जिअराना की बात होगी जो 8 हिजरी में फ़तहे मक्का के बाद हुआ। इमाम नववी और इब्ने अल क़य्यिम (رحمهما الله) वग़ैरह ने इसे इस पर महमूल किया है। उस वक़्त तक हज़रत मुआविया (ﷺ) मुसलमान हो चुके थे। और इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज्जतुल विदा में उम्रा करके हलाल नहीं हुये बल्कि हज के बाद हलाल हुये थे। **(2)** 'इब्ने अब्बास ने कहा: नहीं' यानी मैं नहीं जानता। लेकिन सहीह मुस्लिम की रिवायत में इब्ने अब्बास (ﷺ) के अल्फ़ाज़ ये हैं: (ला आलमु हाज़िहि इल्ला हुज्जतन अलैक) (सहीह मुस्लिम, हदीस: 1246) मैं तो उसे आपके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ समझता हूँ क्योंकि आप तमत्तोअ से रोकते हैं। और मर्वा पर आपका रसूलुल्लाह (ﷺ) की हजामत बनाना दलील है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उम्रे के बाद हलाल हुये थे, लिहाज़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) का हज्जे तमत्तोअ हुआ तो फिर तुम क्यों रोकते

हो? बाब वाली रिवायत के आख़री अल्फ़ाज़ भी इसी मानी (सहीह मुस्लिम वाली रिवायत के मानी) की ताईद करते हैं। गोया हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने हज़रत मुआविया(ﷺ) के हजामत बनाने वाले वाक़िये को हज्जतुल विदा से क़ब्ल उम्रे पर महमूल किया है मगर सरीह रिवायत उनके ख़िलाफ़ हैं, इसलिये कुछ मुहक़्क़िक़ीन ने मर्वा पर हजामत बनाने को हज़रत मुआविया (ﷺ) की ग़लतफ़हमती या निस्यान व ख़ता पर महमूल किया है। वल्लाहु आलम! **(3)** हज़रत मुआविया(ﷺ) का तमत्तोअ से रोकना हज़रत उमर और हज़रत उस्मान (ﷺ) की इक़्तेदा के तौर पर था। **(4)** ख़िलाफ़े सुन्नत काम की तर्दीद ज़रूरी है चाहे करने वाला कोई भी हो क्योंकि हक़ सबसे बड़ा है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسٍ، وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ " بِمَا أَهْلَلْتَ " . قُلْتُ أَهْلَلْتُ بِإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ " هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْىٍ " . قُلْتُ لاَ . قَالَ " فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ " . فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ وَإِنِّي لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ . قُلْتُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ

(2739) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं (यमन से) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास (हज्जतुल विदा के मौक़े पर) बतहाअ में हाज़िर हुआ तो आपने फ़रमाया: 'तूने क्या एहराम बाँधा है?' मैंने कहा: मैंने तो नबी (ﷺ) के एहराम की तरह एहराम बाँधा है। आपने फ़रमाया: 'क़ुर्बानी का कोई जानवर साथ लाया है?' मैंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'फिर बैतुल्लाह का तवाफ़ कर और सफ़ा मर्वा की सई कर और हलाल हो जा।' मैंने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। सफ़ा मर्वा की सई की, फिर मैं अपनी क़ौम की एक औरत के पास आया। उसने मेरे सर में कंघी की और मेरा सर धोया। मैं हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर(ﷺ) के दौर में यही फ़तवा दिया करता था (कि हज्जे तमत्तोअ जायज़ है) एक दफ़ा मैंमौसमे हज में (ये फ़तवा दे रहा) था कि मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा: शायद आपको मालूम नहीं कि अमीरुल मोमिनीन (हज़रत उमर)(ﷺ) ने हज के बारे में एक नया हुक्म जारी कर दिया है (कि तमत्तोअ न किया जाये) मैंने कहा: ऐ लोगो! जिसे हमने (इस क़िस्म का) कोई

بِشَيْءٍ فَلْيَتَّئِدْ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَائْتَمُّوا بِهِ فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ قَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ نَبِيَّنَا صلى الله عليه وسلم لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْىَ .

फ़तवा दिया है, वह ज़रा ठहर जाये (उस पर अ़मल न करे) हज़रत अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे पास आने ही वाले हैं तो उनकी इक़्तेदा करना। जब हज़रत उ़मर (ﷺ) तशरीफ़ लाये तो मैंने अ़र्ज़ किया: अमीरुल मोमिनीन! क्या (अ़जीब) हुक्म है जो आपने हज के बारे में जारी किया है? वह फ़रमाने लगे: अगर हम अल्लाह की किताब को लें तो अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया है: 'हज और उ़म्रा अल्लाह तआ़ला के लिये पूरा करो।' (यानी दरम्यान में हलाल न हो) और अगर हम नबी(ﷺ) की सुन्नत को लें तो नबी (ﷺ) हलाल नहीं हुये थे यहाँ तक कि आपने क़ुर्बानी ज़बह फ़रमाई।

(2739) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1221, बुख़ारी, हदीस: 1559, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3718.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'नबी (ﷺ) के एहराम की तरह' यानी मैंने एहराम बाँधते वक़्त कहा था कि मैं एहराम बाँधता हूँ नबी (ﷺ) के एहराम की तरह। वरना उन्हें उस वक़्त पता न था कि नबी (ﷺ) ने क्या एहराम बाँधा है। **(2)** हज़रत अबू मूसा (ﷺ) को ख़ुद नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने यमन भेजा था क्योंकि ये भी यमनी थे, फिर ये हज्जतुल विदा की इत्तिला पर यमन से मक्का पहुँचे। **(3)** हज़रत उ़मर (ﷺ) का इस्तेदलाल ये है कि क़ुर्आन मजीद भी इत्माम का हुक्म देता है। ज़ाहिर है हज की नियत रखने वाले का उ़म्रा करके हलाल हो जाना हज के इत्माम के ख़िलाफ़ है क्योंकि अभी हज तो हुआ ही नहीं, वह हलाल भी हो गया। हाँ जो आदमी जाये ही उ़म्रे की नियत से, वह उ़म्रे का एहराम बाँधे और उ़म्रा करके हलाल हो मगर हज की नियत वाला उ़म्रे का एहराम क्यों बाँधे? और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी हज ही का एहराम बाँधा था। बावजूद उ़म्रा दाख़िल होने के फिर भी हलाल हज की तकमील के बाद ही हुये थे। बाक़ी रहा आपका सहाबा को ये हुक्म देना कि हज के एहराम को उ़म्रे के एहराम में बदल कर उ़म्रा करके हलाल हो जाओ, ये मख़्सूस हुक्म था जो मख़्सूस हालत में वह्य की बिना पर हंगामी तौर पर जारी किया गया। ये हमेशा के लिये है, लिहाज़ा अब जो हज करना चाहता है, वह हज ही का एहराम बाँधे या फिर हज और उ़म्रे का इकट्ठा एहराम बाँधे और हज की तकमील के बाद ही

एहराम ख़त्म करे। सय्यदना उमर फ़ारूक़ (ﷺ) के इस इज्तेहाद में कोई शक नहीं लेकिन साहिबे कुर्आन का अमल और तमत्तोअ के लिये आपका हुक्म यक़ीनन मुक़द्दम है क्योंकि आप ही शारेअ हैं, और ये कोई वक़्ती हुक्म न था जैसा कि सय्यदना उमर वग़ैरह ने समझा बल्कि ये इस्तेहबाब हमेशा के लिये है जैसा कि एक साइल के जवाब में आप (ﷺ) ने फ़रमाया कि उम्रा हज में ता'क़यामत दाख़िल हो गया। इससे तख़्सीस का मौक़िफ़ कमज़ोर ठहरता है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ تَمَتَّعَ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ قَالَ فِيهَا قَائِلٌ بِرَأْيِهِ .

(2740) हज़रत मुतर्रिफ़ फ़रमाते हैं कि हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) ने मुझसे कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तमत्तोअ फ़रमाया: हमने भी आपके साथ तमत्तोअ किया, फिर एक कहने वाले ने अपनी राय से कहा (कि तमत्तोअ नहीं करना चाहिए)

(2740) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2729, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3719.

باب:(٥١) تَرْكِ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الإِهْلاَلِ

बाब : (51) लब्बैक कहते वक़्त हज या उम्रे का नाम न लेना

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَثَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ حِجَجٍ ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجٍّ هَذَا الْعَامِ فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2741) हज़रत मुहम्मद (बाक़िर) (رحمه الله) बयान करते हैं कि हम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) के पास आये और उनसे नबी(ﷺ) के हज के बारे में पूछा तो उन्होंने बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को मदीने में रहते हुये नौ साल हो चुके थे, फिर (दसवें साल) तमाम लोगों में ऐलान कर दिया गया कि इस साल रसूलुल्लाह (ﷺ) हज के लिये तशरीफ़ ले जायेंगे, लिहाज़ा बहुत ज़्यादा लोग मदीना मुनव्वरा आ गये। हर एक की ख़्वाहिश थी कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) की इक़्तिदा में हज करे और जिस तरह आप हज करें वह भी उसी तरह करे रसूल (ﷺ) हज के

وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَخَرَجْنَا مَعَهُ قَالَ جَابِرٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا عَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا فَخَرَجْنَا لاَ نَنْوِي إِلاَّ الْحَجَّ .

लिये निकले तो ज़ुलक़अदा के पाँच दिन बाक़ी थे। हम भी आपके साथ निकले। रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे दरम्यान थे। आप पर वह्य उतरती थी और आप ही क़ुर्आन मजीद की सही तफ़्सीर जानते थे, लिहाज़ा जो आपने किया, हमने भी किया। हम (मदीना मुनव्वरा से) निकले तो हमारी नियत हज ही की थी।

(2741) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2713, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3720.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'नौ साल' आपने इस दौरान में उम्रे तो तीन किये मगर हज नहीं फ़रमाया। **(2)** 'ऐलान करवाया गया' ताकि तमाम मौजूद मुसलमानों को रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ियारत, सहाबियत और इक़्तेदा का शर्फ़ हासिल हो। हज के अफ़आल बराहे रास्त आपसे सीखें। आपसे शरीयत के दीगर मसाइल का इल्म हासिल करें और मुसलमानों की इज्तेमाईयत और शान व शौकत का इज़्हार हो। **(3)** 'नियत हज की थी' यानी मदीने से निकलते वक़्त वरना एहराम के वक़्त तो कुछ लोगों ने उम्रे का एहराम भी बाँधा था जैसा कि पीछे गुज़रा। या अक्सरियत की बात है। **(4)** इमाम नसाई (رحمه الله) ने शायद नियत के अल्फ़ाज़ से ये इस्तिम्बात किया है कि हज या उम्रे की सराहत ज़रूरी नहीं। वैसे इस हदीस में मुताल्लिक़ा मसले की वज़ाहत नहीं। बहुत सी रिवायात में (लब्बैक बिउम्रतिव व हज्जा) के अल्फ़ाज़ सराहतन रसूलुल्लाह (ﷺ) से मज़्कूर हैं। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1563, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1232) वैसे इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि नियत काफ़ी है। लब्बैक के साथ हज या उम्रे की सराहत ज़रूरी नहीं, अलबत्ता इब्तेदाई लब्बैक में ज़िक्र हो तो अच्छी बात है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجْنَا لاَ نَنْوِي إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2742) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि हम (हज्जतुल विदा में) निकले तो हमारी नियत सिर्फ़ हज की थी। जब हम सरिफ़ के मक़ाम पर पहुँचे तो मुझे हैज़ शुरू हो गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाये तो मैं रो रही थी। आपने फ़रमाया: 'क्या तुझे हैज़ शुरू हो गया है?' मैंने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: '(कोई बात नहीं) ये ऐसी चीज़ है जो आदम की बेटियों पर अल्लाह

وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ " أَحِضْتِ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " إِنَّ هَذَا شَىْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْمُحْرِمُ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ " .

तआला की तरफ़ से मुक़र्रर है, लिहाज़ा जो दूसरे मुहरिम करें, तू भी करती रह मगर बैतुल्लाह का तवाफ़ न करना।'

(2742) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 291, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3721.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'सरिफ़ के मक़ाम पर पहुँचे' यहाँ हदीस में इख़्तिसार है कि हमारी नियत तो हज की थी मगर आपने क़ुर्बानी न लाने वाले अफ़राद को हज का एहराम उम्रे में तब्दील करने का हुक्म दिया। मैंने भी हज का एहराम उम्रे में तब्दील कर लिया मगर अब हैज़ शुरू हो गया। इस वजह से सय्यदा आयशा (ﷺ) को परेशानी लाहक़ हुई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मज़्कूरा तरीक़े की वज़ाहत फ़रमा कर परेशानी दूर फ़रमा दी। **(2)** 'जो दूसरे मुहरिम करें' दूसरे मानी ये भी हो सकते हैं कि जो मुहरिम करता है, वह तू भी कर।

باب:(٥٢) الْحَجِّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ يَقْصِدُهُ الْمُحْرِمُ

बाब : (52) मुहरिम का नियत मुअय्यन किये बग़ैर एहराम बाँधना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ، قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلْتُ مِنَ الْيَمَنِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ حَيْثُ حَجَّ فَقَالَ " أَحَجَجْتَ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " كَيْفَ قُلْتَ " . قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَحِلَّ " . فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً فَفَلَتْ رَأْسِي

(2743) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) से मरवी है कि मैं (हज्जतुल विदा के मौक़े पर) यमन से आया तो नबी (ﷺ) ने बतहाअ (मक्का) में पड़ाव डाल रखा था। आपने फ़रमाया: 'तूने एहराम बाँधा है?' मैंने अर्ज़ किया: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'कैसे बाँधा है?' उन्होंने कहा: मैंने कहा था: उस एहराम के साथ जो नबी (ﷺ) का एहराम है, लब्बैक कहता हूँ। आपने फ़रमाया: 'बैतुल्लाह का तवाफ़ करो और सफ़ा मर्वा की सई करो और हलाल हो जाओ।' मैंने इसी तरह किया, फिर मैं (अपने क़बीले की) एक औरत के पास आया तो उसने मेरे सर से जूएँ निकालीं। मैं लोगों को इस बात का फ़तवा दिया करता था (कि तमत्तोअ जायज़ है) यहाँ तक कि हज़रत उमर (ﷺ) की ख़िलाफ़त का

فَجَعَلْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ حَتَّى كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا مُوسَى رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ . قَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فَلْيَتَّئِدْ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَائْتَمُّوا بِهِ . وَقَالَ عُمَرُ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ .

दौर आ गया तो एक आदमी ने मुझसे कहा: ऐ अबू मूसा! अपना ये फ़तवा रोक लो। शायद तुम नहीं जानते कि अमीरुल मोमिनीन ने तुम्हारे बाद हज के बारे में क्या नया हुक्म जारी किया है? मैंने कहा: ऐ लोगो! जिस शख़्स को हमने ये फ़तवा दिया हो, वह ज़रा इन्तेज़ार कर ले (यानी उस पर अमल न करे), हज़रत अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे पास तशरीफ़ लाने वाले हैं तो तुम उनके हुक्म की पाबन्दी करना। हज़रत उमर (ﷺ) (आये तो मेरे इस्तेफ़सार पर) कहने लगे: अगर हम अल्लाह की किताब को लें तो वह हमें मुकम्मल करने का हुक्म देती है और अगर नबी (ﷺ) की सुन्नते मुबारका को लें तो नबी (ﷺ) हलाल नहीं हुये थे यहाँ तक कि क़ुर्बानियाँ ज़बह हो गईं।

(2743) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2739, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3722, बुख़ारी, हदीस: 1565, मुस्लिम, हदीस: 1221.

फ़ायदा : बाब का मक़सद ये है कि एहराम बाँधते वक़्त कोई ज़रूरी नहीं कि हज या उम्रे की मुअय्यन नियत की जाये बल्कि किसी दूसरे की नियत से उन्हें मुतालिल्लक़ भी किया जा सकता है। अलबत्ता अफ़आल शुरू करने से क़ब्ल तअईन हो जाना ज़रूरी है जैसा कि ऊपर दी गई सूरत में हुआ कि हज़रत अबू मूसा (ﷺ) ने इब्तिदाअन तो एहराम मुब्हम रखा (कइहलालिन्नबी), फिर अफ़आल शुरू होने से क़ब्ल आपने वज़ाहत फ़रमा दी कि उम्रा करके हलाल हो जाओ। आइन्दा हदीस में भी यही सूरत है। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2739)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه

(2744) हज़रत मुहम्मद (बाक़िर) (رحمه الله) से मरवी है कि हम हज़रत जाबिर (ﷺ) के पास आये और हमने उनसे नबी (ﷺ) के हज के बारे में पूछा तो उन्होंने बयान फ़रमाया कि हज़रत अली (ﷺ) यमन से क़ुर्बानी के जानवर लेकर आये और

رसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना मुनव्वरा से कुर्बानी के जानवर लेकर आये। आपने हज़रत अली (رضي الله عنه) से पूछा: 'तुमने क्या एहराम बाँधा है?' उन्होंने कहा: मैंने कहा है: मैं एहराम बाँधता हूँ रसूलुल्लाह (ﷺ) के एहराम की तरह। और मेरे साथ क़ुर्बानी के जानवर भी हैं। आपने फ़रमाया: 'फिर तुम (उम्रा करके) हलाल न होना।'

وسلم فَحَدَّثَنَا أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْيٍ وَسَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ هَدْيًا قَالَ لِعَلِيٍّ " بِمَا أَهْلَلْتَ " . قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعِيَ الْهَدْىُ . قَالَ " فَلاَ تَحِلَّ " .

(2744) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2713, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3723, 3724.

फ़ायदा : हज़रत अली (رضي الله عنه) के साथ कुर्बानी के जानवर थे, लिहाज़ा वह उनके ज़बह करने से पेशतर हलाल न हो सकते थे। हज़रत अली (رضي الله عنه) का एहराम भी मुब्हम और रसूलुल्लाह (ﷺ) के एहराम के साथ मुअल्लक़ था, यानी एहराम में जो नियत रसूलुल्लाह (ﷺ) की थी वही हज़रत अली (رضي الله عنه) की भी थी। इसमें हज या उम्रे की तअय्युन नहीं थी।

(2745) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हज़रत अली (رضي الله عنه) यमन की हुक्मरानी से फ़ारिग़ होकर आये तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अली! तुमने क्या एहराम बाँधा है?' उन्होंने कहा: जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एहराम बाँधा है। आपने फ़रमाया: 'कुर्बानी के जानवर (कुर्बानी वाले दिन) ज़बह करना और उस वक़्त तक मुहरिम रहो जैसे कि तुम हो।' हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) ने फ़रमाया कि हज़रत अली (رضي الله عنه) अपने लिये कुर्बानी के जानवर लाये थे।

أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ قَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ سِعَايَتِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ " . قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ " فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ " . قَالَ وَأَهْدَى عَلِيٌّ لَهُ هَدْيًا .

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4352, मुस्लिम, हदीस: 1216, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3725.

(2746) हज़रत बराअ (رضي الله عنه) से मरवी है कि जब नबी (ﷺ) ने हज़रत अली (رضي الله عنه) को यमन पर हाकिम मुक़र्रर फ़रमाया तो मैं भी उनके साथ था।

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ حَدَّثَنَا

حَجَّاجٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ أَمَّرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْيَمَنِ فَأَصَبْتُ مَعَهُ أَوَاقِيَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ عَلِيٌّ وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ نَضَحَتِ الْبَيْتَ بِنَضُوحٍ قَالَ فَتَخَطَّيْتُهُ فَقَالَتْ لِي مَا لَكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَحَلُّوا قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَهْلَلْتُ بِإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي " كَيْفَ صَنَعْتَ " . قُلْتُ إِنِّي أَهْلَلْتُ بِمَا أَهْلَلْتَ . قَالَ " فَإِنِّي قَدْ سُقْتُ الْهَدْىَ وَقَرَنْتُ " .

मुझे भी उनके साथ कुछ औक़िये मिले थे, फिर जब हज़रत अली (ﷺ) नबी (ﷺ) के पास (यमन से हज्जतुल विदा में मक्का) आये तो हज़रत अली (ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने देखा कि हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) ने घर को ख़ुशबू लगा रखी थी। मैं (हज़रत फ़ातिमा की तरफ़ तवज्जा किये बग़ैर) घर से गुज़र गया तो वह मुझे कहने लगीं: क्या वजह है? (आप तवज्जा नहीं फ़रमा रहे)? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने सहाबा को ख़ुद हुक्म दिया है और वह हलाल हो चुके हैं। मैंने कहा: मैंने तो नबी (ﷺ) के एहराम की तरह एहराम बाँधा है, फिर मैं नबी (ﷺ) के पास आया। आपने फ़रमाया: 'तुमने कैसे एहराम बाँधा है?' मैंने कहा: मैंने आपके एहराम की तरह एहराम बाँधा है। आपने फ़रमाया: 'मैं क़ुर्बानी के जानवर साथ लाया हूँ और मैंने हज और उम्रे का इकट्ठा एहराम बाँधा है।'

(2746) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2726, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3726.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत शवाहिद की बिना पर सही है जैसा कि तफ़्सील हदीस नम्बर: 2726 के फ़वाइद में गुज़र चुकी है। **(2)** 'औक़िये मिले थे' औक़िया चालीस दिरहम का होता है। मालूम होता है वक़्ती तौर पर ज़कात वग़ैरह इकट्ठी करने पर मुक़र्रर किये गये होंगे तो उस काम के ऐवज़ उन्हें कुछ औक़िये मिले। **(3)** 'ख़ुशबू लगा रखी थी' क्योंकि वह उम्रा करके हलाल हो चुकी थीं और उन्हें तवक़्क़ो थी कि हज़रत अली (ﷺ) भी हलाल हो जायेंगे लेकिन चूंकि हज़रत अली(ﷺ) के साथ क़ुर्बानी के जानवर थे, लिहाज़ा वह यौमे नहर से पहले हलाल नहीं हो सकते थे।

बाब : (53) जब कोई शख़्स उम्रे का एहराम बाँधे तो क्या उसके साथ हज भी (शामिल) कर सकता है?

باب:(٥٣) إِذَا أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ هَلْ يَجْعَلُ مَعَهَا حَجًّا

(2747) हज़रत नाफ़ेअ से मन्क़ूल है कि जिस साल हज्जाज ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर(ﷺ) पर हमला किया तो हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) ने उस साल हज का इरादा फ़रमाया। उनसे कहा गया कि इन (हज्जाज और इब्ने ज़ुबैर) के दरम्यान लड़ाई होगी और ख़तरा है कि लोग आपको बैतुल्लाह से रोकें। उन्होंने फ़रमाया: (क़ुर्आन में है:) 'यक़ीनन तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) के तर्ज़े अमल में बेहतरीन नमूना है।' ऐसी सूरत में मैं उस तरह करूँगा जिस तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (सुलह हुदैबिया के ज़माने में) किया था। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उम्रे का एहराम बाँध कर उसे अपने आप पर वाजिब कर लिया है, फिर वह निकले यहाँ तक कि जब वह बैदा (मक़ाम) पर पहुँचे तो कहने लगे: हज और उम्रे का मामला (अगर मैं बैतुल्लाह तक न पहुँच सका) तो एक ही है, लिहाज़ा मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने उम्रे के साथ हज भी वाजिब कर लिया है (यानी एहराम में हज को भी दाख़िल कर लिया है) फिर उन्होंने क़ुर्बानी का जानवर भी साथ ले लिया जो उन्होंने क़ुदैद से ख़रीदा था, फिर वह दोनों (हज व उम्रा) की लब्बैक कहते हुये चले यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा पहुँच गये। बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। सफ़ा मर्वा की सई की और उससे ज़्यादा कुछ न

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَأَنَا أَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ . قَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً . ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي . وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ ثُمَّ انْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ فَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ

किया। (उस वक़्त) न क़ुर्बानी की, न सर मुण्डवाया, न बाल कटवाये और न किसी हराम चीज़ से हलाल हुये यहाँ तक कि क़ुर्बानियों का दिन आ गया, फिर उन्होंने क़ुर्बानी ज़बह की और सर मुण्डवाया और उन्होंने ये ख़्याल किया कि उन्होंने पहले तवाफ़ के साथ अपने हज व उम्रे का तवाफ़ मुकम्मल कर लिया है। हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसे ही किया था।

كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(2747) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 1640, मुस्लिम, हदीस: 1230/182, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3727.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) ने यज़ीद की हुकूमत के ख़िलाफ़ मक्के में पनाह ले रखी थी, फिर उन्होंने ख़िलाफ़त का दावा कर दिया। अहले इस्लाम के बहुत से इलाक़ों ने उनकी बैअत कर ली। इधर मरवान की वफ़ात के बाद उनका बेटा अब्दुल मलिक ख़लीफ़ा बना तो उसने आहिस्ता आहिस्ता हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) का इलाक़-ए-हुकूमत कम करना शुरू कर दिया यहाँ तक कि उनका तसल्लुत सिर्फ़ मक्के की हद तक रह गया। 73 हिजरी में अब्दुल मलिक ने हज्जाज को उनका क़लअ क़मअ करने के लिये भेजा। हज्जाज ने मक्का मुकर्रमा का मुहासरा करके लड़ाई शुरू कर दी। आख़िरकार हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) शहीद हो गये और उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। रहे नाम अल्लाह का। इस साल ख़तरा था कि शायद हज के दिनों से पहले लड़ाई ख़त्म न हो और हज न हो सके, मगर लड़ाई पहले ही ख़त्म हो गई और बाक़ायदा हज हुआ। **(2)** इससे मालूम हुआ कि हज का इरादा रखने वाले को अगर रास्ते में ख़तरा हो तो उसके बावजूद वह हज की नियत से निकल सकता है बशर्ते कि उसे यक़ीन न हो बल्कि बच जाने की भी उम्मीद हो। ये 'अपने आप को हलाकत में डालना' नहीं है। **(3)** बेहतरीन नमूना हैं' उनका मतलब ये था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को भी उम्र-ए-हुदैबिया में बैतुल्लाह तक पहुँचने से रोक दिया गया था, जैसे आपने किया, हम उसी तरह करेंगे। जहाँ रोक दिये गये, वहाँ क़ुर्बानियाँ ज़बह कर देंगे, हजामत बनवायेंगे और हलाल हो जायेंगे। **(4)** 'पहले तवाफ़ के साथ' इस जुम्ले का ज़ाहिरी मतलब ये है कि उन्होंने बैतुल्लाह पहुँचते वक़्त जो तवाफ़े क़ुदूम और सई किये थे, उन्हें काफ़ी समझा और मज़ीद तवाफ़ नहीं किया। लेकिन ये मफ़हूम दुरुस्त नहीं क्योंकि यौमे नहर को तवाफ़ करना क़तई बात है। इसके बग़ैर हज

नहीं होता, लिहाज़ा इस जुम्ले का मफ़हूम या तो ये होगा कि उन्होंने हलाल होने के लिये पहले तवाफ़ व सई ही को काफ़ी समझा। फ़र्ज़ तवाफ़ का इन्तेज़ार नहीं किया बल्कि वह बाद में किया। और ये बिल्कुल सही है। यौमे नहर में तो क़ुर्बानी के बाद एहराम ख़त्म हो जाता है, तवाफ़ हलाल होने के बाद किया जाता है। या तवाफ़ से सई मुराद ली जाये, यानी उन्होंने पहली सई (जो तवाफ़े क़दूम के साथ की थी) ही को काफ़ी समझा और यौमे नहर के तवाफ़ के बाद सई नहीं की। इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) क़िरान (हज व उम्रा इकट्ठा करना) की सूरत में इसी के क़ाइल हैं कि अगर पहले सई की हो तो यौमे नहर को सई की ज़रूरत नहीं। और सिर्फ़ हज की सूरत में अहनाफ़ भी इसी बात के क़ाइल हैं। ये दो मफ़हूम मुराद हों तो ये जुम्ला सही है वरना ये जुम्ला दीगर कसीर रिवायात के ख़िलाफ़ होने की वजह से ग़ैर मोतबर है। (सई को भी तवाफ़ कह लिया जाता है)

बाब : (54) लब्बैक कैसे कहा जाये?

باب:(٥٤) كَيْفَ التَّلْبِيَةُ

(2748) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को लब्बैक कहते सुना। आप फ़रमा रहे थे: (लब्बैक अल्लाहुम्मा! लब्बैक .... ला शरीक लक) 'मैं हाज़िर हूँ। ऐ अल्लाह! मैं हाज़िर हूँ। मैं हाज़िर हूँ। तेरा कोई शरीक नहीं। मैं हाज़िर हूँ। बिला शुब्हा तमाम तारीफ़ें और एहसानात तेरे साथ ख़ास हैं और हुकूमत भी तेरी है। तेरा कोई शरीक नहीं।' हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) कहा करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ुल हुलैफ़ा में दो रकअतें पढ़ते थे, फिर जब ऊँटनी ज़ुल हुलैफ़ा की मस्जिद में आप को लेकर खड़ी होती तो आप बलन्द आवाज़ से ये कलिमात अदा फ़रमाते।

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ إِنَّ سَالِمًا أَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ يَقُولُ " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ " . وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ .

(2740) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1284/21, बुख़ारी, हदीस: 5915, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3728.

फ़वाइद व मसाइल : (1) एहराम में दिल की नियत असल है लेकिन इसके साथ ज़बान से लब्बैक की अदायगी का एहतिमाम भी होना चाहिए। सिर्फ़ दो अन सिली सादा चादरें पहनने से एहराम शुरू नहीं

होता जब तक दिल की नियत और लब्बैक की अदायगी न हो। (2) लब्बैक आम तौर पर किसी के बुलाने के जवाब में कहा जाता है। ग़ालिबन ये लब्बैक उस ऐलान के जवाब में है जो इब्राहीम(ﷺ) ने हज की फ़र्ज़ीयत के बारे में बैतुल्लाह की तकमील के बाद किया था क्योंकि इस ऐलान का ताल्लुक़ हर इन्सान से उस वक़्त होता है जब वह हज करने जाता है। (याद रहे कि यहाँ हज से मुराद हज और उ़म्रा दोनों हैं क्योंकि उ़म्रे को हज्जे असग़र भी कहा जाता है। (3) लब्बैक मुख़्तसर है एक लम्बे जुम्ले से, जिसके मानी हैं: ऐ अल्लाह! मैं तेरे हुज़ूर बार बार अपने आपको पेश करता हूँ। अगरचे अल्लाह तआ़ला के सामने पेशी नमाज़ वग़ैरह में भी है लेकिन हज की पेशी एक ख़ुसूसी रंग रखती है, लिहाज़ा लब्बैक हज ही के साथ ख़ास़ है। (4) लब्बैक पुकारने को 'इह्लाल' कहा जाता है क्योंकि 'इह्लाल' के मानी हैं, आवाज़ बलन्द करना। चूंकि लब्बैक बलन्द आवाज़ से पुकारी जाती है लिहाज़ा उसे 'इह्लाल' कहते हैं, फिर चूंकि लब्बैक से एहराम शुरू होता है, इसलिये 'इह्लाल' एहराम के मानी में भी आता है। (5) 'जब ऊँटनी आपको लेकर खड़ी होती' एहराम का तरीक़ा ये है कि ग़ुस्ल करके अन सिली और सादा दो चादरें तहबन्द और क़मीस़ की जगह लपेट ली जायें, फिर फ़ौरन लब्बैक शुरू कर दिया जाये और फिर वक़्तन फ़वक़्तन बलन्द आवाज़ से लब्बैक पुकारते रहें। उ़म्रे वाला हरम तक और हज वाला 10 तारीख़ को रमी की आख़री कंकरी के साथ तल्बीया बन्द करेगा। नबी (ﷺ) ने नमाज़ के फ़ौरन बाद ही लब्बैक कह दिया था मगर वह चन्द क़रीबी अफ़राद ने सुना, फिर जब आप सवारी पर सवार हुये तो फिर लब्बैक पुकारा जो पहले से ज़्यादा लेगों ने सुना मगर सब ने नहीं, फिर आप बैदाअ के टीले पर चढ़े तो फिर लब्बैक पुकारा जो तक़रीबन सब ने सुना। जिसने जहाँ सुना, बयान कर दिया, कोई इख़्तिलाफ़ नहीं। (6) तल्बीया आपने सबसे पहले कौनसी नमाज़ के बाद पुकारा? एक राय के मुताबिक़ नमाज़े फ़ज्र के बाद। मौक़िफ़े हाज़ा (इस मोक़िफ़) की दलील में स़हीह बुख़ारी की हदीस़ पेश की जाती है। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 1551) लेकिन इस हदीस़ में इसकी कोई स़राहत नहीं। स़हीह मुस्लिम (हदीस़: 1243) और सुनन नसाई (हदीस़: 2756) की रिवायत से मालूम होता है कि ये नमाज़े ज़ुहर थी और यही दुरुस्त है क्योंकि नबी (ﷺ) अ़स्र के वक़्त ज़ुल हुलैफ़ा पहुँचे थे, और आपने अ़स्र की नमाज़ क़स्र, यानी दो रकअ़त अदा फ़रमाई थी, फिर रात आपने ज़ुल हुलैफ़ा ही में गुज़ारी और दूसरे रोज़ नमाज़े ज़ुहर के फ़ौरन बाद तल्बीये का आग़ाज़ फ़रमाया, फिर जब आप ऊँटनी पर बैठ गये तो तल्बीया पुकारा और इसी तरह बैदाअ (टीले) पर तल्बीया पुकारा। (7) कुछ रिवायात में है, नबी (ﷺ) ने ज़ुल हुलैफ़ा में नमाज़ पढ़ी (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 1532) ये नमाज़ एहराम की दो रकअ़तें थीं या अ़स्र के दो फ़र्ज़ थे? हाफ़िज़ इब्ने हजर(رحمه الله) ने लिखा है कि ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ से दोनों बातें मुहतमिल हैं, लेकिन दूसरी रिवायात में स़राहत है कि आपने ज़ुल हुलैफ़ा में जो दो रकअ़तें अदा फ़रमाई थीं, वह अ़स्र की नमाज़े दोगाना थी। देखिये: (फ़तहुलबारी: 3/493, मतबूअ़ दारुस्सलाम, ज़ेरे बहस़ हदीस़: 1532) इसलिये

इसे एहराम बाँधने के बाद दो रकअत पढ़ने के हुक्म या इस्तेहबाब के लिये नस क़रार नहीं दिया जा सकता, अलबत्ता कुछ दूसरी रिवायात से ये बात मालूम होती है कि नबी (ﷺ) आते जाते ज़ुल हुलैफ़ा में दो रकअत पढ़ा करते थे। इससे मुत्लक़न ज़ुल हुलैफ़ा में बतौर तबर्रुक के दो रकअत पढ़ने का जवाज़ या इस्तेहबाब तो मालूम होता है लेकिन एहराम के वक़्त या एहराम बाँधने के बाद दो रकअत पढ़ने का इस्बात नहीं होता। शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने भी लिखा है कि एहराम की कोई मख़्सूस नमाज़ नहीं, अलबत्ता वह वक़्त फ़र्ज़ नमाज़ का हो तो नमाज़ के बाद एहराम बाँधा जाये, रसूलुल्लाह(ﷺ) का उस्वा भी यही है। (मनासिकुल हज्ज वल्उम्रा, लिल अल्बानी, सफ़ा: 15, 16, मक्तबा अल मआरिफ़, रियाज़)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ زَيْدًا، وَأَبَا، بَكْرٍ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا نَافِعًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ ".

(2749) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) यूँ लब्बैक कहते थे: (लब्बैक अल्लाहुम्मा! लब्बैक ......) 'मैं हाज़िर हूँ। ऐ अल्लाह! मैं हाज़िर हूँ। बार बार हाज़िर हूँ। तेरा कोई शरीक नहीं। मैं हाज़िर हूँ। यक़ीनन तमाम तारीफ़ें और एहसानात तेरे साथ ही ख़ास हैं और हुकूमत भी तेरी ही है। तेरा कोई शरीक नहीं।'

(2749) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/43, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3729.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ " .

(2750) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की लब्बैक इस तरह थी (लब्बैक अल्लाहुम्मा! लब्बैक ...) 'मैं हाज़िर हूँ। ऐ अल्लाह! मैं हाज़िर हूँ। बार बार हाज़िर हूँ। तेरा कोई शरीक नहीं। मैं हाज़िर हूँ। यक़ीनन तमाम तारीफ़ें तेरे लिये हैं और इनामात तेरे साथ ख़ास हैं और हुकूमत भी तेरी ही है। तेरा कोई शरीक नहीं।'

(2750) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1549, मुस्लिम, हदीस: 1184, मौता: 1/331, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3730.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ " . وَزَادَ فِيهِ ابْنُ عُمَرَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ .

(2751) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की लब्बैक इस तरह थी: (लब्बैक अल्लाहुम्मा! लब्बैक ....) 'हाज़िर हूँ। ऐ अल्लाह! मैं हाज़िर हूँ। मैं हाज़िर हूँ तेरा कोई शरीक नहीं। मैं हाज़िर हूँ। बिलाशुब्हा तारीफ़ और एहसानात तेरे साथ ख़ास हैं और हुकूमत भी। तेरा कोई शरीक नहीं।' हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने इसमें ये अल्फ़ाज़ (अपनी तरफ़ से) बढ़ाये: (लब्बैक व सअ्दैक, वल्ख़ैरु फ़ी यदैक, वर्रग़बाउ इलैक वलअमलु) 'हाज़िर हूँ, हाज़िर हूँ और अपने आपको तेरे हुज़ूर पेश करता हूँ। हर क़िस्म की भलाई तेरे ही हाथों में है। हमारा माँगना भी तुझी से है और अमल भी तेरे ही लिये है।'

(2751) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3731.

फ़ायदा : अल्फ़ाज़े तल्बीया में अफ़ज़ल यही है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के तल्बीये पर इक़्तेसार (बस) किया जाये लेकिन अगर कोई इसमें इज़ाफ़ा करता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं चूंकि कुछ सहाब-ए-किराम(ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की मौजूदगी में तल्बीया के अल्फ़ाज़ में इज़ाफ़ा किया था जिस पर आपने ख़ामोशी इख़्तियार फ़रमाई, तो साबित हुआ कि तल्बीया के अल्फ़ाज़ में ऐसा इज़ाफ़ा किया जा सकता है जो अल्लाह की ताज़ीम पर मबनी हो, यही क़ौल जुम्हूर उलमा का है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 24/220-221)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ

(2752) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) की लब्बैक यूँ थी: (लब्बैक अल्लाहुम्मा! लब्बैक ......) 'हाज़िर हूँ। ऐ अल्लाह! मैं हाज़िर हूँ। बार बार हाज़िर हूँ। तेरा कोई शरीक नहीं। हाज़िर हूँ। यक़ीनन तमाम तारीफ़ें और इनामात तेरे लिये ख़ास हैं।'

(2752) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद:

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ " .

1/410, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3732, देखें, हदीस: 3049.

फ़ायदा : ये रिवायत मुख़्तसर है। गुज़िश्ता मुफ़स्सल रिवायात में तल्बीये के मुकम्मल अल्फ़ाज़ मौजूद हैं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ إِلاَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْهُ مُرْسَلاً .

(2753) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) की लब्बैक ये थी: (लब्बैक इलाहल हक़) 'मैं हाज़िर हूँ ऐ माबूदे बरहक़।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (ﷺ)) बयान करते हैं कि मैं नहीं जानता कि इस रिवायत को अब्दुल अज़ीज़ के अलावा किसी और ने अब्दुल्लाह बिन फ़ज़्ल से मरफ़ूअ मुत्तसिल बयान किया हो, बल्कि इस्माईल बिन उमैया ने उनसे ये रिवायत मुर्सल बयान की है। (गोया इमाम नसाई अब्दुल अज़ीज की रिवायत को दुरुस्त नहीं समझ रहे)

(2753) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2920, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3733, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 4/172, हदीस: 2623, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 975, वल हाकिम: 1/449, 450.

باب:(٥٥) رَفْعِ الصَّوْتِ بِالإِهْلاَلِ

बाब : (55) बलन्द आवाज़ से लब्बैक कहना

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى

(2754) हज़रत साइब (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरे पास जिब्रील(ﷺ) आये और कहने लगे: ऐ मुहम्मद! अपने साथियों को हुक्म दें कि लब्बैक बलन्द आवाज़ से कहें।'

الله عليه وسلم قَالَ " جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ " .

(2754) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 829, व इब्ने माजा, हदीस: 2922, अल हुमैदी, हदीस: 855, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3734, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2625, 2627, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 974 वग़ैरह.

फ़ायदा : ज़िक्र अगरचे आहिस्ता बेहतर होता है मगर जो ज़िक्र शिआर का दर्जा हासिल कर ले और हर किसी पर लाज़िम हो, उसे बलन्द आवाज़ से अदा करना अफ़ज़ल होता है जैसे तकबीरात और लब्बैक वग़ैरह, ताकि दूसरों को भी रग़बत हो और जो शख़्स नहीं जानता, वह भी सीख ले, और तल्बीया एहराम की ख़ुसूसी अलामत है क्योंकि लिबास तो कोई भी पहन सकता है, लिहाज़ा तल्बीया बलन्द आवाज़ से कहा जाये ताकि एहराम का ऐलान हो जैसे क़ुर्बानी के जानवर (जो बैतुल्लाह को भेजे जायें) के गले में क़लादा डालना।

باب:(٥٦) الْعَمَلِ فِي الإِهْلاَلِ

बाब : (56) एहराम का अमल

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ.

(2755) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ के बाद तल्बीया पुकारा।

(2755) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 819, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3735.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, बशर्ते सेहत इससे एहराम की नमाज़ मुराद नहीं जैसा कि कुछ लोग समझते हैं बल्कि ज़ुहर की नमाज़ थी, जिसके बाद आपने तल्बीया कहा, चुनांचे अगली रिवायत में इसकी सराहत है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ ثُمَّ رَكِبَ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ .

(2756) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ुहर की नमाज़ बैदाअ में पढ़ी, फिर सवार हुये और बैदाअ के पहाड़ पर चढ़े और जब ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी थी, उसी वक़्त हज और उम्रे की लब्बैक कही थी।

(2756) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2663, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3736.

أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى وَهُوَ صَامِتٌ حَتَّى أَتَى الْبَيْدَاءَ .

(2757) हज़रत जाबिर (ﷺ) से नबी (ﷺ) के हज्जतुल विदा के बारे में रिवायत है कि जब आप(ﷺ) ज़ुल हुलैफ़ा में तशरीफ़ लाये तो आपने नमाज़ पढ़ी। आप (लब्बैक से) ख़ामोश रहे यहाँ तक कि बैदाअ में पहुँचे।

(2757) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3737, देखें, हदीस: 2712.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ .

(2758) हज़रत सालिम ने अपने वालिद (हज़रत इब्ने उमर (ﷺ)) को फ़रमाते सुना कि ये तुम्हारी बैदाअ है जिसकी बाबत तुम नबी (ﷺ) पर झूठ बोलते (ग़लत बयानी करते) हो। नबी(ﷺ) ने ज़ुल हुलैफ़ा की मस्जिद से लब्बैक कह लिया था।

(2758) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1541, मुस्लिम, हदीस: 1186/23, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3738, मौता: 1/332.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आम लोगों में मशहूर था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैदाअ के मैदान में लब्बैक कहना शुरू फ़रमाया लेकिन ये दुरुस्त नहीं। असल ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ुल हुलैफ़ा में बहैसियत मुसाफ़िर, ज़ुहर की दो रकअतें पढ़ीं और सलाम के बाद वहीं लब्बैक पुकारा मगर वह सिर्फ़ चन्द क़रीबी साथियों ने सुना, फिर आप सवारी पर तशरीफ़ फ़रमा हुये तो फिर लब्बैक पुकारा। इसे पहले से ज़्यादा लोगों ने सुना, फिर आप बैदाअ में पहुँचे तो आपने फिर लब्बैक पुकारा। वह तक़रीबन सब लोगों ने सुना। जिसने जिस जगह सुना, उसी के बारे में बयान किया। इसमें कोई झूठ नहीं। अपने अपने इल्म की बात है, अलबत्ता एहराम की इब्तेदा ज़ुल हुलैफ़ा से हुई और वहीं आपने लब्बैक कहना शुरू किया था। **(2)** 'झूठ बोलते हो' यानी तुम्हें ग़लतफ़हमी है कि आपने लब्बैक की इब्तेदा बैदाअ से फ़रमाई। अरबी में ग़लतफ़हमी को भी झूठ कह लेते हैं क्योंकि दोनों ख़िलाफ़े वाक़िया होते हैं। **(3)** 'ज़ुल हुलैफ़ा की मस्जिद' उस वक़्त वहाँ मस्जिद नहीं थी। मस्जिद बाद में बतौर यादगार बनाई गई।

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ

(2759) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि

سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً .

आप ज़ुल हुलैफ़ा में अपनी सवारी पर सवार होते थे, फिर सवारी आपको लेकर खड़ी होती तो आप लब्बैक फ़रमाते।

(2759) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 1514, मुस्लिम, हदीस़: 1187/29, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3739, देखें, हदीस़: 2684.

फ़ायदा : अस़ल बात पीछे गुज़र चुकी है कि आप ने लब्बैक की इब्तेदा नमाज़ के फ़ौरन बाद बैठे बैठे फ़रमा ली थी।

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، ح وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ .

(2760) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान फ़रमाया करते थे कि नबी (ﷺ) उस वक़्त लब्बैक कहते जब आपकी सवारी आपको लेकर खड़ी होती।

(2760) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 1552, मुस्लम, हदीस़: 1187/28, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3740.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَابْنِ، جُرَيْجٍ وَابْنِ إِسْحَاقَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَأَيْتُكَ تُهِلُّ إِذَا اسْتَوَتْ بِكَ نَاقَتُكَ . قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُهِلُّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَانْبَعَثَتْ .

(2761) हज़रत उबैद बिन जुरैज बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से अर्ज़ किया कि मैंने आपको देखा है आप उस वक़्त लब्बैक कहते हैं जब सवारी आपको लेकर खड़ी होती है (क्या वजह है)? उन्होंने फ़रमाया: बिला शुब्हा नबी (ﷺ) भी उसी वक़्त लब्बैक फ़रमाया करते थे जब आपकी सवारी आपको लेकर उठती और सीधी खड़ी हो जाती।

(2761) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 166, व मुस्लिम, हदीस़: 1187, मौता: 1/333.

फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) अपने इल्म के मुताबिक़ बयान फ़रमा रहे हैं वरना हज्जतुल विदा वग़ैरह के मौक़े पर आपने नमाज़ के फ़ौरन बाद लब्बैक कहना शुरू फ़रमा दिया था। हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने सुना नहीं होगा।

बाब : (57) निफ़ास वाली औरत कैसे एहराम बाँधे?

باب:(٥٧) إِهْلَالِ النُّفَسَاءِ

(2762) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (मदीना मुनव्वरा में) नौ साल ठहरे मगर आपने हज नहीं फ़रमाया, फिर (दसवें साल में) आपने तमाम लोगों में हज का ऐलान फ़रमाया। कोई ऐसा शख़्स बाक़ी न रहा जो सवार या पैदल आने की ताक़त रखता था मगर वह न आया हो (यानी ज़रूर आया) सब लोग जमा हो गये ताकि आपके साथ हज को जायें यहाँ तक कि ज़ुल हुलैफ़ा में पहुँचे तो हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस(ﷺ) ने मुहम्मद बिन अबी बक्र को जन्म दिया। उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को पैग़ाम भेजा तो आपने फ़रमाया: 'तू ग़ुस्ल करके लंगोट बाँध ले, फिर लब्बैक शुरू कर दे। चुनांचे उन्होंने ऐसे ही किया। ये रिवायत मुख़्तसर है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَأْتِيَ رَاكِبًا أَوْ رَاجِلاً إِلاَّ قَدِمَ فَتَدَارَكَ النَّاسُ لِيَخْرُجُوا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ ثُمَّ أَهِلِّي " . فَفَعَلَتْ مُخْتَصَرٌ .

(2762) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 215, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3742.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत तफ़्सीलन पीछे गुज़र चुकी है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये, हदीस: 2664, 2665 (2) निफ़ास वाली औरत का एहराम के वक़्त ग़ुस्ल करना तहारत के लिये नहीं सिर्फ़ एहराम की सुन्नत के तौर पर है ताकि एहराम के दिनों में सर या बदन में जूओं या मैल कुचेल से बचत हो सके। ये ग़ुस्ल हाइज़ा भी करेगी। ग़ुस्ल के बाद लब्बैक कहा जाये, फिर तवाफ़ के अलावा बाक़ी अरकान अदा किये जा सकते हैं, ख़्वाह हैज़ व निफ़ास का ख़ून जारी हो। (इसीलिये लंगोट बाँधने का हुक्म दिया) जब ये हालत ख़त्म हो तो बाद में तवाफ़ कर ले, ख़्वाह कितनी ही ताख़ीर हो जाये। (3)

हैज़ और निफ़ास वाली औरत की सई की बाबत इख़्तिलाफ़ है, ताहम अह्वत और अफ़ज़ल यही है कि वह सफ़ा मर्वा की सई भी न करे। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، رضى الله عنه قَالَ نَفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ كَيْفَ تَفْعَلُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبِهَا وَتُهِلَّ .

(2763) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (ﷺ) ने हज्जतुल विदा के मौक़े पर ज़ुल हुलैफ़ा में) मुहम्मद बिन अबी बक्र को जन्म दिया तो उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को पैग़ाम भेजा, वह आपसे पूछ रही थी कि अब क्या करे? आपने उन्हें हुक्म दिया कि ग़ुस्ल कर के लंगोट बाँध ले और लब्बैक कहे। (यानी एहराम शुरू कर दे)

(2763) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 215, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3743.

फ़ायदा : ये फ़र्ज़ गुस्ल नहीं। अगर कोई मजबूरी हो और गुस्ल न किया जाये तो भी गुज़ारा हो जायेगा, ताहम बिला वजह न छोड़ा जाये।

باب:(٥٨) فِي الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ وَتَخَافُ فَوْتَ الْحَجِّ

बाब : (58)
औरत ने उम्रे का एहराम बाँध रखा हो, उसे हैज़ शुरू हो जाये और (इन्तेज़ार की सूरत में) हज फ़ौत होने का ख़तरा हो तो?

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ عَرَكَتْ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2764) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से मरवी है कि हम (हज्जतुल विदा के मौक़े पर) रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सिर्फ़ हज का एहराम बाँधे (या हज की लब्बैक कहते हुये) जा रहे थे लेकिन हज़रत आयशा (ﷺ) ने उम्रे का एहराम बाँध रखा था। जब हम सरिफ़ मक़ाम पर पहुँचे तो उन्हें हैज़ शुरू हो गया यहाँ तक कि जब हम (मक्का मुकर्रमा में) आये तो हमने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा मर्वा की सई की तो

أَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ قَالَ فَقُلْنَا حِلُّ مَاذَا قَالَ " الْحِلُّ كُلُّهُ " . فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ أَرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ " مَا شَأْنُكِ " . فَقَالَتْ شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أُحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الآنَ . فَقَالَ " إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ " . فَفَعَلَتْ . وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ " قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا " . فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ . قَالَ " فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ " . وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ .

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें हुक्म दिया कि जो शख़्स अपने साथ क़ुर्बानी का जानवर नहीं लाया, वह हलाल हो जाये। हमने कहा: किस क़िस्म के हलाल हों? आपने फ़रमाया: 'मुकम्मल हलाल हो जायें।' चुनांचे हमने अपनी बीवियों से जिमाअ किये, ख़ुशबूएँ लगाई और आम कपड़े पहने, हालांकि हमारे और यौमे अरफ़ा के दरम्यान सिर्फ़ चार रातें बाक़ी थीं, फिर हमने तरविये (8 ज़ुल हिज्जा) के दिन दोबारा एहराम बाँधा। रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) के पास आये तो उन्हें रोते हुये पाया। आपने फ़रमाया: 'तुझे क्या हुआ?' उन्होंने कहा: हुआ ये है कि मुझे हैज़ आ रहा है। लोग (उम्रा करके) हलाल हो गये हैं और मैं हलाल नहीं हो सकती (यानी उम्रा ही नहीं कर सकती) अब लोग हज को जा रहे हैं। आपने फ़रमाया: '(कोई बात नहीं) ये चीज़ तो अल्लाह तआला ने आदम की बेटियों पर लिख रखी है, लिहाज़ा तू ग़ुस्ल कर, फिर हज का एहराम बाँध ले।' तो उन्होंने ऐसे ही किया और तमाम ठहरने की जगहों (मिना, अरफ़ात और मुज़्दलिफ़ा) में ठहरीं यहाँ तक कि जब वह हैज़ से पाक हो गईं तो उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा मर्वा की सई की, फिर आपने फ़रमाया: 'तू अपने हज और उम्रे दोनों से हलाल (फ़ारिग़) हो गई है।' हज़रत आयशा(رضي الله عنها) कहने लगीं: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने दिल में कुछ महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैंने हज से क़ब्ल बैतुल्लाह का तवाफ़ वग़ैरह नहीं किया। आपने फ़रमाया: 'ऐ अब्दुर्रहमान! इन्हें ले जाओ और

इन्हें तनईम से उम्रा कराओ।' ये उस रात की बात है जो आपने मुहस्सब में गुज़ारी थी।

(2764) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1213, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3744.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) ने उम्रे का एहराम बाँध रखा था' इन अल्फ़ाज़ से ज़ाहिरन ये मफ़हूम समझ में आता है कि हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) ने शुरू ही से उम्रे का एहराम बाँधा था, मगर ये दुरुस्त नहीं। असल बात यूँ है कि हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) और अक्सर लोगों ने हज ही का एहराम बाँधा था। रास्ते में आपने वह्य की बिना पर ये हुक्म फ़रमाया कि जिनके साथ क़ुर्बानी के जानवर नहीं, वह हज के एहराम को उम्रे के एहराम में तब्दील कर लें और उम्रा करके हलाल हो जायें। हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) के साथ भी क़ुर्बानी का जानवर नहीं था, लिहाज़ा उन्होंने अपने हज के एहराम को उम्रे के एहराम में बदल लिया। मक्का मुकर्रमा के क़रीब पहुँचे तो उन्हें हैज़ शुरू हो गया, लिहाज़ा वह उम्रा न कर सकीं। यौमे तरविया (8 ज़ुल हिज्जा) तक हैज़ ही ख़त्म न हुआ कि उम्रा करके हज शुरू करतीं। इसीलिये उन्हें परेशानी हूई जिसका तफ़्सीली ज़िक्र इस हदीस में है। **(2)** सरिफ़: ये एक मक़ाम है मक्का मुकर्रमा से दस मील के फ़ासले पर। **(3)** 'किस क़िस्म की हिल्लत' चूंकि इब्तेदाअन हज ही का एहराम बाँधा था, और हज के अफ़आल शुरू होने को सिर्फ़ तीन दिन बाक़ी थे, इसलिये उनको हलाल होने में तरद्दुद था। **(4)** 'मुकम्मल हिल्लत' यानी तुम जिमाअ कर सकते हो। **(5)** 'चार रातें' आप चार ज़ुल हिज्जा को मक्का मुकर्रमा पहुँचे और आठ ज़ुल हिज्जा को हाजी लोग मिना में जाते हैं। दरम्यान में यही तीन चार दिन थे। **(6)** 'हज का एहराम बाँध ले' यानी उम्रे के साथ हज का एहराम भी बाँध ले ताकि दोनों इकट्ठे अदा हो जायें जैसा कि आख़िर में है कि तू दोनों से फ़ारिग़ हो गई है, यानी दोनों अदा हो गये हैं। गोया सिर्फ़ नियत दोनों की चाहिए, अफ़आल सिर्फ़ हज वाले ही होंगे। ये इमाम शाफ़ेई (رحمہ اللہ) का मस्लक है, जबकि अहनाफ़ के नज़दीक क़िरान की सूरत में उम्रा अलग करना होगा, हज अलग। सिर्फ़ एहराम मुश्तरका होगा। वह तर्जुमा करते हैं: 'तू उम्रे का एहराम छोड़ कर सिर्फ़ हज का एहराम बाँध ले' मगर आख़री अल्फ़ाज़: 'तू हज व उम्रा दोनों से हलाल हो गई है।' इसके ख़िलाफ़ हैं। **(7)** 'मैं अपने दिल में कुछ महसूस कर रही हूँ' यानी मेरा उम्रा हज से अलग नहीं हुआ, लिहाज़ा मुझे इत्मिनान नहीं हो रहा। **(8)** 'ऐ अब्दुर्रहमान'! ये अब्दुर्रहमान हज़रत आयशा(رضی اللہ عنہا) के सगे भाई थे। **(9)** 'तनईम' ये एक मक़ाम है जो मक्का से तक़रीबन छः किलोमीटर के फ़ासिले पर है। ये हद है हिल्ल और हरम के दरम्यान। मतलब नबी (ﷺ) का ये था कि उन्हें वहाँ ले जाओ ताकि ये वहाँ से उम्रे का एहराम बाँध कर आयें और अलग उम्रा करें। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सिर्फ़ हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) की दिलजोई के लिये उन को वहाँ से एहराम बाँध कर उम्रा करने की इजाज़त दी थी। क्योंकि

तनईम या मस्जिदे आयशा कोई मीक़ात नहीं जिससे एहराम बाँधा जाये। इससे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ही हाइज़ा औरतों के लिये उम्रे की इजाज़त साबित होती है न कि मुत्लक़न हर शख़्स के लिये वहाँ से एहराम बाँध कर बार बार उम्रा करने की, जैसे कि बहुत से लोग वहाँ ऐसा करते हैं और उसे 'छोटा उम्रा' क़रार देते हैं। ये रिवाज और इस्तेदलाल बे'बुनियाद है। (10) 'मुहस्सब में गुज़ारी' ये चौधवीं रात थी ज़ुल हिज्जा की। मिना से वापस आते हुये आप रात यहाँ ठहरे थे। अहनाफ़ के नज़दीक ये रात मुहस्सब में ठहरना हज की सुन्नत है जबकि दीगर अहले इल्म के नज़दीक आपका यहाँ ठहरना इत्तेफ़ाक़न था। आपने मुनासिब न समझा कि सारा सामान लेकर मक्के जायें और फिर वह सामान लेकर यहाँ आयें, लिहाज़ा पड़ाव वहाँ डाल लिया। सामान के बग़ैर मक्का मुकर्रमा आये, तवाफ़े विदाअ किया और रातों रात वापस चले गये। कुछ सहाबा से यही बात सराहतन मन्क़ूल है। मुहस्सब को हस्बा, हस्बाअ, अब्तह, बतहा, और खैफ़े बनी किनाना भी कहते हैं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا " . فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ " . فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ

(2765) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज्जतुल विदा में निकले तो हमने उम्रे का एहराम बाँधा, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स के साथ क़ुर्बानी का जानवर है, वह उम्रे के साथ हज का एहराम भी बाँध ले, फिर वह हलाल न हो यहाँ तक कि दोनों से हलाल हो।' मैं मक्का में आई तो मुझे हैज़ आ रहा था (हैज़ की बिना पर) मैंने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया न सफ़ा मर्वा के दरम्यान सई की। मैंने इस बात की शिकायत रसूलुल्लाह (ﷺ) से की तो आपने फ़रमाया: 'अपना सर (यानी बाल) खोल लो और कंघी करो और हज का एहराम बाँध लो और उम्रा छोड़ दो।' मैंने ऐसे ही किया। जब मैंने हज पूरा कर लिया तो मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (मेरे भाई) अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र (ﷺ) के हमराह तनईम की तरफ़ भेजा, तो मैंने उम्रा किया। आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये तेरे उस उम्रे की जगह

أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ قَالَ " هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ " . فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا .

है (जो तुझ से रह गया था)' तो जिन्होंने सिर्फ़ उम्रे का एहराम बाँधा था, उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा मर्वा के दरम्यान सई की, फिर वह हलाल हो गये, फिर उन्होंने मिना से वापस आने के बाद अपने हज का एक और तवाफ़ किया लेकिन जिन्होंने हज और उमरे का इकट्ठा एहराम बाँधा था, उन्होंने सिर्फ़ एक तवाफ़ किया।

(2765) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 243, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3745.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'उम्रे का एहराम बाँधा' तफ़्सील साबिक़ा हदीस में गुज़र चुकी है। **(2)** 'अपना सर खोल लो ....' इन अल्फ़ाज़ से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि हज़रत आयशा (ﷺ) ने उम्रे का एहराम छोड़ कर सिर्फ़ हज का एहराम बाँधा था और उन्होंने सिर्फ़ हज किया था जैसा कि अहनाफ़ का ख़्याल है। लेकिन दुरुस्त बात यही है कि हज़रत आयशा (ﷺ) ने हज और उम्रा दोनों किये थे जैसा कि गुज़िश्ता रिवायत में इसकी तफ़्सील है। 'उम्रा छोड़ दे' से मुराद ये है कि उम्रे के अफ़आल व आमाल छोड़ दे और हज का एहराम बाँध ले क्योंकि उम्रे के आमाल हज के आमाल में दाख़िल हो गये हैं। और नबी (ﷺ) का ये फ़रमाना: 'तू अपने हज और उम्रे दोनों से हलाल हो गई' इस बात की वाज़ेह दलील है कि हज़रत आयशा (ﷺ) का हज और उम्रा दोनों हो गये थे और तनईम वाला उम्रा महज़ हज़रत आयशा (ﷺ) के इत्मिनाने क़ल्ब के लिये था। वल्लाहु आलम! **(3)** 'सर के बाल खोल लो और कंघी करो' एहराम में कंघी की जा सकती है या नहीं? इसके बारे में इख़्तिलाफ़ है। अहनाफ़ नाजायज़ कहते हैं। कुछ ने उज़्र की बिना पर जायज़ कहा है जबकि जुम्हूर मुत्लक़ जायज़ समझते हैं। राजेह बात जुम्हूर अहले इल्म की है क्योंकि कंघी न करने की कोई दलील नहीं, लिहाज़ा अहनाफ़ का इन अल्फ़ाज़ से उम्रा ख़त्म करने का इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं। वल्लाहु आलम! **(4)** 'सिर्फ़ एक तवाफ़ किया' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि उन्होंने मिना से वापस आकर तवाफ़ नहीं किया, हालांकि ये हक़ीक़त के ख़िलाफ़ है। ये तवाफ़ तो फ़र्ज़ है। तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। (देखिये हदीस: 2747, फ़ायदा: 3)

बाब : (59) हज के एहराम में शर्त लगाना

باب:(٥٩) الِاشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ

(2766) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत ज़ुबाआ (ﷺ) ने हज का इरादा किया तो नबी (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि वह (एहराम के वक़्त) शर्त लगा लें तो उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के हुक्म से ऐसे ही किया।

(2766) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1208/107, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3746, व मुसनद अबी दाऊद अत्तयालिसी, हदीस: 2685.

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ضُبَاعَةَ، أَرَادَتِ الْحَجَّ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَشْتَرِطَ فَفَعَلَتْ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत मुज्मल है। तफ़्सील यूँ है कि हज़रत ज़ुबाआ बिन्ते ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब (ﷺ) बीमार थीं। उन्हें ख़तरा था कि बीमारी बढ़ सकती है। इधर हज का वक़्त क़रीब था। उन्होंने ये इश्काल रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने पेश किया तो आपने फ़रमाया: 'तुम एहराम के वक़्त ये शर्त लगा लो कि या अल्लाह! जहाँ मैं आजिज़ आ गई हलाल हो जाऊँगी। अगर रास्ते में बीमारी बढ़ जाये और तुम आजिज़ आ जाओ तो एहराम खोल लेना।' इन अल्फ़ाज़ से ये मालूम होता है कि इस पर दम या क़ज़ा वाजिब नहीं होगी। इमाम अहमद बिन हम्बल (رحمه الله) और मुहद्दिसीन इसी के क़ाइल हैं। दीगर अहले इल्म शर्त के क़ाइल नहीं। वह इस रिवायत को हज़रत ज़ुबाआ (ﷺ) के साथ ख़ास करते हैं मगर इस तख़्सीस की दलील चाहिए, ख़ुसूसन जबकि हज़रत उमर, उस्मान, अली, इब्ने मसऊद और आयशा (ﷺ) जैसे मुज्तहिद सहाबा भी शर्त के क़ाइल हैं। **(2)** हदीस हज के मुताल्लिक़ है लेकिन उम्रे का हुक्म भी यही है। **(3)** इस हदीस में उज़्र बीमारी का है। लेकिन दूसरे उज़्रों का हुक्म भी यही है। **(4)** अगर क़ुर्बानी का जानवर साथ हो तो वह वहीं ज़बह कर दिया जायेगा, ख़्वाह हिल्ल हो या हरम।

बाब : (60)शर्त लगाते वक़्त क्या कहे?

باب:(٦٠) كَيْفَ يَقُولُ إِذَا اشْتَرَطَ

(2767) हज़रत बिलाल बिन ख़ब्बाब ने कहा: मैं हज़रत सईद बिन ज़ुबैर से आदमी के एहरामे हज में शर्त लगाने के बारे में पूछा तो वह कहने लगे: शर्त तो लोगों के दरम्यान होती है (न कि अल्लाह

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ الأَحْوَلُ، قَالَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ خَبَّابٍ، قَالَ سَأَلْتُ

سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ، يَحُجُّ يَشْتَرِطُ قَالَ الشَّرْطُ بَيْنَ النَّاسِ فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثَهُ - يَعْنِي عِكْرِمَةَ - فَحَدَّثَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ أَقُولُ قَالَ " قُولِي لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَمَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ " .

तआला के साथ) तो मैंने उन्हें हज़रत इक्रिमा वाली रिवायत बयान की जो उन्होंने मुझे हज़रत इब्ने अब्बास (ﷻ) से बयान की थी कि हज़रत ज़ुबाआ बिन्ते ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब(ﷻ) नबी (ﷺ) के पास आईं और कहने लगीं। ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हज का इरादा रखती हूँ तो मैं कैसे कहूँ? आपने फ़रमायाः 'तू (एहराम के वक़्त) कहः मैं हाज़िर हूँ, ऐ अल्लाह! मैं हाज़िर हूँ। मेरे हलाल होने की जगह वह होगी जहाँ तू मुझे रोक ले। (यानी जहाँ बीमारी मुझे आजिज़ कर दे) फिर जो तू अपने रब से शर्त लगायेगी, तुझे उस पर अमल करने का हक़ होगा।'

(2767) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीसः 1776, तिर्मिज़ी, हदीसः 941, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 3768, नैलुल मक़सूद, हदीसः 1443.

फ़ायदा : 'शर्त लोगों के दरम्यान होती है' चूंकि हज़रत सईद बिन जुबैर को मज़्कूरा हदीस का इल्म नहीं था, लिहाज़ा उन्होंने ऐसे कहा। जब नबी (ﷺ) शर्त लगवा रहे हैं तो फिर क्या ऐतराज़ हो सकता है?

أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، وَعِكْرِمَةَ، يُخْبِرَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُهِلَّ قَالَ " أَهِلِّي وَاشْتَرِطِي إِنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي " .

(2768) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷻ) से मरवी है कि हज़रत ज़ुबाआ बिन्ते जुबैर (ﷻ) रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आईं और कहने लगीं: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं बीमार औरत हूँ और हज का इरादा रखती हूँ तो आप मुझे किस तरह एहराम बाँधने का हुक्म देते हैं? आपने फ़रमायाः 'एहराम बाँध लो और शर्त लगा लो कि मेरे हलाल होने की जगह वह होगी जहाँ (ऐ अल्लाह!) तू मुझे रोक लेगा।'

(2768) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 1208, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 3747.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي شَاكِيَةٌ وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ " حُجِّي وَاشْتَرِطِي إِنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي " . قَالَ إِسْحَاقُ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ كِلاَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ هِشَامٌ وَالزُّهْرِيُّ قَالَ نَعَمْ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ مَعْمَرٍ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .

(2769) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत ज़ुबाआ (ﷺ) के पास तशरीफ़ ले गये तो वह कहने लगीं: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं बीमार हूँ और मैं हज का इरादा भी रखती हूँ। नबी (ﷺ) ने उनसे फ़रमाया: 'तुम हज को जाओ लेकिन शर्त लगा लो कि मैं वहाँ हलाल हो जाऊँगी जहाँ तू मुझे रोक लेगा।'

इस्हाक़ बिन इब्राहीम फ़रमाते हैं: मैंने (अपने उस्ताद) अब्दुर्रज़्ज़ाक़ से पूछा: क्या हिशाम और ज़ोहरी दोनों हज़रत आयशा का नाम लेते हैं? उन्होंने फ़रमाया: हाँ।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) बयान करते हैं कि मैं नहीं जानता कि ये रिवायत मअमर के अलावा किसी ने ज़ोहरी से मुत्तसिल मरफ़ूअ बयान की हो। (मगर इससे मअमर की रिवायत कमज़ोर नहीं बनती क्योंकि मअमर बज़ाते ख़ुद सिक़ा रावी हैं।)

(2769) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1207/105, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3748.

باب: (٦١) مَا يَفْعَلُ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ

बाब : (61) जिस शख़्स ने शर्त नहीं लगाई, वह हज से रोक दिया जाये तो क्या करे?

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْكِرُ الاِشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله

(2770) हज़रत सालिम बयान करते हैं कि (वालिदे मोहतरम) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) एहरामे हज में शर्त लगाने का इन्कार फ़रमाते थे और कहते थे: क्या तुम्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत काफ़ी नहीं? अगर तुममें से कोई शख़्स हज से रोक दिया जाये तो वह बैतुल्लाह का तवाफ़ करे और सफ़ा मर्वा के दरम्यान सई करे, फिर वह हर

عليه وسلم إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً وَيُهْدِي وَيَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.

चीज़ से (जो एहराम में ममनूअ थी) हलाल हो जाये यहाँ तक कि आइन्दा साल हज करे और जानवर भी ज़बह करे। और अगर जानवर न पाये तो रोज़े रखे।

(2770) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1810, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3750.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) हज़रत ज़ुबाआ (ﷺ) की हदीस से वाक़िफ़ न होंगे वरना जिस नबी-ए-अकरम (ﷺ) की सुन्नत वह बतला रहे हैं उसी नबी-ए-अकरम (ﷺ) का फ़रमान है: 'शर्त लगा' जिस तरह नबी (ﷺ) की सुन्नत काफ़ी है, उसी तरह नबी-ए-अकरम (ﷺ) का फ़रमान भी चूं व चरा की गुंजाइश नहीं छोड़ता। और शर्त वाली ये हदीस बिल्कुल सही है। सहीह मुस्लिम और सुनन अर्बआ में मज़्कूर है। इसकी मुताबिआत भी हैं। जलीलुल क़द्र सहाब-ए-किराम हज़रत उ़मर, अ़ली और इब्ने मसऊ़द (ﷺ) इसी के क़ाइल हैं, लिहाज़ा शर्त लगाना बिला शुब्हा सही है। **(2)** 'बैतुल्लाह का तवाफ़ करे' बशर्ते कि वह वहाँ तक पहुँच सके, हज़रत ज़ुबाआ वाली रिवायत में तो इज्ज़ की सूरत है, ज़ाहिर है ऐसी सूरत में तो जहाँ इज्ज़ (बेबसी) तारी हो वहीं हलाल होना (एहराम खोलना) पड़ेगा, अलबत्ता अगर वह फ़र्ज़ हज का एहराम था तो आइन्दा साल दोबारा हज करना होगा, अगर वह ताक़त पाये, वरना अल्लाह तआ़ला उ़ज़्र क़बूल करने वाला है। रसूलुल्लाह(ﷺ) उ़म्र-ए-हुदैबिया में रास्ते ही में हलाल हो गये थे। और कहीं ज़िक्र नहीं कि आपने उन सहाबा को क़ज़ा का हुक्म दिया हो।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الاِشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ مَا حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ فَإِنْ حَبَسَ أَحَدَكُمْ حَابِسٌ فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لْيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ ثُمَّ لْيُحْلِلْ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ .

(2771) हज़रत सालिम अपने वालिद (इब्ने उ़मर) के बारे में बयान फ़रमाते हैं कि वह हज के एहराम में शर्त लगाने का इन्कार किया करते थे और फ़रमाते थे: क्या तुम्हें तुम्हारे नबी (ﷺ) की सुन्नत काफ़ी नहीं? कि आपने शर्त नहीं लगाई। अगर तुममें से किसी को कोई रुकावट पेश आ जाये तो (जब मौक़ा मिले) बैतुल्लाह आये, उसका तवाफ़ करे, सफ़ा मर्वा के दरम्यान सई करे, फिर सर मुण्डवाये या बाल कटवा ले, फिर हलाल हो जाये और उस पर आइन्दा साल हज होगा।

(2771) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3751.

फ़ायदा : 'आपने शर्त नहीं लगाई' शायद उनका इशारा उम्र-ए-हुदैबिया की तरफ़ है कि वहाँ दुश्मन की तरफ़ से रुकावट का ख़तरा था मगर आपने शर्त नहीं लगाई जबकि हज़रत ज़ुबाआ (ﷺ) वाली हदीस़ बाद की है जिसमें आपने शर्त लगाने का हुक्म दिया, दोनों पर अमल चाहिए, जो शर्त लगाये वह शर्त वाली रिवायत पर अमल करे और जो शर्त न लगाये वह हज़रत इब्ने उमर वाली रिवायत पर अमल करे। इमाम नसाई (رحمه الله) ने दोनों बाब क़ाइम फ़रमा कर इसी तरफ़ इशारा फ़रमाया है कि दोनों में कोई तआरुज़ नहीं। दोनों अलग अलग हालतों में क़ाबिले अमल हैं। और यही बात सही है। किसी सही या क़ाबिले अमल हदीस़ को भी न छोड़ा जाये। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये साबिक़ा हदीस़ और हदीस़: 2766)

باب:(٦٢) إِشْعَارِ الْهَدْيِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ح وَأَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالاَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْىَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ . مُخْتَصَرٌ .

बाब : (62)
क़ुर्बानी के ऊँट को इश्आर करना

(2772) (2773) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा और मरवान बिन हकम से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उम्र-ए-हुदैबिया के वक़्त एक हज़ार और चन्द सो सहाबा के साथ (मदीना मुनव्वरा से) निकले, यहाँ तक कि जब वह ज़ुल हुलैफ़ा में पहुँचे तो आपने क़ुर्बानी के ऊँटों को क़लादे डाले और इश्आर किया और उम्रे का एहराम बाँधा। ये रिवायत मुख़्तसर है।

(2772) (2773) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 1694, 1695, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3752.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'एक हज़ार और चन्द सौ' दीगर रिवायात की तस़रीह के मुताबिक़ इनकी तादाद 1400 थी, कुछ हज़रात ने 1500 भी कही है। पहली बात ज़्यादा मोतबर है। (2) 'क़लादे डाले' क़लादा उन जानवरों को पहनाया जाता था जिन्हें हरम में ज़बह होने के लिये भेजा जाता था ताकि ये

निशानी बन जाये और कोई शख़्स उनकी तौहीन न करे या उन पर ज़्यादती न करे। क़लादा एक सादा सा 'हार' होता थ। किसी रस्सी में जूते का टुकड़ा, दरख़्त का छिलका या ऐसी ही कोई सादा चीज़ डाल कर जानवर के गले में डाल देते थे। कोई फ़ख़्रिया निशानी नहीं होती थी, लिहाज़ा ये सादगी क़ाइम रहनी चाहिए। **(3)** 'इश्आर किया' ये भी क़ुर्बानी के ऊँटों की निशानी होती थी। ऊँटों के अ़लावा दूसरे जानवरों को नहीं किया जाता था। इश्आर ये है कि ऊँट की कोहान की दाईं जानिब नेज़े या बरछे के साथ हल्का सा ज़ख़्म किया जाता था और निकलने वाले ख़ून को वहीं मल दिया जाता था। इससे पता चल जाता था कि ये क़ुर्बानी का ऊँट है। अगर गुम हो जाये तो दूसरे लोग ख़ुद ही हाजियों को पहुँचा दें। कोई चोर वग़ैरह इसे न चुराये और अगर बिलफ़र्ज़ इसे रास्ते में ज़बह करना पड़े तो सिर्फ़ फ़क़ीर ही इसे खायें, वग़ैरह। ये काम क़लादे से भी चल सकता था मगर चूंकि क़लादा गले से उतर सकता है, टूट सकता है वग़ैरह, लिहाज़ा ऐसा निशान लगाया गया जो ज़ाइल न हो सके। **(4)** इश्आर सुन्नत है। रसूलुल्लाह (ﷺ), सहाब-ए-किराम (ؓ) और ताबेईने इज़ाम बिला खटके करते रहे। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (رحمہ اللہ) वह पहले शख़्स हैं जिन्होंने इश्आर को बिदअत कहा। उनके बक़ौल ये मुस्ला है और जानवर को बिला वजह तकलीफ़ देना है, लिहाज़ा नहीं करना चाहिए, मगर हैरानी है कि इस बात का इल्म रसूलुल्लाह (ﷺ) को हुआ न ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन को और न दीगर सहाब-ए-किराम व ताबेईन इज़ाम को जबकि ये बदीही बातें हैं। इमाम साहिब की तरफ़ से एक वजह ये भी बयान की जाती है कि आप (ﷺ) के दौर में कुफ़्फ़ार जानवरों को लूट लिया करते थे और जब तक उन्हें इश्आर न किया जाता, वह उन्हें क़ुर्बानी के जानवर नहीं समझते थे और लूटने से बाज़ नहीं आते थे, लिहाज़ा आपने मजबूरन ऐसा किया। ये बात सिर्फ़ उम्र-ए-हुदैबिया की हद तक चल सकती है। हज्जतुल विदा में तो पूरा इलाक़ा इस्लामी हुकूमत के मातहत आ चुका था, फिर बाद में ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन (ؓ) के दौर में तो हुकूमते अरब से बाहर निकल कर अजम के वसीअ इलाक़ों तक मुहीत हो चुकी थी। उस वक़्त इश्आर किसके डर से होगा? बहरहाल इमाम साहिब का क़ौल दुरुस्त नहीं। इसी वजह से उनके शागिर्दाने रशीद भी इस मसले में उनके साथ मुत्तफ़िक़ नहीं। **(5)** इश्आर चूंकि कोहान पर किया जाता है और ये चरबी वाली जगह है, लिहाज़ा ये ज़ख़्म ऊँट को महसूस नहीं होता। जल्दी ठीक हो जाता है। ज़्यादा ख़ून भी नहीं बहता। ऊँट जैसे अ़ज़ीमुल जुस्सा जानवर के लिये ये ज़ख़्म न होने के बराबर है।

(2774) हज़रत आयशा (ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने क़ुर्बानी के ऊँटों को इश्आर किया।

(2774) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1696, मुस्लिम: 1321/362, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3753.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشْعَرَ بُدْنَهُ.

बाब : (63) (कोहान की) किस जानिब इश्आर किया जाये?

باب:(٦٣) أَيُّ الشِّقَّيْنِ يُشْعِرُ

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشْعَرَ بُدْنَهُ مِنَ الْجَانِبِ الأَيْمَنِ وَسَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا وَأَشْعَرَهَا

(2775) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने अपने ऊँटों को दाईं जानिब ज़ख़्म लगाया, फिर उससे ख़ून पोंछा। इस तरह आपने इश्आर किया।

(2775) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1243, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3754.

बाब : (64) ज़ख़्म लगाने के बाद ख़ून पोंछना

باب:(٦٤) سَلْتِ الدَّمِ عَنِ الْبُدْنِ.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِبَدَنَتِهِ فَأُشْعِرَ فِي سَنَامِهَا مِنَ الشِّقِّ الأَيْمَنِ ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ .

(2776) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जब ज़ुल हुलैफ़ा में पहुँचे तो आपने अपनी ऊँटनी के बारे में हुक्म दिया तो उसकी कोहान की दाईं जानिब इश्आर किया गया, फिर आपने उससे ख़ून पोंछा। और दो जूते (रस्सी में डाल कर) उसके गले में लटका दिये। जब ऊँटनी आपको लेकर बैदाअ पर चढ़ी तो आपने बलन्द आवाज़ से लब्बैक कहा।

(2776) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3755.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ख़ून पोंछने का मतलब ये है कि ज़ख़्म से निकलने वाला ख़ून हाथ वग़ैरह से कोहान की इश्आर वाली जानिब फैला दिया जाये ताकि दूर से नज़र आये। ये मतलब नहीं कि ख़ून इस तरह साफ़ किया जाये कि निशान न रहे। इस तरह तो इश्आर का असल मक़सद फ़ौत हो जायेगा। **(2)** 'अपनी ऊँटनी' मालूम हुआ कि नबी (ﷺ) ने सब ऊँटों को इश्आर नहीं किया, कुछ को किया। **(3)** 'बैदाअ पर चढ़ी' बैदाअ ज़ुल हुलैफ़ा से बलन्दी पर था। उसे टीला या पहाड़ भी कहा गया है।

बाब : (65)
क़लादे बटना (तैयार करना)

باب:(٦٥) فَتْلِ الْقَلَائِدِ

(2777) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना मुनव्वरा से क़ुर्बानी के जानवर मक्का मुकर्रमा को भेजा करते थे। मैं आपके क़ुर्बानी के जानवरों के क़लादे (रस्सियाँ) बटती थी, फिर आप उन चीज़ों से परहेज़ नहीं फ़रमाते थे जिनसे एक मुहरिम परहेज़ करता है।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1321, बुख़ारी, हदीस: 1698, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3756.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये भी क़ुर्बानी की एक सूरत है कि ख़ुद इन्सान अपने घर में ठहरे और क़ुर्बानी के जानवर किसी मोतमद शख़्स के हाथ मक्का भेज दे कि वहाँ हरम में ज़बह हों। और ये अफ़ज़ल क़ुर्बानी है। **(2)** 'परहेज़ नहीं फ़रमाते थे' यानी इस तरह जानवर हरम में भेज देने से भेजने वाला मुहरिम नहीं बन जाता कि उस पर एहराम की पाबन्दियाँ लागू हों बल्कि आम कपड़े पहनेगा और जिमाअ वग़ैरह भी कर सकेगा, अलबत्ता एक और रिवायत में क़ुर्बानी की नियत रखने वाले शख़्स को ज़ुल हिज्जा का चाँद देखने के बाद हजामत (बाल और नाख़ुन काटने) से रोका गया है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 1977) मगर उसका जानवर भेजने से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये हुक्म तो हर क़ुर्बानी करने वाले के लिये है, यहाँ करे या हरम में भेजे। **(3)** हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) का ख़याल है कि जानवर हरम को भेजने वाला मुहरिम हो जाता है, मगर ये ख़याल दुरुस्त नहीं। वल्लाहु आलम!

(2778) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ुर्बानी के जानवरों के लिये क़लादे बटती (तैयार करती) थी, फिर आप उन्हें (हरम के लिये) भेज देते, फिर वह सब काम करते जो एक हलाल शख़्स करता है, हालांकि वह जानवर अभी तक अपनी जगह नहीं पहुँचे होते थे।

(2778) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/183, 238, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3757, मुस्लिम, हदीस: 2797.

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلاَلُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ .

फ़ायदा : 'जो एक हलाल शख़्स करता है' यानी ग़ैर मुहरिम जो कुछ करता है, जैसे: जिमाअ करना, सिले हुये कपड़े पहनना और ख़ुशबू लगाना, वग़ैरह।

(2779) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि यक़ीनन मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के हरम को भेजे जाने वाले जानवरों के क़लादे तैयार करती थी, फिर (उन्हें भेजने के बाद) आप मदीना मुनव्वरा ही में ठहरते और मुहरिम नहीं बनते थे।

(2779) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1321/370, बुख़ारी, हदीस: 1704. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3758.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يُقِيمُ وَلاَ يُحْرِمُ .

(2780) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ुर्बानी के जानवरों के लिये क़लादे बटती (तैयार किया करती) थी। आप वह क़लादे उन जानवरों को पहनाते, फिर उन्हें हरम के लिये भेज कर ख़ुद मदीना मुनव्वरा ही में रहते और किसी ऐसी चीज़ से इज्तेनाब (परहेज़) नहीं फ़रमाते थे जिससे मुहरिम इज्तेनाब करता है।

(2780) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1321/366, बुख़ारी, हदीस: 1702, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3759.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّعِيفُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يُقِيمُ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ .

(2781) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है, फ़रमाती हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की हरम को भेजी जाने वाली बकरियों के लिये क़लादे तैयार करती थी, फिर आप (उन्हें हरम की तरफ़ भेजने के बाद) हलाल रहते।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1703, मुस्लिम,: 1321/365, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3760.

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ قَلاَئِدَ الْغَنَمِ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَمْكُثُ حَلاَلاً .

फ़ायदा : क़लादा हरम को जाने वाले जानवर की ख़ुसूसियत है। हरम के अलावा ज़बह होने वाले जानवरों, ख़्वाह वह कुर्बानी के हों, को क़लादे नहीं पहनाये जा सकते, वरना इम्तियाज़ ख़त्म हो जायेगा।

बाब : (66) क़लादे किस चीज़ से बटे जायें?

باب:(٦٦) مَا يُفْتَلُ مِنْهُ الْقَلاَئِدُ

(2782) हज़रत उम्मुल मोमिनीन (आयशा सिद्दीक़ा) (ﵖ) ने फ़रमाया: मैंने वह क़लादे ऊन से बटे थे जो हमारे पास थी, फिर आप (क़लादे वाले जानवरों को हरम भेजने के बाद) हममें रहे। वह तमाम काम करते थे जो एक हलाल शख़्स या आम आदमी अपनी बीवी के साथ करता है।

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، - يَعْنِي ابْنَ حَسَنٍ - عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ أَنَا فَتَلْتُ، تِلْكَ الْقَلاَئِدَ مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا ثُمَّ أَصْبَحَ فِينَا فَيَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلاَلُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ

(2782) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1321/364, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 1705, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3761.

फ़ायदा : इह्न रंगदार रूई या ऊन को कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि क़लादा रूई या ऊन ही से तैयार किया जाये बल्कि किसी भी मयस्सर चीज़ से तैयार किया जा सकता है।

बाब : (67) हरम को जाने वाले कुर्बानी के जानवरों को क़लादे डालना

باب:(٦٧) تَقْلِيدِ الْهَدْيِ

(2783) हज़रत हफ़्सा नबी (ﷺ) की ज़ौज-ए मोहतरमा (ﵖ) ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या वजह है कि लोग तो उम्रा करके हलाल हो गये हैं मगर आप अपने उम्रे से हलाल नहीं हुये? आपने फ़रमाया: 'मैंने अपने सर को गूंद लगाई है और जानवरों को क़लादे डाले हैं, लिहाज़ा मैं हलाल नहीं हूँगा यहाँ तक कि मैं जानवर ज़बह करूँ।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ " إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ ".

(2783) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2683, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3762, मौता: 1/394.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2683.

(2784) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) जब ज़ुल हुलैफ़ा पहुँचे तो आपने कुर्बानी के जानवर की कोहान की दाईं जानिब इश्आर किया, फिर उससे ख़ून दूर फ़रमाया और दो जूते उसके गले में लटकाये फिर अपनी ऊँटनी पर सवार हुये। जब वह आपको लेकर बैदाअ पर चढ़ी तो आपने लब्बैक कहा और ज़ुहर की नमाज़ के वक़्त एहराम बाँधा। और हज का लब्बैक पुकारा।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ الْهَدْىَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الأَيْمَنِ ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ وَقَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ لَبَّى وَأَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ ‏.‏

(2784) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1243, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3763, देखें, हदीस: 2775.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2758

बाब : (68) ऊँटों को क़लादा डालना

باب:(٦٨) تَقْلِيدِ الإِبِلِ

(2785) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ुर्बानी वाले ऊँटों के क़लादे अपने हाथों से बटे, फिर आप (ﷺ) ने वह क़लादे उनके गलों में लटकाये और उन्हें इश्आर किया और उन्हें बैतुल्लाह की तरफ़ भेजा मगर ख़ुद (मदीना मुनव्वरा में) तशरीफ़ फ़रमा रहे। आप पर कोई ऐसी चीज़ हराम न हुई जो पहले हलाल थी। (यानी आप पर एहराम की पाबन्दियाँ लागू न हुईं)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، - وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ - قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ فَتَلْتُ قَلاَئِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَىَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَوَجَّهَهَا إِلَى الْبَيْتِ وَبَعَثَ بِهَا وَأَقَامَ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَىْءٌ كَانَ لَهُ حَلاَلاً ‏.‏

(2785) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2774, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3764.

फ़ायदा : ऊँट को क़लादा डालना (जब उसे हरम में ज़बह होने के लिये भेजा जाये) मुत्तफ़क़ बात है। किसी को इख़्तिलाफ़ नहीं। याद रहे जानवर को क़लादा डालने और किसी के हाथ हरम भेजने से इन्सान मुहरिम नहीं होता।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ فَتَلْتُ قَلاَئِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لَمْ يُحْرِمْ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ .

(2786) हज़रत आयशा (﵅) फ़रमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ुर्बानी वाले ऊँटों के क़लादे तैयार किये, फिर आप (उन्हें हरम में भेजने के बावजूद) न तो मुहरिम बने और न किसी क़िस्म के कपड़े पहनने तर्क किये (जो मुहरिम को तर्क करने पड़ते हैं)

(2786) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2778, हदीस: 2797, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3765, तिर्मिज़ी, हदीस: 908.

باب:(٦٩) تَقْلِيدِ الْغَنَمِ

बाब : (69)बकरियों को क़लादा डालना

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَنَمًا .

(2787) हज़रत आयशा (﵅) बयान करती हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ुर्बानी वाले जानवरों के क़लादे तैयार किया करती थी जबकि वह जानवर बकरे बकरियाँ थे।

(2787) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2781, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3766.

फ़ायदा : मालूम हुआ बकरियों को भी क़लादा डाला जायेगा क्योंकि जो इल्लत ऊँटों और गायों को क़लादा डालने की है, वह बकरियों में भी मौजूद है मगर मालकिया और अहनाफ़ बकरी को क़लादा डालने के ख़िलाफ़ हैं क्योंकि 'बकरी छोटा और कमज़ोर जानवर है' हालांकि क़लादा कौन सा मन, दो मन का होता है कि बेचारी बकरी मर जायेगी। वह तो सिर्फ़ एक अलामत है हरम के जानवर की। बकरी छोटा जानवर है तो उसके गले में छोटा क़लादा डाल दिया जाये, और ऐसी अक़्ली तौजीहात वहाँ कारआमद हैं जहाँ रसूलुल्लाह (ﷺ) की कोई क़ौली, फ़ेअली या तक़रीरी हदीस मौजूद न हो। सरीह रिवायात की मौजूदगी में ऐसी बातें करना रसूलुल्लाह (ﷺ) को हिदायात देने के मुतरादिफ़ है। मुमकिन है इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा (رحمهما الله) को ये रिवायात न पहुँची हों, मगर बाद वालों को तो

पहुँच चुकी हैं। ये भी कहा जाता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तो एक ही हज फ़रमाया था। इसमें बकरियाँ नहीं ले गये, हालांकि अहादीस़ में स़राहत है कि आप क़ुर्बानी के जानवर हरम भेजा करते थे और ख़ुद मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फ़रमा रहते थे। और ये नबी (ﷺ) के हज्जे मुबारक से पहले की बात है।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُهْدِي الْغَنَمَ .

(2788) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बकरियाँ भी हरम को भेजा करते थे।

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 1701, मुस्लिम, हदीस़: 1321/367, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 3767.

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْدَى مَرَّةً غَنَمًا وَقَلَّدَهَا .

(2789) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक दफ़ा बकरियाँ हरम को भेजीं और उन्हें क़लादे डाले।

(2789) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3768.

फ़ायदा : इससे ज़्यादा स़राहत क्या हो सकती है? और ये रिवायत बयान करने वाले हज़रत अस्वद हैं जो कूफ़े के इन्तेहाई सिक़ा रावी हैं। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (رضي الله عنه) के बहुत मोतबर शागिर्द हैं। अहनाफ़ को उन पर पूरा ऐतमाद है। फ़ुकहा-ए-ताबेईन में शुमार होते हैं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَنَمًا ثُمَّ لاَ يُحْرِمُ .

(2790) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मरवी है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़ुर्बानी की बकरियों के क़लादे तैयार किया करती थी, फिर (उन्हें हरम में भेजने के बावजूद) आप मुहरिम नहीं होते थे।

(2790) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3769.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ

(2791) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मन्क़ूल है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़ुर्बानी (की हरम) वाली बकरियों के लिये क़लादे बटा करती थी, फिर आप (उन्हें हरम की तरफ़ भेजने के बाद) मुहरिम नहीं होते थे।

صلى الله عليه وسلم غَنَمًا ثُمَّ لاَ يُحْرِمُ .

(2791) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2781, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3770.

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، - ثِقَةٌ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، ح وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاةَ فَيُرْسِلُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَلاَلاً لَمْ يُحْرِمْ مِنْ شَىْءٍ

(2792) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि हम बकरियों को क़लादे डाला करते थे, फिर उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) हरम की तरफ़ भेजते थे और ख़ुद (मदीना मुनव्वरा में) हलाल रहते थे। आप पर कोई चीज़ हराम न होती थी।

(2792) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1321/368, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3771.

باب:(٧٠) تَقْلِيدِ الْهَدْيِ نَعْلَيْنِ

बाब : (70) हरम को जाने वाले जानवर के गले में दो जूते लटकाना

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ الْهَدْىَ مِنْ جَانِبِ السَّنَامِ الأَيْمَنِ ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ ثُمَّ قَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَأَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ .

(2793) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब ज़ुल हुलैफ़ा पहुँचे तो आपने क़ुर्बानी के ऊँट को कोहान की दाईं जानिब इश्आर किया, फिर उससे ख़ून दूर किया, फिर आपने उसे दो जूते गले में डाले, फिर अपनी ऊँटनी पर सवार हुये। जब वह आप को लेकर बैदाअ पर चढ़ी तो आपने हज का लब्बैक कहा और ज़ुहर की नमाज़ के वक़्त एहराम बाँधा। और हज का लब्बैक पुकारा।

(2793) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2784, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3772.

फ़ायदा : क़लादे में जूतों के अलावा दरख़्त का छिलका वग़ैरह भी डाला जा सकता है।

باب:(٧١) هَلْ يُحْرِمُ إِذَا قَلَّدَ

बाब : (71) जब कोई शख़्स क़ुर्बानी के जानवर को क़लादा डाले तो क्या वह मुहरिम बन जाता है?

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ بَعَثَ بِالْهَدْيِ فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ .

(2794) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि जब सहाबा रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मदीना मुनव्वरा में होते थे तो वह (बसा औक़ात) क़ुर्बानी के जानवर हरम को भेजते थे। फिर जो चाहता एहराम बाँध लेता, जो न चाहता न बाँधता।

(2794) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/350, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3773.

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि हरम को क़ुर्बानी का जानवर भेजने के बाद शरअन एहराम की पाबन्दियाँ लागू नहीं होतीं जैसा कि ऊपर दी गई अहादीस से ये बात सराहतन साबित होती है, लेकिन अगर कोई शख़्स अपने तौर पर ये पाबन्दियाँ अपने आप पर लागू करना चाहे तो उसकी मर्ज़ी। ज़ाहिर है कि शरीयत आम एबाहत में किसी को मजबूर नहीं करती कि वह ज़रूर सिले हुये कपड़े पहने या ख़ुशबू लगाये या हजामत बनवाये, वग़ैरह वग़ैरह, लिहाज़ा ये रिवायत पहली रिवायात के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि ये तो उनकी सराहतन ताईद करती है।

باب:(٧٢) هَلْ يُوجِبُ تَقْلِيدُ الْهَدْيِ إِحْرَامًا

बाब : (72) क्या क़ुर्बानी के जानवर को क़लादा डालना एहराम का मोजिब है?

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَىَّ ثُمَّ يُقَلِّدُهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا

(2795) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ुर्बानी के जानवरों के क़लादे अपने हाथों से बटा करती थी, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने दस्ते मुबारक से वह क़लादे उनके गलों में डालते थे, फिर उन्हें मेरे वालिद मोहतरम के साथ हरम की तरफ़ भेजते थे, फिर आप कोई ऐसी चीज़ तर्क नहीं फ़रमाते थे

مَعَ أَبِي فَلاَ يَدَعُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا أَحَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدْىَ .

जिसे अल्लाह तआला ने आप के लिये हलाल कर रखा था। आप क़ुर्बानी का जानवर ज़बह होने का इन्तेज़ार नहीं फ़रमाते थे।

(2795) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1700, मुस्लिम, हदीस: 1321/369, मौता: 1/340, 341, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3774.

फ़ायदा : ये मसला साबिक़ा अहादीस़ से भी स़राहतन स़ाबित हो चुका है, अलबत्ता वह शख़्स़ जो क़लादा डाले हुये जानवरों के साथ हरम को जायेगा, वह मुहरिम बन जायेगा लेकिन ये एहराम मीक़ात से शुरू होगा, ख़्वाह क़लादे पहले से डाले हुये हों। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (ﷻ) के साथ जानवर भेजना 9 हिजरी की बात है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ .

(2796) हज़रत आयशा (ﷻ) फ़रमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के हरम जाने वाले जानवरों के लिये क़लादे बटा करती थी, फिर आप किसी ऐसी चीज़ से परहेज़ नहीं फ़रमाते थे जिनसे मुहरिम परहेज़ करता है।

(2796) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1321/360, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3776.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا وَلاَ نَعْلَمُ الْحَجَّ يُحِلُّهُ إِلاَّ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ .

(2797) हज़रत आयशा (ﷻ) से मरवी है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के हरम को जाने वाले क़ुर्बानी के जानवरों के क़लादे ख़ुद बटा करती थी तो आप (उन्हें हरम भेजने के बाद) किसी चीज़ से इज्तेनाब नहीं फ़रमाते थे। फ़रमाती हैं: हमें मालूम है कि हाजी को बैतुल्लाह का तवाफ़ ही हलाल करता है।

(2797) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2778, मुस्लिम, हदीस: 1321/361, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3777.

फ़ायदा : 'किसी चीज़ से इज्तेनाब' यानी जिमाअ वग़ैरह से इज्तेनाब नहीं फ़रमाते थे। और ये दलील है कि आप मुहरिम नहीं होते थे वरना मुहरिम तो जब तक बैतुल्लाह का तवाफ़ न कर ले, जिमाअ नहीं कर सकता, उम्रे का एहराम हो या हज का। हज का एहराम अगरचे मिना में क़ुर्बानी ज़बह होने के बाद खोला जाता है मगर बीवी से जिमाअ जायज़ नहीं जब तक वह तवाफ़े ज़ियारत न कर ले। उम्रे के एहराम में तो कोई इश्काल ही नहीं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيُخْرَجُ بِالْهَدْىِ مُقَلَّدًا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُقِيمٌ مَا يَمْتَنِعُ مِنْ نِسَائِهِ .

(2798) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं: बिला शुब्हा मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ुर्बानी के हरम जाने वाले जानवरों के क़लादे ख़ुद बटा करती थी, फिर उन्हें क़लादे डाल कर हरम की तरफ़ रवाना किया जाता जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) (मदीना मुनव्वरा ही में) मुक़ीम रहते थे और अपनी औरतों (के साथ जिमाअ) से परहेज़ नहीं फ़रमाते थे।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/102, 218, 236, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3778.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْغَنَمِ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلاَلاً .

(2799) हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया: मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़ुर्बानियाँ, यानी बकरियों के लिये क़लादे बटा करती थी, फिर आप उन्हें हरम की तरफ़ भेजते, फिर हममें हलाल शख़्स की तरह रहते थे।

(2799) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2781, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3779.

बाब : (73)
क़ुर्बानी के जानवर को हाँक कर ले जाना

باب:(٧٣) سَوْقِ الْهَدْيِ

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ

(2800) हज़रत मुहम्मद (बाक़िर) (رحمه الله) से मरवी है कि मैंने हज़रत जाबिर (ﷺ) को बयान करते हुये सुना कि नबी (ﷺ) हज्जतुल विदा में

अपने क़ुर्बानी के जानवरों को हाँक कर ले गये।

(2800) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2713, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3780.

أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَاقَ هَدْيًا فِي حَجِّهِ.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ुर्बानी के जानवर जो हरम को ले जाये जायें, उन्हें क़लादा डाला जाये। ऊँट हों तो उन्हें इश्आर भी किया जाये और उन्हें हाँक कर ले जाया जाये। सवारी वाले जानवर पीछे पीछे चलें। इसमें क़ुर्बानी के जानवरों का एहतिराम है। अल्लाह तआला के शआइर का इज़्हार है, और वह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ चलेंगे। उन्हें पीछे पीछे भागना नहीं पड़ेगा। **(2)** बाब के ये मानी भी हो सकते हैं: 'क़ुर्बानी के जानवर साथ लेकर जाना' तो फिर बाब का मक़सद ये होगा कि क़ुर्बानी का जानवर साथ ले जाना अफ़ज़ल है बजाये वहाँ जाकर ख़रीदने के क्योंकि इसमें मशक़्क़त भी ज़्यादा है और अल्लाह के शआइर का इज़्हार भी है। सुन्नते रसूल यही है, मगर चूंकि आपके सामने कसीर सहाबा क़ुर्बानी के जानवर मदीना मुनव्वरा से साथ लेकर नहीं गये थे, लिहाज़ा जानवर साथ ले जाना ज़रूरी नहीं क्योंकि हर शख़्स इतनी मशक़्क़त और अख़राजात बरदाश्त नहीं कर सकता। वल्लाहु आलम!

बाब : (74)
क़ुर्बानी के ऊँट पर सवार होना?

باب:(٧٤) رُكُوبِ الْبَدَنَةِ

(2801) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स को देखा कि वह क़ुर्बानी के ऊँट को हाँक कर ले जा रहा था (और ख़ुद पीछे पैदल चल रहा था) आपने फ़रमाया: 'इस पर सवार हो जा' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये क़ुर्बानी का ऊँट है। आपने फ़रमाया: 'सवार हो जा तुझ पर अफ़सोस!' ये आपने दूसरी या तीसरी दफ़ा फ़रमाया।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ " ارْكَبْهَا " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ " ارْكَبْهَا وَيْلَكَ " . فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ .

(2801) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6160, मुस्लिम, हदीस: 1322, मौता: 1/277, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3781.

फ़वाइद व मसाइल : (1) असल तो यही है कि क़ुर्बानी का ऊँट आगे आगे ख़ाली जाये। उस पर बोझ लदा हुआ हो न उस पर सवारी की जा रही हो। ये उसके एहतिराम का तक़ाज़ा है जैसे

रसूलुल्लाह(ﷺ) की सवारी की ऊँटनी और थी, क़ुर्बानी के ऊँट अलग थे। मगर मुमकिन है कोई शख़्स तंगदस्त हो। उसके पास एक ही ऊँट हो जिसे वह क़ुर्बानी के तौर पर ज़बह करना चाहता है। सवारी के लिये कोई अलग ऊँट मयस्सर नहीं। फ़ासिला बईद है तो कोई हर्ज नहीं कि वह उस पर सवार हो जाये क्योंकि अल्लाह तआला अपने बन्दों को तंगी में नहीं डालना चाहता। हदीस़: 2804 से ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आती है। अहनाफ़ क़ुर्बानी के जानवर पर सवार होने के लिये ये शर्त लगाते हैं कि वह शख़्स चलने से आजिज़ आ चुका हो और चल न सकता हो। अगर चल सकता हो तो फिर वह सवार नहीं हो सकता। मगर अहादीस़ से साफ़ मालूम होता है कि वह शख़्स चल रहा था बल्कि आपके मजबूर करने पर सवार हुआ। वह सवार न होना चाहता था। (2) पहली दफ़ा फ़रमाने पर वह इसलिये सवार न हुआ कि शायद रसूलुल्लाह (ﷺ) को इल्म न हो कि ये क़ुर्बानी का ऊँट है। दोबारा फिर वह सवार न हुआ कि अभी मुतरद्दिद था, फिर जब आपने सख़्ती से फ़रमाया और उसको भी कोई इश्काल बाक़ी न रहा तो फिर वह सवार हुआ। (3) 'तुझ पर अफ़सोस!' ज़ाहिरन तो ये बद दुआ है मगर उर्फ़े आम में ये कलिम-ए-तरहहुम व शफ़क़त है। आपका मक़सूद भी बद दुआ देना न था। (4) 'दूसरी या तीसरी दफ़ा' आइन्दा हदीस़ में 'चौथी दफ़ा' का ज़िक्र भी है। (5) जिस तरह मजबूरन सवार होना जायज़ है, उसी तरह उस पर सामाने सफ़र भी लादा जा सकता है।

(2802) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी को देखा कि वह पैदल एक ऊँट को हाँकता ले जा रहा है। आपने फ़रमाया: 'इस पर सवार हो जा।' उसने कहा: ये क़ुर्बानी का ऊँट है। आपने फ़रमाया: 'तू सवार हो जा।' उसने फिर कहा: ये क़ुर्बानी का ऊँट है। आपने चौथी दफ़ा फ़रमाया: 'इस पर सवार हो जा। तुझ पर अफ़सोस!'

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ ارْكَبْهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ ارْكَبْهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ ‏"‏ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ ‏"‏ ‏.‏

(2802) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/170, बुख़ारी, हदीस़: 1690, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3782.

बाब : (75) जिसे चलने में मशक़्क़त हो, उसके लिये क़ुर्बानी के जानवर पर सवार होना

باب:(٧٥) رُكُوبِ الْبَدَنَةِ لِمَنْ جَهَدَهُ الْمَشْيُ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً وَقَدْ جَهَدَهُ الْمَشْيُ قَالَ " ارْكَبْهَا " . قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ . قَالَ " ارْكَبْهَا وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً " .

(2803) हज़रत अनस (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने एक आदमी को देखा जो क़ुर्बानी का जानवर हाँक कर ले जा रहा था। वह बेचारा बड़ी मशक़्क़त से चल रहा था। आपने फ़रमाया: 'इस ऊँट पर सवार हो जा।' उसने कहा: ये क़ुर्बानी का ऊँट है। आपने फ़रमाया: 'सवार हो जा अगरचे ये क़ुर्बानी का है।'

(2803) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1323, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3783.

फ़ायदा : अगर चलने में मशक़्क़त हो तो क़ुर्बानी के जानवर पर सवार होने में कोई हर्ज नहीं। अगर सफ़र लम्बा हो तो ये भी मशक़्क़त ही की एक सूरत है। ज़रूरी नहीं कि वह बिल्कुल चलने से आजिज़ हो तब ही सवार हो। ज़रूरत के वक़्त सवार हो सकता है, अलबत्ता अगर अलग सवारी मौजूद हो तो क़ुर्बानी के ऊँट पर सवार नहीं होना चाहिए। एहतिराम ज़रूरी है।

बाब : (76) क़ुर्बानी के जानवर पर अच्छे तरीक़े से सवार होना चाहिए

باب:(٧٦) رُكُوبِ الْبَدَنَةِ بِالْمَعْرُوفِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُسْأَلُ عَنْ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا " .

(2804) हज़रत अबू ज़ुबैर बयान करते हैं कि मेरे सामने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से क़ुर्बानी के ऊँट पर सवार होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना है: 'उस पर अच्छे तरीक़े से सवारी कर, जब तुझे ज़रूरत पेश आये यहाँ तक कि तुझे सवारी मिल जाये।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1324, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3784.

फ़ायदा : आख़री अल्फ़ाज़: 'यहाँ तक कि तुझे सवारी मिल जाये' से साफ़ समझ में आता है कि ज़रूरत से मुराद सवारी का न होना है, न कि चलने से बिल्कुल आजिज़ आ जाना, लिहाज़ा सवारी न हो, सफ़र लम्बा हो तो कुर्बानी के जानवर पर सवार हो सकता है, अलबत्ता सवारी करते वक़्त भी उसका एहतिराम क़ाइम रखे, यानी उसे न भगाये, न मारे, न सब्बो-शतम करे बल्कि उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ चलने दे। जब वह थक जाये तो आराम करने दे। चारे वग़ैरह का भी ख़्याल रखे।

बाब : (77) जिस आदमी के साथ कुर्बानी का जानवर न हो, वह हज के एहराम को उम्रे के एहराम में बदल सकता है?

باب:(٧٧) إِبَاحَةِ فَسْخِ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْىَ

(2805) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि हम (हज्जतुल विदा में मदीना मुनव्वरा से) रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ चले। हमारी नियत सिर्फ़ हज की थी। जब हम मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो हमने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया (और सफ़ा मर्वा के दरम्यान सई की) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन लोगों को जिनके साथ कुर्बानी के जानवर नहीं थे, हुक्म दिया कि वह हलाल हो जायें। तो जो शख़्स कुर्बानी साथ नहीं लाये थे, वह हलाल हो गये। आपकी बीवियाँ भी कुर्बानी के जानवर साथ नहीं लाई थीं, वह भी हलाल हो गईं। हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया: मुझे तो हैज़ आने लगा था, लिहाज़ा मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकती थी। जब मुहस्सब वाली रात (चौधवीं) हूई तो मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! लोग हज और उम्रा करके (अपने घरों को) जायेंगे और मैं सिर्फ़ हज करके जाऊँगी? आप(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब हम मक्का मुकर्रमा आये थे तो तुमने उन रातों में तवाफ़ नहीं किया था?' मैंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'अपने

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ أَنْ يَحِلَّ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ . قَالَتْ عَائِشَةُ فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ . قَالَ " أَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ " . قُلْتُ لاَ . قَالَ " فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى

التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانُ كَذَا وَكَذَا " .

भाई (हज़रत अब्दुर्रहमान (ﷺ)) के साथ तनईम के मक़ाम पर जाओ और उम्रे का एहराम बाँधो, फिर (उम्रे की अदायगी के बाद) हमें फ़ुलां मक़ाम पर आ मिलना।'

(2805) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1561, मुस्लिम, हदीस: 1211/128, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3785.

फ़ायदा : ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। तफ़्सीली फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस: 2764, 2765. बाक़ी रहा बाब वाला मसला कि क्या हर हज के एहराम वाला जिसके साथ क़ुर्बानी न हो, उम्रा करके हलाल हो सकता है? हलाल हो सकता है, यही बात दुरुस्त है। इमाम अहमद और अहले ज़ाहिर इसे अब भी जायज़ समझते हैं बल्कि कुछ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक एहरामे हज वाला मक्का में आये तो लाज़िमन उसके हज का एहराम उम्रे में बदल जायेगा और उसे हलाल होना ही पड़ेगा, वह चाहे या न चाहे। तमत्तोअ क़यामत तक के लिये जायज़ है क्योंकि क़ुर्आन मजीद में इसकी सरीह इजाज़त है और ख़िताब भी आम है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ نُرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ أَنْ يَحِلَّ .

(2806) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ (हज्जतुल विदा में) निकले तो हमारा इरादा हज ही का था। जब हम मक्का मुकर्रमा से क़रीब हुये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया: 'जिस शख़्स के पास क़ुर्बानी का जानवर है, वह (तवाफ़ करने के बाद) अपने एहराम पर क़ाइम रहे और जिस शख़्स के साथ क़ुर्बानी का जानवर नहीं, वह (उम्रा करने के बाद) हलाल हो जाये।'

(2806) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2651, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3786.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ،

(2807) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि हमने, यानी नबी (ﷺ) के सहाबा ने ख़ालिस हज का एहराम बाँधा था। किसी और चीज़ की नियत

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ خَالِصًا وَحْدَهُ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَحِلُّوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً " . فَبَلَغَهُ عَنَّا أَنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ فَنَرُوحَ إِلَى مِنًى وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مِنَ الْمَنِيِّ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَنَا فَقَالَ " قَدْ بَلَغَنِي الَّذِي قُلْتُمْ وَإِنِّي لأَبَرُّكُمْ وَأَتْقَاكُمْ وَلَوْلاَ الْهَدْىُ لَحَلَلْتُ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ " . قَالَ وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ " بِمَا أَهْلَلْتَ " . قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ " فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ " . قَالَ وَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِلأَبَدِ قَالَ " هِيَ لِلأَبَدِ " .

नहीं थी। सिर्फ़ हज की नियत थी। हम ज़ुल हिज्जा की चार तारीख़ की सुबह को मक्का मुकर्रमा आये तो नबी (ﷺ) ने हमें हुक्म दिया: 'इस एहराम को उ़म्रा बना लो और (उ़म्रा करके) हलाल हो जाओ।' आपको ये बात पहुँची की हम कह रहे हैं: जब हमारे और यौमे अ़रफ़ा के दरम्यान सिर्फ़ पाँच दिन का फ़ासिला रह गया है तो आप हमें हलाल होने का हुक्म दे रहे हैं। हम मिना को जायेंगे तो गोया हमारे आज़ा-ए-तनासुल मनी बहा रहे होंगे। नबी (ﷺ) खड़े हुये और ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया: 'जो बात तुमने कही है, वह मुझे पहुँच गई है। यक़ीनन मैं तुम सबसे बढ़ कर नेक और परहेज़गार हूँ और अगर मेरे साथ क़ुर्बानी के जानवर न होते तो मैं ख़ुद हलाल हो जाता। और अगर मुझे इस बात का पहले पता चल जाता जिसका बाद में पता चला तो मैं क़ुर्बानी के जानवर साथ न लाता।' हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) ने फ़रमाया कि हज़रत अ़ली (رضي الله عنه) यमन से आये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा: 'तुमने क्या एहराम बाँधा है?' उन्होंने कहा: जो नबी (ﷺ) ने बाँधा है। आपने फ़रमाया: 'फिर तुम (यौमे नहर को) जानवर ज़बह करना। और तुम मुहरिम रहो जिस तरह तुम हो।' हज़रत सुराक़ा बिन मालिक बिन जुअ़्शम ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप फ़रमायें: क्या इस हमारे उ़म्रे की इजाज़त सिर्फ़ इस साल के लिये है या हमेशा के लिये? आपने फ़रमाया: 'हमेशा के लिये।'

(2807) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/317, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3787, देखें, हदीस: 2875.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'किसी और चीज़ की नियत नहीं थी' शुरू में ऐसा ही था। कुछ रिवायात में है कि कुछ ने उम्रे का एहराम बाँधा था, फिर मक्का मुकर्रमा के क़रीब जाकर उम्रे के लुज़ूम का हुक्म उतरा तो वहाँ सबने हज के साथ उम्रा भी दाख़िल कर लिया, फिर क़ुर्बानियों वाले मुहरिम रहे, दूसरे उम्रा करके हलाल हो गये। हज का एहराम अलग बाँधा। ये तौजीह बेहतर है क्योंकि इस तरह तमाम अहादीस़ अपने मानी पर रहती हैं। (2) 'मनी बहा रहे होंगे' ये बतौर मुबालिग़ा कहा कि हज से इस क़द्र क़रीब जिमाअ करना मुनासिब नहीं। ये तक़बीह के लिये अल्फ़ाज़ ज़िक्र कर दिये वरना उन्हें कोई बीमारी तो नहीं थी कि ऐसे होता। और हज को तो एहराम बाँध कर जाना था। (3) 'तुम से बढ़ कर नेक' यानी जिस काम का मैं हुक्म दूँ, जो काम मैं करूँ, उससे परहेज़ करना हिमाक़त है। अगर वह काम क़बीह होता तो मैं हुक्म ही न देता। (4) 'जिस का बाद में पता चला' कि उम्रा करना लाज़िम हो जायेगा। (5) 'हमेशा के लिये' यानी तमत्तोअ क़यामत तक के लिये जायज़ है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لأَبَدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هِيَ لأَبَدٍ " .

(2808) हज़रत सुराका बिन मालिक बिन जुअ्शम (رضي الله عنه) से रिवायत है कि उन्होंने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप फ़रमायें, क्या हमारा ये उम्रा (यानी अय्यामे हज के दौरान में) सिर्फ़ इसी साल के लिये है या हमेशा के लिये? आपने फ़रमाया: 'हमेशा के लिये।'

(2808) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस़: 2977, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3788, सहीह मुस्लिम, हदीस़: 2648.

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ قَالَ سُرَاقَةُ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا أَلَنَا خَاصَّةً أَمْ لأَبَدٍ قَالَ " بَلْ لأَبَدٍ " .

(2809) हज़रत सुराक़ा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तमत्तोअ किया और हमने भी आपके साथ तमत्तोअ किया, फिर हमने कहा: क्या ये हमारे लिये ख़ास है या हमेशा के लिये है? आपने फ़रमाया: 'बल्कि हमेशा के लिये है।'

(2809) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3789.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ

(2810) हज़रत बिलाल (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हज को

الْعَزِيزِ، -وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِيُّ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ " بَلْ لَنَا خَاصَّةً" .

फ़स्ख़ करके उम्रा बनाना सिर्फ़ हमारे लिये है या सब लोगों के लिये? आपने फ़रमाया: 'बल्कि सिर्फ़ हमारे लिये है।'

(2810) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 1808, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3790.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, लिहाज़ा हुज्जत नहीं है। इसके बरअक्स वह मौक़िफ़ दुरुस्त है जो साबिक़ा सहीह अहादीस: 2808, 2809 में बयान हुआ है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَعَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ قَالَ كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً .

(2811) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से तमत्तोअ के बारे में मन्क़ूल है कि ये सिर्फ़ हमारे लिये रुख़सत थी।

(2811) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1224/161, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3791, मुस्लिम, हदीस: 1224/160.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَارِثِ بْنَ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ لَيْسَتْ لَكُمْ وَلَسْتُمْ مِنْهَا فِي شَىْءٍ إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً لَنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم .

(2812) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) ने तमत्तोअ के बारे में फ़रमाया कि ये तुम्हारे लिये नहीं। न तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक़ है। ये तो सिर्फ़ हम, यानी अस्हाबे मुहम्मद (ﷺ) के लिये रुख़सत थी।

(2812) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3792.

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ،

(2813) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) बयान करते हैं कि तमत्तोअ, सिर्फ़ हमारे लिये रुख़सत थी।

(2813) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ كَانَتِ الْمُتْعَةُ رُخْصَةً لَنَا .

देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3793.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ فَقُلْتُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَجْمَعَ الْعَامَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ . فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَوْ كَانَ أَبُوكَ لَمْ يَهُمَّ بِذَلِكَ . قَالَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ لَنَا خَاصَّةً .

(2814) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू शअसाअ से रिवायत है कि मैं हज़रत इब्राहीम नख़ई और हज़रत इब्राहीम तैमी के साथ था। मैंने कहा: मेरा इरादा है कि मैं इस साल हज और उम्रा इकट्ठा करूँ। हज़रत इब्राहीम कहने लगे: अगर तेरा बाप ज़िन्दा होता तो वह ये इरादा न करता, फिर उन्होंने हज़रत अबू ज़र (ﷺ) का फ़रमान ज़िक्र किया कि (ये ख़ुसूसी) तमत्तोअ सिर्फ़ हमारे लिये ही था।

(2814) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2811, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3794.

फ़ायदा : ये आसार (अक़वाले सहाबा) हैं जो उनकी ला'इल्मी पर मबनी हैं, इसलिये अहादीस के मुक़ाबले में हुज्जत नहीं।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانُوا يُرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ، فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الْوَبَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ - أَوْ قَالَ دَخَلَ صَفَرْ - فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلى

(2815) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि अहले जाहिलियत ये समझते थे कि हज के महीनों में उम्रा करना ज़मीन पर सबसे बड़ा गुनाह है। वह मुहर्रम को सफ़र बना लिया करते थे और कहते थे: जब ऊँटों की पुश्त पर लगने वाले ज़ख़्म ठीक हो जायें और ख़ूब ऊन उग आये और सफ़र (मुहर्रम) गुज़र जाये, या उन्होंने कहा: सफ़र का महीना शुरू हो जाये तो फिर उम्रा करने वाले के लिये उम्रा हलाल होता है। नबी (ﷺ) (हज्जतुल विदा में) और आपके सहाबा चार ज़ुल हिज्जा की सुबह को हज की लब्बैक कहते हुये मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो आपने उन्हें हुक्म दिया कि इस

الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحِلِّ قَالَ " الْحِلُّ كُلُّهُ " .

हज के एहराम को उ़म्रा बना लें। ये चीज़ उनके नज़दीक बड़ी शाक़ थी (कि वह हलाल हो जायें) तो उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! किस क़िस्म की हिल्लत? आपने फ़रमाया: 'पूरी हिल्लत।'

(2815) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 1564, मुस्लिम, हदीस़: 1240, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3795.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'सबसे बड़ा गुनाह है' उनका ख़्याल था कि हज के महीनों में सिर्फ़ हज ही करना चाहिए। उ़म्रे के लिये बाद में अलग से स़फ़र किया जाये ताकि बैतुल्लाह सारा साल आबाद रहे। चूंकि इसमें दूर से आने वाले लोगों के लिये तंगी थी, लिहाज़ा शरीयत ने दूर से आने वालों के लिये हज से पहले उ़म्रे की इजाज़त दे दी जबकि इमाम शाफ़ेई (ﷺ) के नज़दीक अब भी बेहतर यही है कि हज के दिनों में हज ही किया जाये। उ़म्रा हज के अ़लावा बाक़ी दिनों में किया जाये ताकि बैतुल्लाह सारा साल आबाद रहे। वैसे उनके नज़दीक तमत्तोअ भी जायज़ है, अलबत्ता अफ़ज़ल नहीं। **(2)** हज के महीनों से मुराद हैं: शव्वाल, ज़ुलक़अ़दा, ज़ुल हिज्जा के पहले 9 दिन क्योंकि इन दिनों में हज का एहराम बाँधा जा सकता है। कुछ ने पूरा ज़ुल हिज्जा भी मुराद लिया है क्योंकि इसका नाम ही हज का महीना है, लिहाज़ा उनके नज़दीक उ़म्रा ज़ुल हिज्जा के बाद ही होना चाहिए, मगर ये कि कोई मजबूरी हो जैसे हज़रत आ़यशा (ﷺ) को थी। **(3)** 'मुहर्रम को स़फ़र' ज़ुलक़अ़दा, ज़ुल हिज्जा और मुहर्रम तीन महीने इकट्ठे हुर्मत के हैं। जब कुफ़्फ़ार को मुसल्सल तीन महीने हुर्मत के गुज़ारने मुश्किल हो जाते तो वह मुहर्रम को स़फ़र क़रार दे लेते। अपनी तंगी दूर करने के बाद स़फ़र को मुहर्रम क़रार दे लेते और हुर्मत की पाबन्दियों पर अ़मल करते ताकि गिनती पूरी हो जाये, मगर ये शरीयत के साथ मज़ाक़ है कि अपने आपको बदलने के बजाये शरीयत का हुक्म बदल दिया जाये। इसी लिये क़ुर्आन मजीद ने इसके बारे में बड़े सख़्त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल फ़रमाये हैं: (इन्नमन्नसीउ जियादतुन फ़िल्कुफ़्र) (अत्तौबा: 9/37) अ़रबी में इस फ़ेअ़ल को नसी (ताख़ीर) कहा जाता है। **(4)** 'ज़ख़्म ठीक हो जायें' हज के सफ़र के दौरान में पालान लग लग कर पीठ पर ज़ख़्म बन जाते थे। उनका मतलब था कि जब तक वह ज़ख़्म ठीक नहीं हो जाते, उ़म्रे का सफ़र शुरू न किया जाये। **(5)** 'ऊन उग आये' पालानों की वजह से ऊन झड़ जाती थी, और ज़ख़्मों वाली जगह भी ऊन से ख़ाली हो जाती थी। मतलब ये था कि दोबारा अच्छी तरह ऊन उग आये, तब उ़म्रे का सफ़र शुरू किया जाये। **(6)** 'और स़फ़र गुज़र जाये' मुराद मुहर्रम है क्योंकि वह मुहर्रम को स़फ़र बना लेते थे, लिहाज़ा दूसरा जुम्ला 'या स़फ़र शुरू हो जाये' इसके ख़िलाफ़

नहीं है क्योंकि इस दूसरे जुम्ले में सफ़र से हक़ीक़ी सफ़र मुराद है, यानी मुहर्रम गुज़र जाये और सफ़र शुरू हो जाये तो फिर वह उम्रा करने के क़ाइल थे। (बाक़ी मबाहिस पीछे गुज़र चुकी हैं)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ، - وَهُوَ الْقُرِّيُّ - قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْىُ أَنْ يَحِلَّ وَكَانَ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْىُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحَلاَّ ‏.‏

(2816) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उम्रे का एहराम बाँधा और आपके सहाबा ने हज का एहराम बाँधा था। आपने हुक्म फ़रमाया कि जिनके साथ क़ुर्बानी का जानवर नहीं, वह (उम्रा करके) हलाल हो जायें। और जिनके पास क़ुर्बानी के जानवर नहीं थे उनमें हज़रत तल्हा बिन उबैदुल्लाह और एक और शख़्स शामिल थे, लिहाज़ा वह दोनों हलाल हो गये।

(2816) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1239, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3796.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'उम्रे का एहराम बाँधा' ये अल्फ़ाज़ कसीर रिवायात के ख़िलाफ़ हैं जिनमें आपके हज के एहराम का ज़िक्र है, इसलिये इन अल्फ़ाज़ का वही मफ़हूम मुराद लिया जायेगा जो दीगर रिवायात के मुख़ालिफ़ न हो कि आपने उम्रे को हज के एहराम में दाख़िल फ़रमा लिया और दोनों को एक एहराम से अदा फ़रमाया। (2) 'वह दोनों हलाल हो गये' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि शायद यही दो अश्ख़ास थे जिनके पास जानवर नहीं थे, लिहाज़ा सिर्फ़ ये दोनों हलाल हुये, लेकिन सूरते हाल इससे यक्सर मुख़्तलिफ़ है। क़ुर्बानी साथ ले जाने वाले चन्द अफ़राद थे। अक्सर सहाबा क़ुर्बानी के जानवर साथ नहीं लाये थे बल्कि सहीह बुख़ारी में सराहत है कि हज़रत तल्हा बिन उबैदुल्लाह (ﷺ) तो क़ुर्बानी का जानवर साथ लाये थे और वह हलाल नहीं हुये। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1651) और यही बात सही है। इस रिवायत में वहम है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई, 24/349-350)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ هَذِهِ عُمْرَةٌ

(2817) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मन्क़ूल है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये उम्रा है। हमने (हज के साथ) इसका फ़ायदा उठाया है, लिहाज़ा जिस शख़्स के पास क़ुर्बानी का जानवर नहीं, वह मुकम्मल तौर पर हलाल हो जाये, और सुन लो

اسْتَمْتَعْنَاهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ " .

कि उम्रा हज में दाख़िल हो गया है।'

(2817) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1241, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3797.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'लिहाज़ा' यानी उम्रा करने की वजह से हमारा हज तमत्तोअ बन गया है, लिहाज़ा उम्रे और हज के दरम्यान हलाल होना चाहिए ताकि उम्रे की अपनी जुदागाना हैसियत वाज़ेह हो, अलबत्ता शर्त ये है कि साथ कुर्बानी का जानवर न हो। **(2)** 'उम्रा हज में दाख़िल हो गया है' इसके मुख़्तलिफ़ मफ़हूम बयान किये गये हैं। ○ हज के दिनों में उम्रा किया जा सकता है। ○ उम्रे के अफ़आल अलग अदा करने की ज़रूरत नहीं। अगर हज और उम्रा इकट्ठे (क़िरान की सूरत में) अदा हो रहे हैं तो सिर्फ़ हज के अफ़आल काफ़ी हैं। सिर्फ़ नियत में उम्रा होगा। अफ़आल हज ही के होंगे। ये इमाम शाफ़ेई (ﷺ) की राय है। ○ उम्रा हज में दाख़िल है, लिहाज़ा हज फ़र्ज़ होने के बाद उम्रा ज़रूरी नहीं रहा। हज ही से किफ़ायत हो जायेगी। इन चारों मआनी में से पहले मआनी मुत्तफ़क़ अलैहि हैं। दूसरे मआनी सिर्फ़ इमाम अहमद (ﷺ) के नज़दीक, तीसरे मआनी इमाम शाफ़ेई के नज़दीक और चौथे मआनी सिर्फ़ अहनाफ़ के नज़दीक मोतबर हैं। वल्लाहु आलम!

بَاب:(٧٨) مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

बाब : (78) मुहरिम के लिये कौन सा शिकार खाना जायज़ है?

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ وَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ

(2818) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) से रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे। यहाँ तक कि जब वह मक्का मुकर्रमा के रास्ते में थे तो कुछ साथियों के साथ आपसे पीछे रह गये। वह साथी मुहरिम थे मगर वह (अबू क़तादा) मुहरिम नहीं थे। उन्होंने एक जंगली गधा देखा तो वह फ़ौरन अपने घोड़े पर सवार हुये, फिर उन्होंने अपने साथियों से कहा कि उन्हें उनका कोड़ा पकड़ा दें। उन लोगों ने इन्कार किया, फिर उन्होंने उनसे अपना नेज़ा माँगा तो उन्होंने देने से इन्कार कर दिया। उन्होंने (ख़ुद उतर कर) उसे (यानी कोड़ा) उठाया और फिर

فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَأَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ"

जंगली गधे का पीछा किया और उसे क़त्ल कर दिया। नबी (ﷺ) के कुछ सहाबा ने उसका गोश्त खा लिया और कुछ ने इन्कार किया, फिर जब वह रसूलुल्लाह (ﷺ) से मिले तो आपसे इसकी बाबत पूछा। आपने फ़रमाया: 'ये अल्लाह तआला की तरफ़ से अता कर्दा खाना था जो उसने तुम्हें खाने के लिये मुहैया फ़रमाया था।'

(2818) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1196/57, बुख़ारी, हदीस: 2914, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3798, मौता: 1/35.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये उम्रे के सफ़र की बात है। इस उम्रे को उम्रतुल हुदैबिया के नाम से याद किया जाता है। ये 6 हिजरी में हुआ। **(2)** 'वह मुहरिम नहीं थे' दरअसल आपने उन्हें किसी और काम पर भेजा था। **(3)** 'उन्होंने इन्कार किया' क्योंकि मुहरिम के लिये शिकार करना भी मना है और किसी शिकार में तआवुन करना भी हराम है। **(4)** अगर मुहरिम ने ख़ुद शिकार न किया हो और न शिकार ही में कुछ तआवुन किया हो तो वह मुहरिम उस शिकार का गोश्त खा सकता है बशर्ते कि शिकार करने वाला और ज़बह करने वाला हलाल हो, मुहरिम न हो। कुछ दूसरी अहादीस में ये शर्त भी है कि शिकार करने वाले शख़्स ने वह शिकार मुहरिम के लिये न किया हो बल्कि अपने लिये किया हो, बाद में वह बतौर तोहफ़ा मुहरिम को दे तो वह खा सकता है। देखिये: (मुसनद अहमद: 5/302, जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 849) ये अहादीस सही हैं, लिहाज़ा ये शर्त भी ज़रूरी है। अहनाफ़ बिला वजह इस शर्त को ज़रूरी नहीं समझते मगर इस तर्ज़े अमल से बहुत सी अहादीस अमल से रह जायेंगी जो यक़ीनन ग़ैर मुनासिब बात है। हर सही हदीस वाजिबुल अमल है। **(5)** इज्तेहाद का दरवाज़ा क़यामत तक खुला है। **(6)** मुज्तहिद अपने इज्तेहाद के मुताबिक़ अमल करेगा अगरचे उसकी राय की मुख़ालिफ़त की गई हो। **(7)** जब किसी मसले में इख़्तिलाफ़ वाक़ेअ हो जाये तो नस की तरफ़ रुजू करना चाहिए।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا

(2819) हज़रत अब्दुर्रहमान तैमी से रिवायत है कि हम हज़रत तल्हा बिन उबैदुल्लाह (رضي الله عنه) के साथ थे। हम सब मुहरिम थे। उन्हें एक परिन्दे का गोश्त बतौर तोहफ़ा भेजा गया। वह सो रहे थे। हममें से कुछ ने वह गोश्त खा लिया और कुछ ने परहेज़ किया। इतने में हज़रत तल्हा (رضي الله عنه) जाग

مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَهُوَ رَاقِدٌ فَأَكَلَ بَعْضُنَا وَتَوَرَّعَ بَعْضُنَا فَاسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ فَوَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

पड़े तो उन्होंने उन लोगों की ताईद की जिन्होंने गोश्त खाया था और फ़रमायाः हमने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ इसी परिन्दे का गोश्त खाया था।

(2819) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 1197, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 3799.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنِ الْبَهْزِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارُ وَحْشٍ عَقِيرٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ " . فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ وَهُوَ صَاحِبُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ . فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَّمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالأُثَايَةِ بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ إِذَا ظَبْيٌ

(2820) हज़रत (ज़ैद बिन कअब) बहज़ी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का मुकर्रमा के इरादे से निकले। आप एहराम बाँधे हुये थे यहाँ तक कि जब वह (लोग) मक़ामे रौहा में पहुँचे तो उन्होंने एक ज़ख़्मी जंगली गधा देखा। इस बात का तज़्किरा रसूलुल्लाह (ﷺ) से किया गया तो आपने फ़रमायाः 'उसे कुछ न कहो। हो सकता है उसे ज़ख़्मी करने वाला आ जाये।' इतने में वह बहज़ी भी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आ गया जिसने उसे ज़ख़्मी किया था। कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! इस जंगली गधे को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ इस्तेमाल फ़रमाइये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अबू बक्र (ﷺ) को (तक़्सीम करने का) हुक्म दिया तो उन्होंने उसे तमाम साथियों में तक़्सीम कर दिया। फिर आप चल पड़े यहाँ तक कि जब रुवैसा और अ़र्ज के दरम्यान उसाया मक़ाम पर पहुँचे तो एक हिरन साये में सर झुकाये खड़ा आराम कर रहा था और उसमें एक तीर घुसा हुआ था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी को हुक्म दिया। उसके पास खड़ा रह ताकि कोई शख़्स उसे परेशान न करे यहाँ तक कि

حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ وَفِيهِ سَهْمٌ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلاً يَقِفُ عِنْدَهُ لاَ يُرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ .

क़ाफ़िला उससे आगे गुज़र जाये।

(2820) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/452, मौता: 1/351, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3800, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 983.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'बहज़ी' यानी क़बील-ए-बहज़ का एक फ़र्द। उनका नाम ज़ैद बिन कअब है और ये सहाबी हैं। **(2)** 'जंगली गधा' ये दरअसल जंगली गाय होती है लेकिन चूंकि इसका पाँव गधे की तरह ख़मदार होता है, इसलिये इस मामूली मुनासिबत की वजह से जंगली गधा कह दिया जाता है वरना हक़ीक़तन वह गधा नहीं होता। तभी तो खाना जायज़ है।**(3)** 'इसे कुछ न कहो' मुहरिम को इजाज़त नहीं कि वह किसी जानवर का शिकार करे या शिकार किये हुये को पकड़े या ज़बह करे, हाँ कोई ग़ैर मुहरिम शख़्स अपनी मर्ज़ी से उसे शिकार करके बल्कि ज़बह करके मुहरिम को दे दे तो वह खा सकता है जैसा कि उस बहज़ी ने किया था, वरना वह जानवर को उसी तरह रहने दें जैसा कि बाद में हिरन के साथ हुआ। **(4)** रौहा मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की जानिब तीस चालीस मील के फ़ासिले पर एक मक़ाम है। इसी तरह दूसरे मक़ामात उसाया, रुवैसा और अर्ज भी मक्का को जाते हुये रास्ते में आते हैं। **(5)** 'साये में' एक टीले की ओट में पनाह लिये खड़ा था।

باب:(٧٩) مَا لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ

बाब : (79) किस क़िस्म का शिकार मुहरिम के लिये खाना जायज़ नहीं?

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي وَجْهِي قَالَ " أَمَا إِنَّهُ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ "

(2821) हज़रत सअब बिन जस्सामा लैसी (ﷺ) से मन्क़ूल है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में एक जंगली गधा बतौर हदिया पेश किया। आप उस वक़्त अबवा या वद्दान मक़ाम में थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वह उन्हें वापस कर दिया। लेकिन जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरे चेहरे के ग़म व तास्सुफ़ को मुलाहिज़ा फ़रमाया तो फ़रमाने लगे: 'हमने ये सिर्फ़ इसलिये तुझे वापस किया है कि हम मुहरिम हैं।'

(2821) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1825, मुस्लिम, हदीस: 1193, मौता: 1/353, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3801.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'पेश किया' कुछ दूसरी रिवायात में स़राहत है कि वह ज़िन्दा नहीं था बल्कि ज़बह शुदा का कुछ हिस्सा पेश किया गया था। (2) 'अबवा और वद्दान' मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरम्यान ये दोनों मक़ामात क़रीब क़रीब हैं। (3) 'वापस कर दिया' हालांकि साबिक़ा रिवायात के मुताबिक़ आपने हज़रत अबू क़तादा और बहज़ी से शिकार क़बूल फ़रमा लिया था, इसलिये इस मसले में उ़लमा का इख़्तिलाफ़ हो गया। स़ही और मुहक़्क़क़ बात जिससे तमाम स़ही अहादीस़ पर अ़मल हो जाता है, ये है कि पहले दो हज़रात ने वह जानवर अपने लिये शिकार किये थे। बाद में उन्हें ख़्याल आया तो उन्होंने मुहरिमीन को बतौर हदिया दे दिये, लिहाज़ा उनका खाना मुहरिमीन के लिये जायज़ था जबकि हज़रत स़अ़ब ने वह जानवर शिकार ही नबी (ﷺ) के लिये क्या था कि आपको तोहफ़तन पेश कर सकें, लिहाज़ा वह मुहरिमीन के लिये खाना जायज़ नहीं था। ये तफ़्सील हदीस़ नम्बर 2830 में आ रही है। जुम्हूर अहले इल्म का यही मस्लक है जिनमें इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़ व दीगर मुहद्दिसीन (رحمهم الله) शामिल हैं, जबकि इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) ग़ैर मुहरिम के हर शिकार को मुहरिम के लिये जायज़ समझते हैं बशर्ते कि उसने कोई तआ़वुन न किया हो। क़तअ़ नज़र इससे कि उसने वह शिकार अपने लिये किया हो या किसी के लिये। और कुछ ने क़ुर्आन मजीद की आयत के ज़ाहिर (वहुर्रिम अ़लैकुम स़य्यदुल बर्रि मा दुम्तुम हुरुमन) (अल माइदा: 5/96) और हज़रत स़अ़ब वाली इसी हदीस़ से इस्तेदलाल करते हुये मुहरिम के लिये शिकार खाना किसी भी हाल में जायज़ क़रार नहीं दिया, मगर इन दोनों मस्लकों पर अ़मल करने से बहुत सी अहादीस़ अ़मल से रह जाती हैं जो यक़ीनन ना'मुनासिब है, इसलिये जुम्हूर अहले इल्म का मस्लक ही स़ही है क्योंकि इसमें सब मुताल्लिक़ा अहादीस़ पर अ़मल हो जाता है। इमाम नसाई (رحمه الله) का रुझान भी यही मालूम होता है। (4) नबी-ए-अकरम (ﷺ) स़दक़ा नहीं लेते थे, हदिया क़बूल फ़रमा लेते थे।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَدَّانَ رَأَى حِمَارَ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ " إِنَّا حُرُمٌ لاَ نَأْكُلُ الصَّيْدَ " .

(2822) हज़रत स़अ़ब बिन जस्सामा (رضي الله عنه) से मरवी है कि नबी (ﷺ) तशरीफ़ लाये यहाँ तक कि जब आप वद्दान में पहुँचे तो आपने एक जंगली गधा (मेरे पास बतौर तोहफ़ा) देखा। आपने वह मुझे वापस फ़रमा दिया और फ़रमाने लगे: 'हम मुहरिम हैं। ये शिकार नहीं खा सकते (क्योंकि ये हमारे लिये शिकार किया गया है।)'

(2822) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3802.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَقْبَلْهُ قَالَ نَعَمْ

(2823) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) से कहा: क्या आप नहीं जानते कि नबी (ﷺ) की ख़िदमते आलिया में शिकार किये हुये जानवर का एक टुकड़ा पेश किया गया था जबकि आप मुहरिम थे, लिहाज़ा आपने क़बूल न फ़रमाया। हज़रत ज़ैद ने कहा: हाँ! (मैं जानता हूँ।)

(2823) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1850, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3803, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 981.

फ़ायदा : ये रिवायत दलालत करती है कि वह जानवर ज़िन्दा आपकी ख़िदमत में पेश नहीं किया गया था बल्कि ज़बह शुदा जानवर का टुकड़ा पेश किया गया था। अहनाफ़ कहते हैं कि आपने इसलिये वापस फ़रमा दिया कि उसने ज़िन्दा शिकार पेश किया था और ज़बह करना मुहरिम के लिये जायज़ नहीं था। हालांकि अगर यही बात होती तो आप फ़रमा सकते थे कि तुम ज़बह करके लाओ। इस रिवायत से अहनाफ़ की तर्दीद होती है। सही बात हदीस नम्बर: 2821 में गुज़र चुकी है।

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى، وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ نَعَمْ أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ عُضْوًا مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ " إِنَّا لاَ نَأْكُلُ إِنَّا حُرُمٌ " .

(2824) हज़रत ताऊस से रिवायत है कि हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) तशरीफ़ लाये तो हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने उन्हें याद करवाते हुये कहा कि आपने मुझे शिकार के गोश्त के बारे में कैसे बताया था जो रसूलुल्लाह (ﷺ) को एहराम की हालत में पेश किया गया था? वह फ़रमाने लगे: हाँ, हाँ! एक आदमी ने आपकी ख़िदमत में शिकार शुदा जानवर के गोश्त का टुकड़ा पेश किया था तो आपने उसे वापस फ़रमा दिया था, और फ़रमाया: 'हम ये नहीं खा सकते। हम मुहरिम हैं।'

(2824) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1195, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3804.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ تَقْطُرُ دَمًا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ بِقُدَيْدٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ .

(2825) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि हज़रत सअब बिन जस्सामा (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में जंगली गधे की एक रान पेश की जिससे ख़ून के क़तरे गिर रहे थे। आप उस वक़्त मुहरिम थे और मक़ामे क़ुदैद में फ़रोकश थे। तो आपने उसे वापस फ़रमा दिया।

(2825) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1194/54, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3805.

फ़ायदा : क़ुदैद भी एक मक़ाम का नाम है। पिछली अहादीस में वद्दान या अबवा का ज़िक्र है। ये सब मक़ामात क़रीब क़रीब हैं। कोई इख़्तिलाफ़ नहीं। दो शहरों की दरम्यानी जगह को किसी शहर की तरफ़ भी मन्सूब किया जा सकता है।

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَبِيبٍ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي ثَابِتٍ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ، أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ حِمَارًا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ .

(2826) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि हज़रत सअब बिन जस्सामा (ﷺ) ने नबी(ﷺ) को एक जंगली गधा बतौर तोहफ़ा पेश किया जबकि आप मुहरिम थे, लिहाज़ा आपने वह उन्हें वापस फ़रमा दिया।

(2826) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3806.

باب:(٨٠) إِذَا ضَحِكَ الْمُحْرِمُ فَفَطِنَ الْحَلَالُ لِلصَّيْدِ فَقَتَلَهُ أَيَأْكُلُهُ أَمْ لَا

बाब : (80) अगर मुहरिम (शिकार देख कर) हँस पड़े जिससे हलाल शख़्स को शिकार का पता चल जाये, फिर वह उसे शिकार करे तो क्या मुहरिम उसे खा सकता है?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ

(2827) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू क़तादा ने कहा कि मेरे वालिद रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ

حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ انْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِي ضَحِكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ فَطَعَنْتُهُ فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ فَطَلَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُرَفِّعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيرُ شَأْوًا فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ تَرَكْتُهُ وَهُوَ قَائِلٌ بِالسُّقْيَا . فَلَحِقْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ فَانْتَظِرْهُمْ فَانْتَظَرَهُمْ . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِي مِنْهُ فَقَالَ لِلْقَوْمِ " كُلُوا " . وَهُمْ مُحْرِمُونَ .

हुदैबिया वाले साल गये। उनके साथियों ने एहराम बाँध रखा था मगर उन्होंने एहराम नहीं बाँधा था। (वह कहते हैं कि) मैं एक दफ़ा अपने साथियों के पास बैठा था कि वह एक दूसरे की तरफ़ देख कर हँसने लगे। मैंने (इधर उधर) देखा तो मुझे एक जंगली गधा नज़र आया। मैंने नेज़े से उस पर वार किया (और उसे शिकार कर लिया, इससे पहले) मैंने उनसे (शिकार के सिलसिले में) मदद तलब की थी तो उन्होंने मेरी मदद करने से इन्कार कर दिया था (क्योंकि वह मुहरिम थे) फिर हमने उस शिकार का गोश्त खाया। हमें ख़तरा महसूस हुआ कि हमें दुश्मन कहीं रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुन्क़तअ न कर दे। मैं अपने घोड़े को तेज़ भगाते हुये रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे (उन्हें मुत्तलअ करने के लिये) चला। कभी मैं घोड़े को तेज़ भगाता था और कभी आहिस्ता चलाता था। (रास्ते में) मैं आधी रात को बनू ग़िफ़ार के एक आदमी को मिला। मैंने उससे पूछा: तुमने रसूलुल्लाह (ﷺ) को कहाँ छोड़ा है? उसने कहा: मैं आपके पास से चला तो आप सुक़्या मक़ाम पर क़ैलूला फ़रमा रहे थे। मैं आपको जा मिला। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपके सहाबा आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु (सलाम व दुआ) अर्ज़ करते हैं। उन्हें ख़तरा है कि कहीं दुश्मन (उन पर हमला करके) उन्हें आपसे मुन्क़तअ न कर दे, इसलिये आप रुक कर उनका इन्तेज़ार फ़रमायें। आपने उनका इन्तेज़ार फ़रमाया। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने एक जंगली गधा शिकार किया है और

मेरे पास उसका कुछ गोश्त बाक़ी है। आपने लोगों से फ़रमाया: 'खाओ' हालांकि वह मुहरिम थे।

(2827) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1821, मुस्लिम, हदीस: 1196/59, देखें हदीस: 2821, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3807.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगर मुहरिम शिकारी के साथ कोई तआवुन न करे और उसे मुत्तलअ करने के लिये न हँसे बल्कि इत्तेफ़ाक़न शिकार देख कर हँस पड़े और उससे शिकारी को अन्दाज़ा हो जाये तो कोई हर्ज नहीं। ऐसा शिकार जो हलाल आदमी ने किया हो, मुहरिम भी खा सकते हैं बशर्ते कि शिकारी ने ख़ास उनके लिये शिकार न किया हो। **(2)** रिवायत तफ़्सीलन गुज़र चुकी है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये हदीस: 2818 **(3)** हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) के एहराम न बाँधने की एक और वजह ये भी बयान की गई है कि उस वक़्त तक मवाक़ीत मुक़र्रर नहीं हुये थे। उस वक़्त हरम शुरू होने से पहले पहले कहीं से भी एहराम बाँधा जा सकता था। मीक़ात हज्जतुल विदा में मुक़र्रर हुये, मगर ये वजह इतनी क़वी मालूम नहीं होती क्योंकि ये वजह तो सबके लिये बराबर थी जबकि दूसरों ने एहराम बाँध रखा था। लाज़िमन कोई और वजह थी जिस का ज़िक्र हो चुका। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّسَائِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ - قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - وَهُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ - قَالَ - فَأَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ فَأَطْعَمْتُ أَصْحَابِي مِنْهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً فَقَالَ " كُلُوهُ " . وَهُمْ مُحْرِمُونَ .

(2828) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ग़ज़्व-ए-हुदैबिया में गया। सब लोगों ने उम्रे का एहराम बाँध लिया। मैंने न बाँधा, फिर मैंने एक जंगली गधा शिकार किया और अपने मुहरिम साथियों को उसका गोश्त खिलाया, फिर मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आया और आपको बतलाया कि हमारे पास उसका बचा हुआ गोश्त मौजूद है। आपने (हाज़िरीन से) फ़रमाया: 'खाओ' हालांकि वह मुहरिम थे।

(2828) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3808, मुस्लिम, हदीस: 1196/62.

बाब : (81) अगर मुहरिम शिकार की तरफ़ इशारा करे और ग़ैर मुहरिम उसे शिकार करे तो?

باب:(٨١) إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ الْحَلاَلُ

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُمْ كَانُوا فِي مَسِيرٍ لَهُمْ بَعْضُهُمْ مُحْرِمٌ وَبَعْضُهُمْ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ - قَالَ - فَرَأَيْتُ حِمَارَ وَحْشٍ فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَأَخَذْتُ الرُّمْحَ فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَاخْتَلَسْتُ سَوْطًا مِنْ بَعْضِهِمْ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَأَصَبْتُهُ فَأَكَلُوا مِنْهُ فَأَشْفَقُوا - قَالَ - فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " هَلْ أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ " . قَالُوا لاَ . قَالَ " فَكُلُوا " .

(2829) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) से रिवायत है कि वह (लोग) अपने एक सफ़र में जा रहे थे। उनमें से कुछ मुहरिम थे, कुछ ग़ैर मुहरिम। अबू क़तादा ने कहा कि मैंने एक जंगली गधा देखा तो मैं घोड़े पर सवार हुआ। नेज़ा पकड़ा। मैंने उनसे मदद तलब की मगर उन्होंने मदद करने से इन्कार कर दिया। मैंने ज़बरदस्ती उनमें से किसी से कोड़ा छीना और गधे पर हमला कर दिया। मैंने उसे शिकार कर लिया। उन्होंने भी उससे खा लिया, फिर उन्हें डर महसूस हुआ (कि कहीं ये नाजायज़ न हो) तो नबी (ﷺ) से इस बारे में पूछा गया। आपने फ़रमाया: 'क्या तुमने (शिकार की तरफ़) इशारा किया था? क्या तुमने कोई मदद की थी?' उन्होंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'खा सकते हो।'

(2829) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1196/61, बुख़ारी, हदीस: 1824, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3809.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) के सवालात से मालूम हुआ कि अगर उन्होंने इशारा किया होता या कुछ मदद की होती तो उनके लिये वह शिकार खाना जायज़ न होता और यही बाब का मक़सद है क्योंकि इशारा या तआवुन करना शिकार करने के मुतरादिफ़ है। और शिकार करना मुहरिम के लिये नाजायज़ है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ

(2830) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'तुम्हारे लिये ख़ुश्की का शिकार खाना हलाल है बशर्ते कि तुमने शिकार न किया हो और न तुम्हारे लिये

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلاَلٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ

शिकार किया गया हो।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (رحمه الله) बयान करते हैं कि रावि-ए-हदीस़ अम्र बिन अबी अम्र इल्मे हदीस़ में क़वी नहीं अगरचे इमाम मालिक ने उनसे रिवायत ली है।

(2830) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़: 1851, तिर्मिज़ी, हदीस़: 846, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3810, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 2641, व इब्ने हिब्बान, हदीस़: 980, वल हाकिम: 1/452, 476.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नबी (ﷺ) का ये फ़रमान मुहरिमीन के लिये है। ख़ुश्की की क़ैद इसलिये लगाई कि समन्दरी शिकार क़ुर्आन की रू से मुत्तफ़क़ा तौर पर मुहरिम के लिये भी करना जायज़ है और खाना भी, अलबत्ता ख़ुश्की का शिकार मुहरिम न ख़ुद कर सकता है और न किसी की इस सिलसिले में तआवुन कर सकता है, हाँ किसी हलाल शख़्स़ ने अपने लिये शिकार किया हो, फिर वह उससे मुहरिम को तोहफ़ा दे दे तो वह खा सकता है, और अगर उसने शिकार मुहरिम के लिये किया हो तो मुहरिम के लिये वह खाना भी जायज़ नहीं। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़: 2821) **(2)** इमाम नसाई (رحمه الله) ने इस हदीस़ के एक रावी अम्र बिन अबी अम्र को ज़ईफ़ कहा है मगर कस़ीर मुहद्दिस़ीन ने इसे क़वी कहा है यहाँ तक कि इमाम बुख़ारी व मुस्लिम (رحمهما الله) तो इसकी हदीसें अपनी स़हीहैन में लाये हैं, लिहाज़ा ये रावी सिक़ा है। लेकिन दूसरी वजह से ये रिवायत ज़ईफ़ है जिसकी स़राहत तख़रीज में है, ताहम मसला स़ही है।

باب:(٨٢) مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ قَتْلُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ

बाब : (82) मुहरिम कौन से जानवर क़त्ल कर सकता है? काटने वाले कुत्ते को क़त्ल करना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَمْسٌ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .

(2831) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच जानवर ऐसे हैं कि मुहरिम के लिये उन्हें क़त्ल कर देने में कोई हर्ज नहीं: कौआ, चील, बिच्छु, चूहा और काटने वाला कुत्ता।'

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 1826, मुस्लिम, हदीस़: 1199/76, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3811.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुहरिम के लिये शिकार मना है। इसी तरह किसी भी जानवर को मारना मना है लेकिन मूज़ी (तक्लीफ देह) जानवर मुमकिन है उसके लिये मुसीबत बन जायें, लिहाज़ा उनकी ईज़ा से बचने के लिये उन्हें क़त्ल करने की उसे रुख़सत दे दी गई है, ख़्वाह वह उसे नुक़सान न ही पहुँचायें बल्कि महज़ ख़दशा हो। इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) ने ईज़ा की बजाये उन जानवरों को मारने की वजह ये बताई है कि उनको खाया नहीं जाता, लिहाज़ा मुहरिम हर ऐसे जानवर को क़त्ल कर सकता है जिसका गोश्त खाना हराम है। लेकिन पहला मौक़िफ़ ही सही है। **(2)** 'काटने वाला कुत्ता' कुछ अहले इल्म ने तमाम दरिन्दों को इसमें दाख़िल किया है, जैसे: शेर, चीता, भेड़िया क्योंकि लुग़वी तौर पर ये सब कुत्ते ही हैं और बदर्ज-ए-औला काटने वाले हैं। यही बात सही मालूम होती है वरना ये अजीब बात होगी कि कुत्ता मारना तो जायज़ हो जो कम काटता है और जिससे बचाव भी मुमकिन है मगर शेर, चीता वग़ैरह को मारना जायज़ न हो जिससे जान का ख़तरा है और उमूमन बचाव भी मुमकिन नहीं। शरीयत के अहकाम मसलिहत की बुनियाद पर होते हैं और मसलिहत का लिहाज़ ज़रूरी है। ताज्जुब की बात है कि अहनाफ़ ने इस जगह अहले ज़ाहिर की तरह जुमूद इख़्तियार किया है कि 'सिर्फ़ कुत्ता ही मारा जा सकता है' शेर वग़ैरह नहीं क्योंकि तादाद पाँच से बढ़ जायेगी' हालांकि रिवायात को जमा करें तो मज़्कूरा जानवर ही पाँच से बढ़ जायेंगे, जैसे: अगली रिवायत में साँप का भी ज़िक्र है।

बाब : (83) साँप को क़त्ल करना (भी मुहरिम के लिये जायज़ है)

باب:(۸۳) قَتْلِ الْحَيَّةِ

(2832) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है, नबी-ए-करीम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच जानवर ऐसे हैं जिन्हें मुहरिम क़त्ल कर सकता है: साँप, चूहा, चील, सफ़ेद पेट या पुश्त वाला कौआ और काटने वाला कुत्ता।'

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " .

(2832) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1198/67, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3812.

फ़ायदा : साँप का मूज़ी होना वाज़ेह है। ऊपर वाली रिवायत में साँप के बजाये बिच्छू का ज़िक्र है। दोनों हशरातुल अर्ज़ से हैं और ज़हरीले हैं, इसलिये दोनों को एक नोअ में शुमार किया जा सकता है। एक का ज़िक्र दूसरे के ज़िक्र से मुस्तग़नी करता है। दूसरे काटने वाले हशरात भी इस हुक्म में दाख़िल हो सकते हैं।

बाब : (84) चूहे को क़त्ल करना (भी मुहरिम के लिये जायज़ है)

باب:(٨٤) قَتْلِ الْفَأْرَةِ

(2833) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुहरिम को पाँच क़िस्म के जानवर क़त्ल करने की इजाज़त दी है: कौआ, चील, चूहा, काटने वाला कुत्ता और बिच्छू।

(2833) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 1199/77, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3813.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ فِي قَتْلِ خَمْسٍ مِنَ الدَّوَابِّ لِلْمُحْرِمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ .

फ़ायदा : चूहा भी फ़ितरतन मूज़ी है। पलीद होने के साथ साथ कुछ क़ीमती चीज़ें कुतर देता है। खाने पीने की चीज़ें पलीद कर सकता है। ताऊन वग़ैरह का मब्दा भी यही बनता है, लिहाज़ा मारा जा सकता है।

बाब : (85) छिपकली को क़त्ल करना

باب:(٨٥) قَتْلِ الْوَزَغِ

(2834) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से मरवी है कि एक औरत हज़रत आयशा (ﷺ) के पास आई जबकि उनके हाथ में तेज़ नोक वाली लाठी थी। वह पूछने लगी: ये किस लिये? फ़रमाया: इन छिपकलियों के लिये क्योंकि नबी (ﷺ) ने हमसे फ़रमाया कि हर जानवर हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) के लिये आग बुझाने में कोशां था मगर ये छिपकली। चुनांचे आपने हमें इसे क़त्ल करने का हुक्म दिया। और आपने हमें घरों में रहने वाले बारीक साँपों को क़त्ल करने से रोका, मगर दो धारियों वाले और छोटे साँप को क़त्ल किया जा सकता है क्योंकि ये नज़र ख़त्म कर देते हैं और औरतों के हमल गिरा देते हैं।

(2834) **तख़रीज : (सनद हसन)** सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3814, इब्ने माजा, हदीस: 3231.

أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ امْرَأَةً، دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ وَبِيَدِهَا عُكَّازٌ فَقَالَتْ مَا هَذَا فَقَالَتْ لِهَذِهِ الْوَزَغِ لأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنَا " أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَىْءٌ إِلاَّ يُطْفِئُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلاَّ هَذِهِ الدَّابَّةُ " . فَأَمَرَنَا بِقَتْلِهَا وَنَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ إِلاَّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يُطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) छिपकली और इस नोअ के दूसरे जानवर ज़हरीले होते हैं। किसी खाने पीने की चीज़ में गिर जायें तो उसे ज़हरीला कर देते हैं यहाँ तक कि मौत का सबब बन जाते हैं, लिहाज़ा इन्हें मारना भी जायज़ है। अगरचे इस रिवायत में मुहरिम की सराहत नहीं मगर ईज़ा की इल्लत की बिना पर वह भी इसे क़त्ल कर सकता है। **(2)** 'आग बुछाने में' ये दलील है कि ये जानवर (छिपकली) तबअन इन्सान के लिये मूज़ी है वरना इसे क्या पता था कि ये आग किस को जलाने वाली है? ये भी याद रहे कि इसे क़त्ल करने की इजाज़त इसके तबई ईज़ा की वजह से है न इसलिये कि ये हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) की आग में मददगार थी क्योंकि वह तो एक मख़्सूस छिपकली का फ़ेअल था। इसकी सज़ा पूरी नस्ल को तो नहीं दी जा सकती, और इसके लिये तो नबी और काफ़िर बराबर हैं। वह तो हर एक को ईज़ा पहुँचायेगी। **(3)** छिपकली में इसी नोअ के इससे बड़े जानवर, जेसे: चलपासा, यानी करला और इस जैसे दूसरे मूज़ी जानवर भी आ जायेंगे। **(4)** 'घरों में रहने वाले बारीक साँप' क्योंकि ये उमूमन घर वालों को नुक़सान नहीं पहुँचाते। बच्चों तक को नहीं काटते। इनके बारे में क़त्ल न करने का हुक्म इस बिना पर भी है कि शायद ये 'जिन्न' की कोई क़िस्म हों। और जिन्नों को मारना जायज़ नहीं, और क़त्ल की वजह ईज़ा है। जब वह हमें कुछ नहीं कहते तो हम उन्हें क्यों कुछ कहें? घरों में रहने वाले बड़े साँप भी घर वालों को कुछ नहीं कहते बल्कि वह नोअे इन्सानी से कुछ मालूफ़ हो जाते हैं, अलबत्ता आबादी से बाहर रहने वाले साँप मूज़ी हैं, लिहाज़ा उन्हें फ़ौरन मार देना चाहिए। **(5)** 'दो धारी' ये बहुत ज़हरीला होता है। उसकी पुश्त पर ये दो धारियाँ भी ज़हर की बिना पर ही होती हैं। कुछ अहले इल्म ने कहा है कि उसके माथे पर दो स्याह निशान होते हैं वग़ैरह। **(6)** 'छोटा साँप' जिस्म में छोटा मगर सख़्त ज़हरीला। अचानक हमला करता है और जान से मार देता है। कुछ ने इसके मआनी छोटी दुम वाला साँप, किये हैं मगर साँप की अलग दुम नहीं होती। वैसे आख़री हिस्से को दुम कहा जाये तो अलग बात है। **(7)** 'नज़र ख़त्म करते हैं ..... अलख़' यानी अगर ये काट लें या इनसे आँखें चार हो जायें तो नज़र ख़त्म हो जाती है और औरत का हमल गिर जाता है। वल्लाहु आलम!

बाब : (86) बिच्छू को क़त्ल करना (भी मुहरिम के लिये जायज़ है)

باب:(٨٦) قَتْلِ الْعَقْرَبِ

(2835) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच जानवर ऐसे हैं कि जो शख़्स भी उन्हें क़त्ल कर दे, (ख़्वाह मुहरिम ही हो), उस पर कोई हर्ज और गुनाह नहीं: चील, चूहा, काटने वाला कुत्ता, बिच्छू और कौआ।'

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ

جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ - أَوْ فِي قَتْلِهِنَّ - وَهُوَ حَرَامٌ الْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ " .

(2835) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1199/77, देखें, हदीस: 2833, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3815, मुसनद अहमद: 2/54.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बिच्छू का मूज़ी होना वाज़ेह है बल्कि बसा औक़ात उसका ज़हर साँप से भी ख़तरनाक होता है। **(2)** 'कोई गुनाह नहीं' बल्कि गुनाह के अलावा कोई तावान वग़ैरह भी नहीं, ख़्वाह मुहरिम ही हो और हरम ही में हो।

بَاب:(٨٧) قَتْلِ الْحِدَأَةِ

बाब : (87) चील को क़त्ल करना (भी जायज़ है)

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ " خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " .

(2836) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि एक आदिमी ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! हम जब मुहरिम हों तो किन जानवरों को क़त्ल कर सकते हैं? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच चीज़ें ऐसी हैं कि उन्हें क़त्ल करने वाले पर कोई गुनाह नहीं: चील, कौआ, चूहा, बिच्छू और काटने वाला कुत्ता।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 3816.

फ़ायदा : चील मुरदार ख़ोर और पलीद जानवर है। खाना पलीद कर सकती है। गोश्त उठा कर बल्कि हाथों से छीन कर ले जाती है। छोटे घरेलू जानवरों को उचक लेती है, लिहाज़ा उसे भी मारना जायज़ है।

بَاب:(٨٨) قَتْلِ الْغُرَابِ

बाब : (88) कौअे को क़त्ल करना (मुहरिम के लिये जायज़ है)

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ " يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ وَالْفُوَيْسِقَةَ وَالْحِدَأَةَ وَالْغُرَابَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ " .

(2837) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-करीम (ﷺ) से पूछा गया: मुहरिम कौन से जानवर क़त्ल कर सकता है? आपने फ़रमाया: 'बिच्छू, चूहे, चील, कौअे और काटने वाले कुत्ते को क़त्ल कर सकता है।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 3817.

फ़ायदा : कौओे में चील वाले सब मफ़ासिद पाये जाते हैं, बल्कि क़रीब रहने की वजह से ज़्यादा नुक़सानदेह है। परेशान भी ज़्यादा करता है, लिहाज़ा उसे क़त्ल करना जायज़ है। ऊपर एक हदीस़ (2832) में अब्क़अ (जिसका पेट या पुश्त सफ़ेद होती है) की क़ैद है, लिहाज़ा मुत्लक़ कौओे से मुराद भी यही है। घरों में यही आता जाता है। बाक़ी रहा ख़ालिस स्याह कौआ तो वह उमूमन फ़सलों में होता है। इसका लोगों को कोई नुक़सान नहीं, लिहाज़ा उसे मारने की ज़रूरत नहीं। वह गन्दगी भी नहीं खाता। सिर्फ़ दानों पर गुज़ारा करता है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ الْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " .

(2838) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच जानवर ऐसे हैं कि अगर कोई उन्हें एहराम की हालत में या हरम के अन्दर भी क़त्ल कर दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं (और वह ये हैं): चूहा, चील, कौआ, बिच्छू और काटने वाला कुत्ता।'

(2838) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3818, बुख़ारी, हदीस: 1828.

باب:(٨٩) مَا لاَ يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ

बाब : (89) वह जानवर जिन्हें मुहरिम क़त्ल नहीं कर सकता

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ، فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا . قُلْتُ أَصَيْدٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ . قُلْتُ أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ .

(2839) हज़रत इब्ने अबी अम्मार बयान करते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضی اللہ عنہ) से ज़बुअ (बिज्जू) के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे उसके खाने की इजाज़त बतलाई। मैंने कहा कि वह भी शिकार है? उन्होंने फ़रमाया: हाँ। मैंने कहा: क्या आपने ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है? उन्होंने फ़रमाया: हाँ।

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी,: 851, 1791, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 3819, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा : 2645, 2646, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 979, 1068, व इब्ने अल जारूद, हदीस: 438, 439, वल हाकिम: 1/452.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बिज्जू मुरदार ख़ोर नहीं। अगर ये मुरदार ख़ोर होता तो उसे हराम कहने में कोई बाक नहीं था। चूंकि ये हलाल जानवर है जैसा कि ऊपर दी गई हदीस़ से स़ाबित होता है, लिहाज़ा ये शिकार की ज़ेल में आता है। मुहरिम के लिये शिकार हराम है, लिहाज़ा वह बिज्जू को नहीं मार सकता। अगर मारेगा तो उसे उसका फ़िद्या देना पड़ेगा। जिसकी तफ़्सील आगे आ रही है। इन्शाअल्लाह! **(2)** इस बात पर तो सबका इत्तेफ़ाक़ है कि मुहरिम बिज्जू को क़त्ल या शिकार नहीं कर सकता, अलबत्ता इसकी हिल्लत के बारे में इख़्तिलाफ़ है। इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद(ﷺ) इसे खाना हलाल समझते हैं। दीगर अहले इल्म ने इसे हराम कहा है कि ये 'ज़ूनाब' (कुचली वाला जानवर) है। मगर शायद वह इस बात से ग़ाफ़िल रहे कि यहाँ ज़ूनाब के लुग़वी मआनी मुराद नहीं बल्कि 'ज़ूनाब' से मुराद शिकारी जानवर है जैसे कुत्ता, शेर, चीता वग़ैरह और बिज्जू बिल इत्तिफ़ाक़ शिकारी नहीं। 'नाब' तो वजहे हुर्मत नहीं। उस नाब में क्या हर्ज जो शिकार न करे। (तफ़्सील इन्शाअल्लाह आगे बयान होगी।) **(3)** इस हदीस़ से इशारतन ये बात समझ में आती है कि मुहरिम कोई ऐसा जानवर शिकार नहीं कर सकता जिसे खाया जाता या जो किसी मन्फ़अत की वजह से शिकार किया जाता हो। अगर वह शिकार करेगा तो उसे जज़ा देनी पड़ेगी।

बाब : (90)
मुहरिम के लिये निकाह करने की रुख़्सत

باب:(٩٠) الرُّخْصَةِ فِي النِّكَاحِ لِلْمُحْرِمِ

(2840) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने हज़रत मैमूना (رضي الله عنها) से एहराम की हालत में शादी की।

(2840) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1410/47, बुख़ारी, हदीस़: 5114, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3820.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ - عَنْ عَمْرٍو، - وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

फ़ायदा : इस रिवायत से इस्तेदलाल किया गया है कि मुहरिम निकाह कर सकता है। कोई शक नहीं कि ये रिवायत सनदन बिल्कुल स़ही है मगर इसका मज़मून दूसरी स़ही अहादीस़ के ख़िलाफ़ है, (देखिये, रिवायत: 2845) (इसीलिये शैख़ अल्बानी (ﷺ) ने इन तमाम रिवायात को, जिनमें हालते एहराम में निकाह करने का बयान है, शाज़ क़रार दिया है।) और हज़रत मैमूना (رضي الله عنها) का अपना बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे निकाह हलाल हालत में किया है। निकाह के सफ़ीर हज़रत राफ़ेअ (رضي الله عنه) का भी यही बयान है जबकि हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) निकाह से ग़ैर मुताल्लिक़ फ़र्द हैं, और उनकी उमर भी उस वक़्त छोटी थी, लिहाज़ा मालूम यूँ होता है कि उन्हें ग़लतफ़हमी हो गई, और मना वाली रिवायत

(2845) क़ौली है, ये फ़ेअली। क़ौली और फ़ेअली के तआरुज़ के वक़्त क़ौली राजेह होती है। इसी तरह नह्य और एबाहत में तआरुज़ हो तो नह्य को तर्जीह होती है, और फ़ेअली रिवायात तो मुतआरिज़ हैं। क़ौली सरीह है और इसके मुक़ाबले कोई क़ौली रिवायत नहीं, लिहाज़ा क़ौली रिवायत पर अमल होगा। ग़र्ज़ किसी भी लिहाज़ से देखा जाये तो हज़रत इब्ने अब्बास(ﷺ)की ये रिवायत क़ाबिले इस्तेदलाल नहीं। या इस रिवायत की तावील कर ली जाये ताकि ये मुहतमिल रिवायत दूसरी सरीह रिवायात के मुताबिक़ हो जाये, जैसे: 'मुहरिम' के मआनी 'हरम में' या 'हुर्मत वाले महीनों में' किये जायें, यानी नबी (ﷺ) ने हज़रत मैमूना (ﷺ) से निकाह हरम में या हुर्मत के महीने में किया। अरबी ज़बान में इसकी मिसालें मौजूद हैं। अक़्लन भी निकाह एहराम के मुनाफ़ी है। अगर ख़ुशबू लगाना, हजामत बनवाना, ज़ीनत वाले कपड़े पहनना और शिकार वग़ैरह करना एहराम के ख़िलाफ़ हैं तो निकाह जो हर लिहाज़ से उनसे बढ़ कर है, क्यों कर एहराम में दुरुस्त हो सकत है?

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَكَحَ حَرَامًا .

(2841) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (हज़रत मैमूना (ﷺ) के साथ) एहराम की हलत में निकाह फ़रमाया।

(2841) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3821.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُمَا مُحْرِمَانِ .

(2842) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत मैमूना (ﷺ) से निकाह किय तो दोनों एहराम की हालत में थे।

(2842) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/245, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3822.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) के बारे में कहा जा सकता है कि आप एहराम बाँध कर गये थे, मगर हज़रत मैमूना (ﷺ) तो मक्के में थीं वह कैसे मुहरिम हो गईं, और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक्के पहुँच कर उम्रे से फ़ारिग़ होने तक कुछ नहीं किया था और उम्रे से फ़ारिग़ हो गये तो एहराम भी ख़त्म हो चुका था, फिर हालते एहराम में निकाह कब किया?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

(2843) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मज़्कूर है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत मैमूना (ﷺ) से निकाह फ़रमाया तो आप मुहरिम (हरम में) थे।

(2843) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/245, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3823, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَصَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو الْحِمْصِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

(2844) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने हज़रत मैमूना (ﷺ) से एहराम की हालत में निकाह फ़रमाया।

(2844) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1837, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3824.

फ़ायदा : ये एक ही रिवायत की मुख़्तलिफ़ असानीद हैं। रिवायत पर बहस हो चुकी है कि हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) की ग़लतफ़हमी और वहम है। ये रिवायत सहीह बुख़ारी में भी है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1837)

بَاب:(٩١) النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

बाब : (91) (मुहरिम को) निकाह से मुमानिअत

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يَخْطُبُ وَلاَ يُنْكِحُ " .

(2845) हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुहरिम न अपना निकाह करे, न निकाह का पैग़ाम भेजे और न किसी दूसरे का निकाह करे।'

(2845) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1409, मौता: 1/348, 349, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3825.

फ़ायदा : ये रिवायत सहीह मुस्लिम में भी है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 1409) लिहाज़ा क़तअन सही है, और सरीह क़ौली रिवायत है जो अपने मफ़हूम में बिल्कुल वाज़ेह है। इसकी कोई तावील भी नहीं की जा सकती, लिहाज़ा जुम्हूर अहले हदीस व फ़ुक़हा ने इसी को इख़्तियार फ़रमाया है, और हम

रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान पर अमल करने के पाबन्द हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की रिवायत को ज़ाहिर के मुताबिक़ सही भी मान लिया जाये, तब भी वह फ़ेअली रिवायत है और फ़ेअल में कई एहतिमालात हो सकते हैं। फ़ेअल नबी (ﷺ) का ख़ास्सा भी हो सकता है वग़ैरह वग़ैरह। ग़लतफ़हमी का इम्कान भी फ़ेअल में ज़्यादा है बजाये क़ौली रिवायत के, और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की रिवायत की तावील भी हो सकती है जैसा कि हदीस: 2840 के फ़ायदे में वज़ाहत है। अहनाफ़ ने इस मक़ाम में जुम्हूर अहले इल्म के ख़िलाफ़ हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की रिवायत से इस्तेदलाल करते हुये मुहरिम के लिये निकाह को जायज़ क़रार दिया है और ये तावील की है कि नह्य वाली हदीस में निकाह से मुराद जिमाअ़ है मगर बाद वाले अल्फ़ाज़ के मआनी क्या होंगे: 'न निकाह का पैग़ाम भेजे, न किसी दूसरे का निकाह करे।' क्या यहाँ निकाह के मआनी जिमाअ़ हो सकते हैं और कैसे? बय्यिनू तुअ् जरू. तावील तो हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) की रिवायत की चाहिये ताकि सब अहादीस पर अमल हो सके। (मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइयें, हदीस: 2840)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْرِمُ أَوْ يُنْكِحَ أَوْ يَخْطُبَ .

(2846) हज़रत उ़स्मान (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि मुहरिम अपना निकाह करे या किसी और का निकाह करे या निकाह का पैग़ाम भेजे।

(2846) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3826.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ أَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ أَبَانُ إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يَخْطُبُ " .

(2847) हज़रत नुबैह बिन वहब से रिवायत है कि हज़रत उ़मर बिन उ़बैदुल्लाह बिन मअ़मर ने हज़रत अबान बिन उ़स्मान की तरफ़ पैग़ाम भेजा, वह पूछ रहे थे कि क्या मुहरिम निकाह कर सकता है? तो हज़रत अबान ने कहा: मुझे हज़रत उ़स्मान बिन अफ़्फ़ान (رضي الله عنه) ने बयान किया कि नबी(ﷺ) ने इरशाद फ़रमाया: 'मुहरिम न निकाह करे, न निकाह का पैग़ाम भेजे।'

(2847) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1409/44, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3827.

फ़ायदा : मालूम हुआ जिस तरह एहराम की हालत में निकाह हराम है उसी तरह निकाह का पैग़ाम या तज्वीज़ या मंगनी करना भी हराम है क्योंकि ये निकाह के मुक़द्दमात हैं। कुछ हज़रात ने निकाह के पैग़ाम भेजने या मंगनी करने की नह्य को तन्ज़ीह पर महमूल किया है (यानी जायज़ तो है मगर मुनासिब नहीं) लेकिन ये तावील बिला दलील बल्कि बिला वजह है। जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक निकाह का पैग़ाम या मंगनी भी निकाह ही की तरह हराम हैं और यही सही है। हदीसे नबवी पर खुले दिल और ख़ुशी से अमल करना चाहिए। बिला वजह तावील मोमिन की शान के ख़िलाफ़ है।

बाब : (92) मुहरिम के लिये सींगी लगवाना?

باب:(٩٢) الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

(2848) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने एहराम की हालत में सींगी लगवाई।

तख़रीज: (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/292, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3828, बुख़ारी: 1835, मुस्लिम: 1202.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

फ़ायदा : मुहरिम के लिये बाल मूण्डना मना है लेकिन अगर जिस्म के किसी हिस्से में सींगी लगवाई जाये और कुछ बाल ज़ाइल करना पड़ें तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर सर में लगवाई जाये तो यक़ीनन कुछ बाल मूण्डने ही पड़ते हैं। इसकी शरअन इजाज़त है। सींगी एहराम के ख़िलाफ़ नहीं। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने भी हालते एहराम में सर के वस्त में सींगी लगवाई थी लेकिन बाल मूण्डने के बदले में आप (ﷺ) से कहीं फ़िद्ये का ज़िक्र नहीं मिलता। अगर आपने फ़िद्या दिया होता तो उसका ज़रूर ज़िक्र मिलता जैसा कि आपके सींगी लगवाने का ज़िक्र मिलता है। इसके बरअक्स अगर सारा सर ही मूण्डवा दिया जाये तो उसका हुक्म सींगी से मुख़्तलिफ़ है चूंकि मूण्डवाने की वजह और नोईयत मुख़्तलिफ़ है, इसलिये दोनों का हुक्म भी मुख़्तलिफ़ होगा। उसका फ़िद्या देना ज़रूरी है जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत कअब बिन उज्रा (ﷺ) को हुक्म दिया था। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1814, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1201)

(2849) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने सींगी लगवाई, हालांकि आप मुहरिम थे।

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3829.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ . ثُمَّ قَالَ بَعْدُ أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ .

(2850) अम्र बिन दीनार (رحمه الله) बयान करते हैं कि मैंने अ़ता से सुना, उन्होंने कहा: मैंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से सुना, वह फ़रमा रहे थे कि नबी (ﷺ) ने एहराम की हालत में सींगी लगवाई। बाद में उन्होंने (अम्र बिन दीनार) ने कहा कि मुझे ताऊस ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास(ﷺ) से ख़बर दी, वह फ़रमा रहे थे कि नबी (ﷺ) ने हालते एहराम में सींगी लगवाई।

(2850) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3830.

باب:(٩٣) حِجَامَةِ الْمُحْرِمِ مِنْ عِلَّةٍ تَكُونُ بِهِ

बाब : (93) मुहरिम किसी बीमारी और तकलीफ़ की वजह से सींगी लगवा सकता है

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ .

(2851) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने एहराम की हालत में सींगी लगवाई क्योंकि आप (के पाँव) को मोच आ गई थी।

(2851) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/363, अबू दाऊद, हदीस: 3863, इब्ने माजा, हदीस: 3082, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3831.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इसे सही लिग़ैरिही क़रार दिया है और राजेह राय उन्हीं की है। देखिये: (अलमौसूआ अल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 23/182) याद रहे बवक़्ते ज़रूरत सींगी लगवाई जा सकती है। दीगर सही रिवायात से भी यही बात साबित होती है। **(2)** 'मोच' यानी हड्डी को नुक़सान न पहुँचे, गोश्त और पट्ठों को तकलीफ़ हो, या हड्डी को चोट तो लगे मगर वह टूटने से बच जाये। सींगी के जवाज़ वग़ैरह की बहस ऊपर हदीस: 2848 में गुज़र चुकी है।

बाब : (94) मुहरिम क़दम की पुश्त पर सींगी लगवा सकता है

باب:(۹۴) حِجَامَةِ الْمُحْرِمِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ .

(2852) हज़रत अनस (ﷺ) सयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मोच आ जाने की वजह से एहराम की हालत में पाँव मुबारक की पुश्त पर सींगी लगवाई।

(2852) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3831.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'वसअ' वह चोट या तकलीफ़ जो गोश्त को पहुँचे, हड्डी बच जाये, या चोट हड्डी पर आये लेकिन हड्डी टूटने से महफ़ूज़ रहे, हमारे यहाँ उसे मोच से ताबीर करते हैं। **(2)** मज़्कूरा रिवायत भी राजेह क़ौल के मुताबिक़ सही है।

बाब : (95) मुहरिम अपने सर के दरम्यान भी सींगी लगवा सकता है

باب:(۹۵) حِجَامَةِ الْمُحْرِمِ وَسَطَ رَأْسِهِ

أَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، - وَهُوَ ابْنُ عَثْمَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، قَالَ قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الأَعْرَجَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ .

(2853) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुहैना (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक्का मुकर्रमा के रास्ते में लह्ये जमल के मक़ाम पर अपने सर मुबारक के दरम्यान सींगी लगवाई, हालांकि आप मुहरिम थे।

(2853) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1836, मुस्लिम, हदीस: 1203, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3833.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सींगी लगवाने का मसला ऊपर गुज़र चुका है। मुहरिम मजबूरी के मौक़े पर सींगी लगवा सकता है ला महाला इस मौक़े पर बाल भी काटने पड़ते हैं, ज़रूरत के पेशे नज़र इसमें कोई हर्ज नहीं और न इस पर फ़िद्या ही लाज़िम है। तफ़्सील के लिये हदीस: 2848 का फ़ायदा मुलाहिज़ा फ़रमाइये। **(2)** 'लह्ये जमल' मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरम्यान एक मक़ाम है।

बाब : (96) अगर मुहरिम को सर में जूएँ तकलीफ़ दें तो?

باب:(٩٦) فِي الْمُحْرِمِ يُؤْذِيهِ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمًا فَآذَاهُ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ " صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ أَوِ انْسُكْ شَاةً أَىَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ" .

(2854) हज़रत कअ़ब बिन उ़ज्रा (ﷺ) से रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ एहराम की हालत में थे और उन्हें सर में जूओं की तकलीफ़ हो गई। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे सर मूण्डाने का हुक्म दिया और फ़रमाया: 'तीन दिन के रोज़े रख लो, या छः मसाकीन को दो दो मुद्द ग़ल्ला दे दो, या एक बकरी ज़बह कर दो। इनमें से जो काम भी तुम करोगे तुम्हें काफ़ी होगा।'

(2854) तख़रीज : (सनद सही) मौता: 409, 397, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3834, मौताय 1/417, बुख़ारी, हदीस: 1814, मुस्लिम, हदीस: 1201/83.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये वाक़िया ग़ज़्व-ए-हुदैबिया का है। चूंकि नियत उ़म्रे की थी, लिहाज़ा सब ने एहराम बाँध रखा था। **(2)** मालूम हुआ किसी तकलीफ़ की वजह से मुहरिम को सर मुण्डाना पड़े, तो उसे फ़िद्या देना होगा क्योंकि सर मुण्डाना एहराम के मुनाफ़ी है, कअ़ब बिन उ़ज्रा (ﷺ) का सर मुण्डवाना जूओं की वजह से था सींगी का हुक्म इससे मुख़्तलिफ़ है। **(3)** 'जो काम भी तुम करोगे' गोया उनमें कोई तर्तीब नहीं, जबकि कुछ दूसरे कफ़्फ़ारात में तर्तीब है। **(4)** हदीस, क़ुर्आन के मुज्मल अहकाम की वज़ाहत करती है।

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - وَهُوَ الدَّشْتَكِيُّ - قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرٌو، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي قَيْسٍ - عَنِ الزُّبَيْرِ، -وَهُوَ ابْنُ عَدِيٍّ -

(2855) हज़रत कअ़ब बिन उ़ज्रा (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने एहराम बाँधा तो मेरे सर में जूएँ बहुत ज़्यादा हो गईं। ये बात नबी (ﷺ) तक पहुँची तो आप मेरे पास तशरीफ़ लाये। मैं उस वक़्त अपने साथियों के लिये सालन पका रहा

عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ أَحْرَمْتُ فَكَثُرَ قَمْلُ رَأْسِي فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَانِي وَأَنَا أَطْبُخُ قِدْرًا لأَصْحَابِي فَمَسَّ رَأْسِي بِأُصْبُعِهِ فَقَالَ " انْطَلِقْ فَاحْلِقْهُ وَتَصَدَّقْ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ " .

था। आपने अपनी ऊँगली मुबारक से मेरे सर को छूआ, फिर फ़रमाया: 'बाल मुण्डवा दो और छः मसाकीन पर सदक़ा कर दो।'

(2855) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फ़ी कबीर: 19/106, हदीस: 213, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3835.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ज़्यादा हो गईं' यहाँ तक कि मुँह पर गिरती थीं। **(2)** 'तशरीफ़ लाये' ये आपके अख़्लाक़ की उम्दा मिसाल है। **(3)** 'सदक़ा कर दो' यानी हर मिस्कीन को निस्फ़ साअ (तक़रीबन सवा किलो) ग़ल्ला दे दो। गोया एक रोज़े के बदले में दो मिस्कीनों को ग़ल्ला दिया जायेगा।

باب:(٩٧) غَسْلِ الْمُحْرِمِ بِالسِّدْرِ إِذَا مَاتَ

बाब : (97) मुहरिम मर जाये तो उसे बेरी के पत्तों से गुस्ल देना

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا " .

(2856) हज़रत इब्ने अब्बास (ؓ) से रिवायत है कि एक आदमी नबी (ﷺ) के साथ था कि उसे उसकी ऊँटनी ने गिरा कर उसकी गर्दन तोड़ दी, जबकि वह मुहरिम था। वह फ़ौत हो गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसे पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल दो और इसे इसके (एहराम वाले) दो कपड़ों में कफ़न दे दो। इसे ख़ुशबू न लगाओ, न इसके सर को ढाँपो क्योंकि ये क़यामत के दिन लब्बैक कहता हुआ उठेगा।'

(2856) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2714, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3836.

फ़ायदा : बेरी के पत्ते जिस्म की सफ़ाई और नर्मी के लिये होते हैं। आज कल साबुन वग़ैरह यही काम दे सकते हैं, लिहाज़ा बेरी के पत्ते कोई ज़रूरी नहीं, हाँ मस्नून समझते हुये साबुन के इस्तेमाल से क़ब्ल या बाद में इसका पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। अलबत्ता मुहरिम मय्यत को चूंकि ख़ुशबू लगाना मना है, लिहाज़ा ख़ुशबूदार साबुन मुहरिम के गुस्ल में इस्तेमाल न किया जाये। आम मय्यत के गुस्ल में इस्तेमाल किया जा सकता है। हदीस के बाक़ी मुताल्लिक़ा मसाइल के लिये देखिये फ़वाइद हदीस: 2714.

बाब : (98)
मुहरिम फ़ौत हो जाये तो उसे कितने कपड़ों में कफ़न दिया जाये?

باب:(٩٨) فِي كَمْ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ

(2857) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि एक मुहरिम आदमी अपनी ऊँटनी से गिर पड़ा। उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे पानी और बेरी के पत्तों से ग़ुस्ल दो और उसे दो कपड़ों में कफ़न दो।' फिर उसके बाद फ़रमाया: 'उसका सर नंगा रहे और उसे ख़ुशबू न लगाना क्योंकि ये क़यामत के दिन लब्बैक पढ़ता उठेगा।' (रावि-ए-हदीस़) शोबा ने कहा कि मैंने दस साल बाद उस (उस्ताद अबू बिश्र) से फिर ये हदीस़ पूछी तो उन्होंने उसी तरह बयान किया जिस तरह (दस साल पहले) वह ये हदीस़ बयान करते थे, स़िर्फ़ इतना ज़्यादा कहा: 'उसके सर और चेहरे को न ढाँपो।'

(2857) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3837.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، مُحْرِمًا صُرِعَ عَنْ نَاقَتِهِ، فَأُوقِصَ ذُكِرَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ " . ثُمَّ قَالَ عَلَى إِثْرِهِ " خَارِجًا رَأْسُهُ " . قَالَ " وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا " . قَالَ شُعْبَةُ فَسَأَلْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ فَجَاءَ بِالْحَدِيثِ كَمَا كَانَ يَجِيءُ بِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ " وَلاَ تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ " .

फ़ायदा : आम मय्यत को भी दो कपड़ों में कफ़नाया जा सकता है। तीसरा कपड़ा ज़रूरी नहीं, मुस्तहब है ताकि उसका चेहरा वग़ैरह ढाँपा जा सके, मगर मुहरिम के लिये चूंकि एहराम की हालत बाक़ी रखना ज़रूरी है, लिहाज़ा वहाँ तीसरे कपड़े, यानी लिफ़ाफ़े की ज़रूरत ही नहीं ताकि सर और चेहरा नंगा रह सके। वैसे भी मुहरिम का एहराम दो कपड़ों ही में होता है, लिहाज़ा उसके कफ़न में भी दो कपड़े ही मस्नून हैं।

बाब : (99)
मुहरिम वफ़ात पा जाये तो उसे हनूत न लगाई जाये

باب:(٩٩) النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُحَنَّطَ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْعَصَهُ - أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا " .

(2858) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी अरफ़े में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ वक़ूफ़ कर रहा था कि वह अपनी ऊँटनी से गिर पड़ा और उस (सवारी) ने उसकी गर्दन तोड़ डाली। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे पानी और बेरी के पत्तों से ग़ुस्ल दो, उसे दो कपड़ों में कफ़न दो, उसे हनूत न लगाओ और न उसका सर ढाँपो क्योंकि अल्लाह तआला उसे उठायेगा तो वह लब्बैक कह रहा होगा।'

(2858) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1265, मुस्लिम, हदीस: 1206/94, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3838.

फ़ायदा : हनूत चूंकि ख़ुशबू की एक क़िस्म है, लिहाज़ा मय्यत या उसके कफ़न को हनूत या किसी भी क़िस्म की ख़ुशबू नहीं लगाई जा सकती ताकि उसके एहराम का एहतिराम क़ाइम रहे यहाँ तक कि ख़ुशबूदार साबुन भी न लगाया जाये।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ وَقَصَتْ رَجُلاً مُحْرِمًا نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَلاَ تُغَطُّوا رَأْسَهُ وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ " .

(2859) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि एक मुहरिम को उसकी ऊँटनी ने गिरा कर मार दिया। उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास लाया गया तो आपने फ़रमाया: 'उसे ग़ुस्ल और कफ़न दो मगर उसका सर न ढाँपो और न ख़ुशबू लगाओ, यक़ीनन ये लब्बैक कहता हुआ उठेगा।'

(2859) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1839, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3839.

बाब : (100) मुहरिम फ़ौत हो जाये तो उसके चेहरे और सर को ढाँपने की मुमानिअत

باب:(١٠٠) النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُخَمَّرَ وَجْهُ الْمُحْرِمِ وَرَأْسُهُ إِذَا مَاتَ

(2860) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि एक शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज कर रहा था। उसे उसके ऊँट ने गिरा दिया और वह मर गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे गुस्ल दिया जाये, दो कपड़ों में कफ़न दिया जाये और उसके सर और चेहरे को न ढाँपा जाये क्योंकि ये क़यामत के दिन लब्बैक कहता हुआ उठेगा।'

(2860) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2714, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3840.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ، - يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ - عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، كَانَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّهُ لَفَظَهُ بَعِيرُهُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلاَ يُغَطَّى رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا".

फ़ायदा : ये हदीस तफ़्सीलन पीछे गुज़र चुकी है। देखिये हदीस: 2814, सहाबा में से हज़रत उस्मान, हज़रत अली और हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) इसी बात के क़ाइल हैं। फ़ुक़हा में से इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और इमाम इस्हाक़ (رحمهم الله) का मस्लक भी यही है मगर इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा और औज़ाई (رحمهم الله) इस हदीस के क़ाइल नहीं क्योंकि उनके नज़दीक मौत के साथ तमाम आमाल मुन्क़तअ हो जाते हैं, लिहाज़ा एहराम भी ख़त्म हो गया, मगर सरीह फ़रमान के मुक़ाबले में क़यास दुरुस्त नहीं। शारिअ (ﷺ) को तख़्सीस का हक़ हासिल है। बहुत सी आम ऐसी आयात व अहादीस हैं जिनकी तख़्सीस रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाई और उन बुज़ुर्गों ने क़बूल फ़रमाई तो यहाँ तख़्सीस पर ऐतराज़ क्यों? इरशादे बारी तआला है: रसूल तुम्हें जो दे, वह ले लो।' (अल हश्र: 59/7)

बाब : (101) मुहरिम फ़ौत हो जाये तो उसका सर न ढाँपा जाये

باب:(١٠١) النَّهْيِ عَنْ تَخْمِيرِ رَأْسِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

(2861) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि एक मुहरिम शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ (हज को) आया। (अरफ़ात में) वह अपने

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَّ مِنْ فَوْقِ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ وَقْصًا فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي " .

ऊँट से गिर पड़ा। उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे पानी और बेरी के पत्तों से ग़ुस्ल दो और उसे (कफ़न में) उसी के (एहराम वाले) दो कपड़े पहना दो और उसका सर न ढाँपो क्योंकि ये क़यामत के दिन लब्बैक कहता हुआ आयेगा।'

(2861) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1905, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3841.

फ़ायदा : मुहरिम का सर नंगा रखने पर तो सब मुत्तफ़िक़ हैं। बाक़ी रहा चेहरा तो इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) का ख़्याल है कि चेहरा नंगा रखना सिर्फ़ सर को नंगा रखने के लिये है वरना चेहरा ढाँपना मना नहीं मगर नबी (ﷺ) के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ तो इसके ख़िलाफ़ हैं, ख़ुसूसन मुहरिम मय्यत के मसले में। वैसे भी एहतियात बेहतर है।

باب:(١٠٢) فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ

बाब : (102) दुश्मन की वजह से जो शख़्स (हज से) रोक दिया जाये तो?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا، كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمَّا نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ فَقَالاَ لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ الْعَامَ إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ . قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ

(2862) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह और हज़रत सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह ने (अपने वालिद) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) से गुफ़्तगू की, ये उस वक़्त की बात है जब (हज्जाज का) लश्कर हज़रत इब्ने ज़ुबैर (رضي الله عنه) का मुहासिरा कर चुका था। अभी उन्हें शहीद नहीं किया गया था। वह दोनों कहने लगे कि आप इस साल हज को न जायें तो आपको कोई नुक़सान नहीं। हमें खतरा है कि हमें बैतुल्लाह तक पहुँचने में रुकावट पड़ जायेगी। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ (उ़म्रा करने के लिये) गये थे। कुफ़्फ़ारे क़ुरैश ने बैतुल्लाह तक न जाने दिया तो

صلى الله عليه وسلم هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْطَلِقُ فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَعَلْتُ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ فَإِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي . فَلَمْ يَحْلِلْ مِنْهُمَا حَتَّى أَحَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَهْدَى.

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी क़ुर्बानी ज़बह की और सर मुण्डा दिया। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उम्रे का एहराम बाँध लिया है। अल्लाह तआला ने चाहा तो मैं जाऊँगा। अगर मेरे और बैतुल्लाह के दरम्यान रास्ता खुला रहा तो मैं तवाफ़ (यानी उम्रा) कर लूँगा और अगर रुकावट पड़ गई तो मैं वही कुछ करूँगा जो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ किया था। फिर कुछ देर चलने के बाद कहने लगे: उम्रा और हज दोनों का मामला एक ही है, लिहाज़ा मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने उम्रे के साथ हज का एहराम भी बाँध लिया है। तो आप उनसे हलाल नहीं हुये यहाँ तक कि क़ुर्बानियों वाले दिन क़ुर्बानी ज़बह की और फिर हलाल हुये।

(2862) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1807, 1808, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3842.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज्जाज और हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (رضي الله عنه) से मुताल्लिक़ तफ़्सील के लिये देखिये हदीस: 2747 का फ़ायदा: 1 **(2)** 'दोनों का मामला एक है' यानी अगर बैतुल्लाह तक न पहुँच सके और रुकावट पड़ गई तो फिर, ख़्वाह एहराम उम्रे का हो या हज का या दोनों का, हलाल होने का तरीक़ा एक ही है। अगर रुकावट न पड़ी तो जिस तरह उम्रा हो सकता है, हज भी हो सकेगा, लिहाज़ा उम्रे के साथ हज का एहराम बाँधने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा। **(3)** एहसार से मुराद है कि मुहरिम बैतुल्लाह तक न पहुँच सके, ख़्वाह दुश्मन रुकावट डाल दे जैसे उम्र-ए-हुदैबिया में हुआ या कोई मर्ज़ वग़ैरह इन्सान को लाचार कर दे कि वह सफ़र जारी न रख सके। हर दो सूरतों में अगर साथ क़ुर्बानी का जानवर हो तो उसे ज़बह कर दिया जाये और अगर उसे हरम भेजा जा सकता हो तो भेज दिया जाये। जानवर के ज़बह करने के बाद वह हजामत वग़ैरह करवाये और हलाल हो जाये। अगर वह हज फ़र्ज़ था तो आइन्दा फिर करे, बशर्ते कि इस्तेताअत रखता हो, वरना माफ़ है। यही हुक्म उम्रे का है। एक राय ये है कि अगर वह उम्रे का एहराम था या नफ़्ल हज का तो दोबारा क़ज़ा वग़ैरह की कोई ज़रूरत नहीं जैसे उम्र-ए-हुदैबिया में हुआ। नबी(ﷺ) ने किसी को पाबन्द नहीं फ़रमाया कि बाद में उसकी क़ज़ा दें। लेकिन राजेह मौक़िफ़ के मुताबिक़ उम्रे की अदायगी भी वाजिब है, इसलिये अगर किसी का

वाजिब उ़म्रा रह जाये या उसकी तकमील न हो पाये तो आइन्दा साल उसे इस्तेताअ़त की सूरत में उसकी क़ज़ा अदा करना होगी। रहा ये मौक़िफ़ कि मुत्लक़न उ़म्रे की दोबारा क़ज़ा ज़रूरी नहीं और दलील में उ़म्र-ए-हुदैबिया से इस्तेदलाल करना, तो ये महल्ले नज़र है। अव्वलन: इसलिये कि आइन्दा साल उ़म्रा करने का मुआहिदा हो चुका था, लिहाज़ा मज़ीद हुक्म की ज़रूरत ही पेश न आई। सानियन: राजेह मौक़िफ़ के मुताबिक़ हज की फ़र्ज़ीयत तो 9 हिजरी में हुई तो उससे क़ब्ल उ़म्रे के वजूब के क्या मआ़नी? इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्मन किसी को पाबन्द नहीं फ़रमाया। वल्लाहु आ़लम!

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، -وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ - عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ عَرِجَ أَوْ كُسِرَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى " . فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالاَ صَدَقَ .

(2863) हज़रत हज्जाज बिन अ़म्र अन्सारी (رضی الله عنه) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स (दौराने एहराम में बैतुल्लाह तक पहुँचने से पहले) लंगड़ा हो जाये या उसकी टाँग वग़ैरह टूट जाये (और उसका बैतुल्लाह तक पहुँचना मुमकिन न रहे) तो वह हलाल हो गया और उस पर दोबारा हज होगा।' (रावी ने कहा:) मैंने इस बारे में हज़रत इब्ने अ़ब्बास और हज़रत अबू हुरैरह (رضی الله عنه) से पूछा तो उन्होंने फ़रमाया कि हज़रत हज्जाज अन्सारी ने सच बयान फ़रमाया।

(2863) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, हदीस: 940, इब्ने माजा, हदीस: 3077, 3078, वल हाकिम: 1/470, 483.

फ़ायदा : ये हदीस दलील है कि 'एहसार' दुश्मन के अ़लावा मर्ज़ वग़ैरह की बिना पर भी मोतबर है जैसा कि जुम्हूर अहले इल्म का मस्लक है। इसी तरह अगर किसी शख़्स ने एहराम बाँधते वक़्त शर्त लगा ली हो कि जहाँ मैं आ़जिज़ आ गया, वहाँ हलाल हो जाऊँगा तो वह भी आ़जिज़ आने पर बग़ैर किसी फ़िद्ये के हलाल हो सकता है, जबकि एहसार की सूरत में जानवर ज़बह करना होगा।

أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ الصَّوَّافِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

(2864) हज़रत हज्जाज बिन अ़म्र (رضی الله عنه) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स की टाँग वग़ैरह टूट जाये या वह लंगड़ा हो जाये (यहाँ तक कि वह बैतुल्लाह तक नहीं पहुँच

أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى " . وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالاَ صَدَقَ . وَقَالَ شُعَيْبٌ فِي حَدِيثِهِ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

सकता) तो वह हलाल हो गया और उस पर आइन्दा हज होगा।' (इक्रिमा ने कहा:) मैंने हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से पूछा तो उन्होंने फ़रमाया कि हज़रत हज्जाज अन्सारी ने सच कहा। (उस्ताद) शुऐब ने अपनी हदीस़ में कहा: उस पर आइन्दा साल हज होगा।

(2864) तख़रीज : (सनद सह़ी) अबू दाऊद, हदीस़: 1862, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3844.

फ़ायदा : 'आइन्दा साल हज होगा' यानी अगर ये फ़र्ज़ हज था और वह अभी तक बैतुल्लाह तक पहुँचने की ताक़त रखता है वरना उस पर हज लाज़िम नहीं। यही हुक्म उ़म्रे का है।

باب:(١٠٣) دُخُولِ مَكَّةَ

बाब : (103) मक्का मुकर्रमा में दाख़िला

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى يَبِيتُ بِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ صَلاَةَ الصُّبْحِ حِينَ يَقْدَمُ إِلَى مَكَّةَ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ خَشِنَةٍ غَلِيظَةٍ .

(2865) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाते तो मक़ामे ज़ूतवा में रात गुज़ारते यहाँ तक कि वहीं सुबह की नमाज़ पढ़ते। और रसूलुल्लाह (ﷺ) के वहाँ नमाज़ पढ़ने की जगह एक बड़े से टीले पर थी। इस मस्जिद वाली जगह में नहीं जो वहाँ बाद में बनाई गई बल्कि उससे कुछ नीचे एक सख़्त टीले पर।

(2865) तख़रीज : (सनद सह़ी) बुख़ारी, हदीस़: 484, मुस्लिम, हदीस़: 1259/228, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3845.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ज़ूतवा' मक्का मुकर्रमा के बिल्कुल क़रीब एक मक़ाम है, बल्कि अब मक्का मुकर्रमा ही में है, वहाँ आप रात गुज़ारते। सुबह के बाद मक्का मुकर्रमा में दाख़िल होते, मगर

ऐसा करना ज़रूरी नहीं बल्कि ये हालात और ज़माने के तक़ाज़े के मुताबिक़ है। वक़्ते फ़ारिग़ है तो आप बेशक रात वहाँ ठहरें लेकिन अगर वक़्त की क़िल्लत है तो ठहरना ज़रूरी नहीं। इससे सवाब में कोई कमी नहीं होगी। (2) 'इस मस्जिद वाली जगह नहीं' जिस वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज और उ़म्रे किये थे, उस वक़्त रास्ते में कोई मस्जिद नहीं थी यहाँ तक कि ज़ुल हुलैफ़ा में भी नहीं थी, फिर जहाँ जहाँ आपने क़याम फ़रमाया और नमाज़ें पढ़ीं, लोगों ने तबर्रुकन वहाँ मसाजिद बना लीं। कोई मस्जिद तो ऐन आपकी नमाज़ वाली जगह बनाई गई और कुछ मसाजिद क़रीब की जगह में। मुमकिन है सही जगह का पता न चला हो या असल जगह मस्जिद बन न सकती हो, वग़ैरह।

बाब : (104) रात के वक़्त मक्का मुकर्रमा में दाख़िल होना

باب:(١٠٤) دُخُولِ مَكَّةَ لَيْلاً

(2866) हज़रत मुहर्रिश कअ़बी (ﷺ) से रिवायत है कि यक़ीनन नबी (ﷺ) मक़ामे जिअ़राना से रात के वक़्त उ़म्रा करने के लिये निकले और सुबह से पहले वापस जिअ़राना में आ गये। गोया कि रात वहीं रहे हों, यहाँ तक कि जब सूरज ढल गया तो आप जिअ़राना से निकल कर वादि-ए-सरिफ़ में आ गये और सरिफ़ से मदीना मुनव्वरा का रास्ता इख़्तियार फ़रमाया।

أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُزَاحِمُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ لَيْلاً مِنَ الْجِعِرَّانَةِ حِينَ مَشَى مُعْتَمِرًا فَأَصْبَحَ بِالْجِعِرَّانَةِ كَبَائِتٍ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ عَنِ الْجِعِرَّانَةِ فِي بَطْنِ سَرِفَ حَتَّى جَامَعَ الطَّرِيقَ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ مِنْ سَرِفَ .

(2866) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 935, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3846.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये ज़ुलक़अ़दा आठ हिजरी फ़तहे मक्का के बाद ताइफ़, हुनैन और औतास से वापसी के वक़्त का वाक़िया है। (2) जिअ़राना एक मक़ाम है ताइफ़ और मक्का मुकर्रमा के दरम्यान। ये हरम से बाहर है। आज कल उस जगह आकर उ़म्रे का एहराम बाँधने को बड़ा उ़म्रा और तनईम से उ़म्रे का एहराम बाँधने को छोटा उ़म्रा कहते हैं क्योंकि तनईम मक्का मुकर्रमा से क़रीब है और जिअ़राना दूर। तनईम से हज़रत आ़यशा (ﷺ) ने हज्जतुल विदा में नबी (ﷺ) के हुक्म से उ़म्रा किया था। (3) मालूम हुआ कि ज़ूतवा में रात गुज़ारना ज़रूरी नहीं बल्कि रात ही को उ़म्रा करके वापस जा सकते हैं जैसा कि नबी (ﷺ) ने किया। (4) 'गोया कि रात वहाँ गुज़ारी हो' यानी इशा की नमाज़ के

बाद जिअ़राना से निकले और सुबह की नमाज़ फिर जिअ़राना में पढ़ी। आम लोगों के नज़दीक तो आप रात वहीं जिअ़राना ही में रहे होंगे, इसलिये कुछ लोगों को इस उ़म्रे का पता नहीं चल सका।

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُزَاحِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ، عَنْ مُحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ لَيْلاً كَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ فَاعْتَمَرَ ثُمَّ أَصْبَحَ بِهَا كَبَائِتٍ

(2867) हज़रत मुहर्रिश कअ़बी (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जिअ़राना से ऐसी रात में निकले जो पिघली हूई चाँदनी की तरह सफ़ेद थी, फिर आपने (मक्का मुकर्रमा पहुँच कर) उ़म्रा फ़रमाया और फिर सुबह से पहले वापस जिअ़राना में लौट आये गोया कि रात यहीं रहे हों।

(2867) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3847.

फ़ायदा : 'पिघली हूई चाँदी की तरह' गोया वह चौदहवीं रात थी जो बहुत रोशन होती है। ये अल्फ़ाज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के चेहर-ए-मुबारक की सिफ़त भी हो सकते हैं, यानी आपका चेहरा पिघली हूई चाँदी की तरह रोशन और साफ़ सुथरा था। वल्लाहु आलम! बाक़ी मुबाहिस़ ऊपर गुज़र चुके हैं।

باب:(١٠٥) مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ

बाब : (105) मक्का मुकर्रमा में किस तरफ़ से दाख़िल हो?

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى .

(2868) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ऊँची घाटी से मक्का मुकर्रमा में दाख़िल हुये जो बतहाअ के क़रीब है और नीची घाटी से निकले।

(2868) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 1576, मुस्लिम, हदीस़: 1257, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3848.

फ़वाइद व मसाइल : (1) किसी ख़ास मक़ाम से दाख़िल होना या निकलना ज़रूरी नहीं लेकिन जहाँ से रसूलुल्लाह (ﷺ) दाख़िल हुये या निकले, वहाँ से दुख़ूल व ख़ुरूज साहिबे फ़ज़ीलत अमल है। ऊँची घाटी मक्का मुकर्रमा के क़ब्रिस्तान के क़रीब तक़रीबन शिमाली जानिब है। उसे कुदाअ भी कहते हैं। चूंकि मदीना मुनव्वरा उसी जानिब है, लिहाज़ा उसी मक़ाम से दाख़िल होना मुनासिब था। और उसके मुक़ाबले नीची घाटी है, उसे कदा भी कहते हैं। आज कल ऊँची घाटी वाले इलाक़े को मअ़ला

कहते हैं। मअ़ला ऊँचा इलाक़ा है। नीची घाटी मअ़ला और मिस्फ़ला के बीच में है। हाजी या मोतमिर (उ़म्रा करने वाला) किसी तरफ़ से भी दाख़िल या ख़ारिज हो सकता है।

बाब : (106) मक्का मुकर्रमा में झण्डा लेकर दाख़िल होना

باب:(١٠٦) دُخُولِ مَكَّةَ بِاللِّوَاءِ

(2869) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) मक्का मुकर्रमा में दाख़िल हुये तो आपका झण्डा सफ़ेद था।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ .

(2869) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़:2592, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1679, इब्ने माजा, हदीस़: 2817, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3849, इब्ने माजा, हदीस़: 2818.

फ़ायदा : ये फ़तहे मक्का की बात है, इसलिये झण्डा ज़रूरी था वरना हज्जतुल विदा के मौक़े पर कोई झण्डा वग़ैरह न था। कुछ रिवायात में आप (ﷺ) का झण्डा स्याह बतलाया गया है। ये कोई तआ़रुज़ नहीं। लश्कर का बड़ा झण्डा स्याह था और आपका ज़ाती झण्डा सफ़ेद था। वैसे भी जंग में कई झण्डे होते हैं। फ़तहे मक्का में भी मुहाजिरीन का अलग झण्डा था, अन्सार का अलग। इसी तरह दूसरे गिरोहों के।

बाब : (107) मक्का मुकर्रमा में बग़ैर एहराम के दाख़िल होना

باب:(١٠٧) دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

(2870) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) मक्का मुकर्रमा में दाख़िल हुये तो आपके सर पर ख़ूद (लोहे की टोपी) था। आपसे कहा गया कि इब्ने ख़तल काबा के पर्दों से लटका हुआ है। आपने फ़रमाया: 'उसे क़त्ल कर दो।'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَقِيلَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ . فَقَالَ " اقْتُلُوهُ " .

(2870) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1357, बुख़ारी, हदीस़: 1846, मौता: 1/423, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3850.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ख़ूद था' कुछ रिवायात में है कि स्याह पगड़ी थी। (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 1358) मुमकिन है एक वक़्त में ख़ूद हो, दूसरे वक़्त में पगड़ी हो। या ख़ूद के ऊपर पगड़ी बाँध

रखी हो या पगड़ी के ऊपर ख़ूद हो। जो भी सूरत हो, ये साबित होता है कि नबी (ﷺ) मुहरिम नहीं थे क्योंकि आप हज या उम्रा करने की नियत से नहीं आये थे। एहराम उस शख़्स पर फ़र्ज़ है जो हज या उम्रे की नियत से मक्का मुकर्रमा में दाख़िल हो जबकि अहनाफ़ का ख़याल है कि जो शख़्स भी मक्का मुकर्रमा में दाख़िल होना चाहे, वह मीक़ात से गुज़रते वक़्त लाज़िमन एहराम बाँधे। ये रिवायत उनके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है। (2) 'इब्ने ख़तल' नाम अब्दुल्लाह था। मुसलमान होने के बाद एक आदमी को क़त्ल करके मुर्तद हो गया था। रसूलुल्लाह (ﷺ) की हिजूगोई शुरू कर दी थी। चूंकि क़िसासन ये शख़्स वाजिबुल क़त्ल था, इरतेदाद के जुर्म में भी उसका क़त्ल लाज़िम था, रसूलुल्लाह(ﷺ) की हिजूगोई भी क़त्ल की सज़ा का मोजिब थी, इसलिये आपने फ़तहे मक्का के मौक़े पर उसके क़त्ल का हुक्म सादिर फ़रमाया था। उसने बचने के लिये काबा का ग़िलाफ़ पकड़ लिया, मगर ऐसे मलऊन को माफ़ी कैसे मिल सकती थी। (3) 'क़त्ल कर दो' वैसे तो हरम में क़त्ल मना है। मुजरिम को बाहर ले जाकर सज़ा देनी चाहिए मगर फ़तहे मक्का के मौक़े पर रसूलुल्लाह(ﷺ) के लिये ख़ुसूसी तौर पर कुछ देर के लिये हरम में क़त्ल की इजाज़त थी, फिर क़यामत तक के लिये हराम कर दिया गया।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ

(2871) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) फ़तहे मक्का के साल मक्का मुकर्रमा में दाख़िल हुये तो आपके सर मुबारक पर ख़ूद था।

(2871) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3851.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.

(2872) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) फ़तहे मक्का के दिन मक्का मुकर्रमा में दाख़िल हुये तो आपने स्याह पगड़ी बाँध रखी थी और आप एहराम के बग़ैर थे।

(2872) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1358, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3852.

फ़ायदा : 'एहराम के बग़ैर' अहनाफ़ इसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये ख़ुसूसी इजाज़त समझते हैं मगर उसकी कोई दलील नहीं। अहादीस में क़त्ल के सिलसिले में तो ख़ुसूसी इजाज़त का ज़िक्र है मगर एहराम के सिलसिले में नहीं। (बाक़ी तफ़्सीलात के लिये देखिये रिवायत नम्बर: 2870)

बाब : (108) नबी (ﷺ) मक्का मुकर्रमा में किस वक़्त दाख़िल हुये?

باب:(١٠٨) الْوَقْتِ الَّذِي وَافَى فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ وَهُمْ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحِلُّوا .

(2873) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके सहाबा चार ज़ुल हिज्जा की सुबह को हज की लब्बैक कहते हुये मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ लाये। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि वह (उम्रा करने के बाद) हलाल हो जायें।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1085, मुस्लिम, हदीस: 1240/201, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 3853.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2805.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَقَدْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ وَقَالَ " مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ

(2874) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ुल हिज्जा की चार तारीख़ को (मक्का मुकर्रमा) तशरीफ़ लाये। आपने हज का एहराम बाँध रखा था। आपने सुबह की नमाज़ बतहाअ में पढ़ी और फ़रमाया: 'जो शख़्स हज के एहराम को उम्रे में बदलना चाहे, वह बदल दे।'

(2874) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3854.

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ .

(2875) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ज़ुल हिज्जा की चार तारीख़ की सुबह को मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाये।

(2875) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2505, मुस्लिम: 1216/141, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 3855.

फ़ायदा : इस बाब की अहादीस़ हज्जतुल विदा से मुताल्लिक़ हैं जबकि साबिक़ा बाब की अहादीस़ का ताल्लुक़ फ़तहे मक्का से था।

बाब : (109) हरम में शेअ़र पढ़ना और इमाम के आगे आगे चलना

باب:(١٠٩) إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْحَرَمِ وَالْمَشْيِ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ

(2876) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) उम्र-ए-क़ज़ा के मौक़े पर मक्का मुकर्रमा में दाख़िल हुये तो अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा (ﷺ) आपके आगे आगे चल रहे थे और ये शेअ़र पढ़ रहे थे: 'ऐ काफ़िरों की औलाद! आपका रास्ता छोड़ दो। आज हम आपके हुक्म से तुम्हारी गर्दनें मारेंगे और ऐसी ज़र्ब लगायेंगे जो खोपड़ियों को गर्दनों से जुदा कर देगी और दोस्त को दोस्त से ग़ाफ़िल कर देगी।'

हज़रत उमर (ﷺ) कहने लगे: इब्ने रवाहा! रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने और हरम पाक में शेअ़र कहते हो? तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उमर! पढ़ने दो। ये शेअ़र उनके लिये तीरों की बोछार से भी ज़्यादा तकलीफ़देह हैं।

(2876) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2847, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 12/375, हदीस़: 3404, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 2021.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَقُولُ الشِّعْرَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " خَلِّ عَنْهُ فَلَهُوَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'उम्रतुल क़ज़ा' ये 7 हिजरी में अदा किया गया। उसे उम्रतुल क़ज़ा इसलिये कहा गया कि सुलह हुदैबिया के मौक़े पर इस उम्रे का मुत्तफ़क़ा तौर पर फ़ैसला हो गया था, और मुसालिहत हो गई थी कि आइन्दा साल मुसलमान उम्रा करने आयेंगे और तीन दिन तक मक्का मुकर्रमा में बिला रोक टोक रहेंगे, कुफ़्फ़ारे मक्का शहर ख़ाली कर देंगे। और ऐसे ही हुआ। यहाँ क़ज़ा अदा के मुक़ाबले में नहीं क्योंकि अगर ये उम्र-ए-हुदैबिया की क़ज़ा होता तो फिर उम्र-ए-हुदैबिया को आपके उम्रों में शामिल न किया जाता जबकि इत्तेफ़ाक़ है कि आपने चार उम्रे अदा फ़रमाये। उनमें

से एक हुदैबिया वाला उम्रा है। (2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (ﷺ) के ये अश्आर सिर्फ़ कुफ़्फ़ारे कुरैश को शर्मिन्दा करने के लिये थे वरना नबी (ﷺ) लड़ाई के लिये गये थे, न लड़ाई मुमकिन ही थी। शाइरों को अपने जज़्बात के इज़्हार का हक़ होता है और उमूमन शाइरों का कलाम हक़ीक़त पर महमूल नहीं होता, बल्कि उनका मक़सद अपने जज़्बात को तस्कीन देना होता है। उनमें मुबालिग़ा होता है और इन्तेहा पसन्दी आम होती है। इसीलिये कुफ़्फ़ारे मक्का ने उन पर कोई ऐतराज़ नहीं किया वरना संजीदगी में ऐसे अल्फ़ाज़ सुलह के ख़िलाफ़ तसव्वुर किये जाते हैं। (3) हज़रत इब्ने रवाहा (ﷺ) का रसूलुल्लाह (ﷺ) के आगे आगे चलना आपके एहतिराम के लिये था। कभी आगे चलना भी एहतिराम की अलामत होता है ख़ुसूसन ख़ुद्दाम आगे ही चला करते हैं। (4) हज़रत उमर (ﷺ) का हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा पर ऐतराज़ शायद इस बिना पर हो कि वह समझते हों कि रसूलुल्लाह (ﷺ) शिद्दते इस्तिग़राक़ की वजह से अब्दुल्लाह बिन रवाहा के अश्आर की तरफ़ तवज्जा नहीं फ़रमा रहे वरना रसूलुल्लाह (ﷺ) की मौजूदगी के बावजूद ऐतराज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी।

बाब : (110)
मक्के की ताज़ीम का बयान

باب:(١١٠) حُرْمَةِ مَكَّةَ

(2877) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के दिन फ़रमाया: 'इस शहर को अल्लाह तआला ने उस दिन हरम (हुर्मत वाला) क़रार दिया था जिस दिन आसमानों और ज़मीन को पैदा फ़रमाया था, लिहाज़ा ये अल्लाह तआला के हराम क़रार देने से क़यामत के दिन तक हराम रहेगा। इसके काँटेदार दरख़्त न काटे जायें। और इसके किसी जानवर को न भगाया जाये और यहाँ कि गिरी पड़ी चीज़ को कोई न उठाये मगर वह शख़्स जो ऐलान करता रहे। और इसकी घास न काटी जाये।' हज़रत अब्बास (ﷺ) ने गुज़ारिश की: ऐ अल्लाह के रसूल! मगर इज़्ख़िर को। आपने फ़रमाया: 'मगर इज़्ख़िर को (काटने की इजाज़त है।)'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ " هَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهُ " . قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ . فَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا " إِلاَّ الإِذْخِرَ " .

(2877) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 1587, मुस्लिम: 1353, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3857.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'इस शहर' यानी जो अब शहर बन चुका है वरना तहरीम के वक़्त तो शहर न था। (2) 'हरम क़रार दिया' यानी फ़ैसला फ़रमा लिया था अगरचे लोगों को इस बात का इल्म बाद में हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) की ज़बानी हुआ। गोया फ़ैसला अल्लाह तआला का था और ऐलान हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) ने फ़रमाया था, लिहाज़ा तहरीम की निस्बत दोनों की तरफ़ हो सकती है। पहली हक़ीक़तन दूसरी मजाज़न। (3) 'काँटेदार दरख़्त' यानी ख़ुदरू जिन्हें कोई लगाता नहीं। बाक़ी रहे वह दरख़्त जो फलदार हों या जिन्हें बीज डाल कर लगाया गया हो, इसी तरह फ़सलें वग़ैरह, तो उन्हें काटा जा सकता है और फल तोड़ कर खाये जा सकते हैं। (4) 'न भगाया जाये' यानी शिकार के लिये उसका पीछा न किया जाये और उससे बिलकुल छेड़-छाड़ न किया जाये यहाँ तक कि साये में बैठे जानवर को साये से भी न उठाया जाये। (5) 'ऐलान करता रहे' यानी हमेशा ऐलान ही करे। अपने इस्तेमाल में न लाये वरना हरम की ख़ुसूसियत नहीं रहेगी। अहनाफ़ के नज़दीक हरम के लुक़्ता की कोई ख़ुसूसियत नहीं। सिर्फ़ एक साल ही ऐलान का हुक्म है। आम लुक़्ता की तरह यहाँ ख़ुसूसी ज़िक्र सिर्फ़ ताकीद और तम्बीह के लिये है कि कोई सुस्ती न करे। पहली बात ज़्यादा क़वी है। (6) इज़्ख़िर मिर्च के पौधे की बिल्कुल हम शक्ल एक क़िस्म की घास है जिसकी लोगों को अशद्द ज़रूरत रहती थी, जलाने के लिये, बिछाने के लिये वग़ैरह, इसलिये उसके काटने की इजाज़त दे दी गई। (7) 'मगर इज़्ख़िर' इससे मालूम हुआ कि कुछ दफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) इज्तेहाद करके हुक्म जारी फ़रमा देते थे अगर वह दुरुस्त न होता तो वह्य नाज़िल हो जाती वरना वह हुक्म साबित रहता। दीगर हज़रात इसे भी वह्य पर महमूल करते हैं।

बाब : (111)
मक्का मुकर्रमा में लड़ाई हराम है

باب:(١١١) تَحْرِيمِ الْقِتَالِ فِيهِ

(2878) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के दिन इरशाद फ़रमाया: 'बिला शुब्हा ये शहर हराम है। इसे अल्लाह तआला ने हराम क़रार दिया है। मुझसे पहले किसी के लिये इस शहर में लड़ाई करनी हलाल न थी और मुझे भी आज दिन में थोड़ी देर के लिये रुख़्सत दी गई है। और ये अल्लाह तआला के हराम क़रार देने की बिना पर (क़यामत तक के लिये) हराम रहेगा।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ " إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الْقِتَالُ لأَحَدٍ قَبْلِي وَأُحِلَّ لِي

سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

(2878) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3858.

फ़ायदा : मक्का मुकर्रमा में क़िताल करना क़तअन जायज़ नहीं है, नबी (ﷺ) को मुख़्तसर वक़्त के लिये क़िताल की इजाज़त दी गई थी, फिर बाद में क़यामत तक के लिये इसमें क़िताल को हराम क़रार दे दिया गया, लिहाज़ा अब किसी सूरत में भी मक्का मुकर्रमा में क़िताल करना दुरुस्त नहीं, हाँ अगर ख़ारजी दुश्मन हमलावर हो तो अर्ज़े मुक़द्दस का दिफ़ा करना ज़रूरी है, हुदूदे हरम में हुदूद का निफ़ाज़ मुख़्तलफ़ फ़ीह (इख़्तिलाफ़ी) मसला है जिसकी वज़ाहत आइन्दा औराक़ में आयेगी।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَاىَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا فَإِنْ تَرَخَّصَ أَحَدٌ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ

(2879) हज़रत अबू शुरैह (رضي الله عنه) ने (गवर्नरे मदीना) अम्र बिन सईद से कहा, जब वह मक्का मुकर्रमा की तरफ़ लश्कर भेज रहा था: ऐ अमीर! मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हारे सामने वह बात बयान करूँ जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़तहे मक्का से अगले दिन इरशाद फ़रमाई थी। मेरे कानों ने वह बात सुनी,मेरे दिल ने याद रखी और मेरी आँखों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा जब आप वह बात फ़रमा रहे थे। आपने अल्लाह तआला की हम्द व सना फ़रमाई, फिर फ़रमाया: 'मक्का मुकर्रमा को अल्लाह तआला ने हराम क़रार दिया है लोगों ने नहीं। जो आदमी अल्लाह तआला और यौमे क़यामत पर ईमान रखता है, उसके लिये ये जायज़ नहीं कि वह वहाँ ख़ूनरेज़ी करे, और न वहाँ के किसी दरख़्त को काटे। अगर कोई शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) की लड़ाई को हुज्जत बनाकर ख़ुद रुख़्सत हासिल करे तो उसे कह दो कि अल्लाह तआला ने अपने रसूल (ﷺ) को इजाज़त दी थी, तुम्हें इजाज़त नहीं दी है। और मुझे भी इस (फ़तहे वाले) दिन में थोड़ी देर के लिये इजाज़त दी गई थी। अब फिर ये उसी तरह

हराम हो गया है जिस तरह इससे पहले थे। हर हाज़िर, ग़ाइब को ये बातें पहुँचा दे।'

نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ " .

(2879) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1832, मुस्लिम, हदीस: 1354, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3859.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'अम्र बिन सईद' ये यज़ीद की तरफ़ से मदीना मुनव्वरा का गवर्नर था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) ने यज़ीद की बैत नहीं की थी बल्कि मदीना मुनव्वरा से निकल कर मक्का मुकर्रमा चले गये थे ताकि हुकूमते जबर न कर सके। यज़ीद ने अम्र बिन सईद को हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिये लिखा थ। ये 61 या 63 हिजरी की बात है। (2) 'लोगों ने नहीं' कुछ औक़ात लोग भी तो अपने तौर पर ही किसी इलाक़े की हुर्मत के क़ाइल हो जाते हैं जैसे आज कल अवामुन्नास कुछ पीरों की गद्दियों और उनसे मुल्हक़ इलाक़ों को हरम की तरह समझते हैं और किसी क़िस्म के तसर्रुफ़ को गुनाह समझते हैं, इसीलिये नफ़ी फ़रमाई कि मक्का मुकर्रमा की हुर्मत मिनजानिब अल्लाह है, इसमें लोगों का कोई दख़ल नहीं, और ये हुर्मत अज़ली व अबदी है, किसी एक मिल्लत या शरीयत के साथ ख़ास नहीं। (3) 'थोड़ी देर के लिये' हमले के आग़ाज़ से लेकर तसल्लुत क़ाइम होने तक। और ये वक़्त तुलूअे शम्स से अस्र तक था। इसमें भी रसूलुल्लाह (ﷺ) के लश्कर ने अज़ ख़ुद किसी को क़त्ल नहीं किया बल्कि जिसने मुज़ाहमत की, वही क़त्ल हुआ। या उन चन्द मुजरिमों को क़त्ल किया गया जिन्होंने नाक़ाबिले माफ़ी गुनाहों का इरतेकाब किया था। और ये शरई हुक्म था। (4) 'हर हाज़िर, ग़ाइब को पहुँचा दे' ताकि सबको मालूम हो जाये कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने हरम की हुर्मत को क़ाइम रखा है। (5) हलाल व हराम का इख़्तियार अल्लाह तआला को है, किसी बशर (इन्सान) को इसमें दख़ल नहीं। रसूलों का काम भी अहकाम लोगों तक पहुँचाना है। अपनी तरफ़ से चीज़ हलाल व हराम करने का इख़्तियार उन्हें भी नहीं है। (6) हुक्मरानों के शरीयत के ख़िलाफ़ दिये गये अवामिर का इन्कार और हक़ बात की तब्लीग़ उलमा-ए-किराम की ज़िम्मेदारी है।

बाब : (112) हरम की हुर्मत का बयान

باب:(١١٢) حُرْمَةُ الْحَرَمِ

(2880) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक लश्कर बैतुल्लाह पर हमला करने आयेगा मगर उसे मक़ामे बैदाअ पर धँसा दिया जायेगा।'

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سُحَيْمٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم " يَغْزُو هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ " .

(2880) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3860.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बैदाअ से मुराद ऐसा बंजर और बे आबाद मक़ाम है जो मक्का और मदीना के दरम्यान वाक़ेअ है। **(2)** साबिक़ा ज़माने में कुछ हुक्मरानों का हुदूदे हरम में जंग व जिदाल करना दुरुस्त नहीं था। अल्लाह तआला उनकी ग़लतियों से दरगुज़र फ़रमाये, और उनका मक़सद बैतुल्लाह की हुर्मत की पामाली और उस पर हमले का प्रोग्राम नहीं था।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَنْتَهِي الْبُعُوثُ عَنْ غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يُخْسَفَ بِجَيْشٍ مِنْهُمْ " .

(2881) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लश्कर बैतुल्लाह पर हमला करने से बाज़ नहीं आयेंगे यहाँ तक कि उनमें से एक लश्कर को धँसा दिया जायेगा।'

(2881) तख़रीज : (सनद सही) हाकिम: 4/430, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3861, 7/244.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنِ الدَّالاَنِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَخِيهِ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يُبْعَثُ جُنْدٌ إِلَى هَذَا الْحَرَمِ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ " . قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ قَالَ " تَكُونُ لَهُمْ قُبُورًا " .

(2882) हज़रत हफ़्सा बिन्ते उमर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक लश्कर हरमे बैतुल्लाह की तरफ़ भेजा जायेगा। जब वह मक़ामे बैदाअ (एक चटियल और बंजर मैदान) में पहुँचेंगे तो उनके अव्वल व आख़िर को धँसा दिया जायेगा और उनके दरम्यान वाले भी नहीं बच सकेंगे।' मैंने अर्ज़ किया: अगर उनमें कोई मोमिन भी हों? आपने फ़रमाया: 'ये इलाक़ा उनके लिये भी (क़यामत तक के लिये) क़ब्रिस्तान बन जायेगा। (और काफ़िरों के लिये अज़ाब)'

(2882) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3862.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'दरम्यान वाले भी नहीं बच सकेंगे' यानी अव्वल व आख़िर से मुराद सबके सब हैं, न कि दो किनारे। **(2)** 'क़ब्रिस्तान बन जायेगा।' यानी हलाक तो मोमिन भी हो जायेंगे मगर उन्हें अज़ाब नहीं होगा और क़यामत के दिन वह ज़ाहिरन भी काफ़िरों से अलग कर लिये जायेंगे। **(3)** ये रिवायत शवाहिद की बिना पर सही है जैसा कि मुहक़्क़िक़े किताब ने भी सनदन ज़ईफ़ क़रार देते हुये मज़ीद लिखा है कि आइन्दा आने वाली रिवायत इससे किफ़ायत करती है।

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، سَمِعَ جَدَّهُ، يَقُولُ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ، أَنَّهُ قَالَ صلى الله عليه وسلم " لَيَؤُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ فَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ فَيُخْسَفُ بِهِمْ جَمِيعًا وَلاَ يَنْجُو إِلاَّ الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ " . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ مَا كَذَبْتَ عَلَى جَدِّكَ وَأَشْهَدُ عَلَى جَدِّكَ أَنَّهُ مَا كَذَبَ عَلَى حَفْصَةَ وَأَشْهَدُ عَلَى حَفْصَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(2883) उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक लश्कर बैतुल्लाह पर हमला करने आयेगा यहाँ तक कि जब वह मक़ामे बैदाअ (एक चटियल मैदान) में होंगे तो उनके दरम्यान वाले धँसा दिये जायेंगे। उनके अव्वल व आख़िर (घबराहट में) एक दूसरे को पुकारेंगे तो उन सबको धँसा दिया जायेगा और कोई नहीं बच सकेगा मगर इक्का-दुक्का शख़्स जो (वहाँ से) भाग कर उनके बारे में लोगों को बतायेगा।' एक शख़्स ने उन (रावि-ए-हदीस उमैया बिन सफ़वान) से कहा: मैं गवाही देता हूँ कि तुमने अपने दादा पर झूठ नहीं बोला और तुम्हारे दादा की बाबत गवाही देता हूँ कि उन्होंने हज़रत हफ़्सा(ﷺ) पर झूठ नहीं बोला और हज़रत हफ़्सा(ﷺ) की बाबत गवाही देता हूँ कि उन्होंने नबी (ﷺ) पर झूठ नहीं बोला।

(2883) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2883, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3863, व सहीह अलहाकिम: 4/429, 430.

फ़ायदा : गोया हरम की हुर्मत अल्लाह तआला क़ाइम रखेगा और ख़ुदा नख़्वास्ता जब बैतुल्लाह की हुर्मत क़ाइम न रहेगी तो दुनिया का भी ख़ात्मा कर दिया जायेगा।

बाब : (113) हरम में कौन से जानवर क़त्ल किये जा सकते हैं?

باب:(١١٣) مَا يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ مِنَ الدَّوَابِّ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَمْسٌ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ " .

(2884) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच मूज़ी जानवर हिल्ल और हरम में (हर जगह) क़त्ल किये जा सकते हैं: कौआ, चील, काटने वाला कुत्ता, बिच्छू और चूहा।'

(2884) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1198/68, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3864.

फ़ायदा : ये मबाहिस पीछे गुज़र चुकी हैं। फ़र्क़ ये है कि वहाँ मुहरिम का ज़िक्र था और यहाँ हरम का ज़िक्र है। गोया इन जानवरों को मुहरिम क़त्ल कर सकता है हिल्ल हो या हरम। और हरम में भी उन्हें क़त्ल किया जा सकता है, ख़्वाह क़त्ल करने वाला मुहरिम हो या हलाल। इनके क़त्ल की वजूहात पीछे बयान हो चुकी हैं। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस नम्बर: 2831 से 2838) उनके क़त्ल के जवाज़ का मतलब ये है कि क़ातिल को कोई जज़ा या फ़िद्या या जुर्माना नहीं देना पड़ेगा।

बाब : (114) हरम में साँप मारना

باب:(١١٤) قَتْلِ الْحَيَّةِ فِي الْحَرَمِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَمْسٌ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ " .

(2885) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच जानवर मूज़ी (अज़ियत देने वाले) हैं, उन्हें हिल्ल और हरम में (हर जगह) क़त्ल किया जा सकता है: साँप काटने वाला कुत्ता, सफ़ेद पेट या पुश्त वाला कौआ, चील और चूहा।'

(2885) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2832, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3865.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْخَيْفِ مِنْ مِنًى حَتَّى نَزَلَتْ {وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا } فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْتُلُوهَا " . فَابْتَدَرْنَاهَا فَدَخَلَتْ فِي جُحْرِهَا

(2886) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से मन्क़ूल है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मिना में वादि-ए-ख़ैफ़ के मक़ाम पर थे कि सूर-ए-वल मुर्सलात उतरी। एक साँप निकला। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसे क़त्ल कर दो।' हम उसकी तरफ़ लपके लेकिन वह अपने बिल में दाख़िल हो गया।

(2886) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1830, मुस्लिम, हदीस: 2235, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3866.

फ़ायदा : ख़ैफ़ पहाड़ के दामन को कहते हैं। मिना की मस्जिद को मस्जिदे ख़ैफ़ इसी लिये कहते हैं कि वह पहाड़ के दामन में वाक़ेअ है। और ये हरम में दाख़िल है, लिहाज़ा साँप को हरम में भी क़त्ल किया जा सकता है बशर्ते कि वह उन साँपों में से न हो जिनके क़त्ल से रोका गया है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ عَرَفَةَ الَّتِي قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِذَا حِسُّ الْحَيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْتُلُوهَا " . فَدَخَلَتْ شَقَّ جُحْرٍ فَأَدْخَلْنَا عُودًا فَقَلَعْنَا بَعْضَ الْجُحْرِ فَأَخَذْنَا سَعَفَةً فَأَضْرَمْنَا فِيهَا نَارًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ وَوَقَاكُمْ شَرَّهَا " .

(2887) हज़रत अबू उबैदा के वालिद (हज़रत इब्ने मसऊद) (ﷺ) बयान करते हैं कि हम अरफ़े की रात, जो यौमे अरफ़ा से पहले होती है, रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ (मिना में) थे कि अचानक आपने एक साँप की आहट महसूस की तो फ़रमाया: 'उसे मार डालो।' लेकिन वह अपने बिल में घुस गया। हमने बिल में लकड़ी दाख़िल की और बिल को कुछ उखाड़ा, फिर उसमें कुछ ख़ुश्क शाख़ें (या भूसा) डाल कर आग लगा दी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने तुम्हें इसके शर से बचा लिया और इसे तुम्हारे शर से बचा लिया।'

(2887) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/385, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3867.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'लकड़ी दाख़िल की' ताकि साँप को टटोलें मगर वह न मिला तो हमने

बिल को जला दिया। रिवायत के अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि साँप को आग से भी नुक़सान न पहुँचा। (2) 'उसे तुम्हारे शर से बचा लिया' यहाँ शर का लफ़्ज़ साँप के लिहाज़ से बोला गया है।

باب:(١١٥) قَتْلِ الْوَزَغِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ، قَالَتْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ.

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْوَزَغُ الْفُوَيْسِقُ".

बाब : (115) छिपकली को क़त्ल करना

(2888) हज़रत उम्मे शरीक (ﷺ) बयान करती हैं कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने छिपकली को क़त्ल करने का हुक्म दिया।

(2888) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3307, मुस्लिम, हदीस: 2237, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3868.

(2889) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'छिपकली भी फ़ासिक़ जानवर है।'

(2889) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3306, मुस्लिम, हदीस: 2239, बुख़ारी, हदीस: 1831, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3869.

باب:(١١٦) قَتْلِ الْعَقْرَبِ

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ الْقَطَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ " .

बाब : (116) बिच्छू को क़त्ल करना

(2890) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच (क़िस्म के) जानवर फ़ासिक़ हैं। उनको हिल्ल में भी क़त्ल किया जा सकता है और हरम में भी: काटने वाला कुत्ता, कौआ, चील, बिच्छू और चूह।'

(2890) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3870.

باب:(۱۱۷) قَتْلِ الْفَأْرَةِ فِي الْحَرَمِ

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ " .

बाब : (117) हरम में चूहे को मारना

(2891) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच (क़िस्म के) जानवर फ़ासिक़ हैं जिन्हें हरम में भी क़त्ल किया जा सकता है: कौआ, चील, काटने वाला कुत्ता, चूहा और बिच्छू।'

(2891) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 1829, मुस्लिम, हदीस़: 1198/71, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3871.

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

(2892) नबी (ﷺ) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत हफ़्सा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच जानवर ऐसे हैं जिन्हें मार डालने वाले पर कोई हर्ज नहीं: बिच्छू, कौआ, चील, चूहा और काटने वाला कुत्ता।'

(2892) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 1828, मुस्लिम, हदीस़: 1200, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3872.

باب:(۱۱۸) قَتْلِ الْحِدَأَةِ فِي الْحَرَمِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَمْسٌ

बाब : (118) हरम में चील को मारना

(2893) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच जानवर फ़ासिक़ हैं, हिल्ल और हरम (हर जगह) में क़त्ल किये जा सकते हैं: चील, कौआ, चूहा, बिच्छू और काटने वाला कुत्ता।'

فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يَذْكُرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم .

अब्दुर्रज़्ज़ाक़ (ﷺ) फ़रमाते हैं कि हमारे कुछ अस्हाब ने बताया कि मअमर इस रिवायत को ज़ोहरी अन सालिम अन अबीह के तरीक़ से भी बयान करते हैं और मज़्कूरा तरीक़ से भी।

(2893) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1198/70, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 3314, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3873.

باب:(١١٩) قَتْلِ الْغُرَابِ فِي الْحَرَمِ

बाब : (119) हरम में कौअे को मारना

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، - وَهُوَ ابْنُ عُرْوَةَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَمْسٌ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَأَةُ " .

(2894) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच जानवर फ़ासिक़ हैं जिन्हें हरम में भी क़त्ल किया जा सकता है: बिच्छू, चूहा, कौआ, काटने वाला कुत्ता और चील।'

(2894) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1198/68, देखें, हदीस: 2891, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3874.

باب:(١٢٠) النَّهْيِ أَنْ يُنَفَّرَ صَيْدُ الْحَرَمِ

बाब : (120) हरम के शिकार को भगाने की मुमानिअत

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " هَذِهِ مَكَّةُ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ

(2895) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मक्का मुकर्रमा को अल्लाह तआला ने उस दिन ही हराम क़रार दे दिया था जिस दिन अल्लाह तआला ने आसमान व ज़मीन पैदा फ़रमाये। ये न मुझसे पहले किसी के लिये हलाल हुआ, न मेरे बाद किसी के लिये हलाल होगा। मेरे लिये भी दिन के

وَالأَرْضَ لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ لأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَهِيَ سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ " . فَقَامَ الْعَبَّاسُ وَكَانَ رَجُلاً مُجَرِّبًا فَقَالَ إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا . فَقَالَ " إِلاَّ الإِذْخِرَ " .

कुछ हिस्से ही में हलाल हुआ। और अब ये फिर अल्लाह तआला के हराम करने के मुताबिक़ क़यामत तक के लिये हराम है। इसकी घास न काटी जाये। इसके दरख़्त न काटे जायें। इसके शिकार को न छेड़ा जाये। इसकी गुमशुदा चीज़ किसी के लिये हलाल नहीं मगर जो ऐलान करता रहे। हज़रत अब्बास (ﷺ) जो कि एक तजुर्बाकार शख़्स थे, खड़े हो कर कहा: मगर इज़्ख़िर क्योंकि ये हमारे घरों और क़ब्रों के काम आती है। आपने फ़रमाया: '(ठीक है) मगर इज़्ख़िर।'

(2895) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2433, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3875.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2877.

باب:(١٢١) اسْتِقْبَالِ الْحَجِّ

बाब : (121)
हाजियों का इस्तेक़बाल करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُويَهْ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَابْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَقُولُ خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ قَالَ عُمَرُ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ فِي حَرَمِ اللَّهِ وَبَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ

(2896) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि नबी(ﷺ) उम्रतुल क़ज़ा के मौक़े पर मक्का मुकर्रमा में दाख़िल हुये तो हज़रत इब्ने रवाहा(ﷺ) आपके आगे आगे ये शेअर पढ़ते जा रहे थे: 'ऐ काफ़िरों की औलाद! आपका रास्ता छोड़ दो। आज हम आपके हुक्म पर तुम्हें ऐसी ज़र्ब लगायेंगे जो खोपड़ियों को गर्दनों से जुदा कर देगी और दोस्त को जिगरी दोस्त से ग़ाफ़िल कर देगी।'

हज़रत उमर (ﷺ) फ़रमाने लगे: ऐ इब्ने रवाहा! तुम अल्लाह तआला के हरम में और रसूलुल्लाह (ﷺ) की मौजूदगी में ये अश्आर कहते हो? तो नबी (ﷺ) ने

هَذَا الشِّعْرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " خَلِّ عَنْهُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَلاَمُهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقْعِ النَّبْلِ " .

फ़रमाया: 'उमर! रहने दो। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! इसका कलाम उनके लिये तीरों की बौछार से भी ज़्यादा तकलीफ़देह है।'

(2896) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस़: 2876, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3876.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस़ और इसकी तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। मुलाहिज़ा फ़रमाइये हदीस़ नम्बर 2876 **(2)** इमाम नसाई (رحمه الله) शायद इस हदीस़ को इस्तेक़बाल के बाब में इसलिये लाये हैं कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा (رضي الله عنه) का आपके आगे आगे चलना और अश्आ़र पढ़ना इस्तेक़बाल ही की एक सूरत है। या मुमकिन है मक्के के लोग आपके इस्तेक़बाल को आये हों जैसा कि अश्आ़र से मालूम होता है। **(3)** 'आपका रास्ता छोड़ दो' वैसे आप तो उस वक़्त उ़म्रे की नियत से गये थे। गोया इस्तेक़बाल के लिहाज़ से हज और उ़म्रा बराबर हैं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي هَاشِمٍ - قَالَ - فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ .

(2897) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जब मक्का तशरीफ़ लाये तो बनी हाशिम के नौजवानों ने आपका इस्तेक़बाल किया। आपने एक को अपने आगे और एक को अपने पीछे (सवारी पर) बिठा लिया।

(2897) तख़रीज : (सनद सह़ी) बुख़ारी, हदीस़: 1798, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3877.

फ़ायदा : इन नौजवानों में हज़रत अ़ब्बास (رضي الله عنه) के दो बेटे क़ुसम और फ़ज़्ल (رضي الله عنه) थे जिन्हें आपने अपने आगे पीछे सवारी पर बिठाया था।

باب: (١٢٢) تَرْكِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

बाब : (122) बैतुल्लाह को देखते वक़्त हाथ न उठाना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قَزَعَةَ الْبَاهِلِيَّ، يُحَدِّثُ عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ،

(2898) हज़रत मुहाजिर मक्की से रिवायत है कि हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) से उस आदमी के बारे में पूछा गया जो बैतुल्लाह को देखता है, क्या वह हाथ उठाये? वह फ़रमाने लगे: मैं तो नहीं समझता

قَالَ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الرَّجُلِ، يَرَى الْبَيْتَ أَيَرْفَعُ يَدَيْهِ قَالَ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا إِلاَّ الْيَهُودَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهُ .

कि यहूदियों के अलावा कोई शख़्स ये काम करता हो। हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज किया। हम तो ऐसे नहीं करते थे।

(2898) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 1870, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3878.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। यहूद बैतुल्लाह को देख कर हाथ नहीं उठाते थे क्योंकि वह तो बैतुल्लाह जाते ही नहीं थे, वह तो बैतुल्लाह के दुश्मन थे। मुमकिन है इसका मतलब ये हो कि यहूदी अपनी इबादतगाहों या बैतुल मक़्दिस को देखते वक़्त हाथ उठाते हैं, हमें उनके तरीक़े पर अमल नहीं करना चाहिए या फिर ये मतलब होगा कि ग़ैर मौक़े महल पर हाथ यहूदी ही उठाते हैं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। एक मतलब ये भी बयान किया गया है कि यहूदी बैतुल्लाह को देख कर तहक़ीरन हाथ उठाते थे और उससे उनका मक़सूद उसे गिराने के इरादे का इज़्हार होता था। पहला मफ़हूम राजेह मालूम होता है। बहरहाल मज़्कूरा रिवायत ज़ईफ़ है। इसके बरअक्स हज़रत इब्ने अब्बास (ﷻ) से मौक़ूफ़न इसका सबूत मिलता है, इसलिये अगर कोई बैतुल्लाह को देखते वक़्त दोनों हाथ बतौर ताज़ीम उठा लेता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। वल्लाहु आलम! तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो: (मनासिक अल हज वलउम्रा लिल अल्बानी, सफ़ा 20)

باب:(١٢٣) الدُّعَاءِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

बाब : (123)
बैतुल्लाह को देखते वक़्त दुआ करना

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَاءَ مَكَانًا فِي دَارِ يَعْلَى اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَدَعَا .

(2899) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन तारिक़ की वालिदा मोहतरमा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) जब दारे यअ्ला के मकान में (एक मख़्सूस जगह पर) पहुँचते तो क़िब्ले की तरफ़ मुँह करते और दुआ करते।

(2899) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 2007, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3879.

मल्हूज़ : ये रिवायत भी ज़ईफ़ है। बैतुल्लाह को देख कर कोई दुआ पढ़ना किसी सही मरफ़ूअ हदीस में वारिद नहीं, लेकिन अगर कोई दुआ करना चाहता है तो कर भी सकता है। नबी (ﷺ) से कोई मख़्सूस दुआ मरवी नहीं। अलबत्ता इस मौक़े पर हज़रत उमर (ﷻ) से एक दुआ हसन सनद से मन्क़ूल है।

इसके अल्फ़ाज़ दर्ज ज़ेल हैं: (अल्लाहुम्मा अन्तस्सलामु व मिन्कस्सलामु फ़हय्यिना रब्बना बिस्सलाम) (सुनन अल बैहक़ी: 5/73) मज़्कूरा अल्फ़ाज़ के साथ दुआ करना बेहतर है। वल्लाहु आलम! मुलाहिज़ा हो: (मनासिक अल हज वल उम्रा लिल अल्बानी, सफ़ा: 20)

باب: (١٢٤) فَضْلِ الصَّلاَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

बाब : (124) मस्जिदे हराम में नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ غَيْرَ مُوسَى الْجُهَنِيِّ . وَخَالَفَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ .

(2900) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'मेरी मस्जिद (मस्जिदे नबवी) में एक नमाज़ पढ़ना दूसरी मसाजिद में हज़ार नमाज़ पढ़ने से अफ़ज़ल है मगर मस्जिदे हराम में (इससे भी अफ़ज़ल है)'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) बयान करते हैं कि मैं नहीं जानता कि मूसा बिन अब्दुल्लाह जुहनी के अलावा किसी ने इस हदीस को बवास्ता नाफ़ेअ, इब्ने उमर (ﷺ) से बयान किया हो, बल्कि इब्ने जुरैज वग़ैरह ने मूसा की मुख़ालिफ़त की है।

(2900) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1395, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3880.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इब्ने जुरैज की मुख़ालिफ़त ये है कि उन्होंने इसे इब्ने उमर (ﷺ) की बजाये उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना (ﷺ) की मुसनद बनाया है जैसा कि आइन्दा रिवायत में है। **(2)** इमाम नसाई (رحمه الله) का ये फ़रमाना कि 'मैं नहीं जानता....' महल्ले नज़र है। उबैदुल्लाह और अय्यूब ने मूसा की मुताबिअत की है। उन्होंने भी इस रिवायत को इब्ने उमर (ﷺ) की मुसनद बनाया है, इसलिये सही बात ये है कि ये रिवायत इब्ने उमर (ﷺ) से भी मरवी है और मैमूना (ﷺ) से भी, इसी लिये इमाम मुस्लिम (رحمه الله) ने अपनी सही में दोनों तरीक़ से ये रिवायत नक़ल की है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 1395) **(3)** दूसरी रिवायात में वज़ाहत है कि मस्जिदे हराम में एक नमाज़ आम मसाजिद की एक लाख नमाज़ की बराबर है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ أَنْبَأَنَا وَقَالَ، مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْكَعْبَةَ ".

(2901) नबी (ﷺ) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत मैमूना से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'मेरी इस मस्जिद (मस्जिदे नबवी) में एक नमाज़ दूसरी मसाजिद में हज़ार नमाज़ से बेहतर है, सिवाए मस्जिदे काबा के। (कि इसे मस्जिदे नबवी से भी ज़्यादा फ़ज़ीलत हासिल है।)'

(2901) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 692, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3881.

फ़ायदा : बैतुल्लाह सबसे क़दीम मस्जिद है जिसे अल्लाह तआला के हुक्म से तामीर किया गया और वह तमाम अम्बिया (ﷺ) का मर्कज़ रहा है। सिर्फ़ उसी का हज और उम्रा मशरूअ है, लिहाज़ा वह मस्जिदे नबवी से भी अफ़ज़ल है। वह क़िब्ला भी है। और ये अज़ीम फ़ज़ीलत है। मस्जिदे नबवी की फ़ज़ीलत भी मोहताजे वज़ाहत नहीं। मदीने में ये इस्लाम की पहली मस्जिद है जो इस्लाम की पहली दीनी दर्सगाह भी थी और मुसलमानों का सियासी व अस्करी मर्कज़ भी। ख़ान-ए-काबा की तरह इसके लिये भी सफ़रे क़ुर्बत जायज़ व मुस्तहब है। और मस्जिदे नबवी की ज़ियारत और सफ़र में रौज़-ए-नबवी की ज़ियारत का शर्फ़ भी हासिल हो जाता है जो हर मुसलमान की दिली ख़्वाहिश होती है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، قَالَ سَأَلْتُ الأَغَرَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَ الأَغَرُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْكَعْبَةَ

(2902) हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरी इस मस्जिद में एक नमाज़ दूसरी मसाजिद में हज़ार नमाज़ से अफ़ज़ल है, अलावा काबा मुशर्रफ़ा के।'

(2902) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1394/507, बुख़ारी, हदीस: 1190, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3882.

बाब : (125) तामीरे काबा का बयान

باب:(١٢٥) بِنَاءِ الْكَعْبَةِ

(2903) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तुझे इल्म नहीं कि जब तेरी क़ौम (क़ुरैश) ने काबे की तामीर की तो हज़रत इब्राहीम (ﷺ) की बुनियादों से कमी कर दी?' मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप इसे हज़रत इब्राहीम(ﷺ) की बुनियादों के मुताबिक़ तामीर नहीं फ़रमायेंगे? आपने फ़रमाया: 'अगर तेरी क़ौम का ज़मान-ए-कुफ़्र ताज़ा न होता (तो मैं तामीर कर देता)' हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर(ﷺ) बयान करते हैं कि अगर हज़रत आयशा (ﷺ) ने ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है तो मेरा ख़याल है कि हतीम की तरफ़ से दो कोनों का इस्तेलाम छोड़ना इसी बिना पर होगा कि बैतुल्लाह हज़रत इब्राहीम (ﷺ) की बुनियादों पर नहीं बनाया गया।

(2903) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1583, मुस्लिम, हदीस: 1333/399, मौता: 1/363, 364, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3883.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ " . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ " لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ " . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أُرَى تَرْكَ اسْتِلاَمِ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'काबा' तक़रीबन चौकोर और बलन्द इमारत को कहा जाता है। बैतुल्लाह बलन्द भी है और तक़रीबन मुरब्बअ भी, इसलिये इसका नाम काबा पड़ गया। (2) 'काबा की तामीर' आम मुअर्रिख़ीन के नज़दीक ये तामीर बिअ्सत से सिर्फ़ पाँच साल पहले हूई और आम लोगों के साथ आपने भी इसकी तामीर में हिस्सा लिया बल्कि हज्रे अस्वद की तन्सीब आपके मुबारक हाथों ही से हूई और क़ुरैशे मक्का ख़ूनरेज़ी से बच गये। (3) 'कमी कर दी' क्योंकि उनके पास पाक और हलाल माल की कमी थी। पूरी तामीर ज़्यादा अख़राजात की मुतक़ाज़ी थी इसीलिये उन्होंने

शिमाली जानिब से तक़रीबन एक तिहाई हिस्सा छोड़ दिया। इस हिस्से को हिज्र या हतीम कहा जाता है। इस वक़्त उस हिस्से पर कंधों तक दीवार बनी हूई है। इस हिस्से के बाहर रहने का फ़ायदा ये हो गया कि जो शख़्स बैतुल्लाह के अन्दर नमाज़ पढ़ना चाहे, वह उस हिस्से में नमाज़ पढ़ ले वरना हर किसी के लिये बैतुल्लाह खोलना ना'मुमकिन है। **(4)** 'ज़मान-ए-कुफ़्र ताज़ा न होता' रसूलुल्लाह(ﷺ) को ख़तरा था कि अगर काबे को गिरा कर तामीर किया गया तो अ़रब में हर तरफ़ शोर मच जायेगा कि नये नबी ने काबा ढहा दिया है। तामीर को कोई नहीं देखेगा, और वह लोग शायद इस बात पर यक़ीन भी न करते कि वाक़ेअतन ये इमारत नाक़िस है, बल्कि वह उसे 'हर कि आमद इमारते नो साख़्त' पर महमूल करते। बाद में ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन (رضي الله عنهم) ने भी तामीरे नो न की। उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़्वाहिश का इल्म न हो सका, या उन्होंने भी इसे मसलिहत के ख़िलाफ़ ही समझा। बाद में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (رضي الله عنه) ने अपने दौरे इक़्तिदार में काबे की इमारत रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़्वाहिश के मुताबिक़ तैयार कर दी मगर थोड़े अ़र्से के बाद ही हज्जाज ने ख़लीफ़ा अ़ब्दुल मलिक के हुक्म पर दोबारा पहली इमारत बहाल कर दी। और अब तक वह इसी हालत पर क़ाइम है और इन्शाअल्लाह क़ुर्बे क़यामत तक रहेगी। **(5)** 'अगर हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) ने .... अलख़' इस जुम्ले का ये मतलब नहीं कि हज़रत इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) को हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) के सिमाअ़ में शक है, बल्कि ये कलाम का एक अन्दाज़ है। मतलब ये है कि चूंकि हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) ने ये बात नक़ल फ़रमाई है, लिहाज़ा बैतुल्लाह के हतीम की जानिब वाले दो कोनों को न छूने की एक माक़ूल वजह ये बन सकती है। और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) का ये अन्दाज़ा ठीक है। चूंकि ये दोनों कोने अपनी अ़सल जगह पर नहीं, लिहाज़ा तवाफ़ के दौरान में इन कोनों को हाथ नहीं लगाया जाता, जबकि रूक्ने यमानी को हाथ लगाया जाता है और हज्रे अस्वद (जो ऐन मशरिक़ी कोने में है) को मुँह या हाथ लगाना मस्नून है। हाथ न लग सके तो इशारा भी काफ़ी है। **(6)** फ़ित्ने और फ़साद के ख़तरे के बाइस कोई मुबाह काम वक़्ती तौर पर तर्क किया जा सकता है। वल्लाहु आ़लम!

(2904) हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर तेरी क़ौम (क़ुरैश) का दौरे कुफ़्र ताज़ा न होता तो मैं बैतुल्लाह की इमारत को तोड़ कर उसे हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) की बुनियादों पर तामीर कर देता और उसका एक दरवाज़ा पिछली जानिब बना देता क्योंकि क़ुरैश ने जब बैतुल्लाह तामीर किया

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْلاَ حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ فَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا فَإِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ " .

तो उन्होंने इसकी इमारत को छोटा कर दिया था।'

(2904) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1585, मुस्लिम, हदीस: 1333, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3885.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'दरवाज़ा पिछली जानिब' ताकि लोग एक दरवाज़े से दाख़िल हों और दूसरी तरफ़ से निकलते रहें और रश न हो। नबी (ﷺ) की ये ख़्वाहिश भी थी कि बैतुल्लाह का दरवाज़ा नीचे ज़मीन के बराबर लगा दिया जाये ताकि सीढ़ी की ज़रूरत न रहे मगर शायद ये मसलिहत के ख़िलाफ़ था कि अवामुन्नास बैतुल्लाह में दाख़िल हों, लिहाज़ा आपकी इन ख़्वाहिशात पर अमल दर आमद न हो सका, वरना काबा की बेएहतिरामी और शोर ग़ुल का शदीद ख़तरा था। जो शख़्स काबे में दाख़िल होने का शौक़ रखता हो, उसके लिये हतीम वाला खुला हिस्सा मौजूद है वहाँ वह अपनी ख़्वाहश पूरी कर सकता है, जबकि बैतुल्लाह के मुक़फ़्फ़ल होने की वजह से उसका रौब व एहतिराम और दबदबा क़ाइम व दाइम है। रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़ब्र को मुक़फ़्फ़ल रखने की भी यही वजह है कि इसका एहतिराम क़ाइम रहे, शोर गुल से बचा रहे। इसके अलावा अवाम, जिनकी अक्सरियत फ़सादे अक़ीदा में मुब्तला है, मुश्रिकाना आमाल से भी महफ़ूज़ रहे। बाक़ी रहा सलात व सलाम का मसला, इसके लिये अन्दर जाना ज़रूरी नहीं, बाहर से भी मुमकिन है बल्कि दुनिया के बईद तरीन गोशे से भी सलाम व सलात भेजा जा सकता है क्योंकि उसे पहुँचाने के लिये फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं और वही आपको सलात व सलाम पहुँचाते हैं, आप ख़ुद कहीं से भी नहीं सुनते, क़रीब से, न बईद से।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَوْلاَ أَنَّ قَوْمِي - وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدٍ قَوْمَكِ - حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ " . فَلَمَّا مَلَكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ جَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ .

(2905) उम्मुल मोमिनीन (हज़रत आयशा)(ﷵ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर मेरी या तेरी क़ौम का दौरे जाहिलियत क़रीब न होता तो मैं काबे को गिराने का हुक्म देता और उसके दो दरवाज़े बना देता।' जब हज़रत इब्ने ज़ुबैर (ﷵ) को इक़्तेदार मिला तो उन्होंने इसके दो दरवाज़े बना दिये।

(2905) तख़रीज : **(सनद सही)** सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3774, बुख़ारी, हदीस: 126.

फ़ायदा : मगर हज़रत इब्ने ज़ुबैर (ﷵ) की शहादत के बाद हज्जाज ने दोबारा पहली हालत बहाल कर दी जैसा कि हदीस नम्बर: 2903 में ज़िक्र है।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا " يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَإِنَّهُمْ قَدْ عَجَزُوا عَنْ بِنَائِهِ فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ " . قَالَ فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى هَدْمِهِ . قَالَ يَزِيدُ وَقَدْ شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الإِبِلِ مُتَلاَحِكَةً

(2906) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे फ़रमाया: 'ऐ आयशा! अगर ये बात न होती कि तेरी क़ौम का दौरे जाहिलियत अभी क़रीब है तो मैं काबे को गिराने का हुक्म देता और उसमें वह हिस्सा भी दाख़िल कर देता जो उससे निकाल दिया गया है। और मैं उसका दरवाज़ा ज़मीन के बराबर लगा देता और उसके दो दरवाज़े बना देता: एक मशरिक़ी, एक मग़रिबी क्योंकि क़ुरैशे मक्का उसकी मुकम्मल तामीर से आजिज़ आ गये थे (कि उनका हलाल माल ख़त्म हो गया था) और मैं इसे हज़रत इब्राहीम (ﷺ) की सही बुनियादों पर तामीर करता।' हज़रत उर्वा ने कहा: यही वजह है जिसने हज़रत इब्ने ज़ुबैर (ﷺ) को आमादा किया कि काबे को गिरा कर (रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़्वाहिश के मुताबिक़) तामीर करें। (रावि-ए-हदीस) यज़ीद ने कहा: जब हज़रत इब्ने ज़ुबैर(ﷺ) ने काबे को गिराया और फिर बनाया तो मैं हाज़िर था। आपने उसमें हिज्र का कुछ हिस्सा दाख़िल कर दिया था, और मैंने हज़रत इब्राहीम (ﷺ) की बुनियादें भी देखीं। वह पत्थर थे ऊँटों की कोहानों जैसे, जिन्हें एक दूसरे में फँसा दिया गया था।

(2906) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1586, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3886.

फ़ायदा : 'हिज्र का कुछ हिस्सा' गोया मुकम्मल हिज्र बैतुल्लाह का हिस्सा नहीं। कुछ हिस्सा हक़ीक़तन बाहर है। ये अलग बात है कि दीवार इस पूरे हिस्से के इर्द गिर्द बना दी गई है। दीवार ही की वजह से इसे हिज्र कहते हैं। आज कल भी हिज्र या हतीम की दीवार पर उस जगह निशान लगा दिये गये हैं जहाँ तक बैतुल्लाह का हिस्सा है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ " .

(2907) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(क़यामत के क़रीब) दो छोटी छोटी पिण्डलियों वाला हब्शी बैतुल्लाह (काबे) को ढहायेगा।'

(2907) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1591, मुस्लिम, हदीस: 2909, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3887.

फ़ायदा : शायद ये वह वक़्त होगा जब ज़मीन पर कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला न रहेगा और सब लोग काफ़िर व फ़ाजिर होंगे क्योंकि क़यामत ऐसे ही लोगों पर क़ाइम होगी। काबे की (ख़ाकम बदहन) तबाही इस दुनिया की तबाही का अलार्म होगा। क़ुर्आन मजीद में इसकी तरफ़ इशारा मौजूद है: (जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामल्लिन्नासि वश्शहरल हराम) (अल माइदा: 5/97) गोया बैतुल्लाह की हुर्मत, ज़ियारत और हज दुनिया की बक़ा का ज़रिया है।

बाब : (126) बैतुल्लाह के अन्दर दाख़िल होने का बयान

باب:(١٢٦) دُخُولِ الْبَيْتِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْكَعْبَةِ وَقَدْ دَخَلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَبِلاَلٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَجَافَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْبَابَ فَمَكَثُوا فِيهَا مَلِيًّا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَكِبْتُ الدَّرَجَةَ وَدَخَلْتُ الْبَيْتَ فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا هَا هُنَا . وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ كَمْ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَيْتِ .

(2908) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि वह काब-ए-मुशर्रफ़ा के पास पहुँचे तो नबी (ﷺ), बिलाल और उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) बैतुल्लाह के अन्दर तशरीफ़ ले जा चुके थे और उस्मान बिन तल्हा (काबे के हाजिब) ने (दाख़िल होकर) दरवाज़ा बन्द कर दिया था। वह कुछ देर तक अन्दर रहे, फिर (उस्मान बिन तल्हा हाजिब ने) दरवाज़ा खोला तो नबी (ﷺ) बाहर तशरीफ़ लाये। मैं सीढ़ी पर चढ़ कर बैतुल्लाह में दाख़िल हो गया और मैंने पूछा: नबी (ﷺ) ने कहाँ नमाज़ पढ़ी है? उन्होंने कहा: यहाँ, अलबत्ता मैं उनसे ये पूछना भूल गया कि नबी (ﷺ) ने बैतुल्लाह में कितनी रकआत पढ़ी हैं।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 1329/392, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3888, देखें, हदीस: 750.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये फ़तहे मक्का की बात है। उ़स्मान बिन तल्हा (ﷺ) बैतुल्लाह के चाबी बरदार थे, इसलिये उन्हें भी नबी (ﷺ) साथ ले गये ताकि लोगों को पता चल जाये कि आपने उन्हें माज़ूल नहीं फ़रमाया। उसामा बिन ज़ैद और बिलाल (ﷺ) आपके ख़ादिम थे। (2) 'यहाँ' आइन्दा हदीस़ में वज़ाहत है कि अगली स़फ़ के सुतूनों के दरम्यान नमाज़ पढ़ी। दायीं तरफ़ दो सुतून थे और बायीं तरफ़ एक और पीछे तीन सुतून थे। उस वक़्त काबे की छत छः सुतूनों पर क़ाइम थी। आज कल सुतून नहीं हैं, अलबत्ता आपकी नमाज़ वाली जगह निशान ज़दा है जो दरवाज़े के ऐन सामने है। (3) 'भूल गया' हालांकि आइन्दा रिवायत में तादाद का भी ज़िक्र है। शायद इब्ने उ़मर (ﷺ) बाद में भूल गये हों या पहले भूल गये हों और बाद में याद आया हो। वल्लाहु आ़लम!

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ وَمَعَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلاَلٌ فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَمَكَثَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ خَرَجَ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ كَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيتُ بِلاَلاً قُلْتُ أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا بَيْنَ الأُسْطُوَانَتَيْنِ .

(2909) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बैतुल्लाह में दाख़िल हुये। आपके साथ फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास, उसामा बिन ज़ैद, उ़स्मान बिन तल्हा और बिलाल (ﷺ) भी थे। उन्होंने अन्दर से दरवाज़ा बन्द कर लिया। आप बैतुल्लाह में ठहरे जब तक अल्लाह तआ़ला ने चाहा, फिर बाहर तशरीफ़ लाये। हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) ने फ़रमाया: मैं सबसे पहले हज़रत बिलाल (ﷺ) से मिला। मैंने कहा: नबी (ﷺ) ने कहाँ नमाज़ पढ़ी? उन्होंने फ़रमाया: (अगली स़फ़ के बायीं जानिब वाले) दो सुतूनों के दरम्यान।

(2909) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 3889, मुसनद अहमद: 2/3.

باب: (١٢٧) مَوْضِعُ الصَّلاَةِ فِي الْبَيْتِ

बाब : (127) बैतुल्लाह में (रसूलुल्लाह (ﷺ) के) नमाज़ पढ़ने की जगह

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْكَعْبَةَ

(2910) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बैतुल्लाह में दाख़िल हुये। इधर आपके बाहर निकलने का वक़्त क़रीब था। उधर मुझे हाजत पेश आ गई। मैं क़ज़ा-ए-हाजत के लिये गया और फिर जल्दी जल्दी वापस आया

وَدَنَا خُرُوجُهُ وَوَجَدْتُ شَيْئًا فَذَهَبْتُ وَجِئْتُ سَرِيعًا فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَارِجًا فَسَأَلْتُ بِلاَلاً أَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ .

तो रसूलुल्लाह (ﷺ) बाहर तशरीफ़ ला चुके थे। मैंने हज़रत बिलाल (رضي الله عنه) से पूछाः क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने काबा मुशर्रफ़ा में नमाज़ पढ़ी है? उन्होंने फ़रमायाः हाँ (अगली सफ़ के बायीं जानिब वाले) दो सुतूनों के दरम्यान दो रकअ़त नमाज़ पढ़ी है।

(2910) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 6/12, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 3890.

फ़ायदा : इमाम मालिक (رحمه الله) बैतुल्लाह में किसी क़िस्म की नमाज़ पढ़ने के क़ाइल नहीं मगर ये हदीस उनके खिलाफ़ दलील है। (बाक़ी तफ़्सील के लिये देखिये, हदीसः 2908)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ فِي مَنْزِلِهِ فَقِيلَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَأَقْبَلْتُ فَأَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلاَلاً عَلَى الْبَابِ قَائِمًا فَقُلْتُ يَا بِلاَلُ أَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ . قُلْتُ أَيْنَ قَالَ مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الأُسْطُوَانَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ .

(2911) हज़रत मुजाहिद से रिवायत है कि हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) घर में थे कि किसी ने आकर कहाः रसूलुल्लाह (ﷺ) काबा में दाख़िल हो चुके हैं। (इब्ने उमर ने कहाः) मैं आया तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बाहर तशरीफ़ ला चुके थे और बिलाल अभी दरवाज़े ही पर खड़े थे। मैंने कहाः ऐ बिलाल! क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने काबे में नमाज़ पढ़ी है? वह कहने लगेः हाँ। मैंने कहाः कहाँ? उन्होंने कहाः इन दो सुतूनों के दरम्यान दो रकआत पढ़ीं, फिर आपने बाहर तशरीफ़ लाकर काब-ए-मुशर्रफ़ा के दरवाज़े के ऐन सामने दो रकअ़तें पढ़ीं।

(2911) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 1167, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 3891.

أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَنْبِجِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ دَخَلَ

(2912) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) काबे के अन्दर तशरीफ़ ले गये। आपने काबे के अतराफ़ (कोनों) में तस्बीहात व तकबीरात कहीं, नमाज़

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْكَعْبَةَ فَسَبَّحَ فِي نَوَاحِيهَا وَكَبَّرَ وَلَمْ يُصَلِّ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ " هَذِهِ الْقِبْلَةُ " .

नहीं पढ़ी, फिर आप बाहर तशरीफ़ लाये तो मक़ामे इब्राहीम के पीछे (काबा रुख़ होकर) दो रकआत पढ़ीं, फिर फ़रमाया: 'ये क़िब्ला है।'

(2912) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3892, अबी दाऊद.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत उसामा (ﷺ) की ये रिवायत सहीह मुस्लिम में भी है जिसमें नमाज़ की नफ़ी है। मुमकिन है हज़रत उसामा (ﷺ) को किसी वजह से आपके नमाज़ पढ़ने का पता न चला हो। लेकिन मुसनद अहमद (5/204 व सनदुहू सही) में हज़रत उसामा (ﷺ) ही से रिवायत है कि आपने बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ी है। मुमकिन है उन्हें किसी मोतबर शख़्स ने बतलाया हो, इसलिये उन्हें यक़ीन आ गया हो। पहली रिवायत उनके अपने इल्म के मुताबिक़ है। उसूली तौर पर नफ़ी और इस्बात में मुक़ाबला हो तो इस्बात को तर्जीह होती है क्योंकि मुमकिन है नफ़ी करने वाले को पता न चला हो या वह भूल गया हो, वग़ैरह। **(2)** 'ये क़िब्ला है' यानी काबा क़िब्ला है। **(3)** ये रिवायात फ़तहे मक्का के बारे में है मगर दीगर रिवायात से मालूम होता है कि आप हज्जतुल विदा के मौक़े पर भी बैतुल्लाह में दाख़िल हुये थे। और बाद में अफ़सोस का भी इज़्हार किया था कि कहीं लोग इसे सुन्नत न समझ लें और तंगी में न पड़ें।

باب:(۱۲۸) الْحِجْرِ

बाब : (128) हिज्र या हतीम का बयान

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَوْلاَ أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّي عَلَى بِنَائِهِ لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ " .

(2913) हज़रत (अब्दुल्लाह) इब्ने ज़ुबैर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) को फ़रमाते सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर ये बात न होती कि लोगों (नो मुस्लिमों) का दौरे कुफ़्र अभी ताज़ा है और मेरे पास इतने अख़राजात भी नहीं जिससे मैं बैतुल्लाह की तामीर असल बुनियादों पर कर सकूँ तो मैं हिज्र में से पाँच हाथ बैतुल्लाह में दाख़िल कर देता और उसके दो दरवाज़े बनाता। एक से लोग दाख़िल हों, दूसरे से निकलें।'

(2913) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1333/402, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3893.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हिज्र के मआनी हैं: वह जगह जिसके इर्द गिर्द दीवार बना दी गई हो। बैतुल्लाह की शिमाली जानिब तक़रीबन चार फ़िट ऊँची दीवार बना दी गई है। इसे हिज्र कहते हैं। इसको हतीम भी कहा जाता है। हतीम के मआनी हैं: जुदा किया गया क्योंकि ये हिस्सा बैतुल्लाह से जुदा किया गया है, लिहाज़ा इसे हतीम भी कहते हैं। **(2)** 'इतने अख़राजात' गोया काबे की तामीरे नो में दो रुकावटें थीं। बाद में ये दोनों रुकावटें ख़त्म हो गईं मगर ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन (ﷺ) ने काबे को ज्यूँ का त्यूँ ही रहने दिया। **(3)** 'पाँच हाथ' गोया हिज्र में से सिर्फ़ पाँच हाथ जगह बैतुल्लाह की है। कुछ रिवायात में छ: और सात हाथ का ज़िक्र भी है। बहरहाल ये तमाम रिवायात सही हैं। कुछ उलमा के नज़दीक पूरा हिज्र बैतुल्लाह में दाख़िल है। लेकिन ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ أَدْخُلُ الْبَيْتَ قَالَ " ادْخُلِي الْحِجْرَ فَإِنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ " .

(2914) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं बैतुल्लाह के अन्दर दाख़िल न हों? आपने फ़रमाया: 'हिजर में दाख़िल हो जाओ। ये बैतुल्लाह का (अन्दुरुनी) हिस्सा ही है।'

(2914) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1211/134, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3894.

फ़ायदा : 'हिज्र अगरचे बैतुल्लाह का (अन्दुरुनी) हिस्सा है मगर सिर्फ़ हिज्र की तरफ़ मुँह करके नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि कुछ रिवायात के मुताबिक़ इसमें कुछ बैरूनी जगह भी शामिल है, इसलिये बैतुल्लाह भी सामने होना चाहिए।

बाब : (129) हिज्र में नमाज़ पढ़ना

باب:(١٢٩) الصَّلاَةِ فِي الْحِجْرِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ، الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2915) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं मेरी ख़्वाहिश थी कि मैं बैतुल्लाह में दाख़िल होकर नमाज़ पढ़ूँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरा हाथ पकड़ कर मुझे हिज्र में दाख़िल कर दिया और फ़रमाया: 'जब तुम्हारा दिल बैतुल्लाह में दाख़िल होने को चाहे तो यहीं (हिज्र में) नमाज़ पढ़ लिया करो। ये

بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ فَقَالَ " إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَصَلِّي هَا هُنَا فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ وَلَكِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوا حَيْثُ بَنَوْهُ " .

भी तो बैतुल्लाह ही का एक हिस्सा है, लेकिन तेरी क़ौम (क़ुरैश) ने जब बैतुल्लाह तामीर किया तो उसे छोटा कर दिया।'

(2915) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 2028, तिर्मिज़ी, हदीस: 876, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3895.

फ़ायदा : देखिये, हदीस नम्बर: 2914.

باب:(١٣٠) التَّكْبِيرِ فِي نَوَاحِي الْكَعْبَةِ

बाब : (130) काबे के कोनों में तकबीरें कहना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمْ يُصَلِّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ وَلَكِنَّهُ كَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ .

(2916) हज़रत इब्ने अब्बास (﵁) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने काबे के अन्दर नमाज़ नहीं पढ़ी बल्कि उसके अतराफ़ में तकबीरें कहते रहे।

(2916) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 874, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3896, बुख़ारी, हदीस: 398, 1601 वग़ैरह.

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास (﵁) ने ये बात हज़रत उसामा (﵁) से सुन कर बयान फ़रमाई। हदीस नम्बर: 2920 और 2912 में वज़ाहत हो चुकी है कि हज़रत उसामा (﵁) को इस सिलसिले में ग़लतफ़हमी हुई है। सही बात ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो रकअत नमाज़ पढ़ी है, अलबत्ता काबे के अतराफ़ में तकबीरें कहना बहर सूरत जायज़ बल्कि मुस्तहब है।

باب:(١٣١) الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ فِي الْبَيْتِ

बाब : (131) बैतुल्लाह के अन्दर ज़िक्र और दुआ करना

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى

(2917) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (﵁) से मरवी है कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ बैतुल्लाह में दाख़िल हुये थे। आपने हज़रत बिलाल (﵁) को हुक्म दिया तो उन्होंने दरवाज़ा बन्द कर दिया। बैतुल्लाह उन दिनों छः सुतूनों पर क़ाइम था। आप (दरवाज़े से) सीधे गये यहाँ तक कि जब उन

الله عليه وسلم الْبَيْتَ فَأَمَرَ بِلالاً فَأَجَافَ الْبَابَ - وَالْبَيْتُ إِذْ ذَاكَ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ - فَمَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الأُسْطُوَانَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ بَابَ الْكَعْبَةِ جَلَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ ثُمَّ قَامَ حَتَّى أَتَى مَا اسْتَقْبَلَ مِنْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ فَوَضَعَ وَجْهَهُ وَخَدَّهُ عَلَيْهِ وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى كُلِّ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْكَعْبَةِ فَاسْتَقْبَلَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ وَالْمَسْأَلَةِ وَالاِسْتِغْفَارِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ وَجْهِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ " هَذِهِ الْقِبْلَةُ هَذِهِ الْقِبْلَةُ

दो सुतूनों के दरम्यान पहुँचे जो बैतुल्लाह के दरवाज़े के सामने हैं तो आप बैठ गये, अल्लाह तआला की हम्द व सना करते रहे, दुआएँ करते रहे और बख़्शिश तलब फ़रमाते रहे, फिर आप उठे और काबे की पिछली दीवार (दरवाज़े वाली) के मुक़ाबले सामने वाली दीवार की तरफ़ गये, अपना चेहरा और रुख़्सार दीवार से लगाये और अल्लाह तआला की हम्द व सना फ़रमाई, अल्लाह तआला से दुआएँ माँगीं और बख़्शिश तलब फ़रमाते रहे, फिर काबे के तमाम कोनों में तशरीफ़ ले गये और हर कोने में तकबीर, तहलील, तस्बीह, सना, दुआ और इस्तेग़फ़ार फ़रमाते रहे, फिर बाहर तशरीफ़ लाये और काबे के दरवाज़े के ऐन सामने दो रकअतें पढ़ीं, फिर फ़ारिग़ हुये तो फ़रमाया: 'ये क़िब्ला है, ये क़िब्ला है।'

(2917) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/210, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3897, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 3004, देखें, हदीस: 2912.

फ़ायदा : 'बिलाल को हुक्म दिया' पीछे गुज़र चुका है कि हज़रत उस्मान बिन तल्हा (ﷺ) ने दरवाज़ा बन्द किया था। दरअसल आपने बिलाल (ﷺ) को हुक्म दिया होगा, फिर दोनों ने मिल कर बन्द कर दिया होगा क्योंकि हज़रत उस्मान दरबान थे। ये उनका मन्सब था। 'छः सुतून' सुतूनों की दो लाइनें थीं। हर लाइन में तीन सुतून थे। बाक़ी मबाहिस पीछे गुज़र चुके हैं। देखिये, हदीस नम्बर: 2912, 2916.

باب: (١٣٢) وَضْعِ الصَّدْرِ وَالْوَجْهِ عَلَى مَا اسْتَقْبَلَ مِنْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ

बाब : (132) काबे के दरवाज़े के सामने वाली दीवार के साथ चेहरा और सीना लगाना

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا

(2918) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ

هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ فَجَلَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ ثُمَّ مَالَ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْبَيْتِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَيْهِ وَخَدَّهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَهَلَّلَ وَدَعَا فَعَلَ ذَلِكَ بِالأَرْكَانِ كُلِّهَا ثُمَّ خَرَجَ فَأَقْبَلَ عَلَى الْقِبْلَةِ وَهُوَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ " هَذِهِ الْقِبْلَةُ هَذِهِ الْقِبْلَةُ " .

बैतुल्लाह के अन्दर दाख़िल हुआ। आप बैठ गये। अल्लाह तआला की हम्द व सना और तकबीर व तहलील करते रहे, फिर आप अपने सामने वाली काबे की दीवार की तरफ़ झुके, अपना सीना, रुख़सार और हाथ उस पर लगाये, फिर तकबीर और तहलील करते रहे। दुआ माँगते रहे और ये काम आपने तमाम कोनों में किया, फिर बाहर तशरीफ़ लाये। आप अभी दरवाज़े पर थे कि क़िब्ले की तरफ़ मुँह किया और फ़रमाया: 'ये क़िब्ला है, ये क़िब्ला है।'

(2918) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3898.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'तकबीर' अल्लाहु अकबर कहना' तहलील 'ला इलाह इल्लल्लाह' कहना और 'तस्बीह' 'सुब्हानल्लाह' कहना है। **(2)** 'तमाम कोनों में किया' मालूम हुआ बैतुल्लाह के किसी भी कोने और दीवार के साथ चेहरा, सीना, हाथ वग़ैरह लगाये जा सकते हैं। बाक़ी रही ये बात कि अहादीस में हज्रे अस्वद और रुक्ने यमानी के अलावा किसी कोने को छूने का ज़िक्र नहीं तो इससे ये साबित नहीं होता कि इन दो के अलावा किसी कोने या दीवार को छूना मना है। ख़ुसूसन जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुल्तज़िम और बैतुल्लाह के अन्दर दीवार और कोनों को छूना बल्कि चिमटना तक साबित है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि इन दो कोनों के अलावा (और मुल्तज़िम के अलावा) किसी कोने या दीवार को छूना सुन्नत नहीं, लेकिन इससे जवाज़ की नफ़ी नहीं होती जैसे रात को ग्यारह रकअत मस्नून हैं मगर इससे कम व बेश जायज़ हैं, मना नहीं जबकि उन्हें सुन्नत न समझा जाये, बहुत से हज़रात ऐसे मक़ामात पर ग़लतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं कि सुन्नत नहीं तो जायज़ भी नहीं, मगर ये बात ग़लत है।

باب: (١٣٣) مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَعْبَةِ

बाब : (133) काबे में नमाज़ की जगह

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

(2919) हज़रत उसामा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बैतुल्लाह से बाहर तशरीफ़ लाये तो काबे के सामने दो रकआत पढ़ीं, फिर

عليه وسلم مِنَ الْبَيْتِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ قَالَ " هَذِهِ الْقِبْلَةُ " .

फ़रमाया: 'ये क़िब्ला है।'

(2919) **तख़रीज : (सनद हसन)** पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3899.

फ़ायदा : 'ये क़िब्ला है' यानी काबा क़िब्ला है जिस तरफ़ भी हो। दरवाज़े की तरफ़ खड़े होकर नमाज़ पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं। काबे की तमाम जहात (दिशायें) क़िब्ला हैं। काबा सामने नज़र आ रहा हो तो ऐन काबा क़िब्ला है और अगर नज़र न आता हो तो काबे की जहत क़िब्ला है। इस सूरत में थोड़ा बहुत रुख़ बदल जाना नुक़सानदेह नहीं जब तक दूसरी जहत शुरू न हो जाये, जैसे: हिन्दुस्तान में मग़रिब की जहत क़िब्ला है तो जब तक चेहरा शिमाल या जुनूब को नहीं जाता, उस वक़्त तक नमाज़ जायज़ है क्योंकि ये मजबूरी है और शरीयत लोगों की मजबूरियों की बहुत रिआयत रखती है।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ النَّسَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ .

(2920) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि मुझे हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) ने बताया कि नबी (ﷺ) बैतुल्लाह के अन्दर दाख़िल हुये तो उसके तमाम अतराफ़ (चारों कोनों) में दुआएँ कीं, मगर नमाज़ नहीं पढ़ी यहाँ तक कि बाहर तशरीफ़ ले आये और काबे के ऐन सामने दो रकअतें पढ़ीं।

(2920) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 1330, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3900.

फ़ायदा : काबे से बाहर ऐन सामने नमाज़ पढ़ना तो मुतनाज़अ फ़ीह (इख़्तिलाफ़ी) बात नहीं, इख़्तिलाफ़ काबे के अन्दर नमाज़ पढ़ने के बारे में है और वह पीछे बयान हो चुका है। (देखिये, हदीस: 2912)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُودُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَيُقِيمُهُ عِنْدَ الشُّقَّةِ الثَّالِثَةِ مِمَّا يَلِي الرُّكْنَ الَّذِي يَلِي

(2921) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) को पकड़ कर ले जाते (क्योंकि वह नाबीना हो गये थे) और उन्हें तीसरे हिस्से के पास खड़ा कर देते थे जो उस रुक्न के पास है जो हजरे अस्वद, जो कि दरवाज़े के क़रीब है, से मुत्तसिल है। (यानी रुक्ने यमानी के पास) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) फ़रमाते: क्या तुम्हें ये

الْحَجَرَ مِمَّا يَلِي الْبَابَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَا أُنْبِئْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي هَا هُنَا فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي .

नहीं बताया गया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) यहाँ नमाज़ पढ़ा करते थे? वह कहते थे हाँ, फिर आप (इब्ने अब्बास (رضي الله عنه)) आगे बढ़ते और नमाज़ पढ़ते।

(2921) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 1900, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3901.

फ़ायदा : 'तीसरे हिस्से के पास' यानी बैतुल्लाह की मशरिक़ी दीवार का रुक्ने यमानी वाला हिस्सा। ये दरवाज़े के सामने वाली जगह बनती है। बाक़ी दीवार दो हिस्से हैं। मुमकिन है उस दौर में फ़र्श या दीवार पर हिस्सों के निशान लगाये गये हों। या मुमकिन है वह अन्दाज़ा लगाते हों। वल्लाहु आलम! ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है।

بَاب:(١٣٤) ذِكْرِ الْفَضْلِ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

बाब : (134) बैतुल्लाह के तवाफ़ की फ़ज़ीलत (ये सिर्फ़ मुज्तबा में है)

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ مِنْ لَفْظِهِ قَالَ أَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلاَّ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطَّانِ الْخَطِيئَةَ " . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " مَنْ طَافَ سَبْعًا فَهُوَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ " .

(2922) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उबैद बिन उमैर से मन्क़ूल है कि एक शख़्स ने (हज़रत इब्ने उमर(رضي الله عنه) से) कहा: ऐ अबू अब्दुर्रहमान! मैं देखता हूँ कि आप सिर्फ़ इन दो कोनों (हज्रे अस्वद और रुक्ने यमानी) ही को छूते हैं (क्या वजह है?) उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते सुना है: 'इन दो कोनों को छूने से यक़ीनन गुनाह माफ़ हो जाते हैं।' और मैंने आपको फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स सात चक्कर लगाये, उसे ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलेगा।'

(2922) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3951, तिर्मिज़ी, हदीस: 959.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ये सिर्फ़ मुज्तबा में है' इमाम नसाई (رحمه الله) ने 'अस्सुननुल कुब्रा' के नाम से एक तवील किताब लिखी है। इसकी तवालत के पेशे नज़र इसको मुख़्तसर करके 'मुज्तबा

नसाई' मुरत्तब की गई। मुरत्तब करने वाले के बारे में इख़्तिलाफ़ है। इमाम नसाई ख़ुद या उनके कोई शागिर्द? कुछ अबवाब ऐसे हैं जो सिर्फ़ मुज्तबा में हैं। सुनन कुब्रा में नहीं। गोया मुज्तबा में उनका इज़ाफ़ा किया गया है। ये बाब भी उन अबवाब में से है। (2) 'दो रुक्न' इससे मुराद हज्रे अस्वद और रुक्ने यमानी हैं। हज्रे अस्वद, मशरिक़ी कोना और रुक्ने यमानी जुनूबी कोना है, चूंकि ये दो कोने असली बुनियादों पर हैं, इसलिये इन्हें छूना मस्नून है।

बाब : (135) तवाफ़ में कलाम करना

باب:(١٣٥) الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

(2923) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) काबे के तवाफ़ के दौरान में एक शख़्स के पास से गुज़रे जिसकी नाक में नकेल डाल कर एक और शख़्स उसे ले जा रहा था। आप ने अपने दस्ते मुबारक से वह नकेल (रस्सी) काट दी और फ़रमाया: 'इसे हाथ से पकड़ कर चलाओ।'

(2923) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1620, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4753.

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُهُ إِنْسَانٌ بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) तवाफ़ इबादत है बल्कि उसे नमाज़ भी कहा गया है क्योंकि तवाफ़ भी अल्लाह के ज़िक्र के लिये मशरूअ किया गया है, लिहाज़ा इसमें फ़ालतू कलाम नहीं होना चाहिए बल्कि अल्लाह का ज़िक्र और दुआ हो, अलबत्ता कोई ज़रूरी या इल्मी बात की जा सकती है जैसा कि इस हदीस में नावाक़िफ़ को मसला बताया गया है। (2) 'नकेल डाल कर' नकेल डाल कर चलना चलाना भी ज़ुह्द और इबादत का एक हिस्सा समझ लिया गया था, मगर नकेल जानवर को डाली जाती है, इन्सान को नहीं क्योंकि वह सुनने, समझने और अमल करने की सलाहियत रखता है। उसे ज़बान से समझाया जाये या हाथ से पकड़ कर चलाया जाये। इन्सानों के लिये जानवरों की मुशाबिहत फ़ितरते इन्सानिया के ख़िलाफ़ है। इस्लाम जो कि दीने फ़ितरत है, ऐसे बुरे काम को इबादत के नाम पर कैसे बरदाश्त कर सकता है? इसलिये आपने रोका।

(2924) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक आदमी के पास से

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي

سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يَقُودُهُ رَجُلٌ بِشَىْءٍ ذَكَرَهُ فِي نَذْرٍ فَتَنَاوَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَطَعَهُ قَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ .

गुज़रे जिसे एक दूसरा आदमी किसी चीज़ से चला रहा था जिसकी उसने नज़र मान रखी थी। नबी (ﷺ) ने उसे पकड़ा और तोड़ दिया और फ़रमाया: 'ये (अजीब) नज़र है!'

(2924) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4752.

फ़ायदा : दौरे जाहिलियत में लोग अजीब व ग़रीब नज़रें मानते थे जिनसे किसी को कोई फ़ायदा न होता था बल्कि वह इन्सानी वक़ार के ख़िलाफ़ होती थीं, जेसे: पैदल हज को जाऊँगा, धूप में रहूँगा, सर पर ओढ़नी नहीं लूँगी, किसी से कलाम नहीं करूँगा, जूता नहीं पहनूँगा, नंगा तवाफ़ करूँगा वग़ैरह। ज़ाहिर है ये फ़ुज़ूल काम हैं बल्कि अपने आपको अज़ाब में डालने वाली बात है। अल्लाह तआला की ख़ुशनूदी का इन कामों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ऐसे काम अल्लाह तआला की नाराज़ी को दावत देते हैं, लिहाज़ा ऐसी नज़र पूरी न की जाये बल्कि कफ़्फ़ारा दे दिया जाये। (कुछ अइम्मा के नज़दीक) इस हदीस में मज़्कूर शख़्स ने भी नज़र मानी होगी कि मैं अपनी नाक में नकेल डाल कर तवाफ़ करूँगा। इस तरह वह लोगों के लिये तमाशा बन गया था, लिहाज़ा रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इज़्हारे नाराज़ी फ़रमाया।

باب:(١٣٦) إِبَاحَةِ الْكَلاَمِ فِي الطَّوَافِ

बाब : (136)
तवाफ़ में (ज़रूरी) बातचीत जायज़ है।

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ فَأَقِلُّوا مِنَ الْكَلاَمِ " . اللَّفْظُ لِيُوسُفَ . خَالَفَهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ .

(2925) हज़रत ताऊस एक ऐसे शख़्स से बयान करते हैं जिन्होंने नबी (ﷺ) से फ़ैज़े सोहबत पाया कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बैतुल्लाह का तवाफ़ नमाज़ (की तरह इबादत) है, लिहाज़ा इसमें कम ही कोई बात करो।'

ये अल्फ़ाज़ यूसुफ़ (बिन सईद) के हैं। हन्ज़ला बिन अबू सुफ़ियान ने हसन बिन मुस्लिम की मुख़ालिफ़त की है।

(2925) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3945, मुसनद अहमद: 3/414, 4/64, 5/377, तिर्मिज़ी, हदीस: 960 वग़ैरह.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इख़्तिलाफ़ ये है कि हसन बिन मुस्लिम ने इस रिवायत को मरफ़ूअ बयान किया जबकि हन्ज़ला बिन अबू सुफ़ियान ने मौक़ूफ़ (2) 'ऐसे शख़्स से' आइन्दा रिवायत से मालूम होता है कि वह शख़्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) हैं। (3) 'नमाज़ की तरह' दोनों में अल्लाह का ज़िक्र है। दोनों गुनाहों की माफ़ी का मोजिब हैं। तवाफ़े बैतुल्लाह का तहिया (अदब) है जिस तरह नमाज़ तहियतुल मस्जिद है। (4) 'कम ही बात करो' यानी बात करना जायज़ तो है मगर बहुत कम, यानी मजबूरी और ज़रूरत के वक़्त और ये अल्लाह तआला का एहसान है। कभी कभी क़िल्लत अदम के मानी में भी होती है, यानी कलाम न करो। मुराद फ़ालतू कलाम है। इससे ये मालूम हुआ कि तवाफ़ बिल्कुल नमाज़ की तरह नहीं है, बल्कि कुछ अहकाम में एक दूसरे से मुख़्तलिफ़ हैं जैसे नमाज़ में कलाम नहीं किया जा सकता, लेकिन तवाफ़ में जायज़ है। इसी तरह तहारत का मसला है। नमाज़ में वुज़ू टूट जाये तो दोबारा पूरी नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, लेकिन तवाफ़ में ऐसा नहीं होगा, बल्कि वुज़ू टूट जाने की सूरत में वुज़ू कर के दोबारा वहीं से तवाफ़ कर ले जहाँ से उसने छोड़ा था, या तवाफ़ मुकम्मल करके आख़िर में वुज़ू करके दो रकअत पढ़ ले। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ أَنْبَأَنَا السِّينَانِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَقِلُّوا الْكَلاَمَ فِي الطَّوَافِ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي الصَّلاَةِ

(2926) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि तवाफ़ के दरम्यान कलाम कम करो। (यूँ समझो) तुम नमाज़ में हो।

(2926) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़)

फ़ायदा : इस रिवायत में सहाबी का नाम ज़िक्र कर दिया गया है जबकि ऊपर वाली रिवायत में इब्हाम था।

باب:(١٣٧) إِبَاحَةِ الطَّوَافِ فِي كُلِّ الأَوْقَاتِ

बाब : (137) तवाफ़ किसी भी वक़्त किया जा सकता है

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهْ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَىَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ " .

(2927) हज़रत जुबैर बिन मुतइम (ﷺ) से मन्क़ूल है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अब्दे मुनाफ़ की औलाद! तुम किसी को बैतुल्लाह के तवाफ़ और नमाज़ से न रोको जिस वक़्त भी कोई करना चाहे, दिन हो या रात।'

(2927) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 586, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3946.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अब्दे मुनाफ़ की औलाद से मुराद रसूलुल्लाह (ﷺ) का अपना ख़ानदान है। उनके ज़िम्मे बैतुल्लाह की बहुत सी ख़िदमात थीं। उन्हें बैतुल्लाह का मुतवल्ली समझा जाता था। **(2)** इस हदीस़ से इस्तेदलाल किया गया है कि बैतुल्लाह में तवाफ़ और नमाज़ के लिये कोई वक़्त मकरूह और ममनूअ नहीं। तवाफ़ के बारे में तो इत्तेफ़ाक़ है कि ये हर वक़्त जायज़ है मगर नमाज़ के बारे में इख़्तिलाफ़ है। अहनाफ़ का ख़्याल है कि मकरूह औक़ात में बैतुल्लाह में भी नमाज़ मना है, जैसे: सुबह की नमाज़ से लेकर सूरज ऊँचा आने तक और अस्र की नमाज़ से गुरूबे शम्स तक। इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) ने तवाफ़ की दो रकअतों को हर वक़्त जायज़ क़रार दिया है क्योंकि जब तवाफ़ हर वक़्त जायज़ है तो उसका ततिम्मा भी हर वक़्त जायज़ होगा। और ये माक़ूल इस्तेदलाल है। राजेह बात यही है कि तवाफ़ की तरह नमाज़ भी हर वक़्त जायज़ है। ये इजाज़त सिर्फ़ तवाफ़ की रकअतों के बारे में नहीं बल्कि मुत्लक़न नफ़ल नमाज़ के बारे में है। **(3)** मालूम हुआ बैतुल्लाह को किसी वक़्त बन्द नहीं किया जा सकता। नमाज़ और तवाफ़ के लिये हर वक़्त खुला रहना चाहिए। आम मसाजिद में भी यही होना चाहिए बशर्ते कि किसी नुक़सान वग़ैरह का ख़तरा न हो, वरना मजबूरन ताला लगाया जा सकता है। बेहतर ये है कि क़ीमती चीज़ें या फ़ालतू चीज़ें अन्दर वाले हिस्से में हों ताकि ज़रूरत के वक़्त सिर्फ़ उसे बन्द करना पड़े। एक बैरूनी हिस्सा नमाज़ के लिये हर वक़्त खुला रहे। मसाजिद अल्लाह के घर ही रहने चाहिए न कि लोगों के घरों की तरह मुक़फ़्फ़ल, ताकि नमाज़ी किसी भी वक़्त फ़र्ज़ या नफ़ल पढ़ सकें, अलबत्ता बैतुल्लाह काबा को ताला लगाया जायेगा क्योंकि इसके अन्दर उमूमन न नमाज़ पढ़ी जाती है और न तवाफ़ किया जाता है। ये सब कुछ बाहर होता है।

बाब : (138) मरीज़ कैसे तवाफ़ करे?

باب:(١٣٨) كَيْفَ طَوَافِ الْمَرِيضِ

(2928) हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अर्ज़ किया कि मैं बीमार हूँ। आपने फ़रमाया: 'तुम लोगों के ऊपर ऊपर से (दूर से) सवार होकर तवाफ़ कर लो।' मैंने इस तरह तवाफ़ किया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उस वक़्त बैतुल्लाह के क़रीब नमाज़ पढ़ा रहे थे और सूर-ए-तूर की तिलावत फ़रमा रहे थे।

(2928) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 464, मुस्लिम, 1276, मौता: 1/370, 371, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3903.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ " طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ " . فَطُفْتُ

وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِـ {الطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} .

फ़वाइद व मसाइल : (1) मरीज़ सवार होकर तवाफ़ कर सकता है बशर्ते कि सवारी काबे के तक़द्दुस के ख़िलाफ़ न हो और नमाज़ियों और तवाफ़ करने वालों के लिये अज़ियत का सबब न हो। **(2)** दौराने नमाज़ मजबूरी की बिना पर तवाफ़ किया जा सकता है लेकिन ये तवाफ़ नमाज़ियों के पीछे रह कर किया जायेगा। (मज़ीद तफ़्सील देखिये, हदीस़ नम्बर: 2931)

बाब : (139) मर्दों का औरतों के साथ तवाफ़ करना

باب:(١٣٩) طَوَافِ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا طُفْتُ طَوَافَ الْخُرُوجِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ " . عُرْوَةُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ .

(2929) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) फ़रमाती हैं: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने तवाफ़े विदा नहीं किया। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब जमाअत शुरू हो जाये तो तुम अपने ऊँट पर सवार होकर लोगों के ऊपर ऊपर से तवाफ़ कर लेना।' उर्वा ने ये हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से नहीं सुना।

(2929) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 1626, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3904.

फ़ायदा : मर्द औरतें तवाफ़ तो इकट्ठे ही करते हैं मगर औरतें ज़रा दूर दूर रहें। मर्दों में न फँसें। भीड़ हो तो हज्रे अस्वद और रुक्ने यमानी से भी दूर रहें, अलबत्ता हज और रमज़ान के दिनों में औरतों के लिये मर्दों से बिल्कुल अलग थलग तवाफ़ मुमकिन नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, लिहाज़ा ये मजबूरी है। कोई हर्ज नहीं कि इकट्ठे तवाफ़ करें, ताहम जहाँ तक हो सके दूर रहें।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَدِمَتْ مَكَّةَ

(2930) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से रिवायत है कि वह मक्के में आईं तो बीमार थीं। उन्होंने इस बात का ज़िक्र अल्लाह के रसूल (ﷺ) से किया तो आपने फ़रमाया: 'तुम सवार होकर नमाज़ियों के ऊपर ऊपर से तवाफ़ कर लेना।' मैंने (दौराने

وَهِيَ مَرِيضَةٌ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " طُوفِي مِنْ وَرَاءِ الْمُصَلِّينَ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ " . قَالَتْ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ يَقْرَأُ {وَالطُّورِ} .

तवाफ़) रसूलुल्लाह (ﷺ) को काबे के पास (नमाज़ में) सूर-ए-तूर पढ़ते सुना।

(2930) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2928, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3943.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये सुबह की नमाज़ थी। **(2)** हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) को ऊपर ऊपर से तवाफ़ करने का हुक्म मर्दों से दूर रहने की ख़ातिर नहीं बल्कि उनकी बीमारी के पेशे नज़र दिया गया था। बाक़ी औरतों ने मर्दों के साथ ही तवाफ़ किया था। इस जगह का तक़द्दुस ही ऐसा है कि बावजूद इकट्ठे तवाफ़ करने के ज़हन इधर उधर नहीं होता। यही वजह है कि सैंकड़ों साल इकट्ठे तवाफ़ होते हुये गुज़र चुके हैं मगर कभी किसी को कोई शिकायत पैदा नहीं हूई हालांकि हज के दिनों में तवाफ़ के दौरान में मर्दों और औरतों का शदीद इज़्दिहाम होता है। सच फ़रमाया बारी तआला ने: (फ़ीहि आयातुम् बय्यिनातुम् मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहू काना आमिनन) (आले इमरान: 3/97) यक़ीनन दुनिया ऐसे अज़ीमुश्शान तक़द्दुस की नज़ीर पेश करने से क़ासिर है।

باب:(١٤٠) الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

बाब : (140) सवारी पर बैतुल्लाह का तवाफ़ करना

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، - وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ .

(2931) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जतुल विदा में ऊँट पर सवार होकर काबे के इर्द गिर्द तवाफ़ फ़रमाया और आप हज्रे अस्वद को अपनी ख़मदार छड़ी के साथ छूते थे।

(2931) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1274, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3923.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अफ़ज़ल तो यही है कि तवाफ़ पैदल किया जाये। उज़्र की सूरत में लोग वील चैयर पर भी तवाफ़ कर लेते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, और किसी माकूलुल लहम जानवर जैसे ऊँट और घोड़े वग़ैरह पर तवाफ़ की ज़रूरत हो तो जाइज़ है, लेकिन फ़ी ज़माना इस क़िस्म के जानवरों पर

बैतुल्लाह का तवाफ़ माक़ूल है न अमलनन मुमकिन ही। हाँ किसी दौर में इस क़िस्म की सूरत मुमकिन हो जाये तो शरअ़न इसके जवाज़ में कोई इश्काल नहीं, और रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये इसकी तख़्सीस का दावा दुरुस्त नहीं क्योंकि आप (ﷺ) ने हज़रत उम्मे सलमा (رضی اللہ عنہا) को भी ऊँट पर तवाफ़ की इजाज़त दी थी जैसा कि ऊपर दी गई अहादीस में गुज़रा है। वल्लाहु आलम! (2) 'ख़मदार छड़ी से छूते थे' अस़ल तो ये है कि हज्रे अस्वद को हौंट लगाये जायें। ये मुमकिन न हो तो हाथ लगा कर हाथ को हौंटों पर रख लिया जाये। अगर हाथ लगाना भी मुमकिन न हो तो हाथ में पकड़ी हूई कोई चीज़ जो पाक और साफ़ हो, हज्रे अस्वद पर लगाई जाये और उसे चूमा जाये, वरना सिर्फ़ इशारा किया जाये।

बाब : (141) हज्जे इफ़राद करने वाले का तवाफ़ (उसे हलाल नहीं करेगा)

باب:(١٤١) طَوَافِ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ

(2932) हज़रत वबरा बयान करते हैं कि मैंने एक आदमी को हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर(رضی اللہ عنہ) से पूछते सुना कि मैंने हज का एहराम बाँधा था, तो क्या मैं (अफ़आले हज से पहले) तवाफ़ कर सकता हूँ? उन्होंने फ़रमाया: तुम्हें इसमें क्या रुकावट है? उसने कहा: मैंने देखा है कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضی اللہ عنہ) इससे मना फ़रमाते हैं। हमें आप पर उनसे ज़्यादा ऐतमाद है (लिहाज़ा आप बतायें) उन्होंने फ़रमाया: हमने तो रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा है कि आपने हज का एहराम बाँधा, फिर मक्का मुकर्रमा आकर आपने बैतुल्लाह का तवाफ़ फ़रमाया और सफ़ा मर्वा के दरम्यान सई फ़रमाई।

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، - وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ - عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَيَانٌ، أَنَّ وَبَرَةَ، حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ، رَجُلٌ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ قَالَ وَمَا يَمْنَعُكَ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ . قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

(2932) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1233/188, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3905.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुख़्तलफ़ फ़ीह (इख़्तिलाफ़ी) मसला ये है कि जिस शख़्स ने मीक़ात से हज का एहराम बाँधा हो, वह मक्का मुकर्रमा पहुँच कर तवाफ़ कर सकता है या नहीं? हज़रत इब्ने अ़ब्बास(رضی اللہ عنہ) का ख़्याल था कि हाजी तवाफ़े क़दूम नहीं करेगा, अगर वह मक्का मुकर्रमा पहुँच कर तवाफ़ और सई कर लेगा तो उसका तवाफ़ उसके हज को उ़म्रा बना देगा, लिहाज़ा वह तवाफ़ और सई

करने के बाद हलाल हो जाये और हज के दिनों में हज का नया एहराम बाँधे और हज करे। इस तरह उसका हज तमत्तोअ़ बन जायेगा और उसके लिये क़ुर्बानी ज़बह करनी वाजिब होगी। उनका ये मौक़िफ़ सही नहीं था। उनके बरअक्स जुम्हूर का मौक़िफ़ ही राजेह है कि मुफ़्रिद तवाफ़े क़दूम कर सकता है। बहरहाल हज्जे तमत्तोअ़ के अलावा, हज्जे इफ़राद और हज्जे क़िरान भी जायज़ हैं। हज्जे क़िरान की सूरत में हाजी मक्का जाते ही तवाफ़ व सई करने के बावजूद हालते एहराम ही में रहेगा ताकि हज के अफ़आल से फ़ारिग़ हो जाये। उसके लिये क़ुर्बानी लाज़िम होगी। ये तवाफ़, तवाफ़े क़दूम होगा। उसका हज का एहराम क़ाइम रहेगा। हज के दिनों में इसी एहराम से हज करे और ये सिर्फ़ हज होगा, क़ुर्बानी वाजिब नहीं होगी। हज्जे तमत्तोअ़ करने वाला तवाफ़ व सई के बाद हलाल हो जायेगा और फिर आठ ज़ुल हिज्जा को हज का एहराम बाँधेगा। मुतमत्तिअ़ के लिये भी क़ुर्बानी ज़रूरी है। **(2)** हर मुसलमान पर इत्तिबा-ए-किताब व सुन्नत वाजिब है। अगर कोई मुफ़्ती या आ़लिम कोई ऐसा फ़तवा सादिर करे जो क़ुर्आन व सुन्नत के ख़िलाफ़ हो तो उस पर अ़मल नहीं किया जायेगा।

बाब : (142) उ़म्रे का एहराम बाँधने वाला तवाफ़ के बाद हलाल हो जायेगा?

باب: (١٤٢) طَوَافِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلْنَاهُ، عَنْ رَجُلٍ، قَدِمَ مُعْتَمِرًا فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

(2933) हज़रत उ़र्वा (बिन दीनार) बयान करते हैं कि हमने हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से उस शख़्स के बारे में पूछा जो उ़म्रे के एहराम से आये, फिर बैतुल्लाह का तवाफ़ करे लेकिन सफ़ा मर्वा के दरम्यान सई न करे तो क्या वह अपनी बीवी से जिमाअ़ कर सकता है? उन्होंने फ़रमाया कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) (मक्का मुकर्रमा) तशरीफ़ लाये थे तो आपने बैतुल्लाह के सात चक्कर लगाये, मक़ामे इब्राहीम के पास दो रकअ़तें पढ़ीं और सफ़ा मर्वा के दरम्यान सई की। और तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) (के तर्ज़े अ़मल) में बेहतरीन नमूना है।

(2933) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 395, मुस्लिम, हदीस: 1234, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3911.

फ़ायदा : हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) के जवाब का मफ़हूम ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के तर्ज़े अमल के मुताबिक़ उम्रा सई के बग़ैर पूरा नहीं होता, लिहाज़ा सई से पहले एहराम ख़त्म नहीं हो सकता। सई भी वाजिब है। सई के बाद ही एहराम ख़त्म होगा। चुनांचे जब तक सफ़ा मर्वा की सई न हो जाये उस वक़्त तक बीवी से जिमाअ करना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता सफ़ा मर्वा की सई के बाद ये काम जायज़ है। यही बात सही है, और मुत्तफ़क़ अलैहि है। इसमें कोई इख़्तिलाफ़ नहीं।

बाब : (143) जिस शख़्स ने हज व उम्रा दोनों का एहराम बाँध रखा हो और वह क़ुर्बानी साथ न लाया हो, वह क्या करे?

باب:(١٤٣) كَيْفَ يَفْعَلُ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَخَرَجْنَا مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا فَأَهْلَلْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ وَطُفْنَا أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَحِلُّوا فَهَابَ الْقَوْمُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْىَ لأَحْلَلْتُ " . فَحَلَّ الْقَوْمُ حَتَّى حَلُّوا إِلَى النِّسَاءِ وَلَمْ يَحِلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُقَصِّرْ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ .

(2934) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि (हज्जतुल विदा में) रसूलुल्लाह (ﷺ) (मदीने से) चले। हम भी आपके साथ चले। जब आप ज़ुल हुलैफ़ा पहुँचे तो आपने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी, फिर अपनी ऊँटनी पर सवार हुये। जब वह आपको लेकर बैदाअ के टीले पर चढ़ी तो आपने हज और उम्रे दोनों की लब्बैक कही। हमने भी आपके साथ इसी तरह लब्बैक कही। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाये और हमने तवाफ़ कर लिया, आपने लोगों को हुक्म दिया कि वह हलाल हो जायें। सब लोग डर गये (और हिचकिचाये) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर मेरे साथ क़ुर्बानी का जानवर न होता तो मैं भी हलाल हो जाता।' (ये सुन कर) सब हलाल हो गये यहाँ तक कि उन्होंने अपनी औरतों (बीवियों) से जिमाअ किया लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) हलाल नहीं हुये और यौमे नहर तक बाल भी नहीं कटवाये।

(2934) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2663, 2756.

फ़ायदा : पीछे कई मक़ामात पर ये बात बयान हो चुकी है कि सब सहाब-ए-किराम (ﷺ) का एहराम एक जैसा न था। किसी का एहराम सिर्फ़ उम्रे का था, किसी का सिर्फ़ हज का। मक्का मुकर्रमा के क़रीब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सबको उम्रा करने का हुक्म दिया। जिन का हज का एहराम था, उन्हें एहराम को उम्रे में तब्दील करने का हुक्म दिया। लोग उम्रा करके हलाल हो गये। जिन के पास कुर्बानी के जानवर थे, उन्होंने हज के एहराम में उम्रा भी दाख़िल कर लिया। वह उम्रा करने के बावजूद हलाल न हुये।

बाब : (144)
क़िरान करने वाला कितने तवाफ़ करेगा?

باب:(۱۴۴) طَوَافِ الْقَارِنِ

(2935) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने हज और उम्रे का इकट्ठा एहराम बाँधा और एक तवाफ़ किया, फिर फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऐसे करते देखा है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ .

(2935) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/11, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3913.

फ़ायदा : 'एक तवाफ़ किया' इससे फ़र्ज़ तवाफ़ मुराद है वरना ये बात क़तई है कि आपने मक्का मुकर्रमा जाते ही एक तवाफ़ किया था, फिर दस ज़ुल हिज्जा को भी तवाफ़ किया था। पहला तवाफ़, तवाफ़े क़दूम भी था और तवाफ़े उम्रा। दूसरा तवाफ़ फ़र्ज़ था। उसे तवाफ़े इफ़ाज़ा भी कहा जाता है। इमाम शाफ़ेई और मुहद्दिसीन इसी बात के क़ाइल हैं। अहनाफ़ क़िरान वाले के लिये तीन तवाफ़ और दो सई के क़ाइल हैं। तवाफ़े उम्रा, सई उम्रा, तवाफ़े क़दूम, तवाफ़े ज़ियारत, सई हज। मगर रसूलुल्लाह(ﷺ) से सिर्फ़ दो तवाफ़ और एक सई साबित है और अहनाफ़ के नज़दीक नबी-ए-अकरम (ﷺ) का हज क़िरान था। कुछ मुहक़्क़िक़ीन ने हदीसे मज़्कूर में एक तवाफ़ से सई मुराद ली है क्योंकि सई आपने वाक़ेअतन एक ही की थी। अहनाफ़ इस तवाफ़ से तवाफ़े तहलील मुराद लेते हैं, यानी आप हज और उम्रे से तवाफ़े ज़ियारत के बाद ही हलाल हुये थे, मगर इस तावील के बावजूद अहनाफ़ का मस्लक साबित नहीं होता कि क़ारिन तीन तवाफ़ करे। ये बहस पीछे भी गुज़र चुकी है। (देखिये, हदीस: 2747)

(2936) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) (मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा के लिये) निकले। जब ज़ुल हुलैफ़ा में पहुँचे तो उम्रे का एहराम बाँधा। थोड़ी

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ

بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَسَارَ قَلِيلاً فَخَشِيَ أَنْ يُصَدَّ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ إِنْ صُدِدْتُ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَاللَّهِ مَا سَبِيلُ الْحَجِّ إِلاَّ سَبِيلُ الْعُمْرَةِ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا . فَسَارَ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا فَاشْتَرَى مِنْهَا هَدْيًا ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ .

दूर चले तो उन्हें ख़तरा हुआ कि कहीं बैतुल्लाह से रोक न दिये जायें, फिर फ़रमाने लगे: अगर मुझे रोक दिया गया तो मैं वैसे ही करूँगा जिस तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (ऐसे मौक़े पर) किया था, फिर फ़रमाने लगे: वल्लाह! इस मसले में हज और उम्रा बराबर ही हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने उम्रे के साथ हज का एहराम भी बाँध लिया है, फिर चलते रहे यहाँ तक कि जब मक़ामे क़ुदैद में पहुँचे तो वहाँ से क़ुर्बानी का जानवर ख़रीदा, फिर मक्के पहुँचे तो बैतुल्लाह के सात चक्कर लगाये और सफ़ा मर्वा के दरम्यान सई की और फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऐसे करते देखा है।

(2936) तख़रीज : (सनद सही) अलहुमैदी, हदीस: 679, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3914, मालिक: 1/360, बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरहुम

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस नम्बर: 2747.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، أَخْبَرَنِي هَانِئُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا .

(2937) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने एक तवाफ़ किया था।

(2937) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3910, मुस्लिम, हदीस: 1215, व इब्ने माजा, हदीस: 2972 वग़ैरहुम.

फ़ायदा : देखिये, हदीस नम्बर: 2935.

باب:(١٤٥) ذِكْرِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ

बाब : (145) हज्रे अस्वद का ज़िक्र

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ

(2938) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हज्रे अस्वद जन्नत से है।'

عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ "

(2938) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 877, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3916.

फ़ायदा : हज्रे अस्वद (स्याह पत्थर) काबे के मशरिक़ी कोने में नसब है। ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से ये ही मालूम होता है कि ये पत्थर जन्नत से लाया गया है और ये कोई बईद नहीं कि अल्लाह तआला जन्नत की कोई चीज़ यहाँ भेज दे। कुछ अहादीस़ में है कि इब्तिदाअन (शुरू-शुरू में) ये पत्थर दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था मगर लोगों की ग़लतियों ने इसे स्याह कर दिया। (स़हीह अल जामेअ अस्स़ग़ीर व ज़्यादतुहू, हदीस़: 4449) रंग बदल जाना तो इस कायनात में इतना आम है कि इसका इन्कार करना हिमाक़त है। 'ग़लतियों से मुराद गुनाह हैं, यानी उसे बोसा देने वालों और हाथ लगाने वालों के गुनाहों से स्याह हो गया। अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: 'उस (क़यामत के) दिन कुछ (नेक लोगों के) चेहरे सफ़ेद होंगे और कुछ (बुरे लोगों के) चेहरे स्याह।' (आले इमरान: 3/106)

بَاب:(١٤٦) اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ

बाब : (146) हज्रे अस्वद को छूना

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّ عُمَرَ، قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَهُ وَقَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم بِكَ حَفِيًّا .

(2939) हज़रत सुवैद बिन ग़फ़ला से मन्क़ूल है कि हज़रत उमर (﵁) ने हज्रे अस्वद को बोसा दिया और उससे चिमट गये। फ़रमाने लगे: मैंने हज़रत अबुल क़ासिम (रसूलुल्लाह) (ﷺ) को देखा, तुझसे बहुत शफ़क़त व मोहब्बत फ़रमाते थे।

(2939) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1271, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3921.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज्रे अस्वद पर होंट लगाना मस्नून है। अगर ये मुमकिन न हो तो उसे हाथ लगाना, और ये भी मुमकिन न हो तो हाथ में पकड़ी हूई कोई पाक चीज़ उसे लगाना और अगर ये भी मुमकिन न हो तो सिर्फ़ हाथ से इशारा करना भी मस्नून है। (2) हज़रत उमर (﵁) का हज्रे अस्वद से कलाम करना सिर्फ़ लोगों को सुनाने के लिये था, या अपने जज़्बात के इज़्हार के लिये, जैसे कोई शख़्स अपने किसी अज़ीज़ की मय्यत से बातें करता है ये जानने के बावजूद कि ये नहीं सुन सकता।

बाब : (147) हज्रे अस्वद को बोसा देना

باب:(۱۴۷) تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

(2940) हज़रत आबिस बिन रबीआ से रिवायत है कि मैंने हज़रत उमर (ﷺ) को देखा कि वह हज्रे अस्वद के पास आये और फ़रमाया: मुझे यक़ीन है कि तू एक पत्थर है और अगर मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को तुझे बोसा देते हुये न देखा होता तो मैं तुझे बोसा न देता, फिर उसके क़रीब हुये और बोसा दिया।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَجَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ فَقَالَ إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ . ثُمَّ دَنَا مِنْهُ فَقَبَّلَهُ .

(2940) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1597, मुस्लिम, हदीस: 1270/251, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3920.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत उमर (ﷺ) के कलाम का मक़सूद ये है कि हम हज्रे अस्वद की पूजा नहीं करते, न इसे नफ़ा नुक़सान का मालिक समझते हैं। हम तो रसूलुल्लाह (ﷺ) की पैरवी में इसे बोसा देते हैं। आपने ये बात अवामुन्नास का अक़ीदा दुरुस्त रखने के लिये और उन्हें ग़लतफ़हमती से बचाने के लिये फ़रमाई। रसूलुल्लाह (ﷺ) का हज्रे अस्वद को बोसा देना उसके 'जन्नती' होने की वजह से था और इस वजह से था कि वह गुनाहों को साक़ित करने का सबब है। हज़रत उमर (ﷺ) के इन अल्फ़ाज़ से उन बुज़ुर्गों के मौक़िफ़ को ताईद हासिल होती है जिनका ख़याल है कि जिन चीज़ों को रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बोसा नहीं दिया, उन्हें बोसा देने से इज्तेनाब करना चाहिए। वैसे भी हज्रे अस्वद के अलावा दूसरी चीज़ें जन्नत से नहीं आईं। (2) उमूरे दीन में शारेअ (ﷺ) की इत्तिबा वाजिब है, चाहे हमें उस काम की हिकमत समझ में आये या न आये। (3) अगर अवाम का अक़ीदे की ख़राबी में मुब्तला होने का ख़दशा हो तो इमाम या आलिम को अपने ऐसे अमल की वज़ाहत कर देनी चाहिए।

बाब : (148) हज्रे अस्वद को किस तरह बोसा दिया जाये?

باب:(۱۴۸) كَيْفَ يُقَبِّلُ

(2941) हज़रत हन्ज़ला से मन्क़ूल है कि मैंने हज़रत ताऊस को हज्रे अस्वद के पास से गुज़रते देखा। अगर आप वहाँ भीड़ महसूस फ़रमाते तो (इशारा करके) गुज़र जाते और भीड़ न करते।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ حَنْظَلَةَ، قَالَ رَأَيْتُ طَاوُسًا يَمُرُّ بِالرُّكْنِ فَإِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ زِحَامًا مَرَّ

وَلَمْ يُزَاحِمْ وَإِنْ رَآهُ خَالِيًا قَبَّلَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ .

अगर जगह ख़ाली देखते तो उसे तीन बार बोसा देते, फिर फ़रमाया: मैंने हज़रत इब्ने अब्बास(ﷺ) को ऐसे करते देखा है। और हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया कि मैंने हज़रत उमर बिन खत्ताब (ﷺ) को ऐसे ही करते देखा है, फिर हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: (ऐ हज्रे अस्वद!) बिला शुब्हा तू एक पत्थर है। न नफ़ा दे सकता है न नुक़सान। अगर ये बात न होती कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को तुझे बोसा देते हुये देखा है तो मैं तुझे बोसा न देता, फिर हज़रत उमर(ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऐसे ही करते देखा है।

(2941) तख़रीज : (सनद सही) अल्बहरुज़्ज़ख़्ख़ार: 1/324, 325, हदीस: 208, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3922.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस से मालूम होता है कि हज्रे अस्वद को बोसा देना ज़रूरी नहीं। अगर भीड़ हो तो धक्कम-पेल की बजाये इशारा करके गुज़र जाये। अगर आसानी से बोसा दे सके तो बोसा दे दे। ये हज या तवाफ़ का रुक्न नहीं, लिहाज़ा बोसा के लिये मारधाड़ करना या धक्कम पेल करना शरीयत के ख़िलाफ़ है। ऐसा न हो कि इन्सान गुनाहों की माफ़ी की बजाये गुनाहों की गठरी उठा कर रुख़सत हो। **(2)** ये भी मालूम हुआ कि तीन दफ़ा बोसा देना मस्नून है। मज़ीद देखिये, हदीस: 2939 का फ़ायदा नम्बर: 1 **(3)** 'तू एक पत्थर है' बावजूद जन्नत में से होने के बहरसूरत है तो पत्थर ही, माबूद नहीं। आपने ये इसलिये फ़रमाया कि कोई ये न समझे कि तमाम बुत तोड़ कर एक बुत बाक़ी रख लिया। अवामुन्नास या नो मुस्लिम हज़रात ऐसा गुमान कर सकते थे। **(4)** 'नफ़ा दे सकता है न नुक़सान' हदीस में है कि हज्रे अस्वद क़यामत के रोज़ आयेगा। इसकी दो आँखें होंगी जिनसे देखेगा और ज़बान होगी जिससे बोलेगा और जिस जिसने भी इसे हक़ के साथ छूआ होगा उसके हक़ में गवाही देगा। देखिये: (मनासिक अल हज वल उम्रा लिल अल्बानी, सफ़ा: 21) ये भी तो नफ़ा ही है? हालांकि इस क़िस्म की गवाही तो दुनिया की हर चीज़ देगी, जैसे: जहाँ तक मुअज़्ज़िन की आवाज़ जाती है, वहाँ तक हर जिन व इन्स, हजर व शजर उसके लिये गवाही देंगे, तो क्या हर जिन व इन्स,

शजर व हजर नफ़ा और ज़ार बन गया? हरगिज़ नहीं! ये गवाही तो अल्लाह तआला के हुक्म से होगी। अल्लाह तआला उन चीज़ों में कुव्वते गोयाई पैदा फ़रमायेगा। उसका नफ़ा नुक़सान से क्या ताल्लुक़ है? ये तो सिर्फ़ गवाही देंगे। नफ़ा व नुक़सान अल्लाह तआला के हाथ में है, वरना ये चीज़ें गवाही देने ही पर क्यों इक्तेफ़ा करतीं? बल्कि नफ़ा नुक़सान देतीं।

बाब : (149) बैतुल्लाह के पास आते ही तवाफ़ कैसे करे? और हज्रे अस्वद को छूने के बाद किस तरफ़ चले?

باب:(١٤٩) كَيْفَ يَطُوفُ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ وَعَلَى أَيِّ شِقَّيْهِ يَأْخُذُ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ

(2942) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाये तो मस्जिद में दाख़िल हुये और हज्रे अस्वद को बोसा दिया, फिर दायीं तरफ़ को चले। तीन चक्कर दौड़ कर (कंधे हिलाते हुये) चले और चार चक्कर आहिस्ता चले, फिर मक़ामे इब्राहीम के पास आये और ये आयत तिलावत फ़रमाई: 'तुम मक़ामे इब्राहीम को जाये नमाज़ बनाओ।' (अल बक़रः 2/125) और दो रकआत इस तरह पढ़ीं कि मक़ामे इब्राहीम आपके और बैतुल्लाह के दरम्यान था। दो रकअत पढ़ने के बाद फिर बैतुल्लाह के पास गये और हज्रे अस्वद को बोसा दिया, फिर सफ़ा की तरफ़ निकल गये।

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَقَالَ " {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} " . فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالْمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا .

(2942) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 1218/150, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 3936.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बैतुल्लाह में आते हुये सबसे पहले तवाफ़ किया जाता है और तवाफ़ की इब्तेदा हज्रे अस्वद से होती है। बोसा या हाथ लग सके तो अच्छी बात है वरना हज्रे अस्वद की तरफ़ इशारा करके तवाफ़ शुरू कर दे। हर चक्कर हज्रे अस्वद पर ख़त्म होगा। हर चक्कर की इब्तेदा में हज्रे

अस्वद को बोसा देना या छूना होगा वरना बराबर से इशारा करके नया चक्कर शुरू कर दे। आख़री चक्कर ख़त्म करके फिर हज्रे अस्वद के पास आये और फिर दो रकअत तहियतुत्तवाफ़ अदा करे, फिर हज्रे अस्वद के पास आये, फिर हज या उम्रे की सूरत में सई करे। आम तवाफ़ में सफ़ा मर्वा की सई नहीं की जाती। उम्रे के तवाफ़ या हज के पहले तवाफ़ में रमल और इज़्तिबा भी किया जाता है। रमल से मुराद पहले तीन चक्करों में भागने के अन्दाज़ में कंधे हिला कर चलना है और इज़्तिबा से मुराद दायें कंधे को नंगा करना है। इज़्तिबा पूरे तवाफ़ में होगा, अलबत्ता तवाफ़ से पहले या बाद में इज़्तिबा नहीं होगा। मज़्कूरा दो तवाफ़ों के अलावा किसी तवाफ़ में रमल या इज़्तिबा नहीं होगा। **(2)** 'दायीं तरफ़ को चले' हज्रे अस्वद की दायीं तरफ़ क्योंकि बैतुल्लाह के दरवाज़े की दायीं तरफ़, हज्रे अस्वद वाली जानिब ही बनती है, या अपनी दायीं तरफ़ अगर मुँह बैतुल्लाह की तरफ़ हो। दोनों का मफ़हूम एक ही है।

बाब : (150)
कितने चक्करों में तेज़ चले?

باب:(١٥٠) كَمْ يَسْعَى

(2943) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷻ) पहले तीन चक्करों में रमल करते थे और आख़री चार चक्करों में आराम से चलते थे और वह फ़रमाते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) भी ऐसे ही किया करते थे।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَرْمُلُ الثَّلاَثَ وَيَمْشِي الأَرْبَعَ وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

(2943) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1617, मुस्लिम, हदीस: 1261/230, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3938.

फ़ायदा : रमल से मुराद भागने के अन्दाज़ में चलना है जिस तरह पहलवान अखाड़े में फ़ख़्र से चलता है। बाज़ू भागने के अन्दाज़ में हों और क़दम क़रीब क़रीब रखे जायें। रमल की इब्तेदा उम्र-ए-क़ज़ा में हूई थी। कुफ़्फ़ारे मक्का ने कहा: मुसलमानों को यस्रिब के बुख़ार ने कमज़ोर कर दिया है। आपने फ़रमाया: 'इन्हें ज़रा कुव्वत से चल कर दिखाओ।' जिस तरफ़ कुफ़्फ़ार पहाड़ पर बैठे हुये थे (शिमाली जानिब) उस जानिब मुसलमान रमल करते, जब ओझल हो जाते, यानी जुनूबी जानिब पहुँच जाते तो आहिस्ता हो जाते। अल्लाह तआला को ये अदा ऐसी भाई कि उसे अल्लाह तआला ने हज और उम्रे का जुज़ बना दिया, मगर सिर्फ़ पहले तवाफ़ और तीन चक्करों में ताकि लोगों के लिये मशक़्क़त का बाइस न हो।

बाब : (151) कितने चक्करों में आहिस्ता चले?

باب:(١٥١) كَمْ يَمْشِي

(2944) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब हज और उम्रे में पहला तवाफ़ करते तो तीन चक्करों में तेज़ चलते और चार चक्करों में आहिस्ता चलते, फिर दो रकअतें पढ़ते, फिर सफ़ा और मर्वा के दरम्यान चक्कर लगाते।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعًا ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

(2944) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1616, मुस्लिम, हदीस: 1261/231, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3935, अबू दाऊद, हदीस: 1893.

बाब : (152) सात में से तीन चक्करों में कंधे हिला कर तेज़ तेज़ चलना

باب:(١٥٢) الْخَبَبِ فِي الثَّلاَثَةِ مِنَ السَّبْعِ

(2945) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मक्का मुकर्रमा पहुँचते तो तवाफ़ में सबसे पहले हज्रे अस्वद को बोसा देते। सात में से तीन चक्करों में कंधे हिला कर तेज़ चलते।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ .

(2945) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1261/232, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 1603, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3939.

बाब : (153) हज और उम्रा (दोनों) में रमल करना

باب:(١٥٣) الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

(2946) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) जब हज या उम्रे में

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، ابْنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ

اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَخُبُّ فِي طَوَافِهِ حِينَ يَقْدَمُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ثَلَاثًا وَيَمْشِي أَرْبَعًا قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ ذَلِكَ .

आते तो अपने (पहले) तवाफ़ में तीन चक्करों में भागते थे और चार चक्करों में चलते थे, और उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) भी ऐसे ही किया करते थे।

(2946) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3937, देखें, हदीस: 2944.

بَاب: (١٥٤) الرَّمَلِ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ

बाब : (154) हज्रे अस्वद से हज्रे अस्वद तक रमल किया जायेगा

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ .

(2947) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ؓ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आपने हज्रे अस्वद से हज्रे अस्वद तक रमल फ़रमाया यहाँ तक कि तीन चक्कर पूरे हो गये।

(2947) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1263, मौता: 1/364, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3940.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'हज्र से हज्र तक' यानी पूरे चक्कर में रमल करना होगा। अगरचे उम्रतुल क़ज़ा में जब रमल की इब्तेदा हूई थी, रमल तीन जानिब किया गया था। जुनूबी जानिब चूंकि कुफ़्फ़ार से औझल थी, लिहाज़ा वहाँ सहाबा रमल न करते थे, फिर रमल को शरई हैसियत दे दी गई तो उसे पहले तवाफ़ के पहले तीन मुकम्मल चक्करों में मुक़र्रर कर दिया गया। ये तीन चक्करों में किया जायेगा मगर मुकम्मल चक्कर में। **(2)** रमल मस्नून है, लिहाज़ा जहाँ तक हो सके रमल करना चाहिए, अलबत्ता अगर इस क़द्र रश हो कि रमल मुमकिन न हो तो जहाँ जगह मिले, रमल कर ले। जहाँ जगह न मिले, वहाँ मजबूरी है। रमल की क़ज़ा है न कोई फ़िद्या। अगर कोई भूल जाये या उसे इल्म न हो, या रश, कमज़ोरी या बीमारी की वजह से न कर सके तो आख़री तीन चक्करों में या किसी दूसरे तवाफ़ में क़ज़ा न की जायेगी और न उस पर कोई फ़िद्या ही होगा।

باب:(۱۵۵) الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا سَعَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيْتِ

बाब : (155) नबी (ﷺ) ने किस वजह से रमल फ़रमाया था?

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ وَلَقُوا مِنْهَا شَرًّا فَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى ذَلِكَ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمُلُوا وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ نَاحِيَةِ الْحِجْرِ فَقَالُوا لَهَؤُلاَءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا .

(2948) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि जब नबी (ﷺ) और आपके सहाबा (उम्रतुल क़ज़ा में) मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाये तो मुश्रिकीन कहने लगे: इन्हें यस्रिब के बुख़ार ने कमज़ोर कर दिया है और इनकी हालत बहुत पतली हो गई है। अल्लाह तआला ने अपने नबी(ﷺ) को इस बात की इत्तिला फ़रमा दी तो आपने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि वह रमल करें, अलबत्ता रुक्ने यमानी और हज्रे अस्वद के दरम्यान आहिस्ता चलें क्योंकि मुश्रिकीन हतीम की जानिब (शिमाली जानिब) थे। तो मुश्रिकीन (उन्हें रमल करते देख कर) कहने लगे: ये तो बहुत ज़्यादा क़वी हैं।

(2948) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1602, मुस्लिम, हदीस: 1266, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3942.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। देखिये: हदीस: 2943 उस वक़्त तो रमल की यही वजह थी, बाद में अल्लाह तआला को सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) की ये अदा पसन्द आ गई तो उसे मुस्तक़िल्लन हज और उम्रे के तवाफ़ में दाख़िल कर दिया। **(2)** रमल का ये अन्दाज़ अगरचे फ़ख़्र और तकब्बुर का अन्दाज़ है, और अल्लाह तआला को फ़ख़्र व तकब्बुर पसन्द नहीं, लेकिन कुफ़्फ़ार के मुक़ाबले में मैदाने जंग में अकड़ कर चलने वाला मुसलमान अल्लाह तआला को बहुत प्यारा लगता है। रमल भी काफ़िरों को दिखाने बल्कि डराने के लिये था, लिहाज़ा इसमें भी अकड़ कर चलना अल्लाह तआला को पसन्द आया। बाद में ये सुन्नत जारी हो गई जिस तरह सफ़ा मर्वा के दरम्यान सई और मिना में क़ुर्बानी भी हज़रत हाजरा और हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) की यादगार हैं जो अल्लाह तआला को पसन्द आईं और हज और उम्रे का हिस्सा बना दी गईं। **(3)** दुश्मनाने इस्लाम से

नबुर्द आज़मा होने के लिये अहले इस्लाम को भरपूर तैयारी रखनी चाहिए और हर मैदान में तरक़्क़ी की आला तरीन मनाज़िल हासिल करनी चाहिए, वह तालीम का मैदान हो या जदीद टेक्नोलोजी और जदीद अस्लहे का। अपने दिफ़ा के लिये जिस्मानी तर्बीयत और जंगी मश्कें करते रहना चाहिए। और दुश्मन को मरऊब रखने के लिये इन सलाहियतों का गाहे गाहे इज़्हार करते रहना भी ज़रूरी है ताकि उसका दिमाग़ ठिकाने रहे और वह कोई हिमाक़त करने की जुर्अत न कर सके।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ، فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ . فَقَالَ الرَّجُلُ أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ عَلَيْهِ أَوْ غُلِبْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ

(2949) हज़रत ज़ुबैर बिन अदी से रिवायत है कि एक आदमी ने हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से हज्रे अस्वद को छूने के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसे छूते और बोसा देते देखा है। वह आदमी कहने लगा: फ़रमाइये अगर बहुत भीड़ हो और मैं बेबस हो जाऊँ तो? हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) ने फ़रमाया: अपना 'फ़रमाइये' यमन ही में रहने दे। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा है कि आप हज्रे अस्वद को छूते और बोसा देते थे।

(2949) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1611, तिर्मिज़ी, हदीस: 861.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सवाल करने वाला शख़्स यमनी था जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) के दूसरे जवाब से ज़ाहिर होता है। (2) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) का मक़सूद ये है कि सुन्नत की अदायगी में बिसात भर कोशिश करनी चाहिए। हीले बहानों से इससे फ़रार की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ज़ाहिर है हर काम में कुछ न कुछ मेहनत और मशक़्क़त बल्कि तकलीफ़ लाज़िमी चीज़ है, लिहाज़ा इससे घबराना नहीं चाहिए बल्कि सब्र और हौसले के साथ लगे रहें, मक़सद में कामयाबी होगी। इस सिलसिले में जो वक़्त और तकलीफ़ सर्फ़ होंगे, उसका सवाब मिलेगा, अलबत्ता हज्रे अस्वद की तक़बील की ख़ातिर किसी को ईज़ा न पहुँचाये, धक्कम-पेल न करे बल्कि नर्मी और मेहनत से मक़सूद हासिल करे, हाँ अगर बग़ैर धक्कम पेल या मारधाड़ के तक़बील मुमकिन न हो तो रहने दे। ये कोई फ़र्ज़ नहीं जैसे कि हदीस नम्बर 2941 में मज़्कूर है। (3) इस रिवायत का मुताल्लिक़ा बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। ये रिवायत दरअसल आइन्दा बाब से मुताल्लिक़ है। ये किसी नासिख़ (नाक़िल) के तसर्रुफ़ से हो गया है।

باب:(١٥٦) اسْتِلاَمِ الرُّكْنَيْنِ فِي كُلِّ طَوَافٍ

बाब : (156) हर तवाफ़ में हज्रे अस्वद और रुक्ने यमानी को (अगर मुमकिन हो) छूना चाहिए

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوَافٍ .

(2950) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) हर तवाफ़ में रुक्ने यमानी और हज्रे अस्वद को छूते थे।

(2950) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1876, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3928.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَسْتَلِمُ إِلاَّ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ .

(2951) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) हज्रे अस्वद और रुक्ने यमानी के अलावा किसी कोने को नहीं छूते थे।

(2951) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1267/244.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रुक्ने यमानी को सिर्फ़ हाथ लगाया जायेगा और हज्रे अस्वद को अगर मुमकिन हो तो बोसा भी दिया जायेगा। (2) इन दो को छूना सुन्नत है, बाक़ी कोनों या दीवारों को छूना सुन्नत नहीं। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2918 और उसके फ़वाइद)

باب:(١٥٧) مَسْحِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

बाब : (157) दोनों यमनी कोनों को हाथ लगाना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ .

(2952) हज़रत सालिम के वालिद (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर) (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को दोनों यमनी कोनों के अलावा बैतुल्लाह के किसी हिस्से को छूते नहीं देखा।

तख़रीज :(सनद सही) मुस्लिम: 1267, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी: 1609, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3929

फ़ायदा : यमन काब-ए-मुशर्रफ़ा के जुनूब में है, लिहाज़ा जुनूब की जानिब दो कोनों को यमनी कोने कहा जाता है। इनमें से एक हज्रे अस्वद वाला है। इसके लिये तो यही शनाख़्त काफ़ी है। दूसरे कोने को, जो हज्रे अस्वद से बायीं तरफ़ वाला है, रुक्ने यमानी कहा जाता है। कभी दोनों को यमानी कह लिया जाता है।

बाब : (158) दूसरे दो कोनों को न छूने का बयान

باب:(۱۵۸) تَرْكِ اسْتِلاَمِ الرُّكْنَيْنِ الآخَرَيْنِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَابْنِ، جُرَيْجٍ وَمَالِكٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَأَيْتُكَ لاَ تَسْتَلِمُ مِنَ الأَرْكَانِ إِلاَّ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ . قَالَ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ إِلاَّ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ مُخْتَصَرٌ .

(2953) हज़रत उबैद बिन जुरैज से रिवायत है कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से कहा: मैंने आपको देखा है कि आप सिर्फ़ इन दो यमनी कोनों (हज्रे अस्वद और रुक्ने यमानी) ही को छूते हैं। (क्या वजह है?) उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इन दो कोनों (रुक्ने यमानी और हज्रे अस्वद) के अलावा किसी कोने को छूते नहीं देखा। ये रिवायत मुख़्तसर है।

(2953) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 166, मुस्लिम, हदीस: 1187, देखें, हदीस: 117, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3931.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الْجُمَحِيِّينَ .

(2954) हज़रत सालिम के वालिद (हज़रत इब्ने उमर) (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बैतुल्लाह के कोनों में से सिर्फ़ दो कोनों ही को छूते थे। एक हज्रे अस्वद और दूसरा उसके साथ वाला जो जुमहिय्यिन के घरों (महल्ले) की तरफ़ है।

(2954) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1267/243, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3933.

फ़ायदा : इस दूसरे से मुराद रुक्ने यमानी ही है। उस वक़्त उस कोने की जानिब जुमही क़बीला रिहाइश पज़ीर था।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُمَا الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ فِي شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ .

(2955) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन उमर) (ﷺ) से मरवी है कि जब से मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये दो कोने, हज्रे अस्वद और रुक्ने यमानी, छूते देखा है मैंने कभी भी, सख़्ती हो या सहूलत, इन दो कोनों को छूना तर्क नहीं किया।

(2955) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1268, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 1606.

फ़ायदा : मुताल्लिक़ा मसले की तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस नम्बर: 2918 और 2949.

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ الْحَجَرِ فِي رَخَاءٍ وَلاَ شِدَّةٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ .

(2956) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि जब से मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को हज्रे अस्वद को छूते देखा है, मैंने शिद्दत हो या सहूलत, कभी उसे छूना तर्क नहीं किया।

(2956) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/33, 40, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3917.

باب:(١٥٩) اسْتِلاَمِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ

बाब : (159)हज्रे अस्वद को छड़ी वग़ैरह से छूना (भी जायज़ है)

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ .

(2957) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जतुल विदा में ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ फ़रमाया। आप हज्रे अस्वद को छड़ी के साथ छूते थे।

(2957) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 714, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3924.

फ़ायदा :पीछे यही हदीस हज़रत आयशा (ﷺ) से बयान हूई है। तफ़्सील के लिये देखिये: (हदीस: 2931)

باب:(١٦٠) الإِشَارَةِ إِلَى الرُّكْنِ

बाब : (160)(मजबूरी की हालत में) हज्रे अस्वद की तरफ़ इशारा (भी काफ़ी है)

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ .

(2958) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (हज्जतुल विदा में) अपनी सवारी पर बैठ कर बैतुल्लाह का तवाफ़ फ़रमा रहे थे। जब हज्रे अस्वद के पास पहुँचते तो उसकी तरफ़ इशारा फ़रमाते थे।

(2958) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1612, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3926.

फ़ायदा : साबिक़ा हदीस में छड़ी से छूने का ज़िक्र है और इस रिवायत में इशारा फ़रमाने का। गोया कभी छड़ी भी न पहुँच सकती तो हज्रे अस्वद की तरफ़ उसके बराबर आकर इशारा फ़रमाते। हाथ से इशारा करे और साथ तकबीर भी कहे। हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) आग़ाज़े तकबीर में बिस्मिल्लाह भी कहते थे, यानी बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर कहते थे।

باب:(١٦١) قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ }

बाब : (161)अल्लाह तआला के फ़रमान : 'हर मस्जिद में जाते वक़्त ज़ीनत इख़्तियार करो।' की तफ़्सीर

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمًا الْبَطِينَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ تَقُولُ الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلاَ أُحِلُّهُ قَالَ فَنَزَلَتْ { يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } .

(2959) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि (दौरे जाहिलियत में कभी कभार) कोई औरत नंगी बैतुल्लाह का तवाफ़ करती और यूँ कहती: आज (बग़र्ज़े तवाफ़) मेरी कुछ या पूरी शर्मगाह नंगी होगी। और (अगर ऐसा हो तो) मैं किसी के लिये इसकी तरफ़ नज़र करना मुबाह क़रार नहीं देती। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: याद रहे ये आयत उतरी: (या बनी आदम .... इन्द कुल्लि मस्जिदिन) 'ऐ बनी आदम! हर मस्जिद में जाते वक़्त ज़ीनत इख़्तियार करो (पूरा लिबास पहना करो)'

(2959) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 3038, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3947.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नंगे तवाफ़ करना या तो बतौर नज़र होता था या इस तसव्वुर से कि हम इन कपड़ों में गुनाह करते रहे हैं, लिहाज़ा इनमें तवाफ़ मुनासिब नहीं, इसलिये वह अपने कपड़ों के बजाये साकिनीने हरम के कपड़ों में तवाफ़ करते थे (क्योंकि वह उन्हें मुक़द्दस समझते थे) अगर उनसे कपड़े न मिलते तो रात के अंधेरे में या दोपहर के वक़्त आँख बचा कर नंगे बदन तवाफ़ कर लेते थे। और उसके साथ वह ज़बान से ऊपर दिये गये ऐलान अश्आर की सूरत में करते ताकि अगर कोई इत्तेफ़ाक़न उधर आ निकले तो मुँह दूसरी तरफ़ फेर ले और उसकी नज़र न पड़े। (2) 'हर मस्जिद में' यानी सिर्फ़ तवाफ़ के लिये ही लिबास पहनना ज़रूरी नहीं बल्कि नमाज़ में भी लिबास पहनना फ़र्ज़ है। चूंकि मस्जिद नमाज़ ही के लिये बनाई गई है, इसलिये मस्जिद के लफ़्ज़ से नमाज़ की तरफ़ इशारा है। वैसे भी मस्जिद में नंगा होना मना है क्योंकि ये मस्जिद के तक़द्दुस के ख़िलाफ़ है। (3) इस आयते मुबारका में लिबास के लिये 'ज़ीनत' का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है। गोया इबादात के दौरान में मुकम्मल और साफ़ सुथरा लिबास पहनना चाहिए जो हक़ीक़तन ज़ीनत का सबब हो, और सतर हो, न कि आज़ा-ए-मस्तूरा की नुमाइश और तर्जुमानी करने वाला। (4) ज़ीनत के लफ़्ज़ से ये इस्तेदलाल भी किया गया है कि नमाज़ में सर भी ढाँपा हुआ होना चाहिए क्योंकि लिबास, ज़ीनत तब ही बनेगा जब सर भी ढाँपा हुआ होगा। वैसे भी रसूलुल्लाह (ﷺ) उमूमन सर को ढाँप कर रखते थे, इसलिये नमाज़ ही की हालत में सर का ढाँपना सुन्नत के ज़्यादा क़रीब नहीं है बल्कि हर वक़्त और हर जगह ही सर को ढाँपे रखना मस्नून अमल है।

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ " أَلاَ لاَ يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ " .

(2960) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) ने हज्जतुल विदा से क़ब्ल उस हज में जिसमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें अमीरे हज मुक़र्रर फ़रमाया था, मुझे कुछ और लोगों के साथ ये ऐलान करने के लिए भेजा कि ख़बरदार! इस साल के बाद कोई मुश्रिक हज करने नहीं आयेगा और न कोई नंगा शख़्स बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकेगा।

(2960) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 369, मुस्लिम, हदीस: 1347, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3948

फ़ायदा : ये 9 हिजरी की बात है। अगरचे मक्का मुकर्रमा 8 हिजरी के हज से क़ब्ल फ़तह हो चुका था मगर इस साल न तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुद हज किया और न किसी को अमीरे हज मुक़र्रर फ़रमाया बल्कि आपकी तरफ़ से मक्का मुकर्रमा के गवर्नर हज़रत अ़ताब बिन असीद (رضی الله عنه) की सरकर्दगी में हज हुआ लेकिन ये हज साबिक़ा तरीक़े के मुताबिक़ किया गया क्योंकि अभी हज के बारे में इस्लामी तालीमात की तफ़्सील नाज़िल नहीं हूई थी बल्कि बहुत से मुहक़्क़िक़ीन के क़ौल के मुताबिक़ हज की फ़र्ज़ीयत ही 9 हिजरी में नाज़िल हूई। 9 हिजरी में नबी (ﷺ) ने हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (رضی الله عنه) को अमीरे हज बना कर भेजा। मुसलमानों ने उनकी सरकर्दगी में इस्लामी तरीक़े के मुताबिक़ हज किया मगर इस साल काफ़िर भी बड़ी तादाद में हज करने आये थे। उन्होंने अपने तरीक़े के मुताबिक़ हज किया। नबी (ﷺ) के हुक्म के मुताबिक़ मिना में जगह जगह ऐलानात कर दिये गये कि आइन्दा कोई मुश्रिक हज करने न आये। 10 हिजरी में रसूलुल्लाह (ﷺ) बनफ़्से नफ़ीस तशरीफ़ ले गये। तक़रीबन तमाम मुसलमान भी मौजूद थे। आपने ख़ालिस इस्लामी तरीक़े के मुताबिक़ हज करवाया। इस साल कोई मुश्रिक मौजूद न था। ये नबी (ﷺ) की ज़िन्दगी का भी आख़री साल था। तीन माह बाद आप अपने 'रफ़ीक़े आला' से जा मिले। फ़िदाहु नफ़्सी व रूही व अबी व उम्मी (ﷺ).

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جِئْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِبَرَاءَةَ قَالَ " مَا كُنْتُمْ تُنَادُونَ " . قَالَ كُنَّا نُنَادِي " إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَهْدٌ فَأَجَلُهُ أَوْ أَمَدُهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا

(2961) हज़रत अबू हुरैरह (رضی الله عنه) बयान करते हैं कि मैं हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब (رضی الله عنه) के साथ आया जबकि उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक्के वालों की तरफ़ से बराअत का ऐलान करने के लिये भेजा था। शागिर्द ने कहा: आप क्या ऐलान फ़रमाते थे? उन्होंने फ़रमाया: हम ऐलान करते थे कि मोमिन के अ़लावा कोई शख़्स जन्नत में दाख़िल नहीं होगा। कोई नंगा शख़्स बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकेगा। जिस शख़्स का रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सुलह का कोई मुआहिदा है तो उसकी मुद्दत चार माह है। जब चार माह गुज़र जायेंगे तो अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल (ﷺ) मुश्रिकीन (के साथ हर क़िस्म के मुआहिद-ए-सुलह) से ला'ताल्लुक़ होंगे और कोई मुश्रिक इस साल के बाद हज

مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ " . فَكُنْتُ أُنَادِي حَتَّى صَحِلَ صَوْتِي .

करने नहीं आयेगा। (हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने फ़रमाया:) मैं ये ऐलानात करता रहा यहाँ तक कि मेरी आवाज़ बैठ गई।

(2961) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/299, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3949, व सहीह इब्ने हिब्बान, 6/49, हदीस: 3809, वल हाकिम: 2/331.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस साबिक़ा हदीस ही की तफ़्सील है। इस मौक़े पर अमीरे हज तो हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ही थे मगर 'बराअत का ऐलान' हज़रत अली (ﷺ) की ख़ुसूसी ज़िम्मेदारी थी क्योंकि इस क़बाइली दौर में अहद के मुताल्लिक़ कोई ऐलान नबी (ﷺ) का ख़ानदानी शख़्स ही कर सकता था वरना मुश्रिकीन उसे मोतबर न समझते। हज़रत अली (ﷺ) की आपके साथ रिश्तेदारी से सब लोग वाक़िफ़ थे, लिहाज़ा इस ऐलान के लिये हज़रत अली (ﷺ) को मुन्तख़ब फ़रमाया गया। दीगर ऐलानात हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ही से करवाये, लिहाज़ा साबिक़ा हदीस और इस हदीस में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं। **(2)** 'चार माह' ज़ाहिर तो यही मालूम होता है कि इस ऐलान से चार माह शुमार होंगे लेकिन कुछ मुहक़्क़िक़ीन ने बराअत की आयत के नुज़ूल से चार माह शुमार किये हैं यानी शव्वाल, ज़ुलक़अदा, ज़ुल हिज्जा और मुहर्रम। आयत के आइन्दा अल्फ़ाज़ (फ़इजन्सलखल अश्हुरुलहुरुम .....) (अत्तौबा: 9/5) इसकी ताईद करते हैं और यही बात सही है। **(3)** इस हदीस के अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि आपने हर अहद की मुद्दत चार माह मुक़र्रर फ़रमा दी लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं। या तो रावी को ग़लती लगी या ज़रूरत से ज़्यादा इख़्तिसार हो गया। दीगर अहादीस में वज़ाहत है कि ऐलान यूँ था: 'जिस शख़्स का अल्लाह के रसूल (ﷺ) के साथ कोई मुआहिदा हो चुका है तो वह अपनी मुक़र्ररा मुद्दत तक बरक़रार है। और जिसके साथ आपका कोई अहद नहीं (या जिसकी मुद्दत मुक़र्रर नहीं) वह चार माह तक अमन में है।' देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 3092) मज़ीद मुलाहिज़ा हो: (तफ़्सीर इब्ने कसीर, सूरह, तौबा, आयत: 2) यानी इसके बाद मुश्रिकीन से आम लड़ाई है। वैसे भी ये बईद है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी से किये हुये अहद को यक तरफ़ा तौर पर ख़त्म कर दें। रसूलुल्लाह (ﷺ) तो अहद की बहुत ज़्यादा पासदारी फ़रमाने वाले थे। (ﷺ).

बाब : (162) तवाफ़ (के बाद) वाली दो रकआत कहाँ पढ़े?

باب:(١٦٢) أَيْنَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

(2962) हज़रत मुत्तलिब बिन अबी वदाआ(ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को देखा जब आप सातवें चक्कर से फ़ारिग़ हुये तो आप तवाफ़ वाली जगह के (बाहर वाले) किनारे के पास आ गये और दो रकअतें पढ़ीं। (उस वक़्त) तवाफ़ करने वालों और आपके दरम्यान कोई शख़्स (बतौर सुतरा) न था।

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ فَرَغَ مِنْ سُبُعِهِ جَاءَ حَاشِيَةَ الْمَطَافِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِينَ أَحَدٌ .

(2962) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 759, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3953.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'किनारे के पास' ताकि तवाफ़ करने वालों को दिक़्क़त न हो और वह नमाज़ में ख़लल न डालें। मालूम हुआ तवाफ़ की दो रकअतें अगर मक़ामे इब्राहीम के क़रीब पढ़नी मुमकिन न हों तो तवाफ़ करने वालों से बाहर आकर पढ़नी चाहिए। कुछ लोग मक़ामे इब्राहीम के पास नमाज़ पढ़ने के लिये तवाफ़ करने वालों के दरम्यान ही में नमाज़ शुरू कर देते हैं, इससे फ़रीक़ैन को परेशानी होती है। तवाफ़ करने वालों को तवाफ़ करने में और नमाज़ी को अपनी नमाज़ की अदायगी में, बल्कि बसा औक़ात रश की वजह से नमाज़ क़तअ करने तक की नोबत आ जाती है, ये दुरुस्त नहीं बल्कि ऐसी सूरत में दो रकअतें मताफ़ से बाहर पढ़ी जायें। **(2)** 'कोई शख़्स न था' अबू दाऊद में है कि आपके सामने कोई सुतरा न था। (सुनन अबी दाऊद, अल मनासिक, हदीस: 2016) इससे इस्तेदलाल किया गया है कि मस्जिदे हराम में सुतरा ज़रूरी नहीं। लेकिन ये इस्तेदलाल महल्ले नज़र है। क्योंकि ऊपर दी गई रिवायत और ये दोनों ज़ईफ़ हैं। मस्जिदे हराम हो या कोई और जगह सुतरे का एहतिमाम ज़रूरी है जैसा कि ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ौल व फ़ेअल से साबित है। (तफ़्सील के लिये देखिये: ज़ादुल मआद: 1/305) अलबत्ता अगर रश की बिना पर इसका एहतिमाम मुमकिन न हो तो ये इज़्तेरारी हालत है, लेकिन किसी भी सही हदीस से इसका अदमे एहतिमाम साबित नहीं। वल्लाहु आलम! इस मसले की तफ़्सील पीछे हदीस: 759 में गुज़र चुकी है।

(2963) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (मक्का मुकर्रमा) तशरीफ़

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ

عَمْرٍو، قَالَ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } .

लाये तो बैतुल्लाह के सात चक्कर लगाये। मक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रकअतें पढ़ीं और सफ़ा मर्वा के दरम्यान सात चक्कर लगाये। फिर हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने क़ुर्आन की आयत तिलावत फ़रमाई: (लक़द काना लकुम .....) 'तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) (के तर्ज़े अमल) में बेहतरीन नमूना है।'

(2963) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2933.

फ़ायदा : आयत से बज़ाहिर यही मालूम होता है कि तवाफ़ की दो रकअतें पढ़ना ज़रूरी है। इसीलिये आयत में मज़्कूर हुक्म की बिना पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जब भी तवाफ़ किया तो उसके बाद दो रकअतों का एहतिमाम फ़रमाया है, गोया आपका अमल आयत के मुज्मल हुक्म की तफ़्सील और तफ़्सीर है। दूसरा ये मालूम हुआ कि मक़ामे इब्राहीम के पास ही इन रकअतों का पढ़ना मस्नून है। आयत से यही ज़ाहिर होता है, हाँ अगर इज़्दिहाम (भीड़) ही इस क़द्र हो कि वहाँ नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो तो फिर उससे दूर पढ़ने में भी कोई हर्ज नहीं। वल्लाहु आलम!

بَاب: (١٦٣) الْقَوْلِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

बाब : (163) तवाफ़ की दो रकअतों के बाद क्या कहा जाये?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيْتِ سَبْعًا رَمَلَ مِنْهَا ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ عِنْدَ الْمَقَامِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَرَأَ { وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى }

(2964) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैतुल्लाह के सात चक्कर लगाये। उनमें से (पहले) तीन चक्करों में रमल किया और चार चक्करों में आराम से चले, फिर मक़ामे इब्राहीम के पास खड़े हुये और दो रकआत पढ़ीं, फिर आपने ये आयत पढ़ी: (वत्तख़िज़ू मिम् मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला) 'तुम मक़ामे इब्राहीम को नमाज़ की जगह बनाओ।' आपने लोगों को सुनाने के लिये ये अल्फ़ाज़ बलन्द आवाज़ से अदा फ़रमाये, फिर आप (हज्रे अस्वद की तरफ़) गये। उसे बोसा दिया, फिर (सफ़ा मर्वा की तरफ़) चले और फ़रमाया: 'हम उसी जगह से इब्तेदा करेंगे

وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاسْتَلَمَ ثُمَّ ذَهَبَ فَقَالَ " نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ " . فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهَا حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ " . فَكَبَّرَ اللَّهَ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ نَزَلَ مَاشِيًا حَتَّى تَصَوَّبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ فَسَعَى حَتَّى صَعِدَتْ قَدَمَاهُ ثُمَّ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ " . قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهَ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهَا بِمَا شَاءَ اللَّهُ فَعَلَ هَذَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ .

जिसका ज़िक्र अल्लाह तआला ने पहले किया है।' तो आपने कोहे सफ़ा से इब्तेदा की। उस पर चढ़े यहाँ तक कि आपको बैतुल्लाह नज़र आने लगा। आपने तीन बार (ये कलिमात) पढ़े: (ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीकलहु लहुल मुल्कु .... शैइन क़दीर) 'अल्लाह के सिवा कोई (सच्चा) माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, हुकूमत और तारीफ़ उसी की है। वही ज़िन्दगी देता है और मौत देता है और वह हर चीज़ पर ख़ूब क़ादिर है।' फिर आपने तकबीरें कहीं और अल्लाह तआला की हम्द की, फिर आपने दुआएँ फ़रमाईं जो अल्लाह तआला ने आपके लिये मुक़र्रर की थीं, फिर आप चलते हुये नीचे उतरे यहाँ तक कि जब आपके क़दम मुबारक नशेब में जा गुज़रें हुये तो आप दौड़ने लगे यहाँ तक कि (मर्वा की) चढ़ाई शुरू हो गई तो आप आराम से चलने लगे यहाँ तक कि मर्वा पर पहुँच गये। तो उस पर चढ़ते रहे, फिर जब बैतुल्लाह नज़र आने लगा तो आपने ये कलिमात अदा फ़रमाये: (ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीकलहु लहुल मुल्कु .... शैइन क़दीर) 'अल्लाह के सिवा कोई माबूदे (बरहक़) नहीं। वह अकेला है। उसका कोई शरीक नहीं। बादशाही और तारीफ़ उसी के लिये है और वह हर चीज़ पर क़ादिर है।' आपने ये (कलिमात) तीन बार पढ़े, फिर अल्लाह तआला का ज़िक्र किया और सुब्हानल्लाह और अल हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहे, फिर आपने उस पर दुआएँ फ़रमाईं जो अल्लाह ने चाही, (फिर) इसी तरह किया यहाँ तक कि आप (सफ़ा मर्वा के) चक्करों से फ़ारिग़ हो गये।

(2964) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1, हदीस: 3969, तिर्मिज़ी, हदीस: 856, 862, व इब्ने माजा, हदीस: 1008, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3967, तिर्मिज़ी: 1/175 हदीस: 61, मुस्लिम, हदीस: 1218.

फ़ायदा : इमाम नसाई (ﷺ) के अन्दाज़ से मालूम होता है कि तवाफ़ की दो रकअतों के बाद ऊपर दी गई आयत पढ़ना मस्नून है अगरचे कहा जा सकता है कि आप का ये आयत पढ़ना बतौरे इस्तेदलाल था कि इससे मुराद तवाफ़ की दो रकअतें हैं। यही सही है। इसी लिये उलमा ने दो रकअतों के बाद इस आयत के पढ़ने को मस्नून नहीं लिखा, और कुछ रिवायात में मन्क़ूल है कि आपने ये आयत दो रकअतों से पहले पढ़ी थी। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 1218, व सुनन नसाई, हदीस: 2965, 2966(याद रहे सफ़ा और मर्वा के दरम्यान सात चक्कर लगाये जाते हैं मगर सफ़ा से मर्वा तक आना एक चक्कर शुमार होता है और मर्वा से सफ़ा पर आना दूसरा चक्कर। इस तरह मर्वा पर सातवां चक्कर पुरा होगा।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَافَ سَبْعًا رَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ قَرَأَ { وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ وَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ ثُمَّ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ " إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ " .

(2965) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (बैतुल्लाह के गिर्द) सात चक्कर लगाये। तीन में कंधे हिलाकर तेज़ तेज़ चले और चार में आराम से चले, फिर ये आयत पढ़ी: (वत्तख़िज़ू मिम् मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला) 'तुम मक़ामे इब्राहीम को नमाज़ की जगह बनाओ।' फिर आपने दो रकआत पढ़ीं और मक़ामे इब्राहीम को अपने और काबे के दरम्यान रखा, फिर हज्रे अस्वद को बोसा दिया, फिर निकले और कहा: 'सफ़ा और मर्वा अल्लाह तआला की मुक़र्रर कर्दा अलामत हैं। चुनांचे वहाँ से शुरू करो जिसका ज़िक्र अल्लाह तआला ने पहले फ़रमाया है (यानी सई का आग़ाज़ सफ़ा से करो।)'

(2965) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें.

बाब : (164) तवाफ़ की दो रकअतों में क़िराअत क्या होगी?

باب:(۱۶۴) الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

(2966) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मक़ामे इब्राहीम के पास पहुँचे तो आपने ये आयत तिलावत फ़रमाई: (वत्तख़िज़ू मिम् मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला) 'तुम मक़ामे इब्राहीम को नमाज़ की जगह बनाओ।' फिर आपने दो रकअतें पढ़ीं और (इनमें) सूरह अल फ़ातिहा (के साथ) सूरह (क़ुल या अय्युहल काफ़िरून) और सूरह (क़ुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ीं, फिर आप हज्रे अस्वद की तरफ़ गये। उसे बोसा दिया, फिर कोहे सफ़ा की तरफ़ निकल गये।

(2966) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3954.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا انْتَهَى إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ قَرَأَ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ثُمَّ عَادَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا .

फ़ायदा : मालूम हुआ कि तवाफ़ की दो रकअतें हल्की होनी चाहिए। फ़ज्र और मग़रिब की सुन्नतों में भी यही दो सूरतें पढ़ना मन्क़ूल व मस्नून है।

बाब : (165) ज़मज़म का पानी पीना

باب:(۱۶۵) الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ

(2967) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़मज़म का पानी खड़े होकर पिया।

(2967) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1637, मुस्लिम, हदीस: 2027, मुस्लिम, हदीस: 2027/119, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3956.

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَاصِمٌ، وَمُغِيرَةُ، ح وَأَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़मज़म मुबारक पानी है जो दुनिया के हर पानी से मुख़्तलिफ़ है। ख़ूराक का फ़ायदा भी देता है और शिफ़ा का भी, बल्कि जिस नियत के साथ जिस मक़्सद के लिये भी पिया जाये, किफ़ायत करता है। (सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 2062, व मुसनद अहमद: 3/357, 372) लिहाज़ा इसे तबर्रुक समझ कर पीना मस्नून है, बल्कि वापस आते हुये घरों को लाना भी मस्नून है जैसा कि हज़रत आयशा (ﷺ) से मरफ़ूअन मन्क़ूल है। देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस़: 963) **(2)** कुछ का क़ौल है कि आपका खड़े होकर पीना या तो मजबूरन था कि नीचे कीचड़ था, बैठना मुमकिन नहीं था वरना कपड़े ख़राब होते, लिहाज़ा अगर ऐसी सूरते हाल हो कि बैठने की मुनासिब जगह न हो तो खड़े होकर खाया पिया जा सकता है। कुछ का मौक़िफ़ है कि खड़े होकर पीना जायज़ है और आपका मज़्कूरा अमल बयाने जवाज़ के लिये था, इसके अलावा दीगर अहादीस़ में खड़े होकर पीने से आपने सख़्ती से मना फ़रमाया है। तो हाफ़िज़ इब्ने हजर और दीगर अइम्मा के नज़दीक इन अहादीस़ में मज़्कूर नह्य तन्ज़ीह के लिये है, यानी बेहतर ये है कि खड़े होकर पानी न पिया जाये। और अगर पी भी लिया जाये तो इसमें मुत्लक़न हर्ज वाली बात नहीं है। यही मौक़िफ़ दलाइल की रू से मज़बूत मालूम होता है। वल्लाहु आलम! देखिये: (फ़तहुलबारी: 10/104, 105)

बाब : (166)
ज़मज़म का पानी खड़े होकर पीना

باب:(١٦٦) الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا

(2968) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ज़मज़म का पानी पिलाया। आपने क़याम की हालत में पिया।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ .

(2968) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखेयं, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3957.

फ़ायदा : हदीसे बाला (ऊपर की हदीस़) से स़ाबित हुआ कि ज़मज़म का पानी खड़े होकर भी पी लिया जाये तो जायज़ है जैसा कि एबाहत वाली अहादीस़ इस पर दलालत करने वाली हैं, लेकिन इसे इस मआनी में सुन्नत क़रार देना कि ये मुस्तहब है तो ये इससे स़ाबित नहीं होता जैसा कि मज़्कूरा बाब में तफ़्सील गुज़र चुकी है।

बाब : (167) नबी (ﷺ) सफ़ा पर जाने के लिये उसी दरवाज़े से निकले थे जिससे (आम तौर पर) निकला जाता था।

(2969) हज़रत इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) से मरवी है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का तशरीफ़ लाये तो आपने बैतुल्लाह के सात चक्कर लगाये, फिर मक़ामे इब्राहीम की औट में दो रकअतें पढ़ीं, फिर उस दरवाज़े से कोहे सफ़ा के लिये निकले जिससे (उमूमन) निकला जाता था, फिर सफ़ा और मर्वा के दरम्यान चक्कर लगाये।

शोबा ने कहा: मुझे अय्यूब ने बवास्ता अम्र बिन दीनार इब्ने उमर (رضی اللہ عنہ) से ख़बर दी है कि ये (सफ़ा मर्वा के दरम्यान सई) सुन्नत है।

(2969) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1627, मुस्लिम, हदीस: 1234, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3958.

باب:(١٦٧) ذِكْرِ خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي يُخْرَجُ مِنْهُ فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ سُنَّةٌ .

फ़ायदा : 'सुन्नत है' यानी इस्लाम का राइजकर्दा तरीक़ा है जिसकी पाबन्दी लाज़मी है। ये सुन्नत फ़र्ज़ के मुक़ाबले में नहीं। (तफ़्सील आगे आ रही है।)

बाब : (168) सफ़ा और मर्वा का ज़िक्र

(2970) हज़रत उर्वा बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) के सामने ये आयत पढ़ी: (फ़ला जुनाह अलैहि अय यत्तव्वफ़ा बिहिमा) 'उस (हाजी और मोतमिर) पर कोई हर्ज नहीं कि वह सफ़ा मर्वा के दरम्यान चक्कर लगाये।' मैंने (इस आयत की रोशनी में) कहा: मुझे तो कोई परवाह नहीं अगर मैं

باب:(١٦٨) ذِكْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَائِشَةَ { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } قُلْتُ مَا أُبَالِي أَنْ لاَ

أَطُوفَ بَيْنَهُمَا . فَقَالَتْ بِئْسَمَا قُلْتَ إِنَّمَا كَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَطُوفُونَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } الآيَةَ فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَطُفْنَا مَعَهُ فَكَانَتْ سُنَّةً .

उनके दरम्यान चक्कर न लगाऊँ। हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया: तूने बहुत ग़लत इस्तेदलाल किया। अस़ल बात ये थी कि जाहिलियत वाले कुछ लोग स़फ़ा और मर्वा के दरम्यान चक्कर नहीं लगाते थे। जब इस्लाम (का दौर) आया और क़ुर्आन की ये आयत उतरी: (इन्नस्सफ़ा वल्मर्वता मिन शआइरिल्लाहि ...) 'स़फ़ा और मर्वा अल्लाह तआला के मुक़र्रर कर्दा निशानात हैं .... अलख़' तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनके चक्कर लगाये और हमने भी आपके साथ चक्कर लगाये, लिहाज़ा ये सुन्नत है।

(2970) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 4861, मुस्लिम, हदीस़: 1277.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत उ़र्वा ने आयत के ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ से ये समझा कि सई को तर्क करना भी जायज़ है और ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं लेकिन शायद वह आयत के सियाक़ व सबाक़ और उसके इब्तेदाई अल्फ़ाज़ (इन्नस्सफ़ा वल्मर्वता मिन शआइरिल्लाहि) (अल बक़र: 2/158) से ग़ाफ़िल रहे क्योंकि अगर ये अल्लाह तआला के मुक़र्रर कर्दा शआइर हैं तो उनसे रूगर्दानी केसे मुमकिन है? हज़रत आयशा (ﷺ) जो इन्तेहाई स़ाहिबे बस़ीरत ख़ातून थीं और रसूलुल्लाह (ﷺ) से बराहे रास्त फ़ैज़ याफ़्ता थीं, इस अहम नुक्ते से कैसे ग़ाफ़िल हो सकती थीं, और किसी भी आयत का मफ़हूम रसूलुल्लाह (ﷺ) के तर्ज़े अ़मल से अलग करके नहीं समझा जा सकता वरना गुमराही का ख़दशा है। जो काम रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तमाम उ़म्रों और हज में पाबन्दी से किया और स़हाब-ए-किराम (ﷺ) ने भी हर उ़म्रा व हज में इसे पाबन्दी से किया, वह ग़ैर ज़रूरी कैसे हो सकता है? बाक़ी रहा (ला जुनाह) 'कोई हर्ज नहीं' का लफ़्ज़ तो ये दरअस़ल उन लोगों को समझाने के लिये है जो स़फ़ा और मर्वा के तवाफ़ को काफ़िरों के रस्म व रिवाज पर महमूल करते थे क्योंकि इन दोनों पर उन्होंने बुत रखे हुये थे लेकिन किसी की ग़लती से अस़ल हक़ीक़त तो मतरुक नहीं हो सकती थी, इसलिये हुक्म दिया गया कि बुतों से पाक करके उनका तवाफ़ किया जाये क्योंकि उनका तवाफ़ क़दीम शरई हुक्म है। **(2)** 'ये सुन्नत है' यहाँ सुन्नत फ़र्ज़ के मुक़ाबले में नहीं कि उसका करना ज़रूरी नहीं क्योंकि इस मफ़हूम का तो हज़रत आयशा (ﷺ) रद्द फ़रमा रही हैं, बल्कि यहाँ सुन्नत से मुराद नबी (ﷺ) का जारी कर्दा तरीक़ा है जिसकी पाबन्दी ज़रूरी है। फ़र्ज़, सुन्नत, वाजिब वग़ैरह के मौजूदा मफ़हूम बाद की

इस्तेलाहात हैं। कुछ रिवायात में सराहत है कि नबी (ﷺ) सफ़ा और मर्वा के दरम्यान सई कर रहे थे और सहाब-ए-किराम (رضی اللہ عنہم) से फ़रमा रहे थे: 'तुम सई किया करो क्योंकि अल्लाह तआला ने सई को तुम पर फ़र्ज़ कर दिया है।' (मुसनद अहमद: 6/421) इसलिये इमाम शाफ़ेई (رحمہ اللہ) ने सफ़ा मर्वा की सई को हज व उम्रे का रुक्न ठहराया है। जिससे रह जाये, वह दोबारा हज व उम्रा करे, अलबत्ता अहनाफ़ इसे वाजिब क़रार देते हैं जिसे क़सदन तो नहीं छोड़ा जा सकता अगर भूले से या ना वाक़फ़ियत से रह जाये, फिर क़ज़ा मुमकिन हो तो क़ज़ा दे वरना एक जानवर क़ुर्बान करे, लेकिन राजेह बात यही है कि सई बैनस्सफ़ा वल्मर्वा हज का ऐसा रुक्न है कि अगर वह रह जाये तो उसकी तलाफ़ी एक दम (जानवर क़ुर्बान करने) से नहीं होगी, बल्कि उसे हज दोबारा करना पड़ेगा। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो: (फ़िक़्ह अस्सुन्ना, लिस सय्यद साबिक़: 2/264-267)

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } فَوَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لاَ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . قَالَتْ عَائِشَةُ بِئْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا كَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَلَكِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2971) हज़रत उर्वा बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) से अल्लाह तआला के फ़रमान: (फ़ला जुनाह अलैहि अय्यत्तव्वफ़ा बिहिमा) 'उस (हाजी और मोतमिर) पर कोई हर्ज नहीं कि वह इन दोनों (सफ़ा और मर्वा) का तवाफ़ करे' के बारे में पूछा कि इससे तो मालूम होता है कि अगर कोई सफ़ा और मर्वा का तवाफ़ न करे तो अल्लाह की क़सम! उसे कोई गुनाह नहीं। हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) ने फ़रमाया: ऐ भाँजे! तूने बहुत ग़लत बात कही। अगर इस आयत का मतलब ये होता जो तू बयान करता है तो आयत इस तरह होती: '(हज या उम्रे करने वाला) अगर वह सफ़ा और मर्वा का तवाफ़ न करे तो उसे कोई गुनाह नहीं।' अस्ल में बात ये है कि ये आयत अन्सार के बारे में नाज़िल हुई है। वह इस्लाम लाने से पहले मनात बुत के नाम पर एहराम बाँधते थे। उसकी वह पूजा करते थे। वह मुशल्लल के मक़ाम पर नसब था। जो लोग उस बुत के नाम पर एहराम बाँधते थे, वह सफ़ा और मर्वा के चक्कर लगाने को गुनाह समझते थे, फिर (इस्लाम

عَنْ ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا .

लाने के बाद) उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस बारे में पूछा तो अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी: (इन्नस्सफ़ा वल्मर्वता .....) 'सफ़ा और मरवा अल्लाह तआला की मुक़र्रर कर्दा अलामात में से हैं, लिहाज़ा जो शख़्स हज या उम्रे का एहराम बाँधे तो कोई हर्ज नहीं कि वह उनके चक्कर लगाये।' फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनके दरम्यान चक्कर लगाना जारी फ़रमा दिया, चुनांचे अब किसी को इजाज़त नहीं कि वह उनमें चक्कर लगाना छोड़ दे।

(2971) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1643, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3960, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : हज़रत आयशा (رضي الله عنها) का इस्तेदलाल किस क़द्र मज़बूत है कि अगर ये तवाफ़ ज़रूरी न होता तो अल्लाह तआला सराहतन बयान फ़रमाता कि जो तवाफ़ न करे, उसे कोई गुनाह नहीं जबकि आयत के अल्फ़ाज़ ये हैं कि जो तवाफ़ करे, उसे कोई गुनाह नहीं। गोया कुछ लोग उनके तवाफ़ में गुनाह महसूस करते थे। उनका वहम दूर करने के लिये ये आयत उतरी। इस आयत में इस तवाफ़ के वजूब व इस्तेहबाब की बहस नहीं बल्कि उसका वजूब इस आयत के इब्तेदाई हिस्से और रसूलुल्लाह(ﷺ) के तर्ज़े अमल और फ़रामीन से मालूम होता है। (देखिये, हदीस नम्बर: 2970) सफ़ा मर्वा के तवाफ़ में गुनाह महसूस करने वाले दो गिरोह थे: एक तो वह जिनका ज़िक्र इस हदीस में हुआ है। दूसरे वह जो जाहिलियत में सफ़ा मर्वा का तवाफ़ करते थे मगर इस्लाम लाने के बाद उन्होंने उसे गुनाह समझा। इस आयत ने उन दोनों क़िस्म के गिरोहों की ग़लतफ़हमी दूर कर दी। अब सई करना ज़रूरी है जैसा कि इस हदीस में हज़रत आयशा (رضي الله عنها) के आख़री अल्फ़ाज़ से साफ़ मालूम होता है। इमाम शाफ़ेई, अहमद और दीगर मुहद्दिसीन (رحمهم الله) सब सई को रुक्न समझते हैं कि इसके बग़ैर हज व उम्रा नहीं होगा। अहनाफ़ के मस्लक की तफ़सील साबिक़ा हदीस में देखिये।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

(2972) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना जब आप मस्जिद से निकल कर सफ़ा मर्वा के तवाफ़ के इरादे से आ रहे थे: 'हम उस मक़ाम से इब्तेदा

جَابِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا وَهُوَ يَقُولُ " نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ " .

करेंगे जिसका ज़िक्र अल्लाह तआला ने पहले फ़रमाया है।'

(2972) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/388, मौता: 1/382, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3913.

फ़ायदा : उस वक़्त सफ़ा मर्वा मस्जिद से बाहर थे। आज कल तो मस्जिद की हुदूद के अन्दर बल्कि बहुत अन्दर आ चुके हैं। (बाक़ी तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2964)

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا جَابِرٌ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّفَا وَقَالَ " نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ " . ثُمَّ قَرَأَ " { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } " .

(2973) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कोहे सफ़ा की तरफ़ निकले और फ़रमाया: 'हम उस पहाड़ी से इब्तेदा करेंगे जिसका ज़िक्र अल्लाह तआला ने पहले फ़रमाया है।' फिर आपने ये आयत तिलावत फ़रमाई: (इन्नस सफ़ा वल्मर्वता मिन शआइरिल्लाहि) 'बिला शुब्हा सफ़ा और मर्वा अल्लाह तआला की मुक़र्रर कर्दा अलामत में से हैं।'

(2973) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3962, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : 'सफ़ा' से सई की इब्तेदा मुत्तफ़क़ अलैहि मसला है। इसमें कोई इख़्तिलाफ़ नहीं।

بَاب:(١٦٩) مَوْضِعِ الْقِيَامِ عَلَى الصَّفَا

बाब : (169) कोहे सफ़ा पर खड़े होने की जगह

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا جَابِرٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَقِيَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ كَبَّرَ .

(2974) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कोहे सफ़ा पर चढ़े यहाँ तक कि जब आपकी नज़र बैतुल्लाह पर पड़ी तो आपने अल्लाहु अकबर कहा।

(2974) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2713, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3964.

फ़ायदा : मालूम हुआ सफ़ा और मर्वा पर इतना चढ़े कि बैतुल्लाह नज़र आने लगे, फिर दुआएँ और तस्बीहात व तकबीरात पढ़े, लेकिन आज कल सफ़ा या मर्वा पर चढ़ कर बैतुल्लाह को देखना आसान नहीं, बल्कि तामीरात की वजह से मुश्किल हो गया है मगर ये कि सफ़ा के कुछ मख़्सूस मक़ामात से सुतूनों के दरम्यान से, कोशिश से उसे देखा जा सकता है। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2964)

बाब : (170) कोहे सफ़ा पर (चढ़ कर) अल्लाहु अकबर कहना

باب:(١٧٠) التَّكْبِيرِ عَلَى الصَّفَا

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلاَثًا وَيَقُولُ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ " . يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَيَدْعُو وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ .

(2975) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब कोहे सफ़ा पर ठहरते तो तीन दफ़ा अल्लाहु अकबर कहते, फिर ये पढ़ते: (ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु .....) 'अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वह यक्ता है। उसका कोई शरीक नहीं। बादशाही और तारीफ़ उसी की है और वह हर चीज़ पर ख़ूब क़ादिर है।' ये तीन दफ़ा पढ़ते और दुआ करते, फिर मर्वा पर भी ऐसे ही करते।

(2975) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2972, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3965.

बाब : (171) कोहे सफ़ा पर ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ना

باب:(١٧١) التَّهْلِيلِ عَلَى الصَّفَا

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم ثُمَّ وَقَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(2976) हज़रत मुहम्मद बाक़िर (رحمه الله) से रिवायत है कि मैंने हज़रत जाबिर (ﷺ) से नबी(ﷺ) के हज के बारे में सुना कि आप कोहे सफ़ा पर खड़े होकर (बार बार) ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ते थे और इस ज़िक्र के दौरान में दुआएँ भी फ़रमाते थे।

عَلَى الصَّفَا يُهَلِّلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو بَيْنَ ذَلِكَ .

(2976) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/233, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3966.

باب:(١٧٢) الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ عَلَى الصَّفَا

बाब : (172) कोहे सफ़ा पर दुआएँ और दीगर ज़िक्र अज़्कार करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ، { عَبْدِ } الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيْتِ سَبْعًا رَمَلَ مِنْهَا ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ عِنْدَ الْمَقَامِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَرَأَ { وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاسْتَلَمَ ثُمَّ ذَهَبَ فَقَالَ " نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ " . فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهَا حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ وَقَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ " . وَكَبَّرَ اللَّهَ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ نَزَلَ مَاشِيًا حَتَّى تَصَوَّبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ فَسَعَى حَتَّى صَعِدَتْ قَدَمَاهُ ثُمَّ مَشَى

(2977) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैतुल्लाह के सात चक्कर लगाये। उनमें से तीन चक्करों में कंधे हिला कर तेज़ तेज़ चले और चार चक्कर आराम से चले, फिर मक़ामे इब्राहीम के पास आ खड़े हुये और दो रकअतें पढ़ीं और ये आयत पढ़ी: (वत्तख़िज़ू मिम् मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला) 'तुम मक़ामे इब्राहीम को नमाज़ की जगह बनाओ।' ये आयत आपने लोगों को सुनाने के लिये बलन्द आवाज़ से पढ़ी। फिर दोबारा हज्रे अस्वद के पास गये और उसे बोसा दिया, फिर (बाहर को) चले और फ़रमाया: 'हम उस (पहाड़ी) से इब्तेदा करेंगे जिसका ज़िक्र अल्लाह तआला ने पहले फ़रमाया है।' उसके बाद आप पहले सफ़ा पर गये। उस पर चढ़े यहाँ तक कि आपको बैतुल्लाह नज़र आने लगा: आपने तीन दफ़ा फ़रमाया: (ला इलाह इल्लल्लाह .....) 'अल्लाह के सिवा कोई (सच्चा) माबूद नहीं। वह यक्ता है। उसका कोई शरीक नहीं। बादशाहत उसी की है। तमाम तारीफ़ात उसी के लिये हैं। वही ज़िन्दा करता और मौत देता है और वह हर चीज़ पर क़ादिर है।' फिर आप अल्लाहु अकबर और अल हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहे, फिर आपने दुआएँ फ़रमाईं जो आपके मुक़द्दर में थीं, फिर नीचे उतरने लगे यहाँ

حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ " . قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهَ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهَا بِمَا شَاءَ اللَّهُ فَعَلَ هَذَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ .

तक कि जब आपके क़दम मुबारक नशेब में जागुज़ीं हुये तो आप दौड़ने लगे, यहाँ तक कि आपके क़दम (मर्वा की चढ़ाई) चढ़ने लगे तो आपने फिर चलना शुरू कर दिया यहाँ तक कि मर्वा तक पहुँच गये, फिर आप उस पर चढ़े यहाँ तक कि आपको बैतुल्लाह नज़र आने लगा तो आपने तीन दफ़ा ये पढ़ा: (ला इलाह इल्लल्लाहु ....) 'अल्लाह के सिवा कोई (सच्चा) माबूद नहीं। वह अकेला है। उसका कोई शरीक नहीं। बादशाही और तारीफ़ उसी को जैबा है और वह हर चीज़ पर ख़ूब क़ुदरत रखने वाला है।' फिर आप अल्लाह तआला का ज़िक्र फ़रमाते रहे और तस्बीह व तहमीद करते रहे, फिर जो अल्लाह तआला ने चाहा, दुआएँ फ़रमाईं। सब चक्करों में इसी तरह करते रहे यहाँ तक कि (सफ़ा मर्वा के) तवाफ़ से फ़ारिग़ हो गये।

(2977) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2964, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3967.

بَاب: (١٧٣) الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

बाब : (173) सफ़ा और मर्वा के दरम्यान सवारी पर चक्कर लगाना

أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ

(2978) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने हज्जतुल विदा में बैतुल्लाह और सफ़ा मर्वा के तवाफ़ अपनी ऊँटनी पर किये ताकि लोग आपको देख सकें और आप उनसे ऊँचे हों और वह आपसे सवाल कर सकें क्योंकि लोगों ने आपको घेर रखा था।

الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ إِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ .

(2978) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1273.

फ़ायदा : इससे मालूम हुआ कि ज़रूरत के पेशे नज़र तवाफ़ पैदल करने की बजाये सवारी पर किया जा सकता है जैसे बूढ़े और बीमार क़िस्म के अफ़राद। इसी तरह तालीमी मक़ासिद वग़ैरह के लिये सवारी इस्तेमाल की जा सकती है।

باب:(۱۷۴) الْمَشْيِ بَيْنَهُمَا

बाब : (174) सफ़ा और मर्वा के दरम्यान चलना

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ، قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ إِنْ أَمْشِي فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي وَإِنْ أَسْعَى فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْعَى .

(2979) हज़रत कसीर बिन जुम्हान बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) को सफ़ा और मर्वा के दरम्यान चलते देखा। (मैंने उनसे पूछा) तो उन्होंने फ़रमाया: अगर मैं चलता हूँ तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को चलते देखा है और अगर मैं दौड़ूँ तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को दौड़ते भी देखा है।

(2979) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1904, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3971, तिर्मिज़ी, हदीस: 764.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ وَأَنَا شَيْخٌ، كَبِيرٌ .

(2980) हज़रत सईद बिन जुबैर से रिवायत है कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) को देखा, फिर उन्होंने ऊपर दी गई रिवायत की तरह बयान किया मगर (आख़िर में) कहा कि हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) ने फ़रमाया: मैं बूढ़ा आदमी हूँ।

(2980) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3970, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : सफ़ा और मर्वा के दरम्यान नशेबी जगह में दौड़ना सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं। जो आदमी ताक़त न रखे या रश की बिना पर दौड़ना मुमकिन न हो तो कोई हर्ज नहीं। हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बूढ़े होने की

वजह से दौड़ने की ताक़त नहीं रखते थे, इसलिये वह दौड़ने की जगह चला करते थे। आज कल दौड़ने की जगह को सब्ज़ टीलों की मदद से वाज़ेह कर दिया गया है। इब्तेदा में दौड़ने की मख़्सूस वजह थी मगर बाद में इसे मुस्तक़िल्लन तवाफ़ का हिस्सा बना दिया गया।

बाब : (175) सफ़ा और मर्वा के दरम्यान रमल करना

باب:(١٧٥) الرَّمَلِ بَيْنَهُمَا

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَأَلُوا ابْنَ عُمَرَ هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ فَرَمَلُوا فَلاَ أُرَاهُمْ رَمَلُوا إِلاَّ بِرَمَلِهِ .

(2981) इमाम ज़ोहरी बयान करते हैं कि लोगों ने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से पूछा: क्या आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सफ़ा और मर्वा के दरम्यान रमल करते देखा है? तो उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) लोगों की एक जमाअत में थे और वह लोग रमल कर रहे थे। मेरा ख़्याल है वह आपके रमल करने की वजह ही से रमल कर रहे थे।

(2981) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3972.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिये इससे बाब वाला मसला साबित नहीं होता, अलबत्ता सिर्फ़ मीलैन अख़ज़रैन बतने वादी के दोनों किनारों पर लगे हुये सब्ज़ निशानात पर दौड़ना मस्नून है।

बाब : (176) सफ़ा व मर्वा के दरम्यान दौड़ना

باب:(١٧٦) السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِنَّمَا سَعَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ .

(2982) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) सफ़ा व मर्वा के दरम्यान इस लिये दौड़े थे कि मुश्रिकीन को अपनी क़ुव्वत दिखायें।

(2982) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1649, मुस्लिम, हदीस: 1266/241, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3973.

फ़ायदा : ये तफ़्सील तवाफ़ के बयान में गुज़र चुकी है कि इब्तेदा-ए-तवाफ़ व सई में भागना मुश्रिकीन

के सामने इज़्हारे कुव्वत के लिये था मगर बाद में अल्लाह तआला को मोमिनीन की ये अदा ऐसी पसन्द आई कि उसे मुस्तक़िल्लन तवाफ़ का हिस्सा बना दिया गया। यही वजह है कि नबी(ﷺ) ने हज्जतुल विदा में भी दौड़ कर चक्कर लगाये, हालांकि उस वक़्त कोई मुश्रिक मौजूद नहीं था, लिहाज़ा सफ़ा और मर्वा के दरम्यान नशेबी जगह में दौड़ना सुन्नत है लेकिन रह जाने की सूरत में क़ज़ा नहीं होगी।

बाब : (177) वादी के पेट में दौड़ना

باب:(١٧٧) السَّعْيِ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ، قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْعَى فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ وَيَقُولُ " لاَ يُقْطَعُ الْوَادِي إِلاَّ شَدًّا " .

(2983) एक सहाबिया (ؓ) बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को वादी के पेट में दौड़ते देखा है। आप फ़रमा रहे थे: 'इस वादी को ज़रूर दौड़ कर तै किया जाये।'

(2983) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2987, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3974.

फ़ायदा : वादी के पेट से मुराद सफ़ा और मर्वा के दरम्यान सब्ज़ रोशनियों के माबैन नशेबी जगह है, यानी दोनों पहाड़ों की चढ़ाई के दरम्यान वाली जगह। बारिश वग़ैरह की सूरत में उस जगह पानी बहता था, इसलिये इसे वादी या मसील कहा गया। आज कल इसे मीलैन अख़्ज़रैन कहा जाता है।

बाब : (178) चलने की जगह

باب:(١٧٨) مَوْضِعِ الْمَشْيِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا نَزَلَ مِنَ الصَّفَا مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ .

(2984) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सफ़ा से उतरते थे तो आराम से चलते थे यहाँ तक कि जब आपके क़दम वादी के पेट में नशेबी जगह पहुँचते तो आप दौड़ने लगते यहाँ तक कि वादी से निकल जाते।

(2984) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/388, मौता: 1/374, 375, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3975.

फ़ायदा : सफ़ा और मर्वा की चढ़ाई और उतराई आहिस्ता चल कर तै की जायेगी जबकि सब्ज़ रोशनियों के दरम्यान वाली नशेबी जगह दौड़ कर। यही मस्नून है।

बाब : (179) कंधे हिला कर तेज़ तेज़ चलने की जगह

باب:(١٧٩) مَوْضِعِ الرَّمَلِ

(2985) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़दम मुबारक वादी के पेट में नशेबी जगह में उतरते तो कंधे हिला कर तेज़ तेज़ चलते यहाँ तक कि वादी से निकल जाते।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ لَمَّا تَصَوَّبَتْ قَدَمَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَطْنِ الْوَادِي رَمَلَ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ .

(2985) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3976.

(2986) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कोहे सफ़ा से उतरे यहाँ तक कि जब आपके क़दम मुबारक वादी में उतरे तो आपने रमल किया, यहाँ तक कि जब चढ़ना शुरू हुये तो फिर चलने लगे।

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا جَابِرٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ - يَعْنِي - عَنِ الصَّفَا حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي الْوَادِي رَمَلَ حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى .

(2986) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3978.

फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस: 2984.

बाब : (180) कोहे मर्वा पर खड़े होने की जगह

باب:(١٨٠) مَوْضِعِ الْقِيَامِ عَلَى الْمَرْوَةِ

(2987) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मर्वा के पास आये और उस पर चढ़े यहाँ तक कि आपको बैतुल्लाह नज़र आने लगा तो आपने तीन दफ़ा ये दुआ पढ़ी: (ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु .....)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَتَى رَسُولُ

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ " . قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهَ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا شَاءَ اللَّهُ فَعَلَ هَذَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ .

'अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वह अकेला है। उसका कोई शरीक नहीं। बादशाही और तारीफ़ उसी को ज़ैबा है। और वह हर चीज़ पर ख़ूब क़ादिर है।' फिर आपने अल्लाह तआला का ज़िक्र फ़रमाया, तस्बीह व तह्मीद की और फिर जो अल्लाह ने चाहा आपने दुआ की। (फिर हर दफ़ा इसी तरह करते रहे) यहाँ तक कि (स़फ़ा व मर्वा के) तवाफ़ (सई) से फ़ारिग़ हो गये।

(2987) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2977.

फ़ायदा : कस्रते तामीरात की वजह से अब मर्वा से बैतुल्लाह का नज़र आना काफ़ी दुश्वार हो चुका है, लिहाज़ा मर्वा पर पहुँच कर बैतुल्लाह की तरफ़ चेहरा किया जाये और मज़्कूरा अज़्कार किये जायें। वल्लाहु आलम!

بَاب:(١٨١) التَّكْبِيرِ عَلَيْهَا

बाब : (181) मर्वा पर तकबीरें कहना

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى الصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهَا حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ ثُمَّ وَحَّدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ " . ثُمَّ مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَتْ قَدَمَاهُ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ

(2988) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कोहे स़फ़ा की तरफ़ गये। उस पर चढ़े यहाँ तक कि आपको बैतुल्लाह नज़र आने लगा, फिर आपने अल्लाह तआला की तौहीद व तकबीर बयान की और कहा: (ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक .....) 'अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वह अकेला है। उसका कोई शरीक नहीं। उसी के लिये बादशाही और तारीफ़ है। वह ज़िन्दगी और मौत देता है। और हर चीज़ पर ख़ूब क़ुदरत रखता है।' फिर आप वापस चले यहाँ तक कि जब आपके क़दम नशेब में पहुँचे तो आप दौड़ने लगे, यहाँ तक कि जब आपके क़दम चढ़ाई चढ़ने लगे,

فَفَعَلَ عَلَيْهَا كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى قَضَى طَوَافَهُ .

आप आहिस्ता चलने लगे यहाँ तक कि मर्वा पर पहुँचे, फिर उस पर भी आपने उसी तरह किया जिस तरह स़फ़ा पर किया था (फिर इसी तरह करते रहे) यहाँ तक कि आपने अपने चक्कर पूरे कर लिये।

(2988) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2975, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3979.

بَابٌ:(١٨٢) كَمْ طَوَافُ الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

बाब : (182) क़िरान और तमत्तोअ़ करने वाला स़फ़ा व मर्वा के कितने तवाफ़ करेगा?

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا .

(2989) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) और आपके साथियों ने स़फ़ा व मर्वा का सिर्फ़ एक दफ़ा तवाफ़ किया।

(2989) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1215, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3980.

फ़ायदा : यहाँ तवाफ़ से सई मुराद है। सिर्फ़ हज करने वाला मुत्तफ़क़ा तौर पर एक ही सई करेगा, चाहे तवाफ़े क़दूम के साथ करे या तवाफ़े ज़ियारत के साथ। तवाफ़े विदाअ़ में सई नहीं होती। तमत्तोअ़ करने वाले पर जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक उ़म्रे की अलग सई है और हज की अलग। गोया वह दो दफा सई करेगा। सिर्फ़ इमाम अहमद का एक मुख़्तलफ़ फ़ीह (इख़्तिलाफ़ी) क़ौल बयान किया गया है कि मुतमत्तेअ़ को भी एक सई ही काफ़ी है। लेकिन अहादीस़ की रोशनी में ये मौक़िफ़ मर्जूह है। अस़ल इख़्तिलाफ़ क़ारिन के बारे में है। अहनाफ़ के नज़दीक क़ारिन भी दो दफ़ा सई करेगा। एक दफ़ा उ़म्रे में और दूसरी दफ़ा हज में, मगर इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (رحمهم الله) क़ारिन के लिये एक सई ही काफ़ी समझते हैं जैसा कि मज़्कूरा हदीस़ से स़ाबित होता है और यही बात राजेह है। वल्लाहु आलम!

باب:(١٨٣) أَيْنَ يُقَصِّرُ الْمُعْتَمِرُ

बाब : (183) उम्रा करने वाला बाल कहाँ कटवाये?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ قَصَّرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِشْقَصٍ فِي عُمْرَةٍ عَلَى الْمَرْوَةِ .

(2990) हज़रत मुआविया (ﷺ) से मरवी है कि मैंने नबी (ﷺ) के उम्रे में आपके बाल मुबारक मर्वा पर एक तीर के साथ काटे थे।

(2990) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2738, मुस्लिम, हदीस: 1246/210, बुख़ारी, हदीस: 1730, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3981.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये वाक़िया जिअराना का हो सकता है क्योंकि ये उम्रा 8 हिजरी में फ़तहे मक्का के बाद हुआ। उस वक़्त हज़रत मुआविया (ﷺ) मुसलमान हो चुके थे। उम्रे का इख़्तिताम चूंकि मर्वा पर होता है, लिहाज़ा हजामत भी वहीं या उसके कुर्बो-जवार में बनवाई जायेगी अगरचे शरअन कोई जगह मुक़र्रर नहीं। (2) 'तीर के साथ' लम्बे बाल तीर के साथ काटे जा सकते हैं। बालों को किसी चीज़ पर रख कर ऊपर से तीर फेर दिया जाये। मौजूदा दौर में इसके लिये नित नये तरीक़े राइज हैं। ग़र्ज़ असल मक़सूद बालों का कतरवाना या मुण्डवाना है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصِ أَعْرَابِيٍّ .

(2991) हज़रत मुआविया (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाल मर्वा पर एक आराबी के तीर से काटे थे।

(2991) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2738, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3982, अबू दाऊद, हदीस: 1803.

باب:(١٨٤) كَيْفَ يُقَصِّرُ

बाब : (184) बाल कैसे काटे?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ،

(2992) हज़रत मुआविया (ﷺ) से मरवी है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) बैतुल्लाह और सफ़ा व मर्वा के तवाफ़ से फ़ारिग़ हुये तो मैंने आपके बालों के किनारे अपने एक तीर से काटे थे। और

عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ أَخَذْتُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِشْقَصٍ كَانَ مَعِي بَعْدَ مَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ . قَالَ قَيْسٌ وَالنَّاسُ يُنْكِرُونَ هَذَا عَلَى مُعَاوِيَةَ .

ये ज़ुल हिज्जा के पहले दहाके की बात है। रावी क़ैस ने कहा: उलमा हज़रत मुआविया (ﷺ) के इन अल्फ़ाज़ को दुरुस्त नहीं समझते।

(2992) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/92, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3983.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उलमा के इन्कार का ताल्लुक़ ज़ुल हिज्जा के पहले दहाके से है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज वाले उम्रे के अलावा तमाम उम्रे ज़ुलक़अदा में किये। हज़रत मुआविया(ﷺ) का आपकी हजामत बनाना उम्र-ए-जिअराना की बात हो सकती है जो बिल इत्तेफ़ाक़ ज़ुलक़अदा में हुआ। ज़ुल हिज्जा में तो आपने हज किया है और हज में आपने मिना में हजामत करवाई थी क्योंकि हज में हजामत के लिये मिना मुक़र्रर है, मर्वा नहीं। और ये भी मालूम है कि आपने हज में तक़सीर नहीं हलक़ करवाया था, इसलिये 'फ़ी अय्यामिल अश्र' का इज़ाफ़ा शाज़ है क्योंकि इन अल्फ़ाज़ को बयान करने में क़ैस बिन सअद मुतफ़र्रिक है। **(2)** मुहक़्क़िक़े किताब ने इस हदीस की सनद को सही कहा है जबकि फ़ी नफ़्सिही इस हदीस की सनद इन्क़िताअ की वजह से ज़ईफ़ है क्योंकि अता यहाँ मुआविया (ﷺ) से बयान कर रहे हैं जबकि मुआविया (ﷺ) से उनका सिमाअ साबित नहीं बल्कि उन्होंने इस रिवायत को इब्ने अब्बास (ﷺ) से सुना है और इब्ने अब्बास (ﷺ) ने उन्हें ये रिवायत मुआविया (ﷺ) से बयान की है जैसा कि मुसनद इमाम अहमद: (4/95) में इसकी सराहत है। और उसकी सनद मुत्तसिल और सही है, लिहाज़ा ये हदीस 'फ़ी अय्यामिल अश्र' के इज़ाफ़े के बग़ैर सही लिग़ैरिही है। शैख़ (हफ़िज़हुल्लाह) का इसकी सनद को सही कहना महल्ले नज़र है। वल्लाहु आलम! **(3)** 'अपने तीर से' असल में तीर किसी आराबी का था। जब उससे ले लिया तो वक़्ती तौर पर उनका बन गया, इसलिये अपना कहा।

باب:(١٨٥) مَا يَفْعَلُ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهْدَى

बाब : (185) जो शख़्स हज का एहराम बाँधे और क़ुर्बानी का जानवर साथ लाये, वह क्या करे?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ آدَمَ - عَنْ سُفْيَانَ، - وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ - قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ

(2993) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि हम (हज्जतुल विदा में) रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ (मक्का मुकर्रमा को) निकले। हम (में से

أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ - قَالَتْ - فَلَمَّا أَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ " مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحْلِلْ " .

अक्सर) सिर्फ़ हज की नियत रखते थे। जब आपने बैतुल्लाह और सफ़ा मर्वा के तवाफ़ कर लिये तो आपने फ़रमाया: 'जिस शख़्स के साथ क़ुर्बानी का जानवर है, वह अपने एहराम पर क़ाइम रहे और जिस शख़्स के साथ क़ुर्बानी का जानवर नहीं, वह हलाल हो जाये।'

(2993) तख़रीज: (सनद सही) देखें, हदीस: 2742, 291

फ़ायदा : पीछे तफ़्सील गुज़र चुकी है कि क़ुर्बानी वाला शख़्स क़ुर्बानी ज़बह करने से पहले हलाल नहीं हो सकता। जिसके पास जानवर न हो, वह अपने एहराम के हिसाब से हलाल होगा। हज का एहराम हो तो हज करने के बाद हलाल होगा। कुछ हज़रात के नज़दीक आपका ऐसे सहाबा को, उम्रा करके हलाल हो जाने का हुक्म सिर्फ़ उस साल के साथ ख़ास था ताकि हज के दिनों में उम्रे को नाजायज़ समझने की अमलन तर्दीद हो जाये लेकिन ये बात सही नहीं है, बल्कि ये हुक्म हमेशा के लिये है जैसा कि इससे मुताल्लिक़ा अहादीस से बिल्कुल वाज़ेह पता चलता है।

باب:(١٨٦) مَا يَفْعَلُ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى

बाब : (186) जो शख़्स उम्रे का एहराम बाँधे और क़ुर्बानी साथ ले जाये, वह क्या करे?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَهْدَى فَلاَ يَحِلَّ وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ

(2994) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज्जतुल विदा में निकले। हममें से कुछ ने हज का एहराम बाँधा और कुछ ने उम्रे का। कुछ क़ुर्बानी का जानवर भी साथ लाये थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने उम्रे का एहराम बाँधा और वह क़ुर्बानी नहीं लाया तो (उम्रा करने के बाद) वह हलाल हो जाये। और जिसने उम्रे का एहराम बाँधा और वह क़ुर्बानी भी साथ लाया है तो वह (क़ुर्बानी ज़बह होने से पहले) हलाल न हो। और जिस शख़्स ने हज का एहराम बाँधा है, वह

अपना हज मुकम्मल करे। हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने उम्रे का एहराम बाँधा था।

فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ " . قَالَتْ عَائِشَةُ وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ .

(2994) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2765.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज्जतुल विदा में सहाबा के एहराम और माबाद के हालात की तफ़्सीली बहस मुताल्लिक़ा अबवाब में गुज़र चुकी है। वहाँ मुलाहिज़ा करें। इस रिवायत में कुछ इख़्तेसार है। इसे समझने के लिये दूसरी गुज़िश्ता मशहूर रिवायात को देखा जायेगा। **(2)** 'हज मुकम्मल करे' ये उस वक़्त है जब वह क़ुर्बानी का जानवर साथ लाया हो। सहाब-ए-किराम (ﷺ) में से जिनके साथ क़ुर्बानी का जानवर नहीं था, ऐसे अश्ख़ास को आपने उम्रा करके हलाल होने का हुक्म दिया, ख़्वाह उनका एहराम हज ही का था। बहरहाल इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि अगर क़ुर्बानी का जानवर साथ हो तो जानवर के ज़बह होने से पहले हलाल नहीं हो सकता।

(2995) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (ﷺ) फ़रमाती हैं कि हम (हज्जतुल विदा में) रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज के लब्बैक कहते हुये (मक्का को) आये। जब हम मक्का मुकर्रमा के क़रीब हुये तो आपने फ़रमाया: 'जिस शख़्स के साथ क़ुर्बानी का जानवर नहीं, वह (उम्रा करके) हलाल हो जाये और जिस शख़्स के साथ क़ुर्बानी का जानवर है वह अपने एहराम पर क़ाइम रहे।' हज़रत अस्मा (ﷺ) ने कहा: (मेरे ख़ाविन्द) हज़रत ज़ुबैर (ﷺ) के साथ क़ुर्बानी का जानवर था, लिहाज़ा वह अपने एहराम पर क़ाइम रहे। मेरे साथ क़ुर्बानी का जानवर नहीं था, इसलिये मैं हलाल हो गई। और मैंने अपने आम कपड़े पहन लिये और ख़ुशबू भी लगाई, फिर मैं हज़रत ज़ुबैर(ﷺ) के क़रीब होकर बैठी तो वह कहने लगे: मुझसे दूर हो कर बैठो। मैंने (मज़ाक़ में) कहा: क्या आप को ख़तरा है कि मैं आप पर ज़बरदस्ती कूद पड़ूँगी?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ " . قَالَتْ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْىٌ فَأَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْىٌ فَأَحْلَلْتُ فَلَبِسْتُ ثِيَابِي وَتَطَيَّبْتُ مِنْ طِيبِي ثُمَّ جَلَسْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ اسْتَأْخِرِي عَنِّي . فَقُلْتُ أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ

(2995) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1236/192.

फ़ायदा : 'दूर होकर बैठो' क्योंकि एहराम के दौरान में सिर्फ़ जिमाअ ही हराम नहीं बल्कि मुक़द्दमाते जिमाअ, जैसे: शह्वत से हाथ लगाना और बोसा वग़ैरह लेना भी मना है। ख़ुशबू वग़ैरह की मौजूदगी में मैलान तबई चीज़ है, इसलिये दूर रहने का हुक्म दिया। (ﷺ).

बाब : (187) यौमे तरविया (आठ ज़ुल हिज्जा) से एक दिन क़ब्ल ख़ुत्बा

باب:(١٨٧) الْخُطْبَةِ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ

(2996) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जब उम्र-ए-जिअराना से वापस तशरीफ़ लाये तो आपने हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) को अमीरे हज बना कर भेजा। हम भी उनके साथ गये यहाँ तक कि जब आप अर्ज मक़ाम पर ठहरे हुये थे तो सुबह की इक़ामत कही गई। आप तकबीरे तहरीमा कहने के लिये सीधे हुये तो आपने अपने पीछे से ऊँट के बिलबिलाने की आवाज़ सुनी। आप तकबीर कहने से रुक गये और कहने लगे: ये रसूलुल्लाह (ﷺ) की ऊँटनी जदआ की आवाज़ है। शायद रसूलुल्लाह (ﷺ) का ख़याल भी हज का हो गया है और कहीं रसूलुल्लाह(ﷺ) तशरीफ़ ही न ले आये हों, (ऐसी सूरत में) हम आपके पीछे ही नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन (क़ाफ़िला आने पर पता चला कि) उस ऊँटनी पर हज़रत अली (رضي الله عنه) सवार थे। हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) ने पूछा: आप अमीर बन कर आये हैं या क़ासिद हैं? हज़रत अली (رضي الله عنه) ने कहा: नहीं बल्कि क़ासिद हूँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे ऐलाने बराअत के लिये भेजा है कि मैं वह आयात (सूर-ए-बराअत) हज (व उम्रा) के वक़ूफ़ की जगहों पर लोगों को पढ़ कर सुना दूँ, फिर हम मक्का आये, चुनांचे जब यौमे तरविया को एक दिन रह गया तो हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه)

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي قُرَّةَ مُوسَى بْنِ طَارِقٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَجَعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعِرَّانَةِ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى الْحَجِّ فَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْعَرْجِ ثَوَّبَ بِالصُّبْحِ ثُمَّ اسْتَوَى لِيُكَبِّرَ فَسَمِعَ الرُّغْوَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَوَقَفَ عَلَى التَّكْبِيرِ فَقَالَ هَذِهِ رُغْوَةُ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجَدْعَاءِ لَقَدْ بَدَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَجِّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُصَلِّيَ مَعَهُ فَإِذَا عَلِيٌّ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ أَمِيرٌ أَمْ رَسُولٌ قَالَ لاَ بَلْ رَسُولٌ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِبَرَاءَةَ أَقْرَؤُهَا

عَلَى النَّاسِ فِي مَوَاقِفِ الْحَجِّ . فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ قَامَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ رضى الله عنه فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ خَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَأَفَضْنَا فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ خَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ إِفَاضَتِهِمْ وَعَنْ نَحْرِهِمْ وَعَنْ مَنَاسِكِهِمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتَّى خَتَمَهَا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ الأَوَّلُ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ كَيْفَ يَنْفِرُونَ وَكَيْفَ يَرْمُونَ فَعَلَّمَهُمْ مَنَاسِكَهُمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ بَرَاءَةَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى خَتَمَهَا .
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ خُثَيْمٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُ هَذَا لِئَلاَّ يُجْعَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

खड़े हुये और लोगों से ख़िताब फ़रमाया। उन्हें हज के तरीक़े बतलाये यहाँ तक कि जब वह फ़ारिग़ हुये तो हज़रत अ़ली (ﷺ) खड़े हुये और लोगों के सामने बराअत वाली आयात आख़िर तक पढ़ीं, फिर हम हज़रत अबू बक्र (ﷺ) के साथ हज को चले यहाँ तक कि जब अ़रफ़ा (नो ज़ुल हिज्जा) का दिन हुआ तो हज़रत अबू बक्र(ﷺ) उठे और लोगों से ख़िताब फ़रमाया और लोगों को हज की इबादात के तरीक़े बतलाये यहाँ तक कि जब आप फ़ारिग़ हुये तो हज़रत अ़ली (ﷺ) उठे और लोगों के सामने बराअत वाली आयात आख़िर तक पढ़ीं, फिर क़ुर्बानियों वाला दिन (दस ज़ुल हिज्जा) हुआ तो हमने तवाफ़े इफ़ाज़ा किया। जब हज़रत अबू बक्र(ﷺ) (तवाफ़ से) वापस लौटे तो लोगों से ख़िताब फ़रमाया और उन्हें मुज़्दलिफ़ा से लौटने, क़ुर्बानियाँ करने और दूसरी इबादाते हज के तरीक़े बयान किये। जब वह फ़ारिग़ हुये तो हज़रत अ़ली(ﷺ) खड़े हुये और लोगों के सामने बराअत वाली आयात आख़िर तक पढ़ीं। जब मिना से वापसी का पहला दिन हुआ तो हज़रत अबू बक्र(ﷺ) खड़े हुये, लोगों से ख़िताब फ़रमाया और उन्हें बताया कि वह कैसे वापस जायेंगे और कैसे रमी करेंगे। इसी तरह उन्हें मनासिके हज की तालीम दी। जब वह फ़ारिग़ हुये तो हज़रत अ़ली (ﷺ) उठे और लोगों के सामने बराअत वाली आयात आख़िर तक पढ़ीं।

अबू अ़ब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) बयान करते हैं: अ़ब्दुल्लाह बिन उ़स्मान बिन ख़ुसैम इल्मे हदीस में क़वी नहीं। मैंने उनकी हदीस सिर्फ़ इसलिये बयान की है कि

وَمَا كَتَبْنَاهُ إِلاَّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ لَمْ يَتْرُكْ حَدِيثَ ابْنِ خُثَيْمٍ وَلاَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلاَّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ قَالَ ابْنُ خُثَيْمٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَكَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ خُلِقَ لِلْحَدِيثِ.

कहीं इब्ने जुरैज अन अबी अज़्ज़ुबैर की सनद को सही न समझ लिया जाये। मैंने ये हदीस़ (इब्ने ख़ुसैम के वास्ते वाली) सिर्फ़ इस्हाक़ बिन राहवे बिन इब्राहीम से लिखी है। वैसे यहया बिन सईद क़त्तान और अब्दुर्रहमान बिन महदी ने इब्ने ख़ुसैम की हदीस़ को सिरे से मतरुक क़रार नहीं दिया, अलबत्ता अली बिन मदीनी ने फ़रमाया है कि इब्ने ख़ुसैम की हदीस़ मुन्कर (ज़ईफ़) होती है। और इमाम अली बिन मदीनी का मर्तबा ये है कि गोया वह सिर्फ़ इल्मे हदीस़ ही के लिये पैदा हुये हैं।

(2996) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारमी: 1/66, 67, हदीस़: 192, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3984, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 2974.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुछ मुहद्दिसीन ने ये रिवायत इब्ने ख़ुसैम के वास्ते के बग़ैर बयान की है लेकिन इस सूरत में ये रिवायत मुन्क़तअ बनती है क्योंकि इब्ने जुरैज अबू अज़्ज़ुबैर का नाम लेकर ऐसी रिवायात बयान कर देते हैं जो उन्होंने उनसे नहीं सुनी होती थीं। इस बात पर तम्बीह करने के लिये इमाम नसाई (ﷺ) ने ये वास्ते वाली रिवायत बयान की है। वास्ते वाला रावी इब्ने ख़ुसैम मुतकल्लम फ़ीह है। इमाम अली बिन मदीनी जैसे अज़ीमुश्शान इमाम ने उनके ज़ईफ़ होने की सराहत फ़रमाई है, लेकिन कुछ मुहक़्क़िक़ीन ने उसे इब्ने ख़ुसैम की बजाये सिर्फ़ अबू ज़ुबैर के अनअना की वजह से ज़ईफ़ क़रार दिया है। बहरहाल ये रिवायत ज़ईफ़ है। वल्लाहु आलम! **(2)** 'अमीरे हज बना कर भेजा' ये उम्र-ए-जिअराना के फ़ौरन बाद की बात नहीं बल्कि अगले साल 9 हिजरी ज़ुलक़अदा की बात है। **(3)** 'अर्ज' मदीना और मक्का के दरम्यान एक बस्ती या पहाड़ का नाम है। **(4)** 'क़ासिद' हज़रत अली (ﷺ) को भेजने की वजह ये थी कि बराअत का ऐलान ऐसा अहम ऐलान था कि या तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ुद फ़रमाते या आप का कोई रिश्तेदार। **(5)** 'बराअत की आयात' उससे मुराद सूरतुत तौबा का इब्तेदाई रुकू है जिसमें मुश्रिकीन को ख़बरदार किया गया है कि अब अरब में तुम्हारा किरदार ख़त्म हो चुका है। चार माह बल्कि हुर्मत वाले महीनों के इख़्तिताम तक सोच समझ लो। मुसलमान हो जाओ या लड़ने के लिये तैयार हो जाओ या अरब ख़ाली कर दो। नतीजतन सब लोग मुसलमान हो गये और अरब शिर्क से ख़ाली हो गया। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़: 2960, 2961) **(6)** 'यौमे तरविया' ज़ुल हिज्जा की आठ तारीख़। यौमे तरविया से एक दिन क़ब्ल ख़ुत्बा हज का हिस्सा नहीं है। चूंकि ये पहला हज था, लोग नावाक़िफ़ थे, इसलिये बार बार ख़िताब की ज़रूरत पड़ी। हज का असल

ख़ुत्बा यौमे अरफ़ा ही में है। बाक़ी ज़रूरत पर मौक़ूफ़ हैं। (7) यौमे अरफ़ा से मुराद 9 तारीख़, यौमे नहर से 10 तारीख़ और वापसी के पहले दिन से मुराद 12 ज़ुल हिज्जा और वापसी के दूसरे दिन से मुराद 13 तारीख़ है। 11, 12, 13 को अय्यामे तशरीक़ कहते हैं।

बाब : (188) हज्जे तमत्तोअ करने वाला एहराम कब बाँधे?

باب:(۱۸۸) الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يُهِلُّ بِالْحَجِّ

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَحِلُّوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً " . فَضَاقَتْ بِذَلِكَ صُدُورُنَا وَكَبُرَ عَلَيْنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا فَلَوْلاَ الْهَدْىُ الَّذِي مَعِي لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي تَفْعَلُونَ " . فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلاَلُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ .

(2997) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ज़ुल हिज्जा की चार तारीख़ को (मक्का मुकर्रमा) पहुँचे तो नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हलाल हो जाओ और हज के एहराम को उम्रे में बदल लो।' हम इससे बहुत तंग दिल हुये और ये बात हम पर बहुत शाक़ गुज़री। ये बात नबी (ﷺ) को पहुँची तो आपने फ़रमाया: 'ऐ लोगो! हलाल हो जाओ, अगर मेरे साथ क़ुर्बानी का जानवर न होता तो मैं भी इसी तरह करता जिस तरह तुम करोगे।' हम हलाल हो गये यहाँ तक कि हमने औरतों से जिमाअ किया और हमने वह सब काम किये जो एक हलाल शख़्स करता है, यहाँ तक कि जब यौमे तरविया हुआ और हम मक्के से बाहर निकले तो हमने हज की लब्बैक पुकारी।

(2997) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3985.

फ़ायदा : तमत्तोअ करने वाला यौमे तरविया, यानी आठ ज़ुल हिज्जा को मक्का मुकर्रमा से एहराम बाँधेगा और मिना को रवाना हो जायेगा। आठ तारीख़ को यौमे तरविया इसलिये कहते हैं कि उस दिन लोग मिना को जाते वक़्त अपने ऊँटों को ख़ूब पानी पिला लेते थे ताकि आइन्दा पाँच दिनों में ऊँटों को पानी पिलाने की ज़रूरत न रहे। अरबी ज़बान में पानी पिलाकर सैर करने को तरविया कहते हैं।

बाब : (189) मिना की फ़ज़ीलत के बारे में क्या ज़िक्र किया गया है?

باب: (١٨٩) مَا ذُكِرَ فِي مِنًى

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عَدَلَ إِلَىَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا نَازِلٌ، تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَقُلْتُ أَنْزَلَنِي ظِلُّهَا . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى وَنَفَخَ - بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ - فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ السُّرَّبَةُ - وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ يُقَالُ لَهُ السُّرَرُ - بِهِ سَرْحَةٌ سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا " .

(2998) हज़रत इमरान अन्सारी से रिवायत है कि मैं मक्का मुकर्रमा के रास्ते में एक दरख़्त के नीचे उतरा हुआ था कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ؓ) रास्ते से हट कर मेरे पास आये और फ़रमाने लगे: इस दरख़्त के नीचे क्यूँ उतरे हो? मैंने कहा: साये की ख़ातिर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ؓ) फ़रमाने लगे कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तू मिना के दो पहाड़ों (अख़्शबैन) के दरम्यान हो, और आपने अपना हाथ मशरिक़ की तरफ़ बढ़ाया, तो वहाँ एक वादी है जिसे सुर्रबा .... या हारिस़ (बिन मिस्कीन) की हदीस़ के मुताबिक़, सुरर .... कहा जाता है, इस वादी में एक दरख़्त है जिसके नीचे सत्तर नबी पैदा हुये।'

(2998) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/138, मौता: 1/423, 424, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3986, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1029, मुसनद अबी लैला: 10/87, हदीस़: 5723, अत्तम्हीद: 13/1264.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, ताहम ये तो वाज़ेह है कि मिना भी एक मुतबर्रक मक़ाम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ कोई दरख़्त तलाश करके नमाज़ें पढ़ी जायें और उसे मरजओ ख़लाइक़ क़रार दिया जाये। क्या ये काफ़ी नहीं कि वहाँ हाजी लोग चार पाँच दिन ठहरते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तकबीरें पढ़ते हैं, क़ुर्बानियाँ करते हैं वग़ैरह? क्या ये सब कुछ ताज़ीम के लिये काफ़ी नहीं? क्या ज़रूरी है कि उनसे बढ़ कर ख़ुद साख़्ता ताज़ीम की जाये? ख़ुसूसन जब ये ख़तरा हो कि लोग इस दरख़्त को 'माबूद' की तरह समझने लगेंगे। इसी बिना पर हज़रत उमर (ؓ) ने बैते रिज़वान वाला दरख़्त कटवा दिया था, जब लोग जोक़ दर जोक़ वहाँ जाकर ख़ुसूसी नमाज़ें पढ़ने लगे थे। देखिये: (फ़तहुलबारी, हदीस़: 4165) ख़तरा था कि कहीं लोग इस दरख़्त को नफ़ा व नुक़सान का मालिक ही न समझना शुरू कर दें जैसा कि बहुत से 'तबर्रुकाते स़ालेहीन' के साथ होता है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، - ثِقَةٌ - قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الأَعْرَجُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِنًى فَفَتَحَ اللَّهُ أَسْمَاعَنَا حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ فَقَالَ بِحَصَى الْخَذْفِ وَأَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ أَنْ يَنْزِلُوا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ وَأَمَرَ الأَنْصَارَ أَنْ يَنْزِلُوا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ.

(2999) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन मुआज़ (ﷺ) बयान करते हैं कि हमसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मिना में ख़िताब फ़रमाया: अल्लाह तआला ने हमारे कान खोल दिये यहाँ तक कि हम आपका हर फ़रमान बख़ूबी सुन रहे थे, हालांकि हम अपने अपने ख़ैमों में थे। नबी (ﷺ) लोगों को मनासिके हज की तालीम दे रहे थे यहाँ तक कि रमी वाली कंकरियों की बात आई तो आपने फ़रमाया कि वह ख़ज़फ़ की कंकरियों जैसी छोटी हैं। आपने मुहाजिरीन को हुक्म दिया कि वह मस्जिदे (ख़ैफ़) की अगली जानिब उतरें और अन्सार को हुक्म दिया कि वह मस्जिद की पिछली जानिब उतरें।

(2999) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1957.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'कान खोल दिये' ये भी रसूलुल्लाह (ﷺ) का मोजिज़ा था कि आपकी आवाज़ पूरे मिना में सुनाई दे रही थी, हालांकि मिना कई मुरब्बअ मील है। **(2)** 'कंकरियों की बात आई' इस जुम्ले का दूसरा तर्जुमा ये होगा 'हत्ता कि आप जमरों के क़रीब पहुँचे और आपने ख़ज़फ़ वाली कंकरियों से जमरात को रमी किया' दोनों मानों की गुंजाइश है। **(3)** 'ख़ज़फ़ की कंकरियाँ' यानी छोटी छोटी जो किसी को लग भी जायें तो ज़ख़्म हो, न चोट आये। बच्चे ऐसी कंकरियों के साथ निशाना बाज़ी की मश्क़ किया करते थे। ये दो ऊँगलियों के दरम्यान पकड़ कर आसानी से फैंकी जा सकती थीं।

باب: (١٩٠) أَيْنَ يُصَلِّي الإِمَامُ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

बाब : (190) तरविये के दिन इमाम ज़ुहर की नमाज़ कहाँ पढ़े?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ

(3000) हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन रुफ़ैअ बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अनस (ﷺ) से पूछा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बताइये जो आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से समझी हो। मुझे बताइये कि

الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ، عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى . فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالأَبْطَحِ .

आपने तरविये के दिन ज़ुहर की नमाज़ कहाँ पढ़ी थी? उन्होंने फ़रमाया: मिना में। मैंने कहा: वापसी (13 ज़ुल हिज्जा) के दिन अस्र की नमाज़ कहाँ पढ़ी? फ़रमाया: अब्तह में।

(3000) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1309, बुख़ारी, हदीस: 1653, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3987.

फ़वाइद व मसाइल : (1) यौमे तरविया के दिन मिना में ज़ुहर की नमाज़ पढ़ना सुन्नत है लेकिन ये हज का फ़र्ज़ नहीं कि इसके रह जाने से कोई कफ़्फ़ारा लाज़िम आता हो। सुन्नत ये है कि यौमे तरविया की ज़ुहर से यौमे अरफ़ा की सुबह तक पाँच नमाज़ें मिना में पढ़ी जायें लेकिन अगर कोई शख़्स बराहे रास्त यौमे अरफ़ा (9 ज़ुल हिज्जा) मिना में ठहरे बग़ैर अरफ़ात पहुँच जाये तो कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा। **(2)** मिना से वापसी के मौक़े पर ज़ुहर, अस्र, मग़रिब और इशा की नमाज़ अब्तह (मक्का मुकर्रमा से क़रीब बाहर एक मैदान) में पढ़ना और वहाँ रात का कुछ हिस्सा गुज़ारना मुस्तहब है। इस अमल को तहसीब कहा जाता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाद ख़ुलफ़ा भी यहाँ पड़ाव करते रहे हैं और जिन सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) से इसकी नफ़ी मन्क़ूल है, तो उससे इसकी सुन्नियत या इस्तेहबाब की नफ़ी नहीं बल्कि इसके लुज़ूम व वजूब की नफ़ी मुराद है। ये मतलब नहीं कि इसके रह जाने से हज मुतास्सिर होता है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (फ़तहुलबारी: 3/591)

باب:(١٩١) الْغُدُوِّ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ

बाब : (191) मिना से अरफ़ात जाना

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ فَمِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ .

(3001) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मिना से अरफ़ात गये। कोई लब्बैक कहता था और कोई तकबीरें।

(3001) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3989, मुस्लिम, हदीस: 1284/272.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَرَفَاتٍ فَمِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ .

(3002) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ अरफ़ात गये। हममें से कोई लब्बैक कहता था और कोई तकबीरें कहता था।

(3002) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/3, 3990, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : मिना से 9 ज़ुल हिज्जा को तुलूअे शम्स के बाद अरफ़ात की तरफ़ कूच किया जाता है और ये मुत्तफ़क़ अलैहि मसला है। जाते हुये लब्बैक कहना भी जायज़ है और तकबीरें कहना भी, मगर असल लब्बैक है, यानी लब्बैक कसरत से कही जाये। दरम्यान में तकबीरें भी पढ़ते रहें। लब्बैक का सिलसिला यौमे नहर को जमर-ए-उक़्बा की रमी तक जारी रहेगा।

باب: (١٩٢) التَّكْبِيرِ فِي الْمَسِيرِ إِلَى عَرَفَةَ

बाब : (192) अरफ़ात जाते हुये तकबीरें कहना भी जायज़ है

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُلاَئِيُّ، - يَعْنِي أَبَا نُعَيْمٍ الْفَضْلَ بْنَ دُكَيْنٍ - قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي التَّلْبِيَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْيَوْمِ قَالَ كَانَ الْمُلَبِّي يُلَبِّي فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ .

(3003) हज़रत मुहम्मद बिन अबू बक्र सक़फ़ी से रिवायत है कि मैंने हज़रत अनस (ﷺ) से कहा जबकि हम मिना से अरफ़ात जा रहे थे: तुम इस दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ किस तरह लब्बैक कहते थे? तो उन्होंने कहा: लब्बैक कहने वाला लब्बैक कहता था, उस पर कोई ऐतराज़ नहीं किया जाता था। और तकबीरें कहने वाला तकबीरें कहता था, उस पर कोई ऐतराज़ नहीं किया जाता था।

(3003) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 970, मुस्लिम, हदीस: 1285, मौता: 1/337, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3991.

باب:(١٩٣) التَّلْبِيَةِ فِيهِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، - وَهُوَ الثَّقَفِيُّ - قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ غَدَاةَ عَرَفَةَ مَا تَقُولُ فِي التَّلْبِيَةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ قَالَ سِرْتُ هَذَا الْمَسِيرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ وَكَانَ مِنْهُمُ الْمُهِلُّ وَمِنْهُمُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكِرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ .

बाब : (193)
इस दौरान में लब्बैक कहना भी जायज़ है

(3004) हज़रत मुहम्मद बिन अबू बक्र सक़फ़ी बयान करते हैं कि मैंने अरफ़े के दिन की सुबह हज़रत अनस (ﷺ) से कहा: उस दिन लब्बैक कहने के बारे में आप क्या कहते हैं? वह फ़रमाने लगे: मैं उस दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके सहाबा के साथ चला। उनमें से कोई तकबीरें कहता था और कोई लब्बैक पढ़ता था, लेकिन कोई एक दूसरे पर ऐतराज़ नहीं करता था।

(3004) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3992.

باب:(١٩٤) مَا ذُكِرَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ قَالَ يَهُودِيٌّ لِعُمَرَ لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ لاَتَّخَذْنَاهُ عِيدًا { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } قَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي أُنْزِلَتْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَاتٍ .

बाब : (194)
यौमे अरफ़ा की फ़ज़ीलत के बारे में जो ज़िक्र किया गया है

(3005) हज़रत तारिक़ बिन शिहाब से रिवायत है कि एक यहूदी ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) से कहा: अगर ये आयत (अल यौम अक्मल्तु लकुम दीनकुम) हम यहूदियों पर उतरती तो हम उस दिन को ईद बना लेते। हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: मुझे इस दिन का बख़ूबी इल्म है जिस दिन ये आयत उतरी बल्कि उस रात का भी जिस रात ये उतरी। वह जुमे की रात थी और हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ अरफ़ात में थे।

(3005) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 3017/4, बुख़ारी, हदीस: 45.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत उ़मर (ﷺ) के फ़रमान का मतलब ये है कि हमारे लिये तो ये दिन पहले ही से ईद था बल्कि दो वजह से क्योंकि इस दिन जुमा भी था और हज भी। जुमा तो हर हफ़्ता की ईद है और यौमे अ़रफ़ा सालाना, यानी हम इस तारीख़ को भी ईद मनाते हैं (यानी 9 ज़ुल हिज्जा को) और उस दिन को भी, यानी जुम्अ़तुल मुबारक को, लिहाज़ा हमें अलग तौर पर इस आयत के नुज़ूल का जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी इस्लाम का मिज़ाज जश्न मनाने वाला नहीं बल्कि इबादत का है और वह पहले से ही है। (2) 'जुमे की रात' मुमकिन है आने वाली रात को क़ुर्ब की बिना पर जुमे की रात कह दिया हो वरना ये आयत तो जुमे के दिन उतरी है, हाँ रात क़रीब थी, इसलिये निस्बत कर दी। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَعْتِقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ وَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

(3006) हज़रत आ़यशा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'यौमे अ़रफ़ा से बढ़ कर कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह तआ़ला ज़्यादा ग़ुलाम लौण्डियाँ आग से आज़ाद करता हो। इस दिन अल्लाह तआ़ला मज़ीद क़रीब आ जाता है, फिर अपने उन बन्दों (हुज्जाजे किराम) की बिना पर फ़रिश्तों के सामने फ़ख़्र करता है और फ़रमाता है: मेरे ये बन्दे क्या चाहते हैं?

अबू अ़ब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) बयान करते हैं कि बहुत मुमकिन है कि (सनद में इब्ने अल मुसय्यब के शागिर्द) यूनुस से मुराद यूनुस बिन यूसुफ़ हों जिनसे इमाम मालिक (رحمه الله) रिवायत करते हैं। वल्लाहु तआ़ला आ़लम!

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 1348.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ग़ुलाम लौण्डियाँ' मुराद आ़म मर्द व औ़रत हैं क्योंकि सब इन्सान अल्लाह तआ़ला के लिये ग़ुलाम लौण्डियाँ ही हैं। (2) 'आग से आज़ाद' यानी जिनके लिये गुनाहों की वजह से आग मुक़द्दर थी, अल्लाह तआ़ला उनके लिये माफ़ी फ़रमाता है। नतीजतन वह क़यामत के दिन आग से बच जायेंगे। चूंकि माफ़ी यौमे अ़रफ़ा को होती है, इसलिये आज़ादी की निस्बत उसकी तरफ़ कर दी वरना अस़ल आज़ादी तो क़यामत के दिन होगी। मुमकिन है फ़ौत शुदगान को भी अल्लाह तआ़ला उस दिन अ़ज़ाबे क़ब्र से माफ़ी और आज़ादी अ़ता फ़रमाता हो। (3) 'मज़ीद क़रीब' अल्लाह

तआला अपने अफ़आल व सिफ़ात में मुख़्तार है, लिहाज़ा अल्लाह तआला के क़रीब आने में कोई इश्काल नहीं जैसे उसकी शान को लायक़ है। कुछ हज़रात ने चन्द मज़्ऊमा और बे बुनियाद उसूलों की बिना पर अल्लाह तआला को इतना मजबूर व बेबस (मआज़ अल्लाह) बना रखा है कि वह अल्लाह तआला के लिये कुछ भी करने को ममनूअ समझते हैं। हमारा अल्लाह, गुनाहगारों का रब और बेबसों का रब, सब मख़्लूक़ का रब इतना बेबस और मजबूर नहीं हो सकता कि न वह किसी पर तरस खा सके, न किसी से सरगोशी कर सके, न कलाम कर सके, न ख़ुश हो सके, न क़रीब आ सके और न अर्श पर फ़रोकश हो सके, लिहाज़ा तावीलात की कोई ज़रूरत नहीं, हाँ जब अल्लाह तआला क़रीब होगा तो रहमते इलाही ख़्वाहमख़्वाह क़रीब होगी। इसका इन्कार नहीं।

बाब : (195) अरफ़े के दिन (अरफ़ा में) रोज़ा रखने की मुमानिअत

باب:(١٩٥) النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

(3007) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'यौमे अरफ़ा (9 ज़ुल हिज्जा) हम मुसलमानों के लिये ईद के दिन हैं और ये खाने पीने के दिन हैं।

أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، - وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ - قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَىٍّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ "

(3007) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 2419, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3995, तिर्मिज़ी, हदीस़: 773, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 958, वल हाकिम: 1/343.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन दिनों में से यौमे अरफ़ा तो सिर्फ़ हाजियों के लिये ईद है क्योंकि वह उस दिन इकट्ठे हो कर इबादाते हज अदा करते हैं। बाक़ी मुसलमान उस दिन कुछ नहीं करते, लिहाज़ा ये उनके लिये ईद नहीं। वह उस दिन रोज़ा रख सकते हैं बल्कि मुस्तहब और अफ़ज़ल है, अलबत्ता हाजी लोग इस दिन अरफ़े में रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि ये उनकी ईद है, और इस दिन मुश्किल काम ख़ूद करने पड़ते हैं। मिना से अरफ़ात को जाना और वहाँ मौसम की शिद्दत और इज्तेमा की मशक़्क़त बरदाश्त करना दिल गुर्दे का काम है, उस दिन रोज़ा रखने से उन्हें तंगी पेश आने का ग़ालिब इम्कान है, लिहाज़ा उनके लिये रोज़ा रखना मना है। दूसरे लोग अपने घरों में होते हैं। वह उस दिन रोज़ा रख सकते हैं। ये उनके लिये ख़ुसूसी सवाब का काम होगा। बाद वाले दिन, यानी यौमे नहर और अय्यामे तशरीक़ सब मुसलमानों के लिये ईद हैं क्योंकि सब लोग क़ुर्बानियाँ ज़बह करते हैं और इन दिनों में अल्लाह की

ज़ियाफ़त से मुतमत्तेअ होते हैं। ये चार दिन और ईदुल फ़ित्र का दिन तमाम अहले इस्लाम के लिये खाने पीने के दिन हैं, लिहाज़ा इन तमाम अय्याम में रोज़ा रखना तमाम मुसलमानों के लिये हर जगह ममनूअ है। (2) अय्यामे तशरीक़ की वजहे तस्मिया ये है कि इन दिनों लोग क़ुर्बानी का गोश्त बारीक बनाकर धूप में सुखाते थे ताकि ख़राब न हो और बाद में काम आ सके। गोश्त को बारीक करके धूप में सुखाना अरबी ज़बान में 'तशरीक़' कहलाता है।

बाब : (196) अरफ़े के दिन ज़वाल के फ़ौरन बाद जल्दी अरफ़ात पहुँचना

باب:(١٩٦) الرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ أَخْبَرَنِي أَشْهَبُ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَأْمُرُهُ أَنْ لاَ، يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي أَمْرِ الْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَهُ ابْنُ عُمَرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَأَنَا مَعَهُ فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِهِ أَيْنَ هَذَا فَخَرَجَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ . فَقَالَ لَهُ هَذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ . فَقَالَ أُفِيضُ عَلَىَّ مَاءً ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَيْكَ . فَانْتَظَرَهُ حَتَّى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ .

(3008) हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि ख़लीफ़ा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने (अमीरे हज) हज्जाज बिन यूसुफ़ को लिखा और हुक्म दिया कि हज के मसाइल में हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) की मुख़ालिफ़त न करे। जब अरफ़े का दिन हुआ तो सूरज ढलने के वक़्त हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) हज्जाज की तरफ़ आये। मैं भी आपके साथ था। आपने उसके ख़ैमे के पास आकर बलन्द आवाज़ से कहा: किधर है वह? हज्जाज बाहर निकला। उसने एक ज़र्द रंग में रंगी हुई चादर औढ़ी हुई थी। कहने लगा: ऐ अबू अब्दुर्रहमान! क्या बात है? आपने फ़रमाया: अगर तू सुन्नत पर अमल करना चाहता है तो (ख़ुत्बे और नमाज़ के लिये) चल। उसने कहा: इस वक़्त? आपने फ़रमाया: हाँ। उसने कहा: मैं ज़रा जिस्म पर पानी डाल लूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। आप उसका इन्तज़ार करने लगे यहाँ तक कि वह निकला और मेरे और मेरे वालिद (हज़रत इब्ने उमर (ﷺ)) के दरम्यान चलने लगा। मैंने कहा: अगर तुम सुन्नत पर अमल करना चाहते हो तो ख़ुत्बा मुख़्तसर करना और वक़ूफ़ जल्दी शुरू

فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ كَيْمَا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ صَدَقَ .

कर देना। वह हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) की तरफ़ देखने लगा ताकि उनसे भी उसकी तस्दीक़ सुन ले। जब हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) ने ये देखा तो फ़रमाया: उसने दुरुस्त कहा है।

(3008) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1660, मौता: 1/399, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3998.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये उस साल की बात है जिस साल हज्जाज ने हज़रत इब्ने ज़ुबैर (ﷺ) को शहीद करके मक्के पर क़ब्ज़ा किया था। हज के दिन क़रीब थे, लिहाज़ा ख़लीफ़-ए-वक़्त अब्दुल मलिक ने उसी को अमीरे हज बना दिया लेकिन मसाइले हज में उसे हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) का पाबन्द कर दिया। और ये चीज़ उसे नागवार गुज़री। अब्दुल मलिक बहुत आलिम शख़्स था मगर हुकूमत ने उसके इल्म को दबा लिया। हज्जाज अब्दुल मलिक का गवर्नर था मगर सख़्त ज़ालिम और सालेहीन का बे अदब और गुस्ताख़। वह भी बड़ा आलिम था, मगर इन ख़राबियों ने उसे क़यामत तक के लिये मुसलमानों और सालेहीन में बद नाम और मबग़ूज़ बना दिया। अआज़नल्लाहु मिन्हा! **(2)** 'इस वक़्त?' बनू उमैया के उस दौर के गवर्नर ज़ुहर की नमाज़ उमूमन ताख़ीर से पढ़ते थे, इसलिये उसे ताज्जुब हुआ कि ज़वाल के साथ ही ख़ुत्बा और नमाज़ शुरू कर दिये जायें। **(3)** 'अबू अब्दुर्रहमान' ये हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) की मशहूर कुनियत थी। अरबों में मोहतरम शख़्स को उसकी कुनियत से पुकारा जाता था। **(4)** ख़ुत्बे का मुख़्तसर होना अक़्लमन्दी है मगर ये मतलब नहीं कि नमाज़ से मुख़्तसर हो बल्कि आम ख़ुत्बों से मुख़्तसर होना मुराद है क्योंकि ख़ुत्बे और नमाज़ के बाद अरफ़े में वक़ूफ़ शुरू होता है जिसमें मग़रिब तक अज़्कार, दुआएँ और इस्तेग़फ़ार होते हैं, लिहाज़ा ख़ुत्बा मुख़्तसर होने से वक़ूफ़ जल्दी शुरू होगा जो कि मुस्तहब है। **(5)** हाकिमे वक़्त दीन के मामले में अहले इल्म की राय पर अमल करेगा। **(6)** शागिर्द उस्ताद की मौजूदगी में फ़तवा दे सकता है। **(7)** फ़ाजिर हाकिम के पीछे नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है।

باب:(١٩٧) التَّلْبِيَةِ بِعَرَفَةَ

बाब : (197) अरफ़ात में लब्बैक कहना

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ

(3009) हज़रत सईद बिन ज़ुबैर बयान करते हैं कि मैं हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) के साथ अरफ़ात में था। वह फ़रमाने लगे: क्या वजह है कि मैं लोगों को लब्बैक पुकारते नहीं सुनता? मैंने

الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَا لِي لاَ أَسْمَعُ النَّاسَ يُلَبُّونَ قُلْتُ يَخَافُونَ مِنْ مُعَاوِيَةَ . فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ فُسْطَاطِهِ فَقَالَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَرَكُوا السُّنَّةَ مِنْ بُغْضِ عَلِيٍّ.

कहाः वह हज़रत मुआविया (ﷺ) से डरते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) अपने ख़ेमे से निकले और बलन्द आवाज़ से पुकाराः लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक. ताज्जुब है कि उन्होंने हज़रत अली (ﷺ) से बुग़्ज़ रखने की वजह से रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत छोड़ दी है।

(3009) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 3993.

फ़ायदा : मालूम होता है कि अरफ़ात में लब्बैक कहने में इख़्तिलाफ़ हो गया था। हज़रत अली (ﷺ) क़ाइल थे। उनके सियासी मुख़ालिफ़ीन ने दीनी मसाइल में भी उनकी मुख़ालिफ़त शुरू कर दी, हालांकि सियासी मुख़ालिफ़त का असर मज़हब और मस्लक पर नहीं पड़ना चाहिए। ख़ैर! लब्बैक रमी तक वक़्फ़े वक़्फ़े से कहते रहना चाहिए। अरफ़ात हो या मुज़्दलिफ़ा। ये जुम्हूर का मस्लक है। कुछ फ़ुक़हा, जैसेः हसन बसरी के नज़दीक यौमे अरफ़ा की सुबह के बाद लब्बैक नहीं कहना चाहिए। और कुछ के नज़दीक वक़ूफ़ शुरू होने के बाद लब्बैक ख़त्म कर दिया जाये। मस्लके जुम्हूर की ताईद सही अहादीस से होती है, लिहाज़ा वही दुरुस्त है, बाक़ी सब अक़वाल क़यासी हैं।

بَاب:(١٩٨) الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ

बाब : (198). अरफ़ात में ख़ुत्बा नमाज़ से पहले होना चाहिए

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ .

(3010) हज़रत नुबैत (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को अरफ़ात में नमाज़ से पहले एक सुर्ख़ ऊँट पर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते देखा।

(3010) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीसः 1916, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 4000, अबी दाऊद, हदीसः 1917 वग़ैरह.

फ़ायदा : ये रिवायत शवाहिद की बिना पर सही है और मसला मुत्तफ़क़ अलैहि है कि ख़ुत्बा पहले होगा, फिर ज़ुहर और अस्र की नमाज़ें जमा करके पढ़ी जायेंगी।

बाब : (199) अरफ़ात के दिन ख़ुत्बा ऊँटनी पर दिया जा सकता है

باب:(١٩٩) الْخُطْبَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى النَّاقَةِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ .

(3011) हज़रत नुबैत (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को अरफ़े के दिन सुर्ख़ ऊँट पर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते देखा।

(3011) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3999.

फ़ायदा : मजमअ ज़्यादा हो तो आवाज़ सब तक पहुँचाने के लिये किसी ऊँची चीज़ पर चढ़ कर ख़ुत्बा देना ज़रूरत है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जतुल विदा तक़रीबन पूरे का पूरा ऊँट पर सवार होकर सरअंजाम दिया था ताकि लोग आपको देख कर मनासिके हज सीख सकें। ख़ुत्बे में तो बदर्ज-ए औला ऊँट पर सवार होने की ज़रूरत है।

बाब : (200) अरफ़ात में ख़ुत्बा मुख़्तसर होना चाहिए

باب:(٢٠٠) قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، جَاءَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ . فَقَالَ هَذِهِ السَّاعَةَ قَالَ نَعَمْ . قَالَ سَالِمٌ فَقُلْتُ لِلْحَجَّاجِ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ الْيَوْمَ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الصَّلاَةَ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ .

(3012) हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) अरफ़े के दिन, ज्यूँ ही सूरज ढला, हज्जाज बिन यूसुफ़ के पास आये। मैं भी उनके साथ था। वह फ़रमाने लगे: अगर तू सुन्नत पर अमल करना चाहता है तो अभी (ख़ुत्बे और नमाज़ के लिये) चल। वह कहने लगा: इस वक़्त? उन्होंने फ़रमाया: हाँ। हज़रत सालिम ने कहा: मैंने हज्जाज से कहा: अगर तू आज सुन्नत पर अमल करना चाहता है तो ख़ुत्बा मुख़्तसर करना और नमाज़ जल्द शुरू करना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर(ﷺ) ने (बतौरे तस्दीक़) फ़रमाया: उसने दुरुस्त कहा।

(3012) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3008, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4003.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, रिवायत नम्बर: 3008.

बाब : (201) अरफ़ात में ज़ुहर और अस्र को जमा करके पढ़ना

باب:(٢٠١) الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ

(3013) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हर नमाज़ उसके वक़्त पर पढ़ते थे मगर मुज़्दलिफ़ा और अरफ़ात में (जमा करते थे)

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا إِلاَّ بِجَمْعٍ وَعَرَفَاتٍ

(3013) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 609, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4005.

फ़ायदा : इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि अरफ़ात में ज़ुहर और अस्र की नमाज़ें जमा करके ज़ुहर के वक़्त पढ़ी जायेंगी। इसी तरह रात को मग़रिब और इशा की नमाज़ें जमा करके मुज़्दलिफ़ा में इशा के वक़्त पढ़ी जायेंगी। अस्र को ज़ुहर के साथ पढ़ने का मक़सद वक़ूफ़ में सहूलत होगा क्योंकि वक़ूफ़ के दरम्यान लोगों को दोबारा वुज़ू और जमाअत वग़ैरह की तकलीफ़ देना तंगी का बाइस होता, और वक़ूफ़ भी सुकून से न हो सकता। वैसे भी ये सफ़र की हालत है। सफ़र में दो नमाज़ें मिला कर पढ़ना जायज़ है।

बाब : (202) अरफ़ात में हाथ उठाकर दुआ माँगना

باب:(٢٠٢) رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ

(3014) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं (दौराने वक़ूफ़) अरफ़ात में नबी(ﷺ) के पीछे सवार था। आप हाथ उठा कर दुआ करने लगे। इतने में आपकी ऊँटनी एक तरफ़ को मुड़ी तो महार आपके हाथ से गिर पड़ी। आपने एक हाथ से महार पकड़ ली और दूसरा हाथ (दुआ के लिये) उठाये रखा।

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الأُخْرَى

(3014) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/209, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4007, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2824, देखें, हदीस: 2917, 2918 वग़ैरहुम.

(3015) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं: कुरैश मुज़्दलिफ़ा में ठहर जाते थे। वह अपने आप को हुम्स कहते थे। और बाक़ी अरब अरफ़ात में वक़ूफ़ करते थे। अल्लाह तआला ने अपने नबी(ﷺ) को हुक्म दिया कि आप अरफ़े में ठहरें, फिर वहाँ से वापस लौटें। तब अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी: (सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न्नासु) 'तुम भी वहाँ से लौटा करो जहाँ से दूसरे लोग लौटते हैं।'

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْشٌ تَقِفُ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ وَسَائِرُ الْعَرَبِ تَقِفُ بِعَرَفَةَ فَأَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ ثُمَّ يَدْفَعُ مِنْهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ } .

(3015) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4520, मुस्लिम, हदीस: 1219, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4013.

फ़ायदा : कुरैश अपने आपको बाक़ी अरब से मुमताज़ समझते थे क्योंकि वह काबे के मुतवल्ली थे। काबे को हुम्सा भी कहा जाता था, इसलिये वह अपने आपको इस मुनासिबत से हुम्स कहते थे, यानी हम काबे वाले हैं, लिहाज़ा हम हज के दौरान में हरम से बाहर नहीं जायेंगे। अरफ़ात हरम से बाहर वाक़ेअ है और मुज़्दलिफ़ा हरम के अन्दर, इसलिये वह मुज़्दलिफ़ा ही में ठहर जाते थे। बाक़ी हाजी अरफ़ात जाते और वहाँ से वक़ूफ़ के बाद वापस लौटते। इस्लाम आया तो उसने मसावात का हुक्म दिया कि हज में सब बराबर हैं।

(3016) हज़रत जुबैर बिन मुतइम (ﷺ) से रिवायत है, कि मेरा एक ऊँट गुम हो गया। मैं उसे तलाश करने के लिये अरफ़ा पहुँच गया। ये अरफ़े का दिन था। मैंने नबी (ﷺ) को वहाँ वक़ूफ़ करते देखा। मैंने (दिल में) कहा: आप का यहाँ क्या काम? आप तो हुम्स में से हैं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ بِعَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَاقِفًا فَقُلْتُ مَا شَأْنُ هَذَا إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْحُمْسِ .

(3016) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1664, मुस्लिम, हदीस: 1220, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4009.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उन्होंने इसी रस्मे जाहिलियत की बिना पर ये बात कही जिसका ज़िक्र

साबिक़ा हदीस़ में हुआ। उन्हें नये हुक्म का इल्म नहीं होगा। (2) याद रहे इन दो हदीसों और आइन्दा अहादीस़ का मज़्कूरा बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं, अलबत्ता इनसे अ़रफ़ात में वक़ूफ़ का वजूब स़ाबित होता है। मालूम होता है ये अहादीस़ अलग बाब के तहत थीं जो लिखने से रह गया।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ شَيْبَانَ، قَالَ كُنَّا وُقُوفًا بِعَرَفَةَ مَكَانًا بَعِيدًا مِنَ الْمَوْقِفِ فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْكُمْ يَقُولُ " كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ " .

(3017) हज़रत यज़ीद बिन शैबान बयान करते हैं कि हम अ़रफ़ात में रसूलुल्लाह (ﷺ) की जाये वक़ूफ़ से बहुत दूर ठहरे हुये थे। हमारे पास हज़रत इब्ने मिर्बअ़ अन्स़ारी (رضي الله عنه) आये और फ़रमाया: मैं तुम्हारी तरफ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) का क़ास़िद हूँ। आप फ़रमा रहे हैं कि अपनी अपनी जगहों पर ठहरे रहो। तुम अपने जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम(عليه السلام) की विरास़त पर क़ाइम हो।

(3017) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 883, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 4010, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 2818, वल हाकिम: 1/462.

फ़ायदा : अ़रफ़ात सारे का सारा वक़ूफ़ की जगह है। अगरचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जबले रहमत के क़रीब वक़ूफ़ फ़रमाया था लेकिन हर शख़्स़ तो उस जगह वक़ूफ़ नहीं कर सकता, लिहाज़ा जहाँ किसी को जगह मिले वहीं ठहर जाये, स़वाब में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा।

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ " .

(3018) हज़रत मुहम्मद बाक़िर (رحمه الله) बयान करते हैं कि हम हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह(رضي الله عنه) के पास गये और उनसे नबी(ﷺ) के हज के बारे में पूछा तो उन्होंने बयान किया कि अल्लाह तआ़ला के नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अ़रफ़ात सारे का सारा वक़ूफ़ की जगह है।'

(3018) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2713, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 4008.

फ़ायदा : वादि-ए-अरना मुस्तसना है। हदीस़ में इसकी स़राहत है। ख़ुत्बा और ज़ुहर व अस़्र की नमाज़ें वादि-ए-नमरा में होती हैं जो कि अरफ़ात से बाहर है, फिर वक़ूफ़ अरफ़ात में शुरू होता है।

बाब : (203) अरफ़ात में वक़ूफ़ फ़र्ज़ है

باب:(٢٠٣) فَرْضِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

(3019) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन यअ़मर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर था कि आपके पास कुछ लोग आये और आपसे हज के बारे में सवालात किये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हज वक़ूफ़े अरफ़ा का नाम है। जो शख़्स मुज़्दलिफ़ा में गुज़ारी जाने वाली रात की सुबह तुलूअ होने से पहले अरफ़ात (से होकर मुज़्दलिफ़ा) आ जाये उसका हज पूरा हो गया।'

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ نَاسٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ " .

(3019) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 3015, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 2822, वल हाकिम: 1/278, 463, 464, हदीस़: 3047, अबू दाऊद, हदीस़: 1949, तिर्मिज़ी, हदीस़: 889, 890.

फ़ायदा : वक़ूफ़े अरफ़ात हज का रुक्ने आज़म है। अगर कोई मजबूर शख़्स सीधा मीक़ात से अरफ़ात पहुँच जाये, ख़्वाह अरफ़ा के दिन या उससे अगली रात या तुलूअे फ़ज्र से क़ब्ल या तुलूअे फ़ज्र के वक़्त और चन्द लम्हों का वक़ूफ़ कर ले तो उसका हज हो जाता है, लेकिन अगर उससे भी लेट हो जाये तो उसका हज नहीं होगा। फ़र्ज़ हो तो दोबारा करना होगा वरना माफ़ है। ऊपर दी गई तफ़्स़ील से मालूम हुआ कि दरअस़ल वक़ूफ़े अरफ़ात ही हज है, बाक़ी तो सुनन व वाजिबात हैं जो आम हालात में तो तर्क नहीं की जा सकतीं मगर मजबूर व माज़ूर के लिये कुछ गुंजाइश है। वक़ूफ़ की क़ज़ा वक़्त के बाद नहीं हो सकती जबकि दीगर सुनने हज की क़ज़ा वक़्त के बाद भी हो सकती है।

(3020) हज़रत फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अरफ़ात से वापस लौटे तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) आपके पीछे सवारी पर बैठे थे। आप दोनों हाथ उठाये

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَاتٍ وَرِدْفُهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَجَالَتْ بِهِ النَّاقَةُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ لاَ تُجَاوِزَانِ رَأْسَهُ فَمَا زَالَ يَسِيرُ عَلَى هِينَتِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى جَمْعٍ .

दुआ फ़रमा रहे थे कि आपकी ऊँटनी बिदक गई। आपके हाथ मुबारक आपके सर से ऊँचे नहीं होते थे। आप उसी हालत में चलते रहे यहाँ तक कि मुज़्दलिफ़ा पहुँच गये।

(3020) तख़रीज : (सनद सही) अत्तबरानी फ़िल कबीर: 18/276, हदीस: 698, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2825.

फ़ायदा : हज का सारा सफ़र सुकून से होना चाहिए, न किसी को पुकारा जाये न रास्ता माँगा जाये और न जानवर को तेज़ किया जाये, बल्कि जानवर को मारना भी मना है। दौराने सफ़र दुआ और ज़िक्र व अज़्कार पर तवज्जा देनी चाहिए।

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ وَأَنَا رَدِيفُهُ فَجَعَلَ يَكْبَحُ رَاحِلَتَهُ حَتَّى أَنَّ ذِفْرَاهَا لَيَكَادُ يُصِيبُ قَادِمَةَ الرَّحْلِ وَهُوَ يَقُولُ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ فِي إِيضَاعِ الإِبِلِ " .

(3021) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अरफ़े से वापस लौटे तो मैं आपके पीछे सवारी पर बैठा था। आपने अपनी सवारी की महार खींच रखी थी यहाँ तक कि उसके कान की (जड़ और) हड्डी पालान की अगली लकड़ी को लग रही थी। आप फ़रमा रहे थे: 'ऐ लोगो! इत्मिनान और वक़ार इख़्तियार करो, ऊँटों को तेज़ भगाने से नेकी हासिल नहीं होती।'

(3021) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/201, 207, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4014, मुस्लिम, हदीस: 1286, बुख़ारी, हदीस: 1543.

फ़ायदा : आपने सवारी की महार इसलिये खींच रखी थी कि सवारी तेज़ न चले और लोगों को तकलीफ़ न हो। मजमअ में जानवर भगाना संजीदगी और वक़ार के ख़िलाफ़ है, अलबत्ता खुली जगह हो और मुज़ाहमत न हो तो सवारी को तेज़ चलाया जा सकता है।

बाब : (204) अरफ़ात से वापसी के वक़्त सुकून व इत्मिनान इख़्तियार करने का हुक्म

باب:(٢٠٤) الأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ فِي الإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ

(3022)-हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) अरफ़ात से वापस लौट रहे थे तो आपने अपनी ऊँटनी की महार खींच रखी थी, यहाँ तक कि उसका सर पालान की दरम्यानी लकड़ी को लगता था। आप लोगों से फ़रमा रहे थे: 'सुकून इख़्तियार करो सुकून!' ये अरफ़े के दिन शाम की बात है।

(3022) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4015.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، - يَعْنِي ابْنَ أُمَيَّةَ - عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ لَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَنَقَ نَاقَتَهُ حَتَّى أَنَّ رَأْسَهَا لَيَمَسُّ وَاسِطَةَ رَحْلِهِ وَهُوَ يَقُولُ لِلنَّاسِ " السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ " . عَشِيَّةَ عَرَفَةَ .

(3023) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (ﷺ) से, जो कि आपके पीछे सवारी पर बैठे थे, रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब (अरफ़ा से मुज़्दलिफ़ा की तरफ़) लौटे तो अरफ़े की शाम और मुज़्दलिफ़ा की सुबह लोगों को फ़रमाते रहे: 'सुकून व वक़ार इख़्तियार करो।' ख़ुद आपने अपनी ऊँटनी की महार खींच रखी थी यहाँ तक कि जब आप वादि-ए-मुहस्सिर में दाख़िल हुये जो कि मिना का हिस्सा है तो आपने फ़रमाया: 'रमी के लिये ख़ज़फ़ की कंकरियों जैसी (छोटी छोटी) कंकरियाँ उठाना।' रसूलुल्लाह (ﷺ) मुसल्सल लब्बैक कहते रहे यहाँ तक कि आपने जम्र-ए-अक़्बा को रमी करना शुरू कर दिया।

(3023) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम हदीस: 1282.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَ، رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا " عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ " . وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ مِنًى قَالَ " عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ " . فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ .

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ .

(3024) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वापसी का सफ़र किया तो इत्मिनान व सुकून से चलते रहे और लोगों को सुकून व इत्मिनान से चलने का हुक्म दिया, अलबत्ता वादि-ए-मुहस्सिर में अपनी सवारी को तेज़ कर लिया और लोगों को हुक्म दिया कि वह जम्र-ए-अक़्बा (और दूसरे जमरात) को ख़ज़्फ़ की कंकरियों जैसी कंकरियों से रमी करें।

(3024) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 1944, इब्ने माजा, हदीस: 3023, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4016, अबू नुऐम, हदीस: 2055, सहीह मुस्लिम: 1299.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ कहा है और मज़ीद लिखा है कि सहीह मुस्लिम की रिवायत इससे किफ़ायत करती है, यानी मज़्कूरा रिवायत मुहक़्क़िक़े किताब के नज़दीक भी क़ाबिले अमल है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने ग़ालिबन इस वजह से इसे सही कहा है। इस बिना पर मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद दीगर शवाहिद और मुताबिआत की वजह से क़ाबिले अमल है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (अलमौसूआ अलहदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 22/418, 419, व सहीह सुनन अबी दाऊद (मुफ़स्सल) लिल अल्बानी: 6/189, 190) **(2)** वादि-ए-मुहस्सिर मुज़्दलिफ़ा और मिना के दरम्यान है। ये वह वादी है जहाँ अब्रहा का लश्कर तबाह व बर्बाद हुआ था। गोया ये अल्लाह तआला के अज़ाब की जगह है, इसीलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) इस वादी से तेज़ी से गुज़रे। हर अज़ाब वाली जगह से इसी तरह गुज़रने का हुक्म है, और रोते हुये या रोनी सूरत बनाये हुये ख़ामोशी से गुज़रना चाहिए। कंकरियों के सिलसिले में देखिये, हदीस नम्बर: 2999.

أَخْبَرَنِي أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ مِنْ

(3025) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) अरफ़ात से वापस चले तो फ़रमाते थे: 'ऐ अल्लाह के बन्दो! सुकून व इत्मिनान इख़्तियार करो।' आप अपने हाथ से इस तरह इशारा फ़रमा रहे थे। और (रावि-ए-हदीस)

عَرَفَةَ وَجَعَلَ يَقُولُ " السَّكِينَةَ عِبَادَ اللَّهِ " . يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ أَيُّوبُ بِبَاطِنِ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ .

अय्यूब ने अपनी हथेली से आसमान की तरफ़ इशारा किया।

(3025) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/355, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4017.

بَاب:(٢٠٥) كَيْفَ السَّيْرُ مِنْ عَرَفَةَ

बाब : (205) अरफ़ात से वापसी के वक़्त चाल कैसी होनी चाहिए?

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسِيرِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ .

(3026) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) से हज्जतुल विदा में नबी (ﷺ) (की सवारी) की चाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फ़रमाया: दरम्यानी चाल चलते थे। जब ख़ाली जगह पाते तो सवारी को मज़ीद तेज़ फ़रमा देते।

(3026) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4413, मुस्लिम, हदीस: 1286/283, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4019.

بَاب:(٢٠٦) النُّزُولِ بَعْدَ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ

बाब : (206) अरफ़ात से वापसी पर उतरना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّعْبِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَتُصَلِّي الْمَغْرِبَ قَالَ " الْمُصَلَّى أَمَامَكَ " .

(3027) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जब अरफ़ात से वापस लौटे तो (रास्ते में) एक घाटी की तरफ़ हो लिये। मैंने अर्ज़ किया: (अल्लाह के रसूल!) मग़रिब की नमाज़ पढ़ेंगे? फ़रमाया: '(नहीं) नमाज़ की जगह तो आगे (मुज़्दलिफ़ा में) है।'

(3027) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1280/279, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 139, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4021.

फ़ायदा : आप पेशाब के लिये उतरे थे। बाब का मक़सद भी यही है कि किसी ज़रूरत के लिये रास्ते में ठहरा जा सकता है वरना नमाज़ें तो मुज़्दलिफ़ा ही में होंगी।

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ الشِّعْبَ الَّذِي يَنْزِلُهُ الأُمَرَاءُ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلاَةَ . قَالَ " الصَّلاَةُ أَمَامَكَ " . فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ لَمْ يَحُلَّ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى صَلَّى .

(3028) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (अरफ़ात से वापसी के दौरान में) उस घाटी में उतरे थे जहाँ (आज कल) उमरा व हुक्काम उतरते हैं। आपने पेशाब किया, फिर हल्का वुज़ू किया। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ पढ़ेंगे? फ़रमाया: (नहीं) नमाज़ तो आगे (मुज़्दलिफ़ा में) जाकर पढ़ेंगे।' जब हम मुज़्दलिफ़ा में आये तो अभी सब लोगों ने ऊँटों से सामान नहीं उतारे थे कि आपने मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई।

(3028) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4020.

फ़वाइद व मसाइल : (1) घाटी में उतरना कोई सुन्नत नहीं, न सहाबा उतरे थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) का उतरना ज़रूरत के लिये था। **(2)** 'नमाज़ पढ़ेंगे?' ये मआनी भी हो सकते हैं: 'ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ पढ़ लें' या 'ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ का वक़्त हो गया है।' **(3)** 'सामान नहीं उतारे थे' ये मआनी भी हो सकते हैं कि अभी सब लोग मुज़्दलिफ़ा में नहीं पहुँचे थे कि आपने नमाज़ पढ़ा दी, मगर पहले मआनी ज़्यादा सही हैं और दूसरी अहादीस से ज़्यादा मुताबिक़त रखते हैं। ग़ौर फ़रमायें।

باب:(٢٠٧) الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

बाब : (207) मुज़्दलिफ़ा में दो नमाज़ें जमा करके पढ़ना

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ .

(3029) हज़रत अबू अय्यूब (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मग़रिब और इशा को मुज़्दलिफ़ा में जमा करके पढ़ा था।

(3029) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 606, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4024.

फ़ायदा : ये मसला भी मुत्तफ़क़ा है कि मग़रिब की नमाज़ अरफ़ात या रास्ते में नहीं पढ़ी जायेगी बल्कि

मुज़्दलिफ़ा में पढ़ी जायेगी, ख़्वाह रात निस्फ़ हो जाये, अलबत्ता अरफ़ात से वापसी सूरज गुरूब होने के बाद होगी।

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ .

(3030) हज़रत इब्ने मसऊद (ؓ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने मग़रिब और इशा की नमाज़ें मुज़्दलिफ़ा में जमा करके पढ़ी थीं।

(3030) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 609.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلاَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا .

(3031) हज़रत सालिम के वालिद (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ؓ)) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मग़रिब और ईशा की नमाज़ें मुज़्दलिफ़ा में एक इक़ामत के साथ पढ़ी थीं। उनके दरम्यान या उनके बाद आपने कोई नवाफ़िल अदा नहीं किये।

(3031) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 661.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** 'एक इक़ामत के साथ' अहनाफ़ ने इसी को इख़्तियार किया है बशर्ते कि इशा की नमाज़ मग़रिब से मुत्तसिल पढ़ ली जाये और अगर फ़ासिला हो जाये तो इशा के लिये अलग इक़ामत कही जाये, अलबत्ता अरफ़ात में ज़ुहर व अस्र दो इक़ामत से पढ़ी जायेंगी क्योंकि अस्र अपने वक़्त से पहले पढ़ी जा रही है। लेकिन अहनाफ़ का ये मौक़िफ़ सही नहीं, इसलिये कि यही रिवायत सहीह बुख़ारी (हदीस नम्बर 1673) में भी है, वहाँ दोनों नमाज़ों के लिये अलग अलग इक़ामत की तसरीह मौजूद है और मुहद्दिसे कबीर शैख़ अल्बानी (ؒ) ने इन्हीं अल्फ़ाज़ को 'महफ़ूज़' क़रार दिया है, इसलिये राजेह और सही मौक़िफ़ यही है कि दो नमाज़ों को जमा करने की सूरत में इक़ामत अलग अलग ही कही जायेगी। जुम्हूर अहले इल्म का मस्लक भी यही है, अलबत्ता अज़ान एक ही होगी। **(2)** 'नवाफ़िल अदा नहीं किये' दो नमाज़ें जमा करके पढ़ने की सूरत में नवाफ़िल नहीं पढ़े जायेंगे, ख़्वाह हज में इकट्ठी पढ़ी जायें या आम सफ़र में या (मजबूरन) घर में। ये मुत्तफ़क़ा उसूल है। न दरम्यान में, न आख़िर में, यानी न पहली नमाज़ के बाद न दूसरी के बाद। जमा तक़्दीम की सूरत हो, जैसे अरफ़ात में थी या जमा ताख़ीर की, जैसे मुज़्दलिफ़ा में थी।

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ‏.‏ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ كَذَلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏.‏

(3032) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मग़रिब और इशा की नमाज़ों को जमा किया। उनके दरम्यान कोई नवाफ़िल नहीं पढ़े। मग़रिब की तीन रकआत पढ़ीं और इशा की दो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) भी इसी तरह जमा करते थे यहाँ तक कि अल्लाह (ﷻ) से जा मिले।

(3032) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1288.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ‏.‏

(3033) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मगरिब और इशा को मुज़्दलिफ़ा में एक इक़ामत के साथ जमा किया।

(3033) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 482, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4027.

फ़ायदा : हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) की यही रिवायत सहीह बुख़ारी में 'हर नमाज़ के लिये अलग अलग इक़ामत' के अल्फ़ाज़ के साथ है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1673) और यही महफ़ूज़ है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّ كُرَيْبًا، قَالَ سَأَلْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ - وَكَانَ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشِيَّةَ عَرَفَةَ - فَقُلْتُ كَيْفَ فَعَلْتُمْ قَالَ أَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى بَلَغْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَنَاخَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ فَأَنَاخُوا

(3034) हज़रत कुरैब से मन्क़ूल है कि मैंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) से पूछा क्योंकि वह अरफ़े की शाम (वापसी के वक़्त) रसूलुल्लाह(ﷺ) के पीछे सवारी पर बैठे थे, मैंने कहा: तुमने कैसे किया? उन्होंने फ़रमाया: हम चलते आये यहाँ तक मुज़्दलिफ़ा पहुँच गये। आप उतरे और मग़रिब की नमाज़ पढ़ी, फिर आपने लोगों को पैग़ाम भेजा तो उन्होंने अपने ऊँटों को अपनी क़यामगाहों में बिठाया, लेकिन उन्होंने

فِي مَنَازِلِهِمْ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ فَنَزَلُوا فَلَمَّا أَصْبَحْنَا انْطَلَقْتُ عَلَى رِجْلِي فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ وَرَدِفَهُ الْفَضْلُ .

सामान नहीं उतारा यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इशा की नमाज़ पढ़ाई, फिर लोगों ने अपना सामान वग़ैरह उतारा और अपनी क़यामगाहों में ठहरे। जब सुबह हुई तो मैं क़ुरैश के जल्द जाने वालों में पैदल चल पड़ा। और हज़रत फ़ज़्ल (ﷺ) आपके पीछे सवारी पर बैठ गये।

(3034) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1280/278, 279.

باب:(٢٠٨) تَقْدِيمِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَى مَنَازِلِهِمْ بِمُزْدَلِفَةَ

बाब : (208) मुज़्दलिफ़ा से औरतों और बच्चों को सुबह से पहले ही उनकी मिना वाली क़यामगाहों में भेज देना

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ، قَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ.

(3035) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं उन लोगों में शामिल था जिन्हें नबी (ﷺ) ने मुज़्दलिफ़ा की रात अपने कमज़ोरों (यानी औरतों, बच्चों, बूढ़ों, मरीज़ों वग़ैरह) के साथ पहले भेजा था।

(3035) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1678, मुस्लिम, हदीस: 1293, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4035.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ .

(3036) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं उन लोगों में शामिल था जिन्हें नबी (ﷺ) ने मुज़्दलिफ़ा की रात अपने कमज़ोरों, यानी औरतों और बच्चों में पहले ही भेज दिया था।

(3036) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1293/302, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 4036, 2051.

फ़वाइद व मसाइल : (1) साहिबे ज़ख़ीरतुल उक़्बा लिखते हैं कि अक्सर नुस्ख़ों में तर्जुमा ऐसे ही है लेकिन ये दुरुस्त नहीं, सही तर्जुमतुल बाब ये है: (तक़्दीमुन्निसाइ वस्सिब्यानि इला मिना मिनल

मुज़्दलिफ़ा) इमाम नसाई (رحمه الله) की सुनने कुब्रा में इस तरह है। इसका मफ़हूम दर्ज ज़ेल है: 'मुज़्दलिफ़ा से मिना की तरफ़ औरतों और बच्चों को रवाना कर देना।' मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (शरह नसाई लिल अतयूबी: 25/391) **(2)** मुज़्दलिफ़ा से मिना को रवानगी सुबह की नमाज़ की अदायगी के बाद कुछ ज़िक्र अज़्कार करके सूरज तुलूअ होने से कुछ क़ब्ल होनी चाहिए मगर ज़ईफ़ औरतें और बच्चे चूंकि रश में तकलीफ़ महसूस करेंगे, इसलिये उन्हें तुलूअे फ़ज्र से पहले आधी रात के बाद किसी वक़्त भी भेजा जा सकता है मगर वह रमी सूरज तुलूअ होने के बाद ही करेंगे, अलबत्ता बाक़ी लोगों से पहले कर लेंगे। **(3)** दीन के मामलात में हर एक को उसकी बिसात के मुताबिक़ मुकल्लफ़ ठहराया गया है। दीनी आमाल से मक़सूद लोगों को मशक़्क़त व तकलीफ़ में मुब्तला करना नहीं बल्कि इताअत व फ़रमांबरदारी है। और वह हर कोई अपनी ताक़त के मुताबिक़ बजा लायेगा। शरीयत ने माज़ूरीन के उज़्रो का लिहाज़ रखा है। ये शरीयते मुहम्मदिया का इम्तियाज़ है। वल्हम्दुलिल्लाह!

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَعَفَّانُ، وَسُلَيْمَانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُشَاشٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ ضَعَفَةَ بَنِي هَاشِمٍ أَنْ يَنْفِرُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ .

(3037) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने बनी हाशिम के कमज़ोरों (औरतों और बच्चों) को हुक्म दिया था कि वह मुज़्दलिफ़ा से रात ही को चल पड़ें।

(3037) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/212, अबू यअ्ला, हदीस़: 6734.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا أَنْ تُغَلِّسَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى .

(3038) हज़रत उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) ने बताया कि नबी (ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं रात के अंधेरे में मुज़्दलिफ़ा से मिना को चली जाऊँ।

(3038) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 1292, देखें, हदीस़: 3035.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ كُنَّا نُغَلِّسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى .

(3039) हज़रत उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) से मरवी है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में रात के अंधेरे में मुज़्दलिफ़ा से मिना को चले जाया करते थे।

(3039) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें.

बाब : (209) औरतों को इजाज़त है कि वह मुज़्दलिफ़ा से तुलूअे फ़ज्र से पहले चल पड़ें

باب:(۲۰۹) الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ الصُّبْحِ

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنَّمَا أَذِنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسَوْدَةَ فِي الإِفَاضَةِ قَبْلَ الصُّبْحِ مِنْ جَمْعٍ لأَنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً .

(3040) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि नबी (ﷺ) ने हज़रत सौदा (ﷺ) को मुज़्दलिफ़ा से फ़ज्र तुलूअ होने से क़ब्ल चल पड़ने की इजाज़त इसलिये दी थी कि वह भारी जिस्म वाली सुस्त रफ़्तार औरत थीं।

(3040) तख़रीज : **(सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 1680, देखें, हदीस: 2052, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4032.

फ़ायदा : हज़रत सौदा (ﷺ) वह पहली मुअज़्ज़ज़ ख़ातून थीं जिनसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी पहली ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत ख़दीजा (ﷺ) की वफ़ात के बाद निकाह किया। वह लम्बे क़द काठ की औरत थीं लेकिन हज्जतुल विदा के मौक़े पर वह किब्रे सिन्नी (बड़ी उम्र) की वजह से बोझल हो चुकी थीं और तेज़ न चल सकती थीं, इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें चन्द दीगर ख़्वातीन और बच्चों के साथ मुज़्दलिफ़ा से जल्दी चल पड़ने की इजाज़त दे दी थी ताकि वह बरवक़्त पहुँच सकें, अलबत्ता उन्हें ये ताकीद फ़रमा दी थी कि तुलूअे शम्स से पहले रमी न करें। इस क़िस्म के ज़ईफ़ हज़रात के लिये ये रुख़्सत अब भी बरक़रार है।

बाब : (210) मुज़्दलिफ़ा में सुबह की नमाज़ किस वक़्त पढ़ी जाये?

باب:(۲۱۰) الْوَقْتِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلاَةً قَطُّ إِلاَّ لِمِيقَاتِهَا إِلاَّ صَلاَةَ

(3041) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने कभी रसूलुल्लाह (ﷺ) को बेवक़्त नमाज़ पढ़ते नहीं देखा मगर मग़रिब व इशा की नमाज़ें जो आपने मुज़्दलिफ़ा में (बहुत रात गये) पढ़ीं और उस रात फ़ज्र की नमाज़ भी आपने वक़्त (मुअ़्ताद) से पहले पढ़ी।

الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ صَلاتُهُمَا بِجَمْعٍ وَصَلاةَ الْفَجْرِ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا .

(3041) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 609.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) की ये नफ़ी आम हालात के ऐतबार से है वरना हर शख़्स जानता है कि सफ़र में नमाज़ों का जमा करना आपसे सही अहादीस से क़तअन साबित है। इसी तरह हज में अरफ़ा के दिन अस्र को ज़ुहर के साथ पढ़ना भी मुत्तफ़क़ा मसला है। ये भी हो सकता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने ये अल्फ़ाज़ किसी मख़्सूस पसे मन्ज़र में इरशाद फ़रमाये हों जिसकी तअईन मुश्किल है, मगर ये कि दो नमाज़ों से मुराद यौमे अरफ़ा की अस्र और मग़रिब हों और बेवक़्त पढ़ने का मतलब ये हो कि उन्हें हुक्मन मुक़द्दम या मुअख़्ख़र पढ़ना लाज़िम कर दिया गया हो क्योंकि यौमे अरफ़ा की अस्र को ज़ुहर के वक़्त में ज़ुहर के साथ मिलाकर पढ़ना लाज़िम है और मग़रिब को अपने वक़्त से मुअख़्ख़र करके इशा के साथ पढ़ना लाज़िम है, जबकि सफ़र वग़ैरह में दो नमाज़ों को जमा करके पढ़ने की रुख़सत है, लाज़िम नहीं। **(2)** 'सुबह की नमाज़' इससे ज़ाहिर अल्फ़ाज़ मुराद नहीं क्योंकि किसी के नज़दीक भी मुज़्दलिफ़ा में सुबह की नमाज़ तुलूअे फ़ज्र से पहले अदा करना जायज़ नहीं, इसलिये तर्जुमे में लफ़्ज़ 'मुअताद' का इज़ाफ़ा किया गया है, यानी उमूमन रसूलुल्लाह (ﷺ) तुलूअे फ़ज्र और नमाज़े सुबह की अदायगी में कुछ वक़्फ़ा फ़रमाते थे ताकि लोग जमा हो जायें। मुज़्दलिफ़ा में लोग पहले से मौजूद और तैयार थे, लिहाज़ा ज्यूँ ही फ़ज्र तुलूअ हूई, आपने कोई वक़्फ़ा या फ़ासिला किये बग़ैर फ़ौरन नमाज़ पढ़ाई ताकि बाद में ज़िक्र और वक़ूफ़ के लिये ज़्यादा वक़्त मिल सके। साबिक़ा मामूल की निस्बत ये नमाज़ बहुत जल्द अदा की गई थी, इसलिये मुबालिग़े के तौर पर उस वक़्त से पहले कहा गया। **(3)** कुछ अहनाफ़ ने इस रिवायत से इस्तेदलाल किया है कि नमाज़ सुबह इस्फ़ार में पढ़नी चाहिए क्योंकि मुज़्दलिफ़ा में आपने नमाज़े सुबह ग़लस में पढ़ी थी। और बक़ौल इब्ने मसऊद (ﷺ) बाक़ी दिनों में उस वक़्त न पढ़ते थे। गोया इस्फ़ार में पढ़ते थे। ये बात दुरुस्त नहीं। इस रिवायत की सही तौजीह ऊपर बयान हो गई है। बाक़ी रहा रसूलुल्लाह (ﷺ) का उमूमन सुबह की नमाज़ ग़लस (अंधेरे) में पढ़ना तो ये बहुत सी सही रिवायात से क़तअन साबित है। क्या सरीह अल्फ़ाज़ के मुक़ाबले में इस क़िस्म की मुब्हम रिवायत बल्कि इसके मफ़हूम से इस्तेदलाल दुरुस्त हो सकता है? हाँ इस्फ़ार (रोशनी) में नमाज़ मना नहीं मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) ग़लस ही में पढ़ा करते थे, लिहाज़ा यही अफ़ज़ल है। (तफ़्सीली बहस किताबुल मुवाक़ीत के इब्तेदाईये में मुलाहिज़ा फ़रमाइये)

बाब : (211)
जो शख़्स मुज़्दलिफ़ा में सुबह की नमाज़ इमाम के साथ न पा सके?

باب:(۲۱۱) فِيمَنْ لَمْ يُدْرِكْ صَلاَةَ الصُّبْحِ مَعَ الإِمَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَدَاوُدَ، وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاقِفًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ " مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلاَتَنَا هَذِهِ هَا هُنَا ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ " .

(3042) हज़रत उर्वा बिन मुज़र्रिस (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को मुज़्दलिफ़ा में वक़ूफ़ फ़रमाते (ठहरे) देखा। आपने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने ये नमाज़ (नमाज़े फ़ज्र) इस जगह हमारे साथ पढ़ी, फिर हमारे साथ ठहरा रहा और वह इससे क़ब्ल दिन या रात किसी वक़्त अरफ़ात में वक़ूफ़ कर चुका हो तो उसका हज पूरा हो गया।'

(3042) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 891, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 4/256, हदीस: 2821, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 1010, वल हाकिम: 1/463.

फ़वाइद व मसाइल : (1) फ़ज्र की नमाज़ की अदायगी के बाद जबले क़ज़ह के क़रीब जाकर या मुज़्दलिफ़ा में किसी भी जगह ज़िक्र अज़्कार करना वक़ूफ़ कहलाता है। ये वक़ूफ़ सूरज तुलूअ होने से कुछ पहले तक जारी रहेगा। सूरज तुलूअ होने से क़ब्ल ही मिना की तरफ़ चल पड़ना मस्नून है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1684) **(2)** रिवायत के अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि जो शख़्स अरफ़ात से वापसी में इतना लेट हो जाये कि मुज़्दलिफ़ा में इमामे हज के साथ शरीक न हो सके, उसका हज नहीं होगा। अलबत्ता जो शख़्स अरफ़ात में वक़ूफ़ कर चुका हो और वह सुबह से पहले मुज़्दलिफ़ा आ गया हो मगर नींद वग़ैरह की वजह से नमाज़ और वक़ूफ़ से लेट हो गया हो, उसका हज पूरा हो जायेगा। गोया सुबह की नमाज़ मुज़्दलिफ़ा में पढ़ना ज़रूरी है, जमाअत के साथ हो या अलग। याद रहे! सही क़ौल के मुताबिक़ सुबह की नमाज़ मुज़्दलिफ़ा में अदा करना हज के अरकान में से एक रूक्न है जिसके फ़ौत होने से हज नहीं होता। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (अलमौसूआ अल्फ़िक़्हिया अल्मुयस्सरा, लिहुसैन अल अूदा 4/391)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ

(3043) हज़रत उर्वा बिन मुज़र्रिस (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस

عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا مَعَ الإِمَامِ وَالنَّاسِ حَتَّى يُفِيضَ مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ النَّاسِ وَالإِمَامِ فَلَمْ يُدْرِكْ".

शख़्स ने इमाम और लोगों के साथ मुज़्दलिफ़ा का वक़ूफ़ पा लिया और फिर वह मिना को गया तो उसने हज पा लिया (बशर्ते कि वह उससे पहले अरफ़ात से हो आया हो) और जिस शख़्स ने लोगों और इमाम के साथ ये वक़ूफ़ न पाया (यानी इतना लेट हो गया) तो उसका हज नहीं हुआ।'

(3043) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِجَمْعٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَقْبَلْتُ مِنْ جَبَلَىْ طَيِّئٍ لَمْ أَدَعْ حَبْلاً إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلاَةَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ " .

(3044) हज़रत उर्वा बिन मुज़र्रिस (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं नबी (ﷺ) के पास मुज़्दलिफ़ा आया। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं बनू तै के दो पहाड़ों से आया हूँ। मैंने किसी टीले या पहाड़ को नहीं छोड़ा मगर उस पर वक़ूफ़ किया है तो क्या मेरा हज हो गया? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने ये नमाज़ (फ़ज्र की) हमारे साथ पढ़ी जबकि वह इससे पहले रात या दिन के किसी हिस्से में अरफ़ात में वक़ूफ़ कर चुका हो तो उसका हज पूरा हो गया और उसने अपना मैल कुचेल दूर कर लिया।'

(3044) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें.

फ़वाइद व मसाइल : (1) शायद हज़रत उर्वा बिन मुज़र्रिस (ﷺ) को बरवक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) के ऐलाने हज का पता न चला हो, बाद में पता चला तो चल पड़े। चूंकि ताख़ीर हो चुकी थी, लिहाज़ा सीधे अरफ़ात आये और वहाँ से मुज़्दलिफ़ा पहुँचे। (2) 'किसी टीले या पहाड़' यानी जिसके बारे में गुमान था कि यहाँ ठहरना भी हज का हिस्सा है क्योंकि हज पहले से अरबों में मारूफ़ था और वह हज किया करते थे। और वक़ूफ़े अरफ़ात मुत्तफ़क़ अलैहि मसला था, वरना ये मतलब नहीं कि बनू तै के इलाक़े से शुरू होकर मुज़्दलिफ़ा तक वह हर पहाड़ पर वक़ूफ़ करते आये थे। ये तो (अमलन) नामुमकिन बात है। (3) अगर कोई शख़्स मुज़्दलिफ़ा में रात को न आ सके और वक़ूफ़ न कर सके तो कुछ उलमा के नज़दीक उसका हज नहीं होगा। लेकिन दुरुस्त ये है कि मुज़्दलिफ़ा में वक़ूफ़, वजूब की हैसियत रखता

है, जैसा कि कुछ मुहक़्क़िक़ीन का मौक़िफ़ है। और इधर कम अज़ कम नमाज़े फ़ज्र अदा करना शर्त की हैसियत जैसा कि उर्वा बिन मुज़र्रिस की दूसरी सरीह हदीस से साबित होता है। इसमें वक़ूफ़े अरफ़ात और फिर मुज़्दलिफ़ा में नमाज़े फ़ज्र पाने के साथ इत्मामे हज को मुक़य्यद किया गया है जो नमाज़े फ़ज्र की मुज़्दलिफ़ा में रुक्नियत की दलील है। जुम्हूर के नज़दीक वक़ूफ़ वाजिब है लेकिन दम से इसकी तलाफ़ी हो जायेगी, मगर हदीस के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ इसके ख़िलाफ़ हैं। जुम्हूर का ख़्याल है कि यहाँ नफ़ी जिन्स की नहीं बल्कि कमाल की है। लेकिन बिला दलील इस नफ़ी को कमाल पर महमूल करना उसूल के ख़िलाफ़ है। वल्लाहु आलम! (4) 'मैल कुचेल दूर कर लिया' यानी वह रमी वग़ैरह के बाद अनक़रीब हलाल हो जायेगा, फिर वह हजामत वग़ैरह करवायेगा और अच्छी तरह नहाये धोयेगा।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لاَمٍ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِجَمْعٍ فَقُلْتُ هَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ " مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلاَةَ مَعَنَا وَوَقَفَ هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ وَأَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ " .

(3045) हज़रत उर्वा बिन मुज़र्रिस बिन औस बिन हारिसा बिन लाम (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं नबी (ﷺ) के पास मुज़्दलिफ़ा में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया: क्या मेरा हज हो गया है? आपने फ़रमाया: 'जिसने ये नमाज़ (नमाज़े फ़ज्र) हमारे साथ (मुज़्दलिफ़ा में) पढ़ी और हमारे साथ ये वक़ूफ़ (वक़ूफ़े मुज़्दलिफ़ा) किया यहाँ तक कि मिना को जाये और उससे पहले वह रात या दिन को किसी वक़्त अरफ़ात से हो आया हो तो उसका हज पूरा हो गया और उसने अपना मैल कुचेल दूर कर लिया।'

(3045) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3042.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرٌ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ الطَّائِيُّ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ أَتَيْتُكَ مِنْ جَبَلَىْ طَيِّئٍ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي مَا بَقِيَ مِنْ حَبْلٍ

(3046) हज़रत उर्वा बिन मुज़र्रिस ताई (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि मैं आपके पास बनू तै के पहाड़ों से आया हूँ। मैंने अपनी सवारी को थका दिया है और अपने आपको भी मशक़्क़त में डाला है। जो भी टीला या पहाड़ आया, मैंने उस पर वक़ूफ़ किया है, तो क्या मेरा हज हो गया? आपने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने सुबह की

إلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ " مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الْغَدَاةِ هَا هُنَا مَعَنَا وَقَدْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ " .

नमाज़ यहाँ (मुज़्दलिफ़ा में) हमारे साथ पढ़ ली जबकि वह उससे पहले अ़रफ़ात से हो आया हो तो उसने अपना मैल कुचेल दूर कर लिया और उसका हज पूरा हो गया।'

(3046) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3042.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ، قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ نَجْدٍ فَأَمَرُوا رَجُلاً فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ " الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَقَدْ أَدْرَكَ حَجَّهُ أَيَّامُ مِنًى ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ { مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ } " . ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلاً فَجَعَلَ يُنَادِي بِهَا فِي النَّاسِ .

(3047) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन यअ़्मर दीली(ﷺ) बयान करते हैं कि मैं नबी (ﷺ) के पास अ़रफ़े में मौजूद था जबकि आपके पास नज्द वालों में से कुछ लोग आये। उन्होंने एक आदमी से कहा तो उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) से हज के बारे में सवाल किया। आपने फ़रमाया: 'हज वक़ूफ़े अ़रफ़ा का नाम है। जो शख़्स (अ़रफ़ा से होकर) सुबह की नमाज़ से पहले मुज़्दलिफ़ा में आ गया, उसने हज पा लिया। मिना के दिन तीन हैं: जो शख़्स दो दिन ठहर कर जल्दी आ जाये तो उस पर कोई गुनाह नहीं और जो शख़्स तीसरे दिन भी ठहरा रहा, उस पर भी कोई गुनाह नहीं।' फिर आपने अपने पीछे एक आदमी बिठाया जो लोगों में ये ऐलान करता था।

(3047) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3019.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मिना के दिन तीन हैं' वैसे तो चार दिन हैं मगर चूंकि यौमे नहर में दूसरे काम भी होते हैं, इसलिये उसे शुमार नहीं फ़रमाया। 11, 12, 13 मिना के दिन हैं। इन अय्याम में तीनों जमरों को कंकरियाँ मारी जाती हैं लेकिन अगर कोई शख़्स 12 तारीख़ को रमी करके मिना से चला जाये तो कोई हर्ज नहीं। उसे 13 तारीख़ की रमी माफ़ है, लेकिन अगर कोई शख़्स ठहरा रहे तो उसे 13 तारीख़ की रमी भी करनी पड़ेगी। **(2)** 'उस पर भी कोई गुनाह नहीं' बल्कि सवाब होगा। गुनाह की नफ़ी पहले जुम्ले की मुनासिबत से है, वरना ठहरना गुनाह का एहतिमाल नहीं रखता, अलबत्ता जल्दी चले जाने में गुनाह का एहतिमाल हो सकता था।

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ " .

(3048) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुज़्दलिफ़ा सारे का सारा वक़ूफ़ की जगह है।'

(3048) तख़रीज : **(सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 1218/149.

फ़ायदा : मुमकिन नहीं कि सब लोग उस जगह ठहरें जहाँ रसूलुल्लाह (ﷺ) ठहरे थे, जबकि हुज्जाज की तादाद हर साल बढ़ रही है।

باب:(٢١٢) التَّلْبِيَةِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

बाब : (212) मुज़्दलिफ़ा में लब्बैक कहना

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ كَثِيرٍ، - وَهُوَ ابْنُ مُدْرِكٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَنَحْنُ بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِي، أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَكَانِ " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ " .

(3049) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन यज़ीद से रिवायत है कि हम मुज़्दलिफ़ा में थे कि हज़रत इब्ने मसऊ़द (ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने उस शख़्सियत को जिस पर सूर-ए-बक़रः उतारी गई, इस जगह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारते सुना।

(3049) तख़रीज : **(सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 1283, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4053.

باب:(٢١٣) وَقْتِ الإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعٍ

बाब : (213) मुज़्दलिफ़ा से (मिना की तरफ़) वापसी का वक़्त

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ شَهِدْتُ عُمَرَ بِجَمْعٍ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لاَ يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

(3050) हज़रत अ़म्र बिन मैमून बयान करते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत उ़मर (ﷺ) मुज़्दलिफ़ा में फ़रमा रहे थे: जाहिलियत वाले सूरज तुलूअ़ होने से पहले मुज़्दलिफ़ा से नहीं चलते थे बल्कि कहते थे: ऐ सबीर! रोशन हो। लेकिन रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनकी मुख़ालिफ़त फ़रमाई, फिर वह तुलूए शम्स से पहले ही चल पड़े।

وَيَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِيرُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَالَفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

(3050) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 1684, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 4054.

फ़ायदा : 'ऐ स़बीर! रोशन हो' स़बीर एक पहाड़ का नाम है जो मुज़्दलिफ़ा की हुदूद ही में वाक़ेअ़ है। ज़ाहिर है सूरज तुलूअ हो तो उसकी रोशनी सबसे पहले पहाड़ ही पर पड़ती है। पहाड़ के रोशन होने से सूरज के तुलूअ होने का पता चल जाता है। अहले जाहिलियत का मक़सद ये था कि पहाड़ रोशन होगा, यानी सूरज तुलूअ होगा तो फिर चलेंगे जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) सूरज तुलूअ होने से पहले चल पड़े, और यही सुन्नत है अगरचे मुज़्दलिफ़ा में सूरज तुलूअ होने से हज को कोई नुक़सान नहीं पहुँचेगा क्योंकि रश में ऐसा मुमकिन है।

بَاب: (٢١٤) الرُّخْصَةِ لِلضَّعَفَةِ أَنْ يُصَلُّوا يَوْمَ النَّحْرِ الصُّبْحَ بِمِنًى

बाब : (214) कमज़ोर औरतों और बच्चों को इजाज़त है कि वह यौमे नहर को सुबह की नमाज़ मिना में आकर पढ़ें

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ أَشْهَبَ، أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ فَصَلَّيْنَا الصُّبْحَ بِمِنًى وَرَمَيْنَا الْجَمْرَةَ .

(3051) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे कमज़ोर, औरतों और बच्चों में (रात ही को) भेज दिया था। हम ने सुबह की नमाज़ मिना में पढ़ी और जम्र-ए (अक़्बा) को कंकरियाँ मारीं।

(3051) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 3036, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 4055.

फ़ायदा : इस हदीस़ से इस्तेदलाल किया गया है कि सुबह की नमाज़ मुज़्दलिफ़ा में पढ़ना या बाद में वक़ूफ़ करना हज के अरकान में शामिल नहीं। इसके बग़ैर भी हज हो सकता है वरना रसूलुल्लाह(ﷺ) औरतों को रात के वक़्त मिना जाने की इजाज़त न देते। लेकिन ये इस्तेदलाल महल्ले नज़र है क्योंकि ये रुख़सत सिर्फ़ उन लोगों के लिये है जिनका ज़िक्र हदीस़ में हो चुका है, लिहाज़ा इस हदीस़ से मुज़्दलिफ़ा में नमाज़े फ़ज्र अदा करने की अदमे रुक्नियत की दलील पकड़ना दुरुस्त नहीं। ये ऐसे ही है जैसे नमाज़ में क़याम रुक्न की हैसियत रखता है लेकिन ज़ईफ़ शख़्स जो उसका मुतहम्मिल नहीं वह उस रूक्न से

मुस्तसना है। इसी तरह मुज़्दलिफ़ा में नमाज़े फ़ज्र की अदायगी का मसला है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَائِشَةَ قَالَتْ وَدِدْتُ أَنِّي اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ فَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ وَكَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَذِنَ لَهَا فَصَلَّتِ الْفَجْرَ بِمِنًى وَرَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ .

(3052) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि काश मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) से (मुज़्दलिफ़ा से रात को मिना चले जाने की) इजाज़त तलब करती, जैसे हज़रत सौदा (ﷺ) ने इजाज़त तलब कर ली थी और मैं भी फ़ज्र की नमाज़ लोगों के आने से पहले मिना में पढ़ लेती। हज़रत सौदा (ﷺ) बोझल और सुस्त रफ़्तार ख़ातून थीं। उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इजाज़त तलब कर ली थी और आपने उन्हें इजाज़त दे दी थी। तो उन्होंने फ़ज्र की नमाज़ मिना में पढ़ी और लोगों के आने से पहले पहले रमी कर ली थी।

(3052) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1290/295, देखें, हदीस: 3040.

फ़ायदा : अगरचे ये इजाज़त हर माज़ूर शख़्स को हासिल है क्योंकि शरीयत किसी मख़्सूस दौर या अश्ख़ास के लिये नहीं, मगर हज़रत आयशा (ﷺ) ने मुनासिब समझा कि जिस तरह रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ हज किया था, सारी उम्र उसी तरह करती रहें, ख़्वाह उसमें मशक़्क़त और तकलीफ़ भी हो। ये उनकी रसूलुल्लाह (ﷺ) से मोहब्बत का अज़ीम सबूत है, लेकिन माज़ूर शख़्स रुख़्सत पर अमल कर सकता है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ مَوْلًى، لأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ جِئْتُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ مِنًى بِغَلَسٍ فَقُلْتُ لَهَا لَقَدْ جِئْنَا مِنًى بِغَلَسٍ . فَقَالَتْ قَدْ كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ .

(3053) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (ﷺ) के एक मौला (आज़ाद कर्दा गुलाम) से रिवायत है कि मैं हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (ﷺ) के साथ रात के अंधेरे ही में मिना आ गया तो मैंने उनसे कहा कि हम मिना में अंधेरे ही में आ गये हैं। वह फ़रमाने लगीं: हम उस शख़्सियत के होते हुये ऐसा क्या करते थे जो तुझ (और हम) से बहुत अफ़ज़ल थी।

(3053) तख़रीज : (सनद सही) मौता: 1/391.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا جَالِسٌ، مَعَهُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يُسَيِّرُ نَاقَتَهُ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ .

(3054) हज़रत उर्वा बयान करते हैं कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) से पूछा गया, जबकि मैं भी उनके पास बैठा था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब हज्जतुल विदा में वापस चले तो आपकी रफ़्तार कैसी थी? उन्होंने फ़रमाया: आप अपनी ऊँटनी को दरम्यानी चाल से चला रहे थे, अलबत्ता जब ख़ाली जगह पाते तो (मज़ीद) तेज़ फ़रमा देते।

(3054) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3026.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस नम्बर: 3021.

باب:(٢١٥) الإِيضَاعِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ

बाब : (215) वादि-ए-मुहस्सिर में सवारी को तेज़ी के साथ गुज़ारना

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ .

(3055) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने वादि-ए-मुहस्सिर में ऊँटनी को बहुत तेज़ कर दिया था।

(3055) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3024, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4059.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ حَتَّى أَتَى مُحَسِّرًا حَرَّكَ قَلِيلاً ثُمَّ

(3056) हज़रत मुहम्मद बाक़िर (رحمه الله) से मरवी है कि हम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह(ﷺ) के पास गये और मैंने उनसे कहा: हमें नबी (ﷺ) के हज के बारे में बयान फ़रमाइये। उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) मुज़्दलिफ़ा से सूरज तुलूअ होने से पहले चल पड़े और आपने हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (ﷺ) को अपने पीछे सवारी पर बिठा लिया यहाँ तक कि जब वादि-ए-मुहस्सिर में पहुँचे तो सवारी को कुछ तेज़ कर दिया, फिर इस दरम्यानी रास्ते से

سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا حَصَى الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي.

चले जो तुझे बड़े जम्रे (जम्र-ए-अक़्बा) पर जा पहुँचाता है यहाँ तक कि आप उस जम्रे के पास पहुँचे जो 'शजरा' के पास है, फिर आपने सात कंकरियाँ मारीं। हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहते थे। और वह कंकरियाँ ख़ज़फ़ की कंकरियाँ जैसी (छोटी छोटी) थीं। आपने ये रमी वादी के नशेब की तरफ़ से की थी।

(3056) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2864, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4060, सहीह मुस्लिम, हदीस: 1218.

باب:(٢١٦) التَّلْبِيَةِ فِي السَّيْرِ

बाब : (216) (मुज़्दलिफ़ा से मिना को) चलते वक़्त लब्बैक कहना

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، - وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ .

(3057) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि मैं नबी (ﷺ) के पीछे सवार था (यानी मुज़्दलिफ़ा से मिना तक) आप लब्बैक कहते रहे यहाँ तक कि आपने जम्रे की रमी शुरू की।

(3057) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1685, मुस्लिम, हदीस: 1281/267, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4061.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَبَّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ .

(3058) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) लब्बैक पढ़ते रहे यहाँ तक कि आपने जम्रे को रमी की।

(3058) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/344, इब्ने माजा, हदीस : 3039, बुख़ारी, हदीस: 1685, मुस्लिम, हदीस: 1280 वग़ैरहुमा.

फ़ायदा : जुम्हूर अहले इल्म के क़ौल के मुताबिक़ जम्र-ए-अक़्बा की रमी तक लब्बैक कहना चाहिए, यानी पहली कंकरी के साथ ही लब्बैक रोक दिया जाये और तकबीर शुरू कर दी जाये। उनकी दलील मज़्कूरा हदीस़ है। इमाम अहमद और कुछ अस्हाबे शाफ़ेई (ﷺ) का मौक़िफ़ ये है कि रमी मुकम्मल होने तक तल्बीया पुकारा जाये, ज्यूँ ही आख़री कंकरी मारी जाये, तल्बीया बन्द कर दिया जाये। अज़ रू ए दलील यही मौक़िफ़ राजेह है। जुम्हूर की दलील में इब्हाम है, जबकि मुअख़्ख़िरुज़्ज़िक्र मौक़िफ़ के हामिलीन की दलील स़रीह और दो टूक है। इब्ने ख़ुज़ैमा में बवास्ता इब्ने अब्बास फ़ज़्ल बिन अब्बास (ﷺ) से मन्क़ूल है, वह फ़रमाते हैं: 'मैं नबी-ए-अकरम (ﷺ) के साथ ही अरफ़ात से वापस लौटा, आप बदस्तूर, जम्र-ए-अक़्बा की रमी तक, तलबीया पुकारते रहे, आप हर कंकरी के साथ तकबीर कहते थे, फिर आप (ﷺ) ने आख़री कंकरी के साथ तल्बीया मौक़ूफ़ कर दिया है।' इसके बाद इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा (ﷺ) फ़रमाते हैं कि ये हदीस़ स़ही है और दीगर मुब्हम रिवायात की तफ़्सीर करती है और आप (ﷺ) के क़ौल 'हत्ता रमा जम्रतल अक़्बा' से मुराद ये है कि यहाँ तक कि आपने रमी की तकमील फ़रमा ली। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (फ़तहुलबारी: 3/533) बहरहाल आख़री कंकरी मारने तक तल्बीया कहने की मुमकिना स़ूरत ये हो सकती है कि हर कंकरी के साथ तकबीर कह कर साथ तल्बीया भी पुकार लिया जाये। अगर सिर्फ़ तकबीर ही पर इक्तेफ़ा किया जाये और उस वक़्त तल्बीया न भी कहा जाये तो जायज़ है। वल्लाहु आलम!

बाब : (217) कंकरियाँ चुनना

باب:(٢١٧) اِلْتِقَاطِ الْحَصَى

(3059) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जम्र-ए-अक़्बा की रमी वाली सुबह (10 ज़ुल हिज्जा) को, जबकि आप अपनी सवारी पर सवार थे, फ़रमाया: 'मेरे लिये कंकरियाँ चुनें।' मैंने (छोटी छोटी) कंकरियाँ चुनीं जो ख़ज़फ़ की कंकरियों जैसी थीं। जब मैंने वह आपके हाथ में रखीं तो आपने फ़रमाया: 'इस क़िस्म की कंकरियों से रमी करनी चाहिए। दीन में ग़ुलू (हद से बढ़ जाने) से बचो क्योंकि तुमसे पहली क़ौमों को दीन में ग़ुलू ने हलाक किया।'

(3059) **तख़रीज : (सनद स़ही)** इब्ने माजा, हदीस़:

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ " هَاتِ الْقُطْ لِي " . فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ بِأَمْثَالِ هَؤُلاَءِ " وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ

كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ " .

3029, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 4063, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 2867, व इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1011, वल हाकिम: 1/466, वलज़हबी.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुकम्मल दिनों की रमी की कंकरियों की तादाद सत्तर बनती है। ये कंकरियाँ कहीं से भी उठाई जा सकती हैं, अलबत्ता ये कहना कि जमरात के पास से नहीं उठानी चाहिए बे दलील मौक़िफ़ है, और मुज़्दलिफ़ा ही से कंकरियाँ उठाने को मुस्तहब क़रार देना भी महल्ले नज़र है। (2) कंकरियाँ छोटी छोटी होनी चाहिए जो उ़मूमन बच्चे निशाना बाज़ी के लिये इस्तेमाल करते हैं। जिनसे कोई जानवर शिकार नहीं किया जा सकता, अलबत्ता आँख वग़ैरह को ज़ख़्मी कर सकती हैं क्योंकि आँख नाज़ुक अ़ज़्व है। रमी के लिये छोटी कंकरियाँ इसलिये ज़रूरी हैं कि अगर किसी को लग जायें तो नुक़सान न हो। तक़रीबन चने के दाने के बराबर हों। (3) 'ग़ुलू' यानी मुक़र्ररा हद से बढ़ जाना। ऊपर दिये गये मसले में ग़ुलू ये है कि बड़े बड़े ढेले मारे जायें जिससे कोई ज़ख़्मी हो सकता है। (4) 'हलाक किया' यानी गुमराह किया जो अ़ज़ाब का सबब है और ये असल हलाकत है।

बाब : (218)
कंकरियाँ कहाँ से चुने?

باب:(٢١٨) مِنْ أَيْنَ يُلْتَقَطُ الْحَصَى

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَغَدَاةَ جَمْعٍ " عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ " . وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مِنًى فَهَبَطَ حِينَ هَبَطَ مُحَسِّرًا قَالَ " عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي تُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ " . قَالَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الإِنْسَانُ .

(3060) हज़रत फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों को अ़रफ़ात से शाम को चलते वक़्त और मुज़्दलिफ़ा की सुबह फ़रमाया: 'सुकून व इत्मिनान इख़्तियार करो।' ख़ुद आपने अपनी ऊँटनी की महार खींच रखी थी यहाँ तक कि जब आप मिना में दाख़िल हुये और वादि-ए-मुहस्सिर में उतरे तो आपने फ़रमाया: 'ख़ज़फ़ की कंकरियों जैसी कंकरियाँ चुनना जिनसे जमरात को रमी की जाये। नबी(ﷺ) अपने हाथ से इशारा भी फ़रमा रहे थे जिस तरह कोई शख़्स कंकरी फैंकता है।

(3060) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 3023, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 4064.

फ़ायदा : 'ख़ज़फ़' के मुख़्तलिफ़ तरीक़े बयान किये गये हैं मगर मस्नून और सबसे ज़्यादा आसान तरीक़ा ये है कि अंगूठे और तशहहुद वाली ऊँगली के सिरों के साथ कंकरी पकड़ कर रमी की जाये, ताहम रश की वजह से मौजूदा दौर में इस तरीक़े पर अमल करना भी मुश्किल है।

बाब : (219) रमी वाली कंकरियों की मिक़्दार

باب:(٢١٩) قَدْرِ حَصَى الرَّمْيِ

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ " هَاتِ الْقُطْ لِي " . فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَوَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُولُ بِهِنَّ فِي يَدِهِ وَوَصَفَ يَحْيَى تَحْرِيكَهُنَّ فِي يَدِهِ بِأَمْثَالِ هَؤُلاَءِ .

(3061) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जम्र-ए-अक़्बा की रमी वाली सुबह (10 ज़ुल हिज्जा को) फ़रमाया, जबकि आप अपनी ऊँटनी पर सवार थे: 'मेरे लिये कंकरियाँ चुन कर ला।' मैंने (छोटी छोटी) कंकरियाँ चुनीं जो ख़ज़फ़ वाली कंकरियों की तरह थीं। आपने उन्हें अपने हाथ में पकड़ा। आप उन्हें अपने दस्ते मुबारक में हिला रहे थे और फ़रमा रहे थे: 'इन जैसी कंकरियों से रमी करनी चाहिए।'

(3061) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3059, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4065.

बाब : (220) जम्रों की तरफ़ सवार होकर जाना और मुहरिम का साया हासिल करना

باب:(٢٢٠) الرُّكُوبِ إِلَى الْجِمَارِ وَاسْتِظْلاَلِ الْمُحْرِمِ

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ حُصَيْنٍ، قَالَتْ حَجَجْتُ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَأَيْتُ

(3062) हज़रत उम्मे हुसैन (رضي الله عنها) से रिवायत है कि मैंने नबी (ﷺ) के हज वाले साल हज किया। मैंने देखा कि हज़रत बिलाल (رضي الله عنه) आपकी सवारी की महार पकड़ कर आगे आगे चल रहे हैं और हज़रत उसामा बिन ज़ैद (رضي الله عنه) ने आप पर कपड़ा ताना हुआ है ताकि धूप से साया हो सके। उस वक़्त आप एहराम से थे यहाँ तक कि आपने

بِلاَلاً يَقُودُ بِخِطَامِ رَاحِلَتِهِ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَافِعٌ عَلَيْهِ ثَوْبَهُ يُظِلُّهُ مِنَ الْحَرِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ قَوْلاً كَثِيرًا .

जम्र-ए-अक़्बा को रमी की, फिर आपने लोगों से ख़िताब फ़रमाया। अल्लाह तआला की हम्द व सना की और बहुत सी बातें इरशाद फ़रमाईं।

(3062) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1298/312, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4066.

फ़वाइद व मसाइल : (1) पीछे बारहा ज़िक्र हो चुका है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मुकम्मल हज्जतुल विदा सवारी पर अदा फ़रमाया ताकि लोग आपको देख कर हज के मसाइल सीख सकें, और लोग जी भर कर आपका दीदार कर सकें। लोग दूर दूर से आये थे। वैसे भी जम्रों की तरफ़ सवार होकर जाने में कोई क़बाहत नहीं, फिर आप तो मुज़्दलिफ़ा से तशरीफ़ ला रहे थे। (2) 'जम्र-ए-अक़्बा' ये जम्रा आख़री है अगर मिना से मक्का को जायें। ये जम्रा हक़ीक़तन मिना से ख़ारिज है मगर मुत्तसिल है। और यही वह जम्रा है जहाँ अहले मदीना ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के दस्ते मुबारक पर बैत की थी। पहली भी, दूसरी भी। यौमे नहर, यानी 10 ज़ुल हिज्जा को सिर्फ़ इसी जम्रे की रमी की जाती है। इसे बड़ा जम्रा भी कहा जाता है। लोग उर्फ़े आम में जम्रात को शैतान भी कह लेते हैं लेकिन इसकी बजाये अगर ये कह लिया जाये कि ये जम्रात शैतान हैं न यहाँ शैतान रहता है बल्कि इन्हें इन मक़ामात के तअ़ईन या निशानी के तौर पर क़ाइम किया गया जहाँ उसे कंकरियाँ पड़ी थीं, क्योंकि जब शैतान ने हज़रत इब्राहीम (ﷺ) को उनके अज़्मे मुसम्मम से रोकने की कोशिश की थी तो आपने उसे कंकरियाँ मार कर रद्द कर दिया था। रमी उसी की यादगार है। सही हदीस से इस बात की तस्दीक़ होती है। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: जब इब्राहीम ख़लीलुल्लाह इबादाते हज की अदायगी के लिये आये तो जम्र-ए-अक़्बा के पास शैतान उनके सामने आया। उन्होंने उसे सात कंकरियाँ मारीं यहाँ तक कि वह ज़मीन में धँस गया। फिर दूसरे जम्रे के पास रू नुमा हुआ, उन्होंने फिर उसे सात कंकरियाँ मारीं, यहाँ तक कि वह ज़मीन में धँस गया, फिर वह तीसरे जम्रे के पास उनके सामने आ गया, उन्होंने फिर उसे सात कंकरियाँ मार दीं यहाँ तक कि वह धँस गया। रावि-ए-हदीस इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: (अब तुम गोया) शैतान को पत्थर मारते हो और अपने बाप इब्राहीम (ﷺ) की मिल्लत की पेरवी करते हो। देखिये: (मुसनद अहमद: 1/297, 298, व सहीह तर्ग़ीब वत्तर्हीब, लिल अल्बानी, रक़म अल हदीस: 1156 (3) मुहरिम ख़ैमे या छतरी वग़ैरह का साया हासिल कर सकता है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ، عَنْ

(3063) हज़रत क़ुदामा बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को

قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ لاَ ضَرْبَ وَلاَ طَرْدَ وَلاَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ .

क़ुर्बानियों वाले दिन अपनी भूरे रंग की ऊँटनी पर सवार जम्र-ए-अक़्बा को रमी करते देखा। न सवारियों को मारा जा रहा था, न उन्हें भगाया जा रहा था और न हटो बचो का शोर था।

(3063) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3035, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4067, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 4/278, तिर्मिज़ी, हदीस: 903.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये नबी-ए-अकरम (ﷺ) के हुस्ने अख़्लाक़ की बड़ी शानदार मिसाल है जिसे मौजूदा हुक्मरान पेश करने से क़ासिर हैं। आज कल के हुक्मरानों की जल्सागाहों और इज्तेमागाहों में धक्कम-पेल और शोर-शराबा दीदनी होता है। कोई उनके क़रीब फटकने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सिर्फ़ यही नहीं बल्कि जिस रास्ते से उन्हें गुज़रना हो, वहाँ और उसके इर्द गिर्द दीगर रास्तों पर टरफ़िक़ में फँसी एम्बुलेन्सें हॉर्न बजा कर अपनी बेबसी पर नौहा कुनाँ होती हैं कि शायद हमारे हुक्मरानों को कुछ एहसास हो, मगर हुक्मरान, जो अपने आपको इन्सानों से बाला तर कोई और मख़्लूक़ समझते हैं और उस मुल्क और उसकी हर एक चीज़ को अपनी जागीर समझते हैं, टस से मस नहीं होते। अल्लाह हिदायत नसीब फ़रमाये। **(2)** रमी जम्रात के वक़्त धक्कम-पेल से लोगों को ईज़ा नहीं देनी चाहिए बल्कि हुस्ने अदब, लिहाज़, बरदाश्त, दरगुज़र और नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा करना चाहिए।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ، يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ وَهُوَ يَقُولُ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي هَذَا " .

(3064) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऊँट पर सवार जम्रा को रमी करते देखा। आप फ़रमा रहे थे: 'ऐ लोगो! मुझसे हज की इबादात के तरीक़े सीख लो। शायद मैं इस साल के बाद हज न कर सकूँ।'

(3064) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1297, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4068.

फ़ायदा : 'शायद' दरअसल आपको बहुत से क़राइन की बिना पर मालूम हो चुका था कि ये मेरी दुनियावी ज़िन्दगी का आख़री साल है और इसे आपने इशारात व किनायात में लोगों पर ज़ाहिर भी कर

दिया था। ऊपर दिया गया जुम्ला भी इसी बात का इज़्हार है। हज न कर सकने का मतलब भी वफ़ात ही है। 'शायद' का लफ़्ज़ पैग़म्बराना शान है कि बावजूद यक़ीन के इम्कान ज़ाहिर किया क्योंकि ऐसे मामलात बहरसूरत अल्लाह तआला ही के इल्म में हैं। सिर्फ़ तीन माह बाद प्यारे रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने मौला व रफ़ीक़े आला को प्यारे हो गये। फ़िदाहु नफ़्सी व रूही व अबी व उम्मी. (ﷺ).

बाब : (221) नहर के दिन जम्र-ए-अक़्बा को कंकरियाँ मारने का वक़्त

باب:(٢٢١) وَقْتِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

(3065) हज़रत जाबिर (ؓ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ुर्बानी वाले दिन चाश्त के वक़्त (दिन चढ़े) रमी की और यौमे नहर के बाद जब सूरज ढलता, उस वक़्त रमी करते।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيُّ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَرَمَى بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ .

(3065) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1299/314, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4069.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'यौमे नहर' 10 ज़ुल हिज्जा को कहा जाता है। अगरचे क़ुर्बानी माबाद दिनों में भी की जा सकती है मगर क़ुर्बानी का दिन 10 ज़ुल हिज्जा ही है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक सौ ऊँट यौमे नहर ही को क़ुर्बान कर दिये थे। **(2)** यौमे नहर रमी का वक़्त तुलूअे शम्स से शुरू होता है, जब भी मौक़ा मिले यहाँ तक कि दिन को न कर सके तो रात को करे। बाक़ी दिनों में रमी का वक़्त ज़वाले शम्स से शुरू होता है और बाक़ी दिनों सब जम्रों को रमी की जाती है।

बाब : (222) जम्र-ए-अक़्बा को सूरज तुलूअ होने से पहले रमी करने की मुमानिअत

باب:(٢٢٢) النَّهْيِ عَنْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

(3066) हज़रत इब्ने अब्बास (ؓ) बयान करते हैं कि हमें, यानी ख़ानदाने अब्दुल मुत्तलिब के बच्चों को रसूलुल्लाह (ﷺ) ने गधो पर सवार करके (सुबह से पहले ही) भेज दिया था। आप

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ

الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ يَلْطَخُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ " أُبَيْنِيَّ لاَ تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " .

हमारी रानों को थपथपाते थे और फ़रमाते थे: 'ऐ मेरे बेटो! सूरज तुलूअ होने से पहले जम्र-ए-अक़्बा को रमी न करना।'

(3066) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 1940, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4070, मुश्किल अलआसार: 4/382-384 वग़ैरह.

फ़ायदा : मुहक़्क़िक़े किताब ने इस रिवायत को इन्क़िताअ की वजह से ज़ईफ़ कहा है। हसन उरनी, इब्ने अब्बास (ﷺ) से बयान कर रहा है जबकि उसका इब्ने अब्बास (ﷺ) से सिमाअ साबित नहीं है, लेकिन ये मुतअद्दिद तुरुक़ से आई है जो कि मुत्तसिल हैं, जैसे: तिर्मिज़ी में ये रिवायत मिक़्सम अन इब्ने अब्बास के वास्ते से मरवी है। देखिये: (हदीस: 893) और अता ने मिक़्सम की मुताबिअत भी की है, लिहाज़ा ये रिवायत दीगर तुरुक़ से सही साबित है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 26/41-45)

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدَّمَ أَهْلَهُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ لاَ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ‏.‏

(3067) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने घर वालों (औरतों और बच्चों) को सुबह से पहले ही भेज दिया था। और आपने उन्हें हुक्म दिया था कि जब तक सूरज तुलूअ न हो, वह जम्रे को रमी न करें।

(3067) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 1941, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4071.

फ़ायदा : मुहक़्क़िक़े किताब ने इस रिवायत को हबीब बिन अबी साबित के अनअना की वजह से ज़ईफ़ कहा है लेकिन यहाँ उनका अनअना मुज़िर नहीं क्योंकि उसकी ताईद मुतअद्दिद सही तुरुक़ से होती है, लिहाज़ा ये रिवायत सही है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 26/41-45)

बाब : (223) इस मसले (तुलूअे शम्स से क़ब्ल रमी करने) में औरतों को रुख़्सत है

باب:(٢٢٣) الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ

(3068) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी एक ज़ोज-ए-मोहतरमा को इजाज़त दी थी कि वह मुज़्दलिफ़ा से रात ही को चली जाये और जाकर जम्र-ए-अक़्बा को रमी करे और सुबह के वक़्त अपने (मिना वाले) ख़ेमे में पहुँच जाये। रावि-ए-हदीस़ हज़रत अ़ता भी अपनी वफ़ात तक इसी तरह करते रहे।

(3068) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 4072.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ خَالَتِهَا، عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ إِحْدَى نِسَائِهِ أَنْ تَنْفِرَ مِنْ جَمْعٍ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَتَأْتِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَتَرْمِيَهَا وَتُصْبِحَ فِي مَنْزِلِهَا . وَكَانَ عَطَاءٌ يَفْعَلُهُ حَتَّى مَاتَ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (ﷺ) मुख़्तलिफ़ रिवायात में तत्बीक़ देना चाहते हैं। बहुत सी रिवायात में स़राहतन हुक्म है कि तुलूअे शम्स से क़ब्ल रमी न की जाये इस रिवायत में आपने इजाज़त दी है। गोया औरतों को तुलूअे शम्स से क़ब्ल रमी की इजाज़त है क्योंकि वह कमज़ोर होती हैं, मुज़ाहमत नहीं कर सकतीं। कुछ ने सिर्फ़ आपकी ज़ोज-ए-मोहतरमा के लिये खुसूसी इजाज़त का क़ौल ज़िक्र किया है। जो उ़लमा तुलूअे शम्स से क़ब्ल भी रमी के क़ाइल हैं उनकी मज़बूत तरीन एक दलील हज़रत अस्मा (ﷺ) की हदीस़ भी है, जिसमें उनके चाँद गुरूब होने के बाद जल्द निकलने का ज़िक्र है। नमाज़े फ़ज्र से क़ब्ल उन्होंने रमी की और फिर फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी। (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 1479) लेकिन कुछ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक ये दलील महल्ले नज़र है क्योंकि ये अ़मल उनकी ज़ाती राय या इज्तेहाद के पेशे नज़र था। हदीस़ में ये तस़रीह नहीं कि रमी भी रसूलुल्लाह (ﷺ) की इजाज़त ही से की गई थी, लिहाज़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) का तुलूअे शम्स से क़ब्ल हर किसी को रमी करने से रोकना, फिर ये कि आपका अ़मल भी यही था कि आपने रमी तुलूअे शम्स के बाद ही की, इस बात की वाज़ेह दलील है कि रमी तुलूअे शम्स के बाद ही करनी चाहिए। हाफ़िज़ इब्ने हजर(ﷺ) वग़ैरह के नज़दीक बजाये तर्जीह के तत्बीक़ ज़्यादा मुनासिब है। उनके नज़दीक तुलूअे शम्स के बाद रमी, मुस्तहब और इससे क़ब्ल जायज़ है। वह हदीस़ में वारिद नह्य को नह्ये तन्ज़ीह पर महमूल करते हैं। दलाइल की रू

से यही मौक़िफ़ राजेह मालूम होता है। वल्लाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 3/528, 529 व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 26/41-45)

बाब : (224) शाम के बाद रमी करना

باب:(٢٢٤) الرَّمْيِ بَعْدَ الْمَسَاءِ

(3069) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से मिना के दिनों में मुख़्तलिफ़ सवालात किये जाते थे तो आप फ़रमाते थे: 'कोई हर्ज नहीं।' चुनांचे एक आदमी ने पूछा: मैंने क़ुर्बानी ज़बह करने से पहले सर मुण्डा लिया है। आपने फ़रमाया: 'कोई हर्ज नहीं।' एक आदमी ने कहा: मैंने शाम होने के बाद रमी की है। आपने फ़रमाया: 'कोई हर्ज नहीं।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ أَيَّامَ مِنًى فَيَقُولُ " لاَ حَرَجَ " . فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ . قَالَ " لاَ حَرَجَ " . فَقَالَ رَجُلٌ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ . قَالَ " لاَ حَرَجَ " .

(3069) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1735, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4073.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रमी का वक़्त तो दिन है मगर दिन में रमी न हो सके तो रात को करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा किसी मजबूरी ही की बिना पर हो सकता है। यौमे नहर को चार काम बित्तर्तीब किये जाते हैं: रमी, क़ुर्बानी, हजामत और तवाफ़े विदा, अलबत्ता अगर तर्तीब में फ़र्क़ पड़ जाये तो इस रिवायत की रू से कोई हर्ज नहीं क्योंकि ये तर्तीब सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं। अगरचे जहालत या ग़लती से तर्तीब क़ाइम न रहे तो वह माज़ूर है। उस पर कोई तावान नहीं। कुछ फ़ुक़हा ने इस रिवायत को गुनाह की नफ़ी पर महमूल किया है और बेतर्तीबी की सूरत में वह जानवर ज़बह करने के क़ाइल हैं, मगर किसी मरफ़ूअ रिवायत से इसकी ताईद नहीं होती। जुम्हूर अहले इल्म किसी तावान के क़ाइल नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) से मन्क़ूल है कि अगर क़ारिन या मुतमत्तेअ क़ुर्बानी ज़बह करने से क़ब्ल हजामत बनवा ले तो उसे बतौर सज़ा जानवर ज़बह करना होगा। (वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यब्लुग़ल हद्यु महिल्लहू) (अलबक़र: 2/196) लेकिन इससे मुराद तो ये है कि अम्दन ऐसे नहीं करना चाहिए जैसा कि 'वला तहलिक़ू' से इशारा मिलता है। वरना सहवन या ला'इल्मी की वजह से ऐसे हो जाये तो इसमें कोई हर्ज नहीं जिस तरह कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमाने आली से ज़ाहिर होता है। आप शारेअ हैं और क़ुर्आन की ग़र्ज़ को यक़ीनन जानते थे। **(2)** नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने कमा हक़्क़हू दीन के अहकाम पहुँचाये और सहाब-ए-किराम (ﷺ) ने इस क़द्र एहतिमाम और लगन से सीखे कि सीखने का हक़ अदा कर दिया।

बाब : (225)चरवाहों की रमी का बयान

باب:(٢٢٥) رَمْيِ الرُّعَاةِ

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلرُّعَاةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا

(3070) हज़रत अ़दी (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने चरवाहों को रुख़्सत दी है कि वह एक दिन रमी कर लें और एक दिन छोड़ लें।

(3070) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1976, तिर्मिज़ी, हदीस: 954, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4074.

फ़ायदा : छोड़ने का मतलब ये है कि उस दिन की रमी अगले दिन करें, जैसे: 10 तारीख़ को रमी करने के बाद वह चले जायें, फिर चाहें तो ग्यारह तारीख़ को दो दिन की रमी इकट्ठी कर लें। चाहें तो 11 तारीख़ को न आयें, 12 तारीख़ को दो दिन की रमी इकट्ठी कर लें। गोया उनके लिये मिना में रात गुज़ारना भी ज़रूरी नहीं।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلرُّعَاةِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ وَالْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَهُ يَجْمَعُونَهُمَا فِي أَحَدِهِمَا .

(3071) हज़रत आ़सिम बिन अ़दी (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने चरवाहों को (मिना से) बाहर रात गुज़ारने की इजाज़त दी है, और वह यौमे नहर को रमी करें और बाद वाले दो दिनों की रमी उनमें से किसी एक दिन इकट्ठी अदा कर लें।

(3071) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1975, तिर्मिज़ी, हदीस: 955, मौता: 1/408, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4075, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2975, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1015, इब्ने अलजारूद, हदीस: 478, वल हाकिम: 1/478, 3/420.

बाब : (226) वह जगह जहाँ से जम्र-ए-अ़क़्बा को रमी की जायेगी

باب:(٢٢٦) الْمَكَانِ الَّذِي تُرْمَى مِنْهُ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُحَيَّاةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، -

(3072) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन यज़ीद से मरवी है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द(ﷺ)

يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ - قَالَ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ . قَالَ فَرَمَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ قَالَ مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

से कहा गया: कुछ लोग जम्रे को घाटी के ऊपर से रमी करते हैं। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द(ﷺ) ने वादी के नशेब से रमी की और फ़रमाया: क़सम उसकी जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! इस जगह से रमी की थी उस शख़्सीयत ने जिन पर सूर-ए-बक़र: उतारी गई।

(3072) तख़रीज : (सनद सह़ी) मुस्लिम, हदीस़: 1296, बुख़ारी, हदीस़: 1747, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 4076.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रमी का तरीक़ा ये है कि बायीं तरफ़ बैतुल्लाह हो और दायीं तरफ़ मिना और मुँह जम्रे की तरफ़ हो। इस तरह रमी करने वाला नशेब में खड़ा होगा। ये मुस्तहब है मगर रश की सूरत में चूंकि सब लोग इस तरह रमी नहीं कर सकते, लिहाज़ा जिस तरफ़ से भी रमी हो जाये कोई हर्ज नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस बारे में कोई हुक्म नहीं दिया, अलबत्ता जिस तरह आपने की, वह मुस्तहब है। **(2)** 'उस शख़्सीयत ने' मुराद रसूलुल्लाह (ﷺ) हैं। सूर-ए-बक़र: का ख़ुसूसी ज़िक्र इसलिये किया कि इसमें हज के काफ़ी मसाइल हैं। **(3)** बात को मुअक्क़द करने के लिये मुतालबे के बग़ैर भी क़सम खाना जायज़ है। **(4)** स़हाब-ए-किराम ने रसूलुल्लाह (ﷺ) का हर अ़मल कमा हक़्क़हू महफ़ूज़ किया। और वह बिहम्दिल्लाह हू-ब-हू उसी शक्ल में हम तक पहुँचा जिस तरह उन्होंने पहुँचाया ...... (ﷺ)

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ رَمَى عَبْدُ اللَّهِ الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَعَرَفَةَ عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ هَا هُنَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَعْلَمُ

(3073) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन यज़ीद से रिवायत है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द(ﷺ) ने जम्रे को सात कंकरियाँ मारीं। बैतुल्लाह को अपनी बायीं जानिब और अ़रफ़े को अपनी दायीं जानिब किया और फ़रमाया: ये है उस शख़्सीयत की रमी की जगह जिन पर सूर-ए-बक़र: उतारी गई।

अबू अ़ब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) बयान करते हैं कि मैं नहीं जानता की इब्ने अबी अ़दी के अ़लावा किसी रावी ने इस हदीस़ में मन्सूर का ज़िक्र किया हो।

أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْصُورٌ غَيْرَ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

वल्लाहु तआला आलम!

(3073) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1296, बुख़ारी, हदीस: 1747, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4076.

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ قَالَ هَا هُنَا وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

(3074) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) को देखा, उन्होंने वादी के पेट से जम्र-ए-अक़्बा को रमी की, फिर फ़रमाया: क़सम उस ज़ात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! ये उस शख़्सीयत के रमी करने की जगह है जिन पर सूर-ए-बक़र: उतारी गई।

(3074) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4078.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ، يَقُولُ لاَ تَقُولُوا سُورَةُ الْبَقَرَةِ قُولُوا السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ وَاسْتَعْرَضَهَا يَعْنِي الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَكَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فَقُلْتُ إِنَّ أُنَاسًا يَصْعَدُونَ الْجَبَلَ . فَقَالَ هَا هُنَا وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ رَأَيْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ

(3075) हज़रत आमश से रिवायत है कि मैंने हज्जाज को ये कहते सुना कि सूर-ए-बक़र: न कहो बल्कि यूँ कहो: वह सूरत जिसमें गाय का ज़िक्र है। मैंने ये बात हज़रत इब्राहीम नख़ई से ज़िक्र की। वह फ़रमाने लगे: मुझे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद ने बयान किया कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) के साथ था जब उन्होंने जम्र-ए-अक़्बा को रमी की। आप वादी के पेट में खड़े हुये और जम्रे की तरफ़ मुँह किया, फिर उसे सात कंकरियाँ मारीं। हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहा। मैंने कहा: कुछ लोग पहाड़ पर चढ़ कर रमी करते हैं। फ़रमाने लगे: क़सम उस ज़ात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! इस जगह मैंने उस शख़्सीयत को रमी

سُورَةُ الْبَقَرَةِ رَمَى .

करते देखा जिन पर सूर-ए-बक़र: उतारी गई।

(3075) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3072, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4079.

फ़ायदा : हज्जाज का ये क़ौल ग़ैर ज़रूरी तकल्लुफ़ है। सूर-ए-बक़र: नाम बन चुका है, लिहाज़ा उसका लफ़्ज़ी तर्जुमा नहीं करेंगे। नामों में इख़्तिसार मल्हूज़ होता है वरना सूर-ए-बक़र: के मआनी भी यही हैं कि जिस सूरत में गाय का ज़िक्र है। हज्जाज ने लफ़्ज़ी तर्जुमे (गाय की सूरत) की रू से इसे सूए अदब ख़्याल किया लेकिन ये दुरुस्त नहीं।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَذَكَرَ، آخَرَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ .

(3076) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जम्रे को ख़ज़फ़ की कंकरियों जैसी (छोटी छोटी) कंकरियाँ मारीं।

(3076) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2875, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4080.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ .

(3077) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप जम्रों को ख़ज़फ़ की (छोटी छोटी) कंकरियों जैसी कंकरियों के साथ रमी करते थे।

(3077) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1299, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4081.

باب:(٢٢٧) عَدَدِ الْحَصَى الَّتِي يُرْمَى بِهَا الْجِمَارُ

बाब : (227) जम्रों को कितनी कितनी कंकरियाँ मारी जायेंगी?

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ

(3078) हज़रत मुहम्मद बाक़िर (رحمه الله) बयान करते हैं कि हम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह(ﷺ) के पास गये। मैंने अर्ज़ किया: मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के हज के बारे में बताइये। उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस जम्रे

حَجَّةِ النَّبِيِّ، صَلى الله عليه وسلم . فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا حَصَى الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ .

को जो दरख़्त के पास है, सात कंकरियाँ मारी। आप हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहते थे। कंकरियाँ ख़ज़्फ़ की कंकरियों जैसी थीं और आपने ये रमी वादी के पेट से की थी, फिर आप क़ुर्बानगाह की तरफ़ गये और क़ुर्बानी की।

(3078) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3056, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4082.

أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ قَالَ مُجَاهِدٌ قَالَ سَعْدٌ رَجَعْنَا فِي الْحَجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَعْضُنَا يَقُولُ رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَبَعْضُنَا يَقُولُ رَمَيْتُ بِسِتٍّ فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .

(3079) हज़रत सअद (ﷺ) से मरवी है कि हम हज्जतुल विदा में नबी (ﷺ) के साथ लौटे तो हममें से कुछ लोग कह रहे थे: हमने सात कंकरियाँ मारी हैं और कुछ कह रहे थे: हमने छ: कंकरियाँ मारी हैं, ताहम किसी ने एक दूसरे पर ऐब नहीं लगाया।

(3079) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/168, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4083.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ، يَقُولُ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَىْءٍ، مِنْ أَمْرِ الْجِمَارِ فَقَالَ مَا أَدْرِي رَمَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ .

(3080) हज़रत अबू मिज्लज़ बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से जम्रों के बारे में पूछा तो वह फ़रमाने लगे: मैं नहीं जानता कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें सात सात कंकरियाँ मारीं या छ: छ:

(3080) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1977, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4084.

फ़ायदा : कंकरियाँ तो सात ही मारी जाती हैं जैसा कि अहादीस में सराहतन ज़िक्र है। इन अहादीस का मतलब ये है कि अगर ग़लती या भूल चूक से छ: कंकरियाँ ही मारी जायें या रश वग़ैरह की बिना पर एक आध कंकरी रह जाये तो कोई हर्ज नहीं। शरीयत ने बहुत से मसाइल में अक्सर को कुल का हुक्म दिया है, अलबत्ता जानबूझ कर कमी बेशी जायज़ नहीं।

बाब : (228) हर कंकरी मारते वक़्त अल्लाहु अकबर कहना

باب: (٢٢٨) التَّكْبِيرِ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ .

(3081) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि मैं नबी (ﷺ) के पीछे सवारी पर बैठा हुआ था। आप लब्बैक कहते रहे यहाँ तक कि आपने जम्र-ए-अक़्बा को रमी शुरू कर दी। आपने उसे सात कंकरियाँ मारीं। हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहते थे।

(3081) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2881, 2887, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4085, अल बैहक़ी: 5/137.

फ़ायदा : जब क़ौल व फ़ेअल दोनों मिल जायें तो असर अंगेज़ी अपनी इन्तेहा को पहुँच जाती है, इसीलिये शरीयत ने तक़रीबन तमाम इबादात में फ़ेअल के साथ साथ क़ौल को भी लाज़िम रखा है। हज में भी एहराम के साथ लब्बैक कहना, तवाफ़ में ज़िक्र व दुआ करना, रमी के साथ तकबीरात कहना वग़ैरह इसी उसूल की बिना पर है।

बाब : (229) मुहरिम जब जम्र-ए-अक़्बा को रमी करे तो लब्बैक कहना बन्द कर दे

باب: (٢٢٩) قَطْعِ الْمُحْرِمِ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا زِلْتُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَلَمَّا رَمَى قَطَعَ التَّلْبِيَةَ .

(3082) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे सवारी पर बैठा हुआ था। मैं आपको मुसल्सल लब्बैक पुकारते सुनता रहा यहाँ तक कि आपने जम्र-ए-अक़्बा को रमी शुरू की। जब रमी शुरू की तो लब्बैक कहना बन्द कर दिया।

(3082) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3040, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4086, देखें, हदीस: 3084.

फ़ायदा : रमी आख़री फ़ेअल है जो मुहरिम हज के दौरान में करता है। उसके बाद उसका एहराम ख़त्म हो जाता है, लिहाज़ा लब्बैक का वक़्त भी रमी तक ही है। सही सरीह हदीस़ की रोशनी में राजेह यही है कि रमी की आख़री कंकरी के साथ ही तल्बीया मौक़ूफ़ कर दिया जाये। ये इमाम अहमद और कुछ अस्हाबे शाफ़ेई का मौक़िफ़ है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: फ़ायदा हदीस़ नम्बर: 3058.

أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْفَضْلَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ .

(3083) हज़रत फ़ज़्ल (ﷺ) ने ख़बर दी कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे सवारी पर बैठा था। आप लब्बैक फ़रमाते रहे यहाँ तक कि आपने जम्र-ए-अक़्बा को रमी शुरू की।

(3083) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 4087.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ، أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

(3084) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि मैं नबी (ﷺ) के पीछे सवारी पर बैठा था। आप लब्बैक पुकारते रहे यहाँ तक कि आपने जम्र-ए-अक़्बा को रमी की।

(3084) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/214, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 4088.

باب:(۲۳۰) الدُّعَاءِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

बाब : (230) जम्रों को रमी करने के बाद दुआ करना

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ

(3085) इमाम ज़ोहरी से मरवी है कि हमें ये बात पहुँची है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब उस जम्रे को रमी करते जो मिना की क़ुर्बानगाह के क़रीब है तो आप उसे सात कंकरियाँ मारते। जब भी कोई

اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي الْمَنْحَرَ مَنْحَرَ مِنًى رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو يُطِيلُ الْوُقُوفَ ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا . قَالَ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ سَالِمًا يُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

कंकरी मारते, अल्लाहु अकबर कहते, फिर आगे बढ़ते और क़िब्ले की तरफ़ मुँह करके खड़े हो जाते। अपने दोनों हाथ उठा कर दुआ करते और बड़ी देर तक खड़े रहते, फिर दूसरे जम्रे के पास आते और उसे सात कंकरियाँ मारते। जब भी कोई कंकरी मारते, अल्लाहु अकबर कहते, फिर बायीं तरफ़ को नीचे उतरते और बैतुल्लाह की तरफ़ मुँह करके खड़े हो जाते। अपने दोनों हाथ उठा लेते और दुआ करते, फिर जम्रे के पास आते जो घाटी के पास है और उसे सात कंकरियाँ मारते, फिर उसके पास (दुआ के लिये) नहीं ठहरते थे।
इमाम ज़ोहरी बयान करते हैं कि मैंने ये हदीस़ हज़रत सालिम से सुनी, उन्होंने अपने बाप (अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ)) से और वह नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं। और हज़रत इब्ने उ़मर भी ऐसे ही किया करते थे।

(3085) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 1751, 1752, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 4089.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हर जम्रे की रमी के बाद दुआ नहीं की जाती बल्कि उस रमी के बाद दुआ की जाती है जिसके बाद और रमी हो। गोया जम्र-ए-अक़्बा को रमी करने के बाद दुआ नहीं की जाती, ख़्वाह कोई भी दिन हो क्योंकि उसके बाद और रमी नहीं होती, अलबत्ता पहले दो जम्रों में से हर एक को रमी करने के बाद दो जम्रों के दरम्यान क़िब्ला रुख़ खड़े होकर दुआ की जायेगी और हाथ उठाये जायेंगे। **(2)** कुछ अहादीस़ में जो वादी के पेट या नशेब वग़ैरह का ज़िक्र है, वह उस दौर में था, बाद में भी रहा, मगर आज कल तो जमरात के इर्द गिर्द हर तरफ़ जगह हमवार है, कोई नशेब व फ़राज़ नहीं। जमरात को सुतून नुमा बना दिया गया है बल्कि आज कल उन्हें लम्बी दीवार की शक्ल दे दी गई है। हर तरफ़ वसीअ़ और हमवार पुख़्ता सड़कें फैला दी गई हैं ताकि रश पर क़ाबू पाया जा सके। ये सब हाजियों की सहूलत के लिये किया गया है।

बाब : (231)
जम्रों को रमी करने के बाद मुहरिम के लिये क्या कुछ हलाल हो जाता है?

باب:(٢٣١)
مَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ . قِيلَ وَالطِّيبُ قَالَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَضَمَّخُ بِالْمِسْكِ أَفَطِيبٌ هُوَ

(3086) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि जब मुहरिम जम्र-ए-अक़्बा को रमी कर ले तो उसके लिये औरतों के अलावा हर चीज़ हलाल हो जाती है। उनसे पूछा गया: ख़ुशबू? फ़रमाया: मैंने तो रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आपने कस्तूरी लगा रखी थी। क्या ये ख़ुशबू नहीं?

(3086) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3041, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4090, देखें, हदीस: 3066, मुस्लिम, हदीस: 1189 वग़ैरह.

फ़ायदा : ये 10 ज़ुल हिज्जा की बात है। मुज़्दलिफ़ा से मिना आते ही सिर्फ़ जम्र-ए-अक़्बा को रमी की जाती है। इसके बाद अगर हाजी के पास क़ुर्बानी का जानवर है तो उसे ज़बह किया जाये। एहराम ख़त्म है। अब वह हजामत करवाये, नहाये, धोये, ख़ुशबू लगाये, सिले हुये कपड़े पहने यहाँ तक कि तवाफ़े ज़ियारत (फ़र्ज़ तवाफ़) भी एहराम के बग़ैर करेगा, अलबता तवाफ़े ज़ियारत से पहले बीवी से जिमाअ हराम है। जब तवाफ़े ज़ियारत कर ले तो अब उसके लिये बीवी भी हलाल है। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने यौमे नहर और अय्यामे तशरीक़ को खाने पीने और अल्लाह के ज़िक्र के दिन क़रार दिया है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 1141)